

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

*Students can retain library books only for two weeks at the most.*

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

माहित्य-सरोज माला सत्या २

# प्रतिनिधि शासन ।



प्रकाशक

उपन्यास बहार आफिस, काशी ।

# साहित्य-सरोज-माला

का

द्वितीय फुल ।



प्रवर्तक—

स्वर्गीय घानू जगरामदास गुप्त ।

प्रकाशक—  
शिवरामदास गुप्त,  
उपन्यासवद्धार आफिस,  
राजधानी; यनारस !



मुद्रक—  
गणपति दृष्ट्य गुर्जर  
थील द्वीना रायण प्रेस,  
जतनवड़, यनारस !

# प्रतिनिधि शासन ।

---

सुप्रसिद्ध अंगरेज दार्शनिक जान स्टुअर्ट पिल के

CONSIDERATIONS ON REPRESENTATIVE  
GOVERNMENT

ए

अनुवाद ।

प्रकाशक,

उपन्यास वहार आफिस,

काशी; यनारस ।

.....

( सर्वाधिकार प्रकाशक ने स्वाधीन रखे हैं )

॥ ध्रीः ॥

## परिचय ।

एकादशी माहात्म्य की कथा है कि देवताओं को किसी राजा का एकादशी व्रत भड़ करने के लिये अपनी और से एक खी भेजने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उस खी को अपना तिल तिल भर रूप दिया । इससे वह खी पड़ी ही रूपवती और मनमोहनी बन गयी । परन्तु वह राजा के पास जा कर अत्याचार करने लगी । उसने यहाँ तक किया कि राजा के एकादशी व्रत न छोड़ने पर उसके पुत्र का वध कराने को तय्यार हो गयी । अधश्य ही देवताओं का अभिप्राय यह नहीं था कि वह खी ऐसा वृणित कर्म करे । इससे जब वह खी राजपुत्र का प्राण लेने पर मुस्तैद हो गयी तो विष्णु भगवान ने आ कर राजपुत्र की रक्षा की और देवताओं ने उस खी से अप्रसन्न हो कर अपना दिया हुआ रूप छीन लिया । रूप छीन जाने से वह खी कौड़ी काम की नहीं रही और अन्त को उसे नरक भोगना पड़ा ।

ऐसी ही दशा अब राजाओं की हो रही है । राजाओं को प्रजा शासन का जो अधिकार मिला था—वह अधिकार चाहे ईश्वरी देन समझा जाय चाहे मनुष्य की ओर मिला हुआ माना जाय - वह जगह जगह छिना जा रहा है । राजा मुकुट धारण करने वाले से सदा यही आशा की गयी है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण करेगा । इसीसे राजा का अर्थ किया गया है प्रजा रखन करने वाला । और यही आशा जी में धारण

करते हुए लोग राजा की अधीनता स्वीकार करते आये हैं। इतना ही नहीं यह ज्ञान राजा को ईश्वर तुल्य मानते आये हैं। परन्तु अब लोगों के जी में उलटे उलटे विचार पैदा हो रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर राजा का अधिकार प्रजा न माने—एक मनुष्य का कहना अनेक मनुष्य न मानें तो राजा का—उस एक का अधिकार उन पर से आप ही आप जाता रहता है। अगर यह कहा जाय कि वह राजा अपने सेन्य यल से अनेक को अपनी यात मनवावेगा तो इस में भी एक को अनेक से (उस सेना से) अपना कहना मनवाने की अपेक्षा रहती है और इसी का अभाव अधिकार से घञ्चित होना है। इस लिये उसका अधिकार मानना ही उस को अपनी ओर से शासन करने का अधिकार देना है। अगर यही मान लौं कि राजा का अधिकार ईश्वर प्रदत्त है तो भी ईश्वर ने एक को अनेक पर शासन करने का अधिकार शुभ इच्छा से दी दिया होगा इस यात को कोई अस्थीकार नहीं करेगा। और हमारे दिनदूर धर्म में तो, जहाँ यह भाव प्रबल रूप से है, इसके प्रभावशाली प्रमाण हैं। भगवान् रामचन्द्र ने अपने रामराज्य से इस यात का आदर्श बड़ा कर दिया है कि प्रजा रखने ही राजा का कर्त्तव्य है। जब राजा अपने कर्त्तव्य से चूके तो उसका अधिकार हिन जाना कुछ आश्चर्य की यात नहीं है—यह चाहे मनुष्यों की ओर से छीना जाय चाहे ईश्वर की ओर मे। ऐसे ऐसे विचार प्रगट होने के कारण इतिहास से मिलते हैं।

मंसार के इतिहास में विदित होता है कि अथवा जितने राजा हुए हैं उनमें से हर एक ने अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया है—कितनों ने उसका ध्यान रखा है तो कितनों ने उसे विसार भी दिया है। पौराणिक युग को देखें चाहे ऐतिहासिक युग को देखें, दोनों में अच्छे और युरे दोनों तरफ के राजा पाये

जाते हैं। यह भी हुआ है कि अच्छे राजा ने बुरे राजा को दण्ड देने के लिये हथियार उठाया है किन्तु इसका बहुत कम असर हुआ है और बुरे राजाओं का अभाव नहीं हुआ, वर्चं उनकी धर्मच्छाचारिता बढ़ती ही गयी है। अकारण किसी दूसरे देश पर धावा थोल देना, जहाँ सी बात के लिये सून की नदियाँ बहा देना और संसार का सम्राट् घनने तथा मनमानी करने के घमण्ड में प्रजा के धन प्राण को कुछ परवा न रखना उनके धाये हाथ का खेल हुआ है। इतिहास उठा कर देखिये तो राजाओं के प्रजा पर किये हुए इससे भी भयंकर, दौगटे खड़े करने वाले छत्य पढ़ने में आवेंगे राजा होकर किसीने दूसरे की ओर हर लाने या भरी सभा में परायी खी को विवरण करने में ही अपना वह प्रयत्न समझा है; किसीने सैकड़ों हजारों लियों से व्याह या व्यभिचार करने में ही अपनी विशेषता समझी है; किसीने राजपद पाकर नगर में आग लगा देने और आप यंशी बजाते हुए तमाज़ा देखने का शौक पूरा किया है; किसीने कतले आम के हुम्म से अगणित निरीह प्रजा का प्राण संहार कर अपनी शाही दिखायी है; किसीने प्रजा का लहू से पसीना बना कर पैदा किया हुआ अपार धन जयरदस्ती चूस चूस कर इन्द्रिय चरितार्थ करने या कोरे खुशामदियों को लुटा देने में ही अपना शासन काल पूरा किया है; किसीने गर्भ में धन्या कैसे रहता है यह देखने के लिये जीती गर्भवती खी का पेट अपने सामने फड़या डालने में नवाची समझी है; किसीने दूसरे धर्म वालों को जीत कर उनका धर्म तलवार के पल से छुड़ाने तथा दुध मुँहे बालकों को जीते जी दीवार में चुनवा देने को ही आना धर्म समझा है; कोई राजपद पाने के लोभ में अपने पिता को बैद करने और भाइयों को मार डालने से भी नहीं चूका है; कोई अदना सिपाही से सम्राट्

ईन बर सारे संसार को पैर तते कुख्यतने के घटाड में ही सोगों को ढाढ़ांडोत करता रहा है: इसो ने लपने मन के विद्वद उचित और आवश्यक यात बाहने पर भी चाहे जिसको गोती से भरा डातने या डामत करा देने को शाहंगाही समझी है। इसमें संसार भर के सरकर्त्तव्य विमुख राजाओं के नमूने ज्ञा जाते हैं। यही सब देख छुन कर प्रजा रखने करने वाली राजनीति वेश्यानीति कही जाने लगी। उहाँ युरे राजाओं के ऐसे युरे दृष्टान्त हैं यहाँ अच्छे राजाओं के भी यहुत झच्छे सच्छे दृष्टान्त हैं: उन्होंने तन धन से और मन धर्म से प्रजा का पालन पोषण किया, प्रजा को रक्षा के तिये अपने सुख स्थाप्य को तिलाड्बलि दी, बड़े बड़े कष्ट सहन किये-प्राए तक नंघा दिये और अपना कर्त्तव्य नहीं छोड़ा। उनके मुशासन से प्रजा को यहुत छुछ उच्छति और भतारे हुए हैं। किन्तु झच्छे के साथ युरे का प्रादुर्भाव देख कर इस यातरीजमानत नहीं रही कि प्रजारखन जो राजा का एक मात्र कर्त्तव्य और धर्म है उसका एक समान पालन दाता रहेगा। जैसे नुराज में दो कदम छाने दृढ़ने की आशा रही ऐसे कुराज में चार कदम पौछे इटने का खटका पना रहा। राजाओं को मनमानी चाल और अत्याचार को प्रजा देखती, सुनती, और सहती रही और उसके चित्र पर इसका असर भी पड़ता रहा। हर यात्र में आवश्यक और अनुकूल परिष्ठिति करने को सदा तत्पर रहने वाली पाष्ठात्यं जातियों में इस का परिणाम प्रगट होने लगा।

परिणाम का आरम्भ इस तरह हुआ कि कहीं कहीं की प्रजा राजा को मनमानी चाल का विरोध करने लगी, उसको कर देने से इनकार करने सभी और उसका दुःखन मानने को कमर करने लगा। और इस तरह राजा के दाय से

अपने ऊपर शासन करने का अधिकार छीनने लगी । जहाँ राजा राजा में युद्ध होता था वहाँ राजा प्रजा में युद्ध आरम्भ हुआ । राजसिंहासन लुप्त हुआ और प्रजा ने पंचायती राज्य स्थापित किया । किन्तु साधारण लोगों को इतना समय नहीं है और न इतनी समझ ही है कि पंचायती राज्य में सब किसी की राय लेकर काम किया जाय । इससे विश्वासी और योग्य पुरुषों को चुन कर उनके द्वारा राज्य कार्य चलाने का ठहराय हुआ । यह तथ्य हुआ कि साधारण लोग जिन जिनकी ईमानदारी और बुद्धिमानी पर भरोसा रखते हैं उन संख्या यद्द मनुष्यों को अपनी तरफ से राज्य-कार्य करने का परवाना हैं । और जनता की राय से चुने हुए उन मनुष्यों की सभा राज्य कार्य चलावे । परवाने की मुद्रत भी बांध दी गयी और ऐसी ऐसी शर्तें रखी गयी कि जिस से वह सभा भी जनता के विरुद्ध मनमानी न करने पावे । परन्तु जैसे सुरपंच यिना पंचायत का काम नहीं चलता; मुनीम यिना कोठी का काम नहीं चलता; कर्णधार यिना नाय का काम नहीं चलता और मुखिया यिना परिवार का काम नहीं चलता वैसे सभापति यिना सभा का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता । इसलिये प्रतिनिधि सभा के साथ निर्दिष्ट समय के लिये एक सभापति चुनने की भी व्यवस्था हुई और वही राखूपति कहलाता है । मंत्रियों तथा दाकिमों के ओहदे भी रखे गये । इस प्रकार पंचायती राज्य स्थापित हुआ । स्थूलतः यही प्रतिनिधि-शासन है और यही स्थराज्य है । फ्रांस ने इसका नमूना दिखाया । अमेरिका ने उसका और सुधङ्ग रूप बनाया । फिर तो वह लोगों को ऐसा पसन्द आया कि इसको यहुत देशों ने अपनाया । और अब तो यही शासनपद्धति सब से उत्तम मानी जाती है । युरोप अमेरिका में हा नहीं-

पश्चिमा के तुर्कस्थान, ईरान और नीन जापान में भी इसी का ढंका यज्ञ रहा है। युरोप के महासमर से इस प्रणाली ने रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया आदि देशों पर भी वित्तय पायी है।

हमारे शासक देश इंग्लॅण्ड में यह विशेषता है कि यहाँ राजा भी हैं और पार्लिमेंट रूपी प्रतिनिधि समा भी है। इस देश ने फगाड़ा, आस्ट्रेलिया इंस्थियास आदि अपने अधीन देशों को अपने समान प्रतिनिधि तंत्र या स्वराज्य दे रखा है और उसने सदा अपनी यह नीति प्रकट की है कि जो देश स्वराज्य के योग्य हो उसको स्वराज्य दिया जाय। ऐसी उदार नीति रखने वाली अंगरेज जाति के अधीन दिनुस्थान है मानो भाग्यान ने इस देश को उस अवस्था के योग्य बनाने के लिये ही उसके हाथ में सौंपा है। अंगरेजों यिन्हा दीक्षा से स्वराज्य का भाव दिनुस्थानियों में भी जागृत हुआ है और घोरे घोरे परन्तु दृढ़ता से यह रहा है। दिनुस्थान में जो उदार आवाज़ों से पुकार मच रही है कि हमें प्रिण्टिश द्वाया में स्वराज्य बाहिये। यह पुकार प्रिण्टिश जनता के कानों तक पहुंच रही है और पहुंचायी जा रही है। युरोप के महासमर में दिनुस्थानियों ने घन और ऊन से जी घोल कर, घूते से याहर अपने शासक देश की सहायता की है जिसे देय कर प्रिण्टिश राज्य के कर्णधार मुग्ध हो गये हैं और उन्होंने दिनुस्थान की आकांक्षा पर स्थान देने के घब्बन दिये हैं। प्रिण्टिश जाति जल्द या देर से, दिनुस्थानियों की यह आकांक्षा पूरी करेगी, दिनुस्थानी स्वराज्य प्राप्त करेंगे इससे शुभ सक्षम दियाई देते हैं।

ऐसी स्थिति में हमारे देशभाइयों में स्वराज्य व्यवस्था जान जितना यह उतना अच्छा है और इसके लिये इस विषय के मन्यों का प्रचार करना सेवकों और प्रश-

शकों का प्रधान कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से सुप्रसिद्ध अंगरेज दार्शनिक और राज्यनीतिविद् जान बटुआर्ट मिल के Considerations on Representative Government नामक पुस्तक का अनुवाद भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। मूल ग्रन्थ का विद्वानों में यहाँ आदर है, इसमें प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी दोष और गुणों का भली-भाँति विवेचन किया गया है। प्रधकार ने हिन्दुस्थान के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं।

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का यश काशीस्थ उपन्यास पद्मार आफिरा के मालिक वाबू जयरामदास जी गुप्त को है। उन्हीं की प्रेरणा से यह हिन्दी में लिखा गया। इसको यह छपवारहे थे और ह फर्में अपने सामने छुपवा भी चुके थे, उनका इरादा इस को इस साल की दिल्ली बाली कांग्रेस तक प्रकाशित कर देने का था, किन्तु दुर्भाग्यवश उक्त वाबू साहब अपनी यह इच्छा पूरी नहीं करने पाये। यड़े शोक का विषय है कि कराल काल ने समर द्वार के रूप में प्रगट हो कर उक्त वाबू साहब को तारीख ३० नवम्बर सन् १९१८ ईस्वी, शनिवार को प्रातः काल ३२ घर्ष की जयानी में इस संसार से डठा लिया। वाबू जयराम दासजी हिन्दी के एक अच्छे लेखक और यड़े उत्साही ग्रन्थ प्रकाशक थे उन्होंने स्वराज्य तथा अन्य विषयों के बहुतेरे ग्रन्थ प्रकाशित किये और करना चाहते थे। उनके द्वारा हिन्दी साहित्य की यहुत कुछ भलाई होने की आशा थी। किन्तु उनका असमय स्वर्गवास हो जाने से यह आशालिता मुरझा गयी। उनके योग्य कनिष्ठ भ्राता वाबू शिवराम दासजी गुप्त ने यह कारोधार अपने हाथ में लिया है और उन्होंने इसको शीघ्र प्रकाशित करके अपने स्वर्गीय भाई की इच्छा पूरी की है। आप को भी हिन्दी पर प्रेम है और कारोधार जमा हुआ है इससे

( ज )

आशा होती है कि वह अपने स्वर्गीय भाई साहब के लगाये हुए साहित्य-सरोज को सुखने न देंगे घरंच द्वारा भरा और लाललाला बनाये रखेंगे ।

इस पुस्तक को लिखने में अनुवादक ने गुजरात घरनाम्य-लर' सोसाइटी ( अदमदायाद ) द्वारा प्रकाशित गुजराती अनुवाद का मुख्यतः सहारा लिया है और इसके लिये घद छतष्ठता प्रगट करता है । अनुयाद जल्दी में दुभा है और शीघ्रता में छापा गया है इस से इस में शुटि रहना सम्भव है । अनुवादक भूल चूक के लिये पाठकों से क्षमा मांगता है और आशा रखता है कि दूसरी आवृति का अघसर आने पर घद शुटियों को यथा साध्य मिटाने की चेष्टा करेगा ।

काशी  
१८-१२-१६१८ } }

अनुवादक ।

## ग्रंथकार की प्रस्तावना ।

जन्मान मेरे पहिले के लेख पढ़ने की मेरे ऊपर कृपा की है उनको प्रस्तुत पुस्तक में कुछ विशेष नवीनता दियार्ह देने की सम्भावना नहीं है । क्योंकि मैंने अपने जीवन के अधिकांश में जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न जारी रखा है, वे ही इस पुस्तक में सन्दर्भित किये गये हैं और इनमें से अधिकांश की सूचना दूसरे सज्जन अथवा मैं इससे पहिले देचुका हूँ । फिर भी उनका संग्रह करके उन्हें यथा सम्बन्ध दिखाने में और मैंने अपने विचार के अनुसार उनकी पुष्टि में जो जो प्रमाण उपस्थित किये हैं, उनकी बहुतेरी बातों में नवीनता है । कितने ही विचार वद्यपि नये नहीं हैं तथापि उनको आजकल के जमाने में किसी तरह मानने के विषय में नये के बराबर ही कम सम्भावना है ।

तो भी अनेक चिन्हों से और विशेष कर पार्लीमेंट में सुधार के विषय में चले हुए घाद विवाद से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संरक्षक ( कंसर्वेंटिव ) और सुधारक ( लिबरल ) — ये अभी तक अपने को जिस नाम से परिचित करते हैं उस नाम को मैं कायम रखूँ तो — दोनों जिस राजनीतिक मत को सिर्फ ऊपर से नाम के लिये स्वीकार करते हैं, उसके

ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है। फिर दोनों में से कोई पक्ष अधिक अच्छा मत सम्पादन करने में कुछ भी अप्रसर हुआ नहीं जाने पड़ता। परन्तु ऐसा अधिक अच्छा मत होना सम्भव है; यदि मत दोनों का भेद भाव तोड़ कर समझीता नहीं कर सकता, तथापि प्रत्येक से अधिक विश्वाल हो सकता है कि जिससे उसकी विशेष ध्यापकता के कारण सुन्धारक या संरक्षक कोई भी अपने मत में जो कुछ अच्छा जीवे उसको छोड़े यिनां ही मान सके। जब कि इतने अधिक मनुष्यों को ऐसे किसी मत की आवश्यकता बहुत फरम जंचती है और उसके पाने की रुशी मनाने वाले मनुष्य भी इतने थोड़े हैं तब ऐसे समय में कोई मनुष्य अपने विचार और दूसरे के विचारों में उसे जो सव से उत्तम लगता हो, उनको (जो ऐसे मत का गठन करने में कुछ मोददे कर सकते हैं) सामने रखने को आगे बढ़े तो पहुंचत नहीं माना जायगा।

अप्रैल १८८१।

स्वर्गीय बाबू जयरामदास गुप्त ।



ज-म-कालिक शुल्क १४ स. १९४३, मृत्यु-मार्गशीर्ष हृष्ण १२ स. १९७१,

# प्रतिनिधि शासन ।

—छत्तीसगढ़ी—

## पहिला अध्याय ।

शासन-पद्धति का विषय कहाँ तक मरजी  
पर रखने योग्य है ?

शासन-पद्धति सम्बन्धी समूचे विवाद में, राज्यतंत्र के विषय में, दो परस्पर विरोधी तर्क की अथवा और खुलासा तौर पर कहें तो राज्यतंत्र क्या है इस विषय में दो परस्पर विरोधी भावनाओं की ज्यादा या कम एक तरफी छाप पड़ी होती है।

कितने मनुष्यों का यह विचार है कि राज्यनीति केवल व्यवहारी शाखा है और उस में साधन और साध्य के सिवाय और किसी विषय के प्रश्न का प्रसङ्ग नहीं रहता। वे लोग शासन-पद्धति को मनुष्य-मनोरथ के साधनार्थ जारी किया हुआ आयोजन बताते हैं। वे उसको केवल युक्ति, प्रयुक्ति का विषय मानते हैं। वे यह समझते हैं कि यह मनुष्यकृत है। अतएव उस की योजना करना या न करना और किस तरह तथा किस नमूने पर करना यह मनुष्य की मरजी पर है। इस विचार के अनुसार, राज्यतंत्र दूसरे व्यवहारी विषयों की तरह हल करने योग्य प्रश्न है। राज्यतंत्र से क्या क्या कार्य सिद्ध करना है, इस का निर्णय करना हमारा पहिला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य यह है कि उन कायों को सिद्धि के लिये कौन सी राज्यपद्धति सब से अधिक अनुकूल है, इस को

दूँड़े । इन दो विषयों में अपने मन का समाधान कर लेने के बाद और किस शासन-पद्धति में सब से अधिक भलाई के साथ सब से कम घुराई है इस का निर्णय करने के बाद आगे करने को इतना ही याकी रहता है कि हमारे मन में जो अभिग्राह आया हो उस में अपने देशियों की अथवा जिनके लिये वह शासन-पद्धति ठहरायी हो उनकी सम्मति लें । सब से थ्रेषु शासन-पद्धति दूँड़ निकालना, यह सब से थ्रेषु है, यह दूसरों के चित्त में जमा देना और ऐसा करने के बाद उस का सम्पादन करने के लिये दृढ़ता सहित प्रयत्न करने को उन्हें उत्तेजित करना इत्यादि विचार राज्यनीति शाख का यह मन अंगीकार करने वालों के मन में उठा करते हैं । उन लोगों की समझ में (प्रमाण मात्र का भेद मानते हुए) जैसा भाफ का हस्त और खोदने की फल है वैसा ही राज्यतंत्र है ।

इस के विरुद्ध जो एक दूसरी थ्रेणी के राजनीतिक तर्क-बादी हैं, वे राज्यतंत्र को फल समान मानने के इतने बड़े विरोधी हैं कि इस को एक प्रकार की स्थाभाविक सृष्टि मानते हैं और राज्यनीति शाख को (मानों) सृष्टि विहान को एक शारा मानते हैं । उनके मतानुसार शासन-पद्धति मरजो के आधार पर नहीं है । यह जिस स्थिति में मिल जाय, उसों में हमें उस को प्रधानतः अंगीकार करना चाहिये । शासन-पद्धति की योजना पूर्व संकल्प के अनुसार नहीं हो सकती । उस की उत्पत्ति कृत्रिम नहीं है वर्तंच स्थाभाविक है । सृष्टि की दूसरी प्राकृतिक घटना की तरह इस के सम्बन्ध में भी हमारा काम इतना ही है कि हम इस के स्थाभाविक गुणों को जान लें और उस के अनुकूल घर्ताय करें । इस मत वाले किसी भी प्रजा के राज्यतंत्र के मूल आधारभूत-नियमों को उसकी श्रद्धाति और व्यवहार से उपजी हुई एक प्रकार की स्थाभा-

विक रुद्धि अर्थात् उसं की खासियत अन्तर्वृत्ति और अनज्ञान संगी और याहियों की पैदाइश मानते हैं, परन्तु उनको उस की विवेक पूर्वक की हुई धारणाओं का परिणाम नहीं समझते। इस विषय में उनकी संकल्प शक्ति का काम इतना ही है कि जहाँ कुछ ज़करत मालूम हो, वहाँ उस की कसर तात्कालिक योजनाओं से मिटा लें। ये योजनाएँ जनता की वृत्ति और प्रगति के यथोचित अनुकूल होने पर ही बहुधा डिकती हैं और उनका उत्तरोत्तर जमाव हो कर उस से उस का सम्पादन करने वाली प्रजा के अनुकूल राज्यतंत्र उत्पन्न होता है। परन्तु जिस प्रजा की प्रगति और अवस्था से ये योजनाएँ आप से आप उत्पन्न नहीं होतीं, उस प्रजा पर उनका योग्य डालने का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा।

अगर हम सोच लें कि ये दोनों मत स्वतः सम्पूर्ण समझ कर स्वीकार किये जाते हैं, तो इन में से कौन सा मत अधिक विचारशून्य है इसका निर्णय फरना कठिन हो जाय। परन्तु किसी विवादप्रस्त विषय के सम्बन्ध में, मनुष्य जो सिद्धान्त अपना धना कर प्रगट करते हैं वह, उनका जो असली अभिप्राय होता है उस का, बहुत कर के अपूर्ण स्थरूप दियाता है। यह कोई भी नहीं मानता कि हर एक प्रजा हर तरह का राज्यतंत्र चलाने को समर्थ है। यान्त्रिक योजनाओं के पश्चात वो अपने नगर में चाहे जितना ठीक मानें; परन्तु एक लोह लकड़ के श्रीजार को भी कोई आदमी सिर्फ इसी धुनियाद पर नहीं पसन्द करता कि वह स्वर्य श्रेष्ठ है। आदमी पहिले इस बात का विचार करता है कि उस से लाभ उठाने के लिये उस के साथ और जिस जिस सामान की ज़करत है, वह उस के पास है या नहीं। और विशेष कर के जिस के हाथ से वह चलेगा, उस

आदमी में उस से काम लेने योग्य ज्ञान और कुशलता है कि नहीं । इस के विरुद्ध जो लोग राज्यतंत्र को सजीव रुटिया मान कर उस के विषय में यात करते हैं, वे भी अपने को जैसा राजनीतिक दैवयादी ( अर्थात् जो लोग यह समझते हैं कि स्वभावतः जो राज्यतंत्र निर्मित हुआ है उस में मनुष्य से फेर बदल नहीं सकता, वे ) दियाते हैं, असल में वे वैसे नहीं हैं । वे यह भाव नहीं दियाते कि मनुष्य-जाति जिस राज्यतंत्र की सत्ता के नीचे रहना चाहे, उस के विषय में उस की मरजी के लिये तनिक गुंजाइश नहीं है अथवा भिन्न भिन्न शासन-पद्धतियों से जो परिणाम निकलता है उस का विचार, कोई खास पद्धति पसन्द करने के लिये विलकूल निरर्थक है । परन्तु यद्यपि प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष से विरोधभाव रखने के कारण अपने मत की वेद्द अतिशयोक्ति फरता है और अपने प्रगट किये हुए मत को ज्याँ का त्याँ हृदय से नहीं मानता तथापि ये दो मत दो विचार-पद्धति के बीच में मौजूद रहनेवाले गहरे भेद के अनुकूल हैं और दो में से एक का विचार सम्पूर्ण रूप से चास्तिविक नहीं है । यह स्पष्ट ही है । तथापि किसी का विचार सम्पूर्ण रूप से अवास्तविक नहीं है, यह भी स्पष्ट है । इस से हर एक की जड़ ढूँढ़ निकालने के लिये और हर एक में सत्य का जो अंश है, उसे काम में लाने के लिये हमें इन करना चाहिये ।

अब आरम्भ में हमें याद रखना है कि ( इस सिद्धान्त से चाहे कितनी अद्वानता दियायी जाय तो भी ) राज्यतंत्र मनुष्य की कृति है और उस का मूल तथा सारा अस्तित्व मनुष्य-मंकल्प है । कुछ यह यात नहीं है, कि मनुष्य एक दिन गरमी में सवेरे जाग पड़े और उस को उगा हुआ देखे । पेड़ जहाँ एक बार लगा दिया कि फिर मनुष्य ऊँघता हो, तो भी

यह बहुता ही जाता है, उस को सी भी यह बात नहीं है । यह अपनी स्थिति की प्रत्येक अवस्था में, जैसा होता है, वैसा संकल्प पूर्वक मनुष्य-प्रयत्न से हुआ रहता है । इस से मनुष्य-कृत सारी वस्तुओं की तरह यह भी सुकृत या दुष्कृत हो सकता है, उस की योजना में विवेक और चतुराई से काम लिया गया होगा या इसके विरुद्ध बात हुई होगी । फिर कोई अनर्थ मालूम पड़ने से अथवा कष्ट पाने वाले में उस को रोकने का बल आ जाने से, उस का उपाय करने का अनुभव सिद्ध क्रम अनुसरण कर अंकुशित राज्यतंत्र सम्पादन करने में किसी प्रजा ने भूल की हो अथवा किसी याहरी घाघा के कारण वैसा करने में समर्थ न हुई हो, तो राजनीतिक उन्नति में पड़ा हुआ विकेप उस के लिये भारी हानिकारक हो जाता है । इस में सन्देह नहीं है; परन्तु इस से यह सिद्ध नहीं होता कि जो वस्तु दूसरे को लाभदायक मालूम पड़ी है, यह उस को भी लाभदायक न होती और अब भी अगर यह उस को अहीकार करने योग्य समझे, तो यह लाभफारी न हो ।

इस के विरुद्ध, राजनीतिक यन्त्र आप ही आप नहीं चल सकता यह बात भी याद रखने योग्य है । जैसे उस की प्रथम उत्पत्ति मनुष्य से है, वैसे उस का चलाना भी मनुष्य के हाथ में है और यह भी साधारण मनुष्य के हाथ में । उसे केवल उसकी सम्मति की आवश्यकता नहीं है बरंच उसमें उस के उत्साह पूर्वक भाग लेने की भी ज़रूरत है । और इस लिये जैसे मनुष्य मिलते हों, वैसे मनुष्यों की शक्ति और गुण के अनुसार उस की रचना करनी चाहिये । इस विषय में तीन दशाओं का समावेश होता है ।

( १ ) जिस प्रजा के लिये जो शासन-पद्धति ठहरायी गयी हो, उसे स्वीकार करने के लिये यह राजी हो अथवा यह

उस से इस कदर नाराज़ न हो कि उस की स्थापना के मार्ग में कुछ अटल रक्षायट टाले । (२) उस पा अस्तित्व दनाये रखने के लिये जो ओं काम करने की ज़रूरत हो, उस के लिये यह राजी और समर्थ हो और (३) शासन-पद्धति के अपना उद्देश्य सम्पादन करने में समर्थ होने योग्य जो जो कार्य करने की ज़रूरत है, उन सब के करने को भी यह राजी और समर्थ हो । 'कार्य' शब्द में छुति के साथ ही 'मौन', या अर्थ भी आया हुआ समझना चाहिये । जारी को हुई शासन-पद्धति को दनाये रखने के लिये, या जिस उद्देश्य सापेन ही और उस पा रख होने से यह मान्य होती है उस उद्देश्य पा सम्पादन करने की उसे समर्थ घनाने के लिये 'विद्या' के तथा 'मौन' की जो जो दशाएँ आवश्यक हैं, उन सब पा सम्पादन करने को यह समर्थ हो ।

इन में से किसी भी दशा के अभाव से कोई भी शासन-पद्धति और किसी तरह चाहे जितना अनुकूल आशा दियाती हो तथापि ऐसे विद्युप्रभाव में अनुकूल नहीं होती ।

पटिसी रक्षायट अर्थात् किसी शासन-पद्धति के विषय में प्रजा की सापरथाहों को समझाने की कम ही ज़रूरत है; क्योंकि विचार में भी यह पात कमी ध्यान से याद जाने याकी नहीं है । यह तो सदा होने याकी घटना है । उसके अमेरिका के इंटियन (आदि नियासी) किसी तरह, किसी में, मुख्यविनियत और सभ्य राजतन्त्र के प्रतिवर्धन के अर्थात् नहीं रहना चाहेंगे । ० जो उक्ली रोम साम्राज्य पर उक्ता मरे बनके विषय में भी, कुछ कम ही क्यों न हो, ऐसा

० बंदर, गोप आदि रोम का साम्राज्य नह-प्रहोने के बाद कर्ण लौदियों दह दोर पुरोप में छ-दशा का उत्तरानाश हो । वर ऐसा अपेर घड़ रहा था कि वह अपहार का कमाना कठिनाता है । ऐ

ही कह सकते हैं। जब वे अपने सरदारों की मातहती में दिढ़ी हुई लड़ाइयों में नहीं फँसे थे, तब उनको भी नियमित सत्ता में रहना सीखने में सैकड़ों वर्ष का समय थीत गया और राज्यस्थिति के बल यदल गयी। कितनी ही प्रजाएँ ऐसी हैं जिन पर कोई खास धंश अनादि काल से शासन चलाने का हक भोगता आता है, उस के सिवाय वे और किसी को हुक्मत अपनी खुशी से नहीं मानती। कुछ प्रजाएँ ऐसी हैं कि विदेशी उन्हें जीत कर उन पर राज्य चला सकते हैं। उन के सिवाय दूसरे किसी राजा का शासन सहना उन्हें एसन्द नहीं होगा। दूसरी प्रजाएँ इसी हक पर प्रजा सत्ता के राज्य के विरुद्ध होती हैं। यहुधा यह रुकावट तुरन्त के लिये असाध्य हो जाती है।

और कितनी ही बार ऐसा होता है कि कोई प्रजा किसी खास शासन-पद्धति के विरुद्ध नहीं होती—वरंच उसे पाने को आनुर भी होती है—तथापि उस की शर्तें पूरा करने को नाराज या असमर्थ होती है, उस शासन-पद्धति को नाम के अस्तित्व में रखने की आवश्यक शर्त भी पूर्ण करने को अशक्त होती है। इस प्रकार कोई प्रजा स्वतन्त्र राज्यतंत्र एसन्द करती हो परन्तु अगर सुस्ती या घेपरवाही, या नामदी या सार्थजनिक उत्साह के अभाव से उस की रक्षा करने में असमर्थ हो अगर अपने ऊपर खुलमखुला धावा होने पर लड़ने को राजी न हो, अगर यह छल से छीन लेने की साजिश में धोखा खा जाने वाली हो, अगर रक्षणिक निराशा या तात्कालिक त्रास या किसी खास पुरुष के प्रति उत्साह के

अंधकार में से, अगत को जब अधिनिक युरोप का राज्य उत्पन्न हुआ, तब उसे कुछ मुव्यवस्था होने लगी।

आधेश में अपनी स्वतंत्रता चाहे जिस महा-पुण्य के अर्पण करने अथवा राज्य उलट देने वाली सत्ता उसे सौंप देने के लिये समझ ली जा सकने वाली हो, तो इन सब अवस्थाओं में वह स्वतंत्रता पाने के कमोदेश अयोग्य है। और अगर कुछ समय भी स्वतंत्रता हाथ में रखी हो तो लाभदायक जँचने पर भी उस का अधिक समय तक टिकना सम्भव नहीं है। और कोई प्रजा किसी यास शासन-पद्धति में ज़क्रीय कर्त्ता अद्वा करने में नाराज या असमर्थ होता है। कोई ज़ंगली प्रजा यदि सभ्य समाज का लाभ किसी कदर समझती हो, तो भी उस में जिस मानसिक अकुश्य की ज़करत है उसे रमने में असमर्थ होती है; उस का मनोविकार ऐसा तीव्र होता है अथवा उस का अदंकार इतना निरंकुश होता है कि वह अपना घराऊ विरोध नहीं छोड़ती और उस के अमलीया कलिपत कष्ट का धैर लेने का काम कानून पर नहीं छोड़ देती; पेसी दशा में सभ्य शासनतंत्र उन लोगों के लिये बास्तव में लाभकारी होने के निमित्त अधिकांश में निरंकुश होना आवश्यक है—यहाँ तक कि उसके ऊपर प्रजा की निजीकी सत्ता न हो, परन्तु उसकी कार्रवाई पर वहुत अंशों में प्रबल अंकुश रम सके; और जो प्रजा अपराधियों को दया देने में कानून और राज्याधिकारियों को उत्साह से मदद नहीं देती, उसको नियमित और संकुचित से अधिक स्वतंत्रता के लिये अयोग्य मानना चाहिये। जिस प्रजा में अपराधी को पफड़ने की अपेक्षा उसे आथ्रय देने की अधिक गति होती है, जो प्रजा अपने लूटने याले के विरुद्ध गवाही देने का परिधम उठाने के बदले अथवा पेसा करके अपने सिर धैर येसाहने के बदले हिन्दुओं की तरह भूटों गवाही देकर उसे यदा लेने में प्रसन्ना दिखाती है, जो प्रजा अगर कोई आदमी आप सदृक्

पर खंजर मारकर खून करेतो,—यह सोच करकि इस विषय में जाँच-पढ़ताल करने का काम पुलिस का है और उस से हमारा कुछ घास्ता नहीं उसमें मगज न लड़ाना ही अच्छा है—इल फी कुछ युरोपीय प्रजा की तरह, एक तरफ से चली जाती है; जो प्रजा अपराधियों की बढ़ती से घबराती है, परन्तु जिस को गुप्त हत्या से कंपकंपी नहीं छूटती—इन सब प्रजाओं के सम्बन्ध में अधिकारीयर्ग को दूसरे स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिक फड़ाई से काम लेने का अधिकार सौंपने की जरूरत है। क्योंकि इस के बिना सभ्य-जीवन के प्रथम आवश्यक गुण को और किसी का आधार नहीं रहता। जंगली अवस्था से तुरत बाहर निकली हुई प्रजा में मनोवृत्ति की यह जो शोचनीय स्थिति देखने में आती है, वह बहुत फरके पहिले के खराब शासनतंत्र का परिणाम होता है, इसमें सन्देह नहीं। क्योंकि उस के मन में उस शासन के अनुभव से यह ख्याल घुसा रहता है कि कानून हमारे लाभ के लिये नहीं; किसी दूसरे मतलब से बनाया जाता है और जो उस कानून को खुल्लमखुल्ला तोड़ता है, उस की अपेक्षा उस का जारी करने वाला अधिक बुरा शत्रु है। परन्तु जिन लोगों में ऐसी मानसिक वृत्तियाँ जन्मी होती हैं उनको इस विषय में अपना दोष चाहे जितना कम दिखाई दे और वे वृत्तियाँ अच्छी राज्यनीति से अन्त को भले ही दया दी जा सके तथापि जिस प्रजा की वृत्ति कानून की तरफदार होती है और जो उस को काम में लाने में उत्साह से मदद देने को राजी रहती है, उसके ऊपर जितना कम दबाव रखकर शासन किया जा सकता है, उतना कम दबाव रख कर ऐसी वृत्तियाँ वाली प्रजा पर, जब तक वे वृत्तियाँ बनी रहती हीं तब तक, शासन नहीं किया जा सकता। और अगर मत देने का

अधिकार रखने वाली धर्मों में अपना मत देने के लिये आने लायक साधारण उत्साह भी न हो अथवा ये लोग मत देने आवं भी, तो अपना मत सार्वजनिक उद्देश्य से न दे कर रुपया लेकर हैं अथवा जिस की उनके ऊपर चलती बनती हो या उसको जो उपने वास मतलब से उनको खुश करना चाहता हो, उस की सलाह के अनुसार मत दें, तो प्रतिनिधि शासन से थोड़ा ही साम होता है। यदंच उलटे यह डर रहता है कि यह (प्रतिनिधि-शासन) प्रजापीड़न और प्रपञ्च का हथियार न घन जाए। इस प्रकार का चुनाव अंधेर नगरी के राज्य से रक्षास्वरूप होने के एक्से उस की यंत्र सामग्री में सिर्फ एक मददगार पद्धिया सा यन जाता है। इस सात्यिक विष्णु के सिवाय याहुरी फटिनाइयां भी होती हैं और ये पहुंचा अलंक्य धाधा हो जाती हैं। प्राचीन काल में यद्यपि व्यक्तिगत और स्पानीय स्वतंत्रता रही होगी और पहुंचा थी तथापि ऐसा नहीं था कि फुटफर नगर-मण्डली की सीमा के याहुर लोकप्रिय नियमित राज्यतंत्र सा कुछ हो। क्योंकि सार्वजनिक विषयों पर चर्चा चलाने के लिये एकही सभा-मण्डप में जो मनुष्य जमा हो सकते थे, उनकी मण्डली के याहुर लोकमत की उत्पत्ति और प्रसार के लिये प्रारूपिक साधन नहीं था। प्रतिनिधि-शासन-पद्धति जारी होने से यह धाधा दूर दुर्ब है, साधारणतः यह माना जाता है। परन्तु यह धाधा सम्पूर्ण रूप से दूर होने के लिये, विश्वसि की और उसमें भी समाचार-पत्र द्वारा विश्वसि की जरूरत थी। क्योंकि इस से निफल ० और फोरम † का हर तरह से पूरा

\* Pnyx=प्रोप देश के एथेन यहार की प्रसा के सभा करने का स्थान।

† Forum=रोम यहार में कैसला सुनाने और व्याख्यान देने का स्थान।

पूरा नहीं तो असली मतलब सधता है। जनता की कुछ कुछ ऐसी अवस्था भी थी कि उस में कुछ भी बड़े प्रदेश का साप्राज्य नहीं टिक सकता था, यह विना चले दूट कर एक दूसरे से स्वतंत्र माण्डलिक समान शिथिल बन्धन से जुड़े हुए छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था। क्योंकि राज्यकर्त्ता में, यहुत दूर के प्रदेशों में हुक्म की तामील कराने की क्षमता जितनी चाहिए उतनी न थी। उस की सेना की वश्यता का मुख्य आधार उस की नमक-हलाली था और विशाल राज्य प्रदेश में पूरे बल से हुक्म मनवाने के लिये जिस सेना की जरूरत थी, उसे खड़ी रखने के लिये उचित रकम लोगों से वसूल का साधन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में कमोवेश रुकावट होती ही है। यह रुकावट कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि अगर वह किसी खास शासन-पद्धति के लिये पूर्ण रूप से वाधक न भी हो अथवा उस को दूसरी किसी साध्य शासन-पद्धति की अपेक्षा प्रयोग में अधिक एसन्द करने योग्य होने में वाधा न भी ढाले, तो भी उस का प्रयन्त्र यहुत बुरी तरह से चलने का कारण हो जाती है। इस पिछले प्रश्न के निर्णय का आधार अभी हम जिस विचार पर आये नहीं हैं, उस के ऊपर अर्थात् भिन्न भिन्न शासन-पद्धतियों में सुधार करने के रूख पर है।

हमने अभी, जिस प्रजा पर जिस शासन-प्रणाली से राज्य करना होता है, उस प्रणाली के विरुद्ध उस की अनुकूलता की तीन अंगीभूत दशाओं की जाँच-पड़ताल की है। अब अगर हम जिस राज्यनीति को “प्राकृतिक मत” \* कहते हैं, उस के

\* Naturalistic Theory—यह मत कि राज्यतंत्र कुदरतों प्राणी-रक्षार्थी तरह आप से आप उत्पन्न हो कर घटता बढ़ता है और उस के ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं चलता।

प्रबत्तक भाष्म इन्हीं तीन शतों को आवश्यकता पा घाप्रद  
करना चाहते हों; अगर वे इतना ही करना चाहते हों तो जो  
जो शासन-पद्धति पहिली और दूसरी शतों को पूर्णरूप से और  
तीसरी शत को यहुत अंश में पूरा नहीं करती, वह म्थावर हो  
कर नहीं रह सकती, तो उनका इस प्रकार का संकुचित नव  
निर्विवाद है। इस के अतिरिक्त वे जो कुछ पहला चाहते हैं  
उस का प्रनियादन करना अशक्य है। राज्यतंत्र के सम्बन्ध में  
ऐतिहासिक आधार की, उस के साथ लौंगिया आचार विचार  
के परिवर्पना की और ऐसे ऐसे दृमरे विषयों की आवश्य  
करना ये यारे में जो कुछ कहा जाना है, उस का मतलब इतना  
ही है; अन्यथा और किसी से मूल यात का कुछ सम्बन्ध  
नहीं है। इस में और इस के जैसे घचनों में जो विवेद पूर्वक  
अर्थ समाया हुआ है उस के साथ, इस के सिवाय, प्रेवल मान  
सिक तरंग भी यहुत कर के भिली हुई होती है। परन्तु प्यव  
दार टटि में देखने ने राज्यतंत्र के कांडे जाने घाले वे आव-  
श्यक चुण प्रेवल इनकी तीन शतों पूरा करने घाले अर्थात्  
भगुकूल साधन हो हैं। जब लोगों के विचार, शाँक और  
ग्रासियतें किसी नियम या नियमतंत्र का भाग भाक किये  
गए हों, तब वे उन्हें मानने को अधिक आसानी से तख्यार  
दोंगे, इतना ही नहीं, वरंच इस के साथ उन नियमों को  
संरक्षा के लिये तथा उनको इस संति के अमल में लाने के  
लिये कि वे सब से धेष्ठ फल देने में समर्थ होंगे, उनकी तरफ  
में जो जो कार्य दोने को ज़रूरत है, उन कामों को अधिक  
आसानी से करना सामग्रेंगे और ऐसा करने की ओर उनकी  
गति भी आरम्भ से ही अधिक रहेगी। कोई कानून बनाने  
घाला ऐसे पुराने आचार विचार से जहाँ तक पने लाभ उठाने  
योग्य यतांष न करे, तो उस को भारी भूल समझना चाहिये।

इसके विरुद्ध इन केवल अनुकूल और मददगार साधनों को अंगीभूत अवसर की पदवी दे देना अतिशयोक्ति माप्र है। लोगों को जो मालूम रहता है, उसे करने के लिये वे लोग अधिक आसानी से समझाये जा सकते हैं। और वे उस को अधिक आसानी से करते भी हैं; परन्तु यह भी है कि जो बात उनके लिये नयी होती है, उस का करना भी सीखते हैं। परिचय भारी सहायक है, इस में सन्देह नहीं; परन्तु जो विचार पहिले नया होता है, उस का रूब मनन करने से परिचय हो जाता है। पहिले से न आजमाये हुए ऐसे विषयों के लिये सारी प्रजा के तत्पर हो जाने के अनेक दृष्टान्त हैं। नया काम करने के लिये और नयी व्यवस्था के अनुसार अपना चाल चलन याने के लिये प्रजा में कितनी सामर्थ्य है, यह भी इस प्रश्न का एक अंग है। भिन्न भिन्न प्रजाएँ और सम्यता की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ इस गुण में एक दूसरे से बहुत अलग पड़ जाती हैं। किसी शासन पद्धति की शर्तें पूरी करने के लिये किसी प्रजा की सामर्थ्य का निर्णय किसी साधारण नियम के आधार पर नहीं हो सकता। इस विषय में तो किसी प्रजा के सम्बन्ध में मिला हुआ ज्ञान और साधारण व्यवहार विवेक तथा दूरदर्शिता जो धतावे, उसी मार्ग पर चलना है। और एक विचार है उस को भी ध्यान से याहर न जाने देना चाहिये। कोई प्रजा अच्छे नियम ग्रहण करने को तयार न हो, तो भी उस के लिये उस को मन में उत्साह जगाना, उस की तयारी का एक आवश्यक अंग है। किसी नियम या शासन-पद्धति की सलाह और उपदेश देना और उस का लाभ खूबसूरती के साथ दिखाना, उस को स्वीकार कराने या मांगने के लिये ही नहीं घरंच उस के चलाने के लिये भी प्रजा के मन को सिखाने का एक साधन है और कितनी ही बार तो केवल

यही एक साधन होता है। पिछले और वर्तमान जमाने में इटली के देश-भक्तों के हाथ में “एकता सहित स्वतंत्रता” माँगने को उत्तेजित करने के सिवाय, इटालियन प्रजा को तत्वार करने का और कौन सा साधन था? \* ऐसा होने पर भी जो लोग ऐसा काम सिर पर लेने हैं उन्हें, जिस नियम या प्रणाली को सलाह देना हो उस के केवल लाभ के विषय में नहीं, बरंच उसके चलाने योग्य सात्त्विक, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के विषय में भी अपने मन में यथार्थ निर्णय फरने की जरूरत है। इस लिये कि ये जहाँ तक हो सामर्थ्य के बाहर उत्साह दिखाने से बचें।

ऊपर जो कुछ कह आये उन सब का परिणाम यह है कि नियम और शासन-पद्धति, उपरोक्त बतायी हुई तीन शब्दों की सीमा में, मरड़ी के आधार पर है, जो एकान्ततः सब से श्रेष्ठ शासन-पद्धति कहलाती है, उस को दृढ़ना वैशानिक बुद्धि का बाल्पनिक नहीं बरंच अतिशय व्यवहारी उद्यम है और किसी देश की वर्तमान स्थिति में यथा सम्भव कुछ भी शुर्त पूरा करने को समर्थ होने योग्य सब से श्रेष्ठ राज्यतंत्र जारी करना व्यवहारी उद्यम हाथ में लेने के समान है। मनुष्य-

\* उन् १८६१ ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ, उसी समय विक्टर इमानुएल राजा के अधीन समग्र इटली का राज्य स्थापित हुआ था। इस देरी हेले इटली देश की बहुत सा भाग विदेशी राज्य आस्ट्रिया के मातृहत था। और जो छोटे छोटे देशी राज्य थे, वे भी उस के अधीन रहते थे। इटली को इस प्रकार विदेशी हुक्मदं दे छुड़ा कर विक्टर इमानुएल के हाथ में छोपने वाला बरिपुराप 'गेरी-बाल्डी' नाम का दहा उरदार था। इस “एकता सहित स्वतंत्रता” का पाइटा उपदेशक भेजिनी था।

संकल्प और मनुष्य-धारणा के प्रभाव को हेय गिनने के लिये जो कुछ इस के विरुद्ध राज्यनीति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है, वह सब इस विषय में इस के दूसरे सभी उद्घम के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। सब विषयों में मनुष्य-शक्ति यहुत संकुचित सीमा में है। किसी एक या अधिक दैवी शक्ति के योग से ही वह चल सकती है। इस लिये सोची हुई वात, काम में लाने योग्य शक्तियाँ जाग्रत होनी चाहियें; फिर वे शक्तियाँ अपने नियम के अनुसार ही कार खाई करेंगी। हम नदी के प्रवाह को पीछे नहीं लौटा सकते; परन्तु इस से हम यह नहीं कहते कि 'जलयंत्र की उत्पत्ति कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है।' यंत्रशाखा की तरह राज्यनीति शाखा में भी यंत्र को चलायमान रखने की शक्ति यंत्र-सामग्री के बाहर से प्राप्त करनी होती है। और अगर वह न मिले अथवा जिस रुकावट का होना सम्भव है, उसे दूर करने योग्य उसमें सामर्थ्य न हो, तो वह योजना निष्फल जायगी। यह कुछ राज्यनीति शाखा का ही यास गुण नहीं है; कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह भी दूसरे सब शाखों की तरह मर्यादा और व्यवहार के अधीन है।

यहां पर एक दूसरा उच्च अध्या भिन्न स्वरूप में वही उच्च हमारे सामने पेश किया जाता है। यह वहस की जाती है कि जिन शक्तियों पर वहुत बड़े राजनीतिक प्रसङ्ग निर्भर करते हैं, उनके ऊपर नीतिवेत्ता दार्शनिक की सत्ता नहीं चल सकती। यह कहा जाता है कि किसी देश का राज्यतंत्र, सब आवश्यक विषयों में, सामाजिक सत्ता के मूल अंगों के यिभाग से वंधी उस देश की स्थिति द्वारा पहिले से ही नियमित और निश्चित हुआ रहता है। समाज में जो सब से प्रबल सत्ता होगी, वह शासन का अधिकार प्राप्त करेगी और राज्यतंत्र का फोर्म

परिवर्तन उस से पहिले या उस के साथ समाज की सत्ता के दबावों के सम्बन्ध में न हुआ होगा, तो स्थायी नहीं रह सकता। इन से ऊँट भी राह अपनी शासन-पद्धति बरबां के सुविधिक प्रभाव नहीं कर सकता; जिस सूक्ष्म व्यवहारी विषय और प्रबन्ध व्यवस्था को वह प्रभाव कर सकता है। परन्तु सब का साधन अद्यांत संघोंगरि सत्ता का दूल तो उसके लिये सामाजिक व्यवस्था ही निश्चित करती है।

यह तो ने दूरत ही स्वीकार करता है कि इस नद में सब का लुट आया है। परन्तु उस के कुछ उपयोगी होने के लिये उस की व्यष्ट व्याख्या और दोन्ह नवांदा दोषों की जड़ता है। यह जो कहा जाता है कि समाज में भी सब से प्रबन्ध सत्ता होती, वह राजनीति में भी सब से प्रबल होती, इस का क्यों क्या है? अंगदल से तो बहुत है ही नहीं; स्वीकृत अंगदल होने से ऐसा प्रजा समाज शासन-पद्धति ही दिक सकती है। अंगदल ही साथ इन समस्ति और दुष्टियों के दूसरे दो तर्कों योग्यता कर, तो हम सब के बहुत दास बताते हो हैं; इन्तु उस तरह नहीं पहुँचते। जितनी ही यार छोड़ा दल वहूँ दल जो बनने वहूँ में रहता है, इन्होंने अधिक प्रबल होने पर भी उनको दूसरे ही दोनों दासों में हाँत छोड़ा दल वहूँ में रह सकता है। राजनीतिक प्रश्नों में सत्ता के इन निष्प्र निष्प्र तरनों की प्रबल भरने के लिये उनका संगठन बनाने की जड़ता है; और संगठन बनाने में उसके हाथ ने यान्तर सत्ता होती है, उसका दोर बुढ़ा नहीं, उब उसके साथ सान्तर सत्ता का दल निराकार है, तब बुड़ा प्रान हो जाता है और इस एक ही साधन के द्वारा से

अपना प्रभाव बहुत समय तक कायम रख सकता है। इतने परभी जैसे कोई वस्तु कांटे (तराजू) के समतोलन में अगर एक बार भी विकेप में पड़ा तो फिर वह अपनी पहिली अवस्था में आने के बदले उससे और दूर चला जाता है, वैसा ही हाल ऐसी व्यवस्था वाले राज्यतंत्र का है। जिसको यंत्रशास्त्र में अस्थिर समतोलन कहते हैं। इस बात में सन्देह नहीं है।

परन्तु राज्यनीति का यह मत प्रकाश करने में, जिन शब्दों का साधारण रीति से उपयोग किया जाता है उनमें इसके विरुद्ध इससे भी प्रवल वाधा आपड़ती है। जो सामाजिक सत्ता राजनीतिक सत्ता हो जाने की ओर ढली रहती है, वह कुछ उदासीन—केवल निश्चेतन सत्ता नहीं, वरंच सचेतन सत्ता होती है। दूसरे शब्दों में यौं कह सकते हैं कि वह दर असल अमल में लायी हुई सत्ता होती है; अर्थात् सारी वर्तमान सत्ता का वह बहुत अल्प अंश होती है। राजनीतिक ढंग से कहें तो सारी सत्ता का यड़ा भाग संकल्प-शक्ति में है। इससे, हम जब तक संकल्प-शक्ति पर सत्ता रखने वाले हर एक विषय को गिनती में न लें, तब तक राजनीतिक सत्ता के तत्त्वों का परिमाण कैसे लगा सकते हैं? जिन के हाथ में सामाजिक सत्ता है, वे अन्त को राजनीतिक सत्ता धारण करते हैं। इसके लिये लोक-मत पर प्रभाव ढाल कर राज्यतंत्र के गठन पर प्रभाव ढालने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, ऐसा सोचना यह बात भूल जाने के समान है कि अभिप्रायः स्वयं एक सब से घड़ी सचेतन सामाजिक सत्ता है। अद्वा घाले एक मनुष्यकी सामाजिक सत्ता केवल स्वार्थ वाले नित्यानये मनुष्य की सत्ता के बराबर है। अमुक शासन-पद्धति या अमुक सामाजिक विषय पसन्द करने योग्य है, यह साधारण विचार उत्पन्न करने में जो लोग सफलता पाते हैं, वे

सामाजिक सत्ता अपने पक्ष में लाने के लिये यथा सम्भव चेष्टा करते हैं। जिस दिन पहिले धर्म के लिये मरने वाले को ०जेहसलेम में पश्यरों से मार मारकर मार ढाला और विधमियों का भविष्य में होने वाला धर्मदूत फु उसका मरण, स्वीकार करता हुआ गड़ा था, उस दिन किसने यह सोचा होगा कि पश्यरों की मार से मरने वाले उस मनुष्य के पक्ष को सामाजिक सत्ता उसी समय और उसी स्थान में, सब से प्रथल थों? और ऐसा होना क्या परिणाम से सिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि उस समय की विद्यमान धर्म में उसकी धर्म सब से प्रथल थी। इसी तरह ने यहसं (१) की राजसना में सम्प्राट् (२) पांचवें चार्लेस और वहाँ प्रक्षित मध्य मार्गेडलिफ राजाओं की अपेक्षा विटेनबर्ग (३) के एक माझु (४) को अधिक बलवान् सामाजिक सत्ताक यता दिया था।

\* धर्म के लिये प्राण देने वाला सेण्ट हेलीनस नामक हंसार्द धर्म का उत्तरदेशी, इस प्रकार हंसार्द धर्म के लिये पहिली बार बलि चढ़ा था।

+ धर्म नहीं मानने वाले हंसार्द और यहाँ धर्म से छुटे धर्म के।

† परदेश में जा कर हंसार्द धर्म का प्रवत्तन करने वाला। यह धर्मदूत युरोप में हंसार्द धर्म का प्रवत्तन करने वाला पाल था।

(१) जर्मनी देश का एक शहर (२) स्त्रेन का राजा (१५१६-१५५६) और जर्मनी का सम्प्राट् (१५१९-१५५६) तथा नशीन आविष्कृत अमेरिका का मालिक होने से यह युरोप में सब से दलपान् राजा था। परन्तु लूथर के सामने उसकी कुठ न चढ़ी। उसने जर्मनी में नये पैकेजुए प्रोटेस्टेन्ट मत को दशा देने की बहुत चेष्टा की; परन्तु अन्त को विफल हुआ। (३) जर्मनी का एक शहर। (४) प्रोटेस्टेन्ट मत का चालने वाला मार्टिन लूथर (१४८३-१५२६)

यह कहा जा सकता है कि इस प्रसङ्ग में धर्म का सम्बन्ध था और धार्मिक संकल्प में कुछ विलक्षण बल रहता है। तब हम एक केवल राजनीतिक प्रसङ्ग लेते हैं, जिस में अगर धर्म का कुछ भी सम्बन्ध था, तो वह मुख्य करके हारने वाले पक्ष की तरफ था। मानसिक भावना सामाजिक सत्ता का एक मुख्य तत्व है इस बात का अगर कोई प्रमाण चाहता हो, तो उसे चाहिये कि वह जब उदार और सुधारक राजा, उदार और सुधारक सप्राट् और सब से विचित्र बात यह कि उदार और सुधारक पोष के शासन रहित युरोप का कोई राज्य रहा हो, उस जमाने का अर्थात् महान फ्रेडरिक के, दूसरी केप्टरीन के, दूसरे जोजेफ के, पीटर लियोपोल्ड के, चौदहवें बेनीडिक्ट के, गैगेनेली के, पाम्याल के, आरंडा के, जमाने को जब नेपलिस का बुर्बोन्स भी उदार और सुधारक था और फ्रांस के अमीर दल में सब उत्साही मनुष्य उस विचार में मस्त थे, जो थोड़े समय में आप ही भारी हो जाने वाला था, उस जमाने का विचार करे। (५) केवल शरीर-बल और धन-बल सारी सामाजिक सत्ता हो जाने में कितना असमर्थ है, इसका

धर्म की सभा में जहाँ समूट् पंचम चार्ल्स केयलिक धर्माध्यक्ष और दूसरे माण्डलिक राजा जमा थे, वहाँ इसने जा कर अपने धार्मिक विचार निर्भय प्रगट किया था।

(५) फ्रांसीसी राज्य विष्लव के अरम्भ से पहिले का समय-महान फ्रेडरिक (१७७२-१७९६) प्रशिया का राजा और पहिले अण्णी का राज्य बनाने वाला। इसने प्रशिया में बहुत कुछ सुधार किये थे। दूसरी केयरिन-रूस की महारानी ( १७२९-१७३६ ) खबर मनमानी चाल वाली होने पर भी इसने महान पीटर की तरह देश

यह वास्तव में संशयच्छेदक दृष्टान्त है। विद्युत साम्राज्य में और दूसरे स्थानों में जिस दृष्टियों की (१) गुलामी का अन्त हुआ, वह कुछ जड़ सम्पत्ति के बैंटवारे में फेरफार होने के कारण नहीं, यरंच दढ़ मानसिक संकल्प का प्रसार होने के कारण। इसके (२) गुलामों का जो छुटकारा हुआ है, वह अगर कर्तव्यधर्म का विचार होने से न हुआ हो, तो भी राज्य के सब्दे लाभ के विषय में अधिक सुधरा हुआ मत प्रतिष्ठित होने से ही हुआ। मनुष्य का जो विचार होता है, उस से यह निश्चय होता है कि उसका आचरण कैसा होगा। और यद्यपि साधारण मनुष्य का मत और निश्चय उसकी विचार-शुक्ति की अपेक्षा निज की व्यास स्थिति के आधार से अधिकांश में बनता है तथापि जिसकी निज की पद्धति उससे अनग होती है, उसके मत और निश्चय का और विद्वानों की

में बहुत से मुघार किये और उसका विस्तार बढ़ाया। दूसरा जो-जेफ और पीटर लियोपोल्ड—जमीनी क सम्पाद और दगड़ी के राजा दो भाई थे। चौदहवां ऐरेनाटिकट ( १७४०-५८ ) और गोमेली अवया चौदहवां क्लेमेण्ट ( १७६९-७५ ) रोम के दो मुगारक-नेप क्लेमेण्ट जिसने स्वीटर बायु का मत बदल किया था। पोम्बाल ( १६९८-१७८१ ) पुर्तगाल में बहुत से मुघार बरने वाला। इन के बुखोन राजकुमार दोन बालोंस ने नोट्रु और सिएली में ईन् १७३५ में गद्दी स्थापित की, जो १८६१ तक उस कुड़ के हाथ में थी। (१) विलियम विल्सोन, क्लाइरन आदि के प्रयत्न से ईन् १८३३ ईस्थी में गुलामी की साल विद्युत राज्य से एक करोड़ पाँचाह रुपये के लर्च से नेस्त नापूर हुई। (२) रुपके समूट दूसरे अलक्जेन्डर ने १८६१ ईस्थी में गुलामी की प्रथा उठादी। इससे २ करोड़ ३० रुपये मनुष्य स्वतंत्र हुए।

संयुक्त सत्ता का उसके ऊपर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता । इससे जब विद्वानों के मन में साधारण तौर पर यह बात जमा दी जाय कि कोई सामाजिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक या दूसरे नियम अच्छे हैं और अमुक खुरे हैं, एक पसन्द करने योग्य है और दूसरा धिकारने योग्य; तो यह समझना कि जिस सामाजिक घल के घजन से टिकने में वह समर्थ होता है, उस घजन ने एक की मदद से लाने में और दूसरी तरफ से खदेड़ने में यहुत अधिक सफलता पायी है । और किसी देश का राज्यतंत्र वैसा ही होता है जैसा होने को उसे सामाजिक सत्ताएं लाचार करती हैं—यह सिद्धान्त इसी अर्थ में सत्य है कि जनता की वर्तमान अवस्था में साध्य होने योग्य सारी शासन-पद्धतियों में से विवेकपूर्वक पसन्द करने के प्रयत्न में रुकावट न ढाल कर उसके अनुकूल हो ।

## दूसरा अध्याय ।

### अच्छी शासन-पद्धति की पहिचान ।

अगर किसी देश के लिये ( कुछ खास शर्तों की हड में ) शासन-पद्धति पसन्द करने की चाल निकाली जा सकती है, तो अब इस बात की जांच करनी चाहिये कि यह पसन्द या चुनाव किस परीक्षा से किया जाय और किसी समाज के लाभ की वृद्धि करने में सब से अनुकूल शासन-पद्धति के विशेष चिन्ह क्या हैं ।

इसकी जांच-पड़ताल करने से पहिले राज्यतंत्र के खास कर्तव्य क्या हैं, इसका निश्चय करना आवश्यक जँचेगा । क्योंकि राज्यतंत्र के केवल एक साधन होने से उसकी

योग्यता का आधार उसके सोचे हुए उद्देश्य की अनुकूलता पर रहना चाहिये । परन्तु इस स्वरूप में प्रश्न उठाने से उस का हल करने में अपेक्षाकृत कम सहायता मिल सकेगी और समूचा प्रश्न इष्टि के सामने आवेगा भी नहीं । क्योंकि पहिले राज्यतंत्रता का खास कर्तव्य कोई निष्प्रित वस्तु नहीं है, यह समाज की भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न और आगे घड़े हुए राज्य की अपेक्षा पिछड़े हुए राज्य में बद्दुत फैला रहता है । दूसरे हम अपना लद्य जब तक राज्य दंत्र के कर्तव्य की खास सीमा ने रखेंगे, तब तक राज्यतंत्र अथवा राजनीतिक नियमों का लक्षण ठीक ठीक ध्यान में नहीं आ सकता । क्योंकि राज्यतंत्र का हित की ओर रुप्त तो अदृश्य करके सीमावद्ध होता है, किन्तु हुमार्य से उसका अहित की ओर का रुप सीमावद्ध नहीं होता । मनुष्य जिस प्रकार के और जिस कदर अनर्थ का पात्र है, उतना अनर्थ राज्यतंत्र उसके ऊपर करने में समर्थ होता है । परन्तु जो जो सुख सामाजिक जीवन में सम्भव है उन में से कोई सुख, राज्यतंत्र का गृहन उसकी प्राप्ति के जितना अनुकूल होता है और जितनी स्वाधीनता देता है उस से कुछ भी अधिक मिलना असम्भव है । सरकारी कर्मचारियों के परोक्ष प्रभाव के विषय में न कहें, तो भी उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की सीमा मनुष्य-जीवन की सीमा से जरा भी कम नहीं है । इसलिये मनुष्य-जाति के समूचे लाभ का सम्बन्ध ध्यान में रखे यिना समाज के सुख के विषय में राज्यतंत्र की सत्ता का विचार अथवा अन्दाजा ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार अच्छे और धुरे राज्यतंत्र की पहिचान के तौर पर समाज के समूचे लाभ जैसा जटिल विषय इष्टि के सामने रखने को लाचार होने से हम उस लाभ का कोई ध्वेषी

विभाग करने का प्रसंगता से प्रयत्न करेंगे कि जिस से उस निर्दर्शित थ्रेणी विभाग के अपने सामने होने से, हम जिन गुणों द्वारा कोई शासन-पद्धति भिन्न भिन्न लाभों को क्रम से बढ़ाने में समर्थ होती है, उनका स्वरूप जान सकें । हम यह कह सकें कि समाज की भलाई में ऐसे ऐसे तत्व सन्निविष्ट हैं; इन में से एक को ऐसी शर्त की आवश्यकता है; दूसरे को दूसरी शर्त की; तो हमारा काम यहुत सहल हो जाय; जिस राज्यतन्त्र में ये सब अवस्थाएँ सब से अधिक परिमाण में सन्निविष्ट हों उसके सब से बढ़िया होने की बात होती तो समाज की अच्छी स्थिति में सन्निविष्ट तत्व सम्बन्धी सिद्धान्तों से राज्यनीति-शासन का गठन हो सकता ।

दुर्भाग्यवश जिन से ऐसे सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं, उन सामाजिक हित के तत्वों की गणना करना या थ्रेणी बांधना कुछ सहज काम नहीं है । जिन्होंने पिछले जमाने में और हाल के जमाने में राज्यनीति शाखा पर कुछ गहरी दृष्टि डाली है, उनको इस थ्रेणी-विभाग की आवश्यकता जान पड़ी है; परन्तु अभी तक उस ओर जो प्रयत्न हुआ है चह, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एकही कदम है । समाज की जरूरतों का फ्रांसीसी तत्वशानियों की भाषा में नियम और उच्चति और अंगरेज कवि तथा दार्शनिक कोलेरिज ( १७७०—१८३४ ) के शब्दों में स्थिति और उच्चयन—वस इतने विभाग के साथ इस थ्रेणी का आरम्भ और अन्त होता है । इसके दो अंगों में स्पष्ट दिखाई देनेवाले विरोध के कारण और जिनकी वृत्तियों को वह उत्तेजित करती है उस में विलक्षण भेद रहने के कारण यह विभाग ठीक और मोहक ज़ीचता है । परन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ( लौकिक विवेचन के कारण यह भेद चाहे जिस तरह प्रहण किया जाय तो भी ) नियम या स्थिति

और उच्चति के बोल का भेद राज्यतंत्र के गुणों की प्यार्या करने में सकाया जाय, तो यह अधैशानिक और अवास्तविक है।

नियम और उच्चति के माने क्या ? उच्चति के सम्बन्ध में लुट कठिनाई नहीं है। अन्ततः पदिली नजर से दिग्गर्ह देने पासी कोई कठिनाई नहीं है। उच्चति को जनता की एक झड़-रन वह सकते हैं अपांत् उच्चति का अर्थ मुख्य है। परन्तु नियम क्या है ? इसका अर्थ कितनी ही बार अधिक और कितनी ही बार कम विशाल होता है; तथापि जनता के मुख्य के सियाय दूसरी जो जो जहरतें हैं उनको यह मुखिकल से प्रगट करता है।

नियम का सब से सबीरं अर्थ अधीनता है। राज्यतंत्र जब जनसमूह को अपने पश्च में रखने में सफलता पाता है तब यह कहा जाता है कि यह नियम रखता है। परन्तु अधीनता के दरअे भिज होते हैं और हर एक दरजा पराने योग्य नहीं। प्रत्येक नागरिक अलग अलग हासिमों के हर एक दुक्षम को घुन बढ़के मान से ऐसा तो केषल निरंकुश अपेक्षाकारी राज्य हो चाहता है। यह सच है कि जो दुक्षम मामूली और साप्त बाह्यता की सूखत में हो उसका समायेश इस परिवार में होगा चाहिये। इस मतसव द्वा नियम पेश करने राज्यतंत्र का एक आपश्यक गुण दरसाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि जो सोग अपना दुक्षम मनपाने को असमर्थ है, ये राज्य करते हैं। यद्यपि यह राज्यतंत्र की एक आपश्यक शर्त है तथापि यह उसका उद्देश्य नहीं है। उसे अपनी आक्षा मनपाने की जो जहरत है, यह इस लिये कि कोई दूसरा उद्देश्य साप्त सके। यह जो दूसरे मुख्य के भावार्थ से केषल गिराला उद्देश्य राज्यतंत्र को साप्तना है और जो स्थितिपरायए या उप्रतिपरायए प्रत्येक जनता में

साधना है, वह उद्देश्य क्या है अब हमें यह ढूँढ़ना है।

कुछ अधिक विशाल अर्थ में लें, तो नियम घराऊ उपद्रव को रोक कर शान्ति रखने का भाव दरसाता है। जिस देश की प्रजा आपस का भगड़ा भीतरही भीतर अपने बल से बन्द कर देती है और अपनी तकरार का फैसला तथा अपनी हानि का समाधान करने का काम सरकारी अधिकारियों को सांपना सीखे हुई होती है, कहा जाता है कि वहां नियम रहता है। परन्तु पहिले संकीर्ण अर्थ की तरह इस अधिक विशाल अर्थ में भी नियम राज्यतंत्र का हेतु या उसकी उत्थापना का लक्षण नहीं है, वरंच उसकी एक दशा ही दर साता है। क्योंकि राज्यतंत्र की आज्ञा में रहने का और सब विचारव्यस्त विषय निवटेरे के लिये उसके अधिकार में सांपने का रिवाज अच्छी तरह मजबूत हुआ हो, तो भी इन विवाद-व्यस्त विषयों का और दूसरे जिन विषयों में राज्यतंत्र सिर लड़ावे उनका फैसला करने की रीति में,—सब से अच्छे और सब से खराब में जितना अंतर है—उतना बड़ा भेद पड़ सकता है।

जिनका समावेश उन्नति के अर्थ में नहीं हो सकता। उन सब का समावेश नियम के अर्थ में करना चाहें, तो उसकी ऐसी परिभाषा करनी चाहिये कि जितने तरह की और जितनी भलाइयां मौजूद हैं उनकी रक्षा करना नियम है और यहांती उन्नति है। इस विभाग के एक या दूसरे अंग में हम राज्यतंत्र से जो जो काम करने की आशा रख सकते हैं वे सब समा जाते हैं। परन्तु ऐसा विचारने से राज्यनीति तत्वशास्त्र की गिनती में नहीं रहती। राज्यतंत्र को गठन करने में हम यह नहीं कह सकते कि अमुक धारा नियम के लिये यनाना चाहिये और अमुक धारा उन्नति के लिये। क्योंकि इस समय के बताये हुए अर्थ में नियम की शर्त और उन्नति

को शर्त एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, वरं च एक ही है । विद्यमान सामाजिक हित को बनाये रखने की ओर जिसका रुख होना है वही साधन उसके बढ़ती की ओर भी ढकेलता है और इस से उलटा भी पेसा ही समझना; भेद इतना ही है कि पहिले उद्देश्य की अपेक्षा दूसरे उद्देश्य के लिये यह साधन अधिक परिमाण में चाहिये ।

उदाहरण के तौर पर कहते हैं—पृथक् पृथक् नागरिकों में क्या क्या गुण होने से वे समाज में विद्यमान सदाचार, सुन्दरन्था, सफलता और सन्तुति का परिमाण बनाये रखने में सब ने अधिक सहायक होता है? प्रत्येक मनुष्य स्थीकार करेगा कि वे गुण उद्योग, ईमानदारी, न्याय और दूरदर्शिता हैं। परन्तु क्या ये ही गुण सुधार के लिये भी अधिक सहायक नहीं हैं? जनना में इन गुणों की वृद्धिहीन क्या सब से बड़ा सुधार नहीं है? ऐसा है तो राज्यनंद्र के जो जो गुण उद्योग, ईमानदारी, न्याय और दूरदर्शिता को उत्तेजित करते हैं वे स्थिति और उन्नति के एक समान भद्रदगार हैं: भेद इननाहीं है कि जनना को सिर्फ़ स्थायी रखने में जिस कदर इन गुणों की आवश्यकता है। इसमें अधिक परिमाण में वास्तविक उन्नति के लिये आवश्यकता है ।

निर मनुष्य में ऐसे क्या गुण हैं जिनका उन्नति से विशेष सम्बन्ध दिल्लाई देना है और जो उनना स्पष्ट नियम और संरचना का भाव सूचित नहीं करते? ये गुण मुख्य कर के मानसिक चंचलता, उन्साह और साहस हैं। परन्तु क्या ये सब गुण विद्यमान हित की वृद्धि करने में जिस कदर चाहिये उसी कदर उस हित को पूर्ण रूप से बनाये रखने के लिये आवश्यक नहीं हैं? मनुष्य के कार्य व्यवहार में आगर कुछ बात नियत है, तो वह यह है कि जिन शुक्रियों द्वारा अमूल्य लाभ प्राप्त

हुआ रहता है, उन शक्तियों के कायम रहने से ही वह लाभ बना रह सकता है। जिस वस्तु का सम्हालना छोड़ दिया जाता है, उसका अवश्य विनाश होता है। जो लोग सफलता पर भूल कर अपनी सावधानता और विचारशीलता की टेव और अनिष्ट का सामना करने की मुस्तैदी ढीली कर देते हैं, उनका सौभाग्य बहुत काल तक कदाचित् ही बना रहता है। जो मानसिक गुण केवल उन्नति के ही 'अपर्ण' हुआ जान पड़ता है और जो उन्नति की अनुकूल वृत्तियों की पराकाष्ठा है, वह अपूर्व कल्पना या आविष्कार शक्ति है। फिर भी, यह गुण स्थिति के लिये कुछ कम आवश्यक नहीं है। क्योंकि मनुष्य के कार्य व्यवहार में, अवश्य होनेवाली उथल-पुथल में नयी अङ्गचन और नया भय सदा रड़ा होता रहता है और जो पहिले से जारी हो उस व्यवस्था को जारी रखने के लिये नये उपाय और नयी युक्ति द्वारा उस अङ्गचन और भय से टक्कर लेनी पड़ती है। इस से राज्यतन्त्र के जिन जिन गुणों में चंचलता, उत्साह, साहस और आविष्कार-शक्ति को उत्तेजन देने की प्रवृत्ति होती है, वे उन्नति की तरह स्थिति के लिये भी आवश्यक हैं। ऐसे इतना ही है कि पहिले हेतु के लिये जिस कदर चाहिये उस से कुछ कम दूसरे उद्देश्य के लिये।

अब हम जनता के आवश्यक मानसिक गुण को ओर से यादरी प्राकृतिक गुण की ओर आते हैं तो ऐसी योजना दिखाना असम्भव है जो राज्यतन्त्र में या सामाजिक कार्य व्यवहार में केवल नियम वा केवल उन्नति को उत्तेजन देती हो। इषांत के तौर पर पुलिस का साधारण महकमा लो। सामाजिक व्यवस्था के इस अंग की योग्यता में जिस उद्देश्य का लाभ सब से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह नियम है। तथापि

यह नियम यनाये रखने में समर्थ हो अर्थात् अपराध दण्डने और हर एक आदमी को अपना शरीर और सम्पत्ति सही सलामत मानने को शक्तिमान करे, तो क्या इससे पढ़कर दूसरी कोई अवस्था उभति ये अधिक अनुकूल हो सकती है? सम्पत्ति की अधिक रक्षा अधिक आमदनी का एक भारी मौका और कारण है और सब से अधिक परिचित और गौणाधिकार के अनुसार यह उभति है। अपराध की पहुंच अधिक रक्षावट अपराध धरने की ओर भुक्तनेयाली गृहिणीयों को द्याती है और यह कुछ अधिक ऊंचे अर्थ में उभति है। अभूती रक्षायाली अपम्भ की सारी किसी और चिन्ता से मनुष्य का तुटकारा होने पर अपनी और दूसरे की स्थिति मुधारने के किसी भी नये प्रयत्न में भिड़ने के लिये उम्मीदन-शक्तियां ढाँडती हैं और इसी कारण से, उसे सामाजिक जीवन पर प्रोत्ति होने में, और अपने जाति भाईयों को तुरन्त के या भविष्य के शाश्वत रूप में देखने की दृष्टि झुकरत न रहने में, दूसरों के प्रति स्वेच्छा और बंधु भाष का तौर जनता के साधारण हित के प्रति उमंग की गृहिणीयों का—जो सामाजिक सुधार के इतने आपद्यक घंग है, पोषण होता है।

पिर कर और आय की अद्यती पद्धति जैसे प्रसिद्ध विषय को लो। यह विषय पहुंच करके नियम से सदृश्य रखता हुआ जान पड़ेगा। तथापि इससे पढ़ कर उभति के लिये मददगार और प्रयोगोगा? आप की जो पद्धति एक उद्देश्य को उत्तेजना करती है, यह अपने उसी उत्तम गुण के कारण दूसरे उद्देश्य पर भी मददगार हो जाती है। दृष्टान्त के तौर पर यह सफल है कि मितव्ययता राष्ट्र की सम्पत्ति की माँजूद पूँजी को जिस तरह यनाये रखती है, उसी तरह उसकी अधिक उत्पत्ति के अनुकूल होती है। पर के योगका याजियी यैद्यपारा

प्रत्येक नागरिक के सामने कठिनाई भरी व्यवस्था में दिखायी हुई नीति और शुद्ध वृद्धि का दृष्टान्त और सब से बढ़ कर अधिकारियों की की हुई इन गुणों की कदर का सबूत मान कर, दृढ़ता और विषेक दोनों गुणों के सम्बन्ध में, जनता की सान्विक वृत्तियाँ चमकाने में उत्तम दरजे का साधन हो जाता है। ऐसा कर विडाने की पद्धति—जो नागरिकों के उद्योग में वाधा न डाले या न उसकी स्वतंत्रता में विना कारण रकावट हो,—राष्ट्र की सम्पत्ति की संरक्षा के ही नहीं वरन् उसकी वृद्धि के भी अनुकूल होती है और प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य की मन शक्तियों को अधिक उत्साह से काम में लगाने को उत्तेजित करती है। इसके विरुद्ध आय और कर की व्यवस्था में होने वाली जो भूलें सम्पत्ति और नीति के विषय में लोगों की बढ़ती होने से रोकती हैं वे सब अगर बहुतायत से हों, तो उनको निर्धन और अधम बनाने में मददगार हुए विना भी नहीं रहती। सारांश, एक ऐसा सार्वजनिक सिद्धान्त है कि नियम और स्थिति को अगर हम विद्यमान लाभ की स्थापिता के सब से चिशाल अर्थ में लें, तो उन्नति के आवश्यक साधन बहुत अधिक परिमाण में नियम के आवश्यक साधन हैं और स्थिति के आवश्यक साधन कुछ कम परिमाण में उन्नति के आवश्यक साधन हैं।

नियम उन्नति से बास्तव में भिन्न है और विद्यमान हित—मौजूदा भलाई के कामों की रक्षा और अधिक भलाई के आरम्भिक श्रेणी विभाग का आधार होने के लिये जो चाहिए उससे भिन्न है—इस पक्ष की पुष्टि में शायद हम से यह कहा जायगा कि उन्नति कभी कभी नियम को तोड़ कर भी होती है; हम एक तरह की भलाई पा रहे हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरह की भलाई के विषय में पीछे

भी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार सम्पत्ति में उम्रति हो रही हो तो भी, उसी घर सद्गुण में अधोगेति होती है। यह यात स्वीकार करें, तो भी इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उम्रति स्थिति से भिन्न चलता है, बल्कि सद्गुण सम्पत्ति से भिन्न चलता है। उम्रति माने स्थिति और कुछ विशेष। और एक विषय में उम्रति सब विषयों में स्थिति नहीं सूचित फरती यह पहला कुछ उसका जवाय नहीं है। इसी तरह एक विषय में उम्रति भी सब विषयों की उम्रति नहीं सूचित फरती। जिस तरह पी उम्रति हो उसमें उसी तरह की स्थिति का समावेश होता है। जब एक तरह की उम्रति के लिये स्थिति का त्याग किया जाता है, तब दूसरी तरह पी उम्रति का इससे भी अधिक न्याय हो जाता है। अगर यह त्याग के योग्य न हो, तो निर्ण स्थिति के लाभ से लापरवाई नहीं की जाती, घरंच उम्रति के साधारण लाभ के विषय में भी भूल की जाती है।

अच्छे राज्यतंत्र के विचार को वैशानिक सूचना के मूल आधार पर छोड़ने के प्रयत्न में, अगर इस अयोग्य रीति से विरोध में पड़ी हुई भावनाओं का कुछ भी उपयोग करना ही हो, तो व्याख्या में से नियम शब्द निकाल फर यह पहला चास्तव में अधिक यथार्थ होगा कि उम्रति के लिये अगर कोई भव से अधिक अनुकूल है, तो यह सब से बढ़िया राज्यतंत्र है। क्योंकि उम्रति में नियम का समावेश होता है, परन्तु नियम में उम्रति का नहीं होता। निम्न जिस चलता होता अंश है उम्रति उसका यहाँ अंश है। दूसरे किसी अर्थ में लैं तो नियम अच्छे राज्यतंत्र की पहिली शर्तों का केवल एक भाग है; कुछ उस का भाव और तत्व नहीं है। नियम का अधिक योग्य स्थान नहीं, उम्रति के अवसरों में है। क्योंकि अगर एम अपने द्वितीय पूँजी पहला चाहें, तो अपने पास द्वाल में जो हो उसकी

उचित सम्हाल करने से बढ़कर और कुछ आवश्यक नहीं है। अगर हम अधिक धन पेंदा करने के लिये परिश्रम करते हों, तो अपने वर्तमान धन को व्यर्थ न गँवायें यह हमारा सब से पहिला नियम होना चाहिये। ऐसा सोच लेने पर नियम उन्नति के साथ शान्ति में रखने योग्य विशेष उद्देश्य नहीं है, बरब उन्नति का ही एक भाग और साधन है। एक विषय में मिले हुए लाभ से उसी विषय में अथवा दूसरे किसी विषय में उसकी अपेक्षा अधिक नुकसान हो, तो वह उन्नति नहीं हुई। ऐसे मार्यार्थ घाली उन्नति की अनुकूलता में राज्यतंत्र की सारी उत्कृष्टता का समायेश होता है।

यद्यपि अच्छे राज्यतंत्र के लक्षण की यह व्याख्या तात्त्विक-विचार से प्रतिपादित करना सम्भव है तथापि यह यथार्थ नहीं है; क्योंकि यद्यपि इसमें सत्य पूरा पूरा है तथापि यह स्मरण तो एक ही भाग का करता है। उन्नति शब्द जो भाव सूचित करता है वह आगे घढ़ने का है, परन्तु यहां तो इसमें अवनति से रोकने का अर्थ भी उसी कदर समाया हुआ है। उन साधनों को—उन्हीं विचार वृत्ति, रिवाज और आचार को—जनता को आगे बढ़ाने के लिये जितनी ज़रूरत है, उतनी ही उसको अवनति से रोकने के लिये भी है। सुधार की कुछ अपेक्षा न करनी पड़े तो भी वर्तमान स्थिति में जिन्दगी को अवनति के कारणों का सामना करने में कम कठिनाई नहीं पड़ती। प्राचीन प्रजाओं के विचारों में सारी राज्यनीति इतने ही में संमायी रहती थी। मनुष्य का और उसकी वृत्ति का स्वाभाविक रूप अधोगति की तरफ होता है; तो भी यह रूप, अच्छी धारा नीति पूर्वक काम में लाने से प्रायः पहुत समय तक रोका जा सकता है। यद्यपि इस समय हम इस अभिशय को स्वीकार नहीं करते; यद्यपि वर्तमान समय में मनुष्य इससे

स्थिति के इतना ही अयोग्य हो जाता है। यह शब्द जो मूल विरोध दरसाता है, यह जिस कदर उसके मुकाबले के मनुष्य-स्वभाव के नमूने में है, उस कदर उन वस्तुओं में नहीं है। हम जानते हैं कि कितने मनुष्यों के मन में साधारणता का गुण होता है और कितनों के मन में साहस का; जहाँ कितनों के मन में पुराना लाभ सुधारने और नया लाभ प्राप्त करने की उत्तेजना देनेवाली वृत्ति की अपेक्षा अपने पास जो मौजूद हो उसको जोगिम में डालने से दूर रहने की इच्छा प्रबल होती है, यहाँ कितनों के मन में इस से उलटी चिंह होती है और वे मौजूदा भलाई को समालने की अपेक्षा भविष्य भलाई के लिये अधिक आतुर होते हैं। दोनों के उद्देश्य के लिये मार्ग तो एक ही है, परन्तु उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में उतरने की सम्भावना है। यह विचार कोई राजनीतिक संस्था यनाने के लिये आवश्यक है। उसमें दोनों तरह के मनुष्य लेने चाहिये कि जिस से एक की वृत्तियाँ जहाँ सीमा से बाहर जाती हों, यहाँ उस पर उचित परिमाण में दूसरे का दयाल पड़े। इस उद्देश्य में धारा डालने वाला कोई सत्य न घुसाने का ध्यान रखा हो, तो उसको साध्य करने के लिये किसी आम नियम की जरूरत नहीं है। जो लोग बूढ़े और जवान फी पदधी और प्रतिष्ठा पा चुके हैं, और जो अभी पाने को हैं, उनका स्वाभाविक और आप से आप हुआ मिलाव, अगर इसके सामाधिक समतोलन में एक्टिम नियम बंधन से विक्षेप न पड़े, तो साधारण तौर पर यह मतलब पूरा करेगा।

सामाजिक-कार्य-प्रसंग के धोणी-विभाग के लिये साधारण तौर पर स्वीकार किये हुए भेद में, उस कारण से उचित गुण नहीं है, इस से इस प्रयोजन के अधिक अनुकूल आने योग्य दूसरा कोई सामने पड़ने वाला भेद ढंडने की जरूरत है।

आगे में जिस विवेचन पर आता हूँ, वह इस भेद को सूचित करता हुआ मालूम पड़ेगा ।

हम अपने आप से यह प्रश्न करें कि अच्छे राज्यतंत्र के आधारके उसके सब से गौण से लेकर सब से उच्च तक के सभी अर्थ में, क्या कारण और शर्तें हैं, तो हमें मालूम होगा कि जिस के ऊपर राज्यतंत्र का अमल होता है, उस समाज के मनुष्यों का गुण सब से मुख्य और दूसरों से परम उत्कृष्ट है ।

पहिले दृष्टान्त के तौर पर हम न्याय की व्यवस्था को लेते हैं और ऐसा करना यहुत उचित है । क्योंकि राज-प्राज का दूसरा कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिस में सिर्फ यंत्र सामग्री ही अर्थात् सूदम पार्य व्यवहार के लिये बनाये हुए नियम और युक्तियां इतने बड़े अन्तर के लिये आवश्यक ज़ँचती हैं । किर भी, उसकी आवश्यकता उस काम में फ़ंसे हुए मनुष्य को आवश्यकता से घट कर है । यदि प्रजामन की स्थिति ऐसी हो कि गवाह आमतौर पर भृट यांले और न्यायकर्ता और उसके मातहत आदमी घृस लैं, तो न्याय का उद्देश्य पूरा करने में कार्य-व्यवहार को धारा कर सकेंगी ? किर शहर के प्रवन्ध के बारे में ऐसी लापरवाही हो कि जो लोग ईमानदारी और होशियारी से इन्तजाम कर सकते हैं, तो क्या वजाने को न उसकाये जायें और जो लोग अपना कुछ खास मतलब गांठने के लिये आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ में काम सोंपा जाय, तो उनका इन्तजाम अच्छी तरह चलाने में दफाएं कश मदद कर सकेंगी ? अगर पार्लीमेंट के लिये समासद चुनने वाले सब से अच्छा समासद चुनने की परवान करें, वरंच जो आदमी अपने चुनाव के लिये सब से ज्यादा पैसा रखें उसको पसन्द करें, तो सब से खिलाल जन-समत प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली

किस काम की है ? जिस प्रतिनिधि सभा के सभासद दिश-  
यत लैं या अपनें प्रोधी प्रहृति को साधारण शिक्षा या आत्म-  
संयम से अंकुश में न रख सकने से शान्त-विचार करने में  
असमर्थ हौं और सभा-स्थल में मार-पीट करें या एक दूसरे  
पर घंटूक छोड़ें तो यह सभा क्योंकर अच्छा काम कर  
सकेगी ? फिर जो लोग अपने में से एक मनुष्य को किसी  
विषय में सफलताप्राप्त करते देख कर उसकी सहायता करने के  
बदले उसे निष्फल करने के लिये गुप्त साजिश करें, वे डाही  
मनुष्य राज्यतंत्र या कोई भी संयुक्त कार्य अच्छी तरह कैसे  
चला सकेंगे ? जब मनुष्यों की साधारण वृत्ति ऐसी हो कि  
प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य खाली अपने लाभ की परवा करे और  
सब के साधारण लाभ में उसका जो भाग है, उसका विचार  
या परवान करे, तब ऐसी स्थिति में अच्छा राज्यतंत्र असम्भव  
है । अच्छे राज्यतंत्र के सभी तत्वों को याधा देनेवाली वुद्धि  
की कवाई का जो जोर होता है, उसके लिये उष्टान्त की  
जरूरत नहीं है । राज्यतंत्र मनुष्यों के किये हुए कृत्य का  
समुदाय है और अगर कार्यकर्ता या कार्यकर्त्ताओं को प्रसन्द  
करने वाले अध्या कार्यकर्ता जिनके सामने जवायदेह होते  
हैं वे अध्या जिन्हें याजीगरों की तरह इन सब पर प्रभाव  
डाल कर अंकुश में रखना चाहिये वे केवल अज्ञानता, जड़ता  
और हानिकारक वहमों के भंडारही हौं, तो राज्यतंत्र की हर  
एक काररवाई गलत होगी । परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य इस दरजे  
से ऊँचे चढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों राज्यतंत्र सुधरता जायगा । यहां  
तक कि अंत को राज्यतंत्र के अधिकारी स्वयं उच्चम सद्गुण और  
वुद्धिवाले मनुष्य होकर सद्गुणी और विवेकी सार्वजनिक अभि-  
प्राय के बायु मण्डल में लिपटी रहने वाली साध्य, परन्तु अभी  
तक फहीं न दिखाई देनेवाली उत्कृष्टता के विन्दु पर पहुँचेंगे ।

अब जब कि अच्छे राज्यतंत्र का प्रथम तत्व समाज के मनुष्यों का सद्गुण और वृद्धि है, तब किसी शासन-पद्धति में उत्कृष्टता का जो सब से आवंश्यक तत्व हो सकता है, वह यह है कि वह अपनी प्रजा के सद्गुण और वृद्धि को चमकाए। किसी तरह का राजकीय नियमतंत्र हो उसके संभवन्ध में पहिला प्रथम यह है कि वह समाज के मनुष्यों में भिन्न भिन्न सात्त्विक और मानसिक इष्टगुणों अथवा (वेन्यम के अधिक पूर्ण थेरेणी विभाग का अनुसरण करें तो) सात्त्विक, मानसिक और उत्साही इष्टगुणों का पोषण करने में कितना अनुकूल है। जो राज्यतंत्र यह कार्य सब से अच्छी रीति पर करता है, उसका और सब विषयों में सब से अच्छा होना सम्भव है। क्योंकि लोगों में ये गुण जिस कदर होते हैं, उसी के आधार पर राज्यतंत्र का व्यवहारी प्रबन्ध अच्छा होना सम्भव है।

इस लिये सारी जनता में और पृथक् पृथक् मनुष्यों में अच्छे गुणों की वृद्धि की राज्यतंत्र में कितनी रुचि है, इसको हम अच्छेपन को एक कसौटी मान सकते हैं। क्योंकि उनका हित ही राज्यतंत्र का एक उद्देश्य है और उनके अच्छे गुण यंत्र-सामग्री को छलाने वाली शक्ति एकटुा करते हैं। अब राज्यतंत्र की थेष्टता का दूसरा अंगीभूत तत्व यंत्र सामग्री का अपना गुण होता है: अपांत् जिन अच्छे गुणों की पैंजी जिस समय मौजूद हो, उस से उस समय लाभ उठाकर उचित कारों में लगाने के लिये वह कहाँ तक अनुकूल है? दृष्टान्त और स्पष्टीकरण के लिये हम न्यायतंत्र का विषय फिर से लेंगे। कोई न्यायप्रणाली नियत हो, तो फिर न्यायाश्वरस्था का अच्छापन उसकी न्याय-समाजों में रहने वाले मनुष्यों की योग्यता और उन पर प्रभाव ढातने वाले अथवा उनको अंकुश में रखने वाले सार्वजनिक मत की योग्यता के सम्मिलित परिमाण में दोता है। एवन्तु

अच्छी और बुरी न्यायप्रणाली में जो भेद है, वह जनता में जो कुछ सात्त्विक और मानसिक योग्यता मौजूद होती है उसका दयाव न्याय-व्यवहार पर डालकर उसके परिणाम पर उचित असर डालने के लिये स्वीकार की हुई युक्तियाँ में हैं। न्यायाध्यक्ष पसन्द करने का ऐसा प्रवंध होना चाहिये कि सद्गुण और बुद्धि का सब से बड़ा औसत मिल जाय। प्रवन्ध की हितकारी रीतियाँ, जो बातें भूल से भरी हों उनको देखने और उन पर खुल्लमखुल्ला टीका, टिप्पणी करने की छूट-समाचार-पत्र द्वारा आलोचना करने और उल्हना देने की स्वतंत्रता; इजहार लेने की प्रणाली की सत्यता ढंड निकालने में अनुकूलता या प्रतिकूलता; न्याय सभा में जाने के लिये कम या ज्यादा सुशीता, अपराध ढंड निकालने के लिये तथा अपराधियों को पकड़ने के लिये किया हुआ प्रवन्ध इत्यादि विषय शक्ति नहीं है, वरं च शक्ति को रुकावट के साथ सम्बन्ध में लाने वाली यंत्र सामग्री है। और यंत्र सामग्री कुछ अपने आप से नहीं चल सकती, तो भी उसके बिना चाहे जैसी विशाल शक्ति हो व्यर्थ जायगी और कुछ भी असर नहीं कर सकेगी। राज्यतंत्र के प्रवन्ध-विभाग के गठन के सम्बन्ध में भी ऐसा ही भेद है। जब हाकिमों की योग्यता जांचने के लिये उचित नियम घनाये हो, जब कर्मचारियों में कार्य का सुविधाजनक विभाग किया हो, काम करने के लिये सुविधाजनक और 'नियमित कम बांधा हो और काम कर लेने के बाद ईमानदारी और समझदारी के साथ उसका ख्याल रखा जाता हो, जब प्रत्येक मनुष्य यह जानता हो कि मैं स्वयं किस बात का जिम्मेवार हूँ और वह जिस बात का जिम्मेवार है, उसको दूसरे मनुष्य भी जानते हों; जब महकमे के किसी काम में बेपरवाही, पक्षपान

या स्थार्यंसाधन रोकने के लिये यहुत अच्छे टंग पर गढ़ा हुआ अंकुश रगा हो, तथ उसकी यंत्र सामग्री अच्छी समझी जाती है। परन्तु जैसे सवार बिना लागाम घोड़े को नहीं चला सकता, वैसे राजनीतिक अंकुश आप से आप काम नहीं कर सकता। अगर अंकुश रगानेयाले अफसर, जिनके ऊपर अंकुश रखना है उन्हीं के पेसे धूसरांतर या ऐपरया हों अथवा अंकुश रखने याली सारी सामग्री की मुख्य कमानी जो जानता है, यह ऐसा अज्ञान, सुस्त या ऐपरया हो कि अपना फ़ज़़ अदा न करे, तो यथस्था की सब से अच्छी यंत्र सामग्री से खोड़ा ही लाभ होगा। किर भी, अच्छी सामग्री युरी सामग्री की अपेक्षा अद्दा पसन्द करने योग्य है। जो खोड़ी सी चालनशक्ति या अंकुश-शक्ति यिचमान होती है, उसको यह सब से अधिक सामदायक रोति से अमल करने को समर्थ करती है। और इसके बिना तो घाँटे जितनी चालन-शक्ति हो चल ही नहीं सकती। दृष्टान्त के तौर पर कह सकते हैं कि जानता अगर काररयार्द परग़ज़र न रहे तो उसके (काररयार्दके) प्रकाशन से जैसे अहित की कुछ रक्षायट नहीं होगी, ऐसे ही दित को भी उत्तेजन नहीं मिलेगा। अगर उसको देखने की आज्ञा ही न मिली हो, तो यह प्रकाशन बिना किस तरह रोकी या उसकार्द जा सकती है? सार्यंजनिक अधिकार के जिस गठन में अमलों का स्थार्य और कर्त्तव्य दोनों पूर्णरूपिति से मिला होता है यह तत्पतः सम्पूर्ण है। कार्द पद्धति अकेली उसको सम्पूर्ण नहीं कर सकती। परन्तु इस उद्देश्यस्थ योग्यतीति से गढ़ी हुई पद्धति ही न हो, तो इससे भी कम सम्पूर्ण हो सकेगा।

राज्यतंत्र की मूलम द्यथस्था के लिये किये हुए प्रयंत्र के बारे में दूसरे जो कहा है, यह इसके स्थूल गठन के विषय में तो इस से भी अधिक स्पष्ट और ठीक है। जो राज्य-

व्यवस्था हितकारी होने का उद्देश्य रखती है, वह जनता का साधारण कार्य-व्यवहार चलाने के लिये उसके अलग अलग मनुष्यों में मौजूद 'अच्छे गुणों के खास भाग का संगठन होती है। प्रतिनिधि राज्यतंत्र, विद्यमान साधारण दरजे की वुद्धि और ईमानदारी का और उनमें से सब से विवेकी पुरुषों के पृथक् पृथक् वुद्धिवल और सद्गुण का दबाव और किसी संगठन-पद्धति में ला सकने की अपेक्षा सीधे तौर पर लाकर उसको राज्यतंत्र में अधिक बलवान् करने का एक साधन है। तो भी इतना सत्य है कि चाहे जैसा राज्य-तंत्र हो, उसमें जो कुछ सुख होता है और जो कुछ कपण नहीं होता, उसको रोकनेवाली तो जनता के अधिकार में जो वास्तविक सत्ता होती है, वही है। किसी राज्यतंत्र की धारा इन अच्छे गुणों को जितनाही अधिक संगठन करने में सफलता पाती है, और संगठन की पद्धति जितनी अच्छी होती है, वह राज्यतंत्र उतनाही अच्छा होता है।

इस से हम को अब किसी राजनीतिक नियमतंत्र में जो योग्यता आ सकती है, उसके दो भाग करने का अवसर मिलता है। उसका एक भाग यह है कि जनता की साधारण मानसिक उम्मति को वह किस कदर उत्तेजन देता है और इसमें वुद्धि, सद्गुण और कार्य-उत्साह तथा कार्य-सामर्थ्य सम्बन्धी उम्मति का समावेश होता है। दूसरा भाग यह है कि जनता में सम्प्रति विद्यमान सात्त्विक, मानसिक और उत्साह पूर्ण योग्यता के सार्वजनिक कार्य-व्यवहार पर सब से बड़ा असर होने के लिये वह उसका किस परिमाण में संगठन करता है। राज्यतंत्र मनुष्य पर कैसा असर करता है और स्थिति पर कैसा असर डालता है, वह नागरिकों को कैसा बनाता है और उनके साथ कैसा वर्ताय करता है, उस-

का रुप लोगों की उम्रति की तरफ है या अवनति की तरफ, वह लोगों के लिये जो काम करता है और कराता है, वह अच्छा है कि युरा—ये उसकी (राज्यतंत्र) पहिचान की कसीटियां हैं। राज्यतंत्र जैसे मनुष्य के मन पर सत्ता चलानेवाला महान् वल है, यैनेही नार्वजनिक कार्य करने के लिये मुगठित व्यवस्था नंद्र है। पहिले विषय में उसकी हितकारी सत्ता मुख्य कर के परोक्ष रहती है, तो भी वह कुछ कम आवश्यक नहीं है। परन्तु उसकी दुष्ट मत्ता तो प्रत्यक्ष भी हो सकती है।

राज्यतंत्र के इन दो कर्तव्यों के बीच का भेद नियम आँग उम्रति के बीच के भेद जैसा परिमाण भेद नहीं है, बरंत्र प्रकार भेद है। इनके पर मी हमें यह नहीं मोचना चाहिये कि उनका एक दूसरे में कुछ भी निकट सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा की वस्तुमान स्थिति में राजकाज की यथासाध्य सव ने अच्छी व्यवस्था चलाने का भरोसा जो नियम दिलाता है, वह उसी के हारा राज्य के अधिक सुधार के अनुकूल हो जाता है। जिस प्रजा के लिये ऐसा यदि व्यायमंगत धारून होगा, जो उसकी स्थिति प्राप्त की हुई सात्यिक और मानसिक उम्रति की स्थिति के अनुकूल हो, वही सव से शुद्ध और कुशल व्यायतंत्र होगा, सव ने सुधरी हुई राज्यव्यवस्था होगी, सव में ममान और कम योग्य स्वरूप कर प्रणाली होगी—उसका शीघ्रता से अधिक ऊंची स्थिति में आना अधिक सम्भव है। और राजकोय तंत्र जैसे अपना अधिक सीधा काम अच्छी तरह फरके लोगों को सुधारने में मददगार होता है, उसकी अपेक्षा और किसी तरह वास्तविक सहायता नहीं कर सकता। ऐसे विशद् यदि उस की यंत्र सामग्री ऐसी घराय रीति से सजारी गयी होगी कि उस का गास अपना काम घराय हो, तो लोगों की नीति विगड़ने में और

बुद्धि तथा उत्साह मंद करने में उस का जो असर होगा, वह हजारों रास्ते देखने में आवेगा । इतना होने पर भी यह भेद वास्तविक है । क्योंकि मनुष्य का मन सुधारने या बनाने के राजकीय तंत्र के साधनों में यह एक ही साधन है और इस हितकारक या हानिकारक प्रभाव का कारण और रीति एक भिन्न और विशाल अभ्यास का विषय है ।

सार्वजनिक शिक्षा के साधनरूप में उस की किया और जनता की शिक्षा की वर्तमान स्थिति में उस का संयुक्त कार्य व्यवहार चलाने के लिये किया हुआ प्रबन्ध—जो इन दो क्रियाओं के रास्ते राज्य-पद्धति अथवा रायकीय नियमतंत्र जनता के हित पर असर करता है, उस के दूसरे मार्ग में देश और सुधार की स्थिति के भेद के कारण पहिले की अपेक्षा कम भेद पड़ता है, यह स्पष्ट है । फिर इसका राज्यतंत्र के मूल गठन से भी बहुत कम सम्बन्ध है । राज्य का व्यवहारी काम चलाने की जो पद्धति स्वतंत्र राज्यतंत्र में सब से अच्छी होती है, वही निरंकुश राजसत्ता में भी बहुत करके सब से अच्छी निकलेगी । भेद इतना ही है कि निरंकुश राजसत्ता के इस से काम लेने की उतनी सम्भावना नहीं है । व्यष्टिके तौर पर कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न राज्यपद्धतियों में मिलकीयत का कानून, सबूत और न्याय-व्यवहार के मूल तत्व, कर और आय की व्यवस्था की पद्धति, अवश्य कर के भिन्न भिन्न होने की जरूरत नहीं है । इन में से प्रत्येक विषय का अपना खास मूल तत्व और नियम होता है और यह एक निराले अभ्यास का विषय है । सामान्य व्यवहार शाखा, दीवानी और फौज-दारी कानून, आय और व्यापार की नीति, ये स्वयं शाखा हैं अथवा राज्यनीति में विशाल शाखा या कला की शाखा हैं;

और यद्यपि इन सब विषयों से सम्बन्ध रखने याले सब से शुद्ध सिद्धान्त समझने या अमल में लाने की एक समान सम्भावना नहीं है, तथापि अगर समझ कर अमल में लायें जायें, तो ये सभी पद्धतियों में एक समान लाभकारी निकलें। यह सच है कि ये सिद्धान्त जनता या मनुष्य-मन की सारी अवस्था में विना किसी भेद के लागू नहीं पड़ सकते। इन में से अधिकांश समझ सकने योग्य राज्यकर्त्ता जब तक मिलें, तब तक आगे यही हुरं जनता की किसी भी अवस्था के अनुकूल करने के लिये तो सिफं दृष्टम् व्यवहारी विषयों में ही केर बदल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस राज्यतंत्र को यह विलक्षुल अनुकूल नहीं आता, यह स्वयं पेसा गराय या लोक-विचार से इतना विकद दोगा कि यह प्रामाणिक साधनों द्वारा अपने फो अस्तित्व में नहीं रग सकता।

जनता के दित का जो विभाग लोगों की अद्वी, तुरी शिशा से सम्बन्ध रखता है, उस की धात उक्ती है। अगर उस के माध्यके के तौर पर नियमतंत्र का विचार करें, तो यह हाल में मिली हुरं उन्नति की अवस्थानुसार तत्पतः भिन्न दोगा। यद्यपि यह सिद्धान्त जो स्थीकार किया गया है, यह तस्य विचार से नहीं, घरेंच व्यवहार दृष्टि से, तो भी पिछले जमाने के राजनीतिक मत से इस जमाने के राजनीतिक मत की धेष्टता का यह मुख्य लक्षण गिना जा सकता है। क्योंकि पिछले जमाने में इंग्लैण्ड और फ्रांस के लिये जन सत्त्वक प्रतिनिधि राज्य मांगने में जो दलीलें पेश करने की ज्ञाल निकली थीं, उन्हीं दलीलों द्वारा एक समान रीति से यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि येत्रिल ० और मलय लोगों के लिये

\* अरविंदान, इन्दिष्ट और अफरीका में ऐसी हुरं एक भटकती भावना की भावति। मलाका और उस के दर्थाने के हिंदुस्थानी टायुओं के नियाई।

भी यही एक योग्य राज्य-पद्धति है। शिक्षा और सुधार के विषय में भिन्न भिन्न जनता की स्थिति नीचे उतरते उतरते अन्त को सब से ध्रेषु पशु की स्थिति से बहुत बढ़ कर नहीं रहती। चढ़ती थेणी भी यहुत ऊँचे तक पहुँचती है और भविष्य उन्नति की सम्भावना इस से भी यहुत यड़ी है। कोई जनता अगर इन में से किसी स्थिति से अधिक ऊँची स्थिति में चढ़ सकती है, तो जुदे जुदे बलों का 'संयोग होने से ही। और उनमें मुख्य उसके ऊपर चलने वाला राज्यतंत्र है। आज तक किसी समय में प्राप्त की हुई मनुष्य उन्नति की सारी स्थिति के विषय में अगर हम धार्मिक-थर्मा की सत्ता को बाँट दें, तो मनुष्यों को उसकी धर्त्तमान स्थिति में लाने वाली और वे जिस स्थिति में आ सकते हैं, उस स्थिति में आने को समर्थ करने वाली सब से प्रबल सत्ता, उनके ऊपर चलने वाली हुक्मत के प्रकार और परिमाण अधिकार-विभाग और आज्ञा और अधीनता की दशाएँ हैं। जब उनकी उन्नति की पास स्थिति के लिये राज्य तंत्र की अपूर्ण अनुकूलता होती है, तब वह उनको अपनी उन्नति में एक दम रोक सकती है। राज्यतंत्र के जिस एक आवश्यक गुण की यातिर उन्नति में आड़े आने वाले उसके प्रायः दूसरे सब दूरणों को क्षमा कर सकते हैं, वह यह है कि उनको अधिक ऊँची स्थिति में आने के लिये जो दूसरा कार्य करने की जरूरत है उसके लिये लोगों पर चलने वाली हुक्मत अनुकूल होनी चाहिए—अन्ततः प्रतिकूल न होनी चाहिये।

इस हिसाब से ( पहिला दृष्टान्त फिर से लें तो ) जंगली मृत्युतंत्रता की अवस्था में रहने वाली प्रजा, जिसमें प्रत्येक जन अधीनता की तरफ़ में हो, सिवाय किसी याहरी अंकुश में रहने के, स्वच्छन्दी जीघन विताती है, वह तक हुक्म में

रहना नहीं सोचती, तथ तक सभ्यता में कुछ भी उम्रति करने को वास्तव में असमर्थ है। इस से इस जाति के लोगों पर जो राज्यतंत्र स्थापित हो, उसमें जो गुण आयश्य करके होना चाहिये, घट यह है कि उससे अपना हुफ्फ मनवाये। पेसा करने में समर्थ होने के लिये राज्यतंत्र का गठन प्रायः अध्या सम्पूर्ण रूप से निरंकुश होना चाहिये। समाज के भिन्न भिन्न मनुष्यों को अपनी अपनी कार्य-स्थितिशता गुरुआ से दूसरों को माँप देने के आधार पर रहने वाला इसी अश में जन सम्राट राज्यनाम, उम्रति की इस अवस्था के शिष्यों को जो पहिला पाठ सिगाने की ज़रूरत है, घट सिगाने में असमर्थ होगा। इस में अगर इस प्रकार का सुधार उस से पहिले की सभ्यता हुई किसी दूसरी जाति के संसर्ग का फल न हो, तो घट प्रायः सदा धर्म या रण परामर्श छारा प्राप्त नहीं रखने वाले और यहूत करके विदेशी अब्र छारा प्राप्त सक्ता रखने वाले किसी निरंकुश राजा का एत्य होता है।

फिर असभ्य जातियों को और विशेष कर सब से परामर्शी और उत्साही जातियों को शान्ति के साथ लगातार परिधम करना पसन्द नहीं है। तथापि सारी अमरी सभ्यता का यही दाम लगता है। यिना ऐसे परिधम के जैसे सभ्य-समाज के लिये आयश्यक घृत्तियों में मन नहीं लग सकता, यैसे जड़-जगत उसे प्रहृण करने को तथ्यार नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों में अगर उद्योग, धंधे को देय यरज्जोरी न ढाली गयी हो, तो ऐसा होने के लिये दुर्लभ योगों का ध्यान आने की और इस कारण से यहुधा यहूत अधिक समय विताने की ज़रूरत पड़ती है। इस से व्यक्तिगत गुलामी जो उद्योगी जीवन का आरम्भ करती है और जनता के सब से बड़े भाग को इसी एक घृत्ति में लगे रहने को

लावार करती है, वह भी इस कारण से लड़ाई और लूट मार की अवस्था की अपेक्षा अच्छी स्वतंत्रता की स्थिति को शीघ्रता से पहुंचा सकती है। यह कहने की शायद कोई जरूरत नहीं है कि गुलामी के लिये यह वहाना बहुत आरम्भ से ही सामाजिक अवस्था में प्रहर करने योग्य है। सभ्य जनता के हाथ में अपने अधिकारस्थ मनुष्यों को सुधारने के लिये दूसरे बहुत से साधन होते हैं। और गुलामी उस कानून की सरकार के लिये, जो समग्र आधुनिक जीवन-व्यवहार की नीति है, सब तरह से विपरीत है और मालिकों को—जो एक बार सभ्यता के प्रभाव में आ गये हैं—ऐसी विगाड़ने वाली है कि आधुनिक संसार में किसी अवस्था में उसको स्वीकार करना जंगली अवस्था से भी बदतर हालत में गिरने के बराबर है।

तो भी आज कल की सभ्य वनी हुई प्रायः प्रत्येक जनता अपने इतिहास के किसी समय में अधिकांश में गुलामों से बनी थी। इस अवस्था के मनुष्यों को उससे ऊंचे चढ़ाने के लिये जंगली जाति की अपेक्षा बहुत भिन्न प्रकार की राज्यनीति की आवश्यकता है। अगर वे स्वभाव के ऊंचल हों और जन्मुण्ड में ऐसे उद्योगीथ्रेणी से उनका संसर्ग हो, जो गुलाम भी न हों और गुलामों के मालिक भी न हों (जैसा कि श्रीस में हुआ था) तो शायद उनके आवश्यक सुधार के लिये उनको गुलामी से छुड़ा देने के सिद्धाय और कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। जहाँ उन्होंने छुटकारा पाया कि वह रोम के छुटकारा पाये हुए मनुष्यों की तरह प्रायः नागरिक का सम्पूर्ण हक भोगने के लायक हो सकेंगे। जो हो, यह गुलामी की साधारण स्थिति नहीं है और उसका प्रचार चन्द होते जाने का यह एक चिन्ह है। जिसको दरअसल गुलाम कहते हैं, वह अपनी मदद आप न करने वाला

एक प्राणी है। वह जंगली से तो अवश्य ही कुछ आगे बढ़ा हुआ है। उसको राजनीतिक समाज का पहिला पाठ सीखना अभी तक याकी नहीं है। उस ने आहा मानना सोचा है। परन्तु वह जिस आद्धा को मानता है, वह सिर्फ प्रत्यक्ष आद्धा है। जन्म के गुलामों की ऐसी व्यासियत होती है कि वे अपनी रहन, चाल, नियम या कानून के अनुसार रखने में असमर्थ होते हैं। उनको जो हुक्म दिया जाता है, वही वे करते हैं और वह तभी जब उन को हुक्म दिया हो। जिस मनुष्य से वे डरते हैं, वह जब उन के सिर पर सवार रहता है और उन्हें सजा की धमकी देता है तब वे कहना मानते हैं। जहाँ उसने पीठफेरी कि घस काम जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है। उन के मन को निश्चय कराने वाला उद्देश्य उन के स्वार्थ को उत्तेजन देने वाला नहीं, वरंच उन को प्राचुर्तिक अन्तर्वृत्ति को उत्तेजन देने वाला—दातकालिक आशा या तान्कालिक भय—होना चाहिये। जो निरंकुश राज्यतंत्र जंगली को मुशील बना सकता है, वह केवल अपनी निरंकुशता के कारण गुलामों की अयोग्यता को और दृढ़ हा करेगा। परन्तु अपने अधिकारस्थ राज्यनंत्र का चलाना उनके लिये यिलकुल असमर्थ है, वे अपना सुधार अपने हाथ से नहीं कर सकते, इसके लिये बाहर से प्रेरणा होनी चाहिये। उनको जिधर कदम बढ़ाना है और उनके सुधार के लिये जो एक मात्र मार्ग है, वह यह है कि वे अपने आप की अमलदारी से निकाल कर कानून की अमलदारी में लाये जायें। उनको स्वराज्य सियाना है। और आरम्भ की अवस्था में स्वराज्य का अर्थ है साधारण सलाहों को मान कर काम करने की शक्ति। उनको यल-राज्य नहीं चाहिये, वरंच प्रेरणा-राज्य चाहिये। इतना होने पर भी उनकी अवस्था ऐसी अधम है

कि वे जिस को अधिकार थाला मानते होंगे, उसके सिंघाय दूसरे किसी की सलाह नहीं मानेंगे । अतएव उनके लिये सब से अनुकूल राज्यतंत्र यह है, जिसके हाथ यह हो, परन्तु यह उस बल से बहुत कम काम ले अर्थात् जो जनता के सभी कामों पर स्वयं निगाह रखते कि जिस से दूरएक आदमी के दिल में यह ख्याल ताजा बना रहे कि उस राज्य नंत्र में—सरकार में—अपना बनाया हुआ कानून दूर एक आदमी से मनवाने के लिये पूरा बल मौजूद है: परन्तु जो उच्चम और व्यवहार केवल सूदम विषयों की व्यवस्था में पड़ना असम्भव होने से बहुत सा काम पृथक् पृथक् भिन्न घोषों को स्वयं करने के लिये उत्तेजित करे, ऐसा सेन्ट सैमन (१) के सार्वजन कौनूम्य (२) से मिलता जुलता निरंकुश पैतृक (३) राज्यतंत्र या शिष्ट (४) राज्यतंत्र ही है । यह, जिसको हम बालटेकन डोरी (५) कहते हैं; ऐसी

(१) काट ही सेट सैमन का, जो ईन् १८१५ ईस्वी में मरा, यह मत था कि समाज में सारी मिलकीयत पर सब का साधारण मलिकाव मान कर, परिधम के फल का उचित विभाग करने का नियम रखने से विश्वान सामाजिक संकट का सचमुच अत हो जायगा ।

(२) सेट सैमन के मतानुधार उमूची जनता की यांत्री हुई एक छुट्टी रुपी व्यवस्था ।

(३) मां, बाप का लड़के पर जैषा लेइ होता है, वैसे लेइ उहित निरकृष्ण-शत्रा का राज्य ।

(४) शिष्ट कंची पदबी—और पतिष्ठा बाले पुरुषों का राज्य ।

(५) हम लोग जैसे बालक को डैंगड़ी पहाड़ा कर चलना चिलाते हैं, वैसे युरोप में डोरी के बहारे चलना चिलाने का रिवाज है ।

प्रजा को सामाजिक उन्नति की दूसरी आवश्यक पैड़ी पर रुथ तेजी से चढ़ाने के लिये जरूरी जान पड़ती है। शायद पेरू के हंकाओं (६) के राज्यतंत्र का ऐसा ही उद्देश्य रहा हो और पेरेंटेक जेस्विटों का (७) ऐसा ही उद्देश्य था। मैं यह कहने की जरूरत नहीं समझता कि बालटेकन डोरी सिफ़्लोगों को धीरे धीरे आप से आप चलना सिखाने के साधन के तौर पर स्वीकार करने योग्य है।

इस दृष्टान्त को आगे बढ़ाना अप्रासंगिक होगा। समाज की प्रत्येक प्रसिद्ध अवस्था के लिये किस किसम का राज्यतंत्र अनुकूल है, इस प्रश्न की जाँच-पड़ताल करना प्रतिनिधि-शासन के नहीं, घरंच विशाल राज्यनीति शाख के अंतर्गत है। किसी यास जनता के लिये सब से अनुकूल शासन-पद्धति वह निर्णय करने में जरूरत यह है कि उस दृष्टा के अंगभूत दूषणों और शुटियों में से कौन कौन आरा, मैं ही याधा ढालती हूँ, उनको पहचान लेने को अर्थात् जो (मार्ग) रास्ता हो बंद कर देती है, उनको ढूँढ़ निकालने को हमें समर्थ होना चाहिये। जिस घस्तु के बिना जनता आगे बढ़ ही नहीं सकती अथवा आगे बढ़ती भी है, तो संगढ़ाती और नुड़कती हुई उस घस्तु की कमी पूरी करने की ओर जिसका सब से अधिक ध्यान हो, यह राज्यतंत्र उसके लिये सब से अच्छा है। इतना होने पर भी हमें यह न भूलना चाहिये कि जिन जिन घस्तुओं का उद्देश्य सुधार या उन्नति है, उन सब के सम्बन्ध में एक शुर्त जरूर है। यह

(६) युरोपियनों के इतल करने से पहिले का, अमेरिका के बेरु देश का देशी राजा ।

(७) योगन डेप्युल यत के प्रत्येक नीतिकुण्ड लालु वा दल ।

शर्त यह है कि जिस भलाई की कमी है उसको प्राप्त करने में, जो भलाई पहिले से प्राप्त हो चुकी है उसको कुछ हानि न पहुंचे या जहां तक यने कम हानि पहुंचे। जंगली लोगों को आज्ञा मानना सिर्याने की ज़रूरत है, परन्तु इस रीति से नहीं, क्योंकि गुलामों की जाति यन जायें। और ( इसको और विशाल रूप में लें तो ) कोई शासन-पद्धति किसी जनता को उन्नति की दूसरी पैड़ी पर चढ़ाने में समर्थ हो तथापि यह इस काम को इस रीति से करे कि उसके आगे की पैड़ी पर चढ़ने का मार्ग घन्द कर दे अथवा उसके लिये यिलकुल निकम्मा यना दे, तो यह राज्यतंत्र बहुत अयोग्य होगा। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और इतिहास में इनकी गिनती सथ से शोकजनक प्रसंगों में होती है। इजिष्ट का धर्मगुरु राज्य और चीन का निरंकुश पैतृक राज्य यहां की प्रजाओं को अपने प्राप्त किये हुए सुधार के बिन्दु तक चढ़ाने के लिये बहुत योग्य साधन थे, परन्तु यहां पहुंच कर उन्होंने मानसिक स्वतंत्रता और अहंभाव के अभाव से स्थायी पड़ाव यना लिया। क्योंकि ये दो गुण जिस सुधार के आवश्यक साधन हैं, उसे प्राप्त करने के लिये जिन नियमों ने उन्हें इतने ऊचे चढ़ाया था उन्होंने असमर्थ कर दिया था और उन नियमों ने लय होकर दूसरों के लिये रास्ता नहीं दिया, इस से आगे सुधार होना रुक गया। इन जातियों के विरुद्ध पूर्व और की एक दूसरी और तुलना में छोटी जाति का—यहां जाति का—उल्टे ढ़क का दृष्टान्त लिया जाय। उसके ऊपर भी निरंकुश ह्येन्याचारी राज्य था और यह भी धर्मगुरु राज्य था, उसका नियम विधान भी हिन्दुओं की तरह स्पष्ट रूप से धर्मगुरु ने किया था। पूर्व की दूसरी जातियों के नियमतंत्रों ता उन जातियों पर जैसा असर हुआ, ऐसा ही दून लोगों के

नियमतंत्रों का इनके उल्लङ्घा—इनको उद्योगी और आनाधीन यनाया और सामाजिक व्यवहार में लगाया, परन्तु उन दूसरे देशों की तरह इनके राजा या धर्मसुर इनकी प्रहृति के गठन पर कभी पूरा अधिकार नहीं जमा नके। इनके धर्म ने युद्ध-विचक्षण और ऊँची धार्मिक वृत्ति यांते पुरुषों को सोमो छाग ईश्वरप्रेरित मनयाने और व्यथं अपने को ऐसा समझने की भी स्थितंशता देकर एक अकलित मूल्य के अवधियन नंत्र को (एक तरह ने कहिये तो) ईश्वर ध्रेणी को रोका कर दिया था। ऐगम्यर हमेशा नहीं तो माधारण नीरपर पवित्र चरित्रहांने मेरे जाति में एक मस्ता रखते थे और वहाँ राजाओं और धर्म-सुरओं ने भी यह कर मस्ता रखते थे। और ये उत्तरोत्तर के एक मात्र अमली माधव को, जो मिथ्र मिथ्र मत्ताओं में परस्पर स्पर्द्धा व्यक्त थी है, उसको पृथ्वी के उल्लंघन में कोने में जीवित रखते थे। इस में धर्म ने दूसरे सब स्थानों में जो स्वरूप धारण किया था यैसा यहाँ नहीं हुआ—अर्थात् जो जो यस्तुपैं एक वाट प्रभिष्ठा पा गयी, ये सब पवित्र हो गयीं, और अधिक सुश्वार से मार्ग में बाधक नहीं हुई। म० मंलयेटर नाम के प्रायान यहाँ ने जो यह कहा है कि ऐगम्यर सोंग धर्म और राज्य के सम्बन्ध में आधुनिक समय के सामयिक पश्चों की स्थाधीनता का मनवय पूरा करते थे, यह यहाँ जीवन को इस महान् तत्त्व में सामाजिक और सार्वभौम इतिहास में लिये हुए अंग वा यामनियिक परन्तु अपूर्ण स्थलपर दरमाता है। क्योंकि ग्रंथाशास्त्र कभी ममूर्ण न हो सकते थे, सब मेरे युद्ध विचक्षण और मद्रवृत्ति यांते पुरुषों को जो कुछ फटकार और धिक्कार योग्य जंचता था, उसको ये इस उपाय में प्राप्त ईश्वर के दरमान से तुलसातुला फटकार और धिक्कार यता बत निकाल

सकते थे, इतना ही नहीं; वरंच सामाजिक धर्म का बहुत प्रचल्ला और ऊंचे दरजे का भावार्थ, प्रकट कर सकते थे और वह भावार्थ उस समय से धर्मशास्त्र में दाखिल हो जाता था। ईसाई और उस धर्म पर विश्वास न करने वाले—दोनों के मन में वाइबिल को बतौर एक पुस्तक के पढ़ने की आदत, जो हाल तक जोरों पर थी, उस से जो कोई अपने को अलहदा कर सकता है वह पेन्टाट्यूक \* की नीति और धर्म अथवा ऐतिहासिक पुस्तकों (जो अवश्य ही धर्मगुरु विहीन हहदी-संरच्चकों की कृति है) की नीति और धर्म भविष्य-गणियों की नीति और धर्म के धीच का विशाल अंतर, जो भविष्य-वाणियों और गासपेलस X के अंतर ऐसा यढ़ा है उसे, इस कर सानन्द आश्चर्य मानता है। उन्नति के लिये इस से रढ़ कर अनुकूल अवसर सहज में नहीं मिल सकता। इस से हहदी दूसरे पश्चिया वासियों की तरह अपनी स्थिति में थायर होने के घदले पुरानी दुनिया की ग्रीकजाति के नीचे नव से आगे बढ़ने वाले थे और ग्रीकजाति सहित अर्धचीन उधार के आरम्भ विन्दु और आगे बढ़नेवाली मुख्य शक्ति हो गये।

इस से जनता को आगे जिन पैड़ियों पर चढ़ना है, उनमें ते केवल अगली पैड़ी नहीं, वरंच सब पैड़ियों का, अर्थात् जेन को आगे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और जो इन से भी बहुत विशाल अनिश्चित श्रेण द्वारा परोक्ष में है, उन दोनों तो यिना हिसाय किये विविध सामाजिक अवस्था के लिये

\* वाइबिल की प्राचीन स्थापना का विभाग।

+ वाइबिल की नवीन स्थापना में इंश्यूष्ट के जीवन और उपदेश का दृच्छान्त।

विधिधि शासन-पद्धति की अनुकूलता का प्रश्न समझना असम्भव है। इसका परिणाम यह है कि शासन-पद्धति की योग्यता का निर्णय करने के लिये एक स्वयं सत्य के पासन्द करने योग्य परम उत्तर शासन-पद्धति का नमूना तथ्यार करें अर्थात् यह पेसी हो कि अगर उसकी भलाई करने की रुचि से काम लेने के लिये जरूरी माँका मौजूद हो, तो यह दूसरी की अपेक्षा कोई एक सुधार नहीं, घरंच सत्य प्रकार के और सत्य सूखतों के सुधार पद्धति सुगमता से करे। यह निधय दर्तने के बाद हमें यह विचार करना है कि इस शासन-पद्धति के अपनी रुचि फलीभूत करने का समर्थ होने के लिये कौन कौन सी मानसिक दशाएँ आवश्यक हैं अर्थात् कौन कौन सी श्रुटियाँ उनसे मिलने योग्य लाभ पाने में असमर्थ यनाती हैं। इस से इस विषय का एक सिद्धान्त निकाला जा सकेगा कि यह शासन-पद्धति किन किन प्रसङ्गों में जारी करना चुदिमानी है। और इसका भी निर्णय किया जा सकेगा कि किन किन प्रसङ्गों में जारी करने में लाभ है और उन जनताओं को सत्य से अच्छी शासन पद्धति के योग्य होने से पहिले धीर्घ की जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना है उन में से उन को कौन कौन सी अपेक्षा-कृत घटिया पद्धति सत्य से अच्छी तरह पार कर सकेगी।

इनमें से पहिले प्रश्न से हमारा यहां सम्बन्ध नहीं है, परन्तु पहिला हमारे विषय का एक अंग है। क्योंकि अगर हम एक पेसा सिद्धान्त पेश करेंगे कि यास्तव में इस परम उत्तर शासन-पद्धति का नमूना एक या दूसरी तरह के प्रतिनिधि पद्धति में दिखाई देगा, तो हम उद्दत नहीं समझें जायेंगे। इस की दलील और नजीर आगे के पत्रों में दियाई देगी।

## तीसरा अध्याय ।

वास्तव में सब से थ्रेषु शासन-पद्धति  
प्रतिनिधि-शासन है ।

एक मुहूर्त से ( शायद ब्रिटिश सतंत्रता की सारी अवधि में ) एक आग कहावत चली आती है कि अगर कोई अच्छा निरंकुश-खेच्छाचारी, राजा मिले तो निरंकुश राज्य सब से थ्रेषु शासन-पद्धति हो जाय । मैं इस विचार को, अच्छा राज्यतंत्र क्या है, इस विषय में मूलतत्व सम्बन्धी और बहुत दी हानिकारक भ्रम समझता हूँ । और जब तक यह मन में से निर्मूल नहीं होगा, तब तक राज्यतंत्र सम्बन्धी सारे तर्क की मिट्टी पलीढ़ किया करेगा ।

इसमें यह ख्याल समाया हुआ है कि किसी उत्कृष्ट पुरुष के हाथ में पड़ी हुई निरंकुश सत्ता राज्यतंत्र के सारे कर्तव्यों का सद्गुण और कुशलता से अवश्य पालन करेगी । अच्छे कानून बनेंगे और अमल में आवेंगे । बुरे कानून सुधरेंगे, जिम्मेवारी की सब जगहों पर सब से अच्छे मनुष्य नियुक्त किये जायेंगे, देश-दशा के अनुसार और उसकी मानसिक और सात्त्विक शिक्षा के परिमाण से जहाँ तक यनेगा न्याय व्यवस्था अच्छी होगी, राज्य का बोझ हल्का होगा और वह उचित रीति से डाला जायगा और राज्यतंत्र की प्रत्येक शाखा का प्रबन्ध पवित्रता और चतुरता से किया जायगा । यहस के लिये मैं यह सब कबूल करने को तय्यार हूँ, परन्तु मैं यह बताऊँगा कि यह कबूलियत कितनी भारी है । इन परिणामों की आशा के लिये भी “अच्छा निरंकुश

राजा" यह सादा वाक्य जितना भाव सूचित करता है, उस से उसमें कितने अधिक भाव का समायेश होना चाहिये ? एवं लामों की सिद्धि के लिये तो येशक अच्छा ही नहीं घरंच सर्व दशी निरंकुश राजा का भाव होना चाहिये । उसको हर घर के प्रत्येक प्रान्त के प्रबन्ध की प्रत्येक शास्त्रा ये यत्त्व और कारणाई के घरंच में गृह विस्तार के साथ सर्व गर्य मिलनी चाहिये और हर रोज गरीय मजदूर से लेकर राजा तक को जो चौथीस घंटे ही मिलते हैं, उतने ही समय में इस सारे प्रबन्ध का सभी शास्त्राओंपर उचित अंश में प्रभावशाली सद्व्य और निगरानी और अंकुश में रह कर राज्यतंत्र की हरणक शाया का प्रबन्ध करने योग्य ईमानदार तथा दोशियार मनुष्यों का यड़ा दल हो नहीं, घरंच ऐसी निगरानी विना स्वयं काम चला सके तथा ऐसी निगरानी दुमरों के ऊपर दर सके—ऐसा भरोसा रमने योग्य इस सद्व्यु और बुद्धि धाले मनुष्यों का होटा दल भी आपनी प्रजाओं के बड़े ममूह में से परग कर ढंड निषालने को समर्थ तो होना ही चाहिये । यह भारी काम कुछ भी उचित गीति में चलाने योग्य आद्यक बुद्धि-पल और कार्यसामर्थ्य ऐसा असाधारण है कि यह अगर अमर संफटों से हृटने के उपाय के तौर पर और भविष्य में होने धाले किसी लाभ की आंतरिक तथ्यारी के तौर पर न हो, तो हम जैसा समझते हैं दूसा अच्छा निरंकुश राजा यह काम सिर पर लेने को तयार होगा, इस की कल्पना शायद ही हो सकती है । परन्तु इस ये अन्दाज काम की गिनती न करें, तो भी यह दलील ज़ोरदार अमर रहती है । मान तो कि कठिनाई दूर हो गयी । इससे हमें क्या लाभ होगा ? एक यिलकुल मानसिक सत्य से

रहित जनता का सारा कार्य-व्यवहार चलाने वाली अलौकिक मानसिक-शक्ति के एक मनुष्य की निःसत्त्वता निरंकुश सत्ता के भाव में ही छुसी हुई है। सारी जनता को और उस में विद्यमान प्रत्येक पृथक् पृथक् मनुष्य को अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ भी मत प्रकट करने की सम्भावना नहीं रहती। वे अपने साधारण लाभ के विषय में अपनी कुछ भी मरजी काम में नहीं ला सकते। उनके लिये सब विषयों का निर्णय उनको छोड़ कर दूसरे किसी की मरजी करती है और वे लोग उस को न मानते तो कानून से कसूर वार ठहरते। ऐसी अमलदारी में किस किस्म के मनुष्य जीव यन सकते हैं? उस में उनकी विचार-शक्ति या कार्य-शक्ति क्या विकाश पा सकती है? शायद कोरे तर्क के विषय में, जब तक उनका विवेचन राज्यनाति में न दफ्तर दे अथवा उस के प्रबन्ध के साथ सब से दूर का सम्बन्ध भी न रखे, तब तक उनको चर्चा चलाने दी जा सकती है। व्यवहारी विषय में तो उनको अधिक से अधिक सिर्फ सलाह देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है; और सब से दयालु निरंकुश राजा की अमलदारी में भी जिनको उत्कृष्टता प्रसिद्ध हो चुकी या मानी जा चुकी हो, उनके सिवाय दूसरे मनुष्य अपनी सलाह राजकाज के प्रबन्धकर्ताओं के कान तक पहुंचाने की आशा नहीं रख सकते, तब उस पर ध्यान दिलाने की धारा कौन कहे? जो मनुष्य अपने विचार का कुछ बाहरी फल न होता जान कर भी विचार करने का कष्ट उठावे और जो कर्तव्य उसके सिर पर पड़ने की कुछ भी सम्भावना नहीं है, उसके योग्य हो, उसको मानसिक उद्योग का उसी उद्योग में और उसी की खातिर यहुत असाधारण शौक हो। हर एक जमाने में कुछ को छोड़कर याकी के किसी मनुष्य को अपने मान-

सिक उद्योग के परिणामों का कुछ प्ययदारी उपयोग होने की आशा रहती है, तभी यह उस तरफ उचित उत्साह दिग्गजा है। इस से यह भवलप्य नहीं निष्कलता कि जनता में मानसिक सत्ता विलकुल रहेगी ही नहीं। जीवन के सापारण काम में—जो प्रत्येक मनुष्य या कुटुम्ब वो अपने लिये अपश्य करना पड़ेगा—मानसिक भावना के कुछ गास मनवीर्ण विस्तार की सीमा में कुछ युद्ध और प्ययदार-कुशलता वी आपश्यकता पड़ेगी। यदाचित् विशिष्ट विद्वान् भी होंगे तो ऐ उस शास्त्र को डैसके भौतिक उपयोग के लिये अपर्याप्यास के शोक से विवरित फरते होंगे। अधिकारीपर्ण भी होगा और राज्यतंत्र के तथा सरकारी प्रबन्ध के कुछ प्ययदारी नियम सीखकर अधिकारीपर्ण के लिये शिक्षा पाते, हुए पुण्य भी होंगे। निरंकुश राजा का दबदबा जमाने के लिये किसी गास (सापारणतः संनिक) विभाग में देश के सब से ऊचे मानसिक प्रभाव वा मुख्यस्थित गठन किया जायगा और कितनी ही बार दिग्गज गया है। परन्तु सापारण जन समूह अधिकतर प्ययदार पे पड़े पड़े दिवयों में ज्ञान रहित और उत्साह रहित होता है; अध्ययन उसको कुछ ज्ञान होता है, तो ऐ यादरी होता है, टीक पैसेही जैसे जिस मनुष्य ने किसी दिन ओजार नहीं उठाया उसको कारीगरी का ज्ञान हो। और उनको जो हानि होती है यह क्षेत्र युद्ध सम्बन्धी नहीं, उनकी सात्यिक शक्तियाँ भी उतनीही कुटित होती हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य शाली व उत्साह वा क्षेत्र एवं स्थिर सीमा से संकुचित होता है, यहाँ यहाँ उनके विचार भी उसी बदर संकुचित और कुटित होते हैं। उत्साह मनोषृष्टि की खुराक है, कुटुम्ब ग्रेम वा आपार भी स्वेच्छा-सेधा है। किसी मनुष्य के अपने देश के लिये

कुछ भी करने मत दो, तो वह उसकी परवा नहीं रखेगा । एक पुरानी कहायत है कि निरंकुश राज्य में बहुत करके एक ही देश-भक्त होता है और वह निरंकुश राजा है । यह कहायत नेक और चतुर राजा की भी पूरी अधीनता के परिणामों को खूब समझ बूझकर कही गयी है । धर्म वाकी रहता है और ऐसा भरोसा रखा जा सकता है कि यह जो साधन वाकी है, वह मनुष्य की दृष्टि और मन को अधम विचार में से ऊंचे बढ़ादेगा; परन्तु यह सोचें कि धर्म निरंकुश राज्य के स्वार्थ के लिये अव्यवस्थित होने से वचा हुआ है, तो भी इस दशा में उसका भी एक सामाजिक विषय माना जाना धन्द हो जाता है और वह संकीर्ण होकर मनुष्य और उसके कर्ता के बीच का एक खानगी (प्राइवेट) विषय ही जाता है और उसमें सिर्फ गास अपने मोहर का प्रश्न रहता है । इस रूप में धर्म विलकूल स्वार्थों और संकीर्ण ममत्व भाव के अनुकूल हो जाता है, इस से उसमें अपने भक्त को उसके जाति भाइयों के साथ सम्भाव रखवाने की उतनी ही कम सम्भावना है, जितनी कम विषय वृत्ति में है ।

अच्छा निरंकुश राज्य याने वह राज्यतंत्र जिसमें निरंकुश राजा की जहाँ तक चले वहाँ तक राज्य के अमले कोई प्रत्यक्ष अत्याचार न करें, तथापि प्रजा के सभी साधारण लाभ की व्यवस्था प्रजा के लिये दूसरे मनुष्य करें, सामाजिक लाभ सम्बन्धी सभी विचार दूसरे मनुष्य करें और प्रजा के मन में अपना उत्साह परित्याग करने की देव पढ़े और इसको वह स्वीकार करती जाय । किसी बात को जैसे ईश्वर पर छोड़ते हैं, वैसे राज्यतंत्र पर छोड़ने के माने हैं । उसके विषय में कुछ परवा न करना और उसका परिणाम बुरा हो, तो उसे दैर्घ्य आकृत समझ कर शिरोधर्य कर लेना । इस तरह कुछ विद्यासङ्क

पुरुषों को—जो वादविवाद में वादविवाद की खातिर ही मानसिक उत्साह रखते हैं—द्योड़ कर सारी जनता का मन और विचार खानगी (प्राइवेट) जिन्दगी के गौण लाभ में और उसके प्राप्त हो जाने पर मौज और आडम्बर में डूया रहता है। परन्तु अगर इतिहास की सारी साक्षी किसी काम की हो तो इसका अर्थ यही है कि जनता की अधोगति का अर्थात् अगर उसने ऐसी पद्धति पाई है जिससे नीचे गिरना अधोगति है, तो उसके नीचे गिरने का समय आया है। अगर वह पूर्वी प्रजा की स्थिति सं कभी जंचे न चढ़ी हो, तो वह उस स्थिति में सड़ा करती है। और अगर उसने उत्साह, देश भक्ति और मानसिक उम्मति ढाग—जो सामाजिक गुणरूप में स्वतंत्रता के फल हैं—ग्रीस और रोम की तरह कुछ अधिक उम्मति की हो, तो वह थोड़े समय में फिर पहिली अवस्था में आ पड़ती है। और इस अवस्था का अर्थ बहुत युरे परिवर्तन से निरापद जड़ शान्ति नहीं है; बहुधा इसका अर्थ है कि सी अधिक चलवान् निरंकुश राजा ढारा अथवा किसी सब से नजदीक की विना मुघरी हुई प्रजा ढारा—जिसने जंगली जड़ता के साथ स्वतंत्रता का उत्साह रखा हो उसके ढारा—द्वितीय जाना, जीता जाना और उसके घर का गुलाम बन जाना।

निरंकुश राज्य का यह सिर्फ स्वाभाविक रूप नहीं है, वर्च अंगीभूत तत्व है और जिस कदर निरंकुश राज्य निरंकुश राज्य नहो जाना कबूल करे अर्थात् कलिपत निरंकुश राजा अपनी सत्ता चलाने से बाज रहे और उस सत्ता को अपने हाथ में अमानत रखते हुए लोगों को इस तौर पर चलने दे मानो वे अपना राज्य आप ही चलाते हों—उस कदर उस से छूटने का मार्ग मिलने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। असमग्र द्वाने पर भी हम अंकुशित राज्यतंत्र के

कितने ही नियम और शर्तें मानने वाले किसी निरंकुश राजा की कल्पना करते हैं। वह सार्वजनिक कार्य के विषय में लोक-मैत बनाने और प्रकट करने और आन्दोलन मचाने योग्य स्वतंत्रता सामयिक-पत्र को दे; वह अपना अधिकार बल वीच में अड़ाये यिना स्थानिक कार्य की व्यवस्था लोगों द्वारा होने दे; कर विठाने की सत्ता और प्रबंध करने तथा कानून बनाने का सब से बड़ा अधिकार अपने हाथ में रख कर सारी प्रजा की या खास थेणी की स्वतंत्रता से पसन्द की हुई राज्यसभा या राज्यसभाएं भी अपने आस-पास हो—अगर वह इस प्रकार का यत्तीव करे और निरंकुश राजा होने का इतना अधिकार छोड़ दे, तो वह निरंकुश राज्य के अंगीभूत अन्धों का बहुत बड़ा भाग दूर कर देता है। ऐसा होने से जनसमूह में राजनीतिक उत्साह और राज-काज के लिये सामर्थ्य यिल जाने से रुकेगी नहीं और ऐसा लोक-मत बनेगा जो राज्यतंत्र की केवल प्रतिभवनि न होगा, परन्तु इस सुधार से नयी कठिनाइयां शुरू होगी। राजाशा से स्वतंत्र यह लोक-मत या तो उसके पक्ष में या विपक्ष में होगा। पहिला नहीं तो दूसरा होगा ही। कोई राज्यतंत्र बहुत से मनुष्यों को नाराज किये यिना नहीं रह सकता। और जब उन्हें नियमित साधन मिल और वे अपने विचार प्रकट करने को शक्तिमान हुए तब राज्यतंत्र के कामों के विरुद्ध राय अक्सर प्रकट होगी ही, जब यह प्रतिकूल राय अधिक संख्या में हो तब राजा को क्या करना होगा? वह अपना रास्ता यद्देते? प्रजा का मन रखते? ऐसा करता है तो वह अब निरंकुश नहीं। अंकुशित राजा, प्रजा का प्रतिनिधि अथवा मुख्य मंत्री समान हो जाता है। भेद इतना ही है कि वह हटाया नहीं जा सकता। और अगर ऐसा न, करे तो

उसे यह विरुद्ध भाव अपनी निरंकुश सत्ता द्वारा देखा देना होगा; नहीं तो प्रजा और एक मनुष्य के बीच में स्थायी विरोध उठेगा और उसका घह एक ही परिणाम सम्भव है। मैंन भाव की तायेदारी और "ईश्वरी हक" के धार्मिक नियम भी ऐसी स्थिति के स्थाभाविक परिणाम को बहुत समय तक रोक नहीं सकेगा। राजा को लाचार होकर अंकुशित राज्य की शतों का अनुसरण करना पड़ेगा अन्यथा ऐसा करने को तथ्यार किसी दूसरे के लिये अपनी जगह गाली करनी पड़ेगी। इस प्रकार निरंकुश राज्य के मुख्य कर के नाम का होने के कारण खुदमुख्तार सरकार से जो लाभ सोचा जाता है, वह कम ही होगा और स्वतंत्र राज्य-तंत्र का लाभ भी बहुत करके अधूरा ही सधेगा। पर्योक्त नागरिक जन चाहे जितनी अधिक असली स्वतंत्रता भोगते हों वह मेहरबानी में दायित है और इस शर्त पर है कि शर्तमान राज्य गठन के अनुसार चाहे जिस घड़ी दीन सी जा सकती है। अगर उनका राजा चतुर और दयालु है, तो भी यह पात न भूलनी चाहिये कि पानून के न से थे लोग उसके गुलाम हैं।

लोगों के अशान, लापरवाही, अलहड़पन और आंधे हठ में तथा स्वतंत्रता के नियमों द्वारा प्रबल अद्व धारण करने वाले स्वार्थी, मतलबी पुरुषों के गुद्द याँधने से मय ने हित-कारक सामाजिक मुधार के मार्ग में आ पड़ी हुई अड़चनों के कारण जो अधीर या निराश थे ए हुए सुधारक तड़पने होंगे, थे अड़चने दूर करने के लिये और हटीली प्रजा को और अच्छे राज्य प्रबन्ध में आने को लाचार करने के लिये कभी कभी जयरदस्ती करने को तरसें, तो इस में बहुत आधर्य मानने की यात नहीं है। परन्तु (जहाँ एकाध दूरण मुधारने वाला राजा कभी कभी सी में एक दोता है, यदौ नये

नये दूषण सङ्गा करने वाले निजानवे होते हैं इस बात को दरकिनार रखें तो भी) जो लोग अपनी आशा सफल करने के लिये ऐसे किसी साधन की अपेक्षा रखते हैं, वे राज्यतंत्र का जो मुख्य तत्व प्रजा का अपना आप सुधार करना है, उसको तो उसकी भावना में से निकाल ही डालते हैं। स्वतंत्रता का एक लाभ यह है कि उसकी सत्ता में राज्यकर्त्ता प्रजा के मन को ताक पर नहीं रख सकता और प्रजा के मन को सुधारे विना उसके लिये उसका कार्य-बद्धवहार नहीं सुधार सकता। प्रजा पर उसकी मरजी के बिना अच्छा राज्य चलाना सम्भव हो, तो भी उसके ऊपर का अच्छा राज्य उतने समय से अधिक नहीं टिक सकता, जितने समय बहुधा उस प्रजा की स्वतंत्रता टिकती है, जो प्रजा विदेशी हथियार के बल से बिना स्वयं साथ दिये स्वतंत्र हुई हो। यह सच है कि निरंकुश राजा लोगों को शिक्षा दे सकता है और सच-मुच ऐसा करना उसकी निरंकुशता के लिये सब से अच्छा बहाना होगा। परन्तु कोई शिक्षा जो मनुष्य प्राणियों को सिर्फ यंशरूप धनाने की अपेक्षा कुछ विशेष उद्देश्य रखती है वह अन्त को उनसे अपने कार्य का अधिकार अपने हाथ में लेने का दाया करती है। अठारहवीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिकों के नेताओं को जेस्विटो ने शिक्षा दी थी। ऐसा मालूम होता है कि जेस्विट की शिक्षा भी स्वतंत्रता की आकांक्षा उत्तेजित करने पर वास्तव में थी। जो वस्तु बुद्धि को चमकाती है, वह थोड़ी ही क्यों न हो, मगर अपने द्वारा अधिक निरंकुशता के साथ काम लेने के लिये अधिक आकांक्षा जगाती है। और जिस स्थिति की आकांक्षा करने की ओर और बहुत करके जिस की भाँग की ओर प्रजा को अवश्य उभाड़ना प्रजा-शिक्षा का उद्देश्य हो उसके सिवाय अगर किसी

दूसरी बहुत के लिये शिक्षा दे तो वह व्यर्थ गई जानना ।

बहुत नाभुक मौके पर तात्कालिक डिफेंटर \* के तौर पर स्वतंत्र सत्ता धारण करने की धात की मैं निन्दा करना नहीं चाहता: राजनीतिक संस्था को जो व्याधियाँ कम करारे उपायों से नहीं निकलतीं, उनके लिये आधशक औपच के तौर पर ऐसी सत्ता प्राचीन काल में स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपनी खुशी से दी है। परन्तु अगर वह डिफेंटर (अधिकारी निरंकुश सत्ताधिकारी) सोलन † के पिटे की तरह अपनी धारण की हुई सारी सत्ता जनता को स्वतंत्रता के उपभोग में रोकने वाली उपाधियों को दूर करने में ही लगावे, तब वह खास नियमित समय के लिये धारण करना सकारण है। अच्छा निरंकुश राज्य केवल भूठी कल्पना है और अनुभव में तो (किसी तात्कालिक उद्देश्य के साधन के तौर पर काम में लाने के सिवाय) यह सब से बदहवास और भयंकर तुरंग हो जाता है। खराब यराब ही है। सुधार में कुछ भी आगे धड़े हुए देश में तो एक अच्छा निरंकुश राज्य खराब से भी अधिक हानिकारक है। फौंकि वह लोगों के विचार, वृत्ति और उत्साह को बहुत ही मन्द और निर्वल करने वाता था

\* गेम के प्रजापत्ताक राज्य में असाधारण आफत या भय के समें दिल्ली के निरंकुश सत्ता वाले टाइम नियुक्त होते थे † ग्रोस के सात शानियों में से एक—इस ने एथेन्स राज्य के लिये बहुत अच्छे कानून बना कर वहाँ उत्तम प्रजापत्ताक राज्य की नींव ढाड़ा थी, वह सन् ५८० ईस्वी से छठो लदों पाइळे हुआ था। फ्रैंस के धात शानियों में से दूररा यह लंस्त्रोप नाम के ग्रीस के पास के एक टापू का राजा था और इष्टाक राज्यतंत्र बहुत अच्छी मुनिशाद पर था। वह इसकी सन् ५८०

जाता है। आगस्टस \* के निरंकुश राज्य ने रोमनों को टैबी-रियस † के लिये तथ्यार किया। उनकी लगभग दो पीढ़ियों की नरमी वाली गुलामी ने उनकी प्रकृति में विद्यमान सारा सत्त पहिले निर्मूलन कर दिया होता तो शायद इस अधिक फटकार-योग गुलामी का सामना करने लायक उत्साह उन में रहता।

यह बताने में कुछ कठिनाई नहीं है कि वही शासन-पद्धति सब से थ्रेष्ट है, जिस में अन्तिम अधिकार या सर्वोपरि निप्रह सत्ता सारी जनता को साँपी हुई होती है अर्थात् प्रत्येक नागरिक को उस अन्तिम प्रभुता से काम लेने में मत देने की स्वीकीयता हो। इतना ही नहीं, वरंच कोई स्थानिक या साधारण सरकारी काम स्वयं बजाने और सरकारी प्रबन्ध में कार्यतः काम लेने के लिये अधिक नहीं तो समयानुसार भी यह बुलाया जाता हो।

इस सिद्धान्त की परीक्षा के लिये, जैसा कि पिछले अध्याय में यता आये हैं, राज्यतंत्र की थ्रेष्टता का प्रश्न जिन

पूर्व ६५०-६७० के अखेर में हुआ। \* रोमन-साम्राज्य का पांडिला सम्भाट् (ईस्वी सन् ८८ पूर्व ६३ ई० स० १४) यद्यपि इसने रोम का जन सत्ताक राज्य उठाट कर अपना निरंकुश राज्य स्थापित किया था तथापि बाहर से सारी काररवाई उसने जनसत्ताक राज्य नेसी रखी थी और स्वयं एक साधारण मनुष्य की तरह ऐसी नरमी, योग्यता और दर्यालुता से बर्ताव करता कि रोमनों को निरंकुश राज्य स्वीकार करना जब नहीं मालूम हुआ। † रोम का 'दूसरा सम्भाट्' (ईस्वी सन् १४ ३७) यह बड़ा शक्ति, अनदेखना और कूर था। इसने प्रजा पर बहुत बहुत ऊँच किये तथा बहुतों को मरवा डाका था।

दों शाखाओं में सहज ही बँट जाता है, उनके विषय में इसमें जांचना चाहिये, अर्थात् यह जनता में विद्यमान सात्त्विक, मानसिक और उत्साही शक्तियों द्वारा अपने कार्य-व्यवहार की अच्छी व्यवस्था किस दरजे तक दिखाती है और उन शक्तियों को सुधारने या विगड़ने में कितना असर करती है।

यह कहने की शायद ही जरूरत है कि वास्तव में परम उत्कृष्ट राज्यतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि वह सभ्यता की सभी अवस्थाओं में साध्य या मान्य हो घरंच यह है कि जिस स्थिति में यह साध्य और मान्य हो उस स्थिति में उस से सथ से अधिक परिमाण में तात्कालिक और भाषी शुभ परिणाम निकले। इस लक्षण का कुछ भी दाया कर सकती है तो एक मात्र पूर्णतया लोक-सम्मत शासन-पद्धति ही। राजनीतिक गठन की उत्कृष्टता जिन दो शाखाओं में बँटी हुई है उन दोनों में यह सर्वोत्तम है। दूसरी कोई भी शासन-पद्धति हो, उस से यह जैसे अच्छे वर्तमान राज्य प्रबंध के अधिक अनुकूल है, वैसे सामाजिक प्रकृति का अधिक अच्छा और उन्नत स्वरूप दिखाती है।

वर्तमान दिन के विषय में जो दो नियम उसकी थेषुता व आधार हैं वे मनुष्य के कार्य-व्यवहार के विषय में हमारे निकाल हुए किसी साधारण सिद्धान्त के समान ही सर्वतः सत्य और उपयोगी हैं। पहिला नियम यह है कि प्रत्येक या किसी पुरुष का हक और लाभ जब यह पुरुष उसके वचाव के लिये स्वयं बढ़ा होने को समर्थ और साधारण तौर पर तत्पर होता है तभी विगड़ने के जोगिम में नहीं है। दूसरा यह है कि सामाजिक समृद्धि उसके बढ़ाने में लगे हुए पृथक् पृथक् मनुष्यों का प्रयत्न और विविधता जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक उन्नत होती है और अधिक विस्तार में फैलती है।

वर्तमान के उपयोग के लिये इन दो सिद्धान्तों को अधिक निर्दिष्ट स्वरूप में रखें, तो मनुष्यप्राणी जिस कदर आत्मरक्षा करने की शक्ति रखते हैं और ऐसे होते हैं, उसी कदर वे इसरों द्वारा होने वाले अनिष्ट से निरापद होते हैं और उनके लिये दूसरे जो कुछ करें, उसका भरोसा रखने के बदले वे स्वयं पृथक् पृथक् या संयुक्त हो कर जो कुछ कर सकते हैं उस पर भरोसा रख कर जिस कदर आत्माश्रयी होते हैं, उसी कदर प्रशुति का सामना करने में अधिक सफलता पाते हैं ।

पहिला सिद्धान्त—शर्थात् प्रत्येक जन स्वयं ही अपने हक्क और लाभ का निर्भय रक्षक है—एक ऐसा वृद्धिमत्ता पूर्ण मूल सिद्धान्त है कि अपना कार्यच्यवहार स्वयं चलाने में समर्थ प्रत्येक मनुष्य, जहाँ जहाँ उसका निज का लाभ होता है वहाँ वहाँ, निःशंक भाव से इस नियम के अनुसार वर्ताव करता है । अबश्य ही वहुतेरों को इसे राजनीतिक सिद्धान्त मानना वहुत नापसन्द है और वे इसको सार्वत्रिक आत्म-स्वार्थ का सिद्धान्त कह कर इसकी दिल्ली उड़ाते हैं । उनको हम यह उत्तरदे सकते हैं कि मनुष्य-जाति जो दूसरों की अपेक्षा अपने को, और अधिक बेगाने की अपेक्षा अधिक नजदीकी को, नियमबद्ध अधिक पसन्द करती है—यह बात किसी समय सत्य मानी जाने से हक जायगी, तो उसी घड़ी से सार्व-जन कीटुम्भ्य केवल साध्य नहीं होगा वरंच प्रतिपादन होने योग्य सामाजिक स्वरूप यही एक रहेगा । और जब वह समय आवेगा तब वह अवश्य अमल में आवेगा । मुझ से पूछिये तो मुझे सार्वत्रिक आन्मसार्थ की बात पर ध्यान होने से यह मानने में कुछ कठिनाई नहीं है कि सार्वजन कीटुम्भ्य मनुष्य-जाति के शिष्ट समाज में इस समय भी साध्य है और शेष में साध्य हो सकता है । परन्तु विद्यमान नियम-तंत्र के

पक्षपाती जो आत्म-स्वार्थ के साधारण प्रभाव के मत को दूषते हैं उनको तो यह अभिप्राय नहीं रखेगा। इस से मेरे मन में यह विचार आता है कि वे इतना तो ज़बर ही मानते हौंगे कि अधिकांश मनुष्य दूसरों की अपेक्षा अपना विचार पहिले करते हैं। इतने पर भी सबोंपरि सत्ता में भाग लेने का सव का हृक प्रतिपादन करने के लिये, इतना भी कहने की ज़बरत नहीं है। हमें यह सोचने की ज़बरत नहीं है कि जब एक भिन्न धेरेणी के हाथ में सत्ता रहती है, तब वह अपने ऊपर दूसरों को जानवृभ कर न्योद्यावर करती है। इस सम्बन्ध में इतना कहना यस्त है कि यादृर रहे हुओं के लाभ के, अपने स्वाभाविक रक्षकों की अनुपस्थिति में हमेशा, नज़र से यादृर चले जाने का डर रहता है। और निगाह में लिया जाता है, तब उस से जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उसकी अपेक्षा भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। दृष्टान्त के तीर पर इस देश में जिन लोगों को मज़दूर-दल कहते हैं, वे राज्यतंत्र में प्रत्यक्ष भाग लेने से वंचित किये हुए माने जाते हैं। मैं यह नहीं विभ्यास करता कि जो उसमें भाग लेते हैं, वे साधारण तौर पर, अपने लिये मज़दूर-दल की घलिदेने का कुछ इशार रखते हौंगे। पहिले वे ऐसी ही धारणा रखते थे, उनको मज़दूरी कानून के झोर से कम रखने के लिये जो आग्रहपूर्वक 'प्रयत्न इतनो मुद्रत तक चल रहा था उसको देयो। परन्तु वर्तमानकाल में उनका साधारण रूप विलक्ष्य उलटा है। मज़दूर-धेरेणी के लिये वे यहुत यड़ा त्याग, विशेष कर अपने धन सम्बन्धी लाभ का त्याग खुशी से करते हैं। और फूलपचांतथा अविचारी उदारता का दोष यहुत कम करते हैं। मैं यह भी नहीं मानता कि इतिहास में दूसरा कोई भी राज्यकर्ता अपने देशियों में सव से गरीब दरजे के प्रति अपना कर्तव्य-पालन को इनसे

अधिक आंतरिक उत्करण से प्रेरित हुआ होगा । तो भी क्या पालीमेण्ट या लगभग उसका कोई समासद किसी प्रश्न को ज्ञान भर के लिये भी मजदूर मनुष्य की इष्ट से देखता है ? जिसमें मजदूरों की मजदूरी सम्बन्धी स्वार्थ रहता, वैसा प्रश्न जब उठता है तब उसको मजदूरी कराने वाले की निगाह से नहीं देखते तो और किस निगाह से देखते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि उस प्रश्न के विषय में मजदूर मनुष्यों का अभिप्राय साधारणतः दूसरों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट होता है, परन्तु कितनी ही बार वह विलकुल नजदीक ही सा होता है । ऐर, मतलब यह कि जैसे यह नफरत से हडा ही नहीं दिया जाता वरच अनसुनी कर दिया जाता है, वैसा न करके उसके ऊपर आदर पूर्वक ध्यान देना चाहिये । दृष्टान्त के तौर पर हड़ताल का प्रश्न है । इस बात का संशय है कि पालीमेण्ट की दोनों सभाओं में से किसी एक में एक भी अगुआ समासद शायद ही ऐसा हो, जिसके दिल में यह बात न जम गयी हो कि “इस विषय में न्याय पूरा पूरा मालिङ्गों के पक्ष में है, और मजदूरों का विचार तो विलकुल बेहृदा है ।” जिन्होंने इस प्रश्न का मनन किया है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह विचार कहाँ तक खोटा है और हड़ताल करने वाले अपनी बात पालीमेण्ट को सुनाने में समर्थ हॉ, तो इस विषय पर कैसी भिन्न रीति से और कितनी कम दिल्लाऊ रीति से बहस करने को लांचार होना पड़े ।

दूसरों के लाभ की रक्षा करने का हमारा कैसाहु हार्दिक विचार क्यों न हो, परन्तु उनका दाय धांध लेना निरापद या लाभदायक नहीं हो सकता । यह मनुष्य के कार्यव्यवहार की अंगीभूत अवस्था है । यह बात उससे भी अधिक स्पष्ट तथा सत्य है कि जीवन में उनकी स्थिति का कुछ भी अंसली

और स्थायी सुधार उन्हीं के हाथों से कराया जा सकता है। इन दो तत्वों के संयुक्त प्रभाव से सभी स्वतंत्र जनताएं दूसरों की अपेक्षा अथवा अपनी स्वतंत्रता गँयाने के बाद अपनी ही अपेक्षा जैसे सामाजिक अन्याय और अपराध से बहुत बची रही हैं वैसे अधिक तेजस्वी समृद्धि भी प्राप्त कर सकी हैं। जब संसार के स्वतंत्र राज्य स्वतंत्रता भोग रहे थे, उस अरसे में उनकी और एक या अनेक राज्यकर्ता निरंकुश राज्य की उसी समय की प्रजा के बीच का अन्तर देखो। ग्रीस के शहरों और ईरानी सत्रापी (पुराने ईरान के मातहत देशों) के दरमिआन; इटली के जनसत्ताक राज्य और फ्लाएडर्स तथा जर्मनी के स्वतंत्र शहरों में और युरोप के माएडलिक राज्यों के दरमियान; स्वीजरलैण्ड, हालैण्ड और इंगलैण्ड तथा आष्ट्रिया और राज्य-विष्वव सं पद्विले के फ्रांस के दरमियान मुकायला करो। यहिलों की बढ़ती साफ तौर पर इतनी अच्छी थी कि उसको इनकार नहीं कर सकते। फिर उनकी बढ़ती से उनके अच्छे राज्य-प्रबन्ध में और सामाजिक सम्बन्ध में थेष्टुता सिद्ध होती है और इतिहास के यज्ञे पक्षे में दिखाई भी देती है। हम अगर एक जमाने की दूसरे जमाने से नहीं, वरं च एक ही जमाने में रहे हुए भिन्न भिन्न राज्यों की तुलना करें तो स्वतंत्र राज्यों में सामयिक पञ्च होने पर भी चाहे जितना भारी अन्वेर रहा हो और जिसको अतिशयोक्ति स्वयं बताना नाहे तो भी वह, निरंकुश राज्यवाले देशों में जिन्दगी के सभी व्यवहार में जनता पर तिरस्कार पूर्वक लतमर्दन का जो वर्ताय हो रहा था या आय के प्रबन्ध के नाम चलने वाली लूट-पाट की चाल से और भयकर न्याय सभाओं की लुका-चोरी में पृथक् पृथक् मनुष्यों परजो ब्रासदायक अत्याचार प्रतिदिन यार बार दो रहा था उसके मुकायले में ज्ञान भर भी नहीं डिक सकता।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तक जिस स्वतंत्रता का लाभ भोगने में आया है वह सिर्फ जनता के एक भाग को उसका हक देने से मिला है और ऐसा राज्यतंत्र तो अभी असाधित मनोरथ ही है, जिसमें वह निष्पक्ष भाव से सब को दिया गया हो। यद्यपि इस मनोरथ के निकट जानेवाले हरएक कदम में कुछ और ही गुण हैं और सामाजिक सुधार की घर्त्तमान स्थिति में तो कितनीही बार निकट जाने से अधिक नहीं यन पड़ता तथापि स्वतंत्र राज्यतंत्र का परम सम्पूर्ण भाव यह है कि इस लाभ में सब को भांग मिले। जिस परि भाण में—चाहे वे कोई हों—उस से वंचित रहते हैं, उस परिभाण में वंचित रहे हुओं का लाभ याकी फो मिलने की जमानत से वंचित रहता है और जिस उत्साह-शक्ति के प्रयोग के परिभाण में ही हमेशा साधारण समृद्धि बढ़ी हुई देखने में आती है, वह शक्ति उनके अपने और जनता के हित में लगाने का अवकाश और उत्तेजन, उनको अपनी अन्य स्थिति में जितना मिलता उसकी अपेक्षा, ऐसी स्थिति में कम मिलता है।

घर्त्तमान हित सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार अर्थात् चलते जमाने के कार्य व्यवहार की अच्छी व्यवस्था है। अब अगर दम शासन-पद्धति की प्रकृति के ऊपरी असर के विषय पर आवें तो दूसरे किसी की अपेक्षा जन सम्मत शासन-पद्धति की धैर्यता यथासम्भव हमें इस से भी अधिक प्रभायशाली और निर्विवाद मालूम पड़ेगी।

यह प्रश्न धास्तव में इस से भी बहु कर एक तात्त्विक प्रश्न के आधार पर है—अर्थात् मनुष्य-जाति के सामान्य हित के लिये प्रकृति के दो साधारण नमूनों में से किस की प्रधानता चाहने योग्य है, उत्साही की या उदासीन की; जो

अनिष्ट का सामना करता है उसकी, या जो घरदाश्त कर रहा है उसकी, जो प्रसंगों को अपने घर में रखने का प्रयत्न करता है उसकी, या जो आप प्रसङ्गों के बश हो जाता है उसकी?

नीतिकारों के साधारण चर्चन और मनुष्य जाति की साधारण सहानुभूति उदासीन प्रकृति के पक्ष में है। उत्साही प्रकृति सामन्द आश्र्य उपजाती है सही, किन्तु अधिकांश मनुष्य स्वयं नम्र और अधीन प्रकृति को ही पसन्द करते हैं। हमारे पड़ोसियों की अधीनता हमारी निर्भयता का भाव बढ़ाती है और हमारी स्वच्छन्दता के हाथ का खिलौना बन जाती है। जब उदासीन प्रकृति के पुरुषों की चंचलता की हमें जरूरत नहीं होती, तब हमारे मार्ग में उसकी अँड़चन कम जंचती है। सम्पोषी प्रकृति भयंकर प्रतिस्पर्धी नहीं है; तो भी इस यात में तो कुछ सन्देह नहीं है कि मनुष्य व्यवहार में सुधार के यल असन्तुष्ट प्रकृति का काम है; और उदासीन मन को उत्साह का सद्गुण धारण जितना सहज है, उससे उत्साही के लिये धीरता का सद्गुण धारण करना अधिक सहज है।

मानसिक, व्यवहारिक और सात्त्विक इन तीन प्रकार की मन की उत्कृष्टता में पहिली दो के सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि किस पक्ष में लाभ है। सारी मानसिक उत्कृष्टता उत्साही प्रयत्न का फल है। हाँसला, गति में रहने की आकृत्ति, अपने या दूसरों के लाभ के लिये नवी वस्तुओं को जांचते और जानते रहना तर्क शक्ति का और उस से यढ़ कर प्रयोग-शक्ति का मूल है। जो मानसिक शिक्षा दूसरे नमूने की प्रकृति के अनुकूल आती है, वह ऐसी मंद अनिश्चित प्रकार की होती है कि विनोद अथवा केवल मनन पर ही वस करने वाले मन में देखने में आती है। यथार्थ और सबल

मनन की अर्थात् केवल स्वप्न देखने के बदले सत्य सिद्धान्तों का निर्णय करने वाले मन की कस्तीटी उसका उपयोग है। अहां मनन की मर्यादा में असली स्वरूप और स्पष्ट भाव निर्दर्शित करने का उद्देश्य नहीं होता, उस से पिथागोरियन या वेद की गृह अध्यात्म विद्या से यढ़ कर कोई फल नहीं निकलता। व्यवहारिक सुधार के सम्बन्ध में तो यह यात इस से भी अधिक स्पष्ट है। जो प्रकृति कुदरती शक्तियाँ और रथों का सामना करती है, वही मनुष्य के जीवन में सुधार करती है। जो प्रकृति उनके वश में रहती है, यह कुछ नहीं करती। सभी स्वलाभ-साधक-गुण चंचल और उत्साही प्रकृति के पक्ष में हैं और जो वृत्ति और वर्ताव समाज के पृथक् पृथक् मनुष्यों के लाभ की वृद्धि करता है, यह अन्त को सारे समाज की साधारण उन्नति करने में सब से अधिक सहायता करने वाली वृत्ति और वर्ताव का अंश तो होगा ही।

परन्तु सात्त्विक धेष्ठुता के विषय में पहिली दृष्टि से संशय का कारण जान पड़ता है। निरुत्साही प्रकृति ईश्वरी इच्छा की उचित अधीनता के लिये अधिक अनुकूल होती है, इस से उस के पक्ष में जो इस साधारण रीति से धार्मिक भाव है, उस उद्देश्य से मैं नहीं कहता। क्रिस्तानी और दूसरे धर्मों ने यह विचार पैदा किया है; परन्तु इस और दूसरी कितनी ही विकियाओं का परित्याग करने को समर्थ होने का खास अधिकार तो क्रिस्तानी धर्म को ही है। धार्मिक विचार को अलग रखें तो भी एकावटे दूर करने के बदले उनके अधीन होने वाली जो उदासीन प्रकृति है, यह अपने लिये और दूसरों के लिये यहुत उपयोगी तो बेशक नहीं होगी। परन्तु शायद यह सोचा जाय कि निर्दोष तो होगी। सन्तोष हमेशा एक धार्मिक सद्गुण गिना जाता है परन्तु यह सोचना पूरी भूल है कि

‘वह अथवा करके अथवा स्वाभाविक रीति परउदासीन प्रहृति का सहचर है। और ऐसा न हो तो उसका सात्त्विक परिणाम हानिकारक होता है। जहाँ ऐसे लाभ की लालसा होती है, जो श्राप नहीं हुआ है, वहाँ उसको जिस मनुष्य में अपने उत्साह ढारा श्राप करने की सम्भावना नहीं है उस में, जिसने वह लाभ श्राप कर लिया है उसको विद्वार और द्वेष की नज़र में देखने की वृत्ति होती है। जिस को अपनी दशा मुधारने के प्रयत्न में सफल होने की आशा होती है, वही मनुष्य उस काम में लगे हुए या सफलता पाये हुए दूसरे मनुष्य के प्रति शुभ इच्छा रखता है। जहाँ अधिकांश इस प्रकार उलझे रहते हैं, वहाँ जो लोग अपनी धारणा में सफलता नहीं पाते उनकी मनोवृत्ति, देश की साधारण वृत्ति ढारा एक समान हुई रहती है और वे अपनी असफलता को प्रयत्न या प्रसंग के अभाव का अथवा न्यास अपने दुर्भाग्य का परिणाम समझते हैं। परन्तु जो लोग दूसरों के पास जो चीज़ है, उसकी चाह रखते हुए भी, उसके लिये उत्साह पूर्वक एवं नहीं करने वे या तो हमेशा यड़यड़ाया करते हैं कि जिसके लिये हम अपने निमित्त प्रयत्न नहीं करते बदौ चीज़ हमें भाग्य नहीं दें देता; या जिस चीज़ को वे चाहते हैं, बदौ जिनके पास होती है, उन के ऊपर द्वेष और बुरे भाव से किंचकिचाया करते हैं।

- जिस कदर जीवन की सफलता प्रयत्न का नहीं, घरंच दैव या अक्षमात का फल समझा या माना जाता है, उसी कदर द्वेष सार्वजनिक प्रहृति के एक लक्षण रूप में गिल निकलता है। मनुष्य-जाति में पूर्व के लोग सब से अनदेखने हैं। पूर्व के नीतिकारों में और पूर्व की कहानियों में अनदेखना मनुष्य विलक्षण रूप से दिखारं देता है। प्रत्यक्ष जीवन में जिस के पास कोई वस्तु चाहने योग्य होती है, वह चाहे महल हो,

चाहे खूबसूरत वालक, चाहे अच्छा नीरोग और आनन्दी स्वभाव हो—उस मनुष्य के लिये तो यह भारी दहशत का कारण होता है; उसकी केवल टटिका जो फर्जी असर ख्याल किया जाता है यह दुष्ट-टटिके सर्वव्यापक बहम का फल है। चंचलता और ईर्ष्या के विषय में पूर्व के लोगों के बाद कुछ दक्षिणी युरोपियनों का नम्बर है। स्पेनियाडों ने अपने सब महापुरुषों को द्वेष से बदेड़ दिया था, उनका जीवन ज़हरीला कर दिया था और उनकी सफलता को असमय रोकने में सफलता पायी थी। \* फ्रांसीसी जो घास्तव में दक्षिणी प्रज्ञा है, उनके सम्बन्ध में यह बात है कि उनकी उत्साही प्रगति होने पर भी निरंकुश राज्य और केथलिक मत की दोहरी शिक्षा के कारण अधीनता और सहनशीलता की साधारण प्रगति बनी है और इन गुणों को चतुराई और उत्कृष्टता का सब से मान्य भाव मिला है। और उन में पक दूसरे की या सारी श्रेष्ठता की जितनी ईर्ष्या विद्यमान है, उस से अधिक नहीं है तो उसे फ्रांसीसी प्रगति में मौजूद अनेक अमूल्य निवारक तत्वों का और उस में सब से अधिक मनुष्य

\* मेरी यह उक्ति भूतकाल के लिये ही है। वर्षोंके जो महान् और अन्त को हाल ही में स्वतंत्र बनी हुई प्रजा खोये हुए लाभ को लौटा लाने की आशा दिखाने वाले उत्ताप उद्दित युरोपियन उच्चति के साधारण प्रबल में प्रवेश करती है, उसको हल्का करने के लिये में कुछ कहना नहीं चाहता। स्पेनियार्द की बुद्धि और उत्ताप क्या क्या करने को समर्थ है, इस विषय में कुछ सन्देह नहीं किया जा सकता और मुख्य कर के प्रजा की देसियत से उन में जो दोष है उसका असली उपाय स्वतंत्रता और उद्योग का शोक है।

विशेष में मौजूद उत्साह का परिणाम समझना चाहिये। क्योंकि यद्यपि यह उत्साह आत्माधर्यी और प्रयत्नशील पंगलो सेफर के उत्साह की अपेक्षा कम आग्रही और अधिक द्विग्रह है तथापि जिन जिन विषयों में उनके नियम-तंत्रों की .. की अनुकूलता हुर्इ है उन पर फ़ासीसियों ने प्रकाश डाला है।

धास्तविक सन्तोषी मनुष्य घेश्वर सब देशों में होते हैं उन के पास जो घस्तु नहीं होती उस के लिये प्रयत्न नहीं करते। इतना ही नहीं, घरंच उस की अभिलाषा भी नहीं रखते; जिनका भाग यहुत अच्छा दिखाई देता है, उनसे वे डाँ नहीं करते। परन्तु जान पड़ने वाले सन्तोष का वड़ा भाग त असन्तोष ही होता है और उस के साथ आलस या भग्नाल की मिचड़ी होती है। वे अपनी उम्रनि के लिये उचित उप. न कर के उलटे दूसरों को अपनी थ्रेणी में उतार लाने प्रानन्द मानते हैं। और अगर हम निर्दोष सन्तोष के .. दो भी यारीकी से जांचते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उदासीनता के घर यादरी स्थिति सुधारने के बारे में होती है, परन्तु आध्यात्मिक गोग्यता की निरंतर वृद्धि के लिये चेष्टा तो उस के साथ जारी रहती है अथवा कम से कम दूसरों को लाभ पहुंचाने की निःस्वार्थ आतुरता तो होती है, सिर्फ तभी वे हमारी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। जिस सन्तोषी मनुष्य या सन्तोषी कुदुम्ब में दूसरे किसी को अधिक मुर्गी करने की, अपने देश या अपने पड़ोस की भलाई करने की अथवा अपनी सात्त्विक उत्तुष्टता बढ़ाने की कुछ भी अभिलाषा नहीं होती, उसके प्रति हमारे जी में प्रशंसा या प्रसन्नता का कुछ भाव नहीं उपजता। इस किस्म के सन्तोष को जो हम निःसत्यता और उत्साह के अभाव का परिणाम समझते हैं, वह उचित है। हम जिस सन्तोष को प्रसन्द करते हैं, वह यह

—जो न मिल सके उसके बिना खुशी से चला लेने की सामने भिन्न भिन्न इष्ट घस्तुओं का परस्पर मूल्य आँकने की तुलना किए और अधिक मूल्यवान् घस्तु के प्रतिकूल जानेवाली कम की घस्तु का प्रसंगता पूर्वक परित्याग । इतने पर भी उच्च व जब अपनी या दूसरी कोई स्थिति सुधारने के प्रयत्न में उत्साह पूर्वक लगा रहता है, तब उस में ये गुण उसी हिसाब अधिक स्वाभाविक होते हैं । जो मनुष्य अपने उत्साह के कठिनाइयों से निरन्तर सामना करता रहता है, उसको गलूम होता है कि कौनसी कठिनाई अलंघ्य है और कौन ऐसी है जो पार की जा सकती है, तो भी उस में प्रयत्न के गोग्य फल नहीं मिलता । जिस के सभी विचार और प्रयत्न आध्य और उपयोगी हैं सल्लों के लिये आवश्यक हैं और उनमें साधारणतः लगे रहते हैं उनका, दूसरों की अपेक्षा, जो घस्तु ने योग्य नहीं है या जो अपनी सी नहीं लगती उस घस्तु का ध्यान लगा कर, अपने मन को सशंकित असन्तोष में रहने देना कम सम्भव है । इस हिसाब से उत्साही और प्रात्माधर्यी प्रकृति सब से थोष्ठ है, इतना ही नहीं, वरं च विद्वद् प्रकृति में भी जो कुछ वास्तव में उत्कृष्ट या इष्ट है उसका सम्पादन करना उसके लिये सब से अधिक सम्भव है ।

इंगलैंड और संयुक्तराज्य की साहसी और उद्धुलती प्रकृति अपना बल बहुत हल्के उद्देश्यों के पीछे रच्च कर डालती है, इतने के लिये ही वह निन्दा योग्य है । यह प्रकृति तो स्वयं मनुष्य-जाति के साधारण सुधार की सब से अच्छी आशा के आधार का रूप है । यह एक सूक्ष्म अधलोकन करने में आया है कि जब कभी कोई यात विगड़ जाती है तब फ्रांसीसी कह उठते हैं 'धीरता रखो ।' परन्तु अंगरेज कह उठते हैं, 'या शरम की यात है ।' ये लोग जब कोई गलती हो जाती है

तथ शरम समझते हैं। जो लोग एक दम इसी अनुमान में आ सकते हैं कि विंगड़ी हुई यात को बना सकते थे और यनाना दी चाहिये; उन्हींकी ओर से दुनिया का सुधार करने में सब से अधिक सहायता मिलने की आशा है। जब दूलकी वस्तुओं की अभिलापा रखी जाती है, जब यह अभिलापा शारीरिक सुप और धन का आडम्बर दिखाने की सीमा से कुछ ही आगे बढ़ती है, तब उस तरफ के उत्साह का ताक्का-लिक परिणाम जड़ पदार्थों पर मनुष्य की सत्ता निरन्तर बढ़ाते जाने की अपेक्षा अधिक अच्छा नहीं होता। परन्तु यह उत्साही सब से महान्‌मानसिक और सामाजिक सफलता के लिए मार्ग खोलता है और यांत्रिक-साधन तत्त्वार करता है। फौंकि जब तक उत्साह मौजूद है, तब तक कितने ही मनुष्य उससे काम लेंगे और सिर्फ यादरी स्थिति नहीं बरंच मनुष्य की अन्न प्रणति भी पूर्णतया विफसित करने में उसका अधिक अधिक उपयोग होगा। उत्साह के दुरुपयोग की अपेक्षा मंदता, निस्पृहता और अभिलाप का अभाव सुधार के लिये अधिक हानिकारक वाधा है और ये वृत्तियां ऐसी हैं कि जब जनता में विद्यमान होती है, तब इन्हीं के कारण कुछ उत्साही पुरुषों के हाथ से उत्साह या बहुत भयंकर दुरुपयोग होने की सम्भायना रहती है। मनुष्य-जाति के बहुत यड़े भाग को जंगलीया अर्ध-जंगली अवस्था में रखने धाली भी यही हैं।

अब इस यात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि एक या कुछ राज्यकर्त्तां का राज्यतंत्र उदासीन प्रणति का नमूना पसन्द करता है और अधिकांश का राज्यतंत्र उत्साही और आत्मात्रयी नमूना पसन्द करता है। येजिम्मेवारी के शासन-कर्त्ता प्रजा में चंचलता के यद्दले सुन्ती चाहते हैं और कुछ चंचलता चाहते भी हैं, तो उसके लाचार करने से। ये सब राज्यतंत्र जिनका

उनमें यिलकुल भाग नहीं होता उनको ऐसा समझते हैं कि उन्हें मानुषी आज्ञाओं को दैवी गति समझ कर उनके अधीन होना चाहिये । ऊपर वालों की इच्छा के और ऊपर वालों की इच्छा स्वरूप कानून के अधीन बिना चूँ किये होना चाहिये । परन्तु जिनके अन्दर अपने बाकी के कार्य व्यवहार के विषय में संकल्प, उत्साह या चंचलता का अंतः प्रवाह जारी रहता है, वे मनुष्य अपने राज्यकर्त्ता के हाथ के केवल हथियार या साधन बनकर नहीं रहते और उनमें इन गुणों का कुछ भी आविर्भाय होता है, तो उन्हें निरंकुश राज्ञाओं से उत्तेजन मिलने के बदले माफी मांगनी पड़ती है । जब वे-जिम्मेवारी के राज्यकर्ता को प्रजा की मानसिक चंचलता में इतना झोकिम नहीं ज़म्मता कि उसे दबा देने की इच्छा हो, तब यह स्थिति ही स्वर्य रक्खायट है । प्रयत्न किसी प्रत्यक्ष निराशा की अपेक्षा अपनी असफलता के रथाल से अधिक दबा रहता है । दूसरों की इच्छा की अधीनता और स्वाश्वय तथा स्वराज्य रूपी सद्गुणों में स्वाभाविक विरोध है । गुलामी का बन्धन जितना कड़ा किया रहता है, उसी कदर यह-विरोध कमोवेश सम्पूर्ण होता है । प्रजा की स्वतंत्र किया पर कहाँ तक अंकुश रखा जाय अथवा उसका पाम उसके लिये करके कहाँ तक दबाया जाय, इस विषय में भिन्न भिन्न राज्यकर्त्ता एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं । परन्तु भेद सिर्फ परिमाण का है; मूलतत्व का नहीं । और कितनी ही बार सब से अच्छे निरंकुश राजा अपनी प्रजा की स्वतंत्र किया को बन्धन में घाँट लेने में सब से अधिक आगे यढ़ जाते हैं । स्वराज-निरंकुश राजा तो अपने मौज, शौक का इन्तजाम हो जाने पर बहुधा प्रजा को मन लायक करने देने को राजी भी हो जाता है, परन्तु अच्छा निरंकुश-राजा प्रजा स्वर्य

जितना जानती है, उससे अधिक अच्छी रीति पर उसका काम उससे करा कर उसकी भलाई का आपद करता है। फ्रांसीसी कारीगरी की सारी मुख्य शासाध्योंके लिये नियमित पद्धतिमुकर्र करने का कानून महान् कोलर्ट \* का काम था।

कुद्रती फर्ज और उसके साथ जो सामाजिक वन्धन याँधने में मनुष्य प्राणी का अपना भाग होता है और जो उसे शुरा लगे उसको गुल्लमगुल्ला नापसन्द फरने और बदलने के लिये उत्साह पूर्वक प्रयत्न करने को वह युद्ध-मुख्तार है, उसके सिवाय दूसरे किसी बाहर के दयाव से, वह जहाँ अपने को मुक्त समझता है, वहाँ मनुष्य-शक्तियों की स्थिति घटुत भिन्न होती है। अपूर्ण-जन-सम्मत-राज्य में जो लोग नागरिकता का सम्पूर्ण हक् नहीं भोगते वे भी इस स्वतंत्रता से अवश्य काम ले सकते हैं। परन्तु जब कोई मनुष्य समान पद्धती भोगता है और उसे पेसा नहीं लगता कि जिस मण्डली में वह स्वयं शाखिल नहीं है उसके विचार और वृत्तियों पर वह जो असर करेगा वह उसकी अपनी सफलता का आधार होगा, तथ उसके आत्मपरिचय और आत्मविश्वास को बढ़ा और अधिक उत्तेजन मिलता है। राज्यगठन से वंचित रहना, अपने भविष्य का निर्णय बरनेवाले से द्वार बाहर से दाद-फरियाद करने को लाचार होना और सलाह मशविरे में न बुलाया जाना, मनुष्य के लिये यहीं निराशा की यात है और किसी थेरेंगी के लिये तो इस से भी यह कर निराशा की यात है। मंयद्ध पुराय

\* कोलर्ट ( १६१९-१६८३ ) फ्रांस का प्रधान था, इसने देश में घन तथा व्यापार उभन्धो बढ़ाव मुख्य छिपे और साहित्य तथा कला कोशल के छिपे अस्त्रा उत्तेजन दिया था।

को जब नागरिक की हैसियत से दूसरे किसी के इतनाही दृढ़होता है अथवा उतना अधिकार मिलने की आशा होती है, तभी उसकी प्रकृति पर होनेवाली स्वतंत्रता का उत्साहजनक प्रभाव पराकाष्ठा को पहुंचता है। कोई सामाजिक कार्य, कुछ समय और अपनी बारी से, करने के लिये नागरिकों पर समयानुसार होनेवाली बुलाहट से मनुष्य प्रकृति को जो व्यवहारी शिक्षा मिलती है, वह इस अंतर्वृत्ति के विषय से भी अधिक आवश्यक है। अधिकांश मनुष्यों का साधारण जीवन में अपना विचार और भावों का विस्तार बढ़ाने में कितना कम साधन होता है, इस बात पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उनका काम दस्तूर मुताविक होता है; हौसले की मेहनत नहीं, वरच सब से हल्लके दरजे के आत्म-स्वार्थ की, हर रोज की कमी पूरी करने की मेहनत होती है। किया हुआ काम या उसे करने की रीति—दोनों में से कोई मनुष्य को मन को अपने से बाहर के विचार या चृत्ति में प्रवेश नहीं करता। यद्यपि शिक्षाप्रद पुस्तकों उस के सामने होती हैं तथापि उन्हें पढ़ने का कोई उत्तेजना नहीं है; और बहुत बातों में तो मनुष्य को अपने से किसी बहुत ऊंची शिक्षा वाले पुष्ट का संसर्ग नहीं होता। ऐसी जनता के लिये कोई काम सौंपने से किसी अंश में यह सारी त्रुटि पूरी होती है। अगर स्थिति ऐसी अनुकूल हो कि उसे बहुत अधिक परिमाण में सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा जाय, तो उस से मनुष्य शिक्षित होता है। प्राचीन काल में सामाजिक तंत्र और सात्त्विक विचार में त्रुटियां होने पर भी हैकेस्टरी\* और एकलीशियां के रिवाज से प्रत्येक साधारण पर्यानियन-

\* एथेन्स में जूरी की सी न्याय पंचायत। † एथेन्स की कानून

नागरिक की औसत बुद्धि इतनी अधिक थिल उठी थी कि दूसरी किसी प्राचीन या अर्वाचीन जनता में अभी तक उसका जोड़ा नहीं मिलता । ग्रीस देश के हमारे महान् ईतिहास लेखक (ग्रोट) के ईतिहास के प्रत्येक पन्ने में इस बात का सबूत स्पष्ट रूप से मिलता है । परन्तु उन की बुद्धि और संकल्प-शुल्क पर सब से अच्छा असर होगा, यह सोच कर उन के महान् वक्ताओं ने जो भाषण किये हैं, उन के ऊचे गुण के सिवाय हमें और कुछ देखने की मुश्किल से ज़फरत रहती है । जूरी में शामिल होने और पेरिश<sup>५</sup> की ट्यूटी बजाने के फर्ज के कारण निचले मध्यम दरजे के अंगरेजों को परिमाण में कम होने पर भी लगभग इसी प्रकार का लाभ हुआ है और यद्यपि यह लाभ सब को नसीब नहीं होता या न इस तरह लगानार अथवा उन को इतने बड़े नाना प्रकार के ऊचे विचारों में प्रवेश नहीं कराता कि उसकी तुलना, पथेन्स के प्रत्येक नागरिक को उन सत्ताक राज्यतंत्र के कारण जो सार्वजनिक शिक्षा मिलती थी उस से, को जाय, तो भी जो मनुष्य अपनी जिन्दगी में शिक्षकता या दुकानदारी के सिवाय और कुछ नहीं करते, उन से तो वे इस कारण से विचार और बुद्धि विकसित करने के विषय में यहुत भिन्न प्रकार के मनुष्य होंगे । यास अपना काम करने वाले नागरिक को कभी उभी सार्वजनिक फर्त्तद्य में भाग लेने से मिलने वाली शिक्षा का सात्त्विक अंश इस से भी अधिक लाभकारी है । मनुष्य जय पेसे काम में लगता है, तथ उस को जो अपना नहीं है उस लाभ को तौलना, परस्पर विरोधी दावा में पक्ष-पात से भिन्न नियम पर चलना और जिनके अस्तित्व का बनाने वाली समा । <sup>६</sup> इंग्लैण्ड में एक घर्मगुरु के बघीनस्थ प्रदेश ।

कारण साधारण हित है, उन तत्वों और नियमों को गढ़ना लाजिम होता है, और उस को पेसे विचार और व्यवहार में अपने से जो अधिक जानकार मनुष्य बहुत कर के उसी काम में अपने साथ जुड़े हुए मिल जायेंगे, वे साधारण हित के सम्बन्ध में उस की बुद्धि को दलीलें दिखाने और मर्नावृत्ति को उत्तेजित करने का काम अपने ऊपर उठा लेंगे। इस से वह यह समझना सीखेगा कि मैं स्वयं भी जनता में हूं और जो विषय जनता के लाभ का है, वह मेरे लाभ का है। जहां सार्वजनिक उपचार के लिये ऐसी शास्त्रा नहीं होती, वहां कानून मानने और सरकार के ताये रहने के सिवाय और कोई सामाजिक कर्तव्य उन्हें पालन करना है, ऐसा विचार साधारण सामाजिक स्थिति के गैर-सरकारी मनुष्यों में शायद ही होता है— जनता के साथ अपनी एकता का कुछ निःस्वार्थ विचार नहीं होता। स्वार्थ और कर्तव्य दोनों के सम्बन्ध में प्रत्येक विचार या वृत्ति सास अपनी और अपने कुदुम्य की सीमा में घुसी रहती है। मनुष्य भी किसी साधारण लाभ का विचार नहीं करता; उसे यह विचार नहीं होता कि कोई भी उद्देश्य दूसरे मनुष्यों के शामिल होकर साधन करना है, वरन् यही विचार रहता है कि सिर्फ उन से चढ़ा ऊपरी कर के और कुछ आंश में उन की हानि कर के (अपना उद्देश्य) साधन करना है। जो पड़ोसी कभी सामाजिक लाभ के लिये किसी साधारण काम में नहीं लगता और इस से जो सहचर या साथी नहीं होता, वह उसी कारण से प्रतिष्ठानी द्वा जाता है। इस तरद घराऊ नीति भी बिगड़ती है और सामाजिक नीति तो वास्तव में तुम ही हुई रहती है। अगर एक यही अवस्था सार्वत्रिक और सम्भवित हो, तो कानून बनाने वाले या नीतिकार को अधिक से अधिक इतना ही

अभिलाप रखने को रहे कि जनता के बड़े भाग को पास ही रास्त निर्देश भाव से चरने घाली भेड़ों का मुराद यना दे ।

इन अनेक विचारों से स्पष्ट मालूम होता है कि सामाजिक शास्त्रयोगी की सभी शर्तें पूर्ण रूप से कायम रखने घाला राज्यतंत्र घटी है, जिसमें सब लोगों का भाग होवा है । यह नाग चाहे कितनाह हो, सबसे छोटे सार्वजनिक कर्तव्य में भी उपयोगी है । यह भाग जनता के सुधार की साधारण स्थिति में यथा सम्भव बड़ा होना चाहिये और अंत को राज्य की सद्यों परि सत्ता में सब को भाग देने में कोताही करना चाहुरा है । परन्तु एक नन्हे से शहर की अपेक्षा बड़ी जनता में सामाजिक कार्य जी बुद्ध अधिक छोटी शायाओं के सिधाय दूसरे में सब मनुष्य न्दय भाग नहीं ले सकते । इस से परिणाम यह निकलता है कि वास्तव में परम सम्पूर्ण राज्यतंत्र प्रतिनिधि शासन होगा ।

## चौथा अध्याय ।

किन दिन सामाजिक दशाओं में प्रतिनिधि-शासन अयोग्य है ?

इस ने देखा है कि वास्तव में परम सम्पूर्ण शासन पद्धति जा आदर्श प्रतिनिधि-शासन है और इससे मनुष्य जाति का कोई भी धिभाग, उसके लिये, अपने साधारण सुधार की स्थिति के अगुसार कमोदेश योग्य होता है । वे लोग उप्रति ने जिस कदर पिछड़े रहते हैं, साधारण रीति पर कटिंग तो यह शासन-पद्धति उनके लिये उसी कदर कम अनुकूल होती है । परन्तु यह धात सर्वपा सत्य नहीं है । क्योंकि प्रतिनिधि-शासन के लिये किसी जनता की योग्यता, जिस कदर उसके

कुछ खास गुणों के परिमाण के आधार पर है उस क्वार, मनुष्य-जाति की साधारण भेणी में उसकी जो पदवी होती है, उसके आधार पर नहीं है। फिर ये गुण उसकी साधारण उन्नति की पदवी से ऐसा निकट सम्बन्ध रखते हैं कि उन दोनों में जो कुछ विरोध होता है, वह कुछ नियम के तौर पर नहीं; घरंच एक अपवाद के रूप में होता है। अब इस घात को जांचना चाहिये कि अचनत भेणी को किस अवस्था में प्रतिनिधि राज्य, या तो खास उसके अनुकूल न होने से अथवा दूसरी किसी पद्धति के अधिक अनुकूल होने से, यिलकुल अग्राह्य होता है।

प्रथम, जहाँ प्रतिनिधि राज्य दूसरे किसी राज्यतंत्र की तरह स्थायी भाव से नहीं टिक सकता अर्थात् जहाँ वह पहिते अध्याय में गिनायी हुई तीन शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ वह अनुकूल नहीं है। वे शर्तें ये हैं—( १ ) लोग उसे स्वीकार करने को राजी हों। ( २ ) उसे स्थायी रखने के लिये जो जो कार्य आवश्यक हों, उन्हें करने को राजी और समर्थ हों। ( ३ ) उसके द्वारा जो जो कर्तव्य और कार्य अपने सिर पर आ पड़ें, उन्हें पालने और करने को वे राजी और समर्थ हों।

कोई सभ्य शासन-कर्त्ता या विदेशी जाति या जातियां, जो देशपर अधिकार रखती हैं, वे जब प्रतिनिधि-राज्य का वरदान देना चाहती हैं, तभी उसे स्वीकार करने में लोगों की मरजी का प्रश्न द्यवहारतः उठता है। पृथक् पृथक् सुधारकों के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न ग्रायः असम्बद्ध है। क्योंकि अगर उनके प्रयत्न के सम्बन्ध में इससे घटकर कोई उच्च न किया जा सके कि जनता का मत अभी उसके पक्ष में नहीं है तो उनके पास इसका यह उचित उत्तर तय्यार है कि उनको उस पक्ष में लाने का ही उनका विचार है। जब लोकमत सचमुच

विवर्ण होता है, तब भी उसका विरोध पहुत करके बास प्रतिनिधि-शासन के विषय में नहीं, वर्त्तन फेर-थदल के विषय में होता है। यह बात नहीं है कि उससे उलटे प्रकार का दृष्टान्त न मिले; कभी कभी किसी बास वंश के राज्यकर्त्ता-ओं की सचा पर कुछ भी अंकुश डालने में धार्मिक विरोध होता है, परन्तु साधारणतः भीन अधीनता के मत का अर्थ इतना ही है कि, चाहे जैसी अमलदारी हो, निरंकुश राजा की या जनसम्मति की, हुक्म के अधीन रहना। जिस प्रसङ्ग में प्रतिनिधि-शासन जारी करने के प्रयत्न की फुट सम्भावना होती है, वहाँ उसके मार्ग में जो वाधा पड़ने की आशा की जा सकती है, वह प्रत्यक्ष विरोध की नहीं, वर्त्तन वे-परवाही की ओर उसकी क्रिया और कर्त्तव्य समझने की अवक्षिप्ति है। फिर भी यह वाधा प्रत्यक्ष विरोध के वरायर ही दानि-कारक है, और कभी कभी उसे नुकरना भी उतना ही कठिन हो जाता है। क्योंकि यहाँ, पहिली उदासीनता की अवस्था में नयी चंचलता को वृत्ति उत्पन्न करने की अपेक्षा चंचलता की वृत्ति को अपने दूसरे मार्ग से चलाने का काम अधिक सहज है। जब किसी जनता को प्रतिनिधि राज्यतंत्र के लिये उचित समझ या प्रीति नहीं होती, तब उसे जारी रखने की सम्भावना नहीं के घगबर है। ग्रन्थेक देश में राज्यतंत्र के कार्य-कारी विभाग के इधर में सीधी सचा होता है और उसके साथ जनता का भी नीधा सम्बन्ध होता है, पृथक् पृथक् मनुष्योंको जो आगा या भय होता है, वह मुख्य करके उसकी तरफ से होता है और राज्यतंत्र का लाभ तथा त्रास और घाक भी जनता को उसी के छारा दृश्यमान होता है। इससे जिन सचाओं को कार्यकारी विभाग पर अंकुश रखने का काम होता है, इनके साथ अगर देश में जन-मन और

जनयूति की सथल सद्वानुभूति नहीं होती, तो उसकी परवा न करने और उसटे अपने पशु रहने को लाचार करने के साधन कार्यकारी विभाग को सदा मिल जाते हैं और ऐसा करने में अच्छी मदद भी अवश्य मिल जायगी । प्रतिनिधि तंत्र की स्थायिता अवश्य करके यह जय जोखिम में आ पड़ता है, तब लोगों को उसके लिये लड़ने निकलने की तत्परता के आधार पर है । अगर लोगों को उसके लिये यहाँ तक अप्रसर होने की समझ न हो, तो ये यहुत कम दी ऐर पढ़ाते हैं या पढ़ाते भी हैं तो राज्यतंत्र का मुदिया या किसी पशु का अगुआ, जो अन-सोचा दमला करने योग्य सैन्य संग्रह कर सकता है, ज्योही मनमाने अधिकार की खातिर कुछ जोखिम सिर पर लेने को तैयार हो, खाँ दी उनके परास्त हो जाने की प्रायः सम्भावना है ।

ये विचार प्रतिनिधि-राज्य की निष्पत्तता के पहिले दो कारणों को बताते हैं । प्रतिनिधि राज्यतंत्र में लोगों के भाग का जो काम है, उसे करने को जय उन की मरजी या शक्ति नहीं होती, तब तीसरा कारण उत्पन्न होता है । जय लोक-मत यनाने के लिये राज्य के साधारण कार्य-व्यवहार में जितना मन लगाने की जरूरत है, उतना किसी का मन नहीं लगता या किसी छोटे दल का दी लगता है, तब मतधारी अपने निज के या स्थानिक लाभ, अथवा जिससे उसके पक्षपाती या आधित का सम्बन्ध होता है, उसके लाभ के सियाय दूसरा लाग सम्भालने में अपने मत के एक से यहुत ही कम काम होते हैं । सामाजिक यूति की ऐसी स्थिति में जो छोटा दल प्रतिनिधि संस्था पर अधिकार रखता है, यद अपने अधिकार का अधिक अंश सिर्फ़ अपनी धैर्यी भरने के साधन रूप से ही बाम में लाता है । जब कार्यकारी विभाग

उर्बल होता है, तथ सिर्फ ओहदा पाने की लड़-भगड़ में देश अव्यवस्थित हुआ रहता है; और जब सबल होता है, तब उन प्रतिनिधियों को अथवा उनमें जो अड़ंगा ढालने की सामर्थ्य रखते हैं उनको, लट्ट में भाग देने के सस्ते मूल्य से सरीद कर वह निरंकुश हो जाता है। सामाजिक प्रतिनिधि-तत्व से फल सिर्फ इतना ही निकलता है कि जनता के ऊपर, असल में राज्य चलाने वालों के सिवाय, एक सभा का बोझ भी आ पड़ता है और जिसमें सभा के किसी दल का म्बार्य रहता है, उस किस्म का कोई कुप्रयन्थ दूर होना कभी सम्भव नहीं है। इतने पर भी जब हानि यही रुक जाती है, तब प्रकाशन और आनंदोलन के लिये जो किसी प्रकार के नाम के भी प्रतिनिधि तत्व का अचल नहीं तो स्वाभाविक साधी है, इतना त्याग करना मुनासिय है। दृष्टान्त के लिये ग्रीस \* के अर्थात् चीन राज्य की प्रतिनिधि सत्ता में मुख्य करके ओहदों के जो लालची भरे हैं, वे यद्यपि अच्छा राज्य-प्रयन्थ चलाने में सीधे तौर पर तो योड़े ही मददगार हैं अथवा विलक्षुल नहीं हैं और कार्यकारी विभाग के स्वाधीन अधिकार को यहुत अंकुश में भी नहीं रखते, तथापि वे लोकप्रिय अधिकार का विचार जागृत रखते हैं और उस देश में समाचार-पत्रों को जो असली स्वाधीनता है, उसके यहुत मददगार हैं। इस बात में यहुत ही कम शंका उठायी जा सकती है। इतने पर

\* उन् १८६२ के हितकारी राज्य विष्वव से पढ़िए का लिखा हुआ। घूम के जरिये राज्य चलाने की पदति और राजनीतिक पुस्तकों की दुष्टा से आजिज आने से जो केर-पदल दुगा है, उसने इस तंत्री से मुघरने वाली जनता के लिये बास्तव में अंकुशित राज्य-पदति का नजा और आशांजनक मार्ग खोला है। —ग्रंथकर्ता ।

भी यह लाभ लोक-सभा युक्त वंश परम्परा के राजा के अस्तित्व के आधार पर है। अगर इन स्वार्थी और लालची टोली यालों को मुख्य राज्यकार्त्ता की रूपा प्राप्त करने की चेष्टा करने के बदले स्वयं मुख्य मुख्य पद लेने की चेष्टा करना हो। तो ये लोग स्पेनिश अमेरिका की तरह देश को निरन्तर उथल पुथल और अन्तर्विंग्रह की अवस्था में पहुँचायेंगिना न रहें। साहसी राजपुरुष एक एक करके, कानून से नहीं, घरंच कानून के विरुद्ध बलात्कार से राज्य सत्ता हाथ में लेकर निरंकुश हुक्म चलावेंगे और प्रतिनिधि तत्व के नाम और रीति का परिणाम इतना ही होगा कि जिस स्थायिता और निर्भयता द्वारा निरंकुश राज्य का दृष्टण घट सकता है और उसका कुछ लाभ भिल सकता है, वह स्थायिता और निर्भयता सम्पादित नहीं हो सकेगी।

ऊपर जो प्रसङ्ग बताये हैं, उनमें प्रतिनिधि राज्य स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। दूसरे कितने ही प्रसङ्ग हैं जिन में उसका रहना सम्भव होगा। परन्तु उसकी अपेक्षा दूसरी कोई राज्य प्रकृति अधिक पसन्द करने के योग्य निकल आवेगी। लोगों को जब मुधार में आगे बढ़ने के लिए कुछ पाठ सीखना होता है, कुछ अभी तक न प्राप्त की हुई वृत्ति—जिसके प्राप्त करने में प्रतिनिधि राज्य से बाधा पड़ना सम्भव है उसे—प्राप्त करना होता है, तब मुख्य करके ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित होता है।

इन प्रसङ्गों में हम पहिले जो लोगों को सुधार का पहिला पाठ अर्थात् अधीनता का पाठ सिखाने के प्रसङ्ग का विचार कर सके हैं, वह सब से स्पष्ट है। जो जाति प्रकृति और अपने पड़ोसियों का सामना कर के उत्साह और पराक्रम में शिक्षित होती है, परन्तु जिसने अभी किसी साधारण ऊपरी अफसर की पक्की तावेदारी कबूल नहीं की है, उसका अपनी

जनता के सामाजिक राज्यतंत्र के अधीन रहने की आदत डालना ; कम सम्भव है । उसको अपने में से चुनकर बनायी हुई प्रतिनिधि सभा में सिर्फ उसकी उपद्रवी स्वच्छ-न्दता प्रतिविधित होगी । यह सभा उसकी जंगली स्वतं व्रता पर कुछ भी हितकारी अंकुश डालनेवाले सभी कामों में अपनी सम्मति देने से इनकार करेगी । ऐ जातियाँ अगर सभ्य समाज की मूल शक्तों के साधारण तौर पर धर्षण की जा सकती हैं, तो लड़ाई की जरूरतों के जरिये और लशायरी सरदारी में मौजूद जरूरी निरंकुश सत्ता द्वारा । अगर किसी अफसर के ताथे ऐ रह सकती है, तो सिर्फ फौजी अफसर के, सिवाय इसके कि ईश्वर के भेजे हुए समझे जानेवाले पैगम्बर या चमत्कारी शक्ति रखने में मशहूर जादूगर के कभी कभी धर हों । यह पैगम्बर (देव-दूत) या जादूगर तात्कालिक सत्ता चला सकते हैं सही, परन्तु यह सत्ता व्यक्तिगत होने से उनकी साधारण पृथ्वी में कम ही कंट-येदल करती है, यशस्त कि पैगम्बर महम्मद की तरह फौजी अफसर भी धन का नया धर्म जारी करने के लिये इधियारथन्द हो आगे यहें या फौजी अफसर उनकी सत्ता अपने पक्ष में फरके उन्हें अपनी आशा का आधार म्तम्भ न यनावे ।

ऐसे कहे हुए दूषण की अपेक्षा विशद दूषण से—अधीन, अन्यन्त उदासीनता और निरंकुश सत्ता की तत्पर अधीनता से जनता प्रतिनिधि राज्य के लिये कम अयोग्य नहीं होती । ऐसी प्रकृति और स्थिति से निकलमी यहीं हुई जनता अगर प्रतिनिधि राज्य पायेगी, तो यह अवश्य कर के अपने पीढ़कों को ही प्रतिनिधि बनाएगी और जिस दोजना द्वारा हम पहिली नजर से उसका योग्य दलका होने वी आशा रखते हैं, उसके विशद यह और भारी हो जायगा ।

जिस चक्रवर्ती सत्ता ने अपनी स्थिति द्वारा प्रथम स्थानिक निरंकुश राजाओं के प्रसिद्धन्दी होकर अन्त में उन सब को अपने वश किया, जिसका सब से विशेष लक्षण यह था कि वह स्वयं निष्करणक थी, उस सत्ता की सहायता से कितनीही जातियाँ इस अवस्था से धीरे धीरे छूटी हैं। \* हूँ कोमेटस्, रिशेलीय । और चौदहवें शुरू हृतक का फ्रांसीसी

\* अंधकार के नमाने के नाम से परिचित समय के बाद युरोप में जो भिन्न भिन्न राज्य उत्पन्न हुए वे माण्डलिक गठन से जुड़े हुए थे। उसको अंगरेजी में फ्यूडल सिस्टम (Feudal System) कहते हैं और यह हाल की हिन्दुस्थान की व्यवस्था से कुछ मिलता था। यहाँ जैसे अंगरेजी सत्ता सर्वोपरि माध्यमिक अथवा चक्रवर्ती सत्ता है और रजवादे उसके माण्डलिक हैं, वैसे उस समय युरोप के प्रत्येक देश में एक एक चक्रवर्ती अथवा माध्यमिक राजा की सत्ता के अधीन दूधरे छोटे छोटे अन्तीर इत्यादि के जुड़े जुड़े नामों से परिचित राज्यकर्ता थे। इन छोटे राजाओं को अपने अपने प्रान्त में इर सरह की निरंकुश राजकुटा थी। चक्रवर्ती राजा को वे सिर्फ अपना प्रधान मानते थे और लड़ाई के समय उसको अपनी सेना की सहायता देने को बाध्य रहते थे। चक्रवर्ती राजा का अमल सिर्फ अपने हाथ में रहे हुए प्रान्त में चलता था और बहुधा ऐसा भी होता कि चक्रवर्ती के अबली राज्य का विस्तार अपने प्रत्येक माण्डलिक के इतना भी न होता। † फ्रांस का राजा (१८७-१६) ‡ (१५८५-१६४२) फ्रांस का एक महान प्रधान। इसने राजा की सत्ता बहुत बढ़ा दी, साथ ही विद्या और कला कौशल को भी अच्छा उत्तेजन दिया।—फ्रांस का एक महान राजा (१६४३-

इतिहास इस क्रियाक्रम का एक अग्रणी दृष्टान्त है। चक्रवर्ती राजा जब अपने कितने ही मुख्य मुख्य माण्डलिक राजाओं के इतना भी मुश्किल से बलवान था, तब भी उस को सिर्फ़ एक होने से जो भारी लाभ था, उसे प्रांसीसी इतिहास-कर्त्ताओं ने स्वीकार किया है। जो लोग माण्डलिक द्वारा पीड़ित होते, उन सब की दृष्टि उस की ओर जाती; वह सारे राज्य में आशा और विश्वास का स्थान था। प्रत्येक स्थानिक राजा कमों देश नियमित सीमा में ही बलवान था। देश के प्रत्येक भाग से प्रत्यक्ष पीड़िक के विनाश उस के यहाँ एक एक दर के आधार और रक्षा की गुहार मचायी जाती थी। उस के प्रभाव की गति धीमी थी; परन्तु जो प्रसङ्ग उसे अद्वेले आ मिलता उस का उत्तरोत्तर लाभ लेने का यह परिगाम था। इस से यह प्रभाव स्थायी था; और जिस परिमाण में यह प्राप्त होता गया, उस परिमाण में जनता की पीड़ित श्रेणी में कष्ट महने का अभ्यास घटता गया। दास \* अपने

(१७१५) इसने १६३८ में जन्म लिया था और पांच वर्ष की उम्र में गदी पर बैठा था। इसने विद्या तथा कव्य को अच्छा उत्तेजन दिया था, 'जिस से इस का दीर्घ राज्य राजा भोज के ऐका हो गया था। इसने प्रांत का राज्य बाहर बढ़ाने के लिये बहुत चेष्टा की थी, परन्तु वह चेष्टा व्यर्थ गयी। \* उन माण्डलिक राज्यों के समय में जो दास थेणी कहलाती थी, उस की स्थिति बहुत बुरी और गुणाम जैसी थी। भेद इतना ही या गुणाम जैसे एक मानिक के दाय से दूसरे मानिक के दाय येचे जा सकते थे, वैसे वे लोग न थे। वे किसी खाल मिलाइयत के शामिल समझे जाते और उसी के साथ दूसरे मानिक को येचे जा सकते थे। वे जैसे चुप मिलाइयत से अलग नहीं छिये जा सकते थे, वैसे आप से भी अलग

स्थानिक मालिक की तावेदारी से छुट कर राजा की बाला बाला तावेदारी में आकर रहने का जो अलग अलग प्रयत्न करते, उस में उत्तेजन देने में उसका सार्थ था। उस के आध्रय के नीचे बहुत सी जातियाँ वनी और वे अपने ऊपर राजा के सिवाय और किसी को नहीं जानती थीं। पड़ोस के किले के मालिक के अमल की तुलना से दूर के राजा की तावेदारी स्वतंत्रता रूप ही होती है; और खास राजा की स्थिति ऐसी थी कि उस ने जिन श्रेणियों के छुटकारे में मदद की थी, उन के ऊपर उस को मालिक के तौर पर नहीं, वर्चं तरफदार के तौर पर अमल करने को लाचार होना पड़ता था। इस प्रकार राज्य अगर सचमुच प्रतिनिधि राज्य होता, तो सुधार में जो एक जरूरी कदम बढ़ाने में लोगों को रुकावट पड़ने की सम्भावन रहती, वह कदम उन से बढ़ावाने में सिद्धान्त में निरंकुश, परन्तु व्यवहार में साधारणतः बहुत अंकुशित वनी हुई माध्यमिक सत्ता मुख्यतः साधनभूत हो गयी। रूसी साम्राज्य के दासों \* का जो छुटकारा हुआ है, वह केवल निरंकुश राज्य या कतलेआम के सिवाय और किसी तरह नहीं हो सकता था।

सभ्यता की वृद्धि के मार्ग में रुकावट डालने वाली जिन अँड़चनों को और भारी करने की ओर प्रतिनिधि राज्य का रुख है, उन्हें एक दूसरी रीति से जो निरंकुश राज्य पार करते नहीं हो सकते ये। उन के लिये दात्त्व से छूटने का एक ही मार्ग था, वह यह कि अपने मालिक की कुछ अधाधारण सेवा कर के या कृपा प्राप्त कर के या मूल्य देहर अपनी स्वतंत्रता मोल लें।

\* रूस के सप्ताद् दूधरे अलकजेष्ठर ने रूस के सब दासों को दात्त्व से बन् १८६१ ईस्वी में छुटाया।

हैं, उन के सबल दृष्टान्त इतिहास के इसी विभाग से मिलते हैं। जो प्रबल याधा सुधार में कुछ आगे बढ़ी हुई स्थिति तक आड़े आती है, वह अलंच्य स्थानिक भाव है। मनुष्य-जाति के जो विभाग और कर्तव्य से स्वतंत्रता के योग्य होते हैं, और उस के लिये तप्यार भी होते हैं, वे एक नह्में से जन समाज में भी मिलकर रहने के अयोग्य होते हैं। इर्ष्या और सदृज वैर माय के कारण वे एक दूसरे से अलग रहते हैं और उन के इस गुणी से ऐक्य होने की सारी समझावना छकी रहती है। इतना ही नहीं, बरंच उन में नाम का भी ऐक्य हुआ समझें तो भी उन्होंने शायद उस ऐक्य को यथार्थ करने वाली मनोवृत्ति या स्वासियत अभी तक नहीं पायी है। यह हो सकता है कि किसी प्राचीन जनता के नागरिकों की नरह अथवा एशिया के किसी ग्राम के ग्राम्य पर अपनी बुद्धि आजमाने का बहुत अभ्यास हुआ हो और उन्होंने उस नियमित विस्तार योग्य भवल जन संचाक राज्यतंत्र का भी सम्पादन किया हो, परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीमा के बाहर के विषय पर उन का योड़ा ही भाव हो और ऐसी किनारा ही जनताओं के साधारण साम की व्यवस्था करने की कुछ देव या शक्ति भी न हो। मैं नहीं जानता कि इतिहास ऐसा कोई दृष्टान्त देगा जिस में सब के लिये सामान्य किसी मात्यमिक सत्ता के पहिले यश हुए विना ऐसे राजनीतिक परमाणुओं या राजकर्ता की किसी संलग्न ने एक जनता में हिलमिल कर अपने को एक समाज गिनना सीमा हो। \* विस्तृत भूमि-प्रदेश के साधारण विशाल

\* अरपाद रूप में उसे इटली का दृष्टान्त दिया जा सकता है, वह उस के रूपान्तर की अनिम अवस्था के साहच में है।

लाभ का विचार, जैसा कि हमने सोचा है, ऐसा कोई समाज अपने मन में जमा सकता है, तो ऐसी किसी माध्यमिक सत्ता की आशा मानने, उसकी योजना में शामिल होने और उसके उद्देश्य के अधीन होने का अभ्यास पढ़ने से ही। इसके विरुद्ध गेसेंलाभ का विचार माध्यमिक राज्यकर्त्ता के मन में अवश्य करके सर्वोपरि होता है और यह जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से कर्मवेश निकट सम्बन्ध उत्तरोत्तर लगाता जाता है, उस मार्ग से यह लाभ सामाजिक मन के लिये परिचित होता जाता है। सुधार में यह कदम यढ़ाने को शक्तिमान् होने के लिये जो अवसर सब से अधिक अनुकूल है, यह यह है कि प्रतिनिधि राज्य की वास्तविक सत्ता रहित प्रतिनिधि तंत्र खड़ा करें अर्थात् जो माध्यमिक सत्ता के सहायक और साधन रूप से वर्ताव करें, परन्तु उसका विरोध करने या उसे अंकुश में रखने का प्रयत्न यहुत कम करें। इस किलम की भिन्न भिन्न स्थानों से चुनी हुई एक या अनेक प्रतिनिधि संस्थाएं गठित करें। इस प्रकार लोगों का सर्वोपरि सत्ता में भाग न होने पर भी ऐसा जान पढ़ने से कि उनकी सलाह ली जाती है, माध्यमिक सत्ता की तरफ से दी हुई राजनीतिक शिक्षा स्थानिक मुखियों और साधारण जनता के मन में अन्य रीति की अपेक्षा अधिक प्रबलता से जम जाती है और उसके साथ साधारण सम्मति से चलने वाले राज्य-प्रबन्ध का प्रचार भी यना रहता है अथवा कम से कम साधारण सम्मति रहित राज्य-प्रबन्ध के चलन की सीछति नहीं होती। क्योंकि ये-सम्मति का ऐसा प्रबन्ध, चलने से प्रतिष्ठा पाकर, कितनी ही फ़ारेंड, पीसा या मिलन के शहर समाजों से या काराई के प्रान्तिक देश में जो पहिला काठिन रूपान्तर हुआ वह सदा की रीत्य-नुसार हुआ था।

—प्रन्थकर्त्ता ।

यह एक अच्छे आरम्भ का थुग अंत दिखाने याता और अनेक देशों में सुधार को उसकी वहूत पहिली अवस्था में गंक देने याता और कजनक दुर्देव का एक सब में साधारण आरण हो गया है। और उसका कारण यह है कि एकाध जमाने का काम इस गंति में किया गया होता है कि जिस में उसके पीछे के जमानों का आवश्यक काम कर गया है। अब तो एक पेंसा राजनीतिक मिठान निर्दारित किया जा सकता है कि छोटे राजनीतिक परमाणुओं के समूह को एक शामिल करके परम्पर माधारण संसर्ग बृच्छा याता, 'विदेशियों की जीत या चढ़ाई' में अपनी रक्षा करने योग्य शक्ति रखने याता और लोगों की मामाजिक और राजनीतिक दृश्यता को शुभ काम में लगा कर उसके उचित परिमाण में चमकाने योग्य विविध और विस्तृत कार्य व्यवहार रखने याता मंयुक्त जन समाज अगर यह सकता है, तो प्रतिनिधि राज्य नहीं, यस्त्वं चे-जिम्मेदारी का निरंकुश राज्य।

इन मिश्र विश्व कारणों से प्रतिनिधि तंत्र की (पुष्टि में दृढ़ हो तो भी) सज्जा में व्यवस्था निरंकुश राजसच्चा जनता का सब में आरम्भ की अवस्था के लिये सब से अनुकूल शामन-रड़ति है। और इसमें प्राचीन श्रीम के नगर मण्डली जैनों का भी अपथाद नहीं होता। क्योंकि यहाँ भी इसी प्रकार औंकरमन से कुछ याम्नियिक, अंकुश याते, परन्तु प्रव्यक्त या चानून में यिन अंकुश के राजाओं का राज्य सब व्यवस्था तंत्रों में पहिले अनजान और शायद सभी मुहूर्त में चला आता था और उनके म्यान में वहूत मुहूर्त तक कुछ कुटुम्बों के गिर्ह राज्य म्यापित हुए। इसमें ये अन्त को लुन हो गये। यह इनिहास में मिठ है।

जनता में पेसी संकटों किसी कमज़ोरी या कचार्ह

दिखायी जा सकती है, परन्तु यद्यपि इस से जनता प्रतिनिधि राज्य का सब से अच्छा उपयोग करने में उसी कदर नालायक ढहरती है तथापि इस से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि एक या कुछ के राज्य में दोप मिटाने या घटाने का खब होता है । किसी तरह का मजबूत वहम, पुरानी रस्म के बारे में दुराग्रही हठ, सामाजिक प्रकृति में प्रत्यक्ष दोप या केवल अज्ञान और मानसिक शिक्षा की त्रुटि, अगर लोगों में बनी रहेगी तो उनकी प्रतिनिधि संस्था में उसका यहुत कुछ प्रतिविम्ब पड़े यिना नहीं रहेगा । परन्तु ऐसा हो कि जिन पुरुषों के हाथ में प्रवन्ध-व्यवस्था—राजकाज का प्रत्यक्ष भार-हो, वे अपेक्षाकृत इन त्रुटियों से बचे-हों, तो भी यह उनको अपने पक्ष में ऐसी सभाओं की खुशी मन से अनुमति लेने का वन्धन नहीं होगा, तभी वे प्रायः अधिक भलाई कर सकेंगे । परन्तु हमारे परोक्षा किये हुए दूसरे प्रसङ्गों में जैसा होता है, वैसा इसमें नहीं होता—राज्यकर्त्ता होने से ही उनमें ऐसा गुण नहीं रहता कि जिस से उसको भलाई के मार्ग में झुकाने वाली दिलचस्पी और रुचि हो जाय । एक (राज्यकर्त्ता) और उसके सलाहकार या कुछ राज्यकर्त्ता कुछ अधिक थ्रेषु समाज के या आगे यही हुई स्थिति के विदेशी न होंगे, तो उनका अपनी जनता की या सुधार की अवस्था की साधारण त्रुटियों में से साधारणतः मुक्त होना सम्भव नहीं है । अगर राज्यकर्त्ता विदेशी होंगे तो वे जिन के ऊपर राज्य करते हों, उनसे चाहे जिस कदर थ्रेषु हों, कुछ चिन्ता नहीं । इस किस्म की विदेशी अमलदारी की तावेदारी में दोप होने पर भी यह प्रजाजन को बहुधा सब से अधिक लाभदायक हो जाती है । क्योंकि यह उसे उन्नति की कितनी ही अवस्थाएं तेजी से पार कराती है और सुधार के मार्ग में अड़ने वाली जो वाधाएं, अधीन

प्रजा को किसी चाहरी मदद के बिना अपने ही रुख और प्रसङ्गों पर भरोसा रखने की सूरत में अनियुक्त काल तक पढ़ा करती हैं, उनको वह पार कर देती है। जो देश विदेशी के अमल तले नहीं होता, उसमें ऐसा लाभ उपजाने के लिये जो एक मात्र साधन यथेष्ट है, वह किसी असाधारण विचक्षणता वाले निरंकुश राजा की विरल अकस्मात् उत्पत्ति है। इतिहास में कुछ ऐसे राजा हो गये हैं और मनुष्य-जाति के सीधार्य से उन्होंने इतनी लम्बी मुद्रत तक राज्य किया था कि वे कितने ही सुधारों को अपने शासन में पली हुई पीढ़ी को साँप कर स्थायी बनाने में समर्थ हुए थे। एक दृष्टान्त शालमैन ६ का दिया जा सकता है और दूसरा महान् पीटर का। फिर भी ऐसे दृष्टान्त इतने विरल हैं कि जिन शुभ अकस्मातों ने ईरानी चढ़ाई के समय थेमिस्टोफेलिस फ़ू दे-

क्ष कांच लोगों का राजा ( ७७२-८१४ ) और पश्चिम रोम के साम्राज्य का समाट् ( ८००-८१४ ) इसके राज्य का विस्तार जर्मनी, कांस, इटली, स्पेन इत्यादि लगभग सारे पश्चिम युरोप में गा। इसने खेती, कला, विद्या और धर्म को बढ़ा उत्तेजन दिया; कानून बनाये और बहुत से सुधार किये। + रूप का समाट् ( १६८२-१७२५ ) इसने रूप के बड़वान् साम्राज्य की नीव ढाली। राज्य को चारों तरफ बढ़ा कर उत्तर में ईरेत समुद्र में और पूर्व में बोयिनिया की खाड़ी तथा दक्षिण में कृष्ण समुद्र तक जह-नेना स्पायित की। इसने भिज भिज देशों पे प्रवास कर स्वयं अनुभव प्राप्त कर देश में बहुत से गजनीतिक तथा अन्य सुधार किये। फ़ू दून् ईस्तों से पूर्व ५३०-४७०-ईरान का एक यहुत विवश राजनीतिक पुरुष। ईरान के जहरिस राज की चढ़ाई के

और आरेंज के पहिले या तो सरे विलियम के अन्तिम सरीग्रं प्रसङ्गों पर मनुष्य-जाति के कुछ नेता-दल ढारा अनसोचा हमला हो कर आगे बढ़ना चाहिये या पीछे हटना चाहिये, इसका केन्द्र भी के पर किया है, उन अस्तमातौं में इनकी गणना हो सकती है। पेसी सम्मानना से लाभ उठाने की धारणा ने ही नियम तन्त्र रचना वाहियात दी। क्योंकि उपर्युक्त नीन पुग्यों ने जैसा साचित किया है, उसके अनुसार किसी यशस्वी पदवी पर रहने वाले पेसी प्रगति के मनुष्यों को प्रबल मत्ता चलाने को मर्मर्य दोने के लिये निरंकुश अमलदारी की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ वस्ती का एक छोटा सा मुख्यादल भी भिन्न जाति, अधिक सुधरे मूल से उत्पत्ति या किसी दूसरे लाक्षणिक कारणों से याकी यस्ती की अपेक्षा सुधार और साधारण प्रगति में प्रत्यक्ष रूप से थ्रेष्ट होता है, यहाँ का प्रसङ्ग सब से अविक्षित विचारने योग्य है और यह यहुत

मस्य मुख्य करके इस महापुरुष की सलाह और कुशलता से ग्रोक लोगों की सेलमिल जलयुद्ध में समूल विनाय हुई थी। इस प्रकार इसने ग्रीस को बचाया था। ५१५४-८४ आरेज के पहिले विलियम ने स्वेन के राजा दूसरे किलिप के जुलम से छुड़ाया था। यद लहाँ सन् १५६८ में शुरू हुई। सन् १६०९ में उसका अन्त हुआ और दच संयुक्त राजा की स्थापना हुई। इसके किलिपने १५८४ में भार ढाला था। तीसरा विलियम ( १६५०-१७०३ ) हालेण्ड का स्टेट होटेल ( राज्याध्यक्ष ) ( १६७२-१७०३ ) और इंग्लॅण्ड का राजा ( १६८९-१७०३ ) मुख्य करके इसके प्रयत्न से चौदहवें लुह का सारे युरोप के राज्य कैलाने का प्रयत्न रुक गया। इस ने अपनी सारी जिन्दगी इसी काम में वितायी थी।

अस्ताधारण भी नहीं है। ऐसों दशाओं में उनका के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध होगा, तो यिह दल को अधिक सम्बन्ध में नित सहने वाले ताम के बहुत हुब्ब रख जाने की सम्भावना रहती है। फिर उन दल के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध होगा, तो याददेर्सा होगा कि उनका को अधिकारिया उड़ पकड़ेगी और अधिक को बृहदि का एक सद में स्थित रहने की बहुत अल्पा नहीं रहती। ऐसे निश्चय वाली उनका के सुधार की सद में अच्छी आया, कानून से निरंकुश और अधिक नहीं तो बन्नुकः सज्जोरि सत्ता प्रबन्ध, गजदाम के मुख्य गजदामों के हाथ में होने पर है। यह अद्देश्य अपनी नियनि के काम, अपने साधियों पर इस्ती होने से, उनमें चढ़ा जारी करने के लिये, उनका में इस्ती न होने के कारण उसकी उपनिधि और सुधार करने में ताम सम्बन्ध है। अब उसकी बात में यिह सम्बन्ध के प्रतिनिधियों की समा, अधिकार रहने में नहीं, बरन्च अचीव के तौरपर रहने का युन अवसरकारे और अपर यह सभी आनंदि और प्रदन उठा रह और समय समय परगोक प्राप्त कर सामाजिक रकाबट को बुनि को जागृत रहने और यांत्रिक योग्यताया उचित समय पर शिनार दाकर शास्त्रियक सामाजिक प्रतिनिधि भना हो, ( अंतोंडी वार्तानेट आ उत्तिष्ठ नवतः देसा है ) तो ऐसी मिलति और मट्टत वज्री उनका को सुधार की सद में अनुरूप अल्पा रहने का तो सद में अच्छा प्रसङ्ग नित सहना है, यह सद इस उनका को है।

जो नव हिस्सी उनका को प्रतिनिधि रात्त के लिये दिन-इन नामायक बदाये दिना उसका मनूर्झ ताम लेने के गहरे परिमाण में अनुरूप करते हैं, उनमें से एक एक लार मिट्टेव घान देना उचित है। इन दबों को लक्ष्यतः दो नियम

अधस्थाप्त हैं। परन्तु उन दोनों में कुछ समानता है; और इस से वे जिस मार्ग से पृथक् पृथक् भनुप्यों के और राष्ट्रों के प्रथलों को उभाड़ते हैं, उसमें वे अक्सर एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरे पर अधिकार चलाने की इच्छा एक है; और अपने ऊपर अधिकार चलाने देने की मरजी दूसरी है। इन दो वृत्तियों के परस्पर प्रभाव के कारण मनुष्य-जाति के भिन्न भिन्न विभागों में जो भेद पड़ता है, वह उसके इतिहास में एक सब से आवश्यक तत्व है। ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अपनी निज की स्वतंत्रता की इच्छा से दूसरे पर हुक्मत चलाने का जोश इतना प्रवल होता है कि वे दूसरे पर हुक्मत चलाने के लिये भी अपनी स्वतंत्रता त्यागने को तैयार जान पड़ते हैं। उनके समाज का प्रत्येक जन, सेना के साधारण सैनिक की तरह, अपना कार्य स्वातंत्र्य सेनापति के हाथ में सौंप देने को राजी होता है। वशतें कि वह सेना सफली-भूत और विजयी हो और वह यह गर्व कर सकता हो कि मैं स्वयं इस विजयी सेना का एक सैनिक हूं; यद्यपि विजित लोगों पर चलने वाली हुक्मत में अपना कुछ हिस्सा होने का विचार तो केवल धोखा ही है। ऐसे लोगों को यह नहीं रुचता कि सरकार अपने अधिकार और गुणधर्म में स्पष्ट रीति से नियमित कर दी जाय और सीमा से बाहर मगज न लड़ाने और स्वयं रक्षक या निर्देशक की पदवी धारण किये बिना बहुत बातें चलने देने का बंधन लगा दिया जाय। उनके विचार के अनुसार, अगर सत्ता के लिये चढ़ा-ऊपरी करने की सब को साधारण छूट हो, तो सत्ताधिकारी जितनी अपने सिर पर न ले उतनी ही कम है। उन में से एक साधारण मनुष्य भी, अपने और दूसरे के ऊपर कुछ निष्कारण सत्ता न चलाने का विश्वास कराने की अपेक्षा अपने नगर-बंधुओं पर कुछ

अंग में सत्ता चलाना—वह चाहे दूरस्थ और असम्भव ही क्यों न हो—अधिक एसन्द करता है। पद सोनुप लोगों में ऐसे तत्व होते हैं; उन में राज्यनीति का कम सुरक्ष्य कर के ओहदा तत्व के ऊपर निर्दारित होता है। उन में स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ़ समानता की परवा की जाती है। उनके राजनीतिक इन्होंने में जो भगड़ा चलता है, वह सिर्फ़ वह निरुपय करने की बजाए से कि प्रत्येक दिवय में दम्भदेप करने की सत्ता वह दल को मिले या दूसरे को। अथवा सिर्फ़ राजनीतिक पुरानों की एक टाली के मिले या दून्हों को। उन में उन सदाक राज्य का भाव सिर्फ़ इतना ही समझा जाता है कि ओहदे कुछ धोड़े आदनियों के बदले सब की बढ़ा ऊरी के लिये छोड़ दिये जायें; उन में राज्यतंत्र जितना अधिक उन-सम्बन्ध दोता है, उतने ही अधिक ओहदे दायन किये जाते हैं और प्रत्येक पर सब और सब पर कार्यकारी विनाग बड़ाही राजसी शासन चलाता है। प्रांसीसी जनहा का वह धरायें चिह्न है अथवा इस से हुए मिलना हुलना है, वह इहना निष्ठुर और अनुचित भी समझा जायगा। इतने पर भी वे जिस बदल इस नमूने पर प्रष्टति रखते हैं, उस से उन्हें ऊरन्धापित एक छोटे घर की तरफ का प्रतिनिधि-राज्य चेहर नृस लेने में दृष्ट गया है और सारी पुण्य भंख्या की तरफ के प्रतिनिधि राज्य के लिये हुए प्रयत्न के घंत में

\* इन् १८८८ के राज्य विषय से कांडे ये झों किर से लकड़ाइ राज्य स्थापित हुआ उस में ऐसी स्थिति थी। दर्द-नेपेल-दिवन ने जो राष्ट्रपति नियंत्रित किया गया था, अंत की इहनी दहों निरक्षय का प्राप्त कर ली थी इन् १८५२ के कांडे का उभाद देख निरंकुश राज्य स्थापित कर लका।

एक मनुष्य के हाथ में वाकी में से चाहे जितने मनुष्यों को विना जांच किये लांधेसा या केयेन में देश निपाला छरने की सत्ता साँप दी गयी है; उसमें शर्त इतनी ही रही है कि यह उन सब को यह मानने दे कि वे उसकी कृपा में भाग पाने की सम्भावना से बंचित नहीं हैं। इस देश के लोगों की प्रणति में जो तत्व उनको प्रतिनिधि शासन के हिये दूसरे सब तत्वों की अपेक्षा अधिक योग्य बनाता है, वह यह है कि प्रायः उन सब की उलटी रासियत है। यह ऐसी न्तर्का को अपने ऊपर चलाने देने में बड़ी फटकार बताते हैं, जिसे लम्बे रियाज और सत्यासत्य के विषय में उनकी न्यीकति विना जारी कराने का कुछ भी प्रयत्न हो। परन्तु ये साधा रखतः दूसरों पर शासन करने की बहुत ही थोड़ी परवा रखते हैं। हुक्मत चलाने के दुर्बिकार पर तनिक सहानुभूति न होने से और कैसे कैसे स्वार्थ साधने के दृष्टेश से अधिकार चाहा जाता है, यह बात अच्छी तरह जानी हुई होने से, वे यह इच्छा रखते हैं कि जिनको विना माने अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से अधिकार मिले, वे उसे चलायें तो अधिक अच्छा है। विदेशियों की समझ ने यह बात आये तो उनको अंगरेजों की राजनीतिक वृत्तियों में जो कुछ प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है, उसका कारण समझ में आ जाय; जैसे उंचे दरजे को अपने ऊपर राज्य चलाने देने की वेधड़क तत्परता और इसके साथ उनके प्रति इतनी कम व्यक्तिगत अधीनता की वृत्ति कि जब सत्ता अपनी खास नियमित सीमा लांघती है, तब कोई जनता उन्हीं कीसी तत्परता से उसे रोकने को आगे नहीं बढ़ती अथवा उन्हीं के इतने दृढ़ निष्ठय से अपने राज्य कर्त्ताओं को हमेशा याद नहीं करती कि हमें स्वयं जो रीति सब से अच्छी लगेगी, उसी रीति से उनको

ऊपर कुकुमत चलाने देंगे । इस से अंगरेजों को श्रावर एक आति की हैसियत से विचारें, तो वे पद के लोभ से प्रायः अनज्ञान हैं । जिन थोड़े से कुटुम्बों या सम्बन्धियों के मार्ग में राज्याधिकार आकर प्रत्यक्ष पड़ गया है, उनको थोड़ दैं तो संसार में बुद्धि पाने के विषय में अंगरेजों का विचार दसरे ही मार्ग से—वकालत, वैद्यक और शान सम्बन्धी ऊंचे रोजगार, व्यापार या शिष्टवृत्ति में सफलता के मार्ग से सम्बन्ध रखता है । राजनीतिक पक्ष या पुरुष केवल अधिकार के लिये कुछ भी युद्ध करें, तो इसके लिये उन्हें बड़ी भारी कथाहृत है । और उनको सरकारी ओहदों की संख्या बढ़ाने के विषय की अपेक्षा दूसरे थोड़े ही विषयों पर अधिक नफरत है । इसके विरुद्ध अधिकारीवर्ग के पैरों तले कुचली जाती हुई युरोप-यांड की ग्रजाओं में यह बात सदा लोकप्रिय है । क्योंकि वे अपने को या अपने समे को कोई ओहदा मिलने का ग्रसङ्ग, घटाने के 'वदले मारी कर देने को राजी होंगे और उनके राचं घटाने की पुकार फा मतलब यह कभी नहीं है कि ओहदे तोड़ दिये जायें, यरंच जो ओहदे इतने बड़े हों कि उन पर साधारण नागरिकों के नियत होने का कुछ भी मौका न हो उनका घेतन घटा दिया जाय ।

### पांचवां अध्याय ।

**प्रतिनिधि-समाओं के खास कर्तव्य के विषय में ।**

प्रतिनिधि-शासन के विषय में विचार करते हुए (एक और) उसके भाव या तन्य और (दूसरी ओर) अचानक ऐतिहासिक योग या किसी शास समय प्रचार पाये हुए विचारों के कारण इस भाव के धारण किये हुए शास स्वरूप

के बीच का भेद ध्यान में रखने की सब से बड़ी आवश्यकता है।

प्रतिनिधि-शासन का यह अर्थ है कि प्रत्येक राज्यतंत्र में जो अंत की अंकुश सत्ता किसी स्थान में रहे, उसको सारी जनता या उसका कोई वड़ा भाग स्वयं समय समय पर पसन्द किये हुए प्रतिनिधियों द्वारा काम में लावे। यह अनितम अधिकार उसके हाथ में सब तरह से पूर्ण होना चाहिये। यह जब चाहे तब राज्यतंत्र की सारी क्रिया पर सर्वोपरि सत्ता चलाने को समर्थ हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सर्वोपरि सत्ता उसको राज्यतंत्र के कानून से ही मिलना चाहिये। विद्युश राज्यतंत्र ऐसी सत्ता नहीं देता, परन्तु जो कुछ देता है, वह प्रयोग में उस दरजे तक पहुंचता है। अंत की अंकुश सत्ता केवल राजसत्ताक या जनसत्ताक राज्यतंत्र तथा मिथ्र और समतोलित राज्यतंत्र में वस्तुतः अविभक्त होती है। समतोलित राज्यतंत्र असम्भव है—प्राचीन प्रजाओं की इस राय में सत्य का जो अंश है, उसको हमारे समय में घड़े घड़े मातवर पुरुषों ने पीछे से ताज़ा किया है। समतोलन तो लगभग हमेशा होता है, परन्तु तराजू के पलङ्गे कभी एक समान नहीं रहते। उनमें किसका घजन अधिक है, यह राजनीतिक तंत्रों के बाहरी दृश्य से हमेशा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। विद्युश राज्यतंत्र में राज्यसत्ता की तीन समान पंक्तियों के अंगों में प्रत्येक को जो अधिकार दिया गया है, यह अगर पूरे तौर पर अमल में लाया जाय, तो राज्यतंत्र के सारे कल-पुरजाँ को बन्द करने में समर्थ हो। इस से प्रत्येक अंग को दूसरे का घण्डन या रुधन करने के लिये नाम को समान अधिकार मिला है। और अगर इन तीनों में से कोई अंग इस अधिकार को काम में लाने से अपनी स्थिति सुधारने की आशा रख सके, तो मनुष्य-व्यवहार का साधारण क्रम हमें यह

बजन देते रहते हैं, तब तक वे नियम पाले जाते हैं और व्यवहार में जारी रहते हैं। इंग्लैण्ड में यह सत्ता सामाजिक सत्ता है। इससे अगर विदिशा राज्यतंत्र के कायदे, कानून और उनके साथ भिन्न भिन्न राजनीतिक अधिकारियों के बर्ताव को बहुतः अंकुश में रखने वाले अलिहित नियम राज्यतंत्र के लोक-प्रिय तत्व को देश में, उसकी वास्तविक सत्ता के अनुसार वास्तविक सर्वोपरि बजन दें, तो राज्यतंत्र में स्थायिता का जो लक्षण है वह न रहे और कानून या अतिखित नियम—दो में से एक को जल्द बदलना पड़े। इस प्रकार विदिशा राज्यतंत्र अपने असली अर्थ में प्रतिनिधि शासन है और जनता के सामने जो प्रत्यक्ष भाव से जवाबदेह नहीं है, उनके हाथ में जो अधिकार रहने देता है, उसको सिर्फ़, राज्य करने वाली सत्ता अपनी भूलैं रोकने के लिये जो चितौनी रहने को राजी होनी है, वैसी ही चितौनी मान सकते हैं। ऐसी चितौनी सभी जनसत्ताक-राज्यों में विद्यमान होती है। एधित्यन्त राज्यतंत्र में ऐसी वहुत सी शर्तें थीं और संयुक्त राज्य में भी हैं।

परन्तु जब प्रतिनिधि-शासन राज्य की सर्वोपरि सत्ता का जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहना आवश्यक है, तब यह प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर्तव्य या राज्यतंत्र की यंत्र-सामग्री में कौन सा निर्दिष्ट भाग प्रतिनिधि-सभा सीधे तौर पर और स्वयं करे। इस विषय में अगर कर्तव्य ऐसे हों कि प्रत्येक विषय में अन्त की अंकुश सत्ता प्रतिनिधि-सभा के हाथ में रहे, तो प्रतिनिधि-राज्य के तत्व के कितने ही भेद अनुकूल आते हैं।

राज्य-कार्य पर अंकुश रखना और स्वयं उसे करना—इन दोनों में मूल तात्त्विक भेद है। एक ही मनुष्य या सभा हर एक काम पर अंकुश रख सकती है, परन्तु हर एक काम स्वयं

करना सम्भव नहीं है। और कितने ही विषयों में तो स्वयं काम करने का जितना ही काम प्रयत्न किया जाता है, उतना ही अधिक दृढ़ अंकुश प्रत्येक विषय पर रखा जा सकता है। किसी सेना का सेनापति अगर स्वयं सैनिकों की थ्रेणी में लड़ने थो खड़ा रहे या आक्रमण करने जाय, तो वह उसकी प्रभावशाली व्यूह व्यवस्था नहीं कर सकता। यही बात मनुष्यों की सभा के लिये है। कुछ काम सभाएं ही कर सकती हैं, पर दूसरे कामों को वे अच्छी तरह नहीं कर सकतीं। इस लिये पहिला प्रश्न यह है कि लोक-सभा को किस पर अंकुश रखना चाहिये। और दूसरा प्रश्न यह है कि उसे स्वयं क्या करना चाहिये। हम पहिले जान चुके हैं कि उसकी राज्य के सभी कामों पर अंकुश रखना चाहिये। परन्तु यह साधारण अंकुश किस साथ ढारा चलाना सब से अधिक लाभदायक है और राजकाज का कौनसा भाग प्रतिनिधि-सभा को अपने हाथ में रखना चाहिये, इसका निर्णय करने के लिये हमें जिस विषय का विचार करना है, वह यह है कि किस प्रकार का काम एक वड़ी नमा योग्य रीति से कर सकती है। जो कुछ वह भली-भाँति कर सकती है, वही उसे अपने हाथ में लेना चाहिये। याकी काम के लिये, तो उसका उचित कर्तव्य यह है कि उसे स्वयं न करके दूसरों से अच्छी तरह कराने का उपाय करे।

दृष्टान्त के तीर पर जो कर्तव्य दूसरे कर्तव्यों की अपेक्षा विशेष तीर पर प्रतिनिधि-सभा का गिना जाता है, वह कर मंजूर करने का है। इतने पर भी किसी देश में प्रतिनिधि-सभा स्वयं या अपने नियत किये हुए अफसरों की मार्फत आय, ध्यय का चिट्ठा तयार करने का काम अपने सिर पर नहीं लेती। यद्यपि आय तो सभा ही मंजूर कर सकती है और भिन्न भिन्न विषयों में आमदनी घर्चं करने के लिये

भी उसी सभा की अनुमति आवश्यक है तथापि राज्यतंत्र का ऐसा नियम और साधारण रिवाज है कि राजा की दरखास्त पर ही धन दिया जा सकता है। इतना अलवत्ता मालूम हुआ है कि धन कार्य्यकारी विभाग के हाथ से खर्च होने के कारण जिन योजनाओं और हिसाब के आधार पर खर्च का अन्दाजा लगाया जाता है, उन के लिये कार्य्यकारी विभाग जबाबदेह रखा जाता है, तभी रकम के बारे में सीमा की और उसके उपयोग की विधि में विवेक और सम्झाल की आशा रखी जा सकती है। इस प्रकार कर लगाने या खर्च करने के विषय में पार्लीमेण्ट की तरफ से स्वयं कुछ आरम्भ करने की आशा नहीं रखी जाती और उसको इजाजत भी नहीं है। है यही कि उसकी मंजूरी मांगी जाती है और उसको अधिकार है कि इनकार कर दे।

इस राजनीतिक सिद्धान्त में जो मूलतत्त्व सम्बिंदि और स्वीकृत है, उसका यथासाध्य अनुसरण करें, तो वह प्रतिनिधि सभाओं के साधारण कर्तव्य की सीमा और परिभाषा बनाने का मार्ग दियाता है। एक तो जिन देशों में प्रतिनिधि पद्धति अनुभव पूर्वक समझ में आयी है, उन सब में यह स्वीकार हुआ है कि वड़ी संख्या की प्रतिनिधि सभाएं प्रबन्ध का काम न करें। यह नियम सिर्फ अच्छे राज्यप्रबन्ध के सब से अंगीभूत तत्वों के नहीं, वरंच किसी तरह सफली-भूत हुए प्रबन्ध के मूलतत्वों के आधार पर भी है। मनुष्यों की कोई सभा अगर सुव्यवस्थित और हुक्म में रह कर वर्ताव करनेवाली न हो, तो वह यथार्थ काम के लायक नहीं। कुछ और उनमें भी काम के खास जानकार चुने हुए मनुष्यों की बनी व्यवस्थापक सभा भी, उसी में से निकल आनेवाले एकाध पुरुष की अपेक्षा हमेशा घटिया काम करती है और अगर उस एक पुरुष को मुखिया बना कर वाकी सब को

उसकी मातहरी में रहें, तो वह सभा योग्यता में उम्रति करेगी। जो काम पूर्यक् पृथक् मनुष्यों की अपेक्षा सभा अच्छी तरह करती है वह सलाह मशविरे का है। जब वहुन में परस्पर विरोधी विद्वारों को सुन कर उन पर विचार करना जर्नी या आवश्यक होता है, तब विचार-सभा की आवश्यकता है। इस से यद्यपि ऐसी सभाएं कितनी ही बार प्रबन्ध-फार्म्य के लिये भी उपयोगी होती हैं तथापि साधारण और पर तो सलाह देने के लिये ही। क्योंकि प्रबन्ध का काम तो एक की जिम्मेवारी पर ही नियम पूर्यक् वहुन अच्छी तरह चलता है। किसी सामें के व्यवस्थायास में नहीं तो काम में भी एक प्रबन्धकर्तृ व्यवस्थापक होता है, उस व्यवस्थाय परी अच्छी या बुरी व्यवस्था वास्तव में किसी एक ही मनुष्य की योग्यता पर निर्भर करती है और याकी व्यवस्थापक अगर किसी काम के लायक होते हैं, तो उसको अपनी ओर से भलाह देफर या उनको जो उसके ऊपर निगरानी करने और उसकी कार्य-याई अनुचित जँचे उसे रोकने या हटाने का जो अधिकार है, उसके तिये व्यवस्था के काम में तो ये जाहिरा उसके समान दिसमेंदार हैं। मगर इसमें कुछ लाम नहीं है, अलवज्ञा ये कुछ भी भलाई करने में समर्थ हों, तो उसके विरुद्ध यह एक वहुत यड़ी शुटि है। इस से यह होता है कि उसको जो अकेला और स्वयं जिम्मेवार रहना चाहिये, उस विषय की रचि उसके अपने और दूसरों के मन में कमज़ोर हो जानी है।

एरन्तु जन-सभा तो प्रबन्ध करने या जिनके हाथ में प्रबन्ध हो, उनको सविस्तार आशा देने के लिये इस में भी कम योग्य है। ऐसा दस्तकेप शुद्ध भाव से होने पर भी प्रायः सदा हानिकारक होता है। राज्य-प्रबन्ध की प्रत्येक

शासा की व्यवस्था प्रबोलता का काम है। और इसके लिये उसके खास अपने नियम और रिवाज की दफायें होती हैं। उनमें से अधिकांश तो, जिसने कभी काम चलाने में हिस्सा लिया हो, उसके सिवाय दूसरे किसी को ठीक तौर पर मालूम भी नहीं होती। जिसने उस विभाग में तजरवा नहीं हासिल किया है, उस मनुष्य के लिये, उनमें से किसी का भी उन्नित मूल्य जानता समझ नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि राज काज के प्रबन्ध में गूढ़ भेद है और वह सहकारी पुरुषों की समझ में ही आता है। अच्छी समझ वाले हर एक आदमी के लिये, जिसने अपने मन में प्रबन्ध की मिथ्यति और प्रसङ्ग का वास्तविक स्वरूप विचारा होगा, इसके सभी मूलतत्व सुगम होते हैं। परन्तु इसके लिये उसे उस स्थिति और प्रसङ्ग को जानना चाहिये, और यह ज्ञान अन्तःप्रेरणा से नहीं आता। (जैसा कि हर एक निज के रोजगार, धन्धे में होता है) राज-काज की प्रत्येक शासा में यहुतेरे सब से आवश्यक नियम होते हैं और जो मनुष्य उस में नया प्रवेश करता है, वह उनका कारण नहीं जानता और कभी कभी उनका अस्तित्व भी नहीं समझता। क्योंकि जिन जोखिमों का सामना करने या अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से वे नियमादि बने होते हैं, वे उनके ख्याल में भी कभी न आये होंगे। मैं कितने ही राजनीतिक पुरुषों को, साधारण से अधिक स्वाभाविक शक्तिवाले भंत्रियों को जानता हूँ, उन्होंने राज-काज के किसी नये विभाग में प्रवेश करते समय कुछ बात—जिसके उस विषय पर नज़र डालने वाले प्रत्येक जन को शायद पहिला विचार आया होगा, परन्तु जिसने दूसरा विचार उठते ही छोड़ दिया होगा, इस ढङ्ग से मानों अभी तक किसी गिनती में नहीं थी और खास हमने उस पर

स्वार्थ का उद्देश्य धीर में नहीं आता तथ तक ऐसा चलता है, परन्तु जब यह धीर में आता है, तब उसका परिणाम यह निकलता है कि प्रकाश चाले राज्यतंत्र के किसी सरकारी अधिकार में जो सत्यानाशी चाल चलाने की आशा रखो जा सकती है, उसकी अपेक्षा अधिक वेधड़क और वेशरम सौदा चलने लगता है। इस स्वार्थ वृत्ति का सभा के बड़े भाग तक पहुंचना जरूरी नहीं है। किसी खास प्रसङ्ग में उसकी संरक्षा के दो या तीन में यैसी वृत्ति हो, तो यहुधा यथेष्ट है। याकी के किसी सभासद में सभा को ठीक रास्ते पर चलाने में जितनी रुचि होना सम्भव है, उसकी अपेक्षा इन दो तीन में उसे उलटे रास्ते ले जाने की रुचि अधिक होगी। सभा का बड़ा भाग स्वर्य सड़ा रह सकता है, परन्तु जिस विषय में उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसमें अपना मन सावधान या अपनी दृष्टि सूदम नहीं रख सकता और सुस्त मनुष्य की तरह बड़ा पक्ष भी, जो मनुष्य उसके साथ अधिक थम करता है, उसके बश में आ जाता है। मंत्रियों के खराब काम या खराब नियुक्ति को पार्लीमेंट रोक सकती है और अपना वचाव करने में मंत्रियों का और उन पर आक्रमण करने में प्रतिपक्षियों का स्वार्थ होने से किसी कदर समान चर्चा चलने का भरोसा रहता है। परन्तु सावधान को कौन सावधान करे ? पार्लीमेंट को कौन रोकेगा ? मंत्री या विभाग का प्रधान अपने को कुछ जिम्मेवार समझता है। ऐसे प्रसङ्ग में कोई सभा अपने को कुछ जिम्मेवार नहीं समझती। क्योंकि पार्लीमेंट के किसी सभासद ने सूदम ग्रवन्ध के विषय में दिये हुए मत के लिये कब अपनी जगह खाली रखी है ? मंत्री या विभाग के प्रधान के लिये यह जान रखना अधिक आवश्यक है कि उसके काम के बारे में तत्काल कैसा विचार होता है।

और उस से कुछ समय बाद ऐसा विचार होगा । परन्तु एक सभा, जब चाहे जैसी उत्तापली से मचायी हुई या चाहे जैसी कृत्रिम रीति से उसकायी हुई तात्कालिक पुकार उसके पक्ष में होती है, तो उसका चाहे ऐसा सत्यानाशी परिणाम हो, तो भी वह अपने को सम्पूर्ण रीति से दोषमुक्त हुई समझती है और प्रत्येक जन भी ऐसा ही समझता है । फिर सभा अपनी गरवाव कारखार्द की—जब तक वह सामाजिक शार्तें का कदरा धारण नहीं करती तब तक उसको—श्रद्धाचनों का अनुभव स्वयं नहीं करती । मंथ्री और प्रबन्धकता उसको आतंदेगते हैं और उन्हें उसे दूर करने का प्रयत्न करने के लिये सारी श्रद्धाचनें और मिहनत उठानी पड़ती हैं ।

प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों में प्रतिनिधि-सभा का यह ग्रास कर्त्तव्य नहीं है कि वह उसके विषय में अपने मत से निर्णय करे; यद्यपि जिनके द्वाध से उसका निर्णय होना है वे योग्य पुरुष हौं, इसकी सम्भाल रखना उसका कर्त्तव्य है । यह कर्त्तव्य भी यह स्थिर नियुक्ति ढारा पालन करने जाय, तो इसमें लाभ नहीं होने का । अमलों को नियुक्त करने से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके करने में अधिक स्पष्ट भाव से व्यक्तिगत जिम्मेदारी की प्रबल रुचि की जरूरत हो । राजकाज में प्रबन्ध प्रत्येक पुरुष के अनुभव से यह यात साधित होती है कि ऐसा कोई दूसरा फाम शायद ही होगा कि जिस के सम्बन्ध में साधारण मनुष्यों के मन को इससे कम गटका रहता हो । और जिसमें मनुष्यों को मिश्र मिश्र पुरुषों की योग्यता का भेद किसी कदर न जानने से और किसी कदर परवा न होने से उसकी अपेक्षा कम विचारा जाता हो । जहां कोई मंथ्री ऐसी नियुक्ति करता है, जिसको हम प्रामाणिक मानते हैं अर्थात् जब यह व्यक्तिगत या पक्षगत स्वार्थ के

लिये सौदा नहीं करता, यहां एक अनजान मनुष्य यह सोचेगा कि मैं सब से अधिक योग्य मनुष्य को यह पद देने का प्रयत्न करूँगा । यह कुछ यात नहीं है । एक साधारण मंत्री अगर एक योग्यता वाले पुरुष को या जिसे किसी कारण से जनता पर कुछ हक हो उस पुरुष को यह पद देगा, तो यह अपने को सद्गुण की मूर्त्ति समझेगा, चाहे यह हक् या योग्यता जैसी घावते हों, उस से उलटी ही क्यों न हो । “चाहता हो गणित-शास्त्री तब रखा जाय नाटकी” इस कहायत में फिगारो ० के समय को अपेक्षा आज भी मुश्किल से ही अधिक अतिशयोक्ति है । और नियत किया हुआ मनुष्य अच्छा नवनिया हो, तो मंत्री वेशक अपने को निर्दोष ही नहीं, वरंच गुणवान् समझता है । इसके सिवाय यास काम के लिये यास मनुष्यों को योग्य बनाने वाले गुण तो, जो उन मनुष्यों को जानता है या जो उनके किये हुए काम से या जो सोग उनके विषय में तुलना करने की हैसियत रखते हों, उनकी गवाही से उनकी परीक्षा और तुलना करने का काम ले बैठता है, वही जान सकता है । जो यड़े राज्याधिकारी अपनी की हुई नियुक्ति के लिये जिम्मेदार बनाये जा सकते हैं, वे जब इस सात्त्विक-धर्म की इतनी कम परवा रखते हैं, तब जिनको जिम्मेदार नहीं बना सकते,

\* बोमार्थे नाम के क्रांतीकी नाटककार के “सेविल का इजाम” और “फिगारो का ब्याह” नाम के दो प्रइतनों का नाटक । मामूली हैसियत के आदमी ने—पहिले इजाम और पीछे अर्दली होकर-जिससे काम पहा उस पर अपने बुद्धि-बल से सफलता पायी थी । कहा जाता है कि उस पात्र के रूप में नाटककार का उद्देश्य यह दिखाने का था कि क्रांतीकी राज्य-विप्लव से पहिले के क्रांतीकी राज्य की आम सभा दूसरी अपवाहिष्ठ रभा से भेड़ थी ।

उन सभाओं की यात फ्या कही जाय ? अब भी जो नियुक्ति प्रतिनिधि-समा में समर्थन पाने के लिये या विरुद्धता दूर करने के लिये को जाती है, वह सब से खराब होती है । वही नियुक्ति अगर स्वयं सभा करे, तो उसमें कैसी आशा रखी जा सकती है ? वड़ी समाएं कभी ग्रास योग्यता को कुछ परवा नहीं करतीं । अगर कोई मनुष्य फांसी की तिकड़ी के योग्य नहीं होगा, तो वह प्रायः जिन जगहों की उम्मेदवारी करने को बाहर निकलेगा, उन सब के लिये करीब करीब दूसरे मनुष्यों के बराबर ही योग्य समझा जायगा । उन ग्राम सभाओं की हुई नियुक्ति का निर्णय, जैसा कि प्रायः सदा होता है, पक्षपात या अपना स्वार्थ साधन के कारण से नहीं होता, तब वह जो निर्णय करती है । उसका कारण या तो यह होता है कि नियुक्त मनुष्य साधारण बुद्धि में अनेक बार अनुचित प्रतिष्ठा पाये रहता है या वह स्वयं लोकप्रिय है । इसके सिवाय और कोई अच्छा कारण नहीं होता ।

यह कभी उचित नहीं समझा गया कि मंडोसभा के सभासदों को भी पालींगट स्वयं नियत करे । उसका इनना ही निर्णय कर देना काफी है कि प्रधानमंत्री कौन होया चेदों, तीन पुरुष कौन हों, जिन में से प्रधानमंत्री चुना जाय । ऐसा करने से वह सिफ़ इतनो यात स्थीकार करती है कि जिस पक्ष की राज्यनीति द्वारा ( पालींगट का ) समर्थन करती है, उसका उम्मेदवार एक ग्रास पुरुष है । घान्तव में पालींगट जो निर्णय करती है, वह इतना ही कि दो या अधिक से अधिक तीन दलों या मनुष्य संस्थाओं में से कौन राज्य-प्रबन्ध चलाये । उनमें से कौन प्रमुख स्थान पर रखने योग्य है, इसका निर्णय तो उस दल की राय ही करती है । ब्रिटिश-राज्यतंत्र को घर्तमान चाल के अनुसार ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यह

विषय जैसा चाहिये, वैसे ही अच्छे पाये पर है। किसी मंत्री को पार्लीमेंट स्वयं नहीं नियुक्त करती, घरंच राजा पार्ली-मेंट की प्रगट की हुई साधारण इच्छा और वृत्तियों के अनुसार राज्यतंत्र के प्रधान को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। फिर राज्य-प्रबन्ध के दूसरे अस्थायी ओहदों पर योग्यपुरुष नियुक्त करने का अखण्ड धर्माभार प्रत्येक मंत्री के सिर पर है। जन-सत्ताक राज्य में कुछ और इंतजाम की ज़रूरत होगी; परन्तु यह इंग्लैण्ड में मुद्रत से प्रचलित चाल से जितनाही मिलता जायगा उतनाही उसका अच्छी तरह से चलना सम्भव है। या तो, जैसा कि अमेरिका के जनसत्ताक राज्य में है, प्रतिनिधि-सभा से कोई विलकुल स्वतंत्र सत्ता राज्यप्रबन्ध के मुखिया को छुने अथवा प्रतिनिधि-सभा प्रधान मंत्री को नियुक्त कर सन्तुष्ट रहे और प्रधान मंत्री को उसके साधियों और मातृ-हृत मनुष्यों को पसन्दगी के लिये जिम्मेदार घनावे। भविष्य में इन सब विचारों के सामान्य रूप से स्वीकृत होने की में पूरी आशा रखता हूँ। परन्तु व्यवहार में तो जिसके हाथ में सब से प्रबल सत्ता होती है, वह उसका बेहद उपयोग करने को अधिक ललचता है। इस साधारण नियम के कारण प्रतिनिधि-सभा को राज्य प्रबन्ध के सूबम विषयों में अधिक मगज मारने का बहुत चाह दोता है और प्रतिनिधि राज्य के भविष्य अस्तित्व के जिस व्यवहारी जोखिम का जो भय रहता है, उस में से एक यह है।

परन्तु एक यही संख्या की सभा प्रत्यक्ष व्यवहार की तरह प्रत्यक्ष कानून बनाने के लिये भी कम ही योग्य है। यह यात यद्यपि सिर्फ थोड़े समय से और धीरे धीरे स्वीकार की जाने लगी है तथापि 'यह 'विलकुल' सच है। कानून बनाने

का काम अनुभवी और अभ्यासी ही नहीं, यरंच सम्में और कठिन अध्ययन से शिक्षा पाये हुए मन के मनुष्यों द्वारा होने की जितनी जहरत है, उतनी और किसी तरह के मानसिक काम के लिये शायद ही जहरत होगी। यहुत थोड़े मनुष्यों की सभा विना, अच्छा कानून नहीं यह सकता। इसके लिये दूसरा कोई कारण न हो, तो इतनाही काफी है। कानून की दृष्टि एक दफ़ा का दूसरी दफ़ाओं पर जो असर होता है, उसको सूख यारीकी और दूरन्देशी से जांचकर पनाना उचित है। और कानून के यह जाने पर भी उस में ऐसी शक्ति होनी चाहिये कि यह पहिले के जारी कानूनों के मुआधिक आये। यह कुछ यह निर्णायक कारण नहीं है। जब किसम किसम के मनुष्यों पाली सभा में कानून दफ़ावार मंजूर किया जाय, तब इन शक्तों का किसी अंश में भी पूरा पढ़ना असम्भव है। हमारे कानून, स्वरूप और रचना, दोनों यह तक ऐसी पिचड़ी हो रहे हैं कि उनके ढंग में कुछ परिवर्द्धन होने से उसकी अन्यथस्था और पिग्नदत्ता में घटने पाला दृश्य असम्भव है। ऐसा अगर न होता तो कानून पनाने की ऐसी पद्धति की अयोग्यता की तरफ सय का मन पिंचे यिना न रहता। किर भी, हमारी कानून पनाने पाली यंत्र सामग्री को अपने काम के लिये पूरी नालायकी दर पर्याप्त अधिक अधिक अनुभव में आने लगी है। कानून के मसविदे को यथायिधि पार उतारने में लगे हुए एक समय के कारण ही पालमिण्ड टूटे छटके और मूल्म विषयों के सिवाय दूसरी यातों पर कानून पनाने को अधिक अशुल्क दोती जाती है। जब कोई ऐसा मसविदा तत्प्यार होता है, जिसमें किसी समूचे विषय से सम्बन्ध लगाने का प्रयत्न हुआ हो (और समूचा विषय इष्ट के सामने रखे दिना उसके किसी

भाग पर उचित कानून बनाना असम्भव है) तो उसका फैसला करने योग्य समय न मिल सकने से वह वारम्बार मुख्तयी हुआ करता है। उस मसविदे को, सब से योग्य गिने जाते हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने सभी साधनों और साहित्य की भी सहायता लेकर और उस विषय में अपनी प्रवीणता के लिये प्रसिद्ध पायी हुई शिष्ट सभाओं ने उस पर चर्चा चलाकर, सुगठित करने में वर्षों बिताया और विचारपूर्वक उसे रचा हो, तो भी कुछ बात नहीं। आम सभा अपने अनाड़ी हाथ से उस में तुक्काचीनी करने का अपना अनमोल हक्क छोड़ेगी नहीं, इससे वह मंजूर नहीं हो सकता। कुछ दिनों से कुछ कुछ यह रिवाज जारी हुआ है कि दूसरी पेशी में मसविदे का मूलतत्त्व प्रगट हो जाने पर वह पूर्णकृप से विचारने के लिये एक खास समिति को दिया जाता है; परन्तु इस रिवाज से कुछ, पीछे से समूची सभा की कमेटी ( कार्यकारिणी-सभा ) में मंजूर कराने में कम समय लगता नहीं जान पड़ा है; जो राय या तरंग ज्ञान के सामने नहीं टिकने पाती, वह अज्ञान की अदालत में फिर झोर लगाने का सदा आग्रह करती है। यह खास समिति का रिवाज भी अवश्य ही मुख्य करके अमीर सभा ने स्वीकार किया है। क्योंकि उसके सभासद प्रतिनिधि-सभा के सभासदों की अपेक्षा मगज लड़ाने में कम आग्रही और तत्पर हैं और व्यक्तिगत मत की कम परवा रखते हैं। और जब वहुत दफाएं वाला मसविदा सविस्तार आलोचित होने में सफलता पाता है, तब वह किस स्थिति में कमेटी से बाहर निकलता है, इसका यर्णन करना असम्भव है। जो दफाएं दूसरी दफाओं के अमल में लाये जाने के लिये आवश्यक हैं, वे ही निकल गयीं, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की या मसविदा को सूझाते रहने की

धमकी देनेवाले किसी तरंगी सभासद का समाधान करने के लिये कुछ येमेल दफाएं छुड़ गयीं। इस विषय को सिर्फ़ एक नाक से सूचे हुए किसी अर्द्धदण्ड की दरखास्त पर दरखास्त करने वाले या उसका समर्थन करने वाले सभासदों को तत्काल न सूझी हुई और उनकी डाली हुई गड़वड़ सुधारने के लिये दूसरी ही बैठक में तरमीम की दफा पेश करनी पड़ी। इस विषय की व्यवस्था करने की द्वाल की पद्धति का एक दोष यह है कि जिनके मन से वह मसविदा और उसकी भिन्न भिन्न धाराएं निकली होती हैं, उनको सम्भवतः सभा में स्थान न मिलने से वे अपना समर्थन और चाव करने का काम मुश्किल से ही कर सकते हैं। जिस मंथो या पार्टी-मेण्ट के सभासद पर उसके समर्थन का मार होता है, उसने उसको बनाया नहीं, उसे साफ़ दिखाई देने वाली दलीलों के सिवाय दूसरी धातों के लिये जवानदराजी पर भरोसा रखना पड़ता है, वह अपने विषय का सम्पूर्ण घल और उसके समर्थनकारी सब से श्रेष्ठ कारणों को नहीं जानता और अनसोचे उच्चों का जवाब देने में विलक्षण असमर्थ होता है। सरकारी मसविदे के सम्बन्ध में तो इस दोष का उपाय होना सम्भव है और किन्तु ही प्रतिनिधि राज्यतंत्रों में सरकार के विभास के मनुष्यों को दोनों समांगों में उपस्थित होने की अनुमति और मत देने का नहीं, तो योलने का हक़ देकर इसका उपाय किया गया है।

आम सभा (House of commons) का जो अव भी बड़ा भाग कभी तरमीम कराना या व्याख्यान देना नहीं चाहता, वह अगर अव से यह सोचे कि काम की सारी व्यवस्था जो लोग अपने हाथ में रखना चाहते हैं उनके हाथ में न रहने दें; वह अगर अपने मन में यह विचारे कि कानून बनाने के लिये धाचाल जिहा

और मत-समिति से चुनने की शक्ति की अपेक्षा अधिक थ्रेप्टु गुण विद्यमान है और ढूँढ़ने से मिल सकता है; तो शीघ्रही यह स्वीकार हो कि प्रबन्ध तथा कानून के विषय में भी प्रतिनिधि-सभा को, जो एक ही काम के लिये योग्य हो सकती है, स्वयं काम नहीं करना है, वरंच कराना है; किसको और कैसे मनुष्यों को वह काम -सौंपे, यह निश्चय करना है और तैयार होने पर राष्ट्रीय सम्मति देना या मौकूफ रखना है। एक ऊंचे दरजे की सम्भिता के योग्य राज्य-तंत्र को तो अपने एक मूल अंग के तौर पर कानून बनाने के नियमित अधिकार धाली कानून सभा के रूप में एक छोटी और अधिक से अधिक मंत्री सभा के घरावर सभासद्वाली समिति रखनी चाहिये। इस देश के कानूनों का पुनरवलोकन कर के शृङ्खलावद्ध स्वरूप में रखें और पेसा अवश्य शीघ्र ही होगा तो यह काम करने वाली कानून सभा उस पर निगाह रखने के लिये, उसमें दोष घुसने से रोकने के लिये, और जब जब जरूरतें मग्लूम हों तब अधिक सुधार करने के लिये, एक स्थायी विभाग के तौर पर रहनी चाहिये। यह तो कोई चाहेगा नहीं कि इस सभा को अपनी मरजी से कोई कानून बनाने का अधिकार रहे; कानून सभा, सिर्फ उसके गठन में कुशलता के तत्व का समावेश करेगी; संकल्प का तत्व तो पार्लीमेंट में ही रहेगा। पार्लीमेंट की साफ मंजूरी विना कोई भी मसविदा कानून नहीं हो सकेगा और पार्लीमेंट या प्रत्येक सभा को मसविदा रद करने की ही नहीं, वरंच पुनरवलोकन या सुधार के लिये उसे कानून सभा में धापस भेजने की सत्ता रहेगी। फिर प्रत्येक सभा अपनी आरम्भिक सत्ता के रूप से कोई विषय कानून सभा के सामने पेश कर उसका कानून बनाने की

सलाह दे सकेगी । अलवत्ता देश जो कानून मांगे, उस में हाथ लगाने से इनकार करने का अस्तियार कानून सभा को नहीं रहेगा । कोई सास उद्देश्य साधने के लिये मसविदा बनाने के विषय में, दोनों सभाओं के स्वीकार किये हुए परामर्श कानून सभा को मानने पड़ेंगे । नहीं तो वह अपने पद से इस्तेफा दायित करे । इतना होने पर भी जब मसविदा एक चार तथ्यार हो जाय, तब पालीमेण्ट को उसमें फेर-बदल करने की नहीं, बरंच उसे सिर्फ मंजूर या रद्द करने की सत्ता होनी चाहिये । अथवा जो भाग नापसन्द हो उसे फिर से विचारने के लिये कानून सभा के पास वापस लौटाने की सत्ता होनी चाहिये । कानून सभा के सभासदों को राजा नियुक्त करे, परन्तु उनका अधिकार किसी रास सुदृत तक हो, जैसे पांच वर्ष । फिर भी (जैसा कि न्यायाधीशों के विषय में है) उनकी ओर से अनुचित व्यवहार हो या वे पालीमेण्ट की आशा के अधीन होकर मसविदा बनाने से इनकार करें और इस कारण से पालीमेण्ट की दोनों सभाओं की ओर से विनती की जाय, तो उनको हटा सकें । जो अपना कर्तव्य पालने के योग्यन सावित हुआ हो, उससे छुटकारा पाने और सभा में नया और जवानी का जोश भरने का खुगम मार्ग पाने के लिये पांच वर्ष पूरा होने पर, जो सभासद फिर से न चुना जाय, उसका अधिकार बन्द होना चाहिये ।

एथिनियन जनसत्ताक राज्य में भी कुछ इस से मिलती जुलती धारा की जरूरत जान पड़ी थी । क्योंकि उसके सम्पूर्ण प्रभाव के समय में एकलीशिया या लोक-सभा सेफिज्य (यहुत करके राज्य-नीति के विषय में फुटकर यातों पर प्रस्ताव) मंजूर करती । परन्तु घास्तव में कानून तो प्रतिवर्ष यार यार नियुक्त होने वाली नोमोधीरी नाम की अलग और कम संख्या

की सभा ही बना या घटल सकती थी और समूचे कानून का पुनरबलोकन करने और उसका परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने का काम भी उसी का था । स्वरूप और तत्व दोनों में नया, ऐसा कोई प्रबन्ध अंगरेजी राज्य-तंत्र में दाखिल करना बहुत मुश्किल होता है । परन्तु चलते रीति रिवाजों का रूप पलट कर नया उद्देश्य साधने में अपेक्षाकृत कम विरोध होता है । मुझे ऐसा लगता है कि राज्यतंत्र की सम्पति में इस बड़े गुधार के घढ़ाने का उपाय अमीर सभा (House of Lords) की यंत्र सामग्री डारा हो सकेगा । मसविदा तैयार करने वाली (कानून) सभा कुछ स्वयं निराधित कानून के प्रबन्ध की व्यवस्थापक सभा या बोर्ड (Board) व्यवस्थापक सभा की अपेक्षा राज्यतंत्र में नया प्रचार करने वाली नहीं मालूम होगी । अगर इस काम की भारी आवश्यकता और महत्ता पर ध्यान रख कर ऐसा नियम बनाया जाय कि कानून-सभा में नियुक्त किया हुआ प्रत्येक सभासद जब तक पार्ली-मेण्ट की प्रार्थना द्वारा अधिकार से अलग न किया जाय, तब तक वह जिन्दगी भर अमीर (Lord) गिना जाय, तो सम्भव है कि अमीर सभा जिस अच्छी समझ और योग्यता से काम लेकर, अपना न्याय सम्बन्धी कर्तव्य खास करके कानून जानने वाले अमीरों के हवाले कर देती है, उसे वह राजनीतिक मूल तत्व और लाभ सम्बन्धी प्रश्नों के सिवाय कानून बनाने का काम व्यवहार कुशल कानून बनाने वालों के हवाले करने में लगा देगी । ऊपर वाली (अमीर) सभा में छिड़ने वाले सभी मसविदे उनके हाथ से बनेंगे; सरकार अपने सारे मसविदे बनाने का काम उन्हें साँपेगी और आम सभा (House of Commons) के मैर सरकारी सभासदों को भी धीरे धीरे यह मालूम पड़ेगा कि वे भी अगर अपना मसविदा तैयार कर सीधे सभा

के सामने पेश करने के बदले, कानून सभा के पास राय के लिये भेजने की परवानगी हासिल करेंगे, तो सुवीता होगा और उनकी दरखास्त आसानी से मंजूर होने की सम्भावना रहेगी। क्योंकि सभा को अपनी तरफ से सिर्फ कोई विषय नहीं, वरंच जब कोई सभासद यह सोचे कि वह स्वयं कोई खास दरखास्त या सविस्तर कानून का मसविदा तैयार करने को शक्तिमान है, तब वह दरखास्त या मसविदा भी उस सभा के पास विचारार्थ भेजने की अवश्य ही छूट रहेगी; और जैसे कोई विषय कानून सभा के हाथ से निकलने पर किसी सभासद द्वारा उसके ऊपर लिपावट में पेश की हुई कोई तरमीम या उच्च होगा, तो वह सभा उसे कानून सभा के पास भेजेगी, वैसे ही वह इस तरह का हर एक मसविदा भी सिर्फ साहित्य की सामग्री के तौर पर और उस में समाये हुए लाभ की खातिर ही होगा, तो भी उसके पास अवश्य भेजेगी। सारी सभा की कार्य-समिति के हाथ से होने वाला मसविदे का फेर-बदल कानून न रद होने से नहीं, वरंच निरपयोग से यंद हो जायगा। और यह हर मारा नहीं जायगा, वरंच राजनियेंध आय रोकने का हर और राजनीतिक युद्ध की ऐसी ऐसी दूसरी सामग्री, जिसका उपयोग होना कोई देयना नहीं चाहता, परन्तु फ्या जाने विस मारे पर उसकी जरूरत पड़े, इस स्थाल से उसे कोई भी नहीं देना चाहता; उसके साथ एक ही आयुधशाला में ऊंचे पड़ा रहेगा। इसके ऐसे इन्तजाम से कानून यनाने का काम कुशल उदांग और खास अभ्यास तथा अनुभव के काम की अपने योग्य यदवी धारण करेगा और जन समाज की सबसे विशेषक स्वतंत्रता, अर्थात् अपनी पसंद के प्रतिनिधियों के भूर किये हुए कानून के अनुसार ही अपने ऊपर हुक्मत

चलाने देने की स्वतंत्रता, पूर्णतया बनी रहेगी और इस समय इसमें जो अज्ञान और चेढ़ा कानून बनाने की रीति के रूप में गम्भीर, परन्तु निवार्य विष्ण है, उनसे छुटकारा पा जाने पर अधिक कीमती होंगे।

चूंकि प्रतिनिधि समा राज्य-प्रबन्ध चलाने के काम के लिये जड़ से ही अयोग्य है, इस लिये उसका कर्तव्य यह है कि वह राज्य प्रबन्ध पर निगरानी और अंकुश रखे, उसकी कार्रवाईयों को प्रकाशित करावे; उनमें से जिंस फाररवाई पर कोई अनुष्ठय सन्देह करे, उसके विषय में खुलासा तौर पर कारण दियाने को लाचार करें। अगर वह निन्दा योग्य उहरे तो उसके लिये उल्लंघना दे और अगर राज्यतंत्र के अधिकारी अपने अधिकार का अनुचित उपयोग करें या उससे इस तरह काम लें कि वह जनता के हड़ संकल्प के विरुद्ध जाय, तो उनको अधिकार से अलग करे और उनके स्थान में स्वयं प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से नयी नियुक्ति करे। यह वेशक पुष्कल सत्ता है और इससे जनता की स्वतंत्रता की रक्षा यथेष्ट रीति से होती है। इसके सिवाय पार्लीमेंट को जो एक दूसरा अधिकार है, उसकी आवश्यकता इससे भी घट कर नहीं है; और वह है जनता की कष्ट निवारणी मण्डली और अभिप्राय समाज होना। इसकी रंगभूमि पर जनता का साधारण अभिप्राय ही नहीं, वरं उसकी प्रत्येक थेणी का यथासाध्य अपने में विद्यमान प्रत्येक नामी पुरुष का अभिप्राय भी सम्पूर्ण प्रकाश में आ कर विचार के लिये आहान करा सकता है; वहाँ देश का प्रत्येक मनुष्य अपने मर्न का विचार स्वयं जिस खूबसूरती के साथ प्रगट कर सकता है, उसी खूबसूरती से या उससे भी अद्वीती रीति से मिश्रों और पक्षपातियों के सामने ही नहीं; वरं विरुद्धवाद की कसौटी

पर कसे जाने के लिये प्रतिपक्षियों के सामने भी प्रगट करने योग्य कोई पुरुष मिल जाने का भरोसा किया जा सकता है; वहाँ जिसकी राय मंजूर नहीं होती, उसको भी यद जान कर संतोष होता है कि वह सुनी गयी है और मनमानी चाल से नहीं, चलिक जनता के बड़े भाग के प्रतिनिधि द्वारा वहुत थ्रेष माने हुए तथा इससे पसन्द किये हुए फारणों से वह नामंजूर की गयी है; वहाँ देश का प्रत्येक पक्ष या अभिप्राय अपना घल मंग्रह कर सकता है और अपने पक्षपातियों की संख्या या शक्ति के विषय में अपना अम दूर कर सकता है; वहाँ यह प्रगट होता है कि देश में प्रचलित अभिप्राय स्वयं प्रवर्त्तमान है और सरकार के सामने अपनी सेना व्यूह-वद्ध कर के खड़ा करता है और इस प्रकार अपना घल वास्तव में न घरत फर सिर्फ उसे दिखा कर उसे (सरकार को) पीछे पीछे हटने का भौका देता है और लाचार करता है; वहाँ राजनीतिक पुरुष अन्य किसी चिन्ह की अपेक्षा निश्चय पूर्वक विश्वास कर सकते हैं कि अभिप्राय और सत्ता के कौन कौन नव यढ़ते और कौन कौन लय होते जाते हैं और इस से वर्तमान आवश्यकताओं से ही नहीं, बरंतर यढ़ते गगों पर भी कुछ ध्यान देकर आगे कदम बढ़ाने को समर्थ होते हैं। प्रतिनिधि-समा के शत्रु अक्सर यह शिकायत करते हैं कि वह सिर्फ यातचीत करने और शोर गुल मचाने की जगह है। इस में पढ़कर भूल भरी हँसी की यात शायद ही कोई होगी। जब यातचीत का विषय देश के लिये बड़ा भारी राजनीतिक लाभ है और उसका प्रत्येक वाक्य राष्ट्र की किसी जमरी समा का या ऐसी किसी समा के विश्वास पात्र पुरुष का अभिप्राय प्रगट छरता है, तब मैं नहीं जानता कि प्रतिनिधि

सभा यातचीत में लगे रहने से बढ़कर और अच्छा काम क्या कर सकती है। जिस स्थान में देश के प्रत्येक लाभ और अभिप्राय के समुद्धर रहकर जोश के साथ भी विचार कर सकते हैं और उसको सुनने और मंजूर करने या नामंजूर करने का कारण स्पष्ट रीति से बताने को लाचार कर सकते हैं, वह स्थान और कोई उद्देश्य न साधता हो तो भी वह चाहे जहाँ हो, एक सब से आवश्यक राजनीतिक तंत्र है और स्वतंत्र-राज्यतंत्र का सब से मुख्य लाभ है। अगर 'किया ही न बन्द करदी जाय तो ऐसी यातचीत कभी घृणा की टट्ठि से नहीं देखी जायगी; और किया कभी बन्द नहीं होगी वशतें कि सभाएं जानें और स्वीकार करें कि उनका खास काम यातचीत और चर्चा करना है। परन्तु चर्चा का परिणाम जो किया है, वह सिन्धड़ी यनी हुई सभा का नहीं, बरंतर उसमें खास तौर पर शिक्षा पाये हुए पुरुषों का काम है और। सभा का उचित कर्तव्य यह है कि वह इस यात का ख्याल रखे कि वे पुरुष ईमानदारी और प्रचीणता से पक्षबंद किये जायें और निरंकुश छूट से सलाह देने और टीका-टिप्पणी करने तथा उस पर राष्ट्रीय अनुमति की अन्तिम मुहर लगाने या उसे रोकने के सिवाय उनके काम में अधिक दृस्तक्षेप न करें। लोक सभाएं स्वयं जो काम अच्छी तरह नहीं कर सकतीं उसे करने का—शासन करने और कानून बनाने का—जो प्रयत्न करती हैं और यातचीत में शर्च होने वाला हर एक घंटा असली काम में से खारिज होते रहने पर भी, अपने बहुतेरे कामों के लिये अपने सिवाय और कोई यंत्र सामग्री संग्रह नहीं करतीं, वह इस धास्तविक अंकुश के न रखने से ही। परन्तु जिस कारण से ऐसी सभाएं कानून बनाने वाली सभा के अयोग्य ठहरती हैं, उसी कारण से वे दूसरे

कामों के लिये अधिक योग्य उद्धरती हैं। जैसे, वे देश के सब से धेष्ठु मन का समूह नहीं हैं कि उनके अभिप्राय से राष्ट्र के अभिप्राय के सम्बन्ध में कुछ निश्चित अनुमान लगाया जा सके, परन्तु जब उनका योग्य रीति से ज्ञान हुआ रहता है, तब वे राज-काज में मत का कुछ भी अधिकार रखने वाली जनता की प्रत्येक थेणी की दुद्धि का अच्छा नमूना दिखाती हैं। उनका कर्तव्य यह है कि अमाव प्रगट करें, लोगों की जरूरतों का डंका बजावें और दोषे बड़े सब राजनीतिक विषयों में सब प्रकार के अभिप्रायों के लिये विस्तृत चर्चा का स्थान बनें और उसके साथ नुकाचीनी करके और अन्त में अपनी सहानुभूति रोक कर जो बड़े अधिकारी स्वयं प्रबन्ध करते हॉं या प्रबन्ध करने वाले फो नियुक्त करते हॉं उनको अंकुश में रखें। प्रतिनिधि सभाओं के कर्तव्यों की यह स्वाभाविक सीमा घटाये विना सामाजिक अंकुश का लाभ (जिस कदर मनुष्य कार्य व्यवहार की पंक्ति में चढ़ता जाता है और उलझन में फँसता जाता है, उसी कदर आवश्यकता में निरंतर बढ़ते हुए) चालाक कानून की रचना और राज्य-प्रबन्ध के इतने ही आवश्यक तत्वों के समागम में नहीं भोगा जा सकेगा। यह लाभ एकत्र पाने का एक ही उपाय है, वह यह है कि जो एक लाभ की जमानत देता है उस कर्तव्य को, जिसमें दूसरे की अवश्य जरूरत है उससे अलग करे, अर्थात् अंकुश और टीका टिप्पणी का काम प्रत्यक्ष कार्य-व्यवहार से अलग करे और पहिला काम पहुतों के (जनसमूह) के प्रतिनिधियों के सिर रखे तथा दूसरे के लिये खास तौर पर शिक्षा और अनुमय पाये हुए कुछ लोगों का निपुण ज्ञान और व्यवहार कौशल प्राप्त करके उन्हें राष्ट्र की कड़ी जघाय-देही के तले रखें।

जो कर्तव्य जनता की सर्वोपरि प्रतिनिधि-सभा के सिर पढ़ने चाहियें उनके विषय में उपर्युक्त विवेचन करने के बाद स्थानिक उद्देश्यों के लिये जो छोटी छोटी प्रतिनिधि-सभाएँ होनी चाहियें उनको खास तौर पर संौपने योग्य कर्तव्यों की जांच-पड़ताल करने की ज़रूरत जान पड़ेगी । और यह जांच-पड़ताल इस ग्रन्थ का एक आवश्यक भाग है । परन्तु कई कारणों से, कानून बनाने और जन-समाज के साधारण कार्य-प्रबन्ध के ऊपर सर्वोपरि सत्ता के तौर पर अंकुश रखने को नियुक्त इस महान् प्रतिनिधि सभा के सब से योग्य गठन के विषय में जब तक विचार करते हैं, तब तक के लिये इस जांच-पड़ताल को मुलतवी रखना जरूरी है ।

### छठवां अध्याय ।

#### प्रतिनिधि शासन के सिर का दोष और भय ।

शासन पद्धति की त्रुटियां अकारण या सकारण होती हैं । जब यह राज्य प्रबन्ध के आवश्यक कर्तव्य पालने के लिये अधिकारियों के हाथ में यथेष्ट सत्ता नहीं देती या पृथक् पृथक् नागरिकों की उत्साही शक्तियों और सामाजिक वृत्तियों को अभ्यास द्वारा स्थिलने नहीं देती, तब उसमें अकारण प्रृष्ठि है । परन्तु हमारी जांच-पड़ताल की वर्तमान स्थिति में इन दो में से किसी विषय पर वहुत फहने की जरूरत नहीं है ।

जनता में नियम जारी रखने के लिये और उन्नति-मार्ग खुला रखने के लिये यथेष्ट सत्ता सरकार के हाथ में न होने की सम्भावना किसी खास पद्धति के राजनीतिक गठन में नहीं, वरंच साधारणतः जंगली और 'जड़स्थिति' की जनता

में होती है। लोगों को जब जंगली स्थतंत्रता पर इतना अधिक प्रेम होता है कि उनको अपने हित की खातिर जितनी सत्ता के दश रहने की ज़रूरत है, उतनी वे बरदाश्त नहीं कर सकते, तब ( जैसा कि हम कह चुके हैं ) सामाजिक स्थिति अभी तक प्रतिनिधि-शासन के लिये तय्यार नहीं। जब इस राज्य-तंत्र के लिये समय आया होता है, तब सब ज़रूरी कामों के लिये सवोंपरि सत्ता के हाथ में यथेष्ट अधिकार आये विना नहीं रहता; और शासन विभाग को जा काफी सत्ता नहीं साँपी जाती उस का कारण सिर्फ उस के प्रति सभा की ईर्प्यावृत्ति ही हो सकती है। और यह वृत्ति भी, जहां शासन-विभाग को अधिकार से हटाने की सभा की सत्ता अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है, यही होती है। इस के सिवाय उस का अस्तित्व कभी सम्भव नहीं है। जहां जहां यह राजनीतिक सत्ता तत्वतः स्वीकृत होती है और व्यवहार में सम्पूर्ण प्रभाव शाली होती है, वहां इस बात का भय नहीं रहता कि सभा अपने मंत्रियों को वास्तविक अभीष्ट सत्ता चाहे जिस कदर साँपने में नाराज होगी; भय उलटे यह है कि यह सत्ता वह कभी बेहद खुशी से बेहद सीमा में न दे दे। क्योंकि मंत्री की सत्ता उसे मंत्री बनाने वाली और बहाल रखने वाली सभा की सत्ता है। इतने पर भी बहुधा यह सम्मावना रहती है कि अंकुश रखने वाली सभा पहिले सत्ता देने में उदारता दिखायेगी और पीछे से उस का अमल होते समय दस्तकेप करेगी; इकट्ठी सत्ता साँप देगी और प्रबन्ध के काम में यार यार टांग अड़ा कर टुकड़े टुकड़े कर के लौटा लेगी। परन्तु यह उस के लिये एक जोखिम है। राज्य-प्रबन्ध चलाने वाले पर टीका-टिप्पणी करने और अंकुश रखने के बदले राज्य प्रबन्ध का असली काम साधारण करने से होने वाले अनधी-

के विषय में पिछले अध्याय में पूरी आलोचना की गयी है। इस अनुचित इस्तवेप की हानिकारक प्रकृति का, सभा के मन में दृढ़ सामान्य निश्चय होने के सिवाय, इस से बचने का दूसरा कोई उपाय करना साभारिक रीति पर असम्भव है।

जनता के पृथक् पृथक् मनुष्यों की सात्त्विक और उत्साही शक्तियों को यथेष्ट अभ्यास न करने देने का जो दूसरा अकारण दोष राज्यतंत्र में हो सकता है, उसे निरंकुश राज्य के लालू-णिक दोषों का विवेचन करते हुए साधारण रीति पर दिखाया है। चूंकि जन-सम्मत राज्य की भिन्न भिन्न पद्धतियों में भेद होता है, इस लिये जिस में इस विषय में लाभ है वह पद्धति यह है—जो पद्धति एक और सब से कम मनुष्यों को मत देने के हक से घंचित कर के और दूसरी और गैर-सरकारी नागरिकों की सब थेलियों के लिये न्याय और शासन के काम में, जर्दातक कि दूसरे उतने ही आवश्यक उद्देश्यों में रुकावट न पड़े, सब से विशाल भाग लेने का मार्ग खुला छोड़ कर—जैसे जूरी (पंचायती) न्याय जारी कर, शहर सुधार के ओहदों पर नियत कर और सब से बढ़ कर यथाशकि समाचार-प्रचार और विचार की खतंत्रता देकर राज-काज का प्रबन्ध सब से अधिक विस्तार में फैलाती है कि जिस से क्रम से थोड़े ही मनुष्य नहीं, घरच किसी अंश में सारी जनता राज्य-शासन में हिस्सेदार हो और उस से मिलने वाली शिक्षा और मानसिक अभ्यास की भोक्ता बने, वह पद्धति इस विषय में लाभकारी है। इन लाभों का और जिस सीमा में रह कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये उस का, अधिक स्पष्टीकरण, हम जब तक शासन की सूचन वातों पर न आयें तब तक, मुलतवी रखना ही अच्छा है।

प्रतिनिधि-पद्धति और प्रत्येक पद्धति के सकारण दोष और

भय को दो भागों में घाँट सकते हैं। पहिला अंकुश रखने वाली संस्था में साधारण अव्वान और अधिक नरमी से कहें, तो अपूर्ण मानसिक गुण, दूसरा जनता के साधारण हित के साथ एक रूप न होने वाले लाभों के उस के बगू हो जाने का भय।

इनमें से पहिले, अर्थात् ऊँचे मानसिक गुणों में अपूर्णता के दोष के लिये, साधारण तौर पर यह सोचा जाता है कि 'प्रतिनिधि राज्य में दूसरे किसी की अपेक्षा उसकी सम्मानना अधिक है। एक योग्य जनसत्ताक राज्य की भी अदृढ़ता और अदूरदर्शिता न तुलना करने में निरंकुश राजा का उत्साह और शिष्टवर्ग की दृढ़ता और दूरदर्शिता यहुत बढ़ चढ़ कर समझी जाती है। फिर भी, वे सिद्धान्त, जैसा कि पहिली दृष्टि से दिग्गर्द देते हैं वैसी अच्छी नीव पर किसी तरह से नहीं हैं।

शुद्ध निरंकुश—स्वेच्छाचारी राज्य की तुलना में प्रतिनिधि राज्य इन दो विषयों में कुछ घटिया नहीं है। जंगली जमाने के सिवाय, जब घंघ परम्परा की राजसत्ता वास्तव में राजसत्ता ही होती है, कुछ वेषधारी शिष्टसत्ता नहीं होती, तब यह जनसत्ताक राज्य के लक्षणों में गिरी जाने वाली नव तरह की नालायकी में जनसत्ताक राज्य से यहुत बंड जाती है। मैं जो 'जंगली जमाने के सिवाय' कहता हूँ इसका कारण यह है कि जनता की असली जंगली अवस्था में, राजा में मानसिक और उत्साही शक्ति होने का यहुत भरोसा रहता है। उस की प्रजा और प्रजा के प्रबल पुरुषों के दृढ़ ढारा उस के निज के संकल्प में घार घार वाधाएं पड़ती हैं। जनता की स्थिति ऐसी नहीं होती कि राजा को मौज शौक करने का यहुत अवसर मिले, मानसिक और शारीरिक उत्साह, विशेष कर

राजनीतिक और सैनिक उत्साह उस की मुख्य प्रवृत्ति है; उप-द्रवी सरदारों तथा स्वच्छन्दी सहचरों के थीं उस को धोड़ी ही सत्ता होती है और उस में अगर निज का साहस, चंचलता और उत्साह अधिक न हो, तो उस की राजगढ़ी भी मुश्किल से ही बहुत समय तक निरापद रहती है। हमारे इतिहास के हेन-रियों \* एंडवर्डों † और दूसरे रिचार्ड ‡ के दुःखान्त परिणाम में और जोन \* और उस के निकम्मे उत्तराधिकारी \* \* के राज्यों को धराऊ लड़ाई और उपद्रव में यह बात दिखाई देगी। धर्म-विषय †† के अव्यवस्थित समय में भी कुछ उत्कृष्ट राज्यकर्त्ता ‡‡ परिजायेध, चौथा हेनरी और ग्यॉटेवल

\* हेनरी पाइला (११००-११३५) दूसरा (११५४-८९), चौथा (१३९९-१४२२) पांचवा (१४१३-२२), छातवा (१४८५-१५०९) यह बड़ा बहादुर और होशियार राजा था। † एंडवर्ड पाइला (१४८५-१५०९) तीसरा (१३२७-७७) चौथा (१४६१-८३) यह भी बड़ा बहादुर और चतुर राजा था ‡ (१३०७-२७) इसको इसके लड़के ने गहरे से उतार कर कैदखाने में दाढ़ दिया था और वहाँ मार डाला था। † (११९९-१२१६) लोगों ने इसका सामना करके इसे मदान् लेख (अंगरेजी स्वतंत्रता के आधार ला राज-लेख) लिखा लिया था। \* \* रूसके बाद गहरो पर बेठनेवाला हेनरी तीसरा (१२१६-७२) इसके समय में भी राज्य में बखेदा हुआ करता था, जब इसका लड़का एंडवर्ड (पाइला) बालिग होकर इसका नददार हुआ, तब उपद्रव रुका। † † धर्म सम्बन्धी उथल-पुथल अर्थात् कृस्तानी धर्म में से प्रोटेस्टेंट मत का निरुपन। ‡ ‡ परिजायेध इंगलैण्ड की रानी (१५५८-१६०३) इसने इंगलैण्ड को धर्म की लड़ाई से अवगत रखा, और स्पेन के राज्य

एडोल्फस हो गये; परन्तु वे यहुत कर के विपत्ति में पले थे और निकटस्थ उत्तराधिकारियों के अनसोचे अभाव से गदी पर बैठे थे, अथवा उन को अपने राज्य के आरम्भ में भारी फटिनाहयों का सामना करना पड़ा था। युरोपियन जीवन ने जब से सुव्यवस्थित दश्य धारण किया है, तब से वंश परम्परा के राजाओं में मध्यम से अधिक शक्ति अतिशय विरल हो गयी है और युद्ध और उत्साही प्रगति के विषय में साधारण औसत मध्यम से भी बढ़ कर है। असल में निरंकुश राजसच्चा तो अब (किसी चंचल प्रगति के जबरदस्त गजा के हाथ में कुछ दिन रहने के सिवाय) केवल स्थायी अधिकारीवर्ग के मानसिक गुणों द्वारा ही टिक सकती है। इसी और आस्त्रियन राज्यतंत्र और अपनी वास्तविक स्थिति में फ्रांसीसी राज्यतंत्र भी अधिकारियों के शिष्टराज्य है और राज्य का प्रधान तो मुरियों को पसन्द करने के सिवाय यहुत योड़ाही करता है। मैं उनके राज्यप्रबन्ध के नियमित क्रम के विषय में कहता हूँ। फ्यॉकि उनके कितने ही न्यास कामों का निर्णय अलवत्ता स्थामी की इच्छा ही करती है।

इतिहास में जो राज्यतंत्र कार्य-व्यवहार में अचल मान-

की बड़ी समुद्री चढ़ाई से बचाया—चौथा देसी कांस का राजा (१५८९-१६१०) यह बड़ा पराक्रमी और मुघारक राजा था। गोट्टेवल एडोल्फ, स्वीडन का राजा (१६११-३२) स्वीडन में सुधार किया, प्रोस्टेट की तरफ से जर्मनी में लड़ने गया था और दो बड़ाहयों में बड़ी यहादुरी दिखा कर विजय पायी थी।

\* अमीर जैसे ऊंचे दरबे के लोगों का राज्य—रोम का अनुसार अथवा शिष्टराज्य (इस्ती उन्‌से पूर्व ५१०-२७) वेनिस का शिष्टराज्य (६१७-१३०१)

सिक शक्ति और उत्साह के लिये प्रख्यात हुए हैं, वे शिष्टराज्य थे। परन्तु वे यिना किसी अपवाद के सार्वजनिक अधिकारियों के शिष्टराज्य थे। शासन-सभा ऐसी छोटी थी कि उसका प्रत्येक मनुष्य और अधिक नहीं तो प्रत्येक दल घाला मनुष्य राज-काज को एक असली धनंदा और अपनी जिन्दगी का मुख्य धनंदा बना लेने को समर्थ था और ऐसा ही करता था। जिन शिष्ट अभिजात राज्यों ने बहुत समय तक ऊँचे दरजे का राज्य चलाने की शक्ति प्रगट की है और राज्यनीति के अचल नियमों के अनुसार वर्तायि किया है, वे रोम और वेनिस के थे। वेनिस में यद्यपि हकदार दल की संख्या अधिक थी तथापि राज्यकार्य का ग्रास्तविक प्रबन्ध तो शिष्टवर्ग में से छोटे से शिष्ट दल के हाथ में विलकुल सिकुड़ा हुआ था और वे लोग अपनी सारी जिन्दगी राज्य-कार्य के अभ्यास और प्रबन्ध में अपेण करते थे। रोम के राज्यतन्त्र में हमारे जैसे खुले \* \* शिष्टराज्य का अधिक गुण था। परन्तु असल में राज्य करनेवाली सभा सिनेट \* \* (बृद्धसभा) तो उन्हीं मनुष्यों की बनी हुई थी जो अशक्ति और निष्फलता के अन्त में अपने सिर पर भारी जिम्मेवारी उठाने का जोखिम रखकर राज-काज किये रहते और राज्य का ऊँचा अधिकार भोगे रहते या भोगने की आशा रखते थे।

\* अर्थात् विषमे दालिल होने में इसी के लिये भी यर्थ न हो, उब अपनी योग्यता से दालिल हो सके। \* \* रोम में दो राज्य सभाएं थीं। एक साधारण काम के लिये उब रोमनों की छोट-सभा और दूसरी राज्य का प्रबन्ध चलानेवाली, अनुभवी और कुशल पुरुषों की बनी हुई सभा। इसमें मुख्य करेक बूढ़े मनुष्य दालिल होते थे, इससे वह सिनेट अर्थात् बृद्ध-सभा कहलाती थी।

जहाँ एक यार युद्ध-समा के समाप्ति दृष्टि कि उनकी जिन्दगी राज काज के प्रबन्ध के लिये अर्पण हो चुकी; उन्हें किसी राज-काज के लिये याहर जाने के सियाय इटली छोड़ने की भी अनुमति न थी। और आगर उनकी प्रतिष्ठा में दाग लगाने याले किसी लदांग या यर्ताय के लिये बेन्मर उनको युद्ध-समा में पहिले ही निकाल न देते, तो उन की मत्ता और जिम्मेवारी जिन्दगी के अन्त तक रहती। ऐसे गठन घाली शिष्टममा का प्रत्येक समाप्ति, जो जन सत्ताक राज्य का स्वयं प्रबन्ध करता, उस के मान-और प्रतिष्ठा में और उस के मश्यविरें में जो माग लेने को समर्थ होता, उस में अपना व्यक्तिगत महत्व पूर्णकृप में बंधा हुआ समझता। यह मान और प्रतिष्ठा नागरिकों की साधारण सभा की उपनिवेश और मुग सम्पत्ति से विस्तुल मिश यम्नु थी और यहुधा उस ने विस्तृ ही होती थी। परन्तु उस में राज्य की याहरी विजय और विज्ञार का निकट स्वयन्वय था; और इस में इतिहास ने गोम और वेनिस के शिष्टराज्यों को विवेक-मंगुक राज्यनीति और राज्यप्रबन्ध के लिये व्यक्तिगत महान् शुक्रि का जो उचित मान दिया है, यह उन्होंने प्रायः यही उपदेश मिल करने में दिमाया था।

इस प्रकार मानूम होता है कि प्रतिनिधि राज्य के सियाय राजसत्ता या शिष्टमत्ता के स्वरूप के जिन राज्यतंत्रों में कौन्ची राजनीतिक कुशलता और शुक्रि अपयाद कृप नहीं वर्त्त बाधारण थी, ये सब यास्तव में अधिकारी तंत्र थे। राज्य-प्रबन्ध का काम राज्य प्रबन्ध के गोजगार यात्रों के हाथ में था और यह अधिकारी तंत्र का मूल तत्त्व और भाव है। ये उस काम में शिक्षित हैं, इस में उस काम को करते हैं अपया यह काम उन को करता है, इस से ये उस की शिक्षा

ग्रहण करते हैं। इस से यहुत विषयों में स्थूल भेद पड़ता है, परन्तु राज्यतंत्र के तात्त्विक लक्षण में कुछ भी नहीं। इस के विरुद्ध, इंगलैण्ड जैसे शिष्ट राज्य में, जहाँ जिस दल के हाथ में सत्ता आती, वह उसे उस में खास शिक्षा लिये रहने के कारण या उस में अपना सारा समय पूर्णरूप से लगाये रहने के कारण नहीं, वरंच सिर्फ़ अपनी सामाजिक पदवी के कारण मिलती थी (और इस से जहाँ वे उस सत्ता को सब नहीं वरंच शिष्टसभा के आधार से बने हुए प्रतिनिधि-तंत्र की मार्फत अमल में लाते थे) वे मानसिक गुणों के विषय में जन सत्ताक राज्य के हुंग पर थे; अर्थात् उन्होंने जो ये गुण कुछ भी अधिक दिखाये हैं, तो उस समय जब किसी मनुष्य ने शिष्ट-पदवी के साथ महान् और लोकप्रिय बुद्धि-बल द्वारा सातकालिक सत्ता सम्पादन की थी। येमिस्टोक्लिस और पेरिक्लेस,

\* येमिस्टोक्लिस (ईस्वी सन् से पूर्व ५३०-४७) जकर्सन की बड़ी ईरानी चढ़ाई से अपनी असाधारण बुद्धि के बल से ग्रीस को बचाने वाला और एथेन्स का किला बनाने वाला। पेरिक्लेस ग्रीस में एथेन्स को सब से बड़ा बनाने वाला और पीछे से स्थाई इत्यादि की चढ़ाई में उस की रक्षा करने वाला। यह एक बड़ा भारी बच्चा और राजनीति-कुशल पुरुष था और एथेन्स में इस के प्रबन्ध काल में विद्या और कला पराकाशा को पहुंची थी। ईस्वी सन् से ४२९ वर्ष पहिले मरा। बार्किंगटन (१७३२-१९) युनाइटेड स्टेट्स को स्वतंत्र कर उस में जनसत्ताक राज्य स्थापन करने वाला मुख्य सेनापति और १७९६ ईस्वी तक राष्ट्र-पति। जेफर्सन (१७४३-१८२५) अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा रचने वाला। पेरेस में पलची, बीशागटन के अधीन राज्यमंत्री और १८११ से १८०८ तक

वाशिंगटन और जेफर्सन अपने अपने जन सत्ताक राज्यों में ग्रेट्रिटन के शिष्टसत्ताक प्रतिनिधि राज्य चेथम और पील से अथवा फ्रांस की शिष्ट सत्ताक राज-सत्ता के सली और कोल-चर्ट से भी कुछ अधिक उत्कृष्ट अपवाद थे । अर्थात् युरोप के शिष्ट राज्यों में एक महान् मंत्री प्रायः एक महान् राज्य के इतना ही विरल चमत्कार है ।

इस से राज्यतन्त्र के मानसिक गुणों के विषय में जो नुलना करना है, वह जनसत्ताक प्रतिनिधि-राज्य और अधिकारी राज्य के बीच में । दूसरे राज्यतन्त्रों का विचार छोड़ सकते हैं । यहाँ हमें यह स्वीकौर करना चाहिये कि कितने ही आवश्यक विषयों में अधिकारी राज्य बहुत घड़ा घड़ा है । यह राज्यतन्त्र अनुभव का संचय करता है, अच्छी तरह परीक्षित और विवेचित रिवाजी नियमों का सम्पादन करना है और जिसके हाथ में चस्तुतः कार्य प्रबन्ध है उस में उचित व्यवहारी ज्ञान संग्रह करता है । परन्तु पृथक् पृथक् मनुष्य के मानसिक उत्साह के लिये वह एक समान अनुकूल नहीं है । अधिकारी राज्य को जो रोग सताता है और वहुधा उस का अन्त करता है, वह रिवाज का रोग है । वह अपने राष्ट्रसंति । चेथम ( १७०८-७८ ) इंगलैण्ड का एक महान् वक्ता और चतुर मंत्री । इस के मंत्रित्व में इंगलैण्ड की सर्वत्र विजय हुई थी और फ्रांस का अमेरिकन टापू लीत लिया गया था । पील ( १७८८-१८५० ) इंगलैण्ड संरक्षक पक्ष का नेता होकर भी इसने बहुत मुशार किये थे और अन्न की आमद के ऊपर का मारी कर उठा दिया था । चलो ( १५५९-१६४१ ) फ्रांस के द्वीय हेनरी का कोपाध्यक्ष । इस ने देश में कर आदि के सम्बन्ध में बहुत मुशार किये और राजा और राज्य का बहुत अच्छी तरह सेवा की थी ।

रिवाजी नियमों की निश्चलता से नए होता है और विशेष कर के इस सार्वत्रिक नियम के अनुसार कि जो जो चीज़ें रिवाजी बन जाती हैं, वे सब अपना जीवन-सत्त्व यो देती हैं, और अपने अन्दर आप फड़कता हुआ चैतन्य न होने से यंत्र की तरह धूमती रहती हैं। तथापि उनका उद्देश्य जो काम करना है वह यिना किये पढ़ा रहता है। अधिकारी राज्य हमेशा आडम्यरी राज्य हो जाने का रख रखता है। जब वास्तव में राज्य अधिकारी मण्डल का होता है तब ( जैसा जेस्टिको में था ) मण्डल के प्रभाव से उसके विशिष्ट समासदों की विचक्षणता दब जाती है। दसरे धन्दों की तरह राज्यप्रबन्ध के धन्दे में भी अधिक थ्रेणी का इतनाही विचार होता है कि जो सीखा हो वह करे; और उस में अपूर्व बुद्धि विचक्षणता चाले मनुष्य के विचारों को शिक्षित मध्यम पुरुषों के रोधक प्रभाव पर विजय पाने को समर्थ करने के लिये जनसम्मत राज्यतंत्र की ज़रूरत है। ( किसी महा विचक्षण निरंकुश राजा के अचानक प्रसङ्ग को न गिनें तो ) जन-सम्मत राज्य तंत्र में ही सर रोलेएड हिल १२ डाक विभाग पर विजय पा सके। उनको डाक विभाग में नियुक्त करनेवाला और इस मनुष्य में जिस उत्साह और अपूर्व बुद्धि विचक्षणता के साथ खास ज्ञान था, उस से प्रेरी हुई गति के अधीन होने के लिये सारी संस्था को अपनी मरजी के बाहर लाचार करने वाला प्रतिनिधि राज्य ही था। यह स्पष्ट है कि अधिकारी राज्य

\* ( १७८८-१८५० ) इन्होंने १८४० में डाक विभाग में चिक्की के लिये एक पेनी का टिकट जारी कराया। इस से पहिले की दर बहुत ज्यादा होने से बहुत कम आमदनी होती थी। आज कल तो इसका भी भाषा लगता है।

की इस लाक्षणिक उपाधि से जो रोमन शिष्ट राज्य बचा सो उसकी जन-सम्मति के तत्व से । सभी यास अधिकार-वुद्ध सभा (सीनेट) में दैठने पा एक देनेवाले सभी यास अधिकार और वृद्धसभा के सभासद जिसे पाना चाहते थे, वे अधिकार भी लोकनियांचन से दिये जाते थे । रसी राज्यतंत्र अधिकारी राज्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का लाक्षणिक दृष्टान्त है । युग सुग पी अच्छा दृढ़ता से अनु-सरण की हुई एकही दंग की चारखाएं साधने के रोमन सरकार आप्रह में अमल में लाये हुए उसके निर्दारित नियम, उन चारखाओं के पीछे साधारण ताँर पर लगे रहने पी जानने योग्य फुशलता; सारी सभा की अचल विरक्षता एक मनुष्य द्वारा चालित उत्साह पर अन्त को विजय पाने के चारण; दिसी मन्त्रकल्पशील सम्राट् की गिरंकुश सत्ता से भी चालिगाई से दृष्टे योग्य या कभी न दृष्टे योग्य भीतर से सड़ा और सुधार के लिये यादर से हांनेवाले प्रश्न के प्रतिस्थायी और सुगठित विरोध । चीरी राज्यतंत्र जो मांटरिनों \* का अधिकारी राज्य है, घह जहां तक मालूम है, उसके अनुसार इन्हीं गुणों और दोरों का दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टान्त है ।

सभी मनुष्य व्यवहार में परस्पर विरोधी सत्ताएं अपने अपने यास उद्देश्यों के लिये भी एक दूसरे को जागृत और चार्य-समर्थ हथने के लिये आवश्यक है, और एक दूसरे के आनुपंगिका दो अच्छे उद्देश्यों में से अगर एक के लिये दूसरे को अलग और स्वतंत्र करें, तो उसका परिणाम ऐसा नहीं निकलता कि एक पी ऐदद गृहि और दूसरे पी दानि हां, परंतु जिस की इस प्रकार स्वतंत्र सम्भाल की जाती है, उसका भी लय

\* चीरे के कौजो और मुद्दों दार्किम ।

और नाश दोता है। देश के लिये जो कुछ काम स्वतंत्र राज्य-  
तंत्र कर सकता है, वह शिक्षित अधिकारियों का राज्यतंत्र  
नहीं कर सकता। शायद वह सोचा जाय कि जो कई काम  
स्वतंत्र राज्यतंत्र स्थापना कर सकता, उन्हें करने को वह  
समर्थ नहोगा, तो ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि उन लोगों  
को अपना काम प्रभावशाली या स्थायी बनाने को शक्तिमान  
दोने के लिये स्वतंत्रता के याहरी तत्व की ज़रूरत है। फिर  
स्वतंत्रता के साथ शिक्षित और कुशल प्रबन्ध समिलित  
करने का उपाय न किया जाय तो स्वतंत्रता अपना राय से  
अन्य परिणाम नहीं दिग्दा सकती और कितनी ही बार  
नष्ट हो जाती है। प्रतिनिधि राज्य के लिये किसी कदर तैयार  
जनता में प्रतिनिधि राज्य और सव तरह ने पूर्ण समझने  
योग्य अधिकारी राज्य के बीच में एक शाल का भी विचार  
नहीं किया जा सकता। किन्तु राजनीतिक नियमों का एक  
सव से आयश्यक उद्देश्य यह है कि पहिले के अनुकूल आने  
योग्य दूसरे का गुण उनमें प्राप्त किया जाय, अर्थात् सारी  
जनता के प्रतिनिधियों की समाजों के हाथ में ही हुई और  
उनके द्वारा यथार्थ रीति से अमल में आती हुई साधारण  
अंगुश-सत्ता की सहायता में एक दूसरे के जहाँ तक अनुकूल  
आये पहाँ तक एक, मानसिक, धन्दे के तौर पर शिक्षा पाये  
निपुण पुरुषों के कार्य-प्रबन्ध से रूप लाभ उठाया जाय।  
यथार्थ रीति में कहलाने वाला राज्य-प्रबन्ध का काम जो  
उसमें एक तौर पर शिक्षा पाने से ही अच्छी तरह किया  
जा सकता है, और राज्य-प्रबन्ध करने वालों को छुनने, निग-  
रानी करने और अङ्गरत पड़ने पर अंगुश लगाने का काम,  
जो योग्य रीति पर इस मामले में तथा दूसरे मामलों में भी  
काम करते हैं, उनके हाथ में नहीं, परंच जिनके लाभ के लिये

वह होना चाहिये, उनके हाथ में रहना चाहिये। इन दो कामों के बीच में पिछुले अभ्याय में आलोचित भेद की रेता स्वीकार करने से, यह उद्देश्य यहुत अंश में पूरा पड़ेगा। जिस काम में कुशलता दरकार है, वह काम जब तक कुशल पुरुयों द्वारा कराने को जनसत्ताक राज्य राजी नहीं होगा, तब तक कुशल जनसत्ताक राज्य प्राप्त करने की ओर डग नहीं बढ़ाया जा सकता। अपने खास काम के लिये अर्थात् निगरानी और अंकुश रखने के काम के लिये उचित परिमाण में मानसिक योग्यता प्राप्त करना जनसत्ताक राज्य के लिये कुछ थोड़ी यात नहीं है।

इतनी योग्यता किस तरह प्राप्त और स्थायी की जाय, यह प्रतिनिधि सभा के लिये अपने गठन का निर्णय करने में एक विचारणीय प्रश्न है। उसका गठन इतनी योग्यता प्राप्त करने में जिस कदर निष्फल होगा, उसी कदर यह सभा अपने पृथक् पृथक् शत्यों द्वारा शासन-विभाग के अधिकार में हाथ डालेगी, पह अच्छे मंत्री दल को दूर करेगी अथवा युरे मंत्री-दल को अधिकार देकर कायम रखेगी, उसके अधिकार का दुरुपयोग करने की ओर दृष्टि नहीं डालेगी या लापरवाही दिग्गज देखि से अपने अधिकार का उपयोग करने की चेष्टा करेंगे उनकी ओर से अपनी सहानुभूति दृटा लेगी; विदेश या स्वदेश—दोनों के सम्बन्ध में स्वार्थ, स्वच्छन्दी और उद्देश्य, अदूरदर्शी, अहान तथा एकपातपूर्ण राजनीति को उत्तेजन देगी या रखेगी; अच्छे कानून रद्द करेगी या युरे घनायेगी, नये दोष पैदा करेंगी या पुराने दोषों को दुराप्रह से पकड़े रहेगी और जहां साधारण न्याय लोक-वृत्ति के अनुकूल नहीं होगा, यहां पर शायद अपनी ओर के या अपने चुनने पालों के दृष्टिक या स्थायी

जोश में कानून को ताक पर रखने वाले कामों को मंजूर करेगी या उनकी ओर ध्यान नहीं देगी । प्रतिनिधि तत्व के जिस गठन से प्रतिनिधि-सभा में वांछित शान और बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, उस में प्रतिनिधि राज्य पर ऐसे ऐसे जोखिम आ पड़ते हैं ।

अब हम (वेनथम के जारी किये हुए उपयोगी शब्द में कहें तो) कृष्ट स्वार्थ के कारण अर्थात् जनता के साधारण हित के कमों वेश प्रतिकूल स्वार्थ के कारण प्रतिनिधि सभा में प्रेरित क्रिया-पद्धतियों के प्रचार से उत्पन्न दोषों की ओर आते हैं ।

यह बात सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि निरंकुश राजा के और शिष्ट वर्ग वे राज्यतंत्रों में विद्यमान दोषों का बड़ा भाग इस कारण से पैदा होता है । राज्य का स्वार्थ या शिष्ट वर्ग का संयुक्त या व्यक्तिगत स्वार्थ जनता के साधारण स्वार्थ के लिये जैसा यत्त्व चाहिये, उसके विरुद्ध यत्त्व से सघनता है; अधिक वे स्वयं ऐसा ही सोचते हैं । दृष्टान्त के तौर पर अधिक कर लगाने में सरकार का स्वार्थ है और अच्छे राज्य प्रबन्ध के लिये जरूरी खर्च चलाने योग्य कम कर लगाने में जनता का स्वार्थ है; लोगों पर निरंकुश सत्ता रखने और चलाने में, उन्हें राज्य-कर्त्ताओं की इच्छा और रुचि के पूर्ण रूप से अधीन होने को साचार करने में राजा का या राज्य करने वाले शिष्टवर्ग का स्वार्थ है और लोगों का स्वार्थ इसमें है कि राज्यसत्ता उनके ऊपर कम चले जो प्रत्येक विषय में भाज्य तंत्र की वास्तविक धारणा सम्पादन करने में प्रतिकूल न हो । राजा या शिष्टवर्ग का स्वार्थ इसमें है या दिखाई देता है या वे मानते हैं कि वे अपने ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी कभी न होने दें जिसको वे अपनी सत्ता के लिये भयदायक या अपनी मनमानी में घाघक समझें, और प्रजा का स्वार्थ इसमें है कि

प्रत्येक राज्याधिकारी पर और हर एक सरकारी पदाम और योजना पर टीका-टिप्पणी करने की पूरी साधीनता रहे । शिए (शिए पुरुषों की प्रधानता में चलाने पाले) राज्य या शिएसचाक साम्राज्य (ऐसे राजा का राज्य जिस की दुरुगत शिए पुरुषों द्वारा चलती हो ) में कितनी ही पार प्रभा को रखये गे अपनी जेव भरने पाले और कितनी पार अपने को दूसरे से अनें ओहरे पर चढ़ाने की तरफ अप्यायही पात दूसरे शब्दों में कहिये तो दूसरे को अपने ओहरे से गीचे उतारने की तरफ गम्भीरने पाले अनेक प्रफार के बैरवाडिप हफ़्र रखने गे शासक-दल का स्थार्थ है । जो सोग शासनुए होते हैं, और ऐसे शासन में असम्मुए होने की पहुंच सम्भायना है, उनको—जैसा कि कार्दिनल रिहेल्यू ० ने अपने प्रधानात लिए "राजनीतिक मरण" में लिया है,—मुद्दि और शिक्षा में गीचे के दरजे पर रखने गे, उनमें परम्पर फूट पढ़ाने और 'माता हांकर लाठी न मारे' इसके लिये पेहच सुखी होने से रोकने में भी राजा या शिएर्यगं का स्थार्थ है । अगर गदर गच्छे के अपने प्रथल प्रतिलार्थ न उत्पन्न हो, तो सिर्फ़ गतलप की दृष्टि से देखने में इन सब विषयों में राजा या शिएर्यगं का स्थार्थ है । जहाँ राजा और शिएर्यगं को रतनी पड़ी राता भी, पानी जनता की राय की परवान रती जाती, यहाँ फूट स्थार्थ ने ये सब दोष उत्पन्न किये हैं और अप भी उनमें से कितने ही दोष उत्पन्न किये जाते हैं । ऐसी अपस्था के परिणाम में दूसरे किसी यतांय की आशा रखना विषेष-विशेष है ।

राज-सत्ता या शिएराज्य के प्रसङ्ग में तो ये विषय बहुत

\* प्रांत का एक यहाँ ही प्रधीण और राजा की उस बहुत विवरणी ।

ग्रन्थक हैं; परन्तु कितनी ही बार यिना विचारे यह मान लिया जाता है कि इसी तरह के हानिकारक परिणाम जनसत्ताक राज्य में नहीं होते। जनसत्ताक राज्य को, जैसा कि साधारण रीति पर समझा जाता है, बहुमत का शासन मानें, तो वेशुक पेसा भी सम्भव है कि राज्य-सत्ता कभी कभी ऐसे पक्ष-स्वार्थ या वर्ग-खार्थ के हाथ में आ जाय कि वह सब के लाभ की निपटना भाव से रक्षा करने का दिखाई देता हुआ मार्ग छोड़कर उसके विरुद्ध यतांय की ओर भुक्ते। मान लो कि बड़ा भाग गोरों का और छोटा भाग हवशियों का है अथवा इसका उलटा है। इस दशा में क्या यह सम्भव है कि बड़ा भाग छोटे भाग के साथ एक समान न्याय करेगा? मान लो कि बड़ा भाग केवलियों का और छोटा नाम ग्रोटेस्टेंटों का है; क्या यहाँ वही भय नहीं है? अथवा बड़ा भाग अंगरेजों का और छोटा भाग आइचियों का है या इस का उलटा है; क्या यहाँ ऐसे अनर्थ की भारी सम्भावना नहीं है? सब देशों में अधिक संत्या गरीयों की होती है और छोटी मंख्या उनकी होती है जिनको उनका उलटा, अमीर कहते हैं। अनेक प्रश्नों में इन दो पक्षों में स्पष्ट स्वार्थ की प्रत्यक्ष विश्वस्ता होती है। हम यह सोचेंगे कि बड़ा दल इतना समझने को बुद्धिमान है कि जायदाद की सलामती कमज़ोर करना उसके लिये लाभदायक नहीं है और पंचायती लृप्त के काम से यह कमज़ोर होती है। तो भी क्या इस बात का भारी टर नहीं रहता कि वे लोग जिसको स्पष्टवर-सम्पत्ति कहते हैं, उसके मालियों पर और बहुत ज्यादा आमदनी वालों पर कर के घोड़ का अनुचित भाग डालेंगे या सारा घोड़ ही डालने में भी न चूकेंगे और फिर ऐसा करने के बाद यिना दिचके उसे बढ़ावेंगे और उसकी आय इस ढंग से खर्च करेंगे कि उससे मजदूर थे लोग

को ताम पहुंचे ? फिर चतुर कारीगरों की छोटी संख्या और अनाड़ी कारीगरों की बड़ी संख्या को लो; कितने ही रोज़-गारियों की पंचायतों के—अगर उनकी वहुत भूटी निन्दा न की गयी हो तो—अनुभव से देखा भय रखना ठीक जान पड़ता है कि एक समान रोज़ या माहवारी मुशाहरा लाजिमी कर दिया जायगा और फुटकर काम का, घंटेवार तलव का और थ्रेष शिल्प या वुद्धि का वढ़िया इनाम पाने को समर्थ करने वाली सारी रोतियां बन्द कर दी जायेंगी । हाथ से मेहनत करने वाले कारीगरों की राज्य बलाने वाली बड़ी संख्या में विद्यमान पक्ष-स्थार्थ की वृत्ति का बहुत स्वाभाविक ( मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि सम्भवित ) परिणाम यह होगा कि रोज़ बढ़ाने के, धन्दे में चढ़ा ऊपरी की हद बांधने के, और इलों पर तथा किसी तरह के विद्यमान धन्दे को बन्द करने के रूप वाले सब तरह के मुधारों पर कर या शर्त लगाने के—शायद विदेशी उद्योग की चढ़ा ऊपरी से देशी कारीगरों की रक्षा करने के भी कानून के क्ष से प्रयत्न होंगे ।

यह कहा जायगा कि इनमें से किसी विषय में सब से बड़े दल का असली स्थार्थ नहीं है: परन्तु इसका उत्तर में यह देता है कि मनुष्य-जाति का ज़िसमें असली स्थार्थ समाया हो उसके सिवाय दूसरे किसी विचार से अगर इसका वर्ताव नियमित न होना हो तो राजसत्ता, शिष्टराज्य इस समय जैसे सराव होते हैं वैसे सराव राज्य-तंत्र हो ही नहीं; क्योंकि यह दिखाने को बहुत मजबूत सबूत पेश किये जा सकते हैं और कितनी ही बार किये भी गये हैं कि राजा या राज्य करने वाली शिष्ट-समा जय चंचला, धनदान, मुधरी हुई और मनस्वी प्रजा पर न्याय और सावधानता पूर्वक शासन करती है, तब उसकी अवस्था बहुत अंश में ज्यादा दिलपसन्द हो जाती है ।

अपने स्वार्थ का ऐसा ऊँचा विचार कभी किसी राजा ने ही किया है। शिष्ट वर्ग के ऐसा करने का कोई दृष्टान्त जानने में नहीं आया है; तब इस मजदूर दल की ओर से अधिक ऊँची विचार पद्धति की फ्या आशा रख सकते हैं? उन लोगों के वर्ताव के सम्बन्ध में जो आवश्यक प्रश्न है वह यह नहीं कि उनका स्वार्थ क्या है परन्तु वे किस को अपना स्वार्थ समझते हैं; और जो काम दूसरा कोई सत्ताधिकारी अपवाद रूप प्रसङ्ग के सिवा नहीं करता और जिसकी उसकी तरफ से कभी आशा नहीं रखी जाती उसे साधारणतः यहुमत करेगा अर्थात् यह तात्कालिक और स्पष्ट स्वार्थ के विरोध में अपने असली स्वार्थ के अनुसार वर्ताव करेगा—ऐसा पक्ष भारण करनेवाले किसी भी राज्यनीतिवाद के विरुद्ध यह दलील निस्सन्देह है। इस विषय में अवश्य ही कोई सन्देह नहीं कर सकता कि ऊपर गिनाये हुओं में से यहुत से हानिकारक कृत्य और उनके सिवा दूसरे यहुत से उतने ही खराब कृत्य अनाड़ी कारीगरों के साधारण समूह को तात्कालिक लाभ दायर हो जायेंगे। यह यहुत सम्भव है कि इससे उस थेणी की सारी वर्तमान पीढ़ी का अपस्वार्थ सधे। उसका अवश्यम्भावी परिणाम जो उद्योग और उत्साह की शिथिलता और संचय करने के लिये बढ़ा हुआ उत्तेजन है, यह अनाड़ी कारीगर थेणी को एक ही जिन्दगी में समझा देना शायद कम ही सम्भव है। मनुष्य व्यवहार में कितने ही सबसे सत्यानाशी परिवर्तनों के अधिक स्पष्ट नात्कालिक परिणाम लाभदायक हुए हैं। सीजर \* के निरंकुश

धूरोम के जनसत्ताक राज्य के अन्त में जो सामूहिक स्थापित हुआ उसका पहला समूट सिजर कहलाता है।

राज्य की स्थापना से उस समय की पीढ़ी को बड़ा लाभ हुआ था । उसने घराऊ भगड़े बन्द किये; प्रांटर और प्रोक्सलों का जुलम और लूट बहुत कुछ बन्द कर दी; जीवन की बहुत कुछ शोभाओं को और राज्यनीति के सिवा दूसरे सब विषयों में बुद्धि विकसाने में सहारा दिया । उसने इतिहास के स्थूलदर्शीयाड़कों की कल्पना को चौंकाने वाली अपूर्व साहित्यशक्ति के कीर्तिस्तम्भ स्थङ्गे किये हैं; क्योंकि वे पाठक यह नहीं विचारते कि जो पुरुष आगस्टस के (तथा लोरेंजो डिमेडिसार्द और चौदहवें लुई के) निरंकुश राज्य के छत्र हैं वे सब आगले जमाने में गठित हुए थे । सैकड़ों धर्मों की स्वतंत्रता द्वारा प्राप्त किये हुए धन संचय और मानसिक उत्साह तथा धार्य-परता ने गुलामों की पहली पीढ़ी को लाभ पहुँचाया । फिर यहाँ से जिस शासन का आरम्भ हुआ उसका क्रमशः प्रभाय प्राप्त किए हुए सब सुधार परोक्ष रीति से यहाँ नक लय हो गये कि अन्त को जिस साम्राज्य ने हुनिया को जीत कर अपने अधीन किया था उसका सैनिक बल भी पूर्णतः इस प्रकार टूट गया कि जिन आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिये पहले तीन चार दस्ते फाफी थे वे उसके प्रायः सारे विश्वाल राज्य पर टूट पड़े और उसे अधीन करने को समर्थ हुए । इसनान धर्म द्वारा प्रेरित नयी जागृति ने ऐन मौके पर पहुँच कर कला और विद्या को नए होने से और मनुष्य जानि को शायद अनन्त अन्धकार में झूँयने से बचाया ।

जब हम मनुष्य इत्य के निर्णायक तत्व के तौर पर उसके किसी समूह अधिवा पृथक् २ मनुष्य के भी स्वार्थ के विषय में कहते हैं तब यह प्रश्न समूचे विषय का एक सब से कम आवश्यक भाग है कि एक निष्पक्ष दर्शक उसके स्वार्थ को क्या कहेगा । जैसा कि कोलेरिज कहता है, उद्देश्य

का मूल मनुष्य है, मनुष्य का मूल उद्देश्य नहीं है (अर्थात् जैसी प्रकृति का मनुष्य होगा वैसे उद्देश्य का अनुसरण करेगा कुछ उद्देश्य से उसकी अच्छी बुरी प्रकृति बदलने की नहीं) क्या करने में या किससे दूर रहने में मनुष्य का स्वार्थ है यह जिस कदर मनुष्य की प्रकृति के आधार पर है उस कदर किसी बाहरी विषय पर नहीं है। अगर तुम किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष स्वार्थ क्या है यह जानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी सदा की वृत्ति और विचारों का रूख जानना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ दो तरह का होता है। एक तो वह जिसकी वह परवा रखता है और दूसरा वह जिसको परवा नहीं रखता। प्रत्येक जनका मतलब का और वेमतलब का स्वार्थ होता है। जो प्रत्यक्ष स्वार्थ की परवा रखता है और दूर के स्वार्थ की परवा नहीं रखता वह अविचारी मनुष्य है। जब उस का मन अपने विचारों और इच्छाओं को सिर्फ पहले की ओर ढकेलता है तब किसी तरह दूसरा लाभ बहुत बड़ा ही हो तो क्या? जो मनुष्य अपनी खींचों मारता है और लड़कों को हेरान करता है उसको यह समझाना व्यर्थ होगा कि तुम उनके साथ प्रीति और माया से वर्ताव फरने पर अधिक सुखी होंगे। वह इस किस्म का मनुष्य होता कि ऐसा वर्ताव कर सकता तो अधिक सुखी होता; परन्तु वह इस किस्म का मनुष्य नहीं है और सम्मवतः अब उसके ऐसा होने का समय चला गया है। किन्तु यह जो कुछ है उससे अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के आनन्द और प्रीति में जितना लाभ पाने को समर्थ होता उसकी अपेक्षा उनके ऊपर अपनी हुक्मत चलाने का शौक पूरा करने और अपने भक्ति स्वभाव को स्वाधीनता देने में अधिक लाभ मानता है। उसको उनके आनन्द में आनन्द नहीं है और वह उनकी प्रीति की परवा नहीं रखता।

उसका पड़ोसी, जो इसकी परवा रखता है वह शायद इससे अधिक सुखी है; अगर यह बात उसे समझायी जाय तो उससे उलटे उसका केवल द्वेष और क्रोध अधिक बढ़ना सम्भव है। साधारणतः जो दूसरे मनुष्य के लिये, अपने देश के लिये परवा रखता है वह उससे जो परवा नहीं रखता, अधिक सुखी ननुष्य है; परन्तु जो मनुष्य अपने आराम या अपनी कमाई के सिवा दूसरे किसी की परवा नहीं रखता उसको इस सिद्धान्त का उपदेश देने से क्या फायदा है? यह दूसरे मनुष्यों की परवा रखना चाहे तो भी नहीं रख सकता। यह वैसा ही है जैसा घरती पर रंगनेवाले कीड़े को उपदेश दिया जाय कि तू गढ़ होता तो क्या हा अच्छा होना।

अब यह एक सार्वत्रिक अनुभव की बात है कि दो आलोच्य दुष्ट वृत्तियाँ अर्थात् मनुष्य का दूसरे लोगों के साथ जो साधारण स्वार्थ होना है उसको अपेक्षा अपना निजका स्वार्थ और परोक्ष तथा दूर के स्वार्थ को अपेक्षा प्रत्यक्ष और तात्कानिक स्वार्थ अधिक पसन्द करने की वृत्तियाँ सक्ता के उपयोग से विठ्ठल कर उकसती और पतनी रहने वाली खासियत हैं। मनुष्य या ननुष्य वर्ग जिस घड़ी अपने हाथ में सक्ता आयी देखता है उसी घड़ी से उस मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ और उस वर्ग का वर्गीय म्यार्थ उसकी दृष्टि में नवे ढंग का जहर बन जाता है। ये लोग अपने को दूसरों द्वारा पूजित होते देख कर स्वयं भी अपने को पूजने लगते हैं और दूसरों की अपेक्षा अपना संगुना मूल्य रखने का इक मिना हुआ समझते हैं। फिर उनको परिणाम की परवा न रख कर मनमानी करना सहज हो जाता है। इससे मनुष्यों की अपने से सम्बन्ध रखने वाले परिणामों पर भी गहरी दृष्टि रखने की देव परोक्ष रीति से नष्ट होती जाती है। सक्ता से मनुष्य

के विगड़ने की जो सार्वत्रिक लोकोक्ति सार्वजनिक अनुभव से बनी है उसका यह अर्थ है। प्रत्येक जन जानता है कि कोई मनुष्य अपनी स्वतंत्र स्थिति में रहने पर जैसा होता है और जैसा बताव करता है उसको देख कर यह अनुमान करना कि, वह सिंहासन पर निरंकुश राजा बन कर भी बराबर वैसा ही रहेगा और वैसा ही बताव करेगा, कैसी वेहदगी है। क्योंकि उसके जीवन के प्रत्येक प्रसंग से और आस पास के प्रत्येक मनुष्य से उसकी मानुषी प्रकृति के दुष्ट तत्व अंकुश में और वश में रहने के बदले सभी मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं और सभी अवसरों पर पलते हैं। जनसमूह या दूसरे किसी मनुष्य दल के सम्बन्ध में भी ऐसी आशा रखना ठीक उतनी ही वेहदगी समझी जायगी। उसके ऊपर जब बहुत प्रबल सत्ता होती है तब वह चाहे जितने नियम से और विवेक के वश रहता हो परन्तु जब वह स्वयं सब से प्रबल सत्ता रखता है तब इस विषय में उसका सम्पूर्ण परिवर्तन हो जाने की आशा रखनी चाहिये।

जैसे मनुष्य हों या शीघ्रता से जैसे हो सकते हों उसके अनुसार राज्यतंत्र का गठन होना चाहिये और मनुष्य स्वयं या उसका कोई दल जो सुधार अव तक ग्राम कर सकता है उसकी किसी अवस्था में जब वह सिर्फ अपस्वार्थ का विचार करता होगा तब उसको जो स्वार्थ भुक्तावेगा वह प्रायः पहली दृष्टि से ही प्रत्यक्ष और उसकी वर्तमान स्थिति पर ही असर करनेवाला होगा। मनुष्यवर्ग या संस्थाओं के मन और उद्देश्यों को जो वस्तु कभी दूर के या परोक्ष स्वार्थ की ओर प्रेरित करती है वह तो सिर्फ दूसरों के लिये और खास कर के उनका अनुसरण करनेवालों के लिये अर्धात् भविष्य पीढ़ी, स्वदेश या मनुष्य जाति में से किसी के भाष के लिये अनु-

कंपा या धर्मवृत्ति के आधार से बंधा हुआ प्रेम ही है। अगर कोई शासनपद्धति एक ऐसी शर्त चाहे कि साधारण मनुष्यों को अपने वर्तावि में, सर्वोपरि प्रेरक उद्देश्य के तौर पर यह उच्च क्रिया का नियम ही स्वीकार करना चाहिये तो उसका विवेक पूर्वक प्रतिपादन करना अशुक्य होजाय। प्रतिनिधि-शासन के लिये प्रस्तुत किसी जनता के नागरिकों में किसी कदर शुद्धि वुद्ध और निस्पृह सार्वजनिक उत्साह का भरोसा रखना ठीक है परन्तु इस गुण की और साथ साथ मानसिक विवेक की इतनी बड़ी आशा रखना हंसी कराने योग्य है कि कुछ सत्य का आभास देनेवाली परन्तु असल में भूठी दलील उनके अपने दल के स्वार्थ के विषय को पलट कर ऐसे स्वरूप में दिखावे मानो वह न्याय और साधारण हित की आज्ञा है तो उसके सामने भी वे गुण टिक सकेंगे। हम सब जानते हैं कि अब जो जो कृत्य जनसमूह के कलिपत लाभ के नाम पर सामने रखे गये हैं परन्तु दर असल अन्याय के कृत्य हैं उन में से प्रत्येक के समर्थन में कैसी कैसी सत्य का आभास फरानेवाली-भूठी दलीलें पेश की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि कितने अधिक मनुष्यों ने, जो दूसरे ढङ्ग से मूर्ख या दुष्ट नहीं हैं, राज्य प्राण रद करने की बात को उचित समझा है। हम जानते हैं कि कितने अधिक मनुष्य स्वयं शुद्धि और विशेष प्रमाण न रखने पर भी, यह सोचते हैं कि स्थावर सम्पत्ति के नाम से परिचित संचित धन के ऊपर कर का सारा बोझ पटक देना और जिनके बाप दादों ने तथा जिन्होंने स्वयं जो कुछ कमाया वह सब खर्च कर डाला उनको उनके इस विलक्षण व्यवहार के बदले में कर से बरी रखना बाजिय है। हम जानते हैं कि सब तरह की वसीयतों के विरुद्ध वसीयत करने के इस्तियार के विरुद्ध और एक मनुष्य की दूसरे पर

जो थ्रेष्टा दिखाई देती है उसके विरुद्ध कैसी मजबूत दलीलें और उन में सत्य का अंश होने से बहुत नाजुक दलीलें पेश की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान की प्रायः प्रत्येक शास्त्र की निरूपयोगिता कैसी आसानी से, इस रीति से कि जिस से जिस में ज्ञान नहीं है वे पूरा सन्तोष पायें, सिद्ध की जा सकती है। कितने आदमी, जो केवल जड़ नहीं हैं, यह सोचते हैं कि भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन निरूपयोगी है, प्राचीन साहित्य निरूपयोगी है, सारा पाण्डित्य निरूपयोगी है, कविता और कलाएँ निरर्थक और निर्जीव हैं और अर्थशास्त्र केवल अनर्थकारी है। समर्थ पुरुषों ने इतिहास को भी निरूपयोगी और अनर्थकारी कहा है। जिन्दगी के लिये जरूरी या इन्द्रियों के अनुकूल पदार्थों की उत्पत्ति करने के लिये बाहरी सृष्टि का अनुभव सिद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से उपयोगी है, उसके सिधा दूसरे किसी विषय की उपयोगिता न मानने को सहज भी उत्तेजन मिले तो लोग उस विषय को स्वीकारन करें, क्या यह सोचना उचित है कि जन-भूमूह के मन को जिस कदर शिक्षित समझ सकते हैं उस से भी कहीं बढ़ कर शिक्षित मन वाले मनुष्यों में भी ऐसी शुद्ध सूक्ष्म वुद्धि और अपने प्रत्यक्ष स्वार्थ से विरुद्ध विषय की ऐसी न्यायी गुणज्ञता होगी कि वे अपने हाथ में सत्ता आते ही अगर यह और दूसरी बहुत सी भूठी दलीलें उन पर दूसरी सब थ्रेणियों और भविष्य पीढ़ी की हानि कराके, अपनी स्वार्थी वृत्तियों और सझीएं विचारों को न्याय के विरुद्ध चलने को ललचाने के लिये सब तरफ से दबाव डालेंगी तो इन सब का त्याग करेंगे ?

इसलिये दूसरी सब शासनपदतियों का तथा जन-सत्ताक राज्य का एक सबसे बड़ा जोखिम सत्ताधारियों का

कृट स्वार्थ है। यह जो मिम कर्गीय लाभ का कानून बनाने का, प्रबल वर्ग के साम (असल में अमर करे चाहे नहीं तो भी) के लिये कलिपत और सारी जनता की सारी हानि करने वाले राज्य प्रबन्ध का है। प्रतिनिधि शासन के मध्यमें ऐष्ट गठन के निर्णय में विचारने योग्य एक सदस्य जहरी प्रश्न यह है कि इस दोष से बचने का अनुक उपाय किस तरह किया जाय।

राजनीतिक विचार से, जिनका एक ही कृट स्वार्थ हो अर्थात् जिनका सीधा और स्पष्ट स्वार्थ एक ही प्रकार के युद्ध हृत्यों की तरफ ढलना हो। उन पुम्हों की किसी भी संभावा को अगर हम वर्ग या श्रेणी मानें तो किसी भी वर्ग को अथवा जिनमें मेल होना सम्भव है उन वर्गों के किसी एक गुट को राज्यतंत्र में अधिक प्रभाव जमाने को समर्थन होने देना धाँचित उद्देश्य माना जायगा। जिस अर्थात् जनता में जाति, भाषा या राष्ट्र-वर्ग के कारण अपने ही अन्दर विभाग न हुआ हो उसके मुण्ड दो विभाग कर सकते हैं और वे अपने अन्दर आंशिक भेद होने पर भी एक प्रकार प्रत्यक्ष स्वार्थ के दो भिन्न कर्मों का अनुसरण करते हैं। हम इनमें (माधारण संवित शब्द में) एक पक्ष को मजदूर और दूसरे पक्ष को मजदूरी करानेवाला कहेंगे। मजदूरी करानेवालों पी श्रेणी में सिर्फ घंधे से अलग हुए धनाड्यों और मानदानी मिलकियतों के मालिकों का नहीं वरन् ये मय तरह की यही आमदनी याले रोजगारियों का—(जैसे कि शिष्टवृत्ति याले) जो अपनी शिक्षा और व्यवहार के विषय में धनवान मरीच हैं और जो उस श्रेणी में चढ़ने की आशा और आकांक्षा रखते हैं उनका—भी समावेश होना है। इसके विरुद्ध जो हक्क के दरजे की मजदूरी कराने वाले अपने स्वार्थ और शिक्षा के बन्धन

से स्वभाव शौक और उद्देश्य में, मजदूर दल सरीखे हैं वे और उनके साथ छोटे दुकानदारों का बड़ा भाग मजदूरों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे गठनवाली सामाजिक स्थिति में प्रतिनिधि शासन के वास्तव में सम्पूर्ण हो सकने और स्थायी रहने की सम्भावना सिर्फ तभी है जब उसकी रचनी ऐसी हो कि ये दोनों पक्ष—एक ओर अपने हाथ से मजदूरी करने वाले तथा उनके साथी और दूसरी ओर मजदूरी कराने वाले तथा उनके साथी—प्रतिनिधि तंत्र की व्यवस्था में वरावर समतूल आवें और प्रत्येक की अपनी सत्ता में पार्लीमेंट के मत का समान संख्या रहे; क्योंकि उनमें कुछ मतभेद पड़ने पर प्रत्येक पक्ष का यहुमत मुद्द्य करके अपने पक्षस्वार्थ से चलेगा तो भी प्रत्येक में एक छोटा दल होगा जो विवेक, न्याय और सवके हित के विचार से पक्षस्वार्थ के विचार को घटिया समझेगा और प्रत्येक पक्ष का यह छोटा दल विन्दु पक्ष के समूह से मिल जाकर अपने पक्ष की जो जो फरमाइशें पूरी होने योग्य नहीं जावेंगी उनको पूरी नहीं होने देगा। कुछ भी अच्छी रीति से व्यवस्थित जनता में सत्य और न्याय तथा साधारण हित की जो जय होती है उसका कारण यह है कि मनुष्य जाति के अलग और व्यक्तिगत स्वार्थ प्रायः इमेशा विभिन्न होते हैं; कितनों का खानगी स्वार्थ अन्यायपूर्ण होता है और कितनों का न्याय पार्ग में होता है। इससे जो यहुत ऊंचे उद्देश्य से चलते हैं वे म्यवं यद्यपि इतने थोड़े और कमज़ोर होते हैं कि वाकी के अधिक संख्यक के सामने कभी सफल नहीं हो सकते तथापि पूर्ण विवेचन और आनंदोलन करने के बाद जो खानगी स्वार्थ गला दल उनके विचार में सहमत होता है उसके पक्ष का उत्तराज् भारी करने को बहुधा अच्छी तरह समर्थ होते हैं।

प्रतिनिधि तंत्र की रचना ऐसी होनी चाहिये कि उसमें ऐसी व्यवस्था कायम रहे। भिन्न भिन्न पक्ष स्वार्थों में से एक को ऐसा प्रबल होजाने का मार्ग न रहना चाहिये कि वह सत्य और न्याय तथा विरुद्ध के पक्ष स्वार्थ पर बाजी मार ले। बानगी (प्रारंभेट) स्वार्थों में हमेशा ऐसा सामझस्य बना रहना चाहिये कि जिससे उनमें किसी के लिये ऐसी सम्मानना न रहे कि वह, जो लोग अधिक ऊंचे उद्देश्य और अधिक दूरदर्शिता से चलते हैं उनके घड़े भाँग को बिना अपने पक्ष में लिये सफलता प्राप्त कर ले।

### सातवां अध्याय ।

सच्चा और छूटा जनसत्ताक राज्य—सम्भावी प्रतिनिधि सम्भा और केवल बहुमत की प्रति-  
निधि सम्भा ।

हम ने देख लिया है कि जनसत्ताक राज्य में दो तरह के भय हैं—प्रतिनिधि समा में और उसके ऊपर अंकुश रगने वाले लोकमत में घटिया दरजे की बुद्धि होने का भय और एक ही वर्ग के मनुष्यों के बने बहुमत की तरफ से वर्ग-लाभ का कानून बनाने का भय। अब हम को यह विचारना है कि ऐसे जनसत्ताक राज्य की रचना करना कहाँ सक सम्भव है कि जिसमें जनसम्मत राज्यतंत्र के लाल्हणिक लाभों को वास्तव में वाधा डाले यिना यथा साध्य पूर्णरूप में ये दो भारी दोष दूर हो अथवा कम तो अवश्य हों।

यह उद्देश्य साधने की साधारण रीति यह है कि मत देने के दृष्ट पर कमोदेश अंकुश डालकर प्रतिनिधि समा के लोकमत सम्बन्धों तत्त्व की सीमा धाँध दें। परन्तु जो एक दूसरा विचार

पहले से करना है उसको अगर हमेशा ध्यान में रखें तो जिन अवस्थाओं के लिये ऐसी शर्त लगाना आवश्यक समझा जाता है वे यहुत बदल जायगी । जिस जनता में एक ही वर्ग की यड़ी संख्या होती है उसमें पूर्ण कर से समान जनसत्ताक राज्य कुछ खास दोषों से नहीं बच सकता । परन्तु इस समय जो जनसत्ताक राज्य विद्यमान हैं वे समान नहीं हैं बरंत नियम पूर्वक सत्ताधारी वर्ग के पक्ष में रहनेवाले असमान हैं, और इस से दोषों में यहुत वृद्धि होती है । दो भिन्न भिन्न भावनाएं यहुत करके जनसत्ताक राज्य के नाम पर बदनाम होती हैं । जनसत्ताक राज्य की व्याख्या के अनुसार उसका युद्ध भाव है समस्त जनता पर समस्त जनता द्वारा समानता से चुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य । साधारण तौर पर जैसा समझा जाता है और अब तक व्यवहार में आता है उसके अनुसार जनसत्ताक राज्य तो समस्त जनता पर सिर्फ उसकी अधिक संख्या द्वारा अपने में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य है । इनमें से पहला सब नागरिकों की समानता का अनुकरण करता है परन्तु दूसरा जिस विलक्षण रीति से उसके नाम पर चलता है वह तो जिस अधिक संख्या को राज्य में वस्तुतः मत देने का कुछ भी हक है उसके लाभ का हक सम्बन्धी राज्य है । इस समय जिस रीति से मत लिया जाता है उसका यह अनिवार्य परिणाम है और इससे अनेक वर्गों के मत के हक का पूर्ण रूप से लोप होता है ।

इस विषय में विचार की उल्लभन भारी है, परन्तु यह ऐसी आसानी से सुलझायी जा सकती है कि हर कोई समझलेगा कि यह विषय महज मामूली सूचना के साथ किसी भी साधारण वृद्धि के मनुष्य के सामने असली रूप में रखा जा सकता है । ऐसा हो सकता है परन्तु सभाव के प्रभाव से नहीं

होने पाता; क्योंकि इस प्रभाव के कारण जो मामूली से मामूली विचार होगा उसको भी दिल में यिटाने में, बहुत उलझन के विचार के समान ही, फठिनाई पड़ेगी। छोटे पक्ष का घड़े पक्ष के और छोटी संख्या का घड़ी संख्या के अधीन होना पर्दिचित विचार है और इससे मनुष्य यह सोचते हैं कि हमें अपनी युद्ध से कुछ विशेष काम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगता कि छोटी संख्या को घड़ी संख्या के इतना प्रबल होने देने तथा छोटी संख्या को विलक्ष्ण निकाल डालने के बीच में भी कोई, विचला, रास्ता है। असली परामर्श में लगी हुई प्रतिनिधि सभा में तो अलवत्ता छोटे पक्षकी हार होगी और समान जनसत्ताक राज्य में (जब मतधारी आप्रह करते हैं तथ उनके अभिप्राय से प्रतिनिधि संस्था का अभिप्राय बनता है इससे) जनता का घड़ा पक्ष अपने प्रतिनिधियों के ढारा छोटे पक्ष और उसके प्रतिनिधियों से मत में बढ़कर उन पर विजय पायेगा परन्तु इससे क्या यह मतलब निकालना होगा कि छोटे पक्ष को प्रतिनिधि विलक्ष्ण चाहिये ही नहीं ? घड़े पक्ष को छोटे पक्ष पर विजय पाना है इसलिये क्या घड़े पक्ष को सभी मत मिलना चाहिये और छोटे पक्ष को एक भी नहीं ? क्या यह आधश्यक है कि छोटे पक्ष की यात भी न मुनी जाय ? इस अकारण अन्याय के विषय में अगर किसी विचारशील मनुष्य के मतका समाधान हो सकता है तो सिर्फ अन्यास और पूर्व संसर्ग में, और किसी तरह नहीं । असली समान जनसत्ताक राज्य में प्रत्येक या किसी घर के असमान नहीं समान परिमाण में प्रतिनिधि होंगे। मतधारियों के छोटे पक्ष के प्रतिनिधियों की संख्या भी हमेशा छोटी होती है; उनको घड़े पक्ष के बराबर ही यथोपरिमाण में प्रतिनिधि मिलने चाहियें। नहीं तो यह समान

राज्य नहीं, असमान हक का राज्य है। जनता का एक भाग याकी भाग पर दुकूमत चलाता है; सभी न्यायी राज्यनीति के विरुद्ध और सबसे यढ़कर समानता को अपना मूल और आधार मानने वाले जनसत्ताक राज्य के मूलतत्त्व के विरुद्ध, उसमें जो एक धर्म है उसपरो प्रतिनिधि तत्त्व में उसका उचित और समान भाग नहीं दिया जाता।

इस अन्याय और मूल तत्त्व के विच्छेद से हानि उठाने वाला वर्ग छोटा है इससे वह कम दोष का पात्र नहीं है, क्योंकि जहाँ जनता का प्रत्येक मनुष्य दूसरे किसी मनुष्य के बराबर नहीं गिना जाता वहाँ समान मत-हक नहीं है। परन्तु नुकसान अकेले छोटे धर्म का नहीं होता। ऐसे गठन वाला जनसत्ताक राज्य जिन सब विषयों में राज्यसत्ता यदुमत को देने का विचार रखता है वे भी उससे पूरे नहीं होते। वह इससे यदुत कुछ भिन्न ही करता है। वह इस सत्ता को अपने पक्ष में से यदुमत को देता है और यह अन्तिम यदुमत समस्त जनता में छोटी सख्ता भी दो सकती है और अक्सर होती है। सब मूल तत्त्वों की अन्तिम प्रस्त्रों में प्रभावशाली परीक्षा की जाती है। तो अब मान लो कि देश में समान और सर्वेत्रिक मत से राज्य प्रबन्ध चलता है और प्रत्येक मतसमिति में चढ़ा ऊपरी से चुनाव होता है तथा प्रत्येक चुनाव में कुछ अधिक यदुमत विजय पाता है। इस प्रकार चुनी हुई पार्लीमेंट की प्रतिनिधि सभा मामूला से विशेष अधिक यदुमत द्वारा मनोनीत नहीं है। यह पार्लीमेंट कानून यनाना शुरू करती है और कुछ ही अधिक यदुमत से ज़रूरी काम करती है। इसका क्या सधूत है, कि यह काम जनता के यदुमत की इच्छागुसार है? प्रायः आधे मतधारी चुनाव के स्थानमें द्वारे हुए होते हैं इससे निर्णय-

पर उन का कुछ अधिकार नहीं चलता । और जिन प्रतिनिधियों ने इस काम को भंजूर किया है उन के विरुद्ध मत देने से वे सभी इस काम के विरुद्ध हो सकते हैं और उन के बड़े भाग का विरुद्ध होना ही सम्भव है । याकी मतधारियों में से लगभग आधे ने प्रतिनिधि चुने हैं जिन्होंने कल्पनानुसार इस काम के विरुद्ध मत दिया है । इस से जो राय सफलता पा चुकी है वह यद्यपि देश के नियमों ने जनता के जिस विभाग को शासनकारी दल बनाया है उसके बड़े घर्ग की है तथापि वह समस्त जनता के छोटे घर्ग के ही अनुकूल हो सकती है और यह असम्भव नहीं है । अगर जन सत्ताक राज्य का यह अर्थ हो कि घटुमत का घेघड़क प्राश्वल्य रखा जाय तो कुल पर प्रत्येक फुटकर अंक एक समान दिसाय में लिये यिना यह अर्थ सिद्ध नहीं होने का । अगर कोई भी छोटा घर्ग जान वूझ कर या यन्त्र के चलाने में छूट जाय तो उस से बड़ा घर्ग नहीं घरंच तराजू के दूसरे किसी भाग में मौजूद छोटा घर्ग प्रथल हो जाता है ।

इस दलील का जो एक मात्र उत्तर किया जा सकता है वह यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न अभिप्राय प्रचल होने से जो अभिप्राय कितने ही स्थानों में छोटे घर्ग का होता है वह दूसरे स्थानों में बड़े घर्ग का होता है और मतसमितियों में जो जो अभिप्राय विद्यमान होते हैं उन सब को प्रतिनिधि सभा में मत की उचित संख्या मिलती है और मतसमितियों की घर्त्तमान स्थिति में यह बात एक प्रकार सच है । ऐसा नहीं तो देश के साधारण विचार से सभा की विरुद्धता शीघ्र स्पष्ट मालूम हो जाय । अगर दाल की मत समिति के विस्तार में विशेष वृद्धि की जाय तो फिर यह बात सच न रहे । और अगर यहाँ तक वृद्धि की जाय कि उस में

सारी वस्ती का समावेश हो तो उस से भी यहुत कम सम्भव है; क्योंकि उस दशा में हर जगह अपने हाथ से मजदूरी करने वालों का बड़ा पक्ष हो जायगा और ऐसा कोई प्रश्न छिड़ा हो जिस में इस घर्ग का याकी जनता से विवाद हो तो दूसरा कोई घर्ग किसी स्थान में प्रतिनिधि पाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। क्या इस समय भी यह शिकायत नहीं है कि हर एक पार्लीमेण्ट में मतधारियों का जो यहुत बड़ा भाग प्रतिनिधि पाने को इच्छुक और आतुर है उसका एक भी पेसा सभासद सभा में नहीं है जिस के लिये सब उस ने मत दिया हो ? यह क्या उन्नित है कि मेरिलीबोन् \* के प्रत्येक मत धारी को पेरिश के व्यवस्थापकों के मनोनीत किये हुए और फिन्सवरी या लेवेथ † के प्रत्येक मतधारी को (जैसा कि साधारणतः समझा जाता है) धर्मालयों के दो दो प्रतिनिधि स्वीकार करने को लाचार होना चाहे ? जिन † मतसमियों में देश के यहुत कुछ ऊँची शिक्षा वाले और उत्साही पुरुष आ जाते हैं वे अर्थात् वड़े शहरों की मत समितियाँ इस समय भी विना प्रतिनिधि के या भूटे प्रतिनिधि वाली हैं। जो मतधारी पक्ष राज्यनीति के विषय में स्थानिक बड़े विभाग से भिन्न और होते हैं उन के प्रतिनिधि नहीं होते। जो उसी पक्ष में होते हैं उन के बड़े भाग के भूटे प्रतिनिधि होते हैं; क्योंकि किसी मनुष्य का अभिप्राय उन से दूसरे सब विषयों में भिन्न रहता हा तो भी उस अभिप्राय को उस पक्ष की सब से बड़ी संख्या द्वारा समर्थित

\* लंडन के विभाग † सन् १८६७ और १८८४ के मुशार के बानून से पार्लीमेण्ट के गठन में इस का और दूसरे विषयों का सुधार हुआ है।

होने के कारण, उन लोगों को स्वीकार करने के लिए लांचार होता पड़ता है। कई तरह से छोटे वर्ग को यिलकुल मत देने न दिया जाय तो उस की अपेक्षा भी बहुत बुरा परिणाम होता है; क्योंकि उस दशा में इतना तो होगा ही कि जो मनुष्य उसमतव्य वर्डे वर्ग का विचार रखता होगा उसी को बड़ा वर्ग अपना समासद बनावेगा। परन्तु इस समय तो, ऐसा न हो कि प्रतिपक्षी युस जाय इस डर से अपने पक्ष में विभाग न करने की ज़रूरत होने से, जो मनुष्य उस का पट्टा थांध कर पहले ही सामने आता है अथवा जिस को उस के स्थानिक नेता आगे रखते हैं उस की ओर मत देने को सभी ललचते हैं। और ये नेता जिस प्रतिष्ठा के शायद ही योग्य होते हैं वह उन को दें अर्थात् यद सोचें कि उन की पसंद उन के निज के स्वार्थ में कुठित नहीं हुई है तो भी उन को अपना समझ यह एकज फरने में सफल होने के लिये, जिस उमेदवार के विषय में पक्ष का कोई भी मनुष्य भारी उच्च न उठावे अर्थात् जिस का अपने पक्ष को संबंध के सिवा और कुछ लाक्षणिक गुण या यास अभिप्राय जानने में न आया हो—उस मनुष्य को आगे रखने को लाचार होना पड़ता है। संयुक्त राज्य, अमेरिका में इम बात का विचित्र दृष्टान्त मिलता, है क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) के चुनाव के अवसर पर सब से भवल पक्ष कभी अपने में से सब से समर्थ पुरुष को सामने लाने की हिम्मत नहीं करता। इसका कारण यह है कि ऐसा पुरुष मुद्रत से लोगों की नज़र पर चढ़ा रहता है इस कारण अपने पक्ष के एक या दूसरे विभाग के उच्च उठाने योग्य बन गया रहता है। इस से जिस पुरुष के विषय में उमेदवार के तौर पर यड़ा होने से पहले, लोगों ने कुछ भी न सुना हो उस के बराबर उस सब से समर्थ पुरुष को सब का मत

अपनी ओर यीचने का भरोसा नहीं रहता। इस प्रकार सब से प्रथम पक्ष का पसन्द किया हुआ पुरुष भी शायद, जिस कुछ ही अधिक वहुमत से वह पक्ष सामने के पक्ष पर विजय पाता है उसी की इच्छाओं का वास्तव में प्रतिनिधि होता है। सफलता के लिये जिस विभाग के समर्थन की आवश्यकता होती है उस के हाथ में उमेदवार को रोकने की सत्ता है। जो विभाग अपनी पात पर दूसरे विभागों की अपेक्षा अधिक हठ से अड़ा रहता है वह दूसरों को अपनी पसन्द का मनुष्य स्वीकार करने को लाचार कर सकता है और दुर्भाग्य से जो लोग जनता के स्वार्थ के बदले अपने स्वार्थ के लिये ही अपने विचार पर अड़े रहते हैं उन में ऐसा हठ अधिक दियार्ह देना सम्भव है। इस से यह पक्ष में जो विभाग, सब से डरपोक, संकीर्ण हृदय और धदमी या केवल एर्ग स्वार्थ को ही सब से अधिक आग्रह से पकड़े रहने वाला होता है उसी के मतानुसार उस पक्ष की पसन्द का निर्णय ऐसा विशेष सम्भव है। ऐसी स्थिति में छोटे पक्ष का चुनाव का हक जिस उद्देश्य से मत दिया जाता है उन के लिये निनपयोगी होता है; इसके सिधा केवल यह पक्ष को अपने सब से निर्वल या ग्राह्य विभाग के उमेदवार को स्वीकार करना पड़ता है।

यहुत आदमी इन दोषों की पात स्वीकार करते हुए भी इन्हें स्वतंत्र राज्यतंत्र के लिये अनिवार्य भोग मानें तो कुछ आश्वर्य नहीं है। दाल तक स्वतंत्रता के सब मित्रों की यह राय थी; परन्तु इन दोषों को निमित्ताय समझ लेने की चाल ने ऐसी जड़ पकड़ ली है कि यहुत आदमी तो यह खपाल रखकर उसकी ओर दृष्टि करने की शक्ति ही पोछे हुए जान पड़ते हैं कि अगर हम से उपाय हो सके तो गुशी से करें।

उपाय की निराशा उत्पन्न होने पर रोग से ही इनकार करने के लिये अकसर एक ही कदम आगेवढ़ाने को रुद्ता है और इसके बाद जो कोई कुछ भी उपाय यताता है उससे ऐसा जीवनाहै मानो वह अनर्थ का उपाय यताने के बदले नया अनर्थ ही सुझाता है। लोगों को दायों का ऐसा घटा पड़ जाता है कि वे समझते हैं कि उनकी शिकायत करना पराय नहीं तो अनुचित है। इनने पर भी वह निवार्य हो चाहे अनिवार्य जिसके मन पर उनका वजन नहीं पड़ता और वे दूर किये जा सकेंगे यह जान कर जो गृह नहीं होता वह स्वतंत्रता का अन्ध भक्त है। अब इस बात में कुछ सन्देह नहीं है कि छोटे पक्ष को वस्तुतः खारिज कर देना स्वतंत्रता का आवश्यक या साधारण परिणाम नहीं है। इस बात से जनसत्ताक राज्य का कुछ भी सम्बन्ध होने के बदले यह जनसत्ताक राज्य के प्रथम मूलतत्व से, अर्थात् संघर्ष के परिमाण में प्रतिनिधि के तत्त्व ने विलक्षण यह है कि छोटे बगों को भी यथोष्ट प्रतिनिधि मिलें। इसके बिना असली जनसत्ताक राज्य सम्मय नहीं है। जनसत्ताक राज्य के भूते दृश्य के सिधा और कुछ सम्मय नहीं हैं।

जिन्होंने किसी अंश में इन दलीलों की सवालता देयी है और उसका अनुभव किया है उन्होंने इन दायों को थोड़ा यहुत दूर करने वाली भिन्न भिन्न युक्तियां यतायी हैं। लार्ड जान रसल \* ने अपने एक मुधार के ममविदे में ऐसी धारा रखी थी कि कुछ मनसमितियां तीन प्रतिनिधि जुनै परगतु उनका प्रत्येक

\* मुधारक दल के एक राजनीतिक नेता और दो बार इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ( १८४६-५२ और १८५५-६६ ) हरी का कहा दुमा मुधार का कानून १८३१ ईस्वी में बना था।

मतधारी केवल दो के लिये मत देने पावे। परन्तु कुछ दिन पहले मिंडिसरायली\* ने एक घहस में यह यात याद कराके उनको इसके लिये उल्हना दिया था; उनका अभिप्राय शायद यह था कि संरक्षक (फंसवैटिच) राजनीतिश केवल साधनों का विचार रखें और जिस पुण्यने एक यार भी साध्य का विचार रखने की भूल की हो उसके साथ कुछ भी यन्हुत्व रखने से गृणा सहित इनकार करना ही उचित है। † दूसरों ने यह

क्षु संरक्षक दल का अगुआ और इंग्लैण्ड का प्रधान मंत्री (१८६७-६८) और (१८७४-८०) पीछे से यह अलं आफ ब्रॉक्सफोर्ड के नाम से ल्वाई गये थे। १८५२ में संरक्षक मंत्रीदल में आयेनिवेशिक मंत्री थे।

न. मिंडिसरायली की यह भूल (जिसे बचने के लिये सर जन प्रेकिंग-टन इसके याद तुरत ही अलग हो गये और यह उनके लिये प्रतिष्ठा जनक था) एक प्रत्यक्ष दृष्टान्त दिखलाती है कि संरक्षक नेता संरक्षक पक्ष के मूल तत्वों को भी कितना कम समझते हैं। राजनीतिक पक्षों को अपने प्रतिद्वन्द्वी के मूलतत्वों को समझना और उनसे काम लने का योग्य समय जागना चाहिये अगर इतना सहुण और विवेक उनमें घासने की रैमत न करे तो भी इतना तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष अपने ही मूलतत्वों को समझे और उन पर चले तो भी बहुत सुधार हो। संरक्षक प्रत्येक संरक्षक-विषय के पक्ष में और सुधारक प्रत्येक सुधारक-विषय के पक्ष में मत दिया करे तो इंग्लैण्ड को वास्तविक लाभ हो। इसा हो तो प्रस्तुत और दूसरे बहुत से वक्ते प्रश्नों की तरह जो विषय रिमार्प्टः एक या दूसरे दोनों पक्षों से सम्बन्ध रखते हैं उनके लिये मैं मुदत तक इन्तजारी न करना पड़े। संरक्षक अपने वर्तमान नियमों के अनुसार ही सब से ज़ह वक्त जान पड़ते हैं, इससे इस प्रकार के

सलाह दी है कि प्रत्येक मतधारी सिर्फ़ एक के लिये मत देने पावे । इन दो में से चाहे जिस योजना से मत-समिति के एक सूतीयांश के बराबर का अध्यया उससे अधिक संख्यावाला छोटा पक्ष कुछ विशेष प्रयत्न न करे तो भी तीन में से एक सभासद चुन लेने को शक्तिमान होगा । जैसा कि मि० जेम्स गार्ड मार्शल ने एक प्रभायशाली पुस्तिका में यताया है, अगर मतधारी के तीन मत दोने पर भी सब एक ही उमेदवार को देने की जूट हो तो यही परिणाम और अच्छे ढंग से आवे । यद्यपि ये युक्तियाँ कुछ नहीं से कही अच्छी हैं । तो भी ये सिर्फ़ काम चलाऊ उपाय हैं और अपने विचार को “बहुत अधूरे ढंग से पूरा करती हैं । क्योंकि अगर स्थानिक छोटे वर्ग और भिन्न भिन्न मतसमितियों के छोटे वर्ग एक तिदार्द से कम होंगे तो सब मिलकर चाहे जितने बड़े हों तथापि विना प्रतिनिधि के रहेंगे । इतने पर भी यह ऐद की घात है कि इनमें से एक भी योजना काम में नहीं लायी गई; क्योंकि किसी एक से काम लेने पर सत्य तत्त्व का स्वीकार हुआ होता और उसके पूर्ण प्रयोग के लिये मार्ग खुला होता । परन्तु जब तक एक मतसमिति की साधारण संख्या के बराबर मतधारी देश के चाहे जिस विभाग में विभरे हुए हों, मगर उनके समूचे दल को जमा होकर अपना प्रतिनिधि पुगने का अधिकार न सब से बड़े दोषों के लिये वे जवाबदेन दोते हैं । और यह एक शाफ़-लनका सत्य वात है । कि जो विषय भाव में और दूरदृश्यता से भी संरक्षित होता है उसके सम्बन्ध में वो ही प्रस्ताव उठता है और उसके पक्ष में सुधारक भी मत देने को तथ्यार होते हैं तो उस समय एका होता है कि संरक्षित पक्ष का बहु समूद्र भैदिया घसान की ताह उस प्रस्ताव को स्वीकृत होने के रोक देता है । प्रत्यक्षार ।

मिले तब तक प्रतिनिधि तत्त्व की वास्तविक समानता नहीं कही जायगी । जब तक उक्त विशाल और साधारण विचार के लिये तथा सूदम व्यवहार सम्बन्धी विषयों की योजना के लिये पक्समान योग्य महा युद्धिमान पुरुष मिठामस हेयर ने प्रतिनिधि तत्त्व में इस दरजे तक सम्पूर्णता लाने के लिये पार्लीमेंट के कानून के मसविदे के रूप में एक योजना नहीं रची और इतनी सम्पूर्णता की शक्यता सिद्ध नहीं कर दी तब तक यह बात असाध्य लगती थी । इस योजना में जैसे सोचे हुए उद्देश्य के सम्बन्ध में, राज्यनीति का एक महान तत्त्व, सम्पूर्णता की पराकाष्ठा को पहुंचे इस रीति से साधन को लगभग दो आदर्श खूबियां हैं वैसे उसके साथ कुछ ही कम आवश्यक उद्देश्य भी प्रसंग वश पूरे होते हैं ।

इस योजना के अनुसार प्रतिनिधि तत्व का अंक, अर्थात् अपनी तरफ का एक समासद पाने के हकदार मतधारियों की संख्या और सत लगाने की साधारण रीति पर यानी समग्र मतधारियों की संख्या को सभा की बैठक की संख्या से भाग देकर ठीक करना चाहिये और जब उमेदवार को उतनी संख्या मिले तो वह संक्षिप्त चाहे जितनी भिन्न भिन्न मत मिलियां से जमा हुई हो तो भी वह उमेदवार चुना हुआ गिना जायगा । आजकल की तरह मत तो स्थान के हिसाय से दिया जाय परन्तु चुननेवाले को देश के किसी भाग से निकल आने वाले चाहे जिस उमेदवार के लिये मत देने की स्थानिकता रहे । इसलिये जो मतधारी किसी स्थानिक उमेदवार को प्रतिनिधि चुनने की इच्छा न रखते हों वे जिन्होंने समूचे देश से चुने जाने की इच्छा प्रगट की हो उन में से जो उन्हें अधिक एसन्ड आवे उसके चुनाव में अपने मत की मदद देने को समर्थ हो सकेंगे । इस प्रकार जो 'चुनाव घर'

चर्चमान पद्धति से घास्तप में मत के एक से यंचित होगया है उसको वास्तविक चुनाव का एक मिलेगा । परन्तु आयश्यक यात यह है कि जो लोग किसी स्थानिक उमेदवार के लिये मत देने से इनकार करते हों वे ही नहीं बर्च जो उन में से एक के लिये मत देते हैं और वह मत निपटल जाता है वे भी अपने जिले में प्रतिनिधि चुनने में सफलता न पाने पर दूसरे स्थान में चुनने में समर्थ हों । इसके लिये एक ऐसी धारा रखी है कि फोर्म मतधारी मतपत्र देते समय उन में अपनी पहली पसंद के पुण्य के साथ दूसरे का नाम भी लिख सके । उसका मत एक ही उमेदवार के लिये गिना जाय । अगर उसकी पहली पसंद का मनुष्य मत की उचित संरक्षण मिलने से चुनाव में सफलीभूत न हो तो शायद उसकी दूसरी पसंद अधिक भाग्यशाली निकले । यह अपनी पसंद की क्रमबाली सूची में नामों की संरक्षण अधिक यढ़ा सकता है कि जिस से, सूची के सिर पर रखा हुआ नाम उन्नित संरक्षण पा सके अथवा पाने में उस के मत की जहरत न रहे और उसका मत दूसरे किसी के चुनाव में मददगार हो सकता हो तो उसके पक्ष में गिनेजाने की छूट रहे । यहुत लोकप्रिय उमेदवारों के पक्ष में प्रायः सभी मतों का अभाव होने से रोकने के लिये तथा सभा की पूर्ति करने के निमित्त सभासदों की पूरी संरक्षण प्राप्त करने के लिये यह आयश्यक है कि किसी उम्मेदवार को चाहे जिनने मत मिलें उसके चुनाव के लिये यथोष्ट में अधिक मत हिसाय में न लिये जायें । जिन्होंने उन के लिये मत दिये हों उन में से याकी बचे हुओं के मत उनकी सूचियों में दिये हुए पीछे के नाम को यांद्वित हों और उस मदद से उस की उचित संरक्षण पूरी हो सकती हो तो वे मत उस के पक्ष में गिनेजायें । उमेदवार के पक्ष में दिये हुए कितने मत

उसके चुनाव के लिये रखे जायं और कितने मत याकी उमेदवार के लिये छोड़ दिये जायं इसका निर्णय करने के लिये कुछ युक्तियां बतायी गयी हैं परन्तु हम यहां उन बातों में नहीं पड़ेगे । जिनको और तरह से प्रतिनिधि न मिलता हो उन सब का मत तो उमेदवार को रहे और याकी के मत के लिये कोई घटिया रास्ता न मिलने पर चिट्ठी (लाटरी) डालने का ढँग उचित समझा जाय । सब मतपत्र एक सदर स्थान में ले जाकर गिनें, यहां हर एक उमेदवार के लिये पहला, दूसरा तीसरा आदि मत स्थिर करें और जब तक सभा की संख्या पूरी न हो तब तक जिनकी मत संख्या पूरी हो सकती हो उन की पूरी करें और उन में पहला दसरे से, दूसरा तीसरे से इत्यादि अनुक्रम से भत पसन्द करें । भत पत्र और सब हिसाब किताब प्रकाश्य भएडार में रखें और जिनका जिनका सम्बन्ध हो उन सब को बहां जाने दें । अगर कोई उमेदवार यथेष्ट भत पाने पर भी नियम पूर्वक निर्वाचित न माना गया होगा तो यह पात सहज में साधित करना उस के हाथ में रहेगा ।

इस योजना की ये दो मुख्य धाराएं हैं । इसकी यहुत सादी यंत्र-सामग्री के अधिक सूक्ष्म ज्ञान के लिये सुझे मिं० हेयर की (सन् १८५६ में प्रकाशित) “प्रतिनिधि निर्वाचन के विषय में निर्वध” \* और (इस समय केन्द्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक) मिं० हेनरी फोसेट †

\* क्षु दाल में छपी हुरं दूसरी आदान में मिं० हेयर ने कुछ उप-घाराओं में आवश्यक सुधार किया है ।

† पार्लियेण्ट का एक प्रारंभिक समाजद । यह अंधा था तो मी १८८० में सुधारक मंत्री दल में डाक विभाग का मंत्री बनाया गया था । इसका मुख्य ग्रप्त “अर्थशास्त्र का मूलतत्व” है । यह दिनदृश्यान के पक्ष में अहसर बोलता था ।

लिखित "मिं हेयर के सुधार सम्बन्धी मसविदे का स्पष्टीकरण और विवेचन" नामक पुस्तकों का हवाला देना चाहिये। दूसरी पुस्तक में इस योजना का यहुत स्पष्ट और संक्षिप्त विवेचन है, और इसमें मिं हेयर की जो कई धाराएँ स्वयं लाभदायक होने पर भी इस योजना की व्यवहारी उपयोगिता में वृद्धि करने की अपेक्षा उसकी सुगमता में अधिक दबल पहुँचाने वाली समझी जाती थी उन्हें वाद देकर इस योजना वो अपने सब से सादे स्वरूप में दिखाया है। इस अंथ का जितना ही अधिक मनन होगा उतना ही अधिक इस योजना की सम्पूर्ण सुगमता और परम उत्कृष्ट लाभ का विचार प्रबल होता जायगा; यह भविष्य वाली कहने की में हिम्मत करता है। इसके लाभ पेसे और इतने बड़े हैं कि मेरा इड़ निश्चय है कि, मिं हेयर की योजना राज्यनीति के सिद्धान्त और व्यवहार में अब तक के सुधारों में यहुत बड़ी गिनी जाती है।

पहले तो यह योजना मत समिति के प्रत्येक विभाग को संरक्षा के परिमाण में प्रतिनिधि दे देती है और सिर्फ बड़े पक्षों को तथा उनके साथ शायद कुछ यास्त स्थानों के बड़ी संरक्षा वाले छोटे पक्षों को ही नहीं, घरेंच समस्त राष्ट्र में विवरे हुए जो छोटे वर्ग समाज न्याय के नियम से इतनी बड़ी संरक्षा में हैं कि प्रतिनिधि पाने का हफरग्र सक्ते उनमें से प्रत्येक को भी। दूसरे, जैसा कि आज कल होता है, किसी मतधारी को स्वयं पसन्द न किये हुए नाम के प्रतिनिधि से सन्तुष्ट रहना नहीं पड़ेगा। सभा का प्रत्येक सभासद समस्त मत समिति के मत का प्रतिनिधि होगा। यह निर्दारित संख्या के अनुसार एक हजार या दो हजार या पांच हजार या दस हजार मत धारियों का प्रतिनिधि होगा और उनमें से प्रत्येक ने उसको केवल मत नहीं दिया होगा 'घरेंच मतधारियों ने अपने

स्थानिक याजार में पसन्द के लिये मुंह के सामने रखी हुई सिर्फ़ दो तीन और शायद सँडी हुई नांगियों में से चुनने के बदले उनको समूचे देश में से पसन्द किया होगा । इस से मतधारी और प्रतिनिधि के बीच में जो सम्बन्ध जुड़ेगा उसके बल और गुण का कुछ भी अनुभव हमें इस समय नहीं है । प्रत्येक मतधारी का अपने प्रतिनिधि से और प्रतिनिधि का अपने चुनने वाले से परस्पर ऐश्वर्य भाव बना रहेगा । प्रत्येक मतधारी ने किसी प्रतिनिधि को जो मत दिया होगा उसका कारण मानो यह होगा कि पार्लीमेंट के जिन उमेदवारों के बारे में मतधारियों की कुछ संख्या का अच्छा विचार होगा उन सब में वह प्रतिनिधि मतधारी का विचार सब से अच्छी तरह प्रगट करता होगा अथवा उसकी चतुराई और प्रतिष्ठा के लिये मतधारी के जी मैं सब से अधिक इज्जत होगी और उसको अपनी तरफ से विचार करने का काम सांपने को बहुत राजी होगा । इन दो मैं से कोई एक कारण होगा जो सभासद प्रतिनिधि होगा वह सिर्फ़ बाहर के हैंट पत्थरों का नहीं, बरंच मनुष्यों का-केवल पेरिश के थोड़े से व्यवस्थाएँ को या शिष्ट पुरुषों का नहीं बरंच सभी मतधारियों का प्रतिनिधि होंगा । इतने पर भी स्थानिक प्रतिनिधि तत्त्व में जो कुछ सावित रखने योग्य होगा वह साविन रहेगा । यद्यपि राष्ट्रीय पार्लीमेंट का केवल स्थानिक कार्यों से जहाँ तक हो कम सम्बन्ध रहना चाहिये तथापि जहाँ तक कुछ भी सम्बन्ध रहे जहाँ तक प्रत्येक आच-श्यक स्थानिक लाभ पर नज़र रखने के लिये यास सभासद नियुक्त होने चाहिये और होंगे ही । जो स्थान अपनी उचित संरक्षा अपने मैं से ही पूरी कर सकेगा, उसका बड़ा पक्ष साधारणतः अपने मैं से एक को, स्थानिक उमेदवारों में जो स्थानिक ज्ञान वाला और उसी स्थान में रहने वाला मिलः

ज्ञायगा और इसके साथ दूसरे तौर पर प्रतिनिधि होने के अधिक योग्य होंगा उसको अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनना पसन्द करेगा। मुख्य करके जो द्वाटा यर्ग होगा वह स्थानिक प्रतिनिधि चुनने में अग्रक होने से जिसको अपने सिवा दूसरा मन मिलना सम्भव होगा उस उमेदवार के लिये दूसरी जगह तज्ज्वला फरेगा।

जिन जिन पदतियों में गण्डीय प्रतिनिधि तत्त्व का गठन करना सम्भव है उन सब में इस पक के अन्दर प्रतिनिधि में वांछित मानसिक गुणों की सबसे अच्छी जमानत मिल जाती है। इस समय, मन-हक में सब की दायित्व करने से, जिसमें केवल शुद्धि और गुण होते हैं वैसे किसी पुरुष का आम सभा में प्रविष्ट होना दिन दिन कठिन होता जाता है। उन्हीं मनुष्यों का चुना जाना सम्भव है जिनकी स्थानिक पहुँच होती है या जो गृह पैसा बच्च कर अपना उल्लं सीधा कर लेने हैं अथवा जिनको दो में से यड़ा राजनीतिक पक, यद समझ कर कि ये हमारे मन की मव अवसरों पर भगोसा रहेंगे, अपनी लुन्दन की मण्डली में से तीन बार दुकानदार या थक्कील के आमंत्रण में भेजता है। मिठे यरकी पदनि के अनुसार जिनकी स्थानिक उमेदवार पसन्द नहीं होंगे या जो स्वयं जिम स्थानिक उमेदवार को पसन्द करने होंगे उसे चुनने में सफलता न पाने होंगे वे उमेदवारों की मूर्ची में जो गण्डीय प्रतिष्ठायाले होंगे और जिनके माधारग राजनीतिक सिद्धान्त अपने अनुकूल होंगे उन सब में से पसन्द करके अपना मनष्य भरने को भव्य होंगे। इससे जिन्होंने किसी तरह आदर पूर्वक प्रतिष्ठा पायी होगी वैसे प्रायः सब पुरुष यदि स्थानिक प्रमाण से रहित होंगे और किसी राजनीतिक पक से घस्तादर्ती वर्ती कस्तम न किये रहेंगे तो भी उन

को अपनी यथोष्ट संख्या पूरी करना सम्भव होगा । और ऐसा उत्तेजन मिलने से ऐसे पुरुष अब तक स्थग्म में भी न मिली हुई वड़ी संख्या में सामने आ सकेंगे । स्थतंश्र विचार के जो सैकड़ों समर्थ पुरुष अपने लेख से या किसी सार्वजनिक उपयोग के विषय में अपने प्रयत्न से राज्य के प्रायः हर एक जिले में कुछ पुरुषों द्वारा प्रसिद्ध हुए रहते हैं उनके किसी भी मत समिति के बहुमत से चुने जाने की कुछ भी सम्भावना नहीं होगी परन्तु उनके लिये प्रत्येक स्थान में जो मत दिया जाय वह अगर उनके चुनाव के लिये गिना जा सके तो वे चुनाव की सरया पूरी करने में समर्थ होंगे ।

फिर चुनाव की इस पद्धति में आम सभा के बुद्धि चल के नियम में जो बुद्धि होगी वह सिर्फ छोटे पक्ष के मत से नहीं होगी । बड़े पक्ष को भी बहुत ऊंचे दरजे के सभासद ढूँढ़ने को लाचार होना पड़ेगा । जब बड़े पक्ष में विद्यमान मनुष्यों को स्थानिक अगुआ द्वारा सामने लाये हुए पुरुष के लिये मत देने या विलक्षण मत न देने की होश्वसन की चाल स्वीकार करने का समय नहीं रहेगा, जब अगुआओं की तरफ के उमेदवार को सिर्फ छोटे चर्ग के उमेदवार के सामने नहीं चरंच देश सेवा के लिये तैयार देश के सब स्थायी प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के सामने चढ़ाऊपरी में उतरना होगा तब जो पहला पुरुष मुँह में पक्ष का नाम और जेव में तीन चार हजार पाँड लेकर खड़ा होगा उसका अधिक घार मुत

४४ इंगलैण्ड के केम्ब्रिज शहर में होश्वसन नाम का एक मनुष्य घोड़ा केरने वाला था । उसने यह नियम रखा था कि तब्बेले के द्वार में छुपते ही जो पहले घोड़ा चंचा होगा, वही ग्राहक को देंगे, दूसरा नहीं ।

धारियों से मेल होना असम्भव हो जायगा । यह पक्ष योग्य उमेदवार को मुनने के लिये आग्रह करेगा, नहीं तो वह अपना भत कहीं अन्यथा ले जायगा और छोटा वर्ग सफलता पा जायगा । वड़े पक्ष को जो अपने में सबसे कम विसात याले वर्ग की गुलामी में रहना पड़ता है उस का अन्त हो जायगा । स्थानिक शिष्ट वर्ग के सब से अच्छे और चतुर पुरुष पसन्द कर के सामने लाये जायेंगे और यथासम्भव वे पुरुष जो कुछ लाभदायक काम के लिये अपने मण्डल के बाहर भी प्रसिद्ध हुए होंगे कि जिस से उन के स्थानिक घल को दूसरे स्थान से फुटफर मतों की सहानुभूति मिलना सम्भव होगा । भत समितियाँ सब से अच्छे उमेदवार पाने के लिये चढ़ा ऊपरी फर्मेंटी और स्थानिक शान और सम्बन्ध याले पुरुषों में से जो दूसरे विषयों में सब से अधिक हिस्फा करते होंगे उन्हें पसन्द करने में एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे ।

अर्थात् जन सभ्यता की तरह प्रतिनिधि राज्य का स्थाभायिक भुकाव सामाजिक मध्यता की तरफ है; और व्याख्यात्वों में हक नीचे उतरता और विस्तार में बढ़ता जाता है त्याँ त्याँ इस भुकाव में यढ़ती होती जाती है; क्योंकि इस के परिणाम से जनता में सब से ऊचे दरजे के ज्ञान से अधिक घटिया दरजे के ज्ञान याले दल के द्वारा में मुख्य सत्ता आती जाती है । परन्तु यद्यपि संख्या में उत्कृष्ट बुद्धि और गुण अवश्य कर के द्वारा रहेगा तथापि उस दल की बात मुनने में आती है कि नहीं इस से यहाँ अन्तर पड़ेगा । जिस भूटे जन सत्ताक राज्य में सब को प्रतिनिधि मिलने के बदले सिर्फ स्थानिक वड़े पक्ष को मिलता है उसमें शिक्षित छोटे पक्ष को शायद प्रतिनिधि सभा में अपनी बात जनाने का कुछ भी साधन नहीं होगा । अमेरिका का जनसत्ताक राज्य जो इस भूल

मरी पद्धति पर गठित हुआ है उस में 'जो अपना स्वतंत्र अभिप्राय और विदेश पद्धति त्याग कर, अपने से ज्ञान में घटिया मनुष्यों के गुलाम बने रहने को तब्यार हौं उन मनुष्यों को छोड़ कर, जनता के ऊँची रीति पर शिक्षित दूसरे पुरुषों के चुने जाने की इतनी कम सम्भावना है कि वे कांग्रेस (साधारण सभा) या मारेडलिक सभाओं के लिये मुश्किल से खड़े होते हैं । इस बात को लोग स्वीकार कर चुके हैं । अमेरिका के जनसत्ताक राज्य के संस्कारी और स्वदेशप्रेमी संस्थाओं को अगर सौभाग्य से मिठा हेयर की सी योजना सुभी होती तो संयुक्त या मारेडलिक राज्य समाजों में ऐसे बहुत से नामांकित पुरुष प्रविष्ट हो सकते और जनसत्ताक राज्य सब से भाणी मेहने और सब से नयद्वार दोप से बच गया होता । मिठा हेयर की धतायी हुई मनुष्यगत प्रतिनिधि की पद्धति इस दोप का प्रायः पक्का उपाय है । भिन्न भिन्न स्थानिक मत समितियों में विद्यरे हुए शिक्षित मन के मनुष्यों का छोटा वर्ग मिल कर, समूचे देश में विद्यमान सब से सर्वथा मनुष्यों में से अपनी संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुन सकेगा । वर्णों कि वे और किसी तरह अपनी छोटी संख्या के बल को और बड़े काम में नहीं ला सकते । इस पद्धति के प्रभाव से बड़े वर्ग के प्रतिनिधि स्वयं सुधरेंगे और साधारण क्षेत्र भी उन्हीं के अधीन नहीं रहेगा । देश में जिस कदर मतधारियों का एक वर्ग दूसरे से संख्या में बड़ा होता है उसी कदर इन प्रतिनिधियों की संख्या दूसरे की संख्या से अधिक होगी । उन का बहुमत तो हमेशा रहेगा परन्तु उन को दूसरों के सामने और उन की टीका टिप्पणी सह कर बोलने और मत देने की जरूरत पड़ेगी । जब कुछ मतभेद पड़ेगा तब उन को शिक्षित छोटे पक्ष की दलील के विरुद्ध विशेष नहीं तो प्रत्यक्ष में भी

उतने ही सबल कारण दिखाने पड़ेंगे; - और जो लोग अपने साथ एकमत हुए पुरुषों के सामने बोलते हैं वे जिस तरह सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि हम, स्वयं सद्व्यवहार करने के लिये उम्मीदवारी का लाभ नहीं सकते हैं। इससे उनको समय पर अपनी भूल समझने का भी मौका मिलता है। ( जैसा कि ईमानदारी से चुने हुए राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की तरफ से विवेकपूर्वक आशा रख सकते हैं ) उनको धारणा साधारणतः शुद्ध होगी, इससे उनका मन जिनके संसर्ग या विरोध में भी रहेगा उनके पास से सद्व्यवहार की उम्मीद फैलता जायगा। जनमत से विरुद्ध मत, के प्रचारकों की दलोंलैं सिर्फ उन्हीं पुस्तकों और सामयिक पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगी जिनको उन्हीं के पक्ष वाले पढ़ते होंगे; यरंच प्रतिद्वन्द्वी सेनापं एक दूसरे के सामने खड़ी होकर परस्पर हाथ मिलावेंगी और देश के सामने उनके मानसिक घलका वाजियों मुकाबला होंगा। ऐसा होने पर मालूम हो जायगा कि जो अभिप्राय सिर्फ मत की गिनती में सफलता पाता है वह घजन में जांचने पर सफलता पायेगा कि नहीं। जब किसी समर्थ पुरुष को जन समूह के सामने समाज भूमि पर अपनी शक्ति दिखाने का साधन मिलता है तब जनसमूह में उसको परम कर दृढ़ निकालने की अक्सर साइजिक शक्ति होती है। ऐसा पुरुष अपने योग्य घजन का कुछ भी अंश पाने में असफल होता है तो उसको दृष्टि की ओट में रखने वाले नियम या रिवाज के कारण होता है। प्राचीन जनसत्ताक राज्यों में किसी समर्थ पुरुष को नज़र से बाहर रखने का कुछ भी साधन न था; उसके लिये यीमा ० ( वक्तासन ) मुला दुआ

\* Bewa ( बीमा ) एथेन में साधारण बक्सा के लिये बनाई हुरं रंगभूमि ।

था, उसे लोगों का सलाहकार होने के लिये किसी की मंजूरी की जरूरत न थी। प्रतिनिधि राज्य में ऐसा नहीं है; और जनसत्ताक प्रतिनिधि राज्य के सबसे श्रेष्ठ मित्र भी इस सन्देश से शायद ही बचेंगे कि जिन थेमिस्टोकलिस या डिमास्थेनिस की सलाह राज्य<sup>४</sup> की रक्षा करने में समर्थ होती थी वे भी शायद अपने जीवन भर में कभी स्थान पाने को शक्तिमान न होते। किन्तु अगर प्रतिनिधि सभा में देश के पहले दरजे के मन वाले पुरुषों में कुछ की भी उपस्थिति आवश्यक की जा सके तो यद्यपि याकी मन साधारण होंगे और ये अगुआ आत्माएं अनेक विषयों में लोक-विचार और वृत्ति के रूप से विशद मालूम होंगी तथापि राष्ट्रीय परामर्शों में उनकी कुछ प्रत्यक्ष द्वाया पड़े विना नहीं रहेगी। मैं नहीं समझता कि मिंहेयर की बतायी हुई पद्धति के समान दूसरी किसी पद्धति में ऐप भ्रतों की उपस्थिति का यो स्पष्ट भरोसा मिल सकेगा।

फिर जिस एक महान सामाजिक कर्तव्य के लिये किसी भी विद्यमान जनसत्ताक राज्य में कुछ भी प्रबन्ध नहीं है परन्तु जिस कर्तव्य का किसी भी राज्यतंत्र में स्थायी रूप से पालन न होने पर उसकी अवनति और लय हुए विना नहीं रहता उस कर्तव्य का योग्य साधन सभा के इस विभाग में मिल जायगा। इसको हम विशदता का कर्तव्य कहेंगे। प्रत्येक राज्यतंत्र में कोई एक सत्ता दूसरी सत्ताओं से प्रबल होती है; और जो सत्ता सबसे प्रबल होती है उसका निष्काण्टक सत्ता

\* एथेन्स का (इस्थी रुप से पूर्व ३८००१२) और शायद सारी दुनिया में, प्रचमवक्ता। मेसिदोनिया के राजा फिलिप के विशद इष्ट के किये हुए भाषण आज भी बेजोड़ है।

बनने की ओर हमें यह रहता है। कुछ कुछ जान वृक्षकर और कुछ कुछ ये आने वह हमें यह दूसरी सब वस्तुओं को अपने बगू में करने को चेष्टा करती है; और जब उसके सामने निरंतर सिर डाने वाली, उसकी वृत्ति के अनुकूल न रहने वाली कोई भी सत्ता विद्यमान रहती है तब तक वह सत्तुष्ट नहीं होती। तो भी जब वह सब प्रतिकूली नक्ताओं को इदाने में और प्रत्येक वस्तु को अपनी वृत्ति के अनुमार बना देने में सफलता पा जाती है तब उस देश में सुधार का अन्न और नाग का आरन्न होता है। मानुषों सुधार अनेक अंगों का फूल है; और मनुष्य जानि में कभी न न्यायित कोई भी सत्ता उन नवकों शामिल नहीं करती, सब में हितकारी सत्ता में भी हित के निये यथोचित सिर्फ़ घोड़ा सा एक ही गुण होता है और वाक्ता गुण दूसरे भाग से निये विना उप्रति जारी नहीं रहती सबसे प्रथम सत्ता और दूसरी प्रतिकूली सत्ता में, घनीविकारे और राज्यविकारी में, लड़ाकू या जनोदार दल और भजदूर दल में, राजा और प्रजा में, धर्मतिष्ठ और धार्मिक सुधारक में चलती हुई चढ़ा ऊपरी जहाँ एक या वंद हुई कि निर कोई भी उनका मुहत तक उन्नति नहीं कर सकता। जहाँ एक पक्ष की इस प्रकार मनूर्ज विजय हुई कि चलता हुई चढ़ा ऊपरी का अन्न हुआ और अगर उसके स्थान में दूसरी तरह की चढ़ा ऊपरी गुरु नहीं हुई तो उसके माय प्रथम प्रधाइ वंद हो जायगा और पांचे नाग का आरन्न होगा। दूसरे कई प्रकार के प्रभावों में यहुमन का प्रभाव कुछ कम अन्यायी और औसतन कम हानिकारक है तथापि उसमें भी इसी तरह का जोनिम भरा है और इसका डर भी अधिक है क्योंकि जब राज्यर्तव एक (राजा) पा कुछ लोगों (शिष्यर्वग) ।

के हाथ में होता है तब अनेक (जनता) की प्रतिद्वन्दी सत्ता हमेशा बनी रहती है और यद्यपि वह ऐसी प्रबल नहीं होती कि अपने प्रतिद्वन्दी को कभी अंकुश में रख सके तथापि जो लोग दड़ संकल्प करके या स्वार्थ विरोध से राज्य कारिणी सत्ता की किसी सचिं से विरुद्ध होते हैं उन सब को उस अनेक (जनता) के अभिप्राय और विचार की सात्रिक तथा सामाजिक सहानुभूति भी मिलती है । परन्तु यब जनसत्ता ही सबौपरि होती है तब कोई एक या कुछ इतना प्रबल नहीं होता कि वह विरुद्ध अभिप्रायों को, और जोखिम में पड़े हुए या धमकी पाये हुए स्वार्थ को सहारा दे सके । जनसत्ताक राज्य में आज तक जो बड़ी कठिनाई दीख पड़ी है वह यह है कि जो समाज दूसरों से आगे बढ़ा होता है उसमें जो वस्तु अब तक प्रसंगवश प्राप्त हुई है वह अर्थात् राज्य कारिणी सत्ता के द्वय का सामना करने से पृथक पृथक मनुष्यों को रोकते के लिये शक्तिमान बनाने वाली सामाजिक सहानुभूति या आधार विन्दु (जिस अभिप्राय और लाभ की ओर सत्ताधारी लोकमत कड़ी दृष्टि से देखता है उसके लिये रक्षा या आधार का स्थल) जनसत्ताक सामाजिक व्यवस्था में किस तरह प्राप्त की जाय । ऐसे आधार विन्दु के अभाव के कारण सामाजिक और मानसिक हित की शत्ती के फेवल एक विभाग का निष्कंटक प्रायल्य होने से प्राचीन समाज और कुछ के सिवा सब अर्थाचीन समाज या तो लघु को प्राप्त हो गये हैं या स्तब्ध हो रहे हैं । (और इसका अर्थ यह है कि उनमें धीरे धीरे अवनति शुरू हुई है ।)

अब इस बड़ी आवश्यकता को सामाजिक स्थिति में यथा साध्य मनुष्यगत प्रतिनिधि शासन पूरा करने को समर्थ है । लोकप्रिय बहुमत की सहज चृत्ति में घटते हुए पूरक अङ्ग अधिवा उसको शुद्ध करने वाले तत्व के लिये हमें जिस की ओर दृष्टि

केरना है यह केवल शिक्षित छोटा धर्म ही है, परन्तु जब सत्ताक तंत्र के गठन की साधारण पद्धति में इस छोटे धर्म के लिये कोई द्वार खुला नहीं है। मिं० हेयर की योजना उसे खोलती है। छोटे धर्मों का समूह जिन प्रतिनिधियों का पाली-मेएट में भेजेगा वे इस कमी को उसकी सबसे बड़ी सम्पूर्णता में पूरी करेंगे। शिक्षितों का अलग थेली विभाग अगर सम्भव हो तो भी वह द्वेष का कारण होगा और यिलकुल सत्ता रद्दित होने पर ही अपमान से बच सकेगा। परन्तु अगर इन धर्मों के शिष्ट पुरुष पाली-मेएट के दूसरे किसी समाजद के संहक से ( उसी के से नागरिकों की संस्था के, उसी के से सामाजिक मत के संख्यांश के प्रतिनिधि हों कर ) पाली-मेएट में प्रवेश करें तो उनकी उपस्थिति किसी को बुरी नहीं मालूम दे सकती। और किर वे सब आवश्यक विषयों पर अपना अभिप्राय और सलाह देने के लिये तथा राजकाज में स्वयं भाग लेने के लिये सब से अनुकूल स्थिति में आ जायगे। उनके बुद्धियल से ( संख्या के द्विसाव से जितना ब्रेश उनको मिलता उसकी अपेक्षा ) प्रत्यक्ष राज्य प्रबन्ध का अधिक भाग उनके हाथ में आ सकता है; क्योंकि एथोनियनों ने अपना आवश्यक राज्य कार्य क्लियोन या हेपर योलसू को नहीं सोंपा था ( पैलोस + और एफीपोली + में क्लियोन की नियुक्ति केवल अपवाद का था ) परन्तु निसियस ॥ और थेरामिनिस ॥ और एल्कीयाय-

\* एथेन्स के जनसत्ताक राज्य के दो लापक + ऐपोप के पूर्वी द्यापू + मीन के उत्तर के शहर ॥ ॥ एथेन्स का एक बहादुर और चतुर सेनापति ( मृत्यु इस्की सन् ८११ वर्ष पूर्व ) ॥ ( मृत्यु ४०३ ) एथेन्स में स्पार्टा के बनाये हुए तीस अत्याचारियों के मण्डल में से एक यह लोकाद्वित की ओर प्यान देने से मारा गया था ।

डीस # को सापूर्ण और पेरराष्ट्र दोनों विभागों में नियुक्त किया था। और फिर भी ये तीनों पुरुष जनसत्ताक राज्य की अपेक्षा शिष्ट सत्ताक राज्य की ओर अधिक हचि रखने वाले मालूम हुए थे। प्रत्यक्ष मत देने के विषय में तो शिक्षित छोटे वर्ग की गणना उसकी संख्या के हिसाब से ही होगी, परन्तु ज्ञान से और उसके द्वारा वाकी प्रतिनिधियों पर प्राप्त की हुई सत्ता से उस वर्ग का प्रभाव एक सात्त्विक सत्ता के रूप में बहुत बढ़ जायगा। लोकप्रिय मत को विवेक और न्याय की सीमा में रखने के लिये और जनसत्ताक राज्य के दुर्बल पक्ष पर चढ़ाई करनेवाली विविध विनाशक सत्ताओं से उसकी रक्षा करने के लिये इससे बढ़ कर सुगठित योजना करना मानुषी बुद्धि के लिए शायद ही सम्भव होगा। इस रीति से जन सत्ताक तंत्र को जनता को जो बस्तु और किसी तरह हाथ लगना प्रायः असम्भव है वह प्राप्त होगी अर्थात् अपने से अधिक ऊंचे दरजे की बुद्धि और प्रकृति के नेता मिल जायेंगे, अर्थात् जनसत्ताक राज्य को अपने प्रसङ्ग वश पेरिहित और बत्खाए तथा अगुआ पुरुषों का स्वाभाविक दल मिल जायगा ।

प्रथ के स्वीकारपक्ष की ओर जब इन सब के सारभूत कारणों का ढेर लगा है तब निषेध पक्ष में क्या है? मनुष्य को अगर एक बार किसी नये विषय में कुछ वास्तविक परीक्षा करने की ओर मुका सके तो फिर ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षा में टिक सके। जो लोग समान न्याय के बहाने अमीर की जगह गरीब की घर्ग-सत्ता जारी करने का विचार रखने वाले होंगे वे वेशक इन दोनों घर्गों को समान पंक्ति में रखने याली योजना को नापसन्द करेंगे। परन्तु मैं नहीं समझता

कि इस समय इस देश की मजदूर धेरों में पेसी कोर्ट अभिलाप्या विद्यमान है। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि योद्धे इस अभिलाप्या को उकसाने में प्रसङ्गवश जननायकों के दल का कितना असर हो सकता है। युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य) में जहाँ यहुमत के दाख में यहुत समय से निर्णयश सामाजिक सत्ता है, यहाँ शायद लोग उसे छोड़ने में निष्पक्षक राजा या शिष्ट धर्म के समान ही नाराज होंगे। परन्तु अंगरेज जन समाज तो मैं समझता हूँ कि, अभी तक धर्म लाभ का कानून पनाने की सत्ता की अपनी धारी का दावा किये धिना सिर्फ दैसे कानून से अपनी रक्षा करके सन्तोष मानने याला है।

मिठौ हेयर की योजना का गुहामयुक्ता विरोध करने वालों में से कितने यह कहते हैं कि हम उसको असाध्य समझते हैं; परन्तु ये मनुष्य साधारणतः ऐसे जान पढ़ेंगे जिन्होंने या तो इस योजना के विषय में कुछ सुना भर दोगा या इस विषय में पहुत थोड़ी और ऊपरी जांच की होगी। दूसरे जिसको ये प्रतिनिधि तत्य पा स्थानिक तत्य कहते हैं उसकी हानि स्वीकार करने को असमर्थ है। उनकी हाइ मैं राष्ट्र मनुष्यों का पना नहीं, परंच एग्रिम और को का पना दिपाई देता है, भूगोल विद्या और जनस्थिति शाब्द की हाइ दिपाई देता है। पार्लिमेंट मनुष्यों की नहीं परंच शहरों और जिलों की, प्रतिनिधि होनी चाहिये। परन्तु जब शहरों और जिलों में रहनेवाले मनुष्यों को प्रतिनिधि मिलते हैं तब यह समझा जाता है कि ये शहरों और जिलों को मिले हैं। स्थानिक वृत्ति धारण करने वाले मनुष्यों के धिना स्थानिक वृत्ति नहीं हो सकती और स्थानिक लाभ लेने पाले मनुष्यों के धिना स्थानिक लाभ भी नहीं हो सकता। जिन मनुष्यों को

यह वृत्ति और यह लाभ होता है उनको अगर उचित परिमाण में प्रतिनिधि मिले तो इस वृत्ति और इस लाभ को उन मनुष्यों की दूसरी सब वृत्तियों और लाभों की तरह प्रतिनिधि मिलता है। परन्तु जो वृत्ति और लाभ मनुष्य जाति के स्थानिक प्रवन्ध में लगा रहता है वही केवल प्रतिनिधित्व करने योग्य क्यों समझा जाय ? और जो लोग अपनी दूसरी वृत्तियों और लाभों को स्थानिक वृत्ति और लाभ से अधिक मूल्यवान समझते हैं उनको उनकी राजनीतिक श्रेणी के निष्कंटक मूल आधार के विषय में इसी वृत्ति और लाभ की सीमा में क्यों बांधना चाहिये, यह मैं नहीं समझता। याक़-शायर और मिडिलसेक्स जिलों को उनके निवासियों से अलदिदा हक है अथवा लिवरपुल और एक्सीटर की वस्ती के चिरोध में शहर ही अपना कानून घनाने की सम्भाल रखने के विशेष योग्य पात्र हैं यह शान्तिक भ्रम का विलक्षण नमूना है।

जो दो उच्च उठानेवाले इस बात को थोड़े मैं समाप्त कर देने के लिये साधारण तौर पर यह जताते हैं कि इंगलैण्ड ऐसी पद्धति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 'यह इस विषय को अवश्य अस्वीकार करेगा' यह कहने से पहले जो लोग इसकी सचाई या भुटाई के विषय में विचार करना व्यर्थ समझ कर इंगलैण्ड के लोगों की समझशक्ति और विचार शक्ति का इतने थोड़े मैं फैसला कर देते हैं उनके घारे मैं वहाँ घाले क्या सोच सकते हैं, यह कहने का काम मैं अपने सिर पर नहीं लूँगा। मेरा विचार पूछो तो इंगलैण्ड के लोग ऐसे अडिंग दुराप्रही हैं कि जो वस्तु उनके या दूसरों के लिये हितकारी सावित की जा सकती है उस मैं भी वे बाधा डालेंगे ऐसी तुष्टित उन पर लगाना मुझे उचित नहीं जंचता। मुझे यह भी जान पड़ता है कि जब वहाँ लोग दुराप्रह से अपना

हठ नहीं ढोड़ते तथा जो लोग यह यद्यम दूर करने के प्रथम में कभी शामिल न होने के लिये बहाना दंडने के मतलब से उसको अदल बताने हैं उनके बराबर दोष दूसरे किसी का नहीं है । यद्यम चाहे जैसा हो परन्तु जो लोग स्वयं उसको नहीं मानते वे ही अगर उसके बश रहे, उसको यमाने और प्राकृतिक नियम समझ कर स्वीकार करें तो वह अदल ही रहेगा । इतने पर भी इस विषय में मेरा यह विश्वास है कि अब तक यह योजना जिनके मुनने में आयी है उनके मन में, जिस नये प्रश्न की ऐसी उचित रूनि से चर्चा न हुई हो कि दोनों पक्ष की दलीलें साधारणतः स्पष्टना से समझ में आवें उसके विषय में जो स्वामाधिक और हितकारी अविश्वास होना चाहिये उस के सिवा कुछ विशेष विरुद्धता नहीं है । जो एक मात्र महरी वाधा है यह अपरिचय की है—जानकारी का न होना है । यह वाधा वेशक भयंकर है; क्योंकि मनुष्यकल्पना वाहरी नाम और स्वरूप के थोड़े से फेर यदल में भी जितना उज्ज्ञ करती है उसकी अपेक्षा भीतरी वस्तु में किये हुए वडे फेर यदल में भी बहुत फम उज्ज्ञ करती है । परन्तु अपरिचय की वाधा ऐसी है कि जब किसी विचार में कुछ असली गुण होता है तब उसकी योजनकारी को दूर करने के लिये समय ही चाहिये । और आज के जमाने में विचार की स्वतंत्रता होने से और सुधार के विषय में साधारणतः मात्र जागृत हुआ रहने से, पहले जिस काम में सदियाँ यीत जाती थीं उसके लिये अब अक्सर यहाँ की ही दरकार होती है ।

इस नियंत्र की पहली आवृत्ति के बाद मिठेर की योजना पर कितनी ही विरुद्ध दीकाएं हुई हैं । इस से इतना तो विदित होता है कि उसकी विशेष साधारणी से परीक्षा हुर है और उसके उद्देश्यों पर पहले की अपेक्षा अधिक विवेक

पूर्वक ध्यान दिया गया है। यहु सुधारों के विषय में विवेचन का यह स्वाभाविक क्रम है। उसके विस्तर पहले अंध दुराग्रह उठता है और यह ऐसी दलीलें पेश करता है जिनको अंध दुराग्रह ही कुछ घजनदार समझ सकता है। ज्यों ज्यों दुराग्रह उठता जाता है त्यों त्यों यह जिन दलीलों को कुछ समय तक काम में लाता है वे घजनदार होती जाती हैं; क्योंकि योजना खूब अच्छी तरह समझ में आजाने से उसके गुणों के साथ उसकी अनिवार्य अङ्गों और उसमें समाया हुआ सारा लाभ तत्काल प्राप्त करने में रुकावट ढालनेवाले प्रसङ्ग भी समझ में आते हैं। परन्तु विवेक के कुछ भी आभास-वाले जो जो विध्न मेरी जानकारी में आये हैं उन संघ में एक भी ऐसा नहीं है जो पहले से न दिखाई पड़ा हो और इस योजना के प्रचारकों ने विवेचना कर के उसको या तो भूठा या आसानी से दूर हो सकने योग्य न ठहराया हो।

इन में सब से स्पष्ट और भारी विध्न जो केन्द्रस्थल के प्रबन्ध में दगावाजी या दगावाजी के सन्देह के विस्तर उपाय होने की कलिपत्र अशक्यता का है उसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सकेगा। योजना में प्रकाशित कर देने की और चुनाव होने के बाद मतपत्र जांचने की पूरी स्वतंत्रता की गारंटी की व्यवस्था रखी है; परन्तु यह सोचा जाता है कि यह गारंटी व्यर्थ जायगी; क्योंकि पत्रों की जांच पंडिताल करने के लिये मतधारी को झक्कों का किया हुआ सारा काम फिर से करना पड़ेगा। अगर मतपत्रों की सधाई प्रत्येक मत दाता को स्थिर जानने की कुछ भी जरूरत हो तो याद्रा घटुत घजनदार होजाय। मत पत्रों की सधाई जांचने के विषय में मतदाता 'की तरफ से केवल इतनी आशा रखी जा सकती है कि उसके मत का जो उपयोग हुआ है उसे घह जांचे और इस

कारण से हर एक पत्र जहां से आया हो वहां पीछे लौटवाये। परन्तु जिसको वह स्ययं नहीं कर सकता उसको उसके लिये हारे हुए उमेदवार और उनके एजेंट ( अढ़तिया ) करेंगे। हारे हुओं में जो यह सोचते होंगे कि दमारा चुनाव दोना चाहिये था वे पृथक पृथक या कुछ शामिल होकर चुनाव की सारी काररवाई की सचाई जांचने को एजेंट नियुक्त करेंगे। अगर उनको कोई भारी भूल मालूम हो जायगी तो वे उस मिसल को सभा की निकलण समिति के सामने पेश करेंगे और वह समिति राष्ट्रीय चुनाव की काररवाई को, चर्तमान पद्धति के अनुसार निर्वाचन निकलण समिति के सामने सिर्फ एक मतपत्र के जांचने में जितना समय और धन लगता है उसके दसवें भाग में जांच पर उसकी सचाई जान लेगी।

इस योजना को साध्य मानते हुए भी यह कहा गया है कि दो तरह से इसका लाभ व्यर्थ जाना और उसके स्थान में हानिकारक परिणाम निकलना सम्भव है। पहली बात यह कही गयी है कि मण्डलियों या टोलियों के हाथ में और पंथ समूह के हाथ में मेन कानून समिति और गुटिकामत मण्डली या स्थातंत्र मण्डली जैसे ग्राम उद्देश्यों से स्थापित

\* १८४३ ईस्वी में एक कानून में मुशार करने के लिये सभा स्थापित हुई थी। अमेरिका के मेन प्रान्त में १८५० ईस्वी में शायद खोरी के बिन्दू एक कानून बना उसके लिये स्थापित सभा भी। गुटिकामत के लिये पहले किये हुए बहुत से प्रयत्न निकल जाने के बाद १८७२ के कानून से पार्लीमेंट तथा नगर सभा के चुनाव में यह मत दायित हुआ है। ऐसे को राज्य सत्ता से छुड़ाने के लिये १८४४ में सभा बनी है।

सभाओं के हाथ में और धर्ग स्वार्प से या धार्मिक मत के प्रेक्षण से उनी हुई समितियों के हाथ में अनुचित अधिकार आ जायगा । दूसरी वाधा यह यतायी गयी है कि यह पद्धति ऐसी है कि पक्ष का उद्देश्य साधने के अनुकूल हो जायगी । प्रत्येक राजनीतिक दल की मध्य सभा अपने ६५८ उमेदवारों \* की सूची सारे देश में भेजेगी कि जिससे प्रत्येक मत समिति में उसके जितने समर्थन कारी हों वे सब उन उमेदवारों के लिये मत दें । किसी स्वतंत्र उमेदवार को जितना मत कभी मिल सकता है उसकी अपेक्षा इस मत की संख्या बहुत बढ़ जायगी । यह यहस उठायी गयी है कि अमेरिका की तरह पुजां पद्धति (ट्रिफट-सिस्टम) † सिर्फ बड़े सुव्यवस्थित दलों के लिये ही साभदायक ठहरेगी । क्योंकि उनके पुजां फो लोग आँख मूँद कर स्वीकार कर लेंगे और एक स्वर से मत दे देंगे और ऊपर यताये हुए पंथ समृद्ध या किसी साधारण विचार के लिये जमे हुए मनुष्यों की टोलियों के सिवा दूसरे किसी का उनसे शायद ही कभी अधिकं मत होगा ।

इसका उत्तर निर्णायक जान पड़ता है । कोई नहीं चाहता कि मिं० हेयर की सलाह में या दूसरी किसी योजना में संगठन का हाथ ऊपर न रहे । सुगठित संस्थाओं के मुकाबले यिररे हुए मत सदा निर्यल रहते हैं । मिं० हेयर की योजना कुछ स्थाभाविक प्रक्रम नहीं फेर सकती और इससे जो छोटे या बड़े पक्ष या विभाग सुगठित होंगे वे अपनी सत्ता बढ़ करने के लिये उससे यथा शकि पूरा लाभ उठावेंगे ही । परन्तु विद्य-

\* आम सभा के सभावदों की संख्या ६७० कर दी गई है ।

† अमुक अमुक उमेदवार अमुक पथ के हैं और जुने जाने योग्य हैं इत्यादि ऐकारिश की बातें प्रगट करने वाला पुजां ।

मान पद्धति में यह सत्ता निष्कंटक है । विखरे हुए तत्व विल-  
कुल गृन्थ समान हैं । जो मतदाता वड़े राजनीतिक विभाग  
से या किसी द्वोषे धार्मिक विभाग से सम्बन्ध नहीं रखते  
उनके लिये अपने मत को काम में लाने का कोई उपाय नहीं  
है । उनको मिठे हेयर की योजना उपाय बताती है । यह उन  
की मरजी पर है कि उससे काम लेने में अधिक चतुराई  
दियावैया कम; वे अपने हिस्से का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त  
करें या कम । परन्तु वे जो कुछ प्राप्त करेंगे वह आसा लाभ  
होगा । और जब यह सोचा जाता है कि प्रत्येक निर्जीव लाभ  
या निर्जीव उद्देश्य के लिये बर्ती हुई टोली अपना संगठन  
करेगी तब इम यह क्यों सोचे कि राष्ट्रीय बुद्धि और योग्यता  
का महान लाभ ही केवल विना संगठन के रहेगा ? जब  
मध्य नियंत्रण टिकट और चीयड़ा शाला टिकट और इस तरह  
के दूसरे टिकट निकलेंगे तब क्या किसी मत समिति में से  
एकाध स्वदेश प्रेमी; पुरुष व्यक्तिगत योग्यता का टिकट नि-  
काल कर सारे जिले में प्रचार करे तो उचित नहीं होगा ?  
और क्या पेसे थोड़े से पुरुष लन्दन में जमा होकर साइटिक  
मत भेड़ों पर दृष्टि न देकर उमेदवारों की सूची में से  
सब से नामी पुरुषों के नाम चुन कर थोड़े स्वर्च में सब मन  
समितियों में प्रसिद्ध नहीं करेंगे ? इतना याद रखना चाहिये  
कि चुनाव की वर्तमान पद्धति में दो वड़े पक्के की सत्ता नि-  
ष्कंटक है । मिठे हेयर की पद्धति में वह सत्ता वड़ी रहेगी  
परन्तु सीमावद्ध हो जायगी । वे पक्के या दूसरी कोई नयी  
टोली अपने अपने एवं पातियों की संख्या के हिसाब से अधिक  
समासद चुनने को समर्थ नहीं होगी । टिकट की चाल  
अमेरिका में इससे भिन्न दशाओं में चलती है । अमेरिका में  
मतधारों पक्क-टिकट की तरफ भत देते हैं । इसका कारण यह

है कि चुनाव सिर्फ बहुमत से होता है और जिसके पक्ष में बहुमत न मिलने का विश्वास हो जाता है उसके पक्ष में दिये हुए मत व्यर्थ जाते हैं। परन्तु मिठा हेयर की पद्धति के अनुसार योग्यता वाले प्रसिद्ध पुरुष को दिये हुए मत के लिये अपना उद्देश्य पूरा करने में प्रायः पक्ष उमेदवार को दिये हुए मत के बराबर ही सम्भावना है। इससे यह आशा की जा सकती है कि जो सुधारक (लिवरल) या संरक्षक (कंसरवेटिव) केवल सुधारक या संरक्षक होने के सिवा कुछ विशेष गुण रखते होंगे-जिनमें अपने पक्ष की इच्छा के सिवा कुछ पास अपनी इच्छा होगी-वे सब बहुत अनजान और पक्ष उमेदवार के नाम पर दृताल फेरेंगे और उनके स्थान पर राष्ट्र के प्रतिष्ठास्तरूप मनुष्यों में से कुछ के नाम सूचित करेंगे और ऐसा होने की सम्भावना का प्रभाव यह होगा कि जो लोग पक्ष सूची तैयार करेंगे वे पक्ष की प्रतिक्षा लिये हुए पुरुषों से ही सम्बन्ध न रख कर उनके साथ अपने अपने टिकट में उनको भी दाखिल करने को ललचायेंगे जो शिष्ट पुरुष राष्ट्र में विरुद्ध पक्ष की अपेक्षा उनके पक्षकी ओर अंधिक सहानुभूति रखते होंगे।

असली कठिनाई यह है और यह छिपाना उचित नहीं है कि यह कठिनाई है कि, जो स्वतंत्र मतधारी विना सिफारिश वाले योग्य पुरुषों के लिये मत देना चाहते हैं वे इस प्रकार के कुछ पुरुषों के नाम दाखिल करने के बाद शेष सूची में सिर्फ पक्ष उमेदवारों के नाम भरने को ललचायेंगे। और इस प्रकार वे जिनको अपने प्रतिनिधि बनाने की विशेष इच्छा रखते होंगे उनके विरोधियों की संख्या में वृद्धि करने में सहाय होंगे। इसका उपाय करने की ज़करत हो तो एक सहज उपाय है और यह कि दूसरे दरजे या प्रासङ्गिक

मतों की सीमा बांधदें। किसी भत्तधारी के लिये ६५० उमे-दवारों को या १०० को भी अपने शान के भरोसे स्वतंत्र रूपसे पसन्द करना सम्भव नहीं है। जिसका चुनाव करने में उसकी पसन्द से काम लिये जाने की-सिर्फ़ एक एक पक्ष मैन्य के साधारण सैनिक के तौर पर नहीं बरंच एक स्वतंत्र मनुष्य के तौर पर भत देने की-कुछ सम्भायना हो तो ऐसे बीस, पचास या चाहे जितनी संख्या की सीमा बांधने में कम ही उच्च मालूम होगा। परन्तु यिन्हा इस प्रकार के किसी अंकुश के भी, जब यह पद्धति एक बार अच्छी तरह समझ में आजायगी तो इस दोष के आप ही आप दूर होने की सम्भायना होगी। जिन टोलियों और भएडलियों की इतनी बड़ी अवगणना की जाती है उन सब का इस कठिनाई से सामना करना सर्वोपरि उद्देश्य हो जायगा। इनमें से प्रत्येक का एक छोटा होने से उनकी ओर से यह शब्द बाहर निकलेगा कि 'अपने घास उमेदवारों के लिये ही भत देना अथवा कम से कम उनके नाम सब से ऊपर रखना कि जिससे उनको तुम्हारे प्रथम भत ठारा अथवा कतार में नीचे उतरे यिन्हा अपनी संख्या पूरी करने का तुम्हारे संख्या थल के हिसाय में मिलने योग्य पूरा मौका मिले।' और जो भतधारी किसी दोली से सम्बन्ध रखते होंगे वे भी इस उपदेश से लाभ उठायेंगे।

योंटे दल सिर्फ़ वही सच्चा पावेंगे जो उनके लिये उचित होगी। वे उतनी ही सच्चा चला सकेंगे जितने के लिये अपने भतधारियों की संख्या से एकदार होंगे, उससे तनिक भी अधिक नहीं। और वह भी विश्वास पूर्वक पाने के लिये उन्हें अपने घास उद्देश्य के प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे उमेदवारों वे सामने रखने की युक्ति रहेगी कि जिससे वे अपने दूसरे गुण-द्वारा दोली या पंथ के बाहर के भत धारियों के भत पाने के

भी शक्तिमान होंगे। वर्तमान पद्धतियों के समर्थन की दलीलों का लोक चक अपने ऊपर होने वाले कटाक्ष से रुख के अनुसार किस तरह फिरता रहता है यह देख कर आश्वर्य होता है। कुछ वर्ष पहले उस समय की वर्तमान प्रतिनिधि पद्धति के समर्थन में जो एक मजेदार दलील पेश की गयी थी वह ऐसी थी कि उसमें सभी 'स्वार्थ' अथवा 'वर्ग' को प्रतिनिधि मिलते थे और जो स्वार्थ या वर्ग कुछ भी आवश्यक हो उसको वेशक पार्लीमेण्ट में प्रतिनिधि मिलना चाहिये अर्थात् उसका हिमायती या वकील होना चाहिये। परन्तु उससे अंत को यह बहस उठायी गयी कि जो पद्धति पक्ष स्वार्थ को केवल वकील ही नहीं वरच निर्णय सत्ता भी देती थी उसको कायम रखना चाहिये। अब चक्रगति देखिये। मिं० हेयर की पद्धति में पक्ष स्वार्थ को निर्णय सत्ता मिलना असम्भव होता है परन्तु उसको वकील मिलने का भरोसा होता है और ऐसा करने के लिये भी इसकी निन्दा होती है। इसमें वर्ग प्रतिनिधि तत्त्व और संरपण प्रतिनिधि के अच्छे तत्त्व जुड़ जाते हैं, इस कारण इसके ऊपर दोनों ओर से एक साथ हमला होता है।

परन्तु इस पद्धति के स्वोकार करने में जो असली कठिनाई है वह इन आपत्तियों की नहीं है; वरच उसकी जटिल व्यवस्था के विषय में अतिशयोक्ति भरे विचार की और इससे वह काम में आ सकेगी कि नहीं इस विषय के सन्देह की है। इस आपत्ति का पूरा उत्तर तो असली परीक्षा से ही मिलेगा। इस योजना के गुण जब सर्वसाधारण को अधिकता रो मालूम हो जायें और पक्षपात रहित शानियों में इसके लिये अधिक सम्मति मिले तब किसी यड़े शहर के नगर निर्वाचन ( म्यूनीसिपल चुनाव ) जैसी निर्दारित भूमि पर इसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिये। जब यार्क

जिले में घेस्ट राइंडिंग को चार सभासद देने के लिये उस का विभाग करने का ठहराव हुआ तब ऐसा करने के बदले उसकी मत समिति को अविभक्त रहने देकर दिये हुए मत की समूची संख्या में से पहली घार के या दूसरी घार के मत से एक चौथाई मत पाने घाले उमेदधार को चुना हुआ समझने के इस नये नियम की परीक्षा करने का जो एक प्रसङ्ग आया या यह टल गया । ऐसी आजमाइश इस योजना की योग्यता की यहुत अधूरी कसौटी गिनी जायगी; तोभी इससे उसकी क्रिया पद्धति का एक दृष्टान्त मिल जायगा । इससे लोग विभास कर सकेंगे कि यह असाध्य नहीं है । इसके उपादान से वे परिचित होंगे और जो कठिनाइयां ऐसी भयंकर समझी जाती हैं वे सचमुच ऐसी हैं या केवल कल्पित हैं इस का निर्णय करने का उन्हें कुछ मसाला मिलेगा । जिस दिन पाल्मिएट इस आंशिक परीक्षा की मंजूरी देगी उस दिन से मैं समझता हूँ कि पाल्मिएट के सुधार में एक नये युग का आरम्भ होगा जो अभी तक दुनिया में सिर्फ योधक अवस्था में दीप पढ़े हुए प्रतिनिधि राज्य को उस अवस्था से बाहर निकाल फर उसके प्रौढ़ और विजयी समय के योग्य स्वरूप विकसित करने को बना है #

\* इस निबंध का पिछली ओर इस आवृत्ति के बीच के समय में यह मालूम हुआ कि यहां बतायी हुर्दं परीक्षा किसी शहर या प्रान्त से बड़े विस्तार में काम में लायी जा सकती है और इह वर्ष से उसकी आजमाइश हो रही है । देनिश राज्यतंत्र में ( तल देनमार्क में ही नहीं वरं वे देनिश राज्य के द्विये गढ़ी हुर्दं पद्धति में ) छोटे बगों को समान प्रतिनिधि देने के द्विये किया हुआ प्रबन्ध तो लगभग मिशन

## आठवाँ अध्याय ।

### मतहक के विस्तार के विषय में ।

अब जैसा कि हम लिख चुके हैं केवल बहुमत वाला नहीं

इयर का सी पद्धति पर रखा है कि जिस से मनुष्य मन की जन समाज की साधारण स्थिति में से सरजतो हुए कठिनाइयों का समाधान करने वाले एवं चार भिन्न उत्कृष्ट मनवालों को परस्पर सहर्ग हुए विना भी किस तरह एक ही समय सूझ जाते हैं इसके अनेक दृष्टान्तों में इस से एक नया बृद्ध दोती है । मिठा राष्ट्र लिटन ने ( जो पीछे से १८७६-८० म हिन्दुस्थान के बड़े लाट हुए थे ) अपने प्रभावशाली पत्र में डोनशु चुनाव के कानून का यह लक्षण पूर्णता और स्पष्टता से विशिष्ट प्रजा के सामने रखा है; वह पत्र आम समा के हुक्म से उन् १८६४ ईस्वी में छोप हुए एडची विभाग के मंत्रियों के निवेदन पत्रों में से एक है । मिठा इयर की योजना, जो आज कल मिठा एट्री को भी कहलाती है, इस प्रकार केवल तर्क की स्थिति से निकल कर एक अनुभवसिद्ध राजनीतिक प्रयोग की स्थिति में आ गयी है ।

यद्यपि डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जहा व्यक्ति गत प्रतिनिधि तत्व एक नियम के रूप में प्रतिष्ठित होगया है तो भी इस मत का प्रसार विचारशील पुरुषों में बहुत तेजी से हुआ है । इस समय जिन जिन देशों में सार्वत्रिक मत का एक आवश्यक गता जाता है प्रायः उन सब में यह योजना तेजी से अपना मार्ग बनाती जाती है । इस योजना को जन सचाक राज्य के मिश्रों के मन में मूल तत्त्व के एक वास्तविक परिणाम स्वरूप और जो जन सचाक राज्य को प्रसन्द नहीं करते, परन्तु स्वीकार करते हैं उनके मन में उसकी अद्विलों के एक आवश्यक उपाय स्वरूप स्वीजरलेण्ड के राजनीतिक तत्व शान्तियों ने

**वरच्छ सव के प्रतिनिधि वाला जनसत्ताक राज्य-जिसमें हुए**

पहले पहल साबित किया । फ्रांस के तत्त्व शानियों ने उनका अनुसरण किया । फ्रांस में दूसरे किसी के विषय में न कहें तो सब से मान्य और प्रामाणिक राजनीतिक लेखकों में से दो जनों ने इस योजना को आम तौर पर स्वीकार किया है । इन में से एक नरम सुधारक दल का है और दूसरा जनसत्ताक राज्य के नरम दल का है । इसे जर्मन समर्थन कारियों में से एक जर्मनी का सचेंट्हष्ट राजनीतिक दार्शनिक भिना जाता है और वह बेडन के ग्रांड द्यूक के उदार मंत्री दल का एक नामी सभासद है । अमेरिकन जन सत्ताक राज्य में विचार की जो जागृति चल रही है और जो मनुष्य-स्वतंत्रता के लिये चलते हुए युद्ध का एक पल है उस में दूसरे विषय के साथ इसको मी भाग मिलता है । आस्ट्रेलिया के इमरे दो टायुओं में पिंगेर की योजना उनकी कानून सभाओं में विचार के लिये देश की गयी है और यद्योप वह अपीं तक मंजूर नहीं हुई है तथापि उस के पश्च में एक प्रबल दल यन चुका है । इधर साधारण राजनीतिक संघरक और विलकुल मूलतत्व का अनुसरण करनेवाले पूरे पूरे सुधार के पश्च पातों दोनों मूलपक्षों के बत्ताओं के बड़े भाग ने उसके मूलतत्व का जो जो स्पष्ट और सम्पूर्ण ज्ञान दिखाया है, उस स माझम होता है कि यह योजना ऐसी उलझन दार है कि साधारण तौर पर समझना और काम में लाना अवश्य दो जायगा—ऐसा जो विचार है वह के सामिल है । इस योजना और इसके लाभ के सब के लिये सुगम होने के निमित्त दूसरी किसी यात की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके उस विषय के आने की है जब सब लोग उस पर वास्तविक रूप से ध्यान देना उचित समझें । अन्यकर्ता ।

का लोभ, अभिप्राय और दरजे की बात संख्या धल में घट कर होने पर भी देखी जाय, और उसको उसकी संख्या के हिसाब से न मिलने योग्य प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा की महत्ता और दलील की सबलता के कारण प्राप्त करने की सम्भावना रहे; जो जन सत्ताक राज्य ही एक मात्र समान और निष्पक्ष है जो सब का सब के ऊपर राज्य और जनसत्ताक राज्य को यथार्थ प्रतिम है वह जनसत्ताक राज्य—उस राज्य के सब बड़े दोषों से मुक्त रहेगा जो इस समय गलत तौर पर जनसत्ताक राज्य के नाम से परिचित होता है और केवल जिसके ऊपर से जनसत्ताक राज्य का वर्तमान ढाँचा यना है। परन्तु इस जनसत्ताक राज्य में भी अगर यहुमत स्वतंत्र सत्ता बलाना चाहे तो वह सत्ता उसके हाथ में रहेगी और यह यहुमत दुराप्रह, पक्षपात और साधारण विचार पद्धति के पेसा और विशेष नहीं तो सब से ऊंची शिक्षा रहित केवल एक घर्ग का यना हुआ होगा। इससे राज्यतंत्र में पक्षविशेष धाली व्यवस्था के लालिक दोषों की सम्भावना अब भी रहेगी; इस समय जन सत्ताक राज्य का भूठा नाम धारण करने वाले परन्तु यास्तव में शुद्ध वर्गीय राज्य की व्यवस्था में जो दोष है उसकी अपेक्षा यहुत कम दोष होने पर भी यहुमत की अच्छी समझ, नरमी और सहिष्णुता मिलने के सिवा उस पर दूसरा कोई चोटीला अंकुश नहीं रहेगा। इस प्रकार का अंकुश अगर काफी हो तो अंकुशित (नियंत्रित) राज्य तंत्र का शास्त्र केवल लड़कखेल सा हो जायगा। राज्यतंत्र में सत्ता धारी लोग सत्ता का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे यह नहीं, बरंच कर नहीं सकेंगे यह अगर भरोसा हो सके तो वही सारे विश्वास का आधार है। अगर जनसत्ताक राज्य का यह कमजोर बाजू मजबूत न किया जा सके, अगर उसकी रचना

ऐसी न हो कि कोई वर्ग, यहाँ तक कि संख्या में सब से बड़ा, वर्ग भी अपने सिवा और सब को राजनीतिक विषय में नहीं के समान बना कर केवल अपने वर्ग स्वार्थ के अनुसार कानून बनाने और इन्तजाम करने का मार्ग पकड़ने को शक्तिमान हो तो वह वास्तव में उत्कृष्ट शासन पद्धति नहीं है। जन सम्मत राज्यतंत्र के लाक्षणिक लाभों का त्याग किये विना इस अनुचित उपयोग को रोकने का उपाय ढूँढ़ने का प्रश्न है।

जिसमें नागरिकों के किसी वर्ग को प्रतिनिधि तत्व में भत देने से वंचित रहने को लाचार होना पड़े इस प्रकार भतहक को सीमा वांधने की युक्ति से ये दोनों जरूरतें पूरी नहीं होतीं। स्वतंत्र राज्यतंत्र का सब से बड़ा करलाम यह समझा जाता है कि जनता के सबसे निचले वर्गों को स्वदेशके महान लाभों पर प्रत्यक्ष ग्राहक डालने वाले काम करने में मार्ग लेने को आहान करने से उन्हें बुद्धि और विचार की शिक्षा मिलती है। इस विषय पर मैं यहुत स्पष्टता से विचार कर चुका हूँ; यहाँ फिर जो कहता हूँ वह इसी लिये कि जन सम्मत तंत्र के इस असर पर जितना जोर देना चाहिये उतना जोर कम ही भनुप्य देते दिखाई देते हैं। जो कारण ऐसा निर्जीव जान पड़ता है उससे इतनी बड़ी आशा रपना-अर्थात् मजदूरों का किया हुआ राजनीतिक भतहक का उपयोग उनके मानसिक मुघार का एक प्रबल साधन हो जाता है यह स्वीकार करना लोगों को कल्पना मालूम होती है। इतने पर भी अगर जनता की वास्तविक मानसिक शिक्षा केवल स्वप्न रूप रख छोड़ने का विचार न हो तो उसके लिये यही मार्ग है। अगर कोई यह सोचे कि इस मार्ग से नहीं होने का; तो मैं एम॰डी टोकियल के महान ग्रंथ की ओर बास कर उसको अमेरिका सम्बन्धी राय की गयाही देता हूँ। प्रत्येक अमेरिकन कुछ कुछ देशभक्त-

और शिद्धित बुद्धि का मनुष्य है यह देख कर प्रायः सभी पर्यटक चकित हुए हैं और इन शुणों से जन सम्मत राज्य तंत्र का कैसा गहरा सम्बन्ध है यह एम० डी टोकिवल ने दिखाया है। शिद्धित मनके भाव, शौक और विचार का अधिक प्रसार और किसी स्थान में देखने या समझने में भी नहीं आया है। \*किर भी प्रतिबंधन के विषय में इसी के ऐसे

की “न्यूयार्क प्रदर्शनी में अंगरेज एलची का निवेदन पत्र” में से नीचे का जो वाक्य में मिठी करी के “एमाजिक शास्त्र में मूलतत्त्व” से उद्भूत करता हूँ वह मूल बचन के एक भाग की तो विलक्षण साक्षी देता है—

“इगरे यहां योके से वहे यंत्रशास्त्री ( इंजीनियर ) और यांत्रिक हैं और वाकी संख्या चतुर कारीगरों की है; परंतु ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका के सभी लोग वैसे ही हो जायेंगे। अभी से उनकी बहुत नदिया अग्निशोटों से भरी रहती है, उनकी घाटियों कारखानों से भरी रहती है; उनके शहर जो बेकाजियम, हालेण्ड और इंगलैण्ड के लिवा यूरोप के दूसरे राज्यों के शहरों से बड़े चेद हैं, वे आजके जमाने में शहर की बनावट को परिवर्त देने वाली सारी कुशलता का स्थान हैं; और यूरोप में शायद ही ऐसी कला होगी जो यथापि यूरोप में बहुत मुद्रत तक मज़ कर ठीक हुई होगी तो भी, अमेरिका में यूरोप के बराबर ही या उससे भी अधिक कुशलता से जारी न हो। भावित्य में (तत्व ज्ञानी राजनीतिक पुरुष और लेखक तथा आकाशी और यांत्रिक विज्ञानी को एक सिद्ध करने वाले, अमेरिकन स्वतंत्रता की लढ़ी के एक अगुआ.) फ्रांकलिन, ( गतिमान यात्र यंत्र का आविष्कार करने वाले और इंगलैण्ड में पहले पहल रेल बनाने

जनसत्ताके, परन्तु दूसरी 'आवश्यक यातों में-अच्छी' तरह सुगंडित, राज्यतंत्र में जो आशा रखी जा सकती है उसके सामने यह यात नहीं के बराबर है। क्योंकि यद्यपि अमेरिका का राजनीतिक जीवन वास्तव में एक सब से मूल्यवान पाठ-शाला है तथापि सबसे योग्य शिक्षक उसमें घुसने ही नहीं पाते। इसका कारण यह है कि देश के पहले दरजे के मन घाले मनुष्य तो मानो नियम पूर्वक अयोग्य ठहराये जाकर राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा से और साधारणतः सार्वजनिक कामों से चंचित रहते जाते हैं। अमेरिका में सत्ता का मूल जनता ही है इससे देश के सार्थी अभिलाप, जैसे निरंकुश या स्वेच्छाचारी राज्य में राजा की तरफ झुकते हैं वैसे ही, यहाँ जनता की तरफ झुकते हैं। राजा की तरह जनता का बखान और गुणगान होता है और सत्ता का हानिकारक परिणाम भी उसके सुधार और अच्छे प्रभाव के साथ पूर्णता से जारी रहता है। जब यह दोष लगा रहने पर भी जनसत्ताक राज्यतंत्र अमेरिका के सबसे निचले घरों में, इंगलैण्ड और दूसरे देशों के उन घरों की तुलना से, बुद्धि का उत्तम-विकास ऐसी स्पष्ट रीति से करता है तब इस प्रभाव का दूषित अंश दूर करके सार भाग

बाले ) स्टीफन्स और (याप्य यंत्र का आविष्कार करने वाले) बाटर को पैदा करने वाले एक समूचे राष्ट्र के विषय में अटकल लगाना दूसरे राष्ट्रों के लिये कुछ आश्चर्यजनक होगा। युरोप के योंहें सुधिति और बुद्धिमान पुरुषों की भेष्टता चाहे जैसी हो। परन्तु मुझावले में लोगों के बड़े मार्ग की मुस्ती और अज्ञानता के विद्द अमेरिका के समूचे जन समाज का विषय ऐसा है कि उत्तर सबसे अधिक ध्यान देना चाहित है।

कायम रख सकने पर कैसा फल होगा ? और किसी कदर ऐसा किया जा सकेगा; परन्तु वह जनता के जिस विभाग को दूसरी तरह का सव से थोड़ा ही मानसिक उत्तेजन है उसको राज्यकार्य पर ध्यान देने का मन कराने से विशाल, दूरदर्शी और उलझनदार लाभों में जो अनमोल प्रबेश कराया जा सकता है उसमें से खारिज करने से नहीं । जिन मजदूरों का धंधा भेड़ियाधसान के ऐसा है और जिनके जीवन की वृत्ति उन्हें कभी विविध भाव, प्रसङ्ग या विचार के संसर्ग में नहीं आने देती वे जो सीखते हैं कि दूर घाले कारण और वहुत सी होने वाली घटनाएं उनके निज के स्वार्थ पर भी बहुत प्रत्यक्ष असर डालती हैं सो सिर्फ राजनीतिक चर्चा से; और जिनके नित्य के काम उनके आस पास के एक छोटे मोटे वृत्त में ही उनके स्वार्थों को बटोर रखते हैं वे जो यह समझने लगते हैं कि हम अपने नगर बन्धुओं से सद्व्यवहार रखता और उनसे एक वृत्ति होना सीखते हैं और स्वयं एक महान जनता के समासद हैं वह सिर्फ राजनीतिक चर्चा और राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था से ही । परन्तु जिनके मत नहीं हैं और जो इसे पाने का यज्ञ नहीं करते, उनके ऊपर से राजनीतिक चर्चा अधर को ही उड़ जाती है । मतधारियों के मुकाबले उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी अदालत में वारद जूरों के मुकाबले दर्शकों की स्थिति है । जो मत मांगा जाता है वह उनका नहीं है, जिस अभिप्राय का प्रभाव पड़ता है वह उनका नहीं है; जो दरखास्तें पड़ती हैं, दलीलें पेश की जाती हैं वह उनके सामने नहीं घरंच दूसरों के सामने, वे जो निर्णय करते हैं उसका कुछ यज्ञ नहीं और उन्हें निर्णय करने की ज़रूरत नहीं है और लालच भी थोड़ा ही है । दूसरी तरह से जन सम्मत, राज्यतंत्र में जिनका कुछ मत नहीं है अथवा उसे पाने

की जिन्हें कुछ आशा नहीं है ये मानो निरन्तर असम्भृत रहते हैं या यद समझते हैं कि हमारा जनता के साधारण कार्य से कुछ सम्बन्ध नहीं है, यद कार्य हमारी तरफ से दूसरों को करना है, हम से कानून के पावन्द रहने के सिवा और किसी तरह का वास्ता नहीं है और सार्वजनिक लाभ और कार्य से दर्शक के सिवा और कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी दशा में ये इसके विषय में क्या जानना या परवा रखना चाहेंगे इसका अन्दाज कुछ कुछ इससे लग सकेगा कि मध्यम दरजे की खी अपने पति या भाइयों के सुकायले क्या जानती और परवा रखती है ।

इन विचारों को एक और रखें तो भी जिन कार्यों में एक का दूसरे के इतना ही स्थार्थ है उनके करने में अपना मत गिनाने का साधारण हक किसी को भी न देना, अगर कोई भारी अनर्थ रोकने के लिये न हो तो एक तरह का अन्याय है । अगर उसे धन देना पड़े, कभी लड़ने जाने को साचार होना पड़े और यिना चूं किये हुक्म मानना पड़े तो क्यों ऐसा होता है यह जानने का, उसकी सम्मति पूछी जाने और उसका अभिप्राय घजन से अधिक नहीं तो उसके अनुसार ही गिनती में लिये जाने का उसे कानून के रूप से हक होना चाहिये । एक सम्पूर्ण यिले और सुधरे हुए जन समाज में कोई अन्त्यज, कोई मनुष्य यिना यास अपने दोष के नालायक न गिना जाना चाहिये । प्रत्येक जन, जब दूसरे मनुष्य उससे सलाह लिये यिना उसके भविष्य की व्यवस्था करने की निरंकुश सत्ता अपने हाथ में लेते हैं तब यह समझना हो या नहीं परन्तु दलका गिना जाता है । और मनुष्य मन अभी तक जहाँ पहुँच सका है उससे कहीं बढ़कर सुधरी हुई अवस्था में भी जिन के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था होती है उनको मतधारियों

के इतना ही न्याय मिले यह स्वाभाविक नहीं है । राजाओं को और शासनकारी वर्ग को, जिन्हें मत दृक् होता है उनके स्वार्थ और अभिलाप पर ध्यान देने की ज़करत पड़ती है । परन्तु जो वंचित रहते हैं उनके विषय में ऐसा करना या न करना उनकी मरजी पर है । और उनकी कृति चाहे जैसी ईमानदार हो परन्तु जिन विषयों पर ध्यान दिये विना उनका काम नहीं चल सकता उनमें वे साधारणतः इतने उलझे रहते हैं कि जिस विषय में वे वेखटके लापरवा रह सकते हैं उस पर विचार करने को उन्हें तनिक अवकाश नहीं मिलता । इससे मत दृक् की जिस व्यवस्था में काई वर्ग या मनुष्य एकदम निकाल दिया जाता है, जिस में मतधारी का अधिकार चाहने वाले प्रौढ़ अवस्था के पुरुष उसे नहीं पा सकते उस में स्थायी सन्तोष नहीं प्राप्त होने का ।

इतने पर भी प्रत्यक्ष कारणों से कुछ यास प्रतिबंधन आवश्यक हैं क्योंकि ये प्रतिबन्धन मूल तत्त्व के विरुद्ध नहीं हैं और यद्यपि वे स्वयं दूषण हैं तथापि जिस दशा में वे आवश्यक हो जाते हैं उस स्थिति का अभाव होने से ही दूर किये जा सकते हैं । जो मनुष्य पढ़ने लिज्जने, और विशेष कर में यह कहता है कि, अङ्गगणित की साधारण किया करने में अशुक्त हों वे मतदृक् पावें यह बात सुझे पसन्द नहीं । यही मतदृक् का आधार न हो तो भी यह मूल गुण पाने का साधन प्रत्येक मनुष्य के सामने होना चाहिये और यह या तो मुफ्त मिले या इतने रर्च से मिले जिसे स्वयं कमा लाने वाले गरीब से गरीब मनुष्य दे सकें । अगर बास्तव में ऐसी स्थिति हो तो लोग न बोल सकने वाले वालकों की तरह न पढ़ सकने वाले मनुष्यों को मतदृक् देने का कुछ विचार न करें; और इस प्रकार उनको जो वंचित करेगा वह समाज

नहीं होगा यरंच उनकी अपनी सुस्ती होगी । समाज ने जब इतनी शिक्षा देने का अपना कर्तव्य न पाला हो तब कुछ कष्ट तो होगा परन्तु यह कष्ट सहन करना ही चाहिये । समाज ने जब दो महान् कर्तव्य पालन करने में शुटि की हो तब दो में से अधिक जरूरी और अधिक आधार भूत कर्तव्य पहले पालन, करना चाहिये । सार्वजनिक शिक्षा सार्वजनिक मतदाक से पहले होना चाहिये । जिन की समझ पर पुराने सिद्धान्त का परदा न पड़ा होगा वे तो कोई ऐसा आग्रह नहीं करेंगे कि जिन्होंने अपनी सम्भाल रखने के लिये अपना लाभ और उसके साथ अपने सब से निकट सम्बन्धी मनुष्यों का लाभ विवेक पूर्वक सम्पादन करने के लिये ज़रूरत के सब से मामूली और आधार भूत गुण नहीं प्राप्त किये हैं उनके हाथ में दूसरे के ऊपर की, समस्त जनता के ऊपर की सत्ता सींपी जाय । यह दलील वेश्या आगे बढ़ायी जा सकेगी और अधिक शूल सूती से साधित की जा सकेगी । पहले लिखने और अद्वितीय के सिवा दूसरे विषय भी मतदाक के लिये आवश्यक घनाये जा सकते हैं । पृथ्वी की आकृति का और प्राकृतिक तथा राजनीतिक विमान का ज्ञान, साधारण इतिहास और स्वदेश के इतिहास तथा राज्यतंत्र के मूलतत्व का ज्ञान सब मतदाताओं में चाहा जाय तो बहुत उचित समझा जायगा । इस प्रकार का ज्ञान मतदाक का विवेक पूर्वक उपयोग करने के लिये चाहे जितना आवश्यक हो परन्तु इस देश में अथवा शायद संयुक्त राज्य के उत्तरी राज्यों के सिवा दूसरे किसी देश में समस्त जनता को सुगम नहीं है और उसके पाने का भरोसा करने का कोई विभवनीय उपादान भी विद्यमान नहीं है । इस समय तो ऐसे प्रयत्न से पक्षपात, प्रयंच और हर तरह का कष्ट ही यहेगा । एक को मतदाक दिया जाय और दूसरे को नहीं

इसको सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर रखते की आपेक्षा यह अच्छा है कि आम तौर पर दिया जाय या आम तौर पर यंदे रखा जाय। फिर भी पढ़ने लिखने और हिसाय किताय के बारे में तो कुछ कठिनाई ही जान वडेगी। जो आदमी भपना नाम लिखवाने को हाजिर हो उससे नाम लियने वाले कर्मचारी के सामने किसी अंगरेजी पुस्तक से एक याक्य नकल करना और प्रैराशिक का एक हिसाब लगवाना तथा यह यहुत सार्दी परीक्षा ईमानदारी के साथ होती है इसके विश्वास के लिये निर्दारित नियम और सम्पूर्ण विश्वास की व्यवस्था करना आसानी से हो सकता है। अतएव सार्वजनिक मतदाक की सब दशाओं में यह शर्त होनी चाहिये और कुछ घरों में यह होगा कि जो लोग इस हक से इतनी बड़ी लापरवाही दिखाते होंगे कि स्वयं मत देने पर भी साधारणतः कोई व्यवस्थिक राजनीतिक अभिशाय न देते हों उनके सिवा दूसरा कोई वंचित नहीं रहेगा।

फिर यह भी आधश्यक है कि सार्वजनिक या स्थानिक फरों के विषय में मत देने वाली सभा उन्हीं के द्वारा चुनी जाय जो निर्दारित कर का कुछ भाग देते हों। जो लोग कुछ भी कर नहीं देते उनमें अपने मत से दूसरे के रूपये की व्यवस्था करने में खुले खजाने रूपया उड़ाने के यहुत से उद्देश्य होते हैं परन्तु किफायत करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। धून सम्बन्धी विषय में तो उनके हाथ में मत देने की कुछ भी सत्ता रहने से स्वतंत्र राज्यतंत्र का मूल आधार भूत सिद्धान्त भंग होता है और उसकी हितकारियों व्यवस्था की वृत्ति से अंकुश-सत्ता अलग करने के बराबर है। वे जिसको सार्वजनिक काम कह दें उस काम के लिये चाहे वह कैसा हूँ दो, दूसरे लोगों की जेव में हाथ ढालने की आज्ञा देने के बराबर

यह यात है। इस कारण से संयुक्त राज्य के कई बड़े शहरों में स्थानिक करों की दर घेहद वढ़ी हुई है और यह केवल धनवान श्रेणी के माझे पड़ी हुई है। ग्रिटिंश राज्यनीति शास्त्र का यह एक नियम है कि प्रतिनिधित्व कर के साथ ही साथ एक समान विस्तार में रहे, उससे पिछुड़ न जाय या न आगे ही चढ़े। परन्तु इस नियम का प्रतिनिधित्व में सम्बन्ध रखने वाली शर्त के तौर पर सार्वजनिक मतदाक से सामझस्य रखने के लिये कर का सब से गरीब श्रेणी तक कुछ प्रत्यक्ष आकार में पहुँचना आवश्यक है और दूसरे कई कारणों से अभीष्ट भी है। इस देश में और दूसरे किंतु दी देशों में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो निद्रा जनक या मादक पदार्थों को न गिनें तो भी चाय, कहवा और चीनी गरीद कर परोक्ष कर में वृद्धि न करता हो। परन्तु सार्वजनिक व्यय में भाग लेने की इस पद्धति का प्रभाव लोगों पर मुश्किल से पड़ता होगा। कर देने वाला शिक्षित और विचार शील पुण्य न हो तो जब उस से सार्वजनिक व्यय नियाहने के लिये सीधे तौर पर कर मांगा जाता है तब यह उसकी हल्की दर में जैमा निकट स्वार्थ समझता है ऐसा इस में नहीं समझता; और अगर यह सोचें कि यह समझता है तो यह येशक इतनी सम्भाल रखेगा कि अपनी राय देकर सरकार के सिर पर चाहें जैसा उड़ाऊ गर्व समझने में मदद कर दे परन्तु जिन चीजों को यह सबंध काम में लाता हो उनके ऊपर के कर की दर बढ़ा कर बढ़ना किया जाय। अधिक अच्छा भाग यह है कि हर एक पोखता उमर के आदमी पर जजिया के ऐसा मामूली दरजे का कर लगाया जाय; या जो आदमी अपने ऊपर लगाये हुए इस कर की दर में इस किसम की कुछ असाधारण वृद्धि करने दे यह मतदाताओं

मैं शांमिल किया जाय अथवा देश के समूचे खर्च के हिसाब से कमोवेश एक छोटी सी सालाना रकम हर एक रजिष्ट्री शुदा मातदाता से ली जाय कि जिस से हर एक आदमी को यह मालूम हो कि जिस रूपये को खर्च करने में वह अपने मत की भद्रद देता है उस में कुछ भाग अपने सिर पर है और उसकी रकम थोड़ी रखने में अपना स्वार्थ है ।

यह चाहे जो हो परन्तु मैं यह समझता हूँ कि पेरिश का आधार लेने वाले मनुष्य को मतहक के लिये प्रत्यक्ष रूप से अपोग्य गिनता चाहिये । यह प्रथम मूल तत्व के अनुसार है । जो मनुष्य अपनी मिहनत से अपना पोषण नहीं कर सकता उसको दूसरे का पेसा अपने हाथ में लेने के हक पर कुछ दावा नहीं है । अपने प्रत्यक्ष पोषण के लिये जनता के वाकी मनुष्यों का मुँहताज होने से वह दूसरे विषयों में उनके समान हक रखने का दावा छोड़ देता है । जिनसे उसकी गुजर का भरोसा है वे अगर यह चाहें कि यह साधारण मूलधन में इस समय कुछ वृद्धि नहीं करता या उसमें से जितना लेता है उससे कम वृद्धि करता है इस लिये उस मूलधन की व्यवस्था इसको खारिज करके स्वतंत्रता से करना चाहिये तो यह उचित है । मतहक के विषय में एक ऐसी शर्त रखनी चाहिये कि एक नियत की हुई मुहूर्त तक—मसलन पांच घण्टे तक—प्रार्थी का नाम पेरिश के बहीजाते में आश्रित के तौर पर लिखा न होना

क्षम वर्षोपदेश के लिये इंग्लॅण्ड छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ है, उन प्रदेशों को पेरिश कहते हैं । प्रत्येक प्रदेश में एक जर्मन गुरु होता है । पेरिश के अगदर जन्मे हुए अशक्त भौत विराशय का पोषण उसके बिर रखा है और इसके प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति रहती है ।

चाहिये । अपना दीवाला निकालने थाला या दीवालिया कानून से लाभ उठाने थाला मनुष्य जब तक अपना देना न चुका दे अथवा इतना भी सायित न करे कि अब या कुछ मुदत से वह निराश्रित सहायक धन के भरोसे नहीं है तब तक उसको मतहक के योग्य न समझना चाहिये । जो आदमी कर इतनी लम्बी मुदत तक न दे कि वह भूल चूक में शामिल न हो उस आदमी को मतहक के योग्य न मानना चाहिये । ये शर्तें प्राकृतिक रौति पर स्थायी नहीं हैं । इनमें दर असल ऐसी शर्तें हैं कि सभी मनुष्य चाहें तो पूरी करने को समर्थ हो सकते हैं या उनको होना चाहिये । जो कठिनाईं प्राकृतिक होती हैं उनके लिये तो मतहक का मार्ग खुला ही रहता है । और जो कोई मनुष्य वंचित होता है वह या तो उसकी इतनी कम परवा रखता है कि उसके लिये जो कुछ करना उसका फर्ज है उसको वह नहीं करता अथवा वह संकट और अधमता की ऐसी साधारण स्थिति में होना है कि उसमें अगर दूसरों की हिफाजत के लिये ज़रूरी यह जरा सी बढ़ती होगी तो जान नहीं पड़ेगी और वह आदमी उसमें से याहर निकलेगा तब दूसरे के साथ इस अधमता का चिन्द भी अदृश्य हो जायगा ।

इससे (अगर यह मान लें कि हमने अभी जिनकी आलोचना की है उनके सिया दूसरी कोई शर्त नहीं है तो) हम आगा रग सकते हैं कि, अन्त को उस उत्तरोत्तर घटते हुए धर्म के सिया अर्थात् पेरिश के आधितों के सिया सब को मतहक मिलेगा, यानी इस स्थलप अपवाद के सिया मतहक सार्वत्रिक ही रहेगा । इसका इस तरह विशाल प्रसार होना चाहिये । जैसा कि हमने देखा है, यह अच्छे राज्यतंत्र की विशाल और उष्म भायना में आवश्यक है । इतने पर भी ऐसी स्थिति

में बहुतेरे देशों के और निस्सन्देह इस देश के मतधारियों का बड़ा भाग स्वयं मजदूर होगा और इससे वेहद हल्के दरजे के राजनीतिक ज्ञान का और घर्गलाम के कानून का दूना भय यना रहेगा । देखने को यह रह जाता है कि इन दोपों को दूर करने का उपाय है या नहीं ।

मनुष्य अगर सधे दिल से चाहे तो ये दोष दूर हो सकते हैं । किसी कृत्रिम युक्ति से नहीं, वर्त्त्य जिन को कोई स्वार्थ या रियाज वाधा न ढाल सकतो हो ऐसे विषयों में प्रत्येक जन को जीवन का जो साधारण कम अनुसरण करना पसन्द है उसके अनुसरण से ही । सभी मनुष्य कार्यों में जिनका प्रत्यक्ष स्वार्थ हो और जो दर असल वाल्य अवस्था में न हो उन सब जनों को मतं का हक है और जय तक इनका किया हुआ मत का उपयोग सब की रक्ता के प्रतिकूल न जाता हो तय तक उनको न्याय के रूप से उससे वंचित नहीं कर सकते । परन्तु यद्यपि प्रत्येक जन का मत होना चाहिये तथापि यह प्रश्न अलग हो है कि क्या प्रत्येक जन का समान मत होना चाहिये? जिन दो मनुष्यों का किसी कार्य में संयुक्त स्वार्थ होता है उन में जब मत भेद होता है तब क्या न्याय यह चाहता है कि दोनों की राय समान घजन की समझी जाय? अगर दोनों में सद्गुण समान हों परन्तु ज्ञान और बुद्धि में एक से दूसरा थोप्त हो अथवा दोनों में बुद्धि समान हो परन्तु सद्गुण में एक से दूसरा यढ़कर हो तो अधिक बुद्धिवाले या अधिक सद्गुणधाले मनुष्य की राय या निर्णयघटिया मनुष्य की राय या निर्णय से अधिक घजनदार है । अगर देश का नियमतंत्र वस्तुतः यह प्रगट करता हो कि दोनों एक समान घजनदार हैं तो यह गलत बात जाहिर<sup>१</sup> करता है । दो में से एक को अधिक स्याने या सद्गुणी मनुष्य की हैसियत से अधिक घजन का हक है ।

फटिनार्ड यह निर्णय करने में है कि दोनों में से कौन अधिक यजन के लायक है। मनुष्य मनुष्य में तो यह यात असम्भव है परन्तु मनुष्यों को अगर संस्था के रूप में या जथा के रूप में लैं तो सत्यता का कुछ खास सीमा तक निर्णय किया जा सकता है। जिस विषय को प्राइवेट और पृथक मनुष्य का हक गिनने का कारण हो उस में यह सिद्धान्त लागू पड़ने में कुछ यहाना नहीं मिलेगा। जिस काम से दो में से एक ही मनुष्य का सम्बन्ध हो उस से दूसरा उस से चाहे कितना ही चतुर हो परन्तु उस एक को ही अपनी राय के अनुसार चलने का हक है। परन्तु हम तो जिन में दोनों पा समान सम्बन्ध होता है, उन विषयों के बारे में कहते हैं; क्योंकि उनमें अगर अधिक अक्षान मनुष्य अपने हिस्से का काम अधिक चतुर मनुष्य की निगरानी में न संपै तो अधिक चतुर मनुष्य को अपने हिस्से का काम अधिक अक्षान के द्वारा में संपन्ना पड़ेगा। फटिनार्ड दूर करने की इन दो में से कौन पद्धति दोनों के लिये सब से लाभकारी और साधारण विवेक का अनुसरण करने वाली है? अगर दो में से एक को अपनी यात छोड़ना अन्याय जंचे, तो दोनों में घड़ा अन्याय की है? अधिक अच्छे निर्णय का अधिक यात्राय के अधीन होना या अधिक यात्राय का अधिक अच्छे के अधीन होना?

अब साधेजनिक कार्य व्यवहार पेसा दी संयुक्त विषय है परन्तु ऐसे इतना ही है कि उस में किसी को अपनी राय का समूचा त्याग करने को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमेशा हिसाय में ली जा सकेगी और याम परिमाण तक गिनी जा सकेगी। जिन की राय को अधिक मारी यजन का हक होगा उनके मत का अधिक परिमाण माना जा

सकेगा। इस प्रबन्ध में जिस को घटिया दरजे की सत्ता ही जायगी उसके प्रति अवश्य ही नुकसान करने का विचार नहीं होगा। साधारण विषयों में मत को सम्पूर्ण रूप से रुकावट डालना एक बात है और संयुक्त लाभ की व्यवस्था में अधिक ऊँची शक्ति के कारण दूसरों को अधिक प्रबल मत की स्वाधीनता देना दूसरी बात है। ये दोनों बातें केवल भिन्न हैं इतना ही नहीं वरंच इन दोनों में कुछ भी समानता नहीं है। प्रत्येक जन को शान्त्यवत् और कुछ भी नहीं गिनने से अपना अपमान समझने का हक है। कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो यह बात स्वीकार करने में अपना अपमान समझते हैं कि दूसरों की राय और इच्छा को भी अपनी अपेक्षा अधिक वजनदार मानना चाहिये। ये लोग केवल मूर्ख और सो भी बास किस्म के मूर्ख हैं। कोई मनुष्य राजी खुशी से यह नहीं मानेगा कि जिस विषय में उसका किसी कदर सम्बन्ध है उस में उसका किसी कदर सम्बन्ध हो जिस में उसका किसी कदर सम्बन्ध होता है उस में दूसरे का भी कुछ सम्बन्ध हो और उस को ऐसा लगता है कि यह दूसरा इस विषय को अधिक अच्छी तरह समझता है, तथा यह ऐसी आशा रखता है कि उस दूसरे की राय को अपने से अधिक वजनदार समझना चाहिये। और जीवन के दूसरे व्यवहार में उसे जिस स्थाभाविक क्रम को मानने का अभ्यास पड़ा होता है उसके अनुसार ही यह है। जहरत इतनी ही है कि यह थ्रेप्ट सत्ता इस बुनियाद पर देनी चाहिये कि यह उसकी समझ में आवे और उसका औचित्य उसके ध्यान में बैठ सके।

यह थ्रेप्ट सत्ता सम्पत्ति के विचार से देना अगर तात्कालिक उपाय के तौर पर न हो तो मैं इसको विलकुल स्वीकार

योग्य नहीं मानता, इसके कहने में मैं तनिक नहीं हिचकता। सम्पत्ति एक तरह की कसौटी है इस बात से मैं इनफॉर्म नहीं करता। यहुतेरे देशों में शिक्षा कुछ धन के लिहाज से नहीं होती तथापि यह औसत से जनता के गरीब अद्भुतमान की अपेक्षा धनवान अद्भुतमान में अधिक अच्छी होती है। परन्तु यह कसौटी ऐसी अधूरी है, संसार में मनुष्य की समुद्दिश यढ़ाने में गुण की अपेक्षा अकस्मात् का इतना अधिक प्रभाव चलता है और किसी को चाहे जितना शान प्राप्त करके उसके अनुसार ऊँची पंदवी पाने का भरोसा ऐसा असम्भव है कि भत हक का यह आधार सदा से अतिशय धिकार का पात्र है और सदा रहेगा। मतों का सम्बन्ध किसी धन सम्बन्धी योग्यता से जोड़ना स्वयं आपत्ति जनक है। इतना ही नहीं वरंच वह इस नियम को अपयश लगाने और इसका स्थायी निर्याद असाध्य बनाने का यासा मार्ग है। जनसत्ता को और यासकर इस देश की जनसत्ता को तां साम्राज्य व्यक्तिगत श्रेष्ठता से कुछ ईर्ष्या नहीं है। परन्तु केवल सम्पत्ति की श्रेष्ठता से ही उसको स्वाभाविक और यहुत उचित ईर्ष्या है। जिस एक बात से एक मनुष्य की राय एक से अधिक कं चरायर गिनता। उचित हो सकता है वह पृथक पृथक मनुष्य की मानसिक श्रेष्ठता है; और जो जकरी है वह उसे निश्चय करने का साधन है। अगर वास्तविक सामाजिक शिक्षा या साधारण परीक्षा की विश्वासयात्र पढ़ति सरीयी कोर्ट वस्तु विद्यमान हो तो शिक्षा की प्रत्यक्ष परीक्षा ली जा सकती है। इस के अभाव में मनुष्य के धन्धों की किस्य की कुछ परीक्षा है। मिहनत करने वाले की अपेक्षा मिहनत कराने वाला औसतन अधिक बुद्धिमान होता है; क्योंकि उसको केवल दाय की नहीं वरंच माज को भी मिहनत करनी पड़ती है। साधारण

मजदूर की अपेक्षा मेठ और वे कला वाले धन्धे के कारीगर की अपेक्षा कला वाले धन्धे का कारीगर साधारणतः अधिक बुद्धिमान होता है। दुकानदार की अपेक्षा साहूकार, व्यापारी, या कारखाने वाले का अधिक बुद्धिमान होना सम्भव है; क्योंकि उसको बहुत अधिक और उलझन वाले विषयों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन सब प्रसङ्गों में योग्यता की जो परीक्षा होती है, वह सिर्फ श्रेष्ठ काम सिर पर लेने से नहीं वरंच उसे सफलता पूर्यक करने से। इस कारण से और मनुष्यों को महज मत देने के लिये ही किसी धन्धे में नाम को हाथ लगाने से रोकने के निमित्त एक ऐसी शर्त रखना उचित जंचेगा कि उसका उस धन्धे में कुछ खास मुदत तक (जैसे तीन धर्प तक) लगे रहना लाजिम है। ऐसी किसी शर्त के अन्दर इनमें से कोई श्रेष्ठ धन्धा करने वाले प्रत्येक मनुष्य को दो या अधिक मत दिये जा सकते हैं। नाम की नहीं वरंच सचमुच अंगीकार की दूर्दशिए वृत्तियां अवश्य ही इस से भी ऊंचे दरजे का ज्ञान दिखाती हैं और जहाँ जहाँ ऐसी किसी शिष्ट वृत्ति में दायित दोने से पहिले यथेष्ट परीक्षा देने की अथवा शिक्षा की कोई गहरी शर्त पालने की लाचारी रसी होती है वहाँ उस वृत्ति वाले मनुष्यों को एक दम अनेक मतों के अधिकारी या सकते हैं। विश्वविद्यालयों के उच्च पदवीधारियों के लिये यही नियम लाजिमी किया जा सकता है; और जिन विद्यालयों में ऊंचे दरजे का ज्ञान सिखाया जाता है वहाँ का पाठ्य क्रम समाप्त करने का प्रमाण-पत्र जो लावै उनके लिये भी, वह शिक्षा सिर्फ ढाँग नहीं है वरंच असली है इतना विश्वास करने की उचित सावधानी रख कर यही नियम लाजिमी हो सकता है। सद्योग की डिग्री के लिये जो 'स्थानिक' अथवा 'मध्यम वर्ग' की परीक्षा (इंग्लैण्ड के सब से प्राचीन)

आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने प्रशंसनीय सीति और सार्वजनिक उत्साह से स्थापित की है और उसकी ऐसी जो कोई दूसरी परीक्षा योग्य विद्यालय स्थापित करे, उसको जिसने पास किया हो उसे अनेक मतों का हक देकर घड़ा लाभ प्राप्त करने का आधार मिलना है। इन परामर्शों के विषय में यहुत जुकाचीनी होना और उच्च उठना सम्भव है परन्तु इस उच्च के बारे में अभी से भविष्य सोचना व्यथा है। ऐसी युक्तियों को किसी व्यवहारी स्वरूप में रखने का समय नहीं आया है और न मैं यह चाहता हूँ कि मैं ने जो कुछ प्रस्ताव किये हैं वे सभी काम में लाये जायें। परन्तु मुझे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रतिनिधि शासन का सदा आदर्श इस मार्ग में है और जो सब से श्रेष्ठ व्यवहारी युक्तियाँ मिल जायें उनके द्वारा इसी ओर प्रयत्न करना 'धास्तविक राजनीतिक सुधार का मार्ग है।

अगर यह प्रश्न हो कि यह नियम कहाँ तक फैलाने योग्य है अथवा मनुष्य विशेष को श्रेष्ठ योग्यता के आधार पर कितने मत दिये जा सकते हैं तो इसका उत्तर मैं यह देता हूँ कि अगर इसका भेद और फ्रम स्वयं न निर्दर्शित कर सामा जिक अन्तःकरण और बुद्धि समझ कर स्थीकार किया जाय तो यह विषय स्वयं कुछ यहुत बजनदार नहीं है। परन्तु प्रतिनिधि-पद्धति के गठन में उत्कृष्टता की शर्तों के तौर पर पिछले अध्याय में गिनाये हुए मूल नियम में जो सीमा है उसके लांब न जाने की शर्त पूरी पूरी पालनी चाहिये। किसी तरह अनेक मतों का नियम इनना न फैलाना चाहिये कि उस से जिन को उसका हक हो वे अथवा मुराय कर के उनका कोई वर्ग हो तो वह वर्ग उस हक के जरिये याकी की सारी जनता पर रोब जमा ले। शिक्षा के पक्ष का यह भेद स्वयं

वास्तविक होने के सिवा येशिक्षा धार्लों के वर्गलाभ के कानून से शिक्षितों की रक्षा करता है। इससे उनको विशेष और प्रबल सहानुभूति मिलती है; परन्तु इस नियम को इतने से ही रोकना चाहिये कि वे लोग भी अपने पक्ष में वर्गलाभ का कानून बनाने को समर्थ न हों। विशेष इतना ही कहना है कि मैं जिस को अनेक मर्तों की योजना का एक परिपूर्ण आवश्यक अंग समझता हूँ वह यह है कि जब जनता में गरीब से गरीब मनुष्य भी साधित कर सके कि वह सारी कठिनाइयों और अड़चलों के होते हुए भी ज्ञान के विषय में अनेक मर्तों का हकदार है तो उसके लिये आपने हक का दावा करने का मार्ग खुला रहना चाहिये। ऐसी स्वेच्छा परीक्षा होनी चाहिये कि उस में चाहे जो मनुष्य उपस्थित हो और साधित कर दे कि वह ज्ञान और कुशलता में निर्दिष्ट कक्षा तक पहुँचा हुआ है और इस से अनेक मर्तों के हकदारों में उस को दाखिल करना चाहिये। अगर हक के तर्फ और तत्त्व में शत्तों पर भरोसा हो तो शत्तों जो पूरी करे वह उस हक से इनकार नहीं किया जायगा तब वह हक अवश्य ही किसी की न्याय वृत्ति के प्रतिकूल नहीं जान पड़ेगा। परन्तु अगर वह हक हमेशा अचूक न होने योग्य साधारण विचार के लिहाज से दिया जाय और शत्तों प्रमाण होने पर भी न दिया जाय तो वह अवश्य ही प्रतिकूल जंचेगा।

यद्यपि ऐरिश के व्यवस्थापकों और निराधित कानून के रक्षकों (अशक्तों और निराधारों की परवरिश के लिये घने हुए कानून के अनुसार प्रबन्ध करने को नियुक्त मनुष्यों) के चुनाव में अनेक मत देने की चाल है तथापि वह पार्लिमेंट के चुनाव में इतना अपरिचित है कि जल्द या राजी युशी से उसके स्वीकार किये जाने की सम्भावना नहीं है। परन्तु जब

यह समय निश्चय आवेगा कि चुनाव इस पद्धति और समाज सार्वत्रिक मत के बीच में ही रहेगा तब अधिक अच्छी यात यह है कि जिसको दूसरी पद्धति प्रसन्न न हो वह जहाँ तक यने शीघ्र पहिली पद्धति से अपने मन को मनाना आरम्भ करे । इस बीच में अगर साम्प्रत यह परामर्श काम में लाने योग्य न हो तो भी इस के छारा जो वस्तु अपने मूल तत्त्व में सब से थ्रेष्ट है उस और ध्यान जायगा और जो जो विद्यमान या भीकार करने योग्य परोक्ष साधन कुछ कम पूर्ण रीति से यही उद्देश्य पूरा करते होंगे उनकी प्राह्या-प्राह्यता के विषय में निर्णय करने की बन आयेगी । कोई मनुष्य एक ही मत स्थल पर दो मत देने के मार्ग के सिया दूसरी गाद से भी दूना मत दे सकता है । उस का भिन्न भिन्न दो मत समितियों में प्रत्येक के लिये एक एक मत हो । साम्प्रत यद्यपि यह अपवाद रूप हक्क ज्ञान के घट्टे सम्पत्ति की थ्रेष्टता को मिलता है तथापि जहाँ यह विद्यमान है वहाँ यह हो यह में नहीं चाहता; क्योंकि जब तक शिक्षा की अधिक सबी परीक्षा स्वीकृत नहीं हुई है तब तक सम्पत्ति की हँसियत से मिल सकने वाला यह अपूर्ण हक्क भी हाथ से जाने देना युद्धिमानी नहीं है । इस हक्क का सम्बन्ध थ्रेष्ट शिक्षा में अधिक सीधी रीति पर ज़ुड़े इस ढंग में इस को अधिक-फैलाने का उपाय गोजना हो तो वह मिल सकता है । किसी भविष्य सुधार के मसविदे में, जिसमें मतहक्क के विषय में सम्पत्ति सम्बन्धी श्रेष्ट अधिक अंश में कम की जाय और सब विश्वविद्यालयों के पदवीधारियों को, अधिक ऊंची शिक्षा देनेवाली शालाओं में सम्मान के साथ पास होने वाले सब पुढ़रों को, शिए युतिवाले सब मनुष्यों को और कदाचित् कुछ दूसरों को भी वे जहाँ रहते हों उस स्थान के साधारण

नागरिक की हैसियत के मतहक के सिवा अपनी खास योग्यता के लिये, अगर दूसरी मत समिति में ये नाम दर्ज कराना चाहें तो उसमें दर्ज कराने और मत देने का खास हक देने की धारा रखी जाय तो वड़ी बुद्धिमानी की वात हो।

जितने अंश की थ्रेषु सत्ता शिक्षा को देना उचित है और सब से कम शिक्षित वर्ग के संख्यावल का सामझस्य रखने की जरूरत है उतनी थ्रेषु सत्ता शिक्षा को शिक्षा की हैसियत से देने वाली कोई अनेक मत की पद्धति जब तक योजित नहीं हुई है और उसे स्वीकार करने को लोकमत राजी नहीं है तब तक मेरी समझ में सार्वत्रिक मत हक का लाभ प्राप्त करने में उस लाभ के साथ अधिक अनर्थ की सम्भावना है। अवश्य यह भी सम्भव है कि कितनी ही निर्दिष्ट मत समितियों में मतहक की सीमा बांधने वाले बंधन एकदम टूट जायें और इस से वहाँ के सभासद मुख्य कर के मजदूरों के हाथ चुने जायें; इसके सिवा दूसरे स्थान पर चुनाव की वर्तमान पद्धति कायम रहे अथवा उस में किये हुए फेर धर्म के साथ मत समिति का इस रीति पर गठन किया जाय कि पार्लीमेण्ट में मजदूर दल प्रबल होने से रुके ( और यह शायद अच्छी प्रतिनिधि पद्धति की ओर जाने वाले हमारे मार्ग का एक पड़ाव है ) । ऐसे सामझस्य से प्रतिनिधि तत्व के अनियम सिर्फ कायम नहीं रहेंगे बरंच उल्टे उन में बृद्धि होगी। फिर भी यह कुछ अनितम अड़चल नहीं है; क्योंकि जिस देश को शुभ उद्देश्य साधने के लिये, उस तरफ सीधे रास्ते जाती हुई नियमित पद्धति ग्रहण करने योग्य न जंचे उसे, जो पद्धति अनियमों से मुक्त हो, परन्तु जो नियम पूर्वक अशुभ उद्देश्यों की तरफ रुख रखती हो अथवा जिसमें दूसरे उद्देश्यों के समान कितने ही जरूरी उद्देश्यों ही रह जाते हों उसे स्वीकार करने

की अपेक्षा एक अनियमित चाल चलाऊ पद्धति ही यहुत पसंद करने योग्य मानकर उस से सन्तुष्ट रहना चाहिये । यहुत यड़ा उज्ज्ञ यह है कि यह व्यवस्था मिं० हेयर की योजना में घाँट्ठित स्थानिक मत समितियों की भीतरी एकता के प्रतिकूल है; और इस में प्रत्येक मतधारी, जिस एक या अधिक मत समितियों में उसका नाम दर्ज हुआ होगा, उसी में फंसा रहेगा तथा अगर वहाँ के स्थानिक उमेदवारों में से किसी एक को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता होगा तो यिलकुल प्रतिनिधि नहीं भेज सकेगा ।

जिनको मतहक मिल चुका है परन्तु जिनका मत समाने के पक्ष का हमेशा अधिक मत होने से निरुपयोगी हो जाता है उनके छुटकारे पर मैं इतना अधिक जोर देता हूँ—सत्य और विचेक को अपनी धात मुनाने और जबरदस्त यहसु चलाने भर की जमानत मिले तो उसके स्वामायिक असर की तरफ से मैं इतनी यद्दी आशा रखता हूँ—कि अगर समान सार्वत्रिक हक मिं० हेयर के नियम से अपने असली अर्थ के अनुसार सब छोटे बगों को उनके परिमाण से प्रतिनिधि दे तो उसकी किया की तरफ से भी मैं निराशा का कारण नहीं देखता । परन्तु इस विषय पर जो सब से अच्छी आशा की जा सकती है यह निश्चित ही हो तो भी मैं अनेक मतों के नियम का पक्ष नहीं छोड़ूँगा । मैं अनेक मतों की सलाद देता हूँ यह इसलिये नहीं कि यद्यपि यह यस्तु स्वयं अनिए है तथापि मत हक में से जनता के किसी आस विभाग को वंचित करनेवाले प्रतिवन्धन की तरह, जब तक यहुत यड़ा अनर्थ रोकने के लिये उसकी जहरत है तब तक उसे तत्काल के लिये सहें । मैं समान मत को कुछ ऐसी यस्तु नहीं गिनता कि अगर उसकी अद्व्यतीन सम्भाल ली जाय तो यह स्वयं

अच्छी है। मैं यह मानता हूँ कि यह सिर्फ तुलना में अच्छा है—असम्युद्दया या आकस्मिक प्रसङ्गों के आधार पर बने हुए असमान हक्की अपेक्षा कम आपत्तिजनक है परन्तु मूलतत्व में गलत है; क्योंकि यह भूठा धोरण स्वीकार करता है और मतधारी के मन पर युरा असर करता है। देश का राज्यतंत्र यह जाहिर करेगा कि अज्ञान को ज्ञान के बराबर ही राजनीतिक सत्ता का अधिकार होना उपयोगी नहीं है, बरंतर हानिकारक है। जिन विषयों से राष्ट्रीय तंत्र का सम्बन्ध हो उन सब का जो स्वरूप नागरिकों को लाभदायक हो उस स्वरूप में उन विषयों को राष्ट्रीय तंत्र को उसके मन के सामने रखना चाहिये; और जब उसे यह विचारना लाभकारी है कि प्रत्येक जन को कुछ सत्ता का अधिकार है परन्तु अधिक अच्छे और अधिक चतुर मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अधिक अधिकार है तब राज्य का इस निर्णय को स्वीकार करना और उस देश के नियमों में दाखिल करना आवश्यक है। ऐसे विषय देश के नियमों के जीवनाधार हो जाते हैं। परन्तु उसकी सत्ता के इस अंश का साधारण और विशेष कर के अंगरेज दार्शनिक सब से कम विचार करते हैं। तो भी जिस देश पर खुलम खुला भारी जुलम नहीं होता उसके राज्यतंत्र के किसी प्रत्यक्ष नियम की अपेक्षा उसके जीवनाधार का बहुत प्रबल असर होता है और इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय प्रकृति का जो गठन होता है यह इस जीवन सत्य के आधार से। अमेरिकन राज्यतंत्र ने अमेरिकनों के मन में प्रबल भाव से यह विचार जमा दिया है कि ( गोरे चमड़े का ) हर कोई दूसरे हर किसी के इतना ही अच्छा है और मुझे पेसा जान पड़ता है कि अमेरिकन प्रकृति में मौजूद अधिक दोषों में से कितनों का इस गलत मत से निकट सम्बन्ध है। यह कम

की हुई नहीं है, और उन्नति के मार्ग में आये हुए सब तात्कालिक या स्थायी विधाम विन्दुओं में सब से थ्रेष्ट और उच्च गुणों का विकास करने याला विधाम विन्दु वह स्थिति है जो विवेक को प्रवल करने की शक्ति रखती है; परन्तु विवेक पर स्थिर प्रवल हो जाय इतनी शक्ति उसमें नहीं है । धनवान् और निर्धन, बहुत शिक्षित और दूसरे जिन जिन घरों और पथों में जनता विभक्त होती है उन सब को हमारे प्रतिपादन किये हुए मूलतत्व के अनुसार यथासाध्य इस स्थिति में रखना चाहिये । और इस मूल नियम के साथ थ्रेष्ट मानसिक गुणों में थ्रेष्टता देने के दूसरी तरह के न्यायी नियम जुड़ने से राज्यतंत्र एक प्रकार की सर्वथ्रेष्ट सम्पूर्णता प्राप्त करेगा और मनुष्य व्यवहार की उलझन घाली स्थिति में यही सम्पूर्णतया साध्य है ।

सार्वजिक परन्तु प्रमवद्ध मताद्धक के विषय में की हुई आलोचना में मैं ने खी पुष्ट का भेद नहीं किया है । राजनीतिक दृष्टक के विषय में मैं इस भेद को उचाई या घाल के रंग के भेद के ऐसा ही सम्पूर्ण असम्बद्ध समझता हूँ । सब मनुष्यों को अच्छे राज्यतंत्र में समान लाभ है; सब की भलाई पर उसका समान असर होता है और उसमें उन सब को अपने भाग का लाभ बनाये रखने के लिये मत होने की समान जरूरत है । अगर कुछ भेद हो तो यह कि पुरुषों की अपेक्षा लियों के मत की अधिक जरूरत है; क्योंकि स्थिर अवला होने से उनको अपनी रक्षा के लिये फानून और दुनिया का अधिक भरोसा रखना है । लियों का मत न होना चाहिये इस विचार को जो एक दी दलील सहारा दे सकती है उसको मनुष्य जाति ने मुद्दत हुई छोड़ दिया है । किसी का अपेक्षा विचार नहीं है कि खी जाति गुलामी में रहे और पति, पिता या भाई के घर मजदूरनी बने रहने के सिवा और कोई

विचार, अमिलापा या उद्योग न करे । क्वारी ब्रियों को मिल-कियत मोगने और धन तथा धन्ये के विषय में सम्बन्ध रखने की पुरुणों के वरावर ही स्वतंत्रता है और यह स्वाधीनता व्याही ब्रियों को देते कर्मा नहीं देगा । यह उचित और योग्य जान पढ़ता है कि ब्रियां विचार करें लेंग लिये और धिक्कर हों । जहाँ यह विषय स्वीकार हुआ कि किर राजनीतिक अग्रदता को किसी मूल तत्व का आधार नहीं रहता । विशेष विशेष मनुष्य किस लिये लाभदायक है और किस लिये नहीं, उनको क्या करने देना चाहिये और क्या नहीं—यह निर्णय करने के जनता के हक्क के विषय में अर्थात् जगत की सारी विचार पद्धति अधिक जांश में विगड़ मत प्रगट करनी जाती है । अर्थात् इन राज्यनीति और अर्थशास्त्र के मूल तत्त्व अगर किसी काम न हों तो यह साधित करने में फि इस विषय का यथार्थ निर्णय पृथक् पृथक् मनुष्य स्वयं ही कर सकते हैं; और तुनायके विषय में सम्पूर्ण स्वतंत्रता होंगी तो जहाँ जहाँ स्वानाविक वृत्ति में घासनविक मेंद होंगा वहाँ यहाँ भाग जिस में सब से अधिक योग्य मनुष्य होंगे उस विषय का हाथ में लेंगा और जो अपवाद कर होंगे वे ही मात्र अपवाद कर मार्ग पकड़ेंगे । अर्थात् इन सामाजिक सुधारों का सारा गम गलत न हो तो मनुष्य प्राणी को किसी प्रामाणिक धन्ये का मार्ग बन्द करने वाले सब प्रकार के प्रतिबन्धन और अग्रदता पूर्ण कर से रद कर के उस गम को काम में लाना चाहिये ।

परन्तु ब्रियों को मत हक्क होना चाहिये यह साधित करने के लिये, यह सब प्रतिपादन करने की भी जरूरत नहीं है । ब्रियों की गणता घर गृहस्थी में फँसे हुए और घर सत्ता के बजे में पड़े हुए अर्थात् धर्म में होनी चाहिये यह जितना गलत है उतना सही हो तो भी इस सत्ता को दुरपयोग से

यचाने के लिये मत हक के आश्रय को उन्हें कम जरूरत नहीं है। खियों को और पुरुषों को जो राजनीतिक हक की जरूरत है वह इसलिये नहीं कि वे राज्य चलावें परंतु इसलिये कि उन पर अंधेर न होने पावे। पुरुष-जाति में बड़ा भाग खेतों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का ही होता है और वे लोग सारी जिन्दगी ऐसे ही रहेंगे। परन्तु इस से जब तक मत हक का उनके हाथ से बुरा उपयोग होना सम्भव न हो तब तक उनके लिये कुछ कम आवश्यक नहीं है और न उस के ऊपर उनका दावा दिमाग घट जाता है। कोई मनुष्य यह बहाना नहीं निकालता कि खियां मतहक का बुरा उपयोग करेंगी। उनके बारे में जो सब से खराब यात कही जाती है वह यही कि वे सिर्फ आधित की तरह अपने पुरुष सम्बन्धियों के आदेशानुसार मत देंगी। ऐसा हो तो होने दो। वे अगर अपने बारे में स्वतंत्र विचार करेंगी तो बड़ा लाभ होगा और अगर नहीं करेंगी तो कुछ नुकसान नहीं है। मनुष्य प्राणी चलना न चाहता हो तो भी उस की बेड़ी सोल देना लाभदायक है। मनुष्य जाति के सब से आवश्यक व्यवहार के विषय में कानून के रूप से राय के लिये नालायक और चुनाव के हक से रहित माना जाना जहाँ यन्द हुआ कि फिर खियों की सात्यिक स्थिति में भारी सुधार हुआ समझना। अगर सभी सम्बन्धी उनसे मदद लेना चाहें तो भी जबरदस्ती न ले सकें ऐसी कोई घस्तु मिलने से उन को व्यक्तिगत कुछ लाभ हुआ समझा जायगा। फिर पति को अपनी पत्नी से वर्तमान विषय पर चर्चा चलाने की जरूरत पड़ना भी कुछ कम लाभ नहीं है। स्त्री बाहरी जगत पर पुरुष से कुछ स्वतंत्र सत्ता चलाने को समर्थ है इस यात से इतर पुरुषों की टट्टि में उस का पद्धी और प्रतिष्ठा किस तरह स्पष्ट रीति से बढ़ जायगी।

और जिस को सारी सामाजिक जिन्दगी पुरुष अपने वय में रख सकता है उसके लिये जो आदर कोई भी व्यक्तिगत गुण कभी नहीं देता उस आदर की पांची वह होगी इस का उचित विचार लोग नहीं करते । मत भी अपने गुण में सुधरता जायगा । कोई अधिक ईमानदार और निष्पक्ष प्रकृति की खीं होगी तो उसके पति को बहुधा ऐसे उचित कारण दृढ़िने को लाचार होना पड़ेगा कि जिससे उसकी खीं उसी के पक्ष में रहे । बहुधा पत्नी की सत्ता पति को अपनी असली राय पर दृढ़ रखेगी । इस सत्ता का उपयोग वेशक बहुधा सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में नहीं, घरच कुटुम्ब के रानगी स्वार्थ या संसारी बढ़ापन के पक्ष में होगा; परन्तु खीं की सत्ता का जहाँ जहाँ पेसा रख होगा वहाँ इस समय भी वह उसी धुरे मार्ग से पूर्णतया चलती है और वह भी अधिक निःशक्त भाव से । क्योंकि दाल के कानून और रियाज के अनुसार राज्यनीति में कुछ भी मूलतत्व समाया होने के भाव से वे बहुत करके ऐसी अनजान होती हैं कि इसमें कुछ आत्म सम्मान की बात है यह वे नहीं समझ सकतों । और बहुत से मनुष्यों को, जैसे किसीका धर्म अपने से भिज होता है तो उसकी धार्मिक वृत्तियों के विषय में थोड़ी ही रुचि रहती है जैसे दूसरे के सम्मान की बात में जब अपने सम्मान का भी उसी बात से सम्बन्ध नहीं होता तब थोड़ी ही रुचि होती है । खीं को मतहक दो तो वह राजनीतिक सम्मान के अधीन आ जायगा । वह राज्यनीति को ऐसी वस्तु समझना सीखेगी कि उसमें उसको मत कायम करने की स्थितन्त्रता है और इस विषय में कुछ भी राय तज्ज्ञीज की हो तो उसके अनुसार चलना चाहिये । इस विषय में उसमें व्यक्ति गत उत्तरदायित्व की वृत्ति उत्पन्न होगी और उसको इस समय जैसा लगता है वैसा पीछे से

नहीं लगेगा कि वह स्वयं चाहे जितनी बुरी सत्ता चलावे तथापि अगर सिर्फ पुरुष को समझा सके तो सब दुरुस्त है और उसकी जिम्मेवारी में सब ढक जाता है। पुरुष की राजनीतिक सात्त्विक वृत्ति पर दुष्ट सत्ता चलाने से रोक सकने का मार्ग इतना दी है कि उसे अपना स्वतन्त्र अभिप्राय स्थिर करने और व्यक्तिगत या कुदुम्बगत स्वार्थ के लालच के विरुद्ध जिन उद्देश्यों की अन्तःकरण में विजय होनी चाहिये उन्हें विवेक पूर्वक समझने का उत्तेजन दें। खीकी परोक्ष सत्ता को राजनीतिक विषय में हानिकारक हो जाने से रोक सकने का मार्ग इतना ही है कि उसके स्थान में उसे प्रत्यक्ष सत्ता दें।

मैं ने समझा है कि मत का आधार जैसे अच्छे प्रसङ्ग में रहे वैसे मनुष्य की व्यक्तिगत दशाओं पर होना चाहिये। इस देश और दूसरे बहुन से देशों में जहाँ मतका अधिकार सम्पत्ति की शर्तों पर है वहाँ यह भेद इससे भी अधिक दूरित है। जब पुरुष मतधारी से माँगी जाने वाली सारी जमानत-स्वतन्त्र स्थिति, धर के मालिक और कुदुम्य के मुखिया की पदवी, करों का अदा करना अथवा जो जो शर्तें रखी हैं वे सब-खियाँ पूरी कर सकती हैं वब मिलकियत के आधार पर रखे दुए प्रतिनिधि तत्व का नियम और पद्धति ही स्वयं रद्द हो जाती है और सिर्फ उनको खारिज करने के ख्याल से ही एक अपवाद रूप व्यक्तिगत अपाव्रता यड़ी की जाती है इस बात में साधारण से कुछ विशेष विवेक है। विशेष करके जब यह कहा जाता है कि जहाँ ऐसा किया जाता है उस देश में सामग्रत एक खीरे का राज्य करती है और

‘अब तक जितने राज्यकर्ता हो गये हैं उनमें एवं मगधी राज्यकर्ता पक्ष की ० यी तथ अविदेश का द्वीरु मुश्किल से छिपा हुआ अन्याय का विभ्र बहुतां हो जाता है । हमें आशा है कि जय तक और हर और तुल्म के पुराने मानामों का घणटहर गिराने का काम जारी है तथ तक उन राव में यह अन्तिम नहीं होगा । जिनका मन आपामार्थ या दुरापद में जड़ नहीं रह गया है उनमें मन में येत्तम । का, मिंगमुख यंत्री का मिंगेहर का द्वीर (दृमर्दों के पिपाय में ज पड़ता है) इस देश द्वीर इस पीढ़ी के दृमर्दे कितने ही दार्शनिकों का अभिप्राय प्रवर्त्त करेगा द्वीर दृमर्दी पीढ़ी पूरी होने से राहते यग्नेश्वर की तरह लिङ्गमेश्वर भी आपने भाऊजा से नागरिक वी द्विनियन यारी बनाने रक्षा द्वीर राज्यी हक्क छीन में से के लिये वर्षेण दारण दिना जाना चाह द्वारा ।

### ५ गर्वी विद्वानिय ।

† (१८४१-१८१२) यह गर्वीनिय लेखक । इसने बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं परम्पर्य वहून विस्तृत होने से विद्वानों के ही पढ़ने योग्य हैं । यह मूर्खिक्टिविन (utilitarian) धर्मानुष्ठानविद्वान् के रूप का प्रथम प्रचारक था । यह मन ऐसा है कि जिम्में गवाने अधिक गतुओं का गवाने अधिक गुण बनाया हो वही गवाने भेट मिलाना है ।

† प्रथमा की भविष्यकाली पूरी हुई । वित्तीयों को गवाने देने का अधिकार मिल गया है द्वीर आशा वी जारी है कि यह गुरुत्व प्राप्ति दिन होने वाले वित्तीयों का गवाने हुए गेहरा विट्ठा पाल्मिश्ट में विषाद्यान दिखाई होगा ।

## नवां अध्याय ।

### क्या चुनाव का दो क्रम होना चाहिए ?

कितने ही प्रतिनिधि तंत्रों में प्रतिनिधि सभा के सभा सदौं को दो क्रम से चुनने की योजना स्वीकृत होती है। पहले चुनने वाले दूसरे चुनने वालों को पसन्द करते हैं और ये दूसरे पार्लिमेंट के सभासदौं को चुनते हैं। इस युक्ति में शायद जनवृत्ति के पूरे जोश को कुछ रोकने का विचार रखा हो, क्योंकि इसमें बहुत (जनता) को मतदाक के साथ अन्त की सम्पूर्ण सत्ता तो दी है परन्तु अपने मुकायले धोड़े की मार्फत उसका अमल चलाने की लाचारी ढासी है यह सोच फर कि जन समूह की अपेक्षा इन धोड़ों पर जन विकार के पथन का याम असर हुआ होगा। और ये चुनने वाले चूंकि स्वयं चुने हुए होंगे इससे उनकी तरफ से उनके चुनने वालों की साधारण पंक्ति की अपेक्षा थ्रेषु बुद्धि और प्रतिष्ठा की आशा रखी जायगी। इससे उनके हाथ से होने वाला चुनाव बहुत सावधानी और दूरदर्शिता से होने की सम्भावना की गयी होगी और यह जो हो, यदि चुनाव जनता के निज के चुनाव की अपेक्षा विशेष जिम्मेवारी के विचार के साथ किया जायगा। यह पेसा है कि लोकतंत्र को एक मध्य संस्था में से छान लेने की इस युक्ति का बहुत प्रत्यक्ष समर्थन हो सकता है। क्योंकि पार्लिमेंट के सभासद होने के लिये कौन कौन सव से अधिक योग्य हैं इसका निर्णय करने की अपेक्षा, पार्लिमेंट के सभासदों को चुन निकालने के लिये सव से अधिक किन को ऊपर विश्वास रखा जा सकता है इसका निर्णय करने के लिये कम बुद्धि और ज्ञान दरकार है।

इतने पर भी पहले अगर हम यह सोचें कि इस अप्रत्यक्ष प्रबन्ध से लोक सत्ता में विद्यमान जौनिम किसी कदर कम होता है तो उसी तरह उसका लाभ भी कम होता है; और यह दूसरा असर पहले में अधिक निश्चित है। उस पद्धति का सोचा हुआ असर डालने के लिये शक्तिमान बनाना हो तो जिस उद्देश्य से उसकी योजना हुई है उसके अनुसार उसे अमल में लाना चाहिये। मनधारियों को याद में सोची हुई रीति से अपने मतका उपयोग करना चाहिये; अर्थात् उनको जो विचार रखना चाहिये वह यह नहीं कि पालिमिण्ट का सभासद कौन हो वरंच इतना ही कि अपनी तरफ से सभासद चुनने वाला किस को पसन्द करें। यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष की अपेक्षा अप्रत्यक्ष चुनाव में जो लाभ सोचा जाता है उसके लिये ऐसी मनोवृत्ति की आवश्यकता है और उनका काम म्यां सभासदों को नहीं वरंच सिफ़े उनके चुनने वालों को चुनना है; यह सिद्धान्त उनके सब्दे दिल से मीकार करने से ही यह लाभ होगा। सोचना यह होगा कि वे राजनीतिक अभिग्राह्य और कार्य या राजनीतिक पुरुषों के विषय में अपना मन नहीं लगावेंगे वरंच किसी स्वतंत्र मनुष्य के प्रति अपनी व्यक्तिगत शब्दा में गिर्च कर उन्हे अपनी और से काम करने का आम मुरनार नामा देंदेंगे। अब अगर प्रायमिक मनधारी अपनी मिथ्यति के बारे में यह सोचे तो उसको मतदाक देने में जो मुश्य उद्देश्य हैं उनमें से एक रद हो जाता है। जो राजनीतिक कर्तव्य पालने को वेलोग बुलाये जाते हैं वह उनमें सार्वजनिक उत्साह और राजनीतिक ज्ञान विकसित करने में और राज्य कार्यों में उनकी मनोवृत्तियां बुकाने में तथा उनकी मानसिक शक्तियों का अन्यास कराने में निष्फल जाता है। फिर इस उद्देश्य में परस्पर विरोधी

शर्तों का समावेश होता है; क्योंकि अगर अन्तिम परिणाम में मतधारी का कुछ मन न लगता हो तो उसी परिणाम की ओर से जानेवाली किया में उसका मन किस तरह और क्यों कर लगा सकता है? यदुत साधारण दरजे के गुण और युद्ध घाला मनुष्य किसी खास पुरुष को पार्लीमेंट में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहे यह सम्भव है और उस पुरुष को चुनने घाला निर्वाचक पसन्द करने की इच्छा रखना उस का स्वाभाविक परिणाम है। किन्तु कौन चुना जाता है इसकी परवा जो नहीं करता अथवा जो यह समझता है कि वह स्वयं इस विचार को अलग रखने के लिये याध्य है वह कुछ भी मन लगा कर सब से लापक पुरुष इसलिये पसन्द करे कि उक्त पुरुष अपने स्वतंत्र अभिप्राय के अनुसार एक और को समासद चुने इस उद्देश्य में निष्कल सत्य के लिये उत्साह का और कर्तव्य के लिये ही कर्तव्य पालने के इड़ नियम का जो भाष्य विद्यमान है यह तो कुछ ऊंचे दरजे के शिक्षित पुरुषों में ही होना सम्भव है और ये उस के उपभोग से ही दिखा देते हैं कि उन को राजनीतिक सत्ता यदुत सीधे तौर पर सौंपी जा सकती है और सौंपना उचित भी है। जनता के यदुत गरीय मनुष्यों को जो जो राजनीतिक कर्तव्य सौंपना सम्भव है उन सब में इस कर्तव्य की तरफ से उन की मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने की वेशक सब से कम आशा रहती है और जो जो कर्तव्य पालन करना है यह सब शुद्ध मन से पालने के शुद्ध संकल्प के सिधा उस के लिये परवा करने की दूसरी कोई स्वाभाविक वृत्ति सब से कम ही होती है और जो मतधारी समूह राज्यकार्य के विषय में इतनी अधिक परवा रखता होगा कि उस में मिले हुए इतने अल्प अंश का भी कुछ मूल्य गिने तो उसमें यदुत बड़ा भाग पाये जिना

उसको किसी तरह सन्दोष होने की सम्भायना नहीं रहेगी।

दूसरे, जो मनुष्य अपनी घोड़ी सी ग्रानसम्पत्ति के कारण पालीमेण्ट के उमेदवार के गुण की अच्छी तरह परीक्षा नहीं कर सकता वह जिस पुरुष को अपना तरफ से पालीमेण्ट का समासद पसंद करने को चुनेगा उस की सत्यता और साधारण शक्ति की उचित परीक्षा कर सकेगा यह बांधार किया जाय तो भी मैं यह यता देना चाहता हूं कि अगर मनधारी अपनी शक्तियों की ऐसी माप म्बीकार करे और जिस दे ऊपर विभास द्वारा उस पुरुष के हाथ अपनी ओर मे चुनाव कराने की वास्तव में इच्छा रखता हो तो उस कारण के लिये किसी कानून के वंघन की कुद्द जरूरत नहीं है; उसे सिर्फ उस विभासी पुरुष में पक्षान्त में इतना ही पूछना है कि उसे किस उमेदवार के लिये मत देना अधिक अच्छा है। इस प्रकार चुनाव को दोनों पक्षनियों का परिणाम एक ही आता है और परोक्ष चुनाव का प्रन्येक लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अगर हम यह सोचें कि मनधारी प्रतिनिधि के चुनाव में अपने अभिग्राय का उपयोग करना पसन्द करता है परन्तु यहुत प्रत्यक्ष पद्धति के लिये उस को कानून से म्वाधीनता न होने से ही यह अपनी तरफ से दूसरे को चुनाव करने देता है तो इन दो पक्षनियों की किया में भेद पड़ेगा। इन्तु अगर उस के मन को ऐसी मिथिति होनी, अगर उस का मन कानून ने रगे हुए अंकुश के विश्वद जाना होगा और अगर वह प्रत्यक्ष चुनाव करना चाहता होगा तो कानून का वंघन होने पर भी यह ऐसा कर सकेगा। उसे सिर्फ इतना करना है कि वह म्यं जिस उमेदवारको पसन्द करता हो, उस के प्रमिद्ध पक्षपाती को अपेक्षा जो उस उमेदवार के लिये मत देने की शर्त करे उस को नियांचल पसन्द करे। और दो सीढ़ी के

चुनाव का यह इतना घड़ा स्वाभाविक किया कर्म है कि यिल-कुल राजनीतिक उदासीनता की अवस्था विना इस से भिन्न गति की मुश्किल से आशा रखी जा सकती है। संयुक्त राज्य ( अमेरिका ) के राष्ट्रपति का चुनाव घास्तव में इसी रीति से होता है। चुनाव नाम को परांक्त है; जनता राष्ट्रपति का निर्धारण नहीं करती, यह तो चुननेवालों को ही चुनती है; परन्तु ये निर्धारिक हमेशा किसी खास उमेदवार के लिये मत देने की खुल्लम खुल्ला शर्त पर चुने जाते हैं। अमुक नागरिक अमुक चुनने वाले के लिये जो मत देता है वह इस कारण से नहीं कि वह मनुष्य उस को पसन्द है वरंच लिंकन + टिकट या बेकेनरिज + टिकट के पक्ष में मत देता है। इतना याद रखना चाहिये कि निर्धारिक जो पसन्द किये जाते हैं उस का कारण यह नहीं है कि वे देश में खोज कर राष्ट्रपति या पार्लीमेंट के सभासद के लिये सब से योग्य पुरुष ढंड निकालें। अगर ऐसा हो तो इस रिवाज के पक्ष में कुछ कहा जाय; परन्तु ऐसा नहीं है। और जब तक स्टेटो + की तरह साधारण मनुष्य जाति का ऐसा मत न हो कि जो पुरुष सत्ता स्वीकार करने में सब से ज्यादा नामुश होता है वही सत्ता सौंपने के लिये सब से लायक है, तब तक ऐसा कभी होगा भी नहीं। चुनने वालों को—निर्धारिकों को जो उमेदघार छढ़े हुए हों उन में से एक को पसन्द करना है; और जो होगा

क्ष ( १८०४-६५ ) संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति ( १८६०-६१ ) इस ने लड़ दागड़ कर गुबामी उठवा दी। + लिंकन का प्रतिरक्षा।

+ ( १० स० पूर्व ४३०-३४८ ) सोकेटिस का सब से प्रख्यात शिष्य और उस के सिदान्त का प्रचारक। मोर्क दर्जन में इस की शाखा सब से भेष गिनी जाती है।

निर्वाचक पसन्द करते हैं वे पढ़ते से जानते हैं कि वह कौन उमेदवार है। देश में कुछ भी सार्वजनिक उत्साह विद्यमान होगा तो जो लोग मत देने की कुछ भी परवाइते होंगे उन सब मन धारियों ने मन में निश्चय कर लिया होगा कि उन उमेदवारों में से वे म्बवं किस को निर्वाचित देखना चाहते हैं और केवल उसी विचार के ऊपर से अपना मत देने को मुक्ति देंगे। इर पक उमेदवार का पक्षपाती उस पुरुष के लिये मत देने को वाल्य सब निर्वाचकों की सूची अपने पास तयार रखेगा; और मूल मतधारी से जो असली प्रश्न किया जायगा वह इतना ही कि इन में से किस सूची को वह सहारा देंगा।

जिस प्रसङ्ग में दो कम का चुनाव प्रयोग में अच्छा उत्तरता है वह यह है कि निर्वाचक केवल निर्वाचक के तौर पर ही पसन्द किये हुए नहीं होते वर्त्तन को दूसरे आवश्यक कर्त्तव्य भी गालने होते हैं और इस से सिर्फ़ किसी भास मत के अद्वितिय के तौर पर ही चुने जाने की सम्भावना नहीं रहती। ऐसी घटना का दृष्टान्त संयुक्त राज्य की बुड़सभा (सिनेट) नाम की दूसरी अमेरिकन संघ्या के गठन से मिल जाता है। यह संघ्या मानो साप्रात्यसभा (कॉम्ब्रेस) की ऊपरवाली सभा है। वह सीधे तौर पर लोकप्रतिनिधि नहीं गिनी जानी परन्तु पूर्णरूप से माण्डलिक राज्यों \* की प्रतिनिधि और जो जो राज्यहक उनके अवीन

\* संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) माण्डलिक राज्यों अर्थात् छोटे छोटे राजनीतिक प्रान्तों का समूह है। माण्डलिक राज्यों का अपना अपना राज्यवंश है, उनके हाथ में किसी माण्डलिक राज्य का मीठरा प्रबन्ध है; परन्तु विदेश के काय का देश इन का छापारण-व्यवहार संयुक्त राज्य अपना सामान्य सभा को बींवा हुआ है।

किये हुए होते हैं उनकी रक्तक गिनी जाती है। समान संयोग के कारण, प्रत्येक माण्डलिक राज्य का आकार या आवश्यकता चाहे जैसी हो तथापि उसकी भीतरी सत्ता एक समान पवित्र गिनी जाती है और वह चाहे होटे डिलावेर का माण्डलिक राज्य हो या न्यूयार्क की साम्राज्य सभा का स्थल हो, प्रत्येक बृद्ध-सभा के लिये एक समान ( दो ) सभासद भेजता है। ये सभासद समस्त जनसमाज द्वारा नहीं, घरेंच प्रत्येक माण्डलिक राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित माण्डलिक राज्य की कानून बनानेवाली सभा द्वारा चुने जाते हैं; परन्तु इन संस्थाओं के सिर पर कानून बनानेवाली सभा का सब से साधारण अर्थात् स्थानिक कानून बनाने का और शासन विभाग का काम होता है, इस से उनका जो चुनाव होता है उसमें पहिले की अपेक्षा इस पिछले ददेश्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है और ये संस्थाएं संयुक्त बृद्ध-सभा में माण्डलिक राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर जो दो नाम चुनती हैं उनको पसन्द करने में बहुत कर के अपनी राय के अनुसार चलती हैं और उस में सिर्फ जन सम्मत राज्यतंत्र के सब काम में लोकमत पर जो साधारण ध्यान रखने की ज़रूरत है उतना ही ध्यान रखती है। इस प्रकार से होनेवाला चुनाव उत्कृष्ट रीति से सफलीभूत प्रमाणित हुआ है और संयुक्त राज्य के सारे चुनाव में स्पष्टतः सब से थोष्ट है; क्योंकि बृद्ध सभा में जो पुरुष अवश्य करके आते हैं वे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में यथेष्ट नाम कर लिया है उन्हीं में से सब से प्रसिद्ध पुरुष होते हैं। ऐसे हान्त के सामने यह नहीं कहा जा सकता कि परोक्ष लोक निर्वाचित कभी लाभकारी नहीं हैं। कुछ बास शर्तों में यह पद्धति सब से बढ़कर स्वीकार करने योग्य है। परन्तु ये अवस्थाएं युनाइटेड स्टेट्स जैसे संयुक्त राज्यों के सिवा

दूसरी ओर अनुभव सिद्ध अवस्था में मुश्किल से बित्तेगी; क्योंकि युनाइटेड स्टेट्स में स्थानिक संस्थाओं को चुनाव का काम सौंपा जाता है; उनके दूसरे कर्तव्यों में जनता के सब से आवश्यक विषयों का समावेश हो जाता है। इस देश में जो संस्थाएं उनकी सी दशा में हैं और हो सकती हैं वे सिर्फ नगर-मुद्रारियों (म्यूनीसिपल) समाप्त अथवा उनकी सी स्थानिक उद्देश्यों के लिये उत्पन्न हुई या होनेवाली संस्थाएं ही हैं। इतने पर भी अगर पुराणात और साधारण तमा तन्दन शहर के प्रतिनिधि चुने और मेरिसेन के पेरिश व्यवस्थापक जैसा कि वास्तव में आज कल चुनते हैं वैसे प्रकाश्य रूप से वहां के सब प्रतिनिधि चुनें तो कम ही तोग यह समझें कि पार्टीमेंट के गठन में कुछ मुधार हुआ। ये संस्थाएं सिर्फ स्थानिक संस्थाओं की स्थिति में देखने पर इस समय को अपेक्षा यहुत कम आपत्तिजनक हों तो भी जो युए उनको नगर मुधार या पेरिश की व्यवस्था के नियन्त्रित और विशेष कर्तव्य पालन करने के योग्य बनाते हैं वे युए पार्टीमेंट की मेन्यरी के उमेदवार की कमोंकेर्य योग्यता के विषय में निर्णय करने की कुछ सास योग्यता की जमानत नहीं देते। यदि कर्तव्य जिस तरह तोग प्रत्यक्ष मत देकर पालन करते हैं उसकी अपेक्षा ये मनुष्य शायद यहुत अच्छीं तरह पालन नहीं करेंगे। इसके बिल्कुल अगर पेरिश-व्यवस्थापकों या म्यूनीसिपल समासदों के ओहदों के लिये मनुष्य पसन्द करने में, पार्टीमेंट, के समासद चुनने लायक योग्यता का भी ध्यान रखना हो तो जिनके विचार साधारण राज्यनीति के विषय में अपने पसन्द करनेवाले मतधारियों से मिलते हों उनको पसन्द करने का जो कर्तव्य हो उसी से, जो लोग यह अधिक नियन्त्रित कर्तव्य पाते होंगे उनमें से

बहुतं से वंचित हुए विना नहीं रहेंगे। म्यूनीसिपल सभाओं की मात्र परोक्ष राजनीतिक सत्ता के कारण उनका चुनाव एक पक्ष राज्यनीति का विषय हो गया है और उसके मूल उद्देश्य में बहुतेरी गड़वड़े पेश आ चुकी हैं। अगर किसी मनुष्य के गुमाश्ते या रसोइये के फजाँ में उसके लिये घैश पसन्द करने का फर्ज भी शामिल समझा जाय तो उसे उनकी पसन्द से अधिक अच्छा घैश मिलने की सम्भावना नहीं रहेगी। फिर उसके रसोइया या गुमाश्ते की पसन्द ऐसे मनुष्यों में सिकुड़ी रह जायगी जिनको यह दूसरा काम सौंपने से उसका स्वास्थ्य बेहद जोखिम में पड़ने का खटका है।

इस से मालूम होता है कि जो लाभ परोक्ष निर्वाचन में कुछ भी साध्य है वह प्रत्यक्ष में भी प्राप्त हो सकता है परन्तु जिसकी परोक्ष निर्वाचन में आशा रखते हैं वह भी इसमें प्रत्यक्ष के बराबर ही असाध्य हो जाता है और इसमें एक यड़ा अलाभ भी है। यन्त्र सामग्री में यह एक फालदू और निकम्मा पहिया है जो कम आपत्तिजनक नहीं है। सार्वजनिक उत्साह और राजनीतिक ज्ञान चमकाने के साधन रूप उस में जो साफ कचाई है उसकी आलोचना पहिले कर आये हैं; और अगर उसका कुछ भी अन्यूक असर हो—अर्थात् मूल मतधारी पालीमेंट का अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किसी अंश में भी घस्तुतः अपने चुने हुए के हाथ में सौंपे तो उसका अपने प्रतिनिधि से एक भाव होता रहे और प्रतिनिधि को भी अपनी मतसमिति के प्रति कम जिम्मेवारी का ख्याल रखना पड़े। इन सब के सिद्धा जिन मनुष्यों के हाथ में पालीमेंट के सभासदों का अन्तिम चुनाव रहे उनके मुकाबले में कम संख्या के कारण, प्रपञ्च के लिये और चुनने वालों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल आने

बाली हर तरह को विद्यत के लिये अधिक मौका मिले विना नहीं रहेगा । घूसखोरी के मुश्किले के विषय में तो सब नत संस्थाएं छोटे कसबों को दशा में आ पड़ेंगी । चुनाव पक्का करने के लिये कुछ ही मनुष्यों को मिला लेने को जरूरत रहेगी । और यह कहा जाय कि निर्वाचक उनके सामने जवाब देह होंगे जिन्होंने उनको चुना है तो इसका यह साफ जवाब है कि उनका कोई स्थायी पद या सार्वजनिक प्रतिष्ठा न होने से उनको विश्वसी भत्ता से कुछ जोखिम नहीं पहुँचेगा या पहुँचेगा भी तो उसकी, अर्थात्, फिर निर्वाचक नहीं नियत होने की, परंतु कम ही होगी और इस से, शुद्धता का मुख्य भरोसा अभी तक घूसखोरी को सजा के आधार पर है । और छोटी भत्ता समितियों में इस आधार की अपूर्णता अनुभव से सारे संसार में प्रगट होगी है ।

पसन्द किये हुए निर्वाचकों को जितना ही विचार स्वातंत्र्य दिया जायगा उतना ही यह दोष पैदा होगा । अगर वे इस शर्त पर निर्वाचक पसन्द किये जायें कि उनका काम केवल अपनी भत्ता समिति का भत्ता मतस्थल पर ले जाने का है तब सन्मवतः इसी एक अवस्था में वे लोग अपना भत्ता खास अपना भत्ताका साधने के काम में लगाने से डरेंगे । जहाँ दोहरे काम के चुनाव का विचार काम में लाया गया कि उसी बड़ी से उसका दुरा असर शुरू हुआ । युनाइटेड स्टेट्स बाली चृद्धसमा के समासद्दों ( सिनेटर्स ) के चुनाव के ऐसा प्रसङ्ग नहीं होगा तो हम परोक्ष निर्वाचन के नियम का चाहे जिस-रीति से उपयोग करें, उसके विषय में यह बात सत्य निकलती दिखाई देगी ।

इस राजनीतिक योजना के पक्ष में जो सब से अच्छी बात कही जा सकती है यह कि पार्कोमेंट के अन्दर केवल वह अनुभव

ही प्रथल न हो जाय इस रीति से जनता के प्रत्येक मनुष्य को किसी किस्म का मतहक देने के लिये यह युक्ति लोकमत की कुछ अवस्था में अनेक मतों की युक्ति से अधिक साध्य हो जायगी । जैसे—इस देश की मत समिति में सब मजदूरों के पसन्द किये हुए, अपने में से ही एक बड़े और निर्वाचित वर्ग की वृद्धि की जा सकती है । ऐसी युक्ति तात्कालिक समाधान करने का प्रसङ्गोपात सुगम मार्ग हो सकती है परन्तु ऐसा कोई मूलतत्त्व पूर्णतया इससे नहीं सधता कि जिससे दार्शनिकों के किसी वर्ग को इसे स्थायी प्रबन्ध के तौर पर पसन्द करने की सम्भावना हो ।

## दसवाँ अध्याय ।

### मत देने की पद्धति के विषय में ।

मत देने की पद्धति के सम्बन्ध में सब से आवश्यक प्रश्न युस रूप या प्रकाश्य रूप का है और अब हम इसी विषय को लेते हैं ।

‘छिप रहना’ और ‘नामदी जताना’ आदि ख्यालों की नीव पर इसकी आलोचना करना भारी भूल समझी जायगी । युसता कितने ही अवसरों पर सकारण है और कुछ में आवश्यक है और जिस जोखिम से ईमानदारी के साथ दूर रह सकते हैं उससे बचाव ढूँढ़ना कुछ नामदी नहीं है । इसी तरह जिसमें प्रकाश्य मत की अपेक्षा युसमत अधिक पसन्द करने योग्य हो यह प्रसङ्ग विचार में नहीं आ सकता यह भी विवेकपूर्वक प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है । परन्तु मुझे कहना चाहिये कि राजनीतिक प्रकार के कार्यों में ऐसे प्रसङ्ग नियम रूप नहीं वर्ज्ञ अपवाद रूप हैं ।

जैसा कि मैं पहिले कई बार यता चुका हूँ, जिन कितने ही प्रस्तॄों में किसी नियम का जीवन सत्य अर्थात् उससे नागरिक के मन में उत्पन्न होने वाला भाव, उस नियम के असर का एक सब से आधिक तत्व है उनमें से यह एक हाल का दृष्टान्त है। गुटिका मत ० का जीवनसत्य—मतधारी के मन में उस विश्व में उत्पन्न होने वाला सम्भवित भाव—ऐसा है कि उसे जो मत इक दिया गया है वह उसके निज के लिये—अपने पास उपयोग और लाभ के लिये है जनता के लाभ की याती के तौर पर नहीं है। अगर यद सचमुच याती है, अगर जनता को उसके मत पर हक है तो क्या उसको यह मत जानने का हक नहीं है? इस दृष्टिकोण से इनिकारक असर का जनसमूह पर होना दुद्द आश्वर्य की घात नहीं है। क्योंकि जो लोग गत कुछ घण्टों से गुटिका मत के प्रसिद्ध पक्षपाती हो गये हैं उन में से यहुतों के ऊपर ऐसा असर दुश्मा है। इस मत के गूल प्रचारकों का ऐसा विचार था; परन्तु किसी मत का मन के ऊपर होनेवाला असर अगर उत्तम रीति से मालूम होता है तो उस के गढ़नेवाले पर नहीं परन्तु उस से जो गठित होता है उस पर। मिं ग्राह्ट और उनके विचार के लोकसत्ता के पक्षपाती यह साधित करना अपना भारी कर्तव्य समझते हैं कि उनके कथनानुसार, मत एक हक है, याती नहीं। अब यद्यों एक मायना साधारण मन में घर कर के जो साम्बिक हानि करती है यह, गुटिका मत अधिक से अधिक जितनी भलाई कर सकता है उस से यह जाती है। एक की मायना की हम चाहे जैसी व्याख्या करें या

कि इस ढंग से ( लाटी की तरह ) मत देने की रीति जिसे माट्य न हो सके दि, इस मतदाता ने हिल सरक मत दिया।

अर्थ लगावें परन्तु किसी मनुष्य को दूसरे पर ( शुद्ध कानूनी भाव के सिवा ) सत्ता का हक हो ही नहीं सकता । ऐसी जो कुछ सत्ता उस के हाथ में दी जाती है वह सब इस शब्द के सम्पूर्ण भाव के अनुसार सात्त्विक याती है । परन्तु मतधारी की दैसियत से या प्रतिनिधि की दैसियत से कोई राजनीतिक कार्य करना दूसरे के ऊपर सत्ता-दुरुमत है । जो लोग यह कहते हैं कि मत याती नहीं, हक है, वे अपने सिद्धान्त से निकलता हुआ मतलब मुश्किल से स्वीकार करेंगे । अगर यह हक है, अगर यह मतधारी के हाथ में उसके लाभ के लिये है तो उसे बेचने के लिये, अथवा जिसे प्रसंग करने में उसका स्वार्थ है उसे खुश रखने में उसे लगाने के लिये हम किस बुनियाद पर उसको उलाहना दे सकते हैं ? कोई मनुष्य अपने मकान का, अपने तीन टकिया सूद के कम्पनी कागज का या जिस किसी दूसरी घस्तु पर उसका घास्तविक हक हो उसका उपयोग करे तो उसमें उसकी ओर से सिर्फ सार्वजनिक लाभ का विचार रखने की आशा नहीं की जाती । जिन कई कारणों से उसको बेशक मत मिलना उचित है उन में से एक यह है कि उसे अपनी रक्षा का साधन मिले; परन्तु यह सिर्फ उसी दशा में जब कि यह अपने प्रत्येक नागरिक बन्धु की भी, अपने मत के आधार से जहाँ तक वन पड़े, रक्षा करने को एक समान धार्य हो । उसका मत ऐसी घस्तु नहीं है कि उसमें उसकी मनमानी रहे; न्यायपंच ( जुरर ) के फैसले की अपेक्षा उसके मत से मनमानी का अधिक सम्बन्ध नहीं है । यह एक यास कर्तव्य की यात है; यह सार्वजनिक हित के विषय में अपने सब से धेर और शुद्ध अभिप्राय के अनुसार, 'मत देने को धार्य है ।' जिनका इस विषय में कुछ भी भिन्न विचार हो वे सब मत देने के अयोग्य हैं

उनके ऊपर मत का जो असर होगा वह उनका मन कुंडित करने को होगा उच्च करने को नहीं। वह उनके हृदय में उच्च देहमकि और सार्वजनिक कर्तव्य की वृत्ति चलनकाने के पहले आनन्दस्वार्थ, अपनी मरजी या रथाल (जो कि स्वेच्छाचारी राजा और अत्याचारी को उत्तेजित करनेवाले भाव और उद्देश्य हैं परन्तु इसमें किसी कदर कम होगे) के अनुसार सार्वजनिक कार्य करने की वृत्ति को उकसाता और पोसता है। अब अगर कोई साधारण नागरिक किसी सार्वजनिक शोहदे पर हो अथवा उसके सिर कोई सामाजिक कार्य आपड़े तो उस से सम्बन्ध रखनेवाले कर्तव्यों के विषय में, उसको वह काम देने में, जनता जैसा विचार और वृत्ति दिखावेगी वैसी ही उसकी भी अवश्य होंगी। उसकी ओर से जैसी आशा जनता रखती जान पड़ेगी उसके ऊपर से उसकी चलने वाली सीमा से वह नीचे गिर सकता है परन्तु ऊपर गायद चढ़े। और गुप्त मत के विषय में उसकी ओर से जो अर्थ होने का प्रायः भरोसा है वह यही कि पह स्वयं क्यों नह देता है यह जिसको जानने की स्थायीता नह। है उसके साथ अपने मत का कुछ सम्बन्ध हो इस रीति से देने को वह चाह्य नहीं है, परन्तु उसको जैसी रुचि हो वैसा ही दे सकता है।

प्राइवेट फ़र्मों और सोसाइटियों में गुटिका मत का उपयोग होता है, इस से पार्लीमेंट के चुनाव में भी इसको जायज़ करने की दस्तील नहीं टिक सकती, इसका यह निर्णायक कारण है। मतधारी तो दूसरे किसी के अमिलाप या स्वार्थ का रुपाल रखने के फर्ज से अपने को गलत तौर पर बरी समझता है, परन्तु फ़र्म का मेन्यर दर असल बरी है। वह अपने मत से इतना ही प्रगट करता है कि वह अमुक पुढ़र

के साथ कमोवेश निकट सम्बन्ध रखने को राजी है या नहीं; इस से कुछ विशेष नहीं। यह विषय ऐसा है कि इसमें, जैसा कि सब लोग स्वीकार करते हैं, उसको अपनी मरजी या वृत्ति के अनुसार निर्णय करने का दक है; और वह भगड़े की भौंकी लिये विना इसका निर्णय करने को शक्तिमान हो यह सब के लिये, अस्वीकृत मनुष्य के लिये भी अच्छा मार्ग है। इन प्रसङ्गों में गुटिका मत को आपत्ति रहित बनानेवाला दूसरा विशेष कारण यह है कि इसके परिणाम में स्वभावतः या लाचारी दरजे भूठ बोलना नहीं पड़ता। सम्बन्धी पुरुष एक ही वर्ग या दरजे के होते हैं और उन में से एक जन दूसरे से आग्रह कर के यह प्रश्न करे कि तुमने कैसा मत दिया तो यह अनुचित माना जायगा। पार्लीमेंट के चुनाव के विषय में बहुत सी दूसरी बातें हैं और जब तक एक पुरुष दूसरे से इतना थ्रेष्ट है कि उससे अपने हुक्म के मुताबिक मत दिलाने के लिये अपने को दकदार समझे तब तक ऐसा रहना सम्भव है। और जब तक ऐसी स्थिति है जब तक चुप्पी या उड़ता जवाब यह साधित करेगा कि जो मत दिया गया है वह ऐसा नहीं है जैसा कि चाहा गया था।

किसी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में, सार्वत्रिक मत में भी ( और नियमित मत के विषय में तो और भी स्पष्टतः ) मतधारी अपने निज के स्वार्थ का नहीं, बरक्ष सामाजिक लाभ का विचार रखने को—और स्वयं अफेला मतधारी होने और केवल उसी पर चुनाव का दारमदार होने की दशा में वह जैसा वर्ताव करने को बाध्य होता वैसे ही अपने यथार्थ अभिप्राय के अनुसार मत देने को—सम्पूर्ण सात्त्विक कर्तव्य से बाध्य है। यह सिद्धान्त स्वीकार करने का विशेष नहीं तो प्रत्यक्ष परिणाम यही है कि मत देने का कर्तव्य, दूसरे

कर्तव्य की तरह होकमत के सामने और आलोचना के अधीन रह कर पालना चाहिये; क्योंकि उसका पालन करने में जनता के प्रत्येक मनुष्य का स्वार्थ है, इतना ही नहीं, बरबर वह कर्तव्य आगर ईमानदारी और साधारणी में पालने के यद्देश दूसरी तरह पाला जाय तो इसमें अपना नुकसान हुआ समझने का उसको हफ़ है। राज्यनीति का यह या दूसरा योग्य नियम वेशुक पूर्णरूप से अभाव नहीं है; इसकी अपेक्षा इन सब कारणों से इसको अलग रूप सकते हैं। परन्तु यह नियम इनना यजनदार है कि जिन प्रसङ्गों में यह मह़ किया जा सकता है वे असाधारण अपवाद स्वरूप होंगे।

यद्युक यह भी हो सकता है कि आगर हम मतधारी को उसके मत के लिये विभिन्नि के रास्ते जनता के सामने लाया देह यनाने का प्रयत्न करें तो मतधारी जब गुमना की ढाल की द्वाया में रह कर जायावदेही में शिलकुल घरी हो गया हो नव जिस फट्टर उसका अपना स्वार्थ जनता के साधारण नाम के प्रतिकूल जायगा उससे भी जिसका स्वार्थ अधिक प्रतिकूल वाला होगा उस किसी प्रथल पुरुष की वास्तविक सत्ता में वह आ जायगा। जब मतधारियों के बड़े भाग की ऐसी दशा हो तब गुटिका मत कम दानिकारक होंगा। मतधारी जब गुलाम की अपस्था में हो तब जिन यातों से वे अपनी गुलामी से मुक्त होने को समर्थ हों वे सही जा सकती हैं। जब यहुत के ऊपर योद्धे की दानिकारक सत्ता वढ़ती जानी हो उम समय गुटिकामत सब से सबल ढार होता है। रोम के जनसत्ताक राज्य की अवनति के समय गुटिकामत के लिये अनियार्थ कारण था। प्रति वर्ष शिष्ट वर्ग अधिक अधिक धनदान तथा अत्याचारी और जनसमूह अधिक अधिक निर्धन तथा परवश होता आता था; और

पहुँचवाले दुष्ट पुरुषों के हाथ में केवल हथियार रूप होते जाते हुए मत के दुरुपयोग के विरुद्ध यहुत मजबूत धाँध चाँधने की जरूरत थी। एथीनियन राज्यतन्त्र में जब तक गुटिकामत विद्यमान था तब तक उसका असर लाभकारी था, इस यात में भी इतना ही कम सन्देह किया जा सकेगा। औक जनसत्ताक राज्यों में जो सब से अस्थिर थे उनमें भी अनुचित रीति से पाये हुए एक लोकमत से ही स्वतन्त्रता का ( तत्काल के लिये ) नाश होना सम्भव था और यथापि एथीनियन मतधारी इतने परवश न थे कि उन पर साधारणतः बलात्कार हो सके तथापि यह सम्भव था कि उन्हें घूस दिया गया हो या कुछ उच्छृंखल पुरुषों के दल के अत्याचार ने उनको चाँका रखा हो; क्योंकि एथेन्स में भी ऊँचे दरजे के और धनवान युवकों में ऐसे पुरुष असाधारण न थे। ऐसे अवसरों पर गुटिका मत सुश्यङ्खला के लिये एक कीमती हथियार था और प्राचीन जनसत्ताक राज्यों में जिस न्याय और समानता के लिये एथेन्स प्रत्यात था उसे प्रचलित करता था।

परन्तु अर्वाचीन युरोप के बहुत आगे बढ़े हुए राज्यों में और खास करके इस देश में, मतधारी पर जवरदस्ती करने की सत्ता घट गयी है और घटती जाती है; और मतधारी के खराब मत के लिये इस समय जितना भय उसके व्यक्तिगत या धर्मगत कूट स्वार्थ और दुष्ट वृत्तियों की तरफ से रहता है उसकी अपेक्षा उसकी दूसरे के हाथ में परवशता के असर से कम भय रहता है। पहले विषय में सारे अंकुश से मुक्त करने के बर्च में दूसरे विषय में उसकी रक्षा करना यहुत छोटे और घटते हुए दोष की जगह यहुत भारी और बढ़ता हुआ दोष प्रदृश करने के समान है। इस विषय पर और हाल

के जमाने में यह प्रश्न इंग्लैण्ड से जितना सम्बन्ध रखता है उतने तक साधारणतया उसके ऊपर मैं ने अपनी " पार्लीमेंट में सुधार " सम्बन्धी पक्ष पुस्तका में जो विचार प्रांगण किये हैं उनमें मैं कुछ फेर घटल करने की आवश्यकता नहीं समझता; इससे यहाँ उसमें से कुछ उद्भृत करना चाहता हूँ—

"तीस वर्ष पहिले भी सच थात यह थी कि पार्लीमेंट के सभासदों के चुनाव में जो मुख्य दोष सम्बद्ध रहता था, वह जर्मांदारों, मालिकों और प्रादूरों का धलात्कार था और वह गुटिका मत से दूर होता। इस समय मैं समझता हूँ कि अनर्थ का जो वहुत बड़ा कारण है यह मतधारी का अप्स्वार्थ या अपस्वार्थी पक्षपात है। मुझे विश्वास हो गया है कि इस समय जो नीच और हानिकारक मत दिया जाता है उसका मूल दूसरे की तरफ के परिणाम के भय की अपेक्षा बहुधा, मतधारी के व्यक्तिगत स्वार्थ या वर्गस्वार्थ या उसके मन की कुछ नीच वृत्ति होती है और गुटिका मत उसको विना किसी शरम या जवायदेही के इन सत्ताओं के वशीभूत बने रहने को शक्तिमान करता है।

"राज्यतंत्र का सम्पूर्ण अधिकार वहुत ऊचे और धनवान वर्गों के हाथ से निकले वहुत अधिक समय नहीं धीरा है। उस समय देश का मुख्य संकट उनकी सत्ता का था। मालिक या जर्मांदार की आशानुसार मत देने का रिवाज पेसा जड़ पकड़ गया था कि प्रथल सार्वजनिक जोश के सिवा और किसी से उसका असर देवाना असम्भव था और पेसा जोश अच्छे काम के सिवा दूसरे समय शायद ही देयने में आता है। इससे इन सत्ताओं के विरुद्ध दिया हुआ मत साधारणतः प्रामाणिक और जनहित के तरफ की वृत्ति याला निकलता और वह चाहे जिस प्रसङ्ग में और चाहे जिस उद्देश्य से

प्रेरित होकर दिया जाता उसके अच्छा मत होने का प्रायः सदा भरोसा था; क्योंकि वह शिष्ट वर्ग के अलंच्य सत्ता रूपी राज्ञीसी दोप के विरुद्ध दिया जाता था। अगर उस समय मतधारी, आत्मरक्षा के साथ अपने को अपना हक सत्यता या विवेक-पूर्वक नहीं तो स्वतंत्रता से भी काम में लाने को शक्तिमान कर सका होता तो सुधार को भारी लाभ पहुँचता; क्योंकि इससे देश में उस समय शासन करने वाली सत्ता का—राज्यतंत्र और राज्यप्रबन्ध में जो जो खराब तत्त्व थे उन सब को उभाड़ने और कायम रखने वाली सत्ता का—जर्मादारों और कसवे का सट्टा करनेवालों का—वंधन दूँड़ गया होता ।

“गुटिका मत स्वीकृत नहीं हुआ, परन्तु इस विषय में गुटिका मत का काम घटनावली ने किया है और अधिक अधिक करती जाती है। देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति इस प्रश्न से जितना सम्बन्ध रखती है उतने अंश में बहुत बदल गयी है और हर रोज बदलती जाती है। उच्च वर्ग अब देश का मालिक नहीं रहा। जिस मनुष्य की दृष्टि में वर्तमान काल के सब चिन्ह न आते होंगे वही सोचेगा कि मध्य वर्ग उच्च वर्ग के और मजदूर वर्ग मध्य और उच्च वर्गों के, चौथाई सदी पहिले जितना अधीनया वश था उतना ही इस समय भी है। इस चौथाई सदी की घटनाओं ने प्रत्येक वर्ग को अपना संयुक्त बल जानना सिखलाया है; इतना ही नहीं, बरंच निचले वर्गों के मनुष्यों को ऊंचे वर्गों के मनुष्यों के साथ अधिक हिम्मत से वर्ताय करने की स्थिति में पहुँचा दिया है। मतधारी का मत उस के ऊपर वाले की भरजी के अनुसार हो चाहे विरुद्ध, अब बलात्कार करने के पहिले के साधन न होने से वह बहुत प्रसङ्गों में बलात्कार का परिणाम

नहीं होता, घरंच उसकी अपनो खास या राजनीतिक प्रवृत्ति का धोतक होता है। आजकल की निर्वाचन पद्धति के दोप ही स्वयं इस के सबूत हैं। रिक्वेटोंरी पढ़ते जाने के विषय में मच्ची हुई चिह्नाइट और जो स्थान पहिले उस से यचे हुए थे वहां भी उस की छूट, साधित करती है कि अब स्थानिक सचाओं का प्रमाण नहीं रहा और मतधारी दूसरों को नहीं घरंच अपने आप को प्रसन्न करने लिये मत देता है। जिलों में और छोटे कसबों में तो अभी तक गुलामी की परवशता यही हुई है किन्तु वर्तमान समय उसके प्रतिकूल है और घटनाओं के प्रमाण की गति उसको निरन्तर घटाने की नरक है। एक अच्छा रख्यत अब यह समझ सकता है कि उस के लिये उसका जमीदार जितना उपयोगी है उतना यह भी अपने जमीदार के लिये उपयोगी है और एक चलता पुर्झा दुकानदार अपनेको अपने किसी भी ग्राहक से स्वतंत्र समझ सकता है। प्रत्येक चुनाव में मतधारियों का मत बहुत स्वतंत्र होता जाता है। अब तो उनकी व्यक्तिगत स्थिति की अपेक्षा उनका मन स्वतंत्र करने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। अब ये दूसरे मनुष्यों की इच्छा के जड़ हथियार—केवल अधिष्ठाता शिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता साँपनेयाले साधन रूप नहीं रहे। मतधारी स्वयं शिष्ट वर्ग यनते जाने हैं।

“मतधारी जिस कदर अपने खासी की मरजी के अनुसार नहीं, घरंच अपनी ही मरजी के अनुसार अपने मत का निर्णय करता है उसी कदर उसकी स्थिति पार्लीमेंट के समाजद की स्थिति से मिलती जाती है और उसके प्रकाशन की आवश्यकता है। जब तक जनता का कुछ भी विभाग ये प्रतिनिधि का है तब तक सीमाशद मत से गुटिका मत को मिला देने के

विष्व चार्टिस्ट ॥ जो दलील पेश करते हैं यह ला जयाब है । हाल के मतधारी और उनका घड़ा भाग, जिनकी संख्या में अब से बीचे का संभवित सुधार सम्बन्धी कोई मसविदा यदृगती करेगा, मध्यम धर्म के हैं । उनका भी जर्मीदारों और कारखाने घालों के इतना ही और मजदूर धर्म के सार्थ से भिन्न, धर्म-स्वार्थ है । अगर होशियार कारीगरों को मतहक दिया जाय तो उनका भी गंधार कारीगरों से अलग धर्मस्वार्थ होगा या दोना सम्भव है । मान लो कि सब पुरुषों को मत का हक दिया गया—मान लो कि जो पहिले सार्वत्रिक मत के भूते नाम से परिचित था और अब पुरुष मत के मूर्य नाम से मशहूर है उस विषय में कानून यना; फिर भी मतधारियों का, खियों से अलग, धर्म स्वार्थ तो रहेगा ही । मान लो कि कानून यनाने घाली सभा के सामने खास खियों के सम्बन्ध का प्रश्न उठा—जैसे, स्त्रियों को विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करने की स्वाधीनता देनी चाहिये कि नहीं † जो यदमाश हर रोज़ अपनी खी को मौत की मार मारते हैं उनकी इस समय होने घाली हल्की सजा के घदले कुछ ज्यादा कड़ी सजा ठहरानी चाहिये कि नहीं; या मान लो कि व्याही खियों को अपनी जायदाद पर हक होना चाहिये यह जो रियाज अमेरिका के मार्ग-लिक राज्य एक करके, सिर्फ़ अलग कानून से नहीं,

\* इस नाम की एक सभा १८४९ ईस्वी में खड़ी हुई थी उसकी ६ मार्गे इस प्रकार थी ( १ ) सब को मत, ( २ ) गुणधर्म मत ( ३ ) वार्षिक पार्लिमेंट ( ४ ) पार्लिमेंट के समाजद को येतन देना ( ५ ) उप को पार्लिमेंट के समाजद होने का हक ( ६ ) देशका एक समान मत समितियों में विभाग । † अब स्त्रिया स्वाधीनता से डिग्री हासिल करती हैं ।

धर्मच अपने गठन के संशोधित नियमोंमें ही एक धारा रख कर चलाते जाते हैं उसका प्रस्ताव किसी ने विटिश पार्ली-मेण्ट में पेश किया। अब क्या किसी पुरुष की खीं, और लड़कियों को यह जानने का हक नहीं है कि वह पुरुष उस उमेदवार के पक्ष में भत देता है या विपक्ष में जो इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला है ?

“अलवत्ता यह उच्च उठाया जायगा कि मतदृक की हैसियत के अन्यायी रूप धारण करने से ही इन दलीलों को उसका सारा जोर मिलता है; मतधारी निरंकुश होने पर जैसा भत दे उसकी अपेक्षा अगर भत रहित मनुष्यों के अभिप्राय के अंकुश से अधिक ईमानदारी या अधिक लाभदायक रीति से उसका भत देना सम्भव हो तो मतरहित मनुष्य मतधारी होने के लिये मतधारी से अधिक लायक है और उसको मतदृक मिलना ही चाहिये । जो मतधारी के मन पर सत्ता चलाने के योग्य हैं वे सब स्वयं मतधारी होने के भी योग्य हैं और ऐसा होने से उनको गुटिकाभत के आधय में कर देना चाहिये कि जिससे जिन प्रबल मनुष्यों और वर्गों के सामने उन्हें जवाबदेह न होना चाहिये उनकी अनुचित सत्ता से वे यच सकें ।

“यह दलील देखने में सथल है और एक समय में भी इसको अन्तिम सिद्धान्त समझता था । अब मुझे यह गलत मालूम देती है । जो लोग मतधारी के मन पर असर डालने लायक हैं वे उतने ही कारण से स्वयं मतधारी होने लायक नहीं हैं । पहली सत्ता से यह दूसरी बहुत बड़ी सत्ता है और जिनको अभी अधिक उच्चम राजनीतिक सत्ता निर्भयता से नहीं साँप सकते वे उससे घटिया के लिये तो तैयार हो सकते हैं । भंजदूरों के सब से गरीब और जड़ धर्ग का

अभिप्राय और अभिलाप भी कानून यनाने वाली सभा और मतधारियों के मन पर दूसरे अंकुशों के साथ एक बहुत उपयोगी अंकुश हो सकता है; फिर भी उनकी रीति और युद्धि की वर्तमान दशा में उनको मतहक के सम्पूर्ण उपभोग में दाखिल करके प्रवल्ल सत्ता देना बड़ा हानिकारक होगा। जिनके मत हैं उनके ऊपर जिनके मत नहीं हैं उनका यह परोक्ष अंकुश होगा यो लगातार बढ़ कर मतहक के प्रत्येक नये विस्तार का मार्ग सुगम करनेवाला और समय आने पर इस विस्तार को सुख शान्ति में काम में लाने वाला साधन हुए बिना नहीं रहेगा। जब तक जन समूह सबल अभिप्राय कायम करने योग्य न हुआ हो तब तक प्रकाशित करने और जन समूह के जिम्मेवार होने की सचि निरूपयोगी है यह विचार ही बेज़ङ का है। जब लोकमत अपनी गुलामी का अनुसरण कराने में सफलता पाता है तभी यह हित करता है यह सोचना लोकमत की उपयोगिता का बहुत ऊपरी विचार है। दूसरों की दृष्टि में रहना, दूसरों के सामने अपना व्यावह करना यह जो लोग दूसरे के अभिप्राय के विरुद्ध वर्ताधि करते हैं उनके लिये जितना आवश्यक है उनकी अपेक्षा दूसरों के लिये कभी अधिक आवश्यक नहीं है; क्योंकि इससे उनको अपनी जड़ मजबूत करने को लाचार होना पड़ता है। द्वावह के विरुद्ध काम करने के ऐसा बढ़ता लाने का गुण दूसरे किसी में नहीं है। कोई मनुष्य कोध के तात्कालिक आवेश के घर नहीं हुआ होगा तो यह जिसके लिये भारी निन्दा की आशा रहती होगी ऐसा काम पहले से सोचे हुए और निश्चय किये हुए उद्देश्य से ही करेगा और यह सदा विचारशोल और स्थिर प्रकृति का सबूत है और जड़ से ही खराब मनुष्यों के सिवा दूसरों में साधारणतः

शुद्ध और हड्ड व्यक्तिगत निर्देशों से ही यह उनमें हुई रहनां है। अगरनी कारखार्इ का जवाब देना पड़ेगा यद्यपि एक दात ऐसी कारखार्इ में लगे रहने के लिये प्रधन हेतु है जिसका कुछ उचित उत्तर दिया जा सकता है। अगर कोई यह मानें कि कंवर औचित्य बनाये रखने का कर्तव्य ही सक्ता के हुए गयांग पर यहुत यहाँ अंकुर नहीं है तो जो लोग अपने को यह अंकुर मानने के कर्तव्य में लंघा नहीं समझने उनकी कारखार्इ की तरफ उसका ज्यात नहीं मिला है। प्रकाश्य नाय का असमी भूल्य जानना उस दृश्या में भी असम्भव है जब यह (प्रकाश्य नाय) उस कारखार्इ को (जिसका कुछ अन्दरा अनुर्धन करने की भी सम्भावना नहीं है) रोकने के सिवा, विचार करने को लाचार कर, अगर्नी कारखार्इ का जवाब मांगने पर क्या कहना चाहिये इसका प्रत्येक जन में काम करने के पद्धति निर्णय कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता।

पूर्णतु (यह कहा जा सकता है कि) अभी नहीं तो पांच नीं जब सब पुकार और लियां अगर्नी योग्यता से मत के अधिकारी बनायें जायें तो उस बड़ी यांग लाम का कानून होने का कुछ नय नहीं रहने पायेगा; उस समय सारी जनता के अनवारी होने से उनका राष्ट्रीय स्वार्थ से कुछ नित्र स्वार्थ नहीं हो सकेगा। यद्यपि अभी पृथक् पृथक् मनुष्य व्यक्तिगत या वर्गीय उद्देश्य के अनुसार मत देंगे तथापि अधिक संख्या का ऐसा कोई उद्देश्वर नहीं होगा और उस समय ऐसा भव रहित मनुष्य नहीं रहेगा जिसके सामने कैनियत देने की उक्तत पड़े। इसमें गुटिका मत का परिणाम पूर्य कर से हितकारी निकलेगा; क्योंकि इससे दुष्ट सक्ता के सिवा और कुछ रद नहीं होगा।

“इसमें भी मैं एक मत नहीं होता। मैं नहीं समझ सकता कि जनता ने सार्वत्रिक मत के योग्य होकर उसे पाया हो तो भी गुटि-कामत धान्वित होगा। पहला कारण यह है कि ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी नहीं समझा जासकता। इस उद्देश्य में सन्निविष्ट स्थिति का ही विचार करो—सारी जनता शिक्षित है और हर एक प्रौढ़ाचस्था के मनुष्य को मत का अधिकार है। इस समय जब वस्ती का एक छोटा सा भाग ही मतधारी है और बड़ा भाग अशिक्षित है तब भी जब लोकमत, जैसा कि प्रत्येक जन नज़र से देखता है, अन्तिम अंकुश सत्ता हो गया है तब जो सारी जनता पढ़ना जानती हो और मतदृक् भोगती हो उसके ऊपर उसकी मरजी के विरुद्ध जमांदार और धनधान लोग ऐसी योई सत्ता चला सकते हैं जिसके दूर करने में कुछ भी कठिनाई होगी ऐसा सोचना खाम खयाली है। परन्तु यद्यपि गुप्तता की रक्षा उस समय व्यर्थ हो जायगी तो भी प्रकाश्य भाव के अंकुश की तां हमेशा के बरायर ही ज़रूरत रहेगी। अगर मनुष्य जाति का सार्वत्रिक अवलोकन धूत भ्रान्तियुक्त न हुआ हो तो जनता का एक अंग होने और साधारण जनता से प्रत्यक्ष स्वार्थ विरोध की स्थिति में न होने के साथ अपने जाति भाईयों के अभिशाय की तरफ से मिलनेवाले उन्नेजन या अंकुश विना सार्वजनिक कर्तव्य ठीक ठीक पालने के लिये वह यथेष्ट नहीं है। मनुष्य को विरुद्ध दिशा में चीच ले जाने-वाला कोई निजका स्वार्थ न हो तो भी उसके द्वारा उसका सार्वजनिक कर्तव्य, दूसरे धार्हरी लालच की ओर भुके बिना, पालन कराने के लिये उसके भाग का सामाजिक कार्य साधारण नियम से यथेष्ट नहीं जान पड़ता। फिर यह भी नहीं स्वीकार किया जा सकता कि सब को मत होगा तो वे अपना भत प्रकाश्य भाव से जिस ईमानदारी के साथ दैगे वैसे ही

गुप्त भाव से देंगे । जब मतधारियों में सारी जनता आ जाती है तब उनको जनता के स्वार्थ के विरुद्ध मत देने में कुछ स्वार्थ नहीं हो सकता यह पहले जांच करके देखने से उस में अर्थ की अपेक्षा आडम्बर अधिक जान पड़ेगा । यद्यपि (जैसा शन्दार्थ सूचित करता है उस दिसाय से तो) समूची जनता का अपने संयुक्त स्वार्थ से भिन्न स्वार्थ नहीं हो सकता तथापि उसमें से प्रत्येक या किसी किसी का समय समय पर हो सकता है । मनुष्य का जिस घस्तु पर मन लगतां है वह उसका स्वार्थ है । प्रत्येक मनुष्य के जितनी वृत्तियां होती हैं जितनी अपने मतलब की या वे मतलब की, अधिक अच्छी रुचि या अच्छी होती है—उतने उसके भिन्न भिन्न स्वार्थ हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि उन में से किसी एक को लें तो उस में "उसका स्वार्थ" आ जाता है, वह अपने स्वार्थ का जो एक या दूसरा वर्ग पसन्द करता है उसके अनुसार अच्छा या निकम्मा मनुष्य गिना जाता है । जो मनुष्य घर पर अत्याचार करता होगा वह (जब तक अपने ऊपर न हो तब तक) अत्याचार का अनुमोदन करने को तत्पर रहेगा और वह तो ग्रायः निश्चित ही है कि वह अत्याचार रोकने का अनुमोदन नहीं करेगा । ईर्प्पालु गनुष्य परिस्टेडिस\* के विरुद्ध मत देगा; क्योंकि वह न्यायी, कहलाता है । मतलबी मनुष्य अच्छे कानून से अपने देश को होनेवाले साम में मोजूद अपने भाव की अपेक्षा

\* यह मनुष्य ऐसा सद्गुणी, न्यायी और शुद्ध मनका था कि "न्यायी" के नाम से परिचित था । यह येमिस्टोकलिस का प्रतिद्वन्दी था । यह नहीं शिष्टवत्ता का पश्चाती था बर्तां येमिस्टो-कलिस जन उंचाँ का पश्चाती था । इ० सन् ८५७ वर्ष २६ ले इठकी मृत्यु हुई ।

अपने तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक प्रसन्न करेगा; क्योंकि उसकी मनोवृत्तियाँ उसे जिधर ध्यान देने को भुकाती हैं और जिसका मूल्य जानने को उसे सब से अधिक शक्तिमान चनाती हैं उसको यह अपना निजका स्वार्थ मानता है। मतधारियों की बड़ी संख्या को दो प्रकार की रचि होगी। एक निज के उद्देश्यों के अनुसार और दूसरी सार्वजनिक उद्देश्यों के अनुसार। इन दोनों में जो पिछली रचि है उसी एक फो मतधारी प्रकाश करना चाहेंगे। उनको प्रकृति का यह सब से अच्छा पहलू है जो पहलू अपने से कुछ भी अच्छे न हों उनको भी दिखाने को वे आतुर होते हैं। लोभ, द्वेष रोप या व्यक्तिगत वैर के कारण, वर्ग या पंथ के स्वार्थ या भ्रम के कारण भी लोग वैदिमानी का या नीच मत चुपके चुपके प्रगट करने को अधिक तय्यार होंगे। और शठ लोगों के वर्ग पर प्रामाणिक छोटे घर्ग के अभिप्राय के प्रति साहजिक मानवृत्ति का प्राय। एक ही अंकुश रहता है ऐसे : राहरण मौजूद है और आगे भी यहुत से मिल सकते हैं। उत्तर अमेरिका के लोपवादी मारण्डलिक राज्यों के से प्रसङ्ग में दुष्ट मतधारी का ईमानदार मनुष्य के मुंह के सामने देखने की शरम क्या कुछ अकुश नहीं है? जब कि सब से अनुकूल स्थिति होने पर भी गुटिका मत के लिये इन सब भलाईयों का त्याग करना पड़ेगा तब उसकी स्वीकृति घाँटित होने के लिये, उसकी आयश्यकता के लिये वर्तमान की अपेक्षा अधिक सबल प्रसङ्ग दिखाने की ज़रूरत है ( और यह प्रसङ्ग निरन्तर निर्यल होता जाता है । ) " ०

मत देने की पद्धति सम्बन्धी दूसरे विवादग्रस्त विषयों पर इतना अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मिठेर की योजना के अनुसार मनुष्यगत प्रतिनिधि पद्धति में मत-पत्रों का उपयोग आवश्यक होता है। परन्तु मुझे इतना ज़रूरी ज़ंचता है कि मतपत्र पर मतधारी की सही किसी सार्वजनिक मतस्थल पर अथवा ऐसी कोई जगह मुगम न हो तो किसी सब के लिये खुली कच्छढ़ी में और ज़िम्मेवार सरकारी अफसर के सामने लेनी चाहिये। मतधारी मतपत्र की जानापूरी अपने घर पर करे और किर डाकपाने में ढोड़ देया कोई सरकारी कर्मचारी लेने आये तो उसके हवाले कर दे—इस स्वतंत्रता की जो सलाह दी गयी है वह मुझे जोयिम भरी लगती है। ऐसा हो तो यह काम सारी अच्छी सत्ता की अनुपस्थिति और सारी दुष्ट सत्ता की उपस्थिति में होगा। गुप्तता की द्वाया में घूस देने वाला अपना सौदा अपनी नज़र से मिला और घमकी देने वाला जवर-दस्ती की स्वीकृति न टली देय सकेगा; परन्तु जो लोग मतधारी का असली विचार जानते होंगे उनकी हितकरने वाली प्रतिरोधक सत्ता और जो उनके पक्ष या अभिप्राय के होंगे उनके अनुमोदन का उत्तेजक प्रभाव रद्द हो जायगा। \*

\* इस युक्ति की विकारिय की गयी है इन दो आघारों पर कि (एक तो) खर्च का बचाव हो और (दूसरे) जो बहुतेरे मतधारी दूसरी तरफ से मत नहीं देंगे और जिनको इस युक्ति के पश्चात्ती बांधित मतधारियों की धेणी मानते हैं उनका मत मिल रहे। यह युक्ति निराभितों के कानून के व्यवस्थाएँ के चुनाव में वर्ती गयी है और उसमें जो सफलता हुई है उससे कानून बनानेवाली सभा के समाधानों के लिये मत देने के अधिक आवश्यक विषय में उसे स्वीकार

मतस्थल इतने अधिक होने चाहिये कि सब मतधारी वहाँ आसानी से जा सकें और किसी वहाने उमेदवार की तरफ से सधारी यर्च मतधारी को लेजाने के लिये स्थीकार नहीं करना चाहिये । अशक्त को और उसे भी वैद्य के प्रमाण पत्र से ही सरकारी यर्च या स्थानिक यर्च से उचित करने के पक्ष में बहुत डठायी जाती है । परन्तु जिस बुनियाद पर इस युक्ति से काम का भरोसा है उसके सम्बन्ध में ये दो विषय मुझे एक दूसरे से अकग होते जान पहते हैं । जिस प्रकार के इन्तजामी काम में मुख्य करके एक सार्वजनिक कोष की व्यवस्था है उसके लिये होने वाले स्थानिक निर्याचन में जो लोग इस्तक्षेप करने को शामि बढ़ते हैं अकेले उन्हीं के हाथ में चुनाव का काम आ पहने से रोकने का उद्देश्य होता है; क्योंकि वह चुनाव सम्बन्धी सार्वजनिक उत्तराध नियमित प्रकार का और यहुत अवसरों पर साधारण दरजे का होता है इससे जो लोग अपने इस्तक्षेप से अपना निज का स्वार्थ साधने की आशा रखते होंगे उनमें इस विषय में इस्तक्षेप करने की वृत्ति का बहुत अश में छुपा रहना सम्भव है । और यह निज का स्वार्थ दवा देने का ही उद्देश्य हो तो भी उस में दूसरे लोगों का इस्तक्षेप, जैसे हो वैसे कम हानिकारक करना बहुत इष्ट हो जायगा । परन्तु यह प्रस्तुत विषय राष्ट्रीय राज्य तंत्र का महान कार्य है और उसमें जो लोग अपने विषय में भी परवा रखते हों या जो अपने विषय में भी परवा रखते हों उन सब के शामिल होने की आवश्यकता है तब जो लोग उस विषय से वैपरवा हों उन्हें उनके मुस्त गन को जागृत करने के उपाय के लिया दूसरे उपाय से मत देने को ललचाने के बदले मत देने से रोकने का उद्देश्य विशेष होता है । जो मतधारी मतस्थल तक जाने के इतना भी चुनाव की परवा नहीं

सरकारी मांगने का एक होना चाहिये। मतस्थल, मन दर्ज करने वाले मुद्रित और चुनाव के सब जरूरी मामान का प्रथमव सरकारी मर्च में होना चाहिये। उमेदवार को अपने चुनाव के लिये नियमित और अद्वा गर्च के मिया दूसरा मर्च नहीं करना चाहिये; इतना ही नहीं यर्च उसे करने न देना चाहिये। मिठौ हंयर सोचने हैं कि जिनको सफलता की सम्भावना न हो या बास्तव में प्रयत्न करने का इरादा न हो उन मनुष्यों को मजाक के लिये या बदल नगहर होने के गोपक के लिये उमेदवार बनकर, दूसरे अविक इन्द्रुक मनुष्यों के चुनाव में काम आ सकने योग्य कुछ मन गोचने में गोकर्णे के बास्ते उमेदवारों की सूची में जो जो अपना नाम लिखावें उनमें से हर एक से ५० पाँचठ की रकम लेना उचित है। जिस एक मर्च में उमेदवार या उसके सदायकों को, छुटकारा नहीं है यह विज्ञापनों, पटरियों (माइनरोंटों) और विनय-

करता यह अवश्य देश मनुष्य होगा। जो अपना मत परिषे मांगने वाले मनुष्य को अपना बद से दुर्लभ और निष्ठामें लाभन में अफर दे देता। जिस मनुष्य को अपना मत देने या न देने की पाया नहीं है वह सब इसके रखने मत देता है। इसकी परवा बरता उसके लिये समझ नहीं है; और जिस के मन की ऐसी रियति होती है उसे कुछ भी मत देने का कुछ भी सातिह अविकार नहीं है; , यद्योऽकि वह देश मत देता है जो इसी टड़नियका घोषण नहीं है तिसी मी यह एक सारी चिन्हती का रिवार और टरेस्य प्रगट बरने वाले मन के बराबर गिना जाता है और परिमाण का निश्चय बरने में उसी के इतना बहनदार हो जाता है। ' पार्टीमेंट में मुखर्त पर विवार ' पृष्ठ १०-प्रधान

पत्रों द्वारा उमेदवार की योग्यता मतधातियों को जताने का खर्च है और यह खर्च जो जो उमेदवार मांगें उन सब के लिये सरकार की तरफ से देने की कम ही आशा रखी जा सकती है । मिं० हेयर का सूचित किया हुआ ५० पौएड अगर इस कारण से वसूल किया जाय तो उतने में ही इस किसी का सब ज़रूरी खर्च हो जाना चाहिये ( और अगर आवश्यक ज़ंचे तो इसे १०० पौएड कर दें ) अगर उमेदवार सभाएं युलाने और मन हासिल करने की चायत खर्च करना चाहें तो उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है; परन्तु ऐसे उमेदवार की गांठ का खर्च, अधवा ५० ( या १०० , पौएड की अमानत के सिवा कोई खर्च बेकानूनी और सजा के काविल होना चाहिये । अगर धोरे का कुछ खटका हो तो प्रत्येक सभासद से आसन ग्रहण करते समय शपथ या प्रतिशा द्वारा यह स्पष्ट स्वीकार करा लेना चाहिये कि उसने अपने चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से ५० पौएड के सिवा रुपया या रुपये के ऐसा कुछ खर्च नहीं किया है और करेगा भी नहीं । अगर यह स्वीकृति भूठी या प्रतिशा दूटी सायित हो तो उसे भूठी शपथ का दण्ड मिलना चाहिये । इन सजाओं से यह प्रगट होगा कि इस विषय में पार्लीमेंट का विचार दढ़ है; और लोकमत की गति भी उसी दिशा में भुलेगी और जन समाज के सामने इस सब से गहरे अपराध का मामूली बुरी खस्तत समझा जाना, जैसा कि अभी तक समझा गया है, रुकेगा । जहाँ एक बार यह असर हुआ कि शपथ या प्रतिशा द्वारा की हुई स्वीकृति लाजिमी हो जायगी, इस घात में कुछ सन्देह रखने की ज़रूरत नहीं है । \* “ जब लोकमत अस्वीकार की

हुं घस्तु से आंध द्विपाता है तभी घर्म भृते ला दाया आदमी से आंध द्विपाता है यानी देखकर मटिया जाता है।" चुनाव के घूस के सम्बन्ध में यह यात जंगत्रसिद्ध है। राजनीतिक पुढ़पी की तरफ से अमीतक कभी घूस रोकने का कुछ घासन-विक और गहरा प्रयत्न नहीं हुआ। और इसका कारण यह है कि यह कभी इच्छा ही नहीं हुई कि चुनाव चर्चाला न हो।

इसी की आम सभा की कमेटी के सामने गुजरे हुए गवाहों में से (जिनमें हितने ही चुनाव के काम में कार्यतः वह अनुभवी थे) कुछ जन (एक सतंत्र नियम के तौर पर या अनितम उपाय के तौर पर) पार्लीमेण्ट के समाइदों से स्वीकृति लेने के नियम के पश्च में ये और उनकी यह राय थी कि अगर उस में सजा का सहारा हो तो उसका बहुत बड़ा असर हो (गवाही पृष्ठ ४६, ५४-७, ६७, १२३, ११८-१०२, २०८) वेक्फील्ड की जांच करनेवाली कमेटी के अध्यक्ष ने (अवश्य ही एक दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में) कहा या— "अगर वे यह देखें कि बानूत सभा का विचार टूट देतो यंत्र-सामग्री अथवा काम करेगी……" मुझे पकड़ा विद्राघ है कि घूस सावित होने से कुछ व्यक्तिगत कलंद टो तो इससे छोक्रत का प्रवाह बदल जायगा।"

(पृ. २६ और ३२) कमेटी के (और वह मंत्री सभा के) एक समाइद ने यह विचार प्रगट किया या कि मार्वी बाचक प्रतिशा मो भूतयाचक प्रतिशा से मिन्न प्रहार की है उसमें शूटी शपथ को सबा लोडना बहुत आपत्तिजनक है; पान्तु उनको स्मरण दिलाया गया या कि न्यायालय में साधी जो शपथ करता है यह मार्वी बाचक अर्थात् मविध के लिये है और उनका दिया हुआ पत्तुस्तर (कि साधी की प्रतिशा तकाल होनेवाले कार्य के सम्बन्ध में है परन्तु समाइद की प्रतिशा सदा मविधकाल के लिये रहेगी) उठी दिया

जो लोग सर्व कर सकते हैं उनको उनका सर्वलापन बहुत से प्रतिद्वन्द्यों का मुंह घन्द करने से लाभकारी है; और चाहे

मैं उपयोगी है जब यह सोचा जाय कि शपथ लेने वाला स्वयं स्वीकार किया हुआ कर्तव्य भूल जायगा अपवा अनजान में उसका भेग करेगा; परन्तु जैसी हाल की अवस्था है उस में यह अवशर प्रभ के बाहर है।

बहुत बड़ी आपत्ति यह है कि चुनाव का खर्च सब से अधिक बार जो स्वरूप पहुँचता है उसमें एक स्थानिक घर्मखाते या दूसरे स्थानिक उपदेशों में चन्दे की मदद का है; और यह कानून बनाना दर असल कड़ा उपाय माना जायगा कि कोई समाजद अपनी मत समिति की लीमा में घर्मायं पैसा न दे। जब ऐसा चन्दा शुद्ध उद्देश्य से दिया जायगा तब उससे उत्तम होनेवाली लोकप्रियता के लाभ की ओष्ठ समर्पण से इनकार करना असम्भव या ज़ंचता है। परन्तु इस बात में बड़ा भारी अनर्थ है कि यह दिया हुआ चन्दा समाजद का लाभ बनाये रखने के शुभ नाम से घूम में आता है। इससे बचने के क्षिये प्रतिशो-बचन का एक माग ऐसा होता चाहिये कि मत स्थल पर जो खर्च हो अपवा उस स्थल के या वहाँ के किसी निवासी के सम्बन्ध में किसी कारण से जो कुछ खर्च हो ( शायद उसके द्वारा खर्च के सिवा ) वह रकम चुनाव के दिनाव परीक्षक के द्वाय से जाय और उसके द्वाय से ( न कि समाजद या उसके मिश्रों के द्वाय से ) उन कहे हुए कामों में लगे।

चुनाव का कानून के रूप से होनेवाला सब खर्च उमेदवार के सिर पर नहीं बरेंच उस स्थान के सिर पर ढालने के नियम का सब से अच्छे रायाहों में से दोने लम्बर्यन किया था। ( पृ० २०,६५,-७०, २७७ ) अन्यकार ।

जैसी दुःखदायी यस्तु हो अगर यह धनयान पुण्यों के सिपा दूसरे किसी के लिये पार्लीमेंट का मार्ग यंद करती होगी तो उसका संरक्षक गवर्नर है यह मानकर उसका समर्थन किया जायगा । हमारे होनो पक्षों के कानून पनानेपालों के मन में यह युक्ति जम कर थें गयी है और मैं विचास करता हूँ कि प्रायः इन एक ही बात में उन की सच्चायुक्त युरी धारणा है । जब तक उनके मन में यह भरोसा रहता है कि उनके अपने पर्ग के बाहर का कोई पुण्य नुना नहीं जा सकता तब तक कौन मत देता है इसकी उन्हें एक तरह से थोड़ी ही परवान रहती है । ये जानते हैं कि ये अपने पर्ग के पुण्यों में परस्पर यंधुभाय का भरोसा य सकते हैं और जो नये धनयान उनके पर्ग का दरवाजा खटकदाया करते हैं उनकी अधीनता इन से भी अधिक पक्षा भरोसा है और जब तक जनसत्ता के पक्षपानी पार्लीमेंट में निर्वाचित होने से रोके जा सकेंगे तब तक सब से अधिक जनसत्ताक मत की तरफ से धनयानों के पर्गाय आयं या युक्तियों को किसी भारी विरोध का दूर रखने की ज़रूरत नहीं है । परन्तु ग्रास उनके पक्ष की ओर से देखने पर भी दिन के भाव हित पाने के यद्दले दोष के मामने दोष रम कर सामर्थ्य रखने की नीति अधृत है । उद्देश्य तो ऐसा होना चाहिये कि यहुतों की पर्गाय युक्तियों को मन समितियों में समूर्ण सत्ता देकर, यह सत्ता कुछ के पर्गाय युक्ति याले पुण्यों के हाथ से काम में लाने का उनके उपर प्रतिवन्धन ढालने के यद्दले होनो पर्गों के मध्य से थ्रेष्ट मनुष्यों को ऐसे सम्बन्ध में इकट्ठा कर दें कि उनको उनका पर्गाय अनिलाय अलग कर के साधारण लाम से अंकित यह मार्ग एक शामिल होकर चलाये ।

रोज़ यकायं एक छुपा समान देने योग्य यस्तु है और उसे

पानेवाला मानो अपने लिये पाना चाहता हो तथा मानो उस में उसकी सम्पत्ति बढ़ाने का उद्देश्य हो ऐसी पैसा खर्चने योग्य भी यस्तु है यह इश्य दिखाने से राजनीतिक नियम जितना नैतिक हातिकारक हो जाता है और उसके जीवन सत्त्व मार्ग से जितना अनर्थ उपजाता है उसकी अपेक्षा और किसी रीति से शायद ही करता होगा। मनुष्य कोई भारी कर्त्तव्य पालने की परवानगी के लिये बड़ी रकम देने को तत्पर नहीं होता। लेकिन जो यह निर्णय किया है कि जिन पुरुषों को राजनीतिक सत्ता से व्यक्तिगत चिह्न हो उन्हीं को हड्ड कर यह सत्ता साँपती चाहिये और सब से योग्य पुरुषों को राज्यतंत्र का भार अपने सिर पर लेने को ललचाने के लिये जिस एक उद्देश्य पर भरोसा रखा जा सकता है यह सिफ उनके ऊपर खराब मनुष्यों द्वारा राज्य छलाने का भय ही है यह निर्णय अच्छे राज्यतंत्र की शर्तों का बहुत उचित विचार प्रगट करता है। जिन तीन चार में से कोई गृहस्थ पहले नि स्वार्थ परोपकार के काम में खुले हाथ रुपया खर्चते न देखा गया हो वे आगर अपने नाम के साथ एम० पी० ( M P पार्लीमेंट के मेम्बर ) लिखाने के लिये रुपया राखने में एक दूसरे से चढ़ाऊपरी करते देखे जायें तो मतधारी क्या सोचेगा ? क्या उसका यह सोचना सम्भव है कि वे जो कुछ खर्च करते हैं वह उसके लाभ के लिये ? और यह जब इस काम में उनके भाग के विषय में ऐसी प्रतिकूल राय कायम करता है तो क्या उसे अपने भाग के विषय में सात्त्विक घन्धन लगाना सम्भव है ? मत समिति कभी शुद्ध होगी इस बात को राजनीतिक पुरुष जोशन्दारों का स्वप्न समझने के शौकीन हैं; और यास्तब में जब तक वे स्वयं शुद्ध होने को राजी नहीं हैं तब तक वह भी बदलने को नहीं;

क्योंकि मतधारी का नैतिक यत्त उमेदवारों के नैतिक यत्त पर ही निर्भर करता है। जब तक निवांचित समासद अपने आसन के 'लिये किसी ढंग से दृष्टया यर्च करेगा तब तक चुनाव के काम को सब तरफ से स्वार्थी सौदे की अपेक्षा एक भिन्न प्रकार की वस्तु बनाने का सारा प्रयत्न व्यर्थ जायगा। "जब तक उमेदवार स्वर्य और दुनिया का रिवाज ऐसा मानता दियाई देगा कि पार्लीमेण्ट के समासद का काम, पालने योग्य कर्तव्य के बदले दीनता के साथ मांग लेने योग्य शूपा है तब तक पार्लीमेण्ट के समासद का चुनाव भी एक कर्तव्य है और मतधारी व्यक्तिगत योग्यता के सिवा दूसरे किसी विषय के विचार से भ्रम देने को व्यतिर नहीं है, ऐसी चुन्ति साधारण मतधारी के मन में जमा देने का कार्य प्रथम सफल नहीं होगा।"

जो मूलतत्त्व ऐसा लगता है कि निवांचित पुरुष से चुनाव की यायत कोई खर्च मांगना या स्थीकार करना नहीं चाहिये उसी से एक दूसरा अनुमान निकलता है और यह अनुमान यद्यपि देखने में उलटे रूप का है तथापि यास्तव में उसी उद्देश्य की ओर ढला हुआ है। सब ध्रेणियों और अवस्थाओं के पुरुणों के लिये पार्लीमेण्ट का मार्ग सुगम करने के उपाय के नौर पर पार्लीमेण्ट के समासदों को घेतन देने का जो कई बार प्रस्ताव हुआ है उसे यह अनुमान रद करता है। जैसा कि हमारे कुछ टापुओं में है, जब ऐसे पुरुष मुश्किल से मिल सकते हैं जो यिनां घेतन के धंधे पर ध्यान दे सकें तब निश्चित घेतन नहीं चर्च मम्य या धन के गर्व का बदला दिया जाना चाहिये। धंधी हुई तलव से परम्पर के धिन्नार में वृद्धि होने का लाभ एक भ्रम है। पार्लीमेण्ट की मेम्बरी के तिये कोई मनुष्य चाहे जितभी तलव सोचे, परन्तु उसकी

ओर उन सोगों का ध्यान नहीं खिचेगा जो दूसरे लाभदायक रोजगार में सच्चे दिल से लगे होंगे और उसमें सफलता पाने की आशा रखते होंगे । इससे पार्लीमेण्ट के सभासद का काम एक तरह का अलग रोजगार हो जायगा और यह रोजगार करने में दूसरे रोजगारों की तरह मुरद करके उसके धन सम्बन्धी लाभ पर विचार रहेगा और उसके साथ तत्क्षण अनिश्चित रोजगार का हानिकारक असर भी जारी रहेगा छोटे दरजे के साहसी पुरुषों के लिये यह एक लुभाने वाली वस्तु हो जायगी; और ६५= पाने वाले और इससे दस घीस गुना आशावान पुरुष सब कामों के लिये ईमानदारी या वेर्इमानी से सम्भव या असम्भव बचत देकर और जन समूह में सब से ओछे दरजे की सब से नीच वृत्तियों और सब से अज्ञान वहमों का कुटनापन करने में एक दूसरे से चढ़ाऊपरी करके मतधारियों का मत अपनी ओर सीधते या बनाये रखने के लिये लगातार कोशिश करते जायेंगे । जो सिलसिला जारी होगा उसका असली चिन्ह एरीस्टोफ \* के क्लियोन और भडियारे के बीच नीलाम की डाक है । यह नियम मनुष्य प्रकृति के सब से दूषित तत्त्वों पर हमेशा के लिये फकोला डालने के समान होगा । इसका अर्थ है अपने देशवासियों में सब से बढ़ कर खुशामदी, सब से बढ़ कर फुसलाने वाले मनुष्यों के लिये ६५= इनाम जारी करना । उष्ट दरवारी चाल को खूब चमकाने के लिये किसी स्वेच्छा-

\* ईश्वी सन् से पहले पांचवीं बड़ी का प्रोस का एक प्रह्लन-लेखक । इसके नाटक स्पष्ट नामों के साथ हूँ बहु लिखे हैं और उन में से एक में क्लियोन का लक्षण प्रत्यक्ष चित्रित किया गया है । दूसरे में सोनेटिव की बड़ी गदरी हैं जी उदायी है ।

बातों राज्य में भी ऐसी व्यवस्थित रिहा की पद्धति न थी। + व्य स्थावर सम्भवि या इसी दूसरे रोडगार धंधे की जानदारी बाते स्वतंत्र साधन से रहित किसी पुराय दो उत्तरों परन उत्तर गुलों के लाले, जो केवा उसकी तरह अच्छी रीति से करने बाते दूसरे पुराय न निलते हैं यदि केवा करने के हिते पाहीनेह ने लाला अनीष हो (जौर पेता प्रत्यंग चाटे दिल्ली समय जा लशता है) तो साधारण चन्दे वा उपाय हस्ताक्षर है। व्य तक यह पाहीनेह ने रहे तब तक उत्तरों खुनने बाते एंदुनावेंत वी तरह चन्दे से उत्तरा पोषण करे। यह रीति देवज्ञ वी है। यह प्रतिष्ठा कभी देवता खुशानदी की नहीं निसेनी; क्योंकि एक या दूसरे खुशानदी के दीन में मौदूद भेद की उन समादं इतनी ऋथिक परवा नहीं परती।

+ ऐसा हि मिठ से दिवर टिप्पतो बरते हैं, लद ह होंटे दरने के मुझों को भरने तरे राज्यकान्दे मे अंदर बरने के हिते हाँह उत्तरा बरने हे उनका ने निमित्त उंडा आरम्भ होए, राज्यकान्दे को उत्तरी स्वामीक विकावे वाले मे उक्काने हे बद बर और दुष्ट निमित्त नहीं है। केवल भरने ही देवों को भ्रेता के बहूँ शूर तुर उन सूर या दृढ़ उनके जो चिन्ह प्रगट होते हैं वे जो दोष राज्यों खुशानदीको के बहुत बहने से जो स्वरूप राज्य बोये उनका सामाजिक नुक्क बरते हैं। अराज राज के इतना ही अच्छा है और राज के भी अच्छा है यह उन सूर को समाने हे यह ऐसे सामाजिक को भी निमित्त उत्तर जी १९८ जाहे निलने वाहो हो तो वे यह इह उत्तरों को निलें। और उठ यह बहेगे। " ( १८५१ के दौरे के अवधि जेनेवे में दुर्घट के दिन मे टाइ लेलक योर्क लेत ) प्रेमकार ।

कि वे किसी खास पुरुष से खुशामद कराने के लिये उसके पोषण का खर्च दें। यह सहारा केवल लाक्षणिक और आकर्षक व्यक्तिगत गुणों के विचार से दिया जायगा और यद्यपि ये गुण राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने की योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण नहीं हैं तो भी उसके कुछ दोतक हैं और अधिक नहीं तो स्वतंत्र अभिग्राय और संकल्प होने की कुछ जमानत हैं।

—८५८७४८५४८—

## ग्यारहवां अध्याय ।

### पार्लीमेण्ट की मुद्रत के विषय में ।

पार्लीमेण्ट के सभासदों का, कितनी मुद्रत के बाद फिर से, चुनाव लाजिमी होना चाहिये ? इसमें सभिविए मूलतत्त्व स्पष्ट है; कठिनाई उस के प्रयोग में है मेम्यर की मेम्यरी की मुद्रत एक और इतनी लम्बी न होनी चाहिये कि घद अपनी जिम्मेदारी भूल जाय. अपने कर्तव्य की यहुत परवा न रखे उसे पालने में अपने निज के लाभ पर दृष्टि रखे और अपने निर्वाचकों से एक मत हो या न हो, उनसे जी खोल कर मिलने और सभापाँ करने में, जो प्रतिनिधि राज्य का एक लाभ गिना जाता है, लापरवा हो। दूसरी ओर उसको अपने ओहदे की इतनी लम्ब मुद्रत की आशा रहनी चाहिये कि उसकी परीक्षा उसके केवल एक छत्य से नहीं बरंच छत्यों से हो सके। जरुरी बात यह है कि उस को अपनी राय और विचार की बाबत इसी कदर स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह स्वतंत्र राज्यतंत्र सम्बन्धी लोकप्रिय अंकुश के प्रतिकूल न हो जाय। और इस कारण से इतना आवश्यक है कि उसमें जो जो गुण हॉं उन सब को दिखाने का और अपने निर्वाचकों की दृष्टि में एक इष्ट और मान्य प्रतिनिधि हो सकने के लिये

उन्हीं की राय का केवल एक तायेदार कथक और पेरोफार थने रहने की अपेक्षा एक दूसरा अधिक अच्छा मार्ग है, यदि साधित कर देने का उसे काफी बक्क देने के याद ही निर्वाचकों की अंगुश्च सत्ता का अमल होना चाहिये और दूर हालत में इसके मुताबिक अमल होना सब से अच्छा है।

इन दो तत्वों के यीच की सीमा किसी सार्वत्रिक नियम से निश्चित करना असम्भव है। जहाँ राज्येतंश में लोक सत्ता निर्यल और बेहद उदासीन होती है और उत्तेजन की अपेक्षा रखती है; जहाँ प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों को छोड़ते समय, जिस दरवारी या शिष्ट यातावरण में एक दम प्रवेश करता है उसके संसर्ग का सारा असर ऐसा होता है कि उसकी गति जनमार्ग से भिन्न मार्ग को भुकती है, वह अपने साथ जो कुछ लोक पृत्ति लाया रहता है वह मंद पड़ जाती है और वह अपने निर्वाचकों की इच्छावै भूल जाता है तथा उनके लाभ की ओर से ढीला पड़ जाता है; जहाँ उसकी प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा असली स्वरूप में बनाये रखने के लिये उसको उनके पास, अपना निर्वाचन ताजा कराने के निमित्त, फिर से आने को लाचार करने की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में तीन यर्प भी करीब करीब बेहद लम्बी मुदत है; और इस से लम्बी मुदत तो विलकुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके विरुद्ध जहाँ जनसत्ता का प्रभाव विशेष होता है और उस से भी अधिक हो जाने का रुप रखता है और उस को अधिक उत्तेजन देने के बदले प्रयोग में सीमा बद्द करने की आवश्यकता होती है; जहाँ निरंकुश प्रकाशन और विद्यमान समाचार पत्र प्रतिनिधि को विश्वास दिलाया करते हैं कि उसकी हर एक कारवाई उसके निर्वाचकों की जानकारी में तुरंत या जाती है, वे लोग उस पर चर्चा और विचार

फरते हैं और उनकी गणना में यह हमेशा घटता बढ़ता है—और उन्हीं साधनों द्वारा उनके विचारों का असर और दूसरा सब जनसत्ताक असर उसके मन में निरंतर जागृत और सचेतन रहता है—यहाँ कायर दीनता रोकने के लिये पांच वर्ष से कम की मुद्रत शायद ही काफी होगी। अंगरेजी राज्यनीति में इन सब विषयों के सम्बन्ध में जो फेर बदल हो गया है उससे समझ में आता है कि चालीस वर्ष पहिले यहुत आगे बढ़े हुए सुधारकों के लद्य के सामने जो वार्षिक पार्लीमेंट नाचती रहती थी उसकी अव इतनी कम परता क्यों की जाती है और क्यों कम ही सुनो जाती है। मुद्रत लम्बी हो चाहे थोड़ी इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि मुद्रत के अन्तिम वर्ष में पार्लीमेंट की स्थिति वार्षिक पार्लीमेंट की सी होती है; इससे अगर मुद्रत यहुत थोड़ी हो तो समूचे समय के बड़े भाग के अस्से में यह दर असल वार्षिक पार्लीमेंट हो जाय। हाल की स्थिति में यद्यपि सात वर्ष का समय अकारण लम्बा है तथापि किसी संभवित लाभ के लिये बदलना कम ही लाभदायक है; और खास कर तब जब कि यहुन जल्द पार्लीमेंट भंग होने की सम्भावना हमेशा सिर पर भूमते रहने से सभासद की नजर के सामने मतधारियों से अच्छा सम्बन्ध रखने का उद्देश्य नाचता रहता है।

निर्वाचन की मुद्रत के लिये बाहे जितना समय सब से अधिक योग्य समझा जाय यह बात स्वाभाविक ज़ंचेगी कि कोई मेम्बर अपने चुनाव के दिन से यह मुद्रत पूरी होते ही अपना आसन छोड़ दे और सारी सभा का कोई साधारण नया चुनाव न हो। इस नियम का अनुमोदन करने में कुछ व्यावहारिक उद्देश्य हों तो इसके पक्ष में यहुत कुछ कहा जा सकता है।

परन्तु इसके समर्थन के कारणों की अपेक्षा इसको अप्राप्य ठहराने के कारण कहीं अधिक सवल हैं। एक तो यह कि जो वहुमत राष्ट्र के अग्रिमिकर मार्ग को पकड़े उसको तत्काल दूर करने का कोई उपाय नहीं रहेगा। अगर सभा के बड़े भाग की मुद्रत के कुछ घर्षण दृमेश्वा याकी रहें—जिन नये मेम्बरों का, जिस समुदाय में वे मिलें उसका गुण यद्दलने के बदले स्वयं उसे प्रदण करना अधिक सम्भव है वे अगर धीरे धीरे आते रहें—तो सभा और मत समिति की वृत्तियों के धीच में जो मारी धिरोध अनिश्चित काल तक बना रहना सम्भव जान पड़ता है उसके रोकने का साधन यही है कि धास मुद्रत के बाद और वहुमत प्रायः नारी नियत मुद्रत पूरी होने के बाद, साधारण चुनाव आवश्यक हो और फिर जब मन्त्री अपने लाभ के लिये अधिवा देश में व्यय सोक्षिय होने की आशा से चाहे जब साधारण चुनाव कराना चाहे तब यह करा सके। नामाद्वित पुरुषों को अपनी मेम्बरों का एक ग्रोये बिना जनमत विशद् विचार स्वतन्त्रता से प्रगट करने को शक्तिमान करने की जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत सभा का साधारण विचार राष्ट्रमत को मिलते रहने की भी है। प्रतिनिधि सभा का धीरे धीरे और दुकड़े दुकड़े चुनाव करने के विशद् एक दूसरा वहुन वज्रन-दार कारण है। सामाजिक मत की पड़ताल करने के लिये और मिश्र मिश्र पक्षों और अमिश्रायों का परस्पर यह निर्य-बाद रूप से निश्चय करने के लिये प्रतिछन्दी संघों की समय समय पर साधारण तुलना करना उपयोगी है। किसी फुट-कर चुनाव से और कुछ फांसीसी तंशों की तरह जहाँ एक दम एक तिहाई या पांचवां भाग जैसा वहाँ भाग निश्चल जाता है वहाँ यह काम निर्णय पूर्वक नहीं होता।

शासन-समिति को विसर्जन की सत्ता देने के कारणों के विषय में प्रतिनिधि राज्य में उसके गठन और कर्तव्य सम्बन्धी आलोचना आगे के अध्याय में करेंगे ।

## बारहवाँ अध्याय ।

### पालीमेण्ट के सभासदों से प्रतिज्ञा करानी चाहिये या नहीं ?

क्या कानून बनानेवाली सभा के सभासद को अपने निर्वाचिकों की आङ्खा का घंघन होना चाहिये ? उसको उनके विचार का प्रकाशक होना चाहिये या अपने विचार का ? उसको उनकी तरफ से राज्य सभा में एलची होना चाहिये या उनकी तरफ से सिफारिश काम करने का नहीं घरंच ? क्या कानून उचित है इसका भी निर्णय करने का अधिकार रखने वाला उनका व्यवहार कुशल मुख्तार होना चाहिये ? प्रतिनिधि राज्य में कानून बनाने वाले के कर्तव्य के विषय में इन दो पक्षों में से प्रत्येक के पक्षपाती हैं और प्रत्येक मत को कितने ही प्रतिनिधि राज्यों ने स्वीकार किया है । डच संयुक्त प्रान्तों में साधारण राज्यसभा के सभासद फेवल एलची थे; और उनमें यह मत इतनी सीमा तक पहुंचा था कि जब उनकी सूचनाओं में न आया हुआ कोई जरूरी नया प्रश्न उठता न था, जैसे एक एलची को जिस राज्यों की ओर से उसकी नियुक्ति हुई रहती है उसकी सलाह लेनी पड़ती है, यैसे ही उनको अपने निर्वाचिकों की सलाह लेनी पड़ती थी । इस देश में और दूसरे बहुतेरे देशों में जहाँ प्रतिनिधि राज्य-तंत्र है वहाँ पालीमेण्ट के सभासद का अभिप्राय - अपने

निर्वाचकों के अभिप्राय से भिन्न हो तो भी उसे अपने सद्वचे अभिप्राय के अनुसार मत देने की, कानून और रियाज से परवा�नगी है; परन्तु इससे जो एक उलटे ढंग का विचार भी जारी है उसकी बहुतों के मन पर और पालींमेलट के सभासदों के मन पर भी, व्यवहार में बड़ी द्याप पड़ी रहती है और इस कारण से अगर हम उनकी लोकप्रियता की उत्कंडा और फिर से चुने जाने की आशा का विचार अलग रख दें तो भी जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में उसके निर्वाचक कुछ दृढ़ निर्णय पर आये रहते हैं उनके विषय में ये अपनी राय के बदले निर्वाचकों की राय पर चलने को सध्ये दिल से अपने को वाध्य समझते हैं। प्रत्यक्ष नियम और किसी यास जनता के ऐतिहासिक रियाजका सम्बन्ध न देखने पर प्रतिनिधि के कर्तव्य के विषय में इन दों विचारों में से यास्तवमें कौन सत्य है ?

हमने अब तक जिन प्रश्नों पर विचार किया है उनकी तरह यह प्रश्न नियम व्यवस्था सम्बन्धी नहीं है; परन्तु जिसको अधिक उपयुक्त रीति से राज्यतंत्र की सात्त्विक नीति कह सकते हैं उसके सम्बन्ध में अर्थात् प्रतिनिधि राज्य के नीति शाखा के सम्बन्ध में है। मतधारियों को इतना कर्तव्य पालने में जो मानसिक वृत्ति रगनी चाहिये, उनके सात्त्विक कर्तव्य के विषय में जो मनोभाव प्रबल होना चाहिये उसके साथ इसका जितना सम्बन्ध है उतना नियमतंत्र से नहीं है; क्योंकि प्रतिनिधि तत्व की पद्धति चाहे जैसी हो अगर मतधारी चाहें तो उसको कंयल पलची सभा घना डालेंगे। जयतक उन (मतधारियों) को मत न देने की स्वतंत्रता है और फिर चाहें जिस ढंग से मत देने की स्वतंत्रता है तथा उनको अपने मत के साथ कुछ शर्त, (जिसे ये उचित समझें) लगाने से रोक नहीं सकते। उनकी सथ राय मंजूर करने को अथवा उनकी ऐसी

मरजी हो कि किसी अनसोचे आवश्यक विषय पर मत देने के पहले उनकी सलाह ली जाय तो ऐसा करने को जो उमेदवार पायन्द न हो उसे चुनने से इनकार करने से वे लोग अपने प्रतिनिधि को अपने हाथ का धिलौना सा ही बना सकते हैं और यह जब ऐसी स्थिति में अधिक यार काम करने से नाराजी दियावे तब उससे इत्तत के लिये अपने आसन से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। जब उनको ऐसा करने की सत्ता है तब राज्यतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त में यह कल्पना करनी चाहिये कि वे पंसा करना चाहेंगे; क्योंकि राज्यतंत्र का मूल आधार तत्व ही यह कल्पना करता है कि राजनीतिक सत्ता का भोक्ता अपने खास उद्देश्य साधन में उस सत्ता का दुरुपयोग करेगा; और उसका कारण यह नहीं है कि दमेशा होता है वरंच घस्तु मात्र का ऐसा स्वभाविक रूप होता है और उससे रक्षा करने में स्वतंत्र नियम तंत्र का खास प्रयोजन है; इससे मतधारियों का अपने प्रतिनिधि को अपना एलची बना डालना चाहे जैसा बुरा या मूर्खतायुक समझें तो भी मतधारियों के हक का इतना विस्तार होना स्वभाविक होने और असंभव न होने से उसको निश्चित भ्रान फर सावधानी का उपाय करना चाहिये। हम यह आशा रख सकते हैं कि मतधारी मत का उपयोग करने में ऐसे विचार के अनुसार नहीं चलेंगे, तथापि प्रतिनिधि राज्य का ऐसा संगठन होना चाहिये कि वे चलें तो भी जो वस्तु किसी मनुष्य सभा की सत्ता में न होनी चाहिये उसे करने को अर्थात् अपने निज के लाभ के लिये वर्गीय कानून बनाने को वे समर्थ नहीं।

जब यह कहा जाता है कि यह प्रश्न केवल राजनीतिक आचार का है तो इससे उसकी आवश्यकता कुछ घट नहीं जाती। राज्यतंत्र का आचार सम्बन्धी प्रश्न राज्यतंत्र के निज के प्रश्नों

से व्यवहार में कम आवश्यक नहीं है। राजनीतिक आचार के सिद्धान्तों पर अर्थात् संगठित सत्ताधिकारियों के मन में मौजूद जो रुढ़ विचार उनकी सत्ता के भिन्न रीति से होने वाले अमल को अंकुश में रखता है उसके ऊपर कितने राज्यतंत्रों के विलकुल अस्तित्व का और दूसरों की स्थायिता वनाये रखने वाले सब तत्वों का आधार है। सामूहिक स्वयं रहित राजतंत्रों में—शुद्ध राजसत्ता में, शुद्ध शिष्ट-सत्ता में या शुद्ध जनसत्ता में—राज्यतंत्र को उसके बाह्यिक रूप की दिशा में सीमा पार करके जाने से जो रोकता है वह सिर्फ ऐसे नियमों का ही अंकुश है। अपूर्ण सामूहिक वाले राज्यतंत्रों में, जहाँ प्रबल सत्ता के जोश को कानून की मर्यादा में रखने का कुछ प्रयत्न हुआ रहता है, परन्तु जहाँ उस सत्ता का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह कुछ समय बिना जोगिम के सीमा पार कर सकता है वहाँ राज्य-तंत्र के अंकुश और सीमा की तरफ कुछ भी मानवृत्ति वनी रहती है तो वह सिर्फ जनमत के स्वीकार और समर्थन किये हुए राजनीतिक आचार के सिद्धान्तों के लिये ही। अच्छे सामूहिक वाले राज्यतंत्रों में, जहाँ सबोंपरि सत्ता घंटी हुई होती है और जहाँ दर एक हिस्सेदार को दूसरों के हमते से बचने के लिये जो एक मात्र उपाय समझता है वह अर्थात् दूसरे हमला करने में जितना जवरदस्त हथियार चला सके उतना ही जवरदस्त हथियार उसे अपने बचाव के लिये देने का उपाय यहा रहता है, वहाँ सब पक्षों की तरफ से इन अन्तिम बत्ताओं के दूसरे किसी हिस्सेदार के इतना ही भीतर से उसकाये गिना, अमल में लाने में हुए रहने से राज्य प्रथम्य चलाया जा सकता है। और इस प्रसङ्ग में हमारा यह कहना गलत नहीं है कि राजनीतिक-आचार, के नियमों

को ही मान देने से राज्यतंत्र का अस्तित्व रहता है। प्रतिक्षा का प्रश्न प्रतिनिधि राज्य के अस्तित्व से आवश्यक सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों में नहीं है; तो भी उसके लाभदायक प्रबन्ध के लिये यड़ा जरूरी है, मतधारी अपनी पसन्द में किस नियम पर चलें यह उनके लिये कानून तय नहीं कर सकता परन्तु किस नियम पर चलना वे उचित समझते हैं इससे व्यवहार में यड़ा भेद पड़ जाता है और यह पूरा महान प्रश्न इसी जांच में समाप्त हो जाता है कि प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के निर्धारित किये हुए यास अभिप्राय से जुड़े रहने की शर्त करे कि नहीं।

इस नियन्ध में जिन सामान्य मूल तत्वों को स्थीकार किया है उनसे इस विषय में क्या अनुमान निकलता है इस बारे में उसके किसी पाठक को सन्देह नहीं रह सकता। हम ने आरम्भ से ही राज्यतंत्र के महान अंगीभूत तत्वों को स्थीकार किया है और अचल मन से ध्यान में रखा है। वे तत्व ये हैं—राजनीतिक सत्ता को जिनके लाभ में लगाना चाहिये और लगाने का दावा किया जाता है उनके सामने जवाबदेही और उसके साथ राज्यकार्य के लिये, इस विषय में लग्ये मनन और ग्रनुभव वाली शिक्षा से मंजी हुई धुँदि का लाभ यथा साध्य अधिक परिमाण में प्राप्त करना। यह दूसरा उद्देश्य अगर साधने योग्य हो तो वह यथोचित मूल्य का पात्र है। थ्रेषु मानसिक शक्ति और गहन अध्ययन अगर मनुष्य को कितनी ही बार अनपढ़ साधारण मानसिक शक्ति के लगाए हुए अनुमान से भिन्न अनुमान पर नहीं चलावे तो वह निरर्थक है; और अगर धुँदि के विषय में साधारण मतधारी की अपेक्षा कुछ थ्रेषु प्रतिनिधि पाने की कल्पना हो तो यह आशा रक्षनी चाहिये कि प्रतिनिधि कितनी ही घार

अपने निर्वाचकों के यहें भाग से राय में मिश्र होगा और जय पेसा होगा तथ दोनों में से उसका अभिप्राय यदुधा टीक होना सम्भव है। इसका नतीजा यह निफलता है कि मतधारी अगर उसकी पदवी घनाये रखने की शर्त के तौर पर उसको अपने अभिप्राय के अनुसार पूर्ण रूप से चलने का आमद फर्ते तो इसमें उनकी बुद्धिमानी नहीं होगी।

यह नियम यहाँ तक स्पष्ट है; परन्तु असली कठिनाइयाँ इसके प्रयोग में हैं। हम इन कठिनाइयों को पूरे जोर के साथ यताना शुरू करेंगे। यथापि मतधारियों को अपने में अधिक ऊँची शिक्षा पाया हुआ प्रतिनिधि पमन्द फरना आवश्यक है तथापि उस विशेष स्थाने पुरुष को उनके सामने जवाबदेह रहने की कुछ कम आवश्यकता नहीं है। हृत्यरे शृङ्खों में कहिये तो वे इस बात के विचारक हैं कि उनके विवास को यह किस तरह पूरा करता है। वे अपने अभिप्राय के सिवा और किस विधि में परीक्षा करेंगे? पहली ही बार अगर उसको पसन्द फरेंगे तो इस विधि से नहीं तो और किस विधि में? केवल तेजस्विता में—आडम्यरी बुद्धि की ध्रेष्ठता में पमन्द फरने में कुछ लाभ नहीं है। एक साधारण मनुष्य को, पदले प्रसङ्ग में केवल बुद्धि की परीक्षा कर मरने के साधन यहुत अपूर्ण हैं, जो हैं उनका प्रायः केवल विवेचन की कलाओं से सम्बन्ध है। परन्तु विवेचित यमुना की सारासारता से कम ही सम्बन्ध है या यिल्कुल नहीं है। पदले विषय में दूसरे का अनुमान नहीं हो सकता; अगर मतधारी अपने ही अभिप्राय का उपयोग न करे तो उनके द्वाय में, अच्छी तरह राज्य चलाने की शक्ति देखने की क्षमा कसीटी रहती है? फिर वे अगर विना कुछ भल किये भी निश्चय कर सकें कि मरण से समर्थ पुरुष फौन है तो भी क्षमा ये अपनी राय

का कुछ भी ख्याल किये बिना ही उसको अपनी तरफ से निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता दे दें ? सम्भव है कि सब से समर्थ उमेदवार संरक्षक ( कंसरवेटिव ) हो और वे मतधारी स्वयं सुधारक ( लिवरल ) हों अथवा वह सुधारक हो और वे स्वयं संरक्षक हों; वर्तमान राजनीतिक प्रश्न धर्म सम्बन्धी हो और वह ( प्रतिनिधि ) अधिकार वाली ( यह मानने वाला कि धर्म के ऊपर राजा की सर्वोपरि सत्ता है ) या हेतुवाली ( यह मानने वाला कि विवेक को जो सत्य लगे वह धर्म है ) हो और वे (मतधारी) स्वयं विसंघाली ( इंगलैण्ड के राज्यधर्म से अलग हुए पंथ के ) या नवीन स्थापनावाली ( वाहवल को याहूवाला विभाग नहीं वरंच ईश्वर खृष्ण का विभाग ही मानने वाले ) हों अथवा इसका उलटा हो। इन प्रसङ्गों में प्रतिनिधि की बुद्धि—जिसको मतधारी अपने अन्तःकरण में गलत रास्ता मानते होंगे उसके सम्बन्ध में उसको सिर्फ अधिक हृद पार जाने और अधिक सफलता से वर्ताव फरने को समर्थ कर सकती है। और वे शायद अपने मत के गुद्द संकल्प के आधार पर यह, विचारने को वाध्य हो सकते हैं कि उन्हें साधारण से अधिक बुद्धिवाले पुरुष को अपना प्रतिनिधि बनाने की अपेक्षा अपने प्रतिनिधि को, उन विषयों में जिसको वे फर्ज का फरमान मानते हैं, उसकी हृद में रखने की ज्यादा ज़रूरत है। फिर वह सब से समर्थ प्रतिनिधि किस रीति से मिल सकता है, इतना ही नहीं वरंच उनकी यास सात्त्विक स्थिति और मानसिक विचार पद्धति भी किस रीति से दरसायी जा सकती है इसका भी शायद विचार करना हो। जन समूह में चलनेवाली प्रत्येक विचार पद्धति का असर कानून बनानेवाली सभा में जताना चाहिये और वह कल्पना की गयी है कि राज्यतंत्र ने दूसरी विचार-

पेदतियों के लिये प्रतिनिधि का योग्य प्रेयन्त्र किया होगा इस से उन्हें भी अपनी पद्धति के लिये योग्य प्रतिनिधि प्राप्त करना आस मौके पर मतधारियों के सदृश में रहने योग्य सब से आवश्यक विषय हो सकता है। फिर कितने ही प्रसङ्गों में प्रतिनिधि उनके हाथ पका या जिसको वे सामाजिक साम गिनते हैं उसका सच्चा समर्थक रहे इसके लिये उसमें शर्त करा लेने की भी ज़रूरत जान पड़ती है। जिस राजनीतिक पद्धति में उन्हें यहुत से ईमानदार और निष्पक्ष उमेदवारों में चुनाव करने का भरोसा हो उस में ऐसे वंधन की ज़रूरत नहीं है। परन्तु विद्यमान पद्धति में, जहाँ चुनाव के गर्च और जनता की साधारण स्थिति के कारण मतधारियों को अपने से भिन्न सामाजिक स्थिति के और भिन्न धर्मधारों पुरुषों में से अपना प्रतिनिधि पसंद करने को प्राप्त सदा चाह्य दाना पड़ता है यहाँ कौन कह सकेगा कि उन्हें सब कुछ रसी के न्याय पर छोड़ देना चाहिये? यहुत गरीब घर्गं वै गतधारियों को सिर्फ़ दो या तीन धनवान मनुष्यों में से ही पसंद करना होता है इस से वे जिन लोगों को धनवानों के घर्गं साम से लुटकारे का साधन सभभने ही उनका समर्थन करने के लिये, अगर जिस को मत दें उस से घनन मांगें तो क्या हम उनको दोष दे सकते हैं? फिर हमेशा ऐसा होता है कि मत समिति के कुछ मनुष्यों को अपने पक्ष के घटुमत से पसंद किये हुए प्रतिनिधि को न्यीकार करना पड़ता है। परन्तु उनके अपनी पसंद के उमेदवार के सफल मनोरथ हीने की सम्भावना नहीं रहती तथापि उनके लिये पसंद किये हुए उमेदवार की सफलता के निमित्त उनके मत की ज़रूरत पड़ सकती है और उनके भविष्य के पर्ताय पर अपने दिसंस की सत्ता चलाने का उपाय तो इतना ही है कि घट कुछ ग्रास शते

मानने का यचन दे तो उसी के आधार पर उसको अपने मत का सहारा दें ।

ये विचार और इनके प्रतिद्वन्द्वी विचार एक दूसरे से इस तरह उलझे हुए हैं। यह आवश्यक है कि मतधारी अपने से अधिक बुद्धिमान पुरुषों को प्रतिनिधि चुनें और उनकी थेष्ट बुद्धिमानी के अनुसार राज्य चलने दें फिर इसके साथ किसी में अधिक बुद्धिमानी है और उस सोचे हुए बुद्धिमान पुरुष ने अपने वर्ताव से वह कल्पना कहाँ तक पूरी की है इसका निर्णय करने में मतधारियों का जो कुछ निज का अभिप्राय होगा उसके साथ उमेदवार के अभिप्राय की एक रूपता का कुछ यहुत असर न होना ऐसा असम्भव है कि उससे मतधारी के कर्तव्य के विषय में कुछ प्रत्यक्ष नियम बनाना विलकुल असाध्य जान पड़ता है, और मानसिक थेष्टता के प्रति सम्मान-घृति के आवश्यक गुण के सम्बन्ध में उस परिणाम का जितना आधार मतधारी समिति के मन की साधारण वृत्ति पर रहेगा उतना राजनीतिक आचार के किसी खास नियम या प्रत्यक्ष सिद्धान्त पर नहीं रहेगा। जिन पुरुषों और जनता को थेष्ट बुद्धिमानी की यारीक वूझ होती है उनके लिये तो वह जहाँ विद्यमान होगी वहाँ से अपने ही जैसे विचार के चिन्ह से नहीं घरंच दूसरे चिन्ह से भारी मतभेद होते हुए भी परम निकालना सम्भव है; और अगर उन्होंने उसकी परीक्षा की होगी तो वे किसी उचित मूल्य पर उसे प्राप्त करने को वहाँ तक तत्पर होंगे कि जिसको अपने से अधिक चतुर समझ कर मान देते होंगे उस पुरुष पर अपनी राय के मुताविक, चलने का बंधन लगाने की रुचि नहीं रखेंगे। इसके विरुद्ध एक ऐसी प्रकृति का मन होता है जो किसी की तरफ मान-घृति नहीं रखता और दूसरे किसी पुरुष के अभिप्राय को

अपने अभिप्राय से यहुत अच्छा : अथवा अपने जैसे सौ या इजार मनुष्यों के अभिप्राय के अनुसार भी अच्छा नहीं समझा। मतधारियों के मन का जहां ऐसा रुख होता है वहां जो उनके विचारों की ही प्रतिमा नहीं है अथवा प्रतिमा होने का ढंग भी नहीं दिखाता उस किस्म के किसी पुरुष को वे पसन्द नहीं करेंगे और जब तक वह उन्हीं के विचार दरसाया करेगा तब तक उसे रखेंगे, नहीं तो रखेंगे भी नहीं। और जैसा कि हेठो अपनी पुस्तक गोजिंयस में कहता है, राजनीतिक प्रतिष्ठा के सभी अभिलापी अपना वर्तीव जन समूह के नमूने पर चलाने और यथा साध्य उसके ऐसा बने रहने का ही प्रयत्न करेंगे। इस यात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण जन-सत्ताक राज्य में मतधारियों के विचार इस पद्धति पर चलने का दर रखते हैं। जन-सत्ताक राज्य मानवृत्ति के अनुकूल नहीं है। केवल सामाजिक पदची की तरफ की मानवृत्ति का जो यह नाश करता है उसको उसका अच्छा असर समझना न कि बुरा। परन्तु ऐसा करके वह संसार में जो (केवल मनुष्य सम्बन्धी विषयों में) मानवृत्ति की मुख्य शाला विद्यमान है उसको बन्द करता है। फिर जन-सत्ताक राज्य के मूलतत्व में ही, जिन विषयों में एक पुरुष दूसरे से अधिक वजनदार गिना जाता है उनकी अपेक्षा, जिस में सभी समान वजनदार गिने जाते हैं उसका इतना बड़ा आप्रद हुआ है कि व्यक्तिगत श्रेष्ठता के प्रति मानवृत्ति भी घट जाना सम्भव रहता है। देश के नियम कम अधिकत भी राय की अपेक्षा अधिक शिक्षित धर्म की राय फो अधिक वजनदार उहरायें इस पर जो मैं इतना अधिक जोर देता हूं उसके दूसरे कारणों में एक यह भी है। और किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम को ध्यान में न लेने पर भी

अगर केवल सामाजिक वृत्ति की शुद्धि करने के लिये ही हो तो भी मैं ज्ञान धेष्ठुता को अनेक मत देने का पक्ष करूँगा।

जब मत समिति में भिज्ञ भिज्ञ पुरुषों के पीच के असाधारण गुणभेद की काफी समझ रहती है तब जिन पुरुषों में उसके उद्देश्य सम्बन्धी सव्य से अधिक योग्यता होगी उनको परखने के चिन्ह की कचाई नहीं पड़ती। स्वयं राज्यकार्य किये हुए होना स्वभावतः एक सव्य से यढ़ कर चिन्ह है। जैसे—उंचे ओहदे पर काम किये रहना और उसमें भी ऐसे ज़रूरी काम जिनके परिणाम में बुद्धिमानी प्रत्यक्ष दीख पड़ी हो; ऐसे उपायों का करने वाला होना जो अपने परिणाम से बुद्धिमत्ता पूर्ण जान पड़ते हों; ऐसे भविष्य कहे हुए होना जो परिणाम में अधिक बार सत्य ठहरे हों और शायद ही कभी असत्य हुए हों; ऐसी सलाह दिये रहना जिसको मानने से अच्छा और न मानने से बुरा परिणाम निकला हो। बुद्धिमानी के ये चिन्ह येशुक बहुत अंश में संशय भरे हैं परन्तु हम ऐसे चिन्ह ढूँढ़ते हैं जिनका उपयोग साधारण समझाले मनुष्य कर सकें। उसमें से किसी एक चिन्ह को धाकी का सहारा न हो तो उसी एक पर भरोसा न रखना और किसी व्यवहारी प्रयत्न की सफलता या योग्यता की गणना करते समय प्रस्तुत विषय पर प्रवोण और निःस्वार्थ पुरुष के साधारण अभिप्राय पर अधिक जोर देना बहुत अच्छा है। मैंने जिन परीक्षाओं के विषय में कहा है वे सिर्फ कार्य किये हुए मनुष्यों के लिये हैं; परन्तु जो लोग कार्य में परीक्षित नहीं हुए हैं चरंच सिद्धान्त में हुए हैं अर्थात् जिन्होंने सार्वजनिक भावण या लेख में राज्य कार्य की आलोचना करके सिद्ध किया है कि उन्होंने उसका यूव मनन किया है उनको भी उसमें गिनना चाहिये। ऐसे पुरुष अपने शुद्ध राजनीतिक

तत्वज्ञानी की पद्धती में, शायद अनुभवी राजनीतिक पुरुषों की पद्धती में भी कार्य किये हुए पुरुषों के समान विश्वास पाप्र जंच सकते हैं। जब विलक्षण नया मनुष्य पसन्द करने की ज़करत हो, तब जो लोग उसको स्थयं जानते हों, उनमें उसकी वुद्धिमानी के विषय में यनी हुई प्रतिष्ठा और जो पुरुष प्रतिष्ठित माना जा चुका हो उस पर उनका किया हुआ विश्वास और उनकी की हुई उसके लिये सिफारिश सब से अच्छी फसौटी है। जो मत समितियां मानसिक वुद्धि बल की पूरी कदर जानती होंगी और उसे पाने को आनुर होंगी वे ऐसी परीक्षाओं से साधारण की अपेक्षा ऊंचे दरजे की वुद्धि वाले मनुष्यों को पाने में समर्थ होंगी; और यहां पेसे मनुष्यों को जिनके ऊपर अपने निरंकुश अभिप्राय के अनुसार राज्यकार्य चलाने का विश्वास रखा जा सकता है और जिनसे यह कहना अपमान जनक होगा कि वे अपना अभिप्राय अपने से ज्ञान में घटिया मनुष्यों की आज्ञा से ढोड़ दें। इमानदारी से ढूँढ़ने पर भी ऐसे पुरुष न मिलें तो मतधारियों को दूसरी सावधानी से काम लेना उचित है; क्योंकि अपने से श्रेष्ठ ज्ञान वाले पुरुष के द्वाय से अपना कार्य कराने का कारण न हो तो उनसे अपना ज्ञास अभिप्राय मुलनवीं करने की आग्ना नहीं की जा सकती। ऐसे मौके पर उन्हें यह याद रखना बेशक अच्छा है कि प्रतिनिधि एक बार चुने जाने के बाद अगर अपने काम में लगा रहे तो कोई मूल झूटा विचार सुधारने के लिये जैसे प्रसङ्ग, उसके बहुतेरे नियांचकों के मार्ग में आ पड़ते हैं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक उसको आ पड़ते हैं; और यह विचार ध्यान में रखने से वे ( जब तक ऐसे पुरुषों को चुनने को वाध्य नहीं नापड़े जिसके निष्पक्ष पात का उन्हें पूरा भरोसा न हो तथ तक ) प्रतिनिधि से उसका

अभिप्राय न घदलने का या अभिप्राय घदले तो इस्तीफा का पर्चम मांगने से रहेंगे। परन्तु जय कोई ऐसा अनजान मनुष्य पदिले पहल छुना जाय जिसके बारे में किसी घड़े मातवर आदमी ने खुझम खुझा विश्वास न दिलाया हो तो मतधारी की तरफ से यह आशा नहीं की जा सकती कि घह अपने विचारों के अनुसार चलना कर्तव्य नहीं मानेगा। अब अगर इन विचारों में पीछे से फेर घदल हो और घह फेर घदल उसके स्पष्ट रीति से जताये हुए कारणों सहित ईमानदारी से प्रगट किया जाय तो उतनी ही वात को अपना विश्वास उठा लेने का अलंक्य फारण न मान लेना यथेष्ट है।

यह मान लिया जाय कि प्रतिनिधि में सब से परीक्षित थुडि और स्वीकार की हुई उत्कृष्ट प्रकृति है तो भी मतधारियों के यास अभिप्राय को यिलकुल ताक पर ही न रख देना चाहिये। मानसिक श्रेष्ठता के प्रति मानवृत्ति ( प्रतिष्ठा का ख्यात ) एक दम उस सीमा तक न पहुंचना चाहिये कि जिससे आत्मवध हो जाय, व्यक्तिगत अभिप्राय के नाम पर शर्म हो जाय। परन्तु जय राज्यनीति के मूलतत्व के विषय में भेद न पड़ता हो तब मतधारी का अपना विचार चाहे जैसा दृढ़ बना हो तथापि उसे विचारना चाहिये कि जय एक चतुर मनुष्य उससे भिन्न राय हो रहा है तब यहुत करके अपनी ही भूल दोना सम्भव है। और इसका उलटा हो तो भी जिन कितने ही विषयों में घह स्वयं राय कायम करने के लायक नहीं है उनमें अपनी ओर से काम करने देने के लिये एक चतुर मनुष्य पाने के लाभ के निमित्त जो विषय विलकुल जरूरी न हो उन में अपनी राय को छोड़ देना उचित है। ऐसे मौकों पर घह अपनी दोनों इच्छाओं का सामझास्य करने के लिये उस चतुर मनुष्य को भेद के विषयं

में अपनी राय दोड़ देने के लिये सक्षमता है। परन्तु चतुर भनुप्प वा देसे सामुद्रस्य में सदायन्त्रूत दोना अपने यात्र वर्तम्य से द्वोह करना है—जानसिइ धेष्टता वा यात्र वर्तम्यों वा परित्याग वर्तना है। क्योंकि जिस पक्ष के विरुद्ध पुष्टार नव रटी हो उसको न दोड़ना और अपने दिन अभियायों के लिये उसकी सेवा की सद से अधिक बढ़ता है उनसे धन्यित न होना एक सद से पवित्र वर्तम्य है। युद्ध यन्तःशरण और असिद्ध योग्यता धाते भनुप्प हो, जो इष्ट अपनी राय में सद से अच्छाजंचे उसके अनुसार चलने की समूर्ति स्वतंत्रता वा आप्रद करना चाहिये और दूसरी विस्ती घर्तं पर वाम वर्तने को रुच्यार न होना चाहिये। परन्तु यह विस रीति पर दर्ताव वर्तना चाहता है—अपने सावंजनिक वर्तम्य सन्दर्भों सद विषयों में यह दिन दिन रायों पर अपनी शारण्यार्थ चलाने वा इरादा रखता है, यह जानने वा नवधारियों को दृक् है। अगर उनमें से कुछ राय उसे धरचिवर हो तो उन्नेद्यार हो उन्हें विभास दिला देना चाहिये कि इनमें पर भी यह उनका प्रतिनिधि होने के योग्य है। अगर ये सोन चतुर दोनों तो उसकी सापारख दोग्यता के लिये उसके और अपने दौत के दृढ़ यड़े भेद का भी कुछ स्पाल नहीं पर्खें। निर भी कुछ भेद देसा है कि उनकी ओर से उक्त राय वर्तने की आणा नहीं की जा सकती। जिनका अपने देह के राज्यतंत्र में, ऐसा कि स्वतंत्र भनुप्प हो चाहिये देसा, जन संगता है उन सद की राष्ट्रोप रायों के विषय में कुछ पड़ी राय दंघो दोनों है और ये उसको अपने बाहु समान सम्मते हैं तथा उसकी सम्पत्ता के विषय में उनकी धदा इतनी अदल दोनों है और उसके साप ये उसकी आपारकता इनी दोनों सम्मते हैं कि वे उसको सामुद्रस्य वर्तने योग्य पा अपने से दिलने ही

थ्रेषु पुरुष की राय के सामने भी अलग रखने योग्य विषय नहीं मानते। जब ऐसा दृढ़ निर्णय किंसी जनता या उसके किसी घजनदार विभाग में विद्यमान होता है तब वह केवल सत्य के आधार पर होने के ख्याल से नहीं धर्मच केवल विद्यमान होने से घजन का पात्र है। किसी जनता के सत्य सम्बन्धी ठहराये हुए मूल विचार कई अंश में भ्रमयुक्त हों तो भी उनके विरुद्ध जाकर उस पर अच्छी तरह राज्य नहीं चलाया जा सकता। राज्यकर्त्ता और प्रजा के बीच में जो सम्बन्ध रहना चाहिये उसका यह मतलब नहीं निकलता कि मतधारी उसको अपना प्रतिनिधि मानें जो उनके ऊपर उन के मूल निर्णय के विरुद्ध शासन होने देना चाहे। जिन विषयों में उसका उन लोगों के साथ मूल तत्व में ही विरोध है उनके बारे में वहस करना सम्भव न होने की दशा में वे लोग उसकी दूसरे विषयों में उपयोगी सेवा करने की शक्ति से अगर लाभ उठायें तो भी जब ऐसा प्रश्न उठे जिसमें ये विरोधी विषय आ जायें और उसमें जिसको वे सत्य समझते हों उसके पक्ष में वहुमत का इतना भरोसा न हो कि उस खास पुरुष का विरुद्ध मत अनावश्यक ठहरे तब उसको तत्काल विदा कर देना ही उन्हें उचित है। इस प्रकार (मैं जो नाम देता हूँ वह किसी खास मनुष्य के उद्देश्य से नहीं; धर्मच अपने भावार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिये) विदेशी प्रभाव की वृद्धि रोकने के सम्बन्ध में मि० ग्राइट \* और मि० कोवडेन +

\* ( १८११—८९ ) अबाष बाणिज्य के प्रचारक मि० कोवडेन और इनके प्रयत्न से १८४६ में अम की आमंदनी के ऊपर का कर उठ गया। ये दोनों 'पुरुष' धर्मचत्ता के पक्षपाती ये परन्तु 'व्यापार' के नाम पर भी युद्ध चलाने के विरोधी थे। + ( १८०४—१८६५ ) इन्होंने

जो विचार सोचें हुए थे वह प्रीमिया की लड़ाई के समय ( १८५४—५६ ) मानने योग्य नहीं हो सकता था; क्योंकि विद्वद् में राष्ट्रीय वृत्ति का बल बेहद् था, परन्तु इतने पर भी चीन की लड़ाई के समय ( १८५६ में—यद्यपि यह प्रश्न स्थिर विशेष सन्देहजनक था तो भी ) उसको मतधारियों का नामंजूर करने की ओर मुक्तना बहुत डचित था; कारण कि यहुत समय तक इस बात में सन्देह था कि इस विषय में उनका विचार सफलता प्राप्त करेगा ।

उपर जो कुछ कह आये उसके साधारण परिणाम के तौर पर हम दिश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि अगर प्रतिकूल राष्ट्रीय स्थिति या भूल भरे विषयों के कारण मतधारियों की पसन्द इतनी अधिक संकीर्ण न हो जाय कि उन्हें अपने लाभ से विद्वद् रख की हपष्ट सत्ता के बश में पड़े हुए पुरुष को पसन्द करने को लाचार होना पड़े तो प्रत्यक्ष प्रतिक्षा की इच्छा न करनी चाहिये; उनको उमेदवार के राजनीतिक अभिन्नाय और विचार आनने का हक है और उनके राजनीतिक मत के थोड़े से आधारभूत तत्त्वों के विषय में जो उन से भिन्न हो उसे नापसन्द करने का दक ही नहीं बरंच अनेक बार कर्तव्य है। उमेदवार की मानसिक थोष्टता के विषय में उनका जैसा अभिन्नाय हो उसके अनुसार उनके मत के आधारभूत तत्त्वों में आने वाले चाहे जितने विषय हों उनमें उसको अपने अभिन्नाय से भिन्न अभिन्नाय प्रगट करने और उसके अनुसार चलने देना चाहिये । जिसको

अपने प्रबल से १८५९ में अबाध वाणिज्य के पक्ष में विजय पाने के बाद १८५९—६० में जांब से व्यापार सम्बन्धी सन्दिग्ध

अपने चित्रेक की प्रेरणाओं के अनुसार चलने की सम्पूर्ण सत्ता सोंप सकें पेसी प्रकृति के प्रतिनिधि की खोज में उन्हें निरंतर लगे रहना चाहिये; उन्हें यह मानना चाहिये कि कानून बनाने वाली सभा में पेसे गुण वाले पुरुष दाखिल करने की तरफ यथा शक्ति प्रयत्न करना अपने देश वान्धवों के प्रति एक कर्तव्य पालन करना है; और जो उनके अभिप्राय से बहुत यातों में एकमत हो उनकी अपेक्षा पेसे पुरुष को अपना प्रतिनिधि बताना उनके लिये बहुत आवश्यक है; अबौंकि उसकी बुद्धि से होने वाले साम का भरोसा है; परन्तु भेद के विषय में उसके गलत होने और आप सही होने के विचार में बहुत सन्देह है ।

इस प्रश्न का विवेचन करते हुए मैंने यह कल्पना की है कि जिनका आधार प्रत्यक्ष गठन पर है उन सब के विषय में मत पद्धति पिछले अध्यायों में स्वीकार किये हुए मूल तत्त्वों का अनुसरण करती है । इस धारणा के अनुसार भी मुझे प्रतिनिधित्व में एलची सम्बन्धी सिद्धान्त गलत जान पड़ता है और इस प्रसङ्ग में यद्यपि जो दानि होगी वह खास सीमा में दबी रहेगी तथापि उसका व्यावहारिक परिणाम हानिकारक निकलेगा । परन्तु जिन घन्धनों द्वारा मैं ने प्रतिनिधित्व की रक्ता करने का प्रयत्न किया है उनको अगर राज्यतंत्र ने स्वीकारन किया होगा, अगर छोटे पक्षों को प्रतिनिधि देने का प्रबन्ध न हुआ होगा तथा मतधारियों की पापी, जुर्द शिक्षा की स्थिति की किसी तरह की कसौटी से मत के संख्यात्व में कुछ भेद न स्वीकार किया गया होगा तो ऐसे प्रसङ्ग में प्रतिनिधि को निरंकुश विचार स्वातंत्र्य देने की तात्पर्यक आवश्यकता के विषय में जो कुछ कहा जाय वह योड़ा है; अबौंकि ऐसे समय और सार्वत्रिक मत के उपयोग में

यहमत के अभिप्राय से किसी भिन्न अभिप्राय का ही पार्लीमेंट में सुना जाना सम्भव है। जो भैठमूर्ठ जनसत्ताक राज्य काहलाता है परन्तु वास्तव में फेदल मजदूर घर्ग का राज्य है उसमें दूसरों के प्रतिनिधि न होने से और उनकी यात न सुनी जाने से, सब से संकीर्ण विचार के घर्गीय कानून से और सब से भयंकर स्वरूप के राजनीतिक अश्वान से मुक्त रहने का मार्ग सिर्फ अशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि के प्रति और उनके अभिप्राय का आदर करने के प्रति जो रघु हो उसी में हुसा रह सकता है। ऐसा करने की कुछ मरजी की वास्तविक रीति से आशा रखी जा सकती है और इस मरजी को पूर्ण रूप से खिलने देने पर सारी यात निर्भर कर सकती है। परन्तु एक बार सबौपरि राजनीतिक सत्ता ग्रात करने के बाद अगर मजदूर दल इस या दूसरे किसी अपने अहंभाव और स्वच्छन्दवा के ऊपर कुछ भारी अंकुश डालना अपनी खुशी से कबूल करे तो कोई भी निरंकुश सत्तावाला घर्ग ऐसे हानिकारक प्रभाव से जितनी बुद्धिमानी दिग्गा छुका है अथवा हम कहने की हिम्मत करेंगे कि कभी दिग्गा सकता है उसका अपेक्षा अधिक बुद्धिमानी दिग्गायेगा।

### तेरहवाँ अध्याय। दूसरी सभा के विषय में।

प्रतिनिधि-शासन सम्बन्धी सिद्धान्त के सब विषयों में दो प्रश्न दो समा के नाम से परिचित हुआ है उसकी अपेक्षा दूसरे किसी प्रश्न पर, विशेष कर के युरोपयाइट में, अधिक चर्चां नहीं चलती है। इसने अपने से दस गुने आवश्यक कितने ही प्रश्नों की अपेक्षा तत्त्वज्ञानियों का ध्यान अपनी

थोर अधिक खींचा है और निरंकुश जनसत्ताक राज्य के पक्षपातियों से अंकुशित (नियंत्रित) जनसत्ताक राज्य के पक्षपातियों को पहचानने की यह एक किस्म की फसौटी माना गया है। मुझसे पूछा जाय तो जो जनसत्ताक राज्य दूसरी तरह से निरंकुश होगा उसके ऊपर दूसरी सभा जो कुछ अंकुश डाल सकती है उसको मैं कम ही आवश्यक समझता हूँ; और मेरे विचार में ऐसा आता है कि अगर राज्यतन्त्र के दूसरे सब प्रश्नों का निर्णय योग्य रीति से होता होगा तो पार्लीमेंट एक सभा की बनी है या दो सभाओं की यह बात गौणरूप से आवश्यक है।

अगर दो सभाएं होंगी तो उनमें समान तत्व मिले हुए होंगे या असमान तत्व। अगर ये समान तत्वों की बनी होंगी तो दोनों एक ही सत्ता के बश होंगी और जिसका एक सभा में बहुमत होगा उसी का दूसरे में भी होना सम्भव है। यह बात सच है कि किसी काम की मंजूरी के लिये दोनों की सम्मति दरकार होगी, इस से कितनी ही बार मुधार के मार्ग में भारी विघ्न पड़ेगा; क्योंकि अगर सोचें कि दोनों सभाएं प्रतिनिधियों की बनी हैं और संख्या में एक समान हैं तो सब प्रतिनिधियों की एक चौथाई से कुछ ही अधिक संख्या भसविदे को मंजूर होने से रोक सकेगी; परन्तु अगर फक्त एक ही सभा होगी तो बहुमत सिर्फ नाम का होने पर भी मसविदे के मंजूर होने का भरोसा रहेगा। किन्तु यद्यपि सोचा हुआ प्रसङ्ग सिद्धान्त में सम्भव है तथापि अनुभव में आना सम्भव नहीं है। ऐसा बहुधा नहीं होगा कि समान तत्वाली दो सभाओं में से एक लगभग पक्षमत हो और दूसरी लगभग बराबर में बट जाय। अगर किसी काम को एक सभा का बहुमत एद करे तो दूसरी, मैं उस काम के विरुद्ध का छोटा

पहुँच भी यहुत कर के पढ़ा होगा; इस से जो कुछ सुधार यौं दक जायगा यह प्रायः सब प्रसङ्गों में ऐसा होगा कि उसको सारी जनता में कुछ से यहुत चेशी यहुमत नहीं होगा और सब से बुरा परिणाम यही हो सकेगा कि यह काम कुछ समय तक मंजूर होने से अटकेगा अथवा पार्लीमेंट का छोटा यहुमत देश के असली यहुमत का अनुसरण करता है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिये मतधारियों को फिर से अर्ज करने को लाचार होना पड़ेगा।

दो सभाएं रखने के विषय में, जो अंधी उतावली रोकने और दूसरी सभा का विचार करने को लाचार करने की दलील सब से अधिक बार पेश की जाती है उस पर मैं काम ही जोर देता हूँ; क्योंकि जिस प्रतिनिधि सभा में कार्यव्यवहार सम्बन्धी स्थापित नियमों से दो से अधिक विवेचन की जरूरत न पड़े उसकी व्यवस्था अवश्य ही यहुत खराब होगी। मेरे विचार के अनुसार तो जो कारण दो सभाओं के पहुँच में अधिक बजनदार हो जाता है (और जिसको मैं कुछ आवश्यक समझता हूँ) पह यह है कि किसी सच्चाधारी पृथक् पुरुष या सभा के मत पर दूसरे किसी की सलाह लेने की लाचारी न होने के विचार से बुरा असर होता है। जकरी, यात यह है कि मनुष्यों का कोई दल दूसरे किसी की सम्मति लिये यिनां वहें विषयों में अपनी मनमानी न करने पावे। किसी एक ही सभा का यहुमत जब कुछ स्थायी स्वरूप धारण कर लुकता है—जब यह साधारण तौर पर एक ही, और साध रहकर, काम करनेवाले पुरुषों का यना हुआ होता है और उसको अपनी सभा में हमेशा विजय का भरोसा होता है तब अगर उसका काम दूसरी कोई नियंत्रण यद्य सच्चा स्वीकार करेगी कि नहीं यह विचारने की जरूरत से कुट्टी पाये रहेगा।

तो यह आसानी से निरंकुश और अहंमानी हो जायगा । जिस कारण ने रोमनों को दो कंसल (रोम के जनसत्तक राज्य के मुख्य अधिकारी) रखने का लालच दिया उसी से दो सभाएं रखना अभीष्ट हो जाता है कि जिससे केवल एक वर्ष की मुद्रत तक भी दो में से एक भी अविभक्त सत्ता के असली असर का शिकार न हो । राज्यनीति की व्यवहार व्यवस्था में और विशेष कर स्वतंत्र राज्यतंत्र की व्यवस्था में जो एक गुण सब से अधिक आवश्यक है वह सामाजिक करने की तत्परता अर्थात् प्रतिपक्षियों को कुछ स्वतंत्रता देने और विरुद्ध विचार के पुरुषों का मन यथासाध्य कम दुखे इस रीति से शुभ कार्य की रचना करने की इच्छा है; और दो सभाओं के बीच में परस्पर दी हुई यह हितकारिणी वृत्ति की पाठशाला है । ऐसी पाठशाला की हैसियत से यह शब्द भी उपयोगी है और कानून यनानैवाली सभा के अधिक जन-सत्ताक गठन में इसकी उपयोगिता इससे भी अधिक जान पड़ना सम्भव है ।

परन्तु दोनों सभाओं के एक ही तत्व की—एक ही मेल की होने की ज़रूरत नहीं है । वे एक दूसरे पर अंकुश के तौर पर बनायी जा सकती हैं । यह मान लिया जाय कि एक सभा में लोकतत्त्व की प्रधानता है तो दूसरी का गठन स्वभावतः उस लोकतत्त्व पर कुछ अंकुश डालने के विचार से किया गया होगा । परन्तु इस विषय में उसकी सबलता का सारा भरोसा, वह सभा, बाहर का जो सामाजिक अनुमोदन पा सकती है उसके ऊपर रहता है । जिस सभा को देश की किसी बलवान सत्ता का आधार नहीं होता वह जिसको आधार होता है, उसके सामने अशक्त है । शिष्टप्रधान (जिसमें शिष्ट जन या अमीर वर्ग का प्रभाव होता है) सभा शिष्टप्रधान स्थिति में ही

प्रबल होती है। अमीर सभा एक घार राज्यतंत्र में सब से जयरदस्त थी और आम सभा केवल अंकुश रखने वाली सत्ता थी। मैं यह नहीं मान सकता कि जनसत्ताक सामाजिक स्थिति में अमीर सभा जनसत्ता पर अंकुश रखने में कुछ असली चजन रखेगी। जब एक पक्ष की सेना दूसरे पक्ष की सेना के मुकाबले में थोड़ी हो तब छोटी सेना को बलवान धनाने का यह मार्ग नहीं है कि दोनों को आमने सामने करके मैदान में भिड़ा दें। ऐसी व्यूहरचना से कम बलवाली की अवश्य पराजय होगी। वह अगर कुछ भी लाभदायक काम कर सकती है तो स्वयं अलग रह कर और प्रत्येक जन को अपने पक्ष में या विपक्ष में दोनों की घोषणा करने को लाचार करने से नहीं, वरंच अपना स्थान जनसमूह की विरुद्धता के थद्दे उसके मध्य में ले जाकर किसी यास विषय पर अपने साय सब से अधिक मिलजुल जाने वाले तत्त्वों को अपनी और धीर्घने से; प्रतिपक्षी संस्था का चेहरा धारण करके अपने विरुद्ध साधारण पक्ता खड़ी करने से नहीं, वरंच मिश्रित समूह के एक अंग के तौर पर काम करने से, उसमें अपना सिक्का जमाने से और जो वहुत दुर्बल हो जाय उस अंग को अपने बह फो सहायता ढारा बहुधा प्रबल करने से। जन सत्ताक राज्यतंत्र में असली अंकुश रखने वाली सभा को तो सोक्षमा के अन्दर रहकर उसी की मार्फत काम करना चाहिये।

यह मैं साभित कर चुका हूं कि प्रत्येक शासन-पद्धति में जो प्रबल सत्ता हो उस पर अंकुश रखने के लिये एक मध्य विन्दु और जनसत्ताक राज्य में जनसत्ता पर अंकुश रखने के लिये मध्य स्थल होना चाहिये। और इसको मैं राज्यतंत्र का आधारभूत नियम मानता हूं। अगर कोई जनता, जिसका प्रति-

निधि तत्व जनसत्ताक हो यह अपने पिछले प्रेतिहासिक चरित्र के कारण, ऐसा अंकुश स्थान आव्य कीः अपेक्षा दूसरी सभा या अमीर सभा के स्वरूप में रखने को राजी हो तो उसके उस स्वरूप में रखने का सबल कारण है, परन्तु मुझे तो यह स्वरूप स्वयं सब से अच्छा या अपने उद्देश्य के लिये किसी रीति से सब से प्रभावशाली नहीं दिखाई देता। अगर दो सभाएँ हैं और उनमें एक प्रतिनिधि वाली और दूसरी सिर्फ वर्ग प्रतिनिधि वाली या केवल वे प्रतिनिधि को हो तो मैं नहीं समझता कि जहाँ समाज में प्रबल सत्ता जन-बल की होगी वहाँ दूसरी सभा पहिली की भूले रोकने में भी कुछ घस्तुतः समर्थ होगी। यह अगर रखी जायगी तो उस का परिचय और अभ्यास हो जाने से, न कि एक सघल अंकुश के तौर पर। यह अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा से लेना चाहेगी तो उसका दूसरी सभा की तरह सामान्य वृत्ति से ही वैसा करने को, उसी की तरह जनसत्ता प्रधान रहने को, और कानून बनाने वाली सभा की अधिक लोकप्रिय शाखा की अचानक भूले सुधारने या लोकप्रिय कार्यों में उसके साथ चढ़ा ऊपरी करने में ही सन्तोष मान लेने को लाचार होना पड़ेगा।

— यहुमत के प्रभाव पर जिस असली अंकुश का आधार अब से रहेगा यह शासन करने वाली संस्था की सब से लोकप्रिय शाखा के बल के विभाग पर, और मेरे सब से दड़ विचार के अनुसार जिस पद्धति के ऊपर उसके बल का सब से लाभकारी सामझाय किया जा सकता है उसको मैं पहिले सूचित कर चुका हूँ। मैं ने यह भी दिखाया है कि यहुमत अपने मुकाबले की पार्लीमेंट के यहुमत के बल ढारा सम्पूर्ण सत्ता चलावे तो भी अगर द्योटे वर्तों को भी उनकी

संरथों के हिसाब से शुद्ध जन सत्ताक राज्य के नियम परे मिलने योग्य प्रतिनिधि पाने का समान हक मोगने दिया जाय तो...ऐसे प्रबन्ध से दूसरे सभासदों की तरह लोक-प्रिय हक के जरिये सभा के अन्दर देश के इतने पड़े उत्कृष्ट वुद्धि के पुल्पों की स्थायी उपस्थिति का मरोसा रहेगा कि जन प्रतिनिधि का यह विभाग किसी तरह अलग दल बाँधे बिना यो कुछ भी छेपजनक हक पाये बिना अपने संख्या यह की अपेक्षा परिमाण में यहुत अधिक यजन हासिल करेगा और आवश्यक अंकुश का सघल मध्यस्थल हो पड़ेगा। इस से इस उद्देश्य के लिये दूसरी सभा की जरूरत नहीं है और हो भी तो इस उद्देश्य को सदायक नहीं होगी यरंच कभी उसके साधन के मार्ग में किसी सम्भवित रीति से धारक भी हो जायगी। इतने पर भी, अगर ऊपर यताये हुए दूसरे कारणों से यह टहराय किया जाय कि ऐसी सभा चाहिये तो इतनी यात इष्ट है कि यह ऐसे तत्त्वों की बनायी जाय कि स्वयं यहुमत के प्रतिकूल आने योग्य वर्ग स्थार्थ साधने के दोष का पात्र न होकर यहुमत के वर्ग स्थार्थ का सामना करने और उसकी भूलों तथा मुठियों के चिन्ह अपनी जोर-दार आवाज उठाने को उभड़े। हमारी अमीर सभा ( हाउस आव लार्ड्स ) के ढंग पर बनी हुई संस्था में ये शृंग गुले तौर पर देखने में नहीं आतीं। प्रचारित पदवी और व्यक्ति-गत धन का जनसत्ता पर दर्यायि पड़ना घंट द्वेषता है इस से अमीर सभा निर्जीव हो जाती है।

जनसत्ता के प्रभाव को सीमा और नियम में रखने को निर्द्दिर्ति किसी प्रवीण संरक्षक वृत्ति याली संस्था का जिन मूल तत्त्वों पर गठन करना सम्भव है उन सब में सर्व थेष्ठ मूलतत्त्व रोम की वृद्धि-सभा में उदाहृत हुआ जान पड़ता

दे, क्योंकि अब तक जो संस्थाएँ राज्यकार्य का प्रयन्त्र कर दुकी हैं उनमें यह सब से नियमधार, शुद्धिमती और दूर-दर्शी संस्था थी। लोक-सभा जिस साधारण जनता का प्रतिनिधि है उसकी प्रुटियाँ उस लोक-सभा की अपनी प्रुटियाँ होती हैं—जैसे विशेष शिक्षा और ज्ञान का अभाय। इसका उचित उपाय यह है कि विशेष शिक्षा और ज्ञान का गुण जिस संस्था में हो उस को उस के शामिल कर दें। अगर एक सभा लोगों का भाव प्रगट करती हो तो दूसरी को स्वर्ण की हुई राज्यसेवा में परीक्षित और स्वीकृत और व्यवहार सिद्ध अनुभव में पली हुई अपनी योग्यता दिखाना चाहिये। अगर एक लोक सभा हो तो दूसरी राजनीतिक पुरुषों की सभा—जो जड़री सरकारी ओहदों या नीकरियों पर रहे हों उन सभी जीवित सरकारी पुरुषों की थनी सभा—होनी चाहिये। ऐसी सभा के बल अंकुश रखने वाली सभा नहीं होगी घरंच दूसरे यहुत से कामों के सायक भी हो जायगी। यह केवल अंकुश-यल ही नहीं घरंच ग्रेट यल वाली भी हो जायगी। लोगों को अंकुश में रखने की उस के हाथ में सांपी हुर्द ससा जो उन्हें किसी सन्मार्ग में आगे बढ़ाने को नव सं समर्थ और यहुत कर के सब से तत्पर होते हैं उन्हीं के दाथ में आयेगी। जिस सभा को लोगों की भूलें सुधारने का काम सांपा जायगा यह उन के लाभ के विगत-जाने वाले यर्ग का प्रतिनिधि नहीं गिनी जायगी, घरंच उम्रति के मार्ग में उस के स्वाभाविक नेताओं की थनी हुई मानी जायगी। अंकुश के काम को पजनदार और प्रभाय-शाली करने में और किसी रीति का गठन इस के बराबर नहीं उतरेगा। जो संस्था हमेशा सुधार करने में अग्र भाग लेगी यह चाहे जिस कदर अनर्थ के मार्ग में बाधक हो

तथापि उस के विरुद्ध फेयल एवंक-सम्मय के नाम से चिह्नाइट मचा कर उसे बन्द देना असम्भव हो जायगा।

इगलेएड में अगर ऐसी वृद्धसमा बनाने की नीति आये (मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सिर्फ कल्पना है) तो घह नीचे लिये तत्वा द्वारा बनेगी-पिछले एक अध्याय में घर्षित कानून समा (लेजिसलेटिव कमीशन) के (जिसको मैं सुगठित जनसत्राक राज्यतंत्र का एक आवश्यक अंग गिनता हूँ) जो समासद हों या रह चुके हों ये सब। जो प्रधान विचारणति अयवा कानून या न्याय की किसी अदालत के अध्यक्ष हों या रह चुके हों ये सब। जिन्होंने पांच वर्ष विचारणति का काम किया हो वे सब। जो दो वर्ष किसी गुन मंत्री के पद पर रह हों वे सब; परन्तु उनसे आम समा में चुने जाने की भी स्वतंत्रता रहनी चाहिये और अगर वे उसके समासद चुने जायं तो तब तक के लिये उनकी अमीर की पद्धति या वृद्ध समासद का पद मुलताही रहना चाहिये, किसी पुढ़े को सिर्फ वृद्ध समा में स्थान देने के लिये गुन मंत्री चुने जाने से रोकने के निमित्त मुदत की शर्त की ज़रूरत है और दो वर्ष की मुदत यताने का कारण यह है कि जो मुदत उनको वर्ष-सन (पैशन) के योग्य बनाती है वही उनको वृद्ध समासद के पात्र बनाये। जो प्रधान मेनापति के ओहरे पर रहे हों वे सब—जिन्होंने स्थल या जल सेनापति होकर, स्थल या जल में विजय पाने के निमित्त पार्लीमेण्ट से शायाश्री पायी हों

\* Courts of Law and Courts of Equity—  
जो बनाये हुए कानून के रूप से इसके बड़े बहु कानून की अदावत है और जो न्याय के स्वामानिक नियम के अनुसार इसके बड़े बहु न्याय की अदावत है।

थे सब। जो हिन्दुस्थान या अमेरिका के बड़े लाट रहे हों थे सब और जो दस वर्ष तक किसी टापू के लाट रहे हों थे सब। स्थायी मुलकी (सिखिल) विभाग के प्रतिनिधि भी होने चाहिये। जो राज्य कोष के उपमंत्री, राज्य के स्थायी उपमंत्री के जफरी ओहदे या ऐसे ही दूसरे ऊंचे और जिम्मेवारी के ओहदे पर दस वर्ष तक रहे हों उन सब को बृद्ध सभासद होना चाहिये। इस प्रकार जिन्होंने राज्यकार्य के प्रबन्ध में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया हो उनके साथ अगर तत्वज्ञानी घर्गका कोई प्रतिनिधि लेना हो—और ऐसा करना बस्तुतः इष्ट है—तो यह विचारने योग्य बात है कि खास राष्ट्रीय विद्यालय में खास अध्यापकों के ओहदों पर कुछ वर्ष रहने से मनुष्य बृद्धसभा में स्थान पाने के पात्र हो सकते हैं कि नहीं। केवल शास्त्र या साहित्य के विषय में उत्कृष्टता तो येहद अनिश्चित और विवादप्रस्त योग्यता है, वह निर्धारित की शक्ति यूनित करती है परन्तु दूसरे गुण तो स्वयं प्रकाश हैं; जिन लेखों के द्वारा उन्होंने प्रतिष्ठा पायी है, उनका अगर राज्यनीति से सम्बन्ध नहीं होगा तो ये बांधित खास गुणों के सबूत नहीं हैं; और अगर ये राजनीतिक होंगे तो उत्तरोत्तर मंत्रीमण्डल को पार्लीमेण्ट में पक्षशाल घरसाने को शक्ति-मान करेंगे।

इंगलैण्ड के पुराने ऐतिहासिक चरित्र से प्रोयः निश्चय होता है कि विद्यमान राज्यतंत्र का बलात्कार उच्छ्रेद होने का असम्भव प्रमङ्ग न सोचें तो अगर कोई दूसरी सभा अस्तित्व में आवेगी तो उसका गठन अमीर (लाई) सभा के हाँचे पर करना पड़ेगा। अमीर सभा के स्थान में, जैसा कि मैंने ऊपर चित्रित किया है, वैसी बृद्धसभा या दूसरी कोई सभा यनाने के लिये उस सभा को घस्तुत; तोड़ ढालने का

विचार करना प्रश्न के बाहर की यात है, परन्तु ऊपर कहे हुए थगों या मद्दावगों को विद्यमान मण्डल में जीवन भर अमीर के नाम से शामिल करने में शायद उतनी ही अलंब्य कठिनाई नहीं पड़ेगी। एक अन्तिम और इस कल्पना के अनुसार एक आवश्यक काम शायद यद करना होगा कि घंग परम्परा के अमीरों को सभा में स्वयं उपचित रहने के बदले प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा; यह रिवाज स्काच और आइग्निश अमीरों के विषय में जारी हो जुका है और इस थग की सिर्फ वृद्धि के कारण कदाचित किसी स्मय यह आवश्यक हो जायगा। मिठेर की पद्धति का कुछ अनुकरण करने से, अमीरों में जिस पक्ष का बहुमत होगा ऐसले उसी का प्रतिनिधि चुना जाना रुकेगा। जैसे—प्रति दस अमीर पीछे एक प्रतिनिधि दिया जाय तो चाहे जिस दम को एक प्रतिनिधि चुनने दिया जा सकता है और इस कारण से अमीरों को अपनी इच्छानुसार जग्यावधि होने की स्वतंत्रता ना जा सकती है। चुनाव इस प्रकार किया जा सकता है—‘जो अमीर अपने थग की तरफ से प्रतिनिधि चुने जाने के लिये उमेदवार हो उनसे इसकी धोपणा करायी जाय और एक सूची में नाम दर्ज करवाया जाय। एरु दिन और एक स्थान नियत किया जाय और मत देने को इच्छा रखने वाले अमीर उस दिन उस स्थान पर स्वयं अथवा पार्लिमेंट की साधारण रौति के अनुसार अपने मुख्तार की माफत हाजिर हों। मत लिया जाय और उसमें हर एक अमीर सिर्फ एक के लिये मत दे। जिस उमेदवार को पूरे दस मत मिलें यह निर्णयित हुआ प्रगट किया जाय। अगर किसी को अधिक मत मिलें तो दस के सिया और सब मतधारियों को अपना मत धारपस लेने को कहा जाय अथवा उस संघर्ष में से चिट्ठी

डाल कर दस आदमी पसंद किये जायें । वे दस अपनी मत समिति बनावें और वाकी मतदाता अपना मत फिर से दूसरे किसी को देने की छुट्टी पावें । ( यथा सम्भव ) जब तक स्वयं या मुरतार की मार्फत उपस्थित हर एक अमीर को प्रतिनिधि मिले तब तक, इसी तरह बार बार किया जाय । जब दस से कम संख्या वाकी रहे तब अगर यह पांच तक हो तो उन मतधारियों को अब भी एक प्रतिनिधि के लिये एक राय होने दें और अगर वे पांच से कम हों तो उनका मत रद समझा जाय या किसी निर्वाचित उमेदवार के पक्ष में देने दिया जाय । इस अल्प अपवाद के सिवा प्रत्येक अमीर प्रतिनिधि अमीर घर्ग में से दस जनों का प्रतिनिधि होगा और उसके लिये उन सब ने मत दिया होगा, इतना ही नहीं, वरंच यह समझ कर उसे पसंद किया होगा कि पसंद के लिये सामने खड़े हुए सब उमेदवारों में से उसको वे अपना प्रतिनिधि बनाने की सव ने अधिक इच्छा रखते हैं । जो अमीर अपने घर्ग की तरफ से प्रतिनिधि न चुना जाय उसको इसके बदले आम सभा की छूट दी जाय । यह न्याय इस समय स्काच और आइरिश अमीरों के साथ उनके अपने राज्य विभाग में नहीं किया जाता । फिर अमीर-घर्ग के सब से बड़ी संत्यावाले पक्ष के सिवा दूसरे किसी को अमीर सभा का प्रतिनिधि न मिल सकने का बन्धन दोनों के लिये एक समान है ।

यहाँ जिस बृहद सभा की सलाह दी गयी है उसके गठन की पद्धति ही स्वयं सब से अच्छी जान पड़ती है, इतना ही नहीं वरंच इसके समर्थन में ऐतिहासिक दृष्टान्त और वास्तविक फक़ड़ीली सफलता की दलील भी सब से बढ़कर लागू पड़ सकती है । दूसरी सभा के गठन के लिये एक दूसरी साध्य पद्धति यह है कि उसको पहली सभा के द्वारा से छुनवायें ।

प्रतिबन्धन सिर्फ़ इतना रखें कि वह अपने समाजदों में से किसी को न छुने । ऐसी समा, अनेकल वृद्ध समा को तरह सिर्फ़ पटान्तर से भिन्न तोगों की पसन्द से उत्पन्न होने के कारण, जनसचाक नियमों में बाधा ढानने वाली नहीं गिनी जायगी और सम्मवतः पुष्टि लोक सचा प्राप्त करेगी । अपनी निर्वाचन पद्धति से उसको लोक समा की ईप्पों भड़काने या उसने भड़ जाने की सम्भावना साम फरके नहीं रहेगी । किर (छोटे बगों को प्रतिनिधि देने की अनिवार्यता से) उसका गठन अवश्य अच्छा होगा और जो अकस्मात् या दिग्गज गुणों के अभाव से भव समिति का भव मांगने से अनिच्छुक या पाने में अशुद्ध होने उन जंची शुल्क वाले पुरुषों के घर में से बहुतेरे उसमें प्रवेश कर जायेंगे ।

दूसरी समा के जिस गठन में ऐसे तत्त्व विद्युता से होंगे जो बहुमत के बर्ग स्वार्थ और बहुम से मुक्त तथा लोकवृत्ति के अन्वित अंग से विलकुल रहित रहेंगे वह सब से श्रेष्ठ है । मैं किर कहता हूँ कि बहुमत के प्रनाय को नियम ने रखने का मुख्य आधार किसी किस्म की दूसरी समा को नहीं बना सकते । लोक समा के गठन से प्रतिनिधि राज्य की प्रछति का निर्णय होता है । इसके सामने शासन पद्धति सम्बन्धी दूसरे सभी प्रश्न निर्णीत हैं ।

### चौदहवां अध्याय ।

**प्रतिनिधि शासन में कार्य कारिणी सभा ।**

इस निवन्ध में इस प्रश्न को देखना अप्रांसगिक होगा कि राज्य तंत्र के शासन सम्बन्धी कान को किस विभाग या शाखा में बांटना सब से सुगम पड़ेगा । इस विषय में भिन्न

मिल्ल राज्यतंत्रों की आवश्यकतापरं मिल्ल भिन्न होती हैं; और जब मनुष्य आरम्भ से आरम्भ करना चाहते हैं तथा जब हमारे यहां के जैसे पुराने राज्यतंत्र में जिन लगातार घटनाओं ने राज्य कार्य की वर्तमान व्यवस्था उत्पन्न की है उन से अपने को वाध्य म समझें तब तो कार्य का विभाग करने में कुछ भारी भूल होना कम ही सम्भव है। सिर्फ इतना कहना यर्थेष्ट है कि अधिकारियों का विभाग विषयों के विभाग के अनुसार होना चाहिये और जैसा कि हमारे यहां के सेना विभाग में यहुत हाल तक था और अब भी किसी कदर है, स्वभावत्। एक ही, अभिन्न विषय के भिन्न भिन्न विभागों पर निगरानी रखने के लिये भिन्न भिन्न और एक दूसरे से स्वतंत्र विभाग न होने चाहियें। यहां साच्य उद्देश्य एक है (जैसे कि सबल सैन्य रखने का) यहां उसके ऊपर निगरानी रखने को नियुक्त सत्ता भी एक होनी चाहिये। एक ही उद्देश्य के लिये योजित साधनों का सारा समूह एक ही सत्ता और जिम्मेदारी के अधीन रहना चाहिये। जब उनका स्वतंत्र सत्ताओं के बीच विभाग होता है तब प्रत्येक सत्ता के हाथ में जो साधन आते हैं वे उसके मन का उद्देश्य बन जाते हैं और धार्तव में उद्देश्य की सम्भाल रखने का काम राज्यतंत्र के प्रधान के सिवा और किसी के सिर पर नहीं रहता, और उस प्रधान को कभी कभी विभाग का यथोचित अनुभव भी नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों को किसी एक मुख्य भावना की प्रेरणा के अनुसार एक दूसरे से मिलाकर उनकी सुगठित व्यवस्था नहीं की जाती। जब प्रत्येक विभाग अपनी ज़रूरतों को आगे ढकेलता है तब केवल काम की बातिर काम के उद्देश्य का निरंतर त्याग होता है।

साधारण नियम से प्रत्येक उच्चम या मध्यम शासन कार्य

किसी लाम पुरुष का निर्दारित कर्तव्य दोना चाहिये। हर एक काम कौन करता है और अगर यह कुछ थे किये रह गया तो किस के कदूर से, यह सारी दुनिया को मालूम होना चाहिये। जब कोई नहीं जानता कि कौन जिम्मेवार है तब जिम्मेवारी रहनी ही नहीं। फिर जब हर अमल जिम्मेवारी होती है तब भी उसका विभाग करने से यह कमज़ोर पहुँच नहीं रहती। उसको उसके पूर्ण स्वर में बनाये रखने के लिये एक ऐसा पुरुष चाहिये जो अच्छा काम होने पर उसके सारे यश का और स्वराये होने पर उसके सारे अपयश का पात्र गिना जाय। इतने पर भी जिम्मेवारी धार्तने की सीतियाँ हैं। उन में से एक में तो यह (जिम्मेवारी) निर्यत होती है परन्तु दूसरी में नहीं हो जाती है। जब एक ही काम के लिये एक से अधिक पदाधिकारियों की गंजूरी की ज़रूरत हो तब यह निर्यत होती है। तो भी उन में से प्रत्येक को कुछ अमली जिम्मेवारी है; जब कुछ युराई होती है तब उन पदाधिकारियों में से कोई यह नहीं कह सकता कि 'मैंने नहीं किया।' जितना अपराधी का साथी अपराध में हिस्सेदार है उतना ही थे पदाधिकारी उस बुरे काम में हिस्सेदार हैं, अगर उन में कानून विरुद्ध अपराध हो तो कानून के न से उन मध्य की सजा की सकती है। अगर उन में एक ही पुरुष का मध्यम्भ होता तो उसको जैसी सख्त सजा होती उससे उनकी कम सजा होना उचित नहीं है; परन्तु लोकमत की शायाशी और सजा के विषय में ऐसा कोई धोरण नहीं है इससे यह सजा बढ़वारे के साथ घट जाती है। जहाँ कुछ भूम या कपट के ऐसा कानून विरुद्ध निश्चित अपराध नहीं होता, तिर्फ़ भूम या अविचार या इसी धैर्यी का कुछ होता है यहाँ प्रत्येक हिस्सेदार को अपने और दुनिया के सामने इस बात का

यहाना मिलता है कि हमारे साथ दूसरे मनुष्य भी लिपटे हुए हैं। रुपये ऐसे की वेर्टमानी तक का कोई विषय शायद ही पेसा होगा कि उसमें जिसको अंकुश रखने या उल्हना देने का कर्तव्य है उसने अगर वैसा करने में भूल की होगी और विशेष कर अगर उसकी मंजूरी दी होगी तो सम्बद्ध पुरुष अपने को प्रायः दोष मुक्त न समझेगा।

इतने पर भी यद्यपि इस मामले में जिम्मेवारी दुर्बल हो गयी है तो भी है। उसमें शामिल हर एक आदमी ने अपनी तरफ से उस काम में मंजूरी दी है और भाग लिया है। परन्तु जब वह यह छत्य ही स्वयं बन्द कोठरी में परामर्श करने वाली शासन समिति के बहुमत का होता है और कोई नहीं जानता या किसी अन्तिम प्रसङ्ग विना जानना सम्भव नहीं है कि किसी खास सभासद ने उस काररवाई के पक्ष में मत दिया है या विरुद्ध, तब इस से भी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऐसे प्रसङ्ग में जिम्मेवारी सिर्फ नाम की है। वेन्थम का कथन यथार्थ है कि “व्यवस्था समिति परदा है”। ‘व्यवस्था समिति’ का किया दुआ काम किसी एक आदमी की कारगुजारी नहीं है और उस के लिये किसी को भी जिम्मेवार नहीं बना सकते। व्यवस्था समिति की प्रतिष्ठा में भी जो कुछ बढ़ा लगता है वह उसकी समर्पण की पदवी में। और किसी स्वतंत्र सभासद की वटि में वह अपनी प्रतिष्ठा समिति की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई समझने का जितना ख्याल रखता है उससे वह विशेष नहीं जानती। यह ख्याल तो जब समिति स्थायी होती है और उसके साथ अच्छे या बुरे दोनों में सभासद का सम्बन्ध जुड़ा रहता है तभी वहाँ जबरदस्त होता है; परन्तु आधुनिक अधिकार पद की उथल पुथल में ऐसा पंक्ति भाष्य बनाने का कुछ भी समय नहीं मिलता; और अगर यह

कुछ भी विद्यमान है तो अधीनस्थ स्थायी नौकरों की अनज्ञान पंक्तियों में ही है; इससे व्यवस्था समिति शासन कार्य का योग्य साधन नहीं है और जब दूसरे कारणों से एक ही मंत्री को सम्पूर्ण सच्चा की स्थतंथ्रता देना बहुत खराब होता हो तभी इसका उपयोग करना उचित है।

दूसरी ओर यह भी एक अनुभव सिद्ध नियम है कि अनेक के परामर्श में बुद्धिमानी है; और मनुष्य जब अपने या किसी एकाध सलाहकार के सिधा दूसरे किसी के शान का साधारण उपयोग नहीं करता तब वह अपने विषय में भी और विशेष कर सार्वजनिक विषयों में शायद ही सच्चा निर्णय करता है। इस नियम और उस दूसरे के बीच में कुछ भी आवश्यक विरोध नहीं है। एक ही मनुष्य को सारी विधायक सच्चा सौंपकर उस के सिर सारी जयायदेही ढाल देना और उसके साथ जरूरत होनेपर सलाहकार सौंपना, परन्तु उनमें से प्रत्येक को अपने ही दिये हुए अभिप्राय के लिये जयायदेह बनाना, सहज है।

साधारण तौर पर शासन प्रबन्ध के किसी विभाग का प्रधान केवल नीतिवेच्छा होता है। वह अच्छा नीतिवेच्छा और योग्यता घाला मनुष्य भी हो सकता है। अगर साधारण स्थिति इस प्रकार की न हो तो राज्यतंत्र को खराब समझना। परन्तु उसकी साधारण बुद्धिमानी और देश के सामान्य लाभ के विषय में उसका घाँटित ज्ञान के साथ उसकी प्रधानता में सौंपे हुए विभाग का यथेष्ट और व्यवहार कुशल कहलाने वाला ज्ञान होने की सम्भावना सिर्फ़ प्रासंगिक अक्समात पर है, इससे, इसके लिये व्यवहार कुशल परामर्शदाताओं के प्रबन्ध की जरूरत है। जहाँ जहाँ केवल अनुभव और ज्ञान सम्पत्ति यथेष्ट होती है—जहाँ जहाँ व्यवहार कुशल

परामर्शदाता में घाँचित गुण अच्छी रीति से चुनकर निकाले हुए ( न्यायाधिकारी जैसे ) पुरुष में एकत्र मिलना सम्भव हो वहां साधारण उद्देश्यों के लिये ऐसा एक पुरुष और विस्तृत प्रचलित विषयों का ज्ञान कराने के लिये क़ुक़ौं का स्टाफ़ प्रस्तुत प्रसंग के लिये काफी है । परन्तु बहुधा यह सम्भव है कि मंत्री किसी एक ही बुद्धिमान पुरुष की सलाह ले । अगर वह स्वयं उस विषय में प्रवीण न हो तो उस एक ही पुरुष की सलाह पर पूरा भरोसा रख कर उसके अनुसार चलना यथेष्ट नहीं है । बहुधा, मौके मौके पर नहीं, वरं च साधारण तौर पर, उसे विधि अभिग्राय सुनने और परामर्श सभा में चली दुई चर्चा से अपना मत ठहराने की जरूरत पड़ती है । दृष्टान्त के तौर पर, यह स्पष्ट है कि स्थल और जल सेना सम्बन्धी विषयों में अवश्य कर के ऐसा होना चाहिये । इस से स्थल और जल सेना सम्बन्धी मंत्रियों के लिये और सम्भवतः दूसरे किंतु न कितनों के लिये परामर्श सभा की व्यवस्था होनी चाहिये और उन सभाओं में और प्रथमोक्त 'दो विभागों की सभाओं में तो अवश्य कर के बुद्धिमान और अनुभवी व्यवहार कुशल मनुष्य होने चाहियें । शासन ( कार्यकारिणी ) सभा के प्रत्येक परिवर्तन में भी इसलिये कि सब से श्रेष्ठ मनुष्य प्राप्त करने का उपाय रहे; उनकी नियुक्ति स्थायी होनी चाहिये । और ऐसा कहने से मेरा मतलब यह है कि जिस मंत्री दल ने उनको नियुक्त किया हो उस के साथ जलसेना विभाग के लाडों की तरह उनकी तरफ से इस्तीफा देने की आशा न रखनी चाहिये; वरं च जो नियम इस समय विद्युतिश सेना के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चलता है वह अच्छा है । अर्थात् जो लोग दरजे थे दरजे पदोन्नति के साधारण क्रम से नहीं, वरं च मनोनीत होकर

ऊंचे ओहदों पर आये हॉ वे सव फिर से नियुक्त न हों तो उनकी नियुक्ति सिर्फ आस मुहूर्त तक हो । इस नियम से नियुक्ति माँडसी न होने से उसका सट्टा होने की कुछ कम सम्भावना रहती है और इस के साथ ही जो लोग मथायी रखने के सब से कम लायक मालूम हॉ उनको दूर करने से किसी को युरा लगने का भय नहीं रहता और जिन धोड़ी मुहूर्त के मगर ऊंची लियाकत के नौकरों को मृत्यु से बाली होनेवाली जगहों की या खुशी से इस्तीफा देने का बाट देखने में कभी मौका न मिल सके उनको नियुक्त करने का साधन मिलता है ।

परामर्श सभा जो केवल सलाहकार ही रहे तो इस रीति से कि अन्तिम निर्णय मन्त्री की अपनी निरक्षण सत्ता में रहना चाहिये—उसकी खुशी पर रहना चाहिये । परन्तु उसको पेमा न समझना चाहिये कि वह सभा दूसरे के मन से या अपने मन से सचमुच शून्यवत् हो जाय अध्यया मन्त्री की इच्छानुसार शून्यवत् की जा सके । एक प्रबल और शायद स्वच्छन्दी मनुष्य के साथ छुड़े हुए सलाहकारों को पेसी शर्तें देनी चाहियें कि वे अपनी प्रतिष्ठा में घट्टा लगायें यिना राय देने से इनकार न कर सकें और उनकी भिकारिश मंत्री स्वीकार करे चाहे न करे परन्तु उसको यिना मुने और यिना यिचारे न चले । जो सम्बन्ध प्रधान और उसके इस किस्म के सलाहकारों में होना चाहिये उसका यिचार दिन्दुस्थान के गवर्नर जेनरल की और भिक्ष मिशन सूर्यों की मन्त्री (फार्मकारिणी) समाएं बहुत ठीक तौर पर देती हैं । जो व्यवहारी ज्ञान गवर्नर जेनरल और गवर्नरों को बहुधा नहीं होता और जो उन में चाहना भी अभीष्ट नहीं गिना जाता वह जिन में हो उन पुरुषों की ये मन्त्री समाएं दोती हैं । साधारण नियमा-

जुसार मन्त्री सभा के प्रत्येक सभासद से राय देने की आशा की जाती है और बहुधा वह केवल सम्मति ही होती है, परन्तु जब मत भेद पड़ता है तब प्रत्येक सभासद को अपनी राय के लिये कारण दिखाने की छुट है। यह हमेशे का रिवाज भी है और गवर्नर जेनरल या गवर्नर भी ऐसा ही करते हैं। साधारण प्रसङ्गों में बहुमत से निर्णय होता है और इस से मन्त्री सभा को शासन प्रबन्ध में कुछ चास्तिक भाग मिलता है, परन्तु अगर गवर्नर जेनरल या गवर्नर उचित समझे तो उनको अपना कारण बताकर उनका संयुक्त मत भी न मानने की स्वाधीनता है। परिणाम यह होता है कि राज्य प्रबन्ध के प्रत्येक कृत्य के लिये प्रधान स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहता है। मंत्री सभा के सभासदों की सिर्फ सलाहकार की जिम्मेवारी रहती है; परन्तु उन में से प्रत्येक ने क्या सलाह दी है और अपनी सलाह के लिये क्या कारण दिखाया है वह जो लेख रूप में प्रकाशित करने योग्य होता है और पार्लीमेंट या लोक मत के अनुरोध से हमेशा प्रकाशित किया जाता है उस से सदा मालूम होता है। फिर उनका ऊंचा दरजा और राज्यप्रबन्ध के सब कामों में प्रत्यक्ष भाग होने से राजकाज में मन लगाने के लिये और उस के प्रत्येक विभाग पर अच्छी तरह विचारी हुई राय कायम करने तथा जानने के लिये उनको प्रायः ऐसा प्रबल हेतु है मानो सारी जिम्मेवारी उन्हीं के सिर पर है।

मग्ने ऊंचे दरजे के शासनप्रबन्ध का काम करने की यह पद्धति साध्य घस्तुओं के लिये अनुकूल साधनों का योग प्राप्त करने का एक सब से सफलतापूर्ण दृष्टान्त है; परन्तु राजनीतिक इतिहास अभी तक कुशलता और युक्ति की कार्रवाइयों में बहुत फलदायक नहीं हुआ है इससे उसको ऐसे

दूसरे हृष्टान्त दिवाना थाकी है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अमलदारी के अनुभव से राज्यनीति के कला में जो बुद्धि हुई है उसमें से यह एक है और जिन और बहुत सी बुद्धिमत्ता पूर्ण योजनाओं से दिन्दुस्थान ईस देश के हाथ में रक्षित है और स्थिति तथा साधनों के लिहाज से सचमुच उसका विस्मय उपजाने वाला अच्छा राज्य प्रबन्ध चल रहा है उन योजनाओं की तरह, यह भी सम्भवतः जिस साधारण होम में हिन्दुस्थानी राज्यतंत्र के रीति दिवाज हमने को जान पड़ते हैं उसमें नष्ट होने को वनी है; क्योंकि वह सार्वजनिक अशान और राजनीतिक पुरुषों के उद्धत और भिष्या अभिमान के आधित है। मंत्री सभाओं को राज्यप्रबन्ध के पहियों में एक निरुम्मी और सचींली कील मात्रकर निकाल ढालने की पहले से चिक्काहट मची हुई है; फिर जो मुलकी (सिविल, नौकरी इस मंत्री सभा में बैठने वाले सभासदों को शिक्षित करती है और जिसके रहने से उस सभा के कुछ भी वजनदार होने की जमानत है उसको भी तोड़ ढालने को कुछ समय से जवरदस्त पुकार मच रही है और प्रति दिन सबसे ऊंचे स्थानों में अधिक रूपा पाती जाती है।

जनसम्मत राज्यतंत्र में अच्छे राज्यप्रबन्ध का पक्ष सबसे आवश्यक नियम यह है कि शासन विभाग का कोई हाकिम लोक निर्याचन से—लोगों के खास मत से या उनके प्रतिनिधि के मत से—नियुक्त न होना चाहिये। राज्यप्रबन्ध का सारा व्यवहार कुशलता का काम है उसे करने के लिये आवश्यक गुण ऐसे सास और व्यवहारी पंक्ति के हैं कि जिसमें उन शुणों का कुछ अंश होगा या कोई प्रबन्ध का अनुभव रखता होगा उसी से उन शुणों की उचित परीक्षा हो सकती है, दूसरे से नहीं। सरकारी ओद्देशी सांपने के लिये सबसे योग्य पुनर ढंड तिका-

सुने का काम—जो अपने सामने आवें उन्हीं में से सबसे अच्छे को चुनने का नहीं, घरंच सबसे अच्छे को ढूँढ़ने का और जब चाहे तब मिल सके इसके लिये जिन जिन योग्य पुरुषों का समागम हो उन सबकी याददाशत बनाने का काम बड़ी मिहनत का है और इसमें सूदम तथा अति प्रामाणिक दृष्टि दरकार है। और देसा कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है जिसका इसको अपेक्षा साधारणतः बहुत बुरी तरह पालन होता हो और इसकी अपेक्षा जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के मुखियों के सिर यथासाध्य पूरी जिम्मेवारी रखने और उनसे एक खास फर्ज के तौर पर अदा करने की बहुत जरूरत हो। जो किसी साधारण चढ़ाऊपरी की परीक्षा द्वारा नियुक्त नहीं होते उन सब नीचे के ओइदे वालों को जिसकी मात्रहती में वे काम करते हों उस मंत्री की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पर नियुक्त करना चाहिये। प्रधान मंत्री के सिवा और सब मंत्रियों को स्वाभाविक तौर पर उनका प्रधान मंत्री चुनता है और प्रधान मंत्री स्वयं भी यथापि घस्तुतः पार्लीमेंट से चुना जाता है तथापि राजसूजा में उसकी नियमपूर्वक नियुक्ति तो राजा के हाथ से ही होनी चाहिये। अगर कोई मात्रहत कर्मचारी हटाने योग्य हो तो जो हाकिम उसे नियत करता हो उसी के हाथ में उसे हटाने की सत्ता होनी चाहिये; परन्तु ऐसे कर्मचारियों की अधिक संख्या खास अपने अनुचित व्यवहार के बिना हटाने योग्य न होनी चाहिये; क्योंकि जिनके हाथ से राज्यकार्य का सारा विस्तृत प्रबन्ध होता है और जिनके गुण मंत्री के निज गुण को अपेक्षा जनता के लिये साधारणतः बहुत अधिक जरूरी हैं उन मनुष्यों का समूह, इस गरज से कि मंत्री अपनी इच्छानुसार चल सके या दूसरे किसी को नियुक्त कर अपने राजनीतिक लाभ की वृद्धि कर सके, बिना किसी कानून के

हृदय देने योग्य हो तो भी ऐसी आशा रखना व्यथ है कि घंटा अपने काम में मन लगावेगा और जिस प्रान और कुशलता पर मंथनी को यहुत पूरा भरोसा रखना पड़ता है उसे प्राप्त करेगा।

जो नियम लोकमत द्वारा शासन विभाग के एकिमों की नियुक्ति को निब्दनीय ठहराता है उसमें जनसत्ताक राज्य के शासन विभाग का मुख्य अधिकारी अपवाद का दोना चाहिये या नहीं ? अमेरिकन राज्यतंत्र में मारी जनता के हृदय में राष्ट्रपति के चुनाव के लिये हर चौथे वर्ष का जो कायदा रखा है वह अच्छा है या नहीं ? यह प्रश्न कठिनाई से गाली नहीं है। अमेरिका जैसे देश में तो वेशुक कुछ सुविधा है; क्योंकि पहां प्रकाथ अनसोची युक्ति द्वारा प्रधान मंथनी को कानून बनाने वाली सभा से कानून के काम में स्वतंत्र हो जाने का और राज्य तंत्र की दोनों ओर शायारैं जब तक अपनी उत्पत्ति और निम्मेयारी में एक समान लोकविषय हैं, तब तक उनमें एक दूसरी की असरदार निगरां बने रहने का भय करने की जरूरत नहीं है। महान सत्ताओं को एक ही हाथ में संचय न होने देने का जो आपदी संकल्प अमेरिकन राज्यसंयोग का एक लाक्षणिक चिन्ह है उससे ही यह योजना अनुकूल है; परन्तु इस दण्डन्त में यह गाम लेने के लिये जो मूल्य देना पड़ता है वह उसके सब वास्तविक दिसाय से बाहर का है। जैसे नियंत्रित राज्यसत्ता में प्रधान मंथनी को नियुक्त करनेवाली वास्तव में प्रतिनिधि सभा है वैसे यह यहुत अच्छा जान पड़ता है कि जनसत्ताक राज्य में भी मुख्य अधिकारी (चीफ मजिस्ट्रेट) को स्पष्ट कर से यहीं नियत करें। पहले तो अगर वह इस तरह नियुक्त होगा तो अवश्य करके यहुत उत्तम मनुष्य होगा। जिस पक्ष का पार्लीमेंट में यहुमत होगा वह नियम पूर्वक अपने नेता को नियुक्त

करेगा और वह नेता राजनीतिक जगत में हमेशा एक अगुआ और बहुधा सब में अगुआ होगा; परन्तु अमेरिकन संयुक्त राज्य के संस्थापकों में से सब से विछला मनुष्य जब से अन्तर्दर्शन हुआ तब से उसका अध्यक्ष तो प्रायः सदा एक अपरिचित पुरुष होता है अथवा अगर वह कुछ भी प्रतिष्ठा पाये रहता है तो राज्यनीति से किसी भिन्न ही विषय में। और जैसा कि मैंने कहा है, यह कुछ अकस्मात् नहीं है वरच वर्तमान स्थिति का स्वामाधिक परिणाम है। चुनाव का जो दंग सारे देश में फैल रहा है उसमें पक्ष के सब से उत्कृष्ट पुरुषों की उमेदवारी कभी सब से लाभकारी नहीं निकलती। सब उत्कृष्ट पुरुष अपने सिर पर शब्द खड़े किये रहते हैं अथवा उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे जनता के एक या दूसरे बड़े स्थानिक विभाग का मन दुखी हुआ होगा और मत संख्या पर हानिकारक असर पड़ना संभव होगा, अथवा और कुछ नहीं तो ऐसी कोई राय ही जाहिर की होगी। परन्तु जो मनुष्य अपना पहिले का कुछ प्रसिद्ध चरित्र नहीं रखता, जिस के विषय में कुछ जानकारी नहीं है सिवा इसके कि वह अपने पक्ष का मत रखता है, उसके लिये पक्ष की सारी सेना तत्परता से मत देती है। जब राज्य का सब से उच्च पद प्रति कुछ वर्षों पर लोक निर्वाचन से देने को होता है तब सारा बचा हुआ समय मत की याचना में जाता है। राष्ट्रपति मंत्री, पक्ष के मुखिया और उनके अनुयायी सभी मत-याचक हैं; राज्य नीति के सम्बन्ध में सारी जनता का ध्यान केवल पुरुष-लक्षण पर लगा रहता है और प्रत्येक सार्वजनिक प्रश्न के विषय में चर्चा चलाने और निर्णय करने में उसके अध्यक्ष के चुनाव पर होने वाले कलिप्त प्रभाव का जितना विचार रखा जाता है उसकी अपेक्षा उसके गुण दोष

का विचार कम रखा जाता है। अगर सब राज्यकार्यों में पक्षापक्ष भाव को एक ही प्रधान किया-प्रणाली बना डालने के लिये और हर एक प्रश्न को सिर्फ पक्ष प्रश्न बनाने के नहीं बरंच नया पक्ष कायम करने के मतलब से नया प्रश्न बढ़ा करने का भी लालच उत्पन्न करने के लिये एक नयी पद्धति चलायी गयी होती तो उस उद्देश्य के अनुकूल आने की अपेक्षा कुछ भी अविक अच्छा उपाय करना मुश्किल हो जाता।

मैं निश्चय पूछक यह नहीं कहूँगा कि जैसे इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री का सारा दारमदार प्रतिनिधि सभा के मत पर है और इसमें कुछ अड़चल नहीं पड़ती वैसा ही सब स्थानों में और सब समय शासन विभाग के प्रधान का दारमदार मानना उचित होगा। अगर इससे बचने का मार्ग सब से अच्छा लगता हो तो ऐसा रखें कि उसकी नियुक्ति तो पार्ली-मेंट करे परन्तु यह अपने पद पर निर्दारित और पार्ली-मेंट के मत से स्थिरता मुहूर्त तक रह सके और यह रीति लोक-निर्वाचन और उसके दोपाँ से मुक्त अमेरिकन पद्धति हो जायगी। शासन विभाग के प्रधान को कानून बनानेवाली सभा से स्थिरता, राज्यतंत्र के अंगीभूत तत्त्वों के अनुकूल आने योग्य स्थिरता देन की एक दृमरी रीति है। जैसे ब्रिटिश प्रधान मंत्री को पार्ली-मेंट भांग करने और जनता से प्रार्थना करने की यामन-विक मत्ता है वैसी मत्ता अगर उसको हो और अगर सभा के चिन्ह मत में पद में अलग हो जाने के बदले उसको इसीका देने या सभा विसर्जित करने के दो में से एक रास्ता पकड़ने की ही दृष्टि रहे तो उसके ऊपर पार्ली-मेंट की अनुचित सत्ता कभी नहीं रह सकेगी। यह मैं उचित समझना हूँ कि जिस पद्धति में उसका अपने पद का उपभोग ग्रास मुहूर्त तक निर्भय रहता हो उसमें भी उसके हाथ में पार्ली-मेंट भांग

करने की सत्ता होनी चाहिये । सभापति और सभा दोनों में से एक को कभी वर्षों की लम्बी मुहूरत तक एक दूसरे से अलग होने का कोई कानून के रूप से उपाय न हो तो उन दोनों में भगड़ा उठने पर ऐसी कोई सम्भावना न रहनी चाहिये कि राज्यकार्य में भारी अड़चल पड़ जाय । इतनी लम्बी मुहूरत तक दो में से एक या दोनों तरफ से कुछ कृद्युकि आजमाये थिना यों ही सुगमता से काम चलाते रहने के लिये तो स्थतंत्रता के जिस प्रेम का और मनोनिग्रह के जिस अभ्यास का योग मिलने की ज़रूरत है उसके पाव्र अथ तक थोड़े ही समाज मालूम हुए हैं । और यह अन्तिम परिणाम न निकले तो भी दोनों सत्ताओं की तरफ से एक दूसरे के काम को तोड़ न डालने की आशा रखना यह मान लेने के बराबर है कि उनमें परस्पर मौत और सावधानता की ऐसी वृत्तिव्याप्त रहेगी कि राजनीतिक व्यवहार में तीव्र पक्ष विरोध का विकार और उत्तेजना उन्हें कभी वेध नहीं सकेगी । ऐसी वृत्ति कभी हो भी तो जहाँ हो वहाँ भी उसको सीमा से बाहर आजमाने में मूर्खता है ।

दूसरे कारणों से भी यह इष्ट जान पड़ता है कि राज्य में किसी सत्ता को ( और यह सिर्फ शासन सभा हो सकती है ) चाहे जिस समय जैसा उचित जंचे उसके अनुसार नयी पार्लिमिएट बुलाने की कूट होनी चाहिये । दो विरोधी पक्षों में से किसको प्रबल सहारा है इसमें जब सचमुच सन्देह दो तथ इस विषय का, तुरत परीक्षा कर, निर्णय करने का कानून के रूप से उपाय होना ज़रूरी है । जब तक यह विषय अनिश्चित रहता है तब तक दूसरे किसी राजनीतिक विषय पर उचित ध्यान देना सम्भव नहीं है; और यह देर कानून सम्बन्धी या शासन सम्बन्धी सुधार के विषय में राज्य-

व्याघात (स्वल्लो) समान है; फ्यॉफ़ि प्रस्तुत विधाद में जिसका कुछ भी प्रन्यवा या परोद्वा सम्बन्ध होता है उस जगह जिसमें विरोध उपजने की सम्भावना गहरी है उस विषय को दाथ में लेने लायक विधाम किसी पद्धा को अपने घल पर नहीं होता ।

जहाँ मुख्य अधिकारी के दाथ में अधिक नक्ता पा लाभाय होने में और मननंद्र राज्यतंत्र पर जनता की आपूर्ण प्रीति होने में उसे राज्यतंत्र उल्लट कर भयोपरि नक्ता द्विया रोने वे प्रथम में सफलता पाने की सम्भावना होती है उस प्रमद्द को मैंने द्विया में नहीं लिया है । जहाँ ऐसा जोकिम मौजूद हो यहाँ ऐसा मुख्य अधिकारी—दाकिम काम का नहीं है जिसको पार्लिमिटट आपने पहिले ही छहराय में घरग्राम्न न कर भये । जहाँ मध्य प्रश्नार वे दिव्यामवात में इस नव में उच्छ्रृत और निर्वाच विधामवात पां कुछ भी उनेजन की आशा नहीं हो उस मिथि में मुख्य अधिकारी को एसी पूर्ण नियमित पराधीनता की रक्षा भी व्यर्थ हो है ।

राज्यतंत्र के सब दाकिमों में ने न्याय के अधिकारी की नियुक्ति में तो जन-भत के कुछ भी भाग लेने में नव में भारो उच्च है । जहाँ ऐसा और कोई अधिकारी नहीं है जिसके द्वाम और व्यवहारी गुण को समझने के लिये जनभत कम लायक हो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि जिसमें उसी के इतना सद्पूर्ण निष्पक्षापान और राजनीतिक पुराप या राजनीतिक पद्धा के माध्यम सम्बन्ध पा अमाय हो । किन्तु दी राज्यानियों का और उनमें मिहन्यम का यह अनिष्टाय है कि यद्यपि न्यायार्थ पा लोकनिर्धार्यन में नियुक्त न होना अधिक अच्छा है तापापि यद्येष अनुभव के बाद उसको अधिकार में अलग बतने की भवा उसके जिले के लोगों को होना चाहिये । यह यात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि जिस सरकारी

अफसर के हाथ में भारी लाभ सौंपा गया हो उसको दूर करने की अशक्ति स्वयं ही पक दोष है । यह वाञ्छनीय नहीं है कि किसी स्वराव या अयोग्य न्यायाधीश को—ऐसे अनुचित वर्ताव के सिवा, जिसके लिये फौजदारी संपुद्दं कर सकते हैं; और किसी कारण से दूर करने का कोई उपाय न हो और जिसके ऊपर इतना अधिक दारमदार रहता है वह अफसर जनमत या अपने ही अन्तःकरण के सिवा दूसरे किसी जवाबदेही से अपने को बरी समझे । फिर भी प्रश्न यह है कि न्यायाधीश की खास पदबी में, और ईमानदारी की नियुक्ति के लिये यथाशक्ति सब उपाय किये गये मात्र लें तो सरकार या लोकमत के सामने जवाबदेही की अपेक्षा अपने और सामाजिक अन्तःकरण के सिवा दूसरी किसी वेजिमेवारी की स्थिति में उसका वर्ताव विगड़ने का क्या एक तरह से कम रुख रहता है ? शासनविभाग की जिम्मेवारी के सम्बन्ध में तो अनुभव से निश्चय हुआ है कि ऐसा है । और उसके ऊपर जो जवाबदेही डालना चाहते हैं वह चुनने वाले के मत की हो तो भी दलील उतनी ही मजबूत रहती है । न्यायाधीश में सास करके आवश्यक शान्तता और निष्पक्षपात के गुण लोकमत समितियों के गुणों में नहीं गिने जाते । सौभाग्य से स्वतन्त्रता पर भी जिस लोकमत के अंकुश की आवश्यकता है उसमें इन गुणों की जरूरत नहीं है । न्याय का गुण भी यद्यपि सब मनुष्यों के लिये और इससे सब मतधारियों के लिये जरूरी है तथापि यह किसी चुनाव में निर्वाचित करने चाली वृत्ति नहीं है । न्याय और निष्पक्षपात पार्लीमेंट के समासद में उतना ही कम आवश्यक है जितना मनुष्य के किसी साधारण कार्य व्यवहार में । मतधारियों का क्राम हकदार उमेदवार को एक देने या प्रतिद्वन्दियों के सामान्य

गुणों के विषय में निर्णय करने का नहीं है बरंच इतना ही प्रगट करने का है कि उनमें से किस उमेदवार पर उनको सब से अधिक विश्वास है और फौन उनके राजनीतिक अभिप्रायों का सब से अच्छा प्रतिनिधि है। न्यायाधीश तो दूसरे मनुष्यों के साथ जैसा यत्त्व करता है वैसा ही यत्त्व अपने राजनीतिक मिश्र या अपने निकटस्थ परिचित पुरुष के साथ करने को वाध्य है; परन्तु अगर मतधारी पेसा करें तो मूर्यता और कर्त्तव्य भद्र भी समझा जाय। लोकमत के सात्यिक अंकुश से जैसे दूसरे हाकिमों पर हितकारी असर होता है वैसे न्यायाधीशों पर होगा इस शुनियाद पर कोई दलील नहीं कायम की जा सकती, क्योंकि इस विषय में जो न्यायाधीश अपने न्याय के काम के लिये सायक होता है उसके काम पर भी जिसका सचमुच उपयोगी अंकुश रहता है यह ( कितनी ही बार राजनीतिक मुकद्दमों में जैसा होता है उसके सिवा ) साधारण जनता का अभिप्राय नहीं है, बरंच जो एक मात्र सार्वजनिक संस्था उस न्यायाधीश के यत्त्व और गुणों की योग्य परीक्षा कर सकती है उसका अर्थात् उसकी अपनी ही अदालत की घटील सभा का अभिप्राय है। मेरे कहने का मतलब - यह न समझना चाहिये कि साधारण जनता का न्याय प्रबन्ध में भाग लेना कुछ ज़रूरी नहीं है; यह तो सब से अधिक ज़रूरी है। परन्तु किस तरह ? न्याय-पंच (ज़ुरी) की हँसियत से न्याय के काम का कुछ भाग स्वयं करके। जिन थोड़े से प्रसङ्गों में लोगों को अपने प्रतिनिधि की मार्फत काम करने की अपेक्षा स्वयं करना यहुत अच्छा है। उनमें से एक यह है; और यही एक प्रसङ्ग पेसा है कि जिस में शुक्रमत चलाने वाले पुरुष की की हुई मूलों के लिये उसे जवायदेह बनाने से जो परिणाम निकलता

है उसकी अपेक्षा उन भूलों को स्वयं सहन करना अधिक अच्छा है । अगर न्यायाधीश को अपने ओहदे से लोकमत द्वारा दूर कर सकते हॉं तो जो लोग उसे मौकुफ कराना चाहते हॉं गे उनमें से प्रत्येक जन इस मतलब से उसके इन्साफ के फैसले से उपाय ढूँढ़ निकालेगा । मुकद्दमे न सुने हुए होने से अथवा न्याय थ्रवण में बांचित सावधानी या निष्पक्ष वृत्ति यिना सुने हुए होने से कुछ भी राय कायम करने को विलकुल असमर्थ जनता के सामने अनियमित प्रार्थना के रूप में दे लोग यथासाध्य उन सब उपायों को पेश करेंगे, जहाँ कोध और विरुद्ध भाव होगा वहाँ उसको भड़कावेंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ नये रूप से जगाने की कोशिश करेंगे । अगर प्रसङ्ग रोचक होगा और वे मनुष्य पूरी मिहमत करेंगे और उनके विरुद्ध न्यायाधीश या उसके मित्र रंगभूमि में उतर कर विरुद्ध पक्ष में दैसा ही मजबूत कारण नहीं दिखावेंगे तो वे अपने उद्देश्य में अवश्य विजय पायेंगे । परिणाम यह होगा कि न्यायाधीश सोचेगा कि सामाजिक स्वार्थ सम्बन्धी हर एक मुकद्दमे में उसका किया हुआ फैसला उसके ओहदे को जोखिम में डालेगा और उसे जिस बात का विचार करना अधिक आवश्यक है वह यह नहीं कि कौन सा फैसला न्याय पूर्वक है वरं च कौन सा फैसला लोगों में सब से अधिक बखाना जायगा अथवा हुए छुल कपट चलाने में सब से कम साधनभूत होगा । अमेरिका में कुछ माण्डलिक राज्यों के नये या सुधरे हुए राज्यतत्रों ने न्यायाधिकारियों को नियत मुद्रत पर नये लोक निर्वाचन के लिये पेश करने का जो रिवाज जारी किया है, मैं तो समझता हूँ कि वह एक इतनी घड़ी भूल साधित होगी कि जितनी घड़ी भूल जनसत्ताक राज्य ने अभी तक नहीं की होगी । और

व्यवहार सम्बन्धी जो अच्छी समझ संयुक्त राज्य (अमेरिका) के लोगों को कभी पूर्ण रूप से नहीं छोड़ती यदि इनके प्रियदर्श आनंदोलन करने लगी है और इससे अन्त में यह भूल सुधरना समझ दें यह जो कहा जाता है यह न दूरता तो यह समझा जाता कि आधुनिक जनसत्ताक राज्य की अधोगति की ओर सचमुच यहुत यहा पहला फृदम थढ़ाया गया है । ०

जिस यहुत और आपश्यफ भगद्दल में सरकारी नौकरी का स्थायी यत्न है अर्थात् जो "लोग राज्यनीति के परिवर्तन से नहीं यद्दलते घरंच जो प्रत्येक मंत्री को अपने अनुभव और प्रयत्न सम्बन्धी ज्ञान की मदद देने, उसे कार्य व्यवहार की जानकारी में जानकार बनाने और उसकी माध्यारण निग-

िर किए गए योग्य लोक निर्याचन से नियुक्त हुए हैं यहाँ उनका निर्याचन वास्तव में जन समूह नहीं भरता वरंच पक्षों के नेता भरते हैं; कोई मतभारी पक्ष उमेदवार के लिया दूसरे किसी को मत देने का एपाल भरता है। नहीं; इस कारण से राष्ट्रपति या माणिक्यराज्य के गवर्नर के दाय से जो पुरुष नियुक्त होता वही यहुत करके अनुब में शुना जाता है। इस पक्षार एक बुग रिवाज दूसरे बुरे रिवाज को अंकुर में रखता है या गुपारता है। और पक्ष के झटे तेज तथा पांप कर मत देने का जो रिवाज (जहाँ शुनाय का काम दर अमृत जन समूह को लौंगा हुआ रहता है उन सभ प्रसंगों में ऐसे दोष से भग है, वही रिवाज ) जहाँ जुने जाने शाले ओहदेदार लोगों के दाय से नहीं वरंच उन्हीं उनके दूसरों के द्वारा पक्षन्द किये जाने चाहिए उस प्रशंग में उनमें भी भारी दोष का बह दराने का शक रखता है। ग्रंथकार ।

रानी में महकमे का फुटकर काम करने के लिये काथम रहते हैं—सारांश यह कि जिन से व्यवदार कुशल सरकारी नौकरों का समूह बना है और जो दूसरे लोगों की तरह, ज्यों ज्यों उमर में बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों ऊंचे ओहदे पर पहुंचन की आशा रखकर अपना काम छोटी उमर से, आरम्भ करते हैं—उनके सम्बन्ध में तो स्पष्ट है कि उनको प्रत्यक्ष साधित और गहरे अनुचित वर्ताव दिना हड्डाने और अपनी पुरानी नौकरी के सारे लाभ से हाथ धोने का पात्र ठहराना अनुचित है। अल-यत्ता यह भूल चही नहीं है जिसके लिये उन पर कानूनी कारत्वार्दी की जा सकती है वरंच कर्तव्य पालन में जान बूझ कर की हुई लापरवाही, या जिन उद्देश्यों से उनको काम साँपा जाता है उनके सम्बन्ध में वे एतद्यारी सूचित करनेवाला वर्ताव भी उसमें शामिल है। इस से अगर उनके ऊपर व्यक्तिगत अपराध लगाने का मौका न हो तो उन से धन्नने का मार्ग इतना ही है कि उनको पैशनियां के तौर पर जनता के मत्थेठोंकदें अर्थात् पैशन देकर काम से अलग कर दें। अतएव सब से आवश्यक बान यह है कि आरम्भ में ही नियुक्ति अच्छे ढङ्ग से की जाय; और इस से विचारने को यह रहता है कि किस प्रकार की नियुक्ति से यह उद्देश्य भली भाँति सधेगा।

पहले पहल नियुक्त करने में, पसन्द करने में खास होशियारी और ज्ञान के अभाव का भय थोड़ा ही है परन्तु पक्षपात और निज के या राजनीतिक स्वार्थ का भय अधिक है। ये लोग साधारण तौर पर अपना काम सीखे हुए होने के कारण नहीं, वरंच सिखाने के उद्देश्य से जवानी के आरम्भ में नियुक्त किये जाते हैं इस से अच्छा उमेदवार परख निकालने का जो एक ही साधन है यह उच्च शिक्षा की साधारण शाखाओं में व्यवीणता है; और इसकी परीक्षा करने के लिये

जो लोग नियुक्त किये जायें ये अगर उचित ध्यान और निष्पक्ष भाव रखेंगे तो विना कठिनाई के निश्चय कर सकेंगे । इन दो में से किसी एक गुण की वास्तविक आशा मन्त्री में नहीं रखी जा सकती; क्योंकि उसको सारा भरोसा सिफारिश पर रखना पड़ेगा और वह अपने मन से चाहे जैसा निःनृद्द हो तो भी जिस मनुष्य को उसके चुनाव पर प्रभाव डालने की सत्ता होगी अथवा जिस का राजनीतिक सम्बन्ध वह जिस मन्त्री दल में है उसके लिये आवश्यक होगा उसकी प्रार्थना के विरुद्ध वह कभी नहीं ठहर सकेगा । इन कारणों से राजनीतिक मामले में न पढ़ने याले और विश्वविद्यालयों की सम्मानित पदवियों (आनन्द की डिग्रियों) के लिये नियुक्त होनेवाले परीक्षकों के समान धर्म और गुणवाले पुरुषों द्वारा ली जानेवाली सार्वजनिक परीक्षा में सभी पदली नियुक्ति के उमेदवारों को शामिल करने का रिवाज जारी हुआ है । चाहे जो पड़ति हो उसमें यह युक्ति सम्भवतः सब से अच्छी जंचेगी और हमारे पालमिएटरी राज्यतंत्र (गवर्न-मेण्ट) की,—मैं सिर्फ प्रामाणिक नियुक्ति की सम्भावना की यात नहीं कहता वर्त्तम स्पष्टरूप से और गृह्णमयुल्ला उच्छृङ्खल नियुक्तियों को रोकने की सम्भावना भी इसी युक्ति में दिखाई देती है ।

फिर सब से जरूरी यात यह है कि ये परीक्षार्द्ध चढ़ा ऊपरी की होनी चाहिये और इनमें जो घटुत सफलता के साथ उत्तोर्ण हो उन्हीं को जगह मिलनी चाहिये । केवल मामूली परीक्षा अन्न में मूर्छों को छाँटने के सिथा और कुछ नहीं करती । जब परीक्षक के मन में यह प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य के भविष्य पर पानी फेरें या सार्वजनिक कर्तव्य को जो उसके किसी प्राप्त दृष्टान्त में तो मुदिकता से पहले

दरजे का जरूरी जंचता है छोड़ दें, जब पहली कार्रवाई के लिये उसे उल्लहना मिलने का भरोसा रहता है और दूसरा कर्तव्य इसने पाला है कि नहीं यह साधारणतः कोई जानता भी नहीं या इसकी परवा भी नहीं करता तब अगर वह परीक्षक कुछ साधारण प्रकृति का नहीं होगा तो उसका मन भलाई की तरफ भुकेगा। एक दृष्टान्त में लृपा फरने से दूसरों के विषय में यह लृपा हक मांगती है और प्रत्येक नवी नवी लृपा से इस वृत्ति को रोकना दिन दिन कठिन होता जाता है, यार बार जितनी ही लृपा की जाती है उतनी अधिक लृपा के लिये दृष्टान्त घनते जाते हैं और अन्त को योग्यता का दरजा गिरते गिरते इतना नीचे आ जाता है कि तिरस्कार का पात्र हो जाता है। हमारे दो घड़े विश्व-विद्यालयों में सम्मानित उपाधि की परीक्षाएं आवश्यक विषयों में जितनी भारी और करारी हैं उतनी ही साधारण उपाधि की परीक्षाएं सद्बूज हैं। जहाँ कम से कम जरूरी नम्बर से घटने का कुछ लोभ नहीं होता यहाँ घद कम से कम नम्बर अधिक से अधिक हो जाता है, उससे अधिक की आशान रखने का साधारण रिवाज पड़ जाता है और प्रत्येक विषय में कितने ऐसे होते हैं कि जो सोचे हुए होते हैं उन सब का सम्पादन नहीं करते। इस से धोरण चाहे जितना दूलका रखा जाय तो भी कितने ऐसे होंगे जो कभी उस हृदतक पहुचने के नहीं। इसके विद्ध जब उमेदवारों की यड़ी संख्या में से जो सब से अच्छे निकलते हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाती है और सफलता प्राप्त प्रतिद्रव्यों की योग्यता के अनुक्रम से श्रेणी बनायी जाती है तब प्रत्येक जनयथाशक्ति सब से अधिक प्रयत्न करने को उत्साहित होता है; इतना ही नहीं, घरंच सारे देश की उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्थान में उसका असर होता है।

इन प्रतिद्वन्दियों में ऊंचा ओद्दा पाने वाले शिष्य तथ्यार किये रहने से प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को अधिक उत्साह मिलता है और सफलता का मार्ग खुलता है। राज्यतंत्र (सरकार) के लिये सारे देश की शिक्षा के स्थानों की योग्यता में इतनी यदी वृद्धि करने का दूसरा मार्ग शायद ही होगा। सरकारी नौकरी के लिये चढ़ा ऊपरी की परीक्षा का नियम इस देश में यद्यपि इतना ताजा है और अभी तक इतनी अपूर्णता से अमल में आया है—और अगर अपने पूर्णकृप में है तो प्रायः केवल हिन्दुस्थान की मुलकी नौकरी (हिन्दियन सिविल सर्विस) के विषय में है (इसके प्रत्येक विषय में निर्दिष्ट नम्बर के सिव जोड़ में सब से अधिक नम्बर लाने वालों में से कुछ चुने जाते हैं) और इन परीक्षाओं ने देश की शिक्षा की जिस वर्तमान लज्जापूर्ण ओर्डी स्थिति पर ग्रकाश डाला है उसकी तरफ से इस नियम को रुकावट पहुंची है; तथापि माध्यमिक शिक्षा के स्थानों पर उसका अव से कुछ जानने योग्य असर हुआ है। मंत्री के पसंद करने योग्य जगतों में उमेदवारी का दृकदार मानने के लिये, जो ज्ञान सम्पत्ति मांगी जाती है उस का धोरण उनमें ऐसा हीन मालूम हुआ है कि ऐसे उमेदवारों की चढ़ा ऊपरी का परिणाम मामूली परीक्षा के परिणाम से भी प्रायः घटिया निकलता है; क्योंकि जो धोरण ऐसे एक युवक को अपने साथी उमेदवारों की अपेक्षा अधिक अच्छा निकलने में प्रत्यक्ष रीति पर यथेष्ट देखने में आया है ऐसा दूसरा धोरण तो मामूली परीक्षा के लिये मुकर्रर करने का विचार भी नहीं किया जाता। इस से यह कहा जाता है कि औसत से ज्ञान सम्पत्ति में प्रति वर्ष घाटा पड़ता दियार्द देता है; क्योंकि पहले किये हुए प्रयत्न उद्देश्य साधने के लिये चर्चित से अधिक भारी ये यह यात पद्धती परीक्षाओं के परि-

शाम से सावित हुई है इस से कम प्रयत्न किया जाता है। किसी कदर इस प्रयत्न के घटने से और किसी कदर जिस परीक्षा में ऐसी पहली पसन्द की ज़रूरत नहीं है उसमें भी अपनी अशानता की जानकारी से, प्रतिद्वन्द्यों की सख्त्या सिर्फ़ मुट्ठी भर हो जाने से ऐसा हुआ है कि यद्यपि अच्छी प्रवीणता के थोड़े से दृष्टान्त हमेशा मिल गये हैं तथापि सफलता प्राप्त उमेदवारों की सूची के निचले भाग ने सिर्फ़ बहुत मामूली ज्ञान दियाया है। और हम परीक्षकों के कहने से जानते हैं कि छात्रों के फेल होने का कारण ज्ञान की सब से ऊँची शाखाओं का नहीं, वरन्ती सब से हल्के मूल तत्त्वों (अच्छरौटी और अंकगणित) का अज्ञान था।

लोक मत के कुछ मुख पत्रों की तरफ से इन परीक्षाओं के विवर जो चिह्नादट मचायी जाती है उसके विषय में मैं योद के साथ कहता हूँ कि वह धन्दुधा चिह्नादट मचाने वालों की अच्छी समझ के लिये तथा उनकी शुद्ध बुद्धि के लिये कम ही प्रतिष्ठा जनक है। जिस किस्म का अज्ञान परीक्षाओं में निपटल होने का अवश्य कर के प्रत्यक्ष कारण है उसको पहले वे किसी कदर भूठे रूप में दरसाना आरम्भ करते हैं। जो सब गूढ़ पश्च कभी पूछे जाते हैं और इस के दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, उन सबको उद्धृत करके उन पर ज़ोर दिया जाता है और यह दिखाया जाता है मानो उन सब का वेधड़क

छु किर भी हमेशा बहुत गूढ़ नहीं होते; व्येकि चदाऊपरी की परीक्षा के विषय में आम सभा में एक ताजा उच्च उठाने वाला ऐसा भलेसानस था। कि परीक्षक जो बेहद ऊँचे दरजे का वेशानिक शान मांगने की भूलता काते हैं उस के सबूत में उसने दीजगणित, इतिहास और भूगोल के प्रायः मूल तत्व सम्बन्धी प्रश्नों का पुकिन्दा वेष किया था।

उत्तर देना ही सफलता की आधश्यक अपर्हया रहती है। किंतु भी इसके उत्तर में बार बार यह कहने में उठा नहीं रखा गया कि ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस आशा से नहीं कि प्रत्येक जन की ओर से उसका उत्तर मिलेगा यरंच जो कोई उत्तर देने को समर्थ हो उसको अपने ज्ञान के उस विभाग का सबूत देने और उसका लाभ लेने का मौका देने के लिये। यह जो मौका दिया जाता है वह निष्पक्ष करने के उद्देश्य से नहीं, यरंच सफलता की वृद्धि के साधन के तौर पर। इसके बाद हम ने यह पूछा जाता है कि इस या उस या और किसी प्रश्न में जिस किस्म का ज्ञान चाहा गया है वह उमेद-बार के एक बार अपना मतलब सिद्ध करने के बाद उसके किसी काम आ सकता है या नहीं? कौन सा ज्ञान काम का है इस विषय में भिन्न भिन्न मनुष्यों के अभिप्राय भिन्न भिन्न होते हैं। कितने विद्यमान पुण्य, जिन में परराष्ट्र विमांग के एक भूतपूर्व मंत्री भी हैं, यह समझते हैं कि एलची के मुसाहिय या सरकारी दफ्तर के कार्य को अंगरेजी अच्छारीटी (स्पेलिंग) का ज्ञान व्यर्थ है। जिस एक विषय पर सब उच्च उठाने वाले एकमत जान पड़ते हैं वह यह है कि इन नौकरियों में और कुछ भले ही उपयोगी हो परन्तु मानसिक शिक्षा उपयोगी नहीं है। किंतु भी अगर (जैसा कि मैं सोचने की हिमत करता हूँ) यह उपयोगी है अथवा किसी तरह की शिक्षा कुछ भी उपयोगी है तो ऐसी परीक्षा लेनी चाहिये जिस से अच्छी तरह मालूम हो सके कि वह उमेदवार में है कि नहीं। यह अगर अच्छी तरह से शिक्षित हो तो जिन विषयों का वह जातता हो उन से उस काम का जिस पर वह नियुक्त होने को है, प्रत्यक्ष सम्बन्धन होने पर भी उसने अच्छी तरह सीमा है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिये उसकी उन विषयों

में परीक्षा होने की ज़क्रत है। जिस देश में केवल संस्कारी (झासिक) भाषा और गणित के विषय ही नियम से सिखाये जाते हौं वहाँ उन से संस्कारी भाषा और गणित में प्रश्न पूछने के विषय में जो लोग उच्च करते हैं वे क्या हम को बतायेंगे कि वे उन से किस विषय में प्रश्न खटना चाहते हैं? परन्तु जान पड़ता है कि इन विषयों में या इनके सिवा दूसरे किसी विषय में पूछने देने में उनको एक समान आपत्ति है। जिन्होंने व्याकरण शाला का पाठ्यक्रम पूरा न किया हो अथवा जो लोग वहाँ जो कुछ सिखाया जाता है उसमें अपने अल्प ज्ञान की कमी दूसरे किसी विषय के अधिक ज्ञान से पूरा कर सकते हैं उनके प्रवेश के लिये मार्ग योजने की आनुरता में अगर परीक्षक दूसरे किसी वास्तविक उपयोग के विषय में प्रबीणता प्राप्त फरने के लिये नम्बर छासित करने दें तो उस के लिये भी उन को उल्लङ्घन मिलता है। उच्च उठाने वाले तो सम्पूर्ण अज्ञान के लिये प्रवेश का मार्ग खुलवाये यिना और किसी तरह सन्तुष्ट होने के नहीं।

हम से गर्व के साथ कहा जाता है कि सैनिक यंत्रविद्या के अभ्यासक की पदवी (इंजीनियरी) के उमेदवार के लिये जो परीक्षा नियत की गयी है उस में झाइव \* या वेलिंगटन † उत्तीर्ण न हो सकते। मानो झाइव और वेलिंगटन से जो चाहा नहीं गया वह उन्होंने नहीं किया, इससे अगर उनसे चाहा गया हाता तो वे न कर सकते। अगर कहने का मतलब इतना ही हो कि इन घस्तुओं के यिना महान सेनापति होगा

: \*(१७२५-७४) १७५७ईस्वी के प्लासी के युद्ध से हिन्दुस्थान में ब्रिटिश राज्य की नीव ढालने वाला और पीछे बगाल का गवर्नर। † ( १७६१-१८१२ ) इंग्लैण्ड का एक महान सेनापति। इसने

सम्मव है तो जो दूसरी यहुत सी यम्नुपं मदान सेनापतियों के लिये उपयोगी हैं उनके बिना भी सम्मव है। मदान सिकन्दर + ने वायन † के नियम कभी नहीं सुने थे और जूलियस सॉजर ✎ फ्रांसीसी मार्या नहीं योल सकता था। इसके बाद हम से यह कहा जाता है कि पुस्तक के कीड़े शारीरिक अध्यास में अच्छे नहीं होते अथवा उनमें भद्र पुरुष के लक्षण नहीं होते। ऐसा जान पड़ता है कि जिन को पुस्तक ज्ञान का कुछ भी घसका लगा होता है उन सब के लिये यही नाम रखा जाता है। ऐसी नुकाचीनी की रीति आम तौर पर बड़े कुल के बेशुआरों में होती है। बेशुआर चाहे जो समझे परन्तु भद्रता के लक्षणों का या शारीरिक चपलता का उन्हें कुल पटा नहीं मिल गया है। जहां हम गुण की जकड़त हैं यहां उमड़ी ग्रोज़ करना या अलग प्रयन्त्र करना चाहिये परन्तु मानसिक गुणों को उसमें अलग करके नहीं यर्थं उनके शामिल ही। इस बीच में मुझे विश्वास जनक समाचार मिला है कि वूलिच की भैनिक शाला में

दिनुस्थान में मराठों पर विजय पाहर थंगरेजी राज्य दद किया और युरोप में पढ़ले स्पेन में जीत छर और थंत को बाट्टूं की लडाई पतह कर नेपोलियन की उत्ता तोड़ी।

० (३५६-३२३ ईस्वी सन् से पूर्व) मेंिटेनिया का राजा। इसने इंरानी राज्य पर चढ़ाई कर उस साम्राज्य को तोड़ा। † कांप का एक प्रख्यात सेनापति और मैनिह यांत्रिक (इंजीनियर)। इसने बहुत से फोर्मी इंजीनियरी के काम किये थे। ✎ (१००-४४ ईस्वी सन् से पूर्व) यह रोम का पहला सुग्राद् भी कहलाता है। यह जैसा सेनापति या वैषा ही बक्ता, प्रेयकार और कानून बनाने वाला भी था।

पुरानी प्रणाली से भरती किये गये सैनिक छात्रों की अपेक्षा चढ़ाऊपरी वाले छात्र जितने थे और विषयों में हैं उतने इन विषयों में भी । वे अपनी कवायद बड़ी तेजी से सीखते हैं और सबसुच ऐसी आशा भी रखी जाती है; क्योंकि जड़ की अपेक्षा बुद्धिमान पुरुष सब विषय बड़ी फुर्ती से सीखता है । और साधारण वर्ताव में भी वे लोग पुरानों के मुकाबले ऐसे बढ़े चढ़े मालूम होते हैं कि उस शाला के अधिकारी वहाँ से पुरानी प्रणाली का अन्तिम चिन्ह गायब करने वाले दिन की बाट देखते हैं । अगर ऐसा है—और ऐसा है कि नहीं यह निश्चय करना सहज है—तो आशा रखी जायगी कि सैनिक कार्य के विषय में तथा अधिक सबल कारण से दूसरे प्रत्येक धंधे में यह जो बार बार सुनने में आता है कि "ज्ञान से अशान अच्छी योग्यता है" अथवा "उच्च शिक्षा के माथ चाहे जैसा प्रत्यक्ष में कम सम्बन्ध रखनेवाला अच्छा गुण ज्ञान के संसर्ग से अलग रहने से बढ़ने की सम्भावना है" उसका अन्त आयेगा ।

यद्यपि सरकारी नौकरी में प्रथम प्रवेश का निर्णय चढ़ाऊपरी की परीक्षा से होगा तथापि उसके बाद पदोन्नति का निर्णय भी उसी प्रकार करना बहुत बातों में असम्भव हो जायगा । यह तो, जैसा कि इस समय बहुत कर के होता है, नौकरी की मुद्रत और पसन्द की संयुक्त पद्धति से होना चाहिये । यद्दी उचित जंचता है । जिनका काम दस्तूर के मुताबिक हो उनको उस किस्म के काम में जहाँ तक तरकी दे सकें यहाँ तक उनकी नौकरी की मुद्रत के क्रम से उस किस्म के सब से ऊंचे ओहदे तक चढ़ाया करें । परन्तु जिनको खास विश्वास और कुशलता की आवश्यकता वाला काम सौंपा गया हो उन्हें तो विभाग के अधिकारी को चाहिये कि अपने स्वतंत्र

विचार के अनुसार नौकर समूह से छुन निकाले । अगर मूल छुनाव खुल्म खुल्मा चढ़ाऊपरी से हुआ होगा तो यह छुनाव यहुत करके ईमानदारी से होगा; क्योंकि इस पद्धति में उसका नौकर समूह साधारण तौर पर ऐसे पुरुषों का होगा कि अगर उसका उनके साथ विमाग का सम्बन्ध न होता तो वे उस से अपरिचित रह जाते । उन में अगर कोई उसके या उसके राजनीतिक मित्रों या मददगारों के घरं का मनुष्य होगा तो वह सिर्फ कभी कभी होगा और फिर इस सम्बन्ध के साथ प्रयेशिका परीक्षा देने योग्य एक समान योग्यता तो उसने पायी ही होगी । और इन नियुक्तियों का जहाँ तक सौदा करने के लिये यहुत जबरदस्त उद्देश्य न हो वहाँ तक सब से योग्य पुरुष को—अर्थात् जो मनुष्य अपने अफसर को सब से उपयोगी सहायता दे, उसकी सब से ज्यादा मिहनत वचावे और जो राज्यकार्य की अच्छी व्यवस्थायों की कीर्ति (जो प्रत्यक्ष में उसके अधीनस्थ नौकरों के गुण के कारण हो तो भी, अवश्य कर के और धास्तविक रीति पर मन्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ाता है उस कीर्ति) की नीव डालने में उसका सब से अधिक सहायक प्लो उस पुरुष को—नियुक्त करने का हमेशा प्रयत्न हेतु रहेगा ।

### पन्द्रहवाँ अध्याय ।

**स्थानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के विषय में ।**

माध्यमिक सचाई देश के राज्यकार्य- का सिर्फ छोटा सा भाग अच्छी तरह कर सकती है अथवा उसे करने के लिये उनका व्यवहार निरापद है; और हमारा अपना राज्यतंत्र जो युरोप में सब से कम अधिकार संप्राप्त है उसमें भी

शासन संस्था का दूसरा नहीं तो कानून घनाने वाला विभाग स्थानिक कार्यों में हद से ज्यादा मगज लड़ाता है और जिस धारीक उलझन को सुलझाने के लिये दूसरे बहुत से अच्छे साधनों की जरूरत है उसकी याल की खाल निकालने में राज्य की सर्वोपरि सत्ता का समय लगाता है। राज्यसी परिमाण का जो खातमी काम पार्लीमेंट का समय और उसके पृथक पृथक सभासदों का विचार पर्च करता है और इस जनता की मद्दान सभा के यास कर्तव्यों से उनका मन हटा देता है वह सब विचारशील और अवलोकन शील पुरुषों को एक गहरा दोष मालूम देता है और सब से बुरी बात यह है कि यह दोष बढ़ता जाता है।

राज्यतंत्र की सत्ता की उचित सीमा के प्रश्न के (जिसका प्रतिनिधि राज्य से कुछ याज्ञ सम्बन्ध नहीं है उसके) विषय में चर्चा करना इस नियंत्र की नियमित योजना के विचार से अनुचित हो जाता है। जिन नियमों से इस सत्ता की सीमा निर्दिष्ट होनी चाहिये उनके विषय में सुने जो कुछ सब से आवश्यक जँचा है वह मैंने अन्यत्र \* कहा है। परन्तु जो जो कार्य धोड़ा बहुत युरोपियन राज्यतंत्र स्वर्य करते हैं उन में से जिन कामों में राज्याधिकारियों को विलकुल दाय नहीं लगाना चाहिये उनको धाद देने के धाद भी इतना धड़ा और विधिध प्रकार का कार्य समूह याकी रहता है कि सिर्फ काम के धार्वारे के नियम की खातिर भी माध्यमिक और स्थानिक सत्ताओं के धीर में उसका धटवारा होने की आवश्यकता है। ऐसा स्थानिक कर्तव्य के लिये अलग ही इन्तजाम करने वाले

\* 'स्वतंत्रता के विषय में' के अन्तिम अध्याय और अर्थशाला के मूल तत्व " के पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से । मंषकार ।

हाकिम चाहियें इतना ही नहीं (और पेसा विभाग सब राज्य तंत्रों में होता है) बरंच उन हाकिमों पर जनता का अंकुश भी दूसरी ही सत्ता की माफ़न चलाने से लाभ हो सकता है। उनकी मूल नियुक्ति, उन पर निगरानी और अंकुश खेलने का काम, उनके काम के लिये आवश्यक धन लूटाने का कर्तव्य या उस काम को अस्थीकार करने को स्वाधीनता-यद्य पार्लीमेंट जैसे राष्ट्रीय शासन विभाग के हाथ में नहीं बरंच उस स्थान के लोगों के हाथ में रहना चाहिये। कितने ही नवीन इंगलैण्ड (संयुक्त राज्य) के माण्डलिक राज्यों में यह कर्तव्य सम्मिलित जनता ढारा पालन किया जाता है और यह कहा जाता है कि उसका परिणाम आशा से अधिक अच्छा होता है और यह ऊंची रीति से शिक्षित जनता इस स्थानिक प्रबन्ध की असली पद्धति से इतनी मन्तुष्ठ हुई है कि इस के बदले, जिस एक ही प्रतिनिधि पद्धति में यह परिचित है और जिस से भव छोड़ दर्या वाम्बव में भन हक्क से वंचित हुए रहते हैं उसे व्यक्तिकार करने की कुछ इच्छा नहीं रखती। किर भी इस योजना का अच्छी नगद अनुभव करने के लिये पेसी विलक्षण घोटी की ज़करत है कि प्रतिनिधि छोटी पार्लीमेंट (Sub Parliament) की योजना का सहारा लेना पड़ेगा। पेसी उपममाण इंगलैण्ड में विद्यमान है; परन्तु यहन अधूरा, बहुत अनियमित और अव्यवस्थित अवस्था में। दूसरे कितने ही यहन कम जन-सम्मन राज्यों में उनका गठन यहन वुद्दिमता पूर्ण है। जहाँ इंगलैण्ड में हमेशा अनंत्रता अधिक है परन्तु व्यवस्था ग्रामीण है यहाँ दूसरे देशों में व्यवस्था यहन अच्छी है परन्तु अनंत्रता कम है। इस कागग राष्ट्रीय प्रतिनिधि ममा के माथ नगर की और प्रान्त भी प्रतिनिधि ममा होनी चाहिये। अब जिन दो प्रदेशों का निर्णय करना रह जाता है वे ये हैं कि स्थानिक

प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन कैसा किया जाय और उनका कर्तव्य कहाँ तक हो ।

इन प्रश्नों की आलोचना करने में दो विषयों पर हमारा ध्यान एक समान जाता है। स्थानिक कार्य ही स्थान किस तरह सब से अच्छा होगा और उसका किस तरह प्रयत्न करने से वह सार्वजनिक उत्साह का पोषण और ज्ञान बृद्धि करने में सब से अधिक साधक हो सकेगा। प्रस्तुत विवेचन के एक पिछले भाग में, स्वतंत्र राज्य तंत्र की जिस क्रिया को हम “नागरिक की सार्वजनिक शिक्षा” कहते हैं उसके विषय में मैंने कड़ी भाषा में चर्चा की है और अपने निर्णय की सबलता दिखाने के लिये जितनी कड़ी भाषा शायद ही चाहिये उतनी कड़ी है। अब इस क्रिया का मुख्य साधन स्थानिक प्रबन्ध व्यवस्था है। न्याय के प्रबन्ध में लोग न्याय पंच (जुरी) के तौर पर जो भाग लेते हैं उस के सिवा लोगों को साधारण सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का बहुत कम ही मौका है। पार्लीमेंट के एक से दूसरे चुनाव के अरसे में स्वतंत्र नागरिकों के सामान्य राज्यनीति में भाग लेने की सीमा समाचार-पत्र पढ़ने और शायद उस में लिखने तथा सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक अधिकारियों से की जानेवाली भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं में आ जाती है। यद्यपि स्वतंत्रता की रक्षा तथा साधारण शिक्षा के साधन के तौर पर इस विविध प्रकार की स्वाधीनता की आवश्यकता के अतिशयोक्ति करना असम्भव है तथापि इस से जो अनुभव मिलता है वह काम में नहीं, विचार में; और वह भी काम के बेजबायदेही के विचार में ही; और वहुतेरे लोगों के लिये तो इस का परिणाम लगभग ऐसा ही है कि एकाध किसी दूसरे मनुष्य का विचार बिना चूँ किये स्वीकार कर लें। परन्तु स्थानिक संस्थाओं के प्रसङ्ग में

तो यहुतेरे नागरिकों का, चुनाव के काम के सिवा यारी यारी से, स्वयं चुना जाना सम्भव है और कितनों ही को निर्णयन से या क्रम धार स्थानिक ओहदों में से एक या दूसरा ओहदा सौंपा जाता है। इन पदों पर उन को जिस तरह मामाजिक लाम के विषय में योलना तथा विचार करना पड़ता है उसी तरह काम भी करना पड़ता है; और किर विचारने का सारा काम मुख्तार की माफ़त नहीं हो सकता। इस के सिवा यह कहा जा सकता है कि ऊचे घग्गों को साधारण तौर पर यह स्थानिक काम अपने हाथ में लेने की इच्छा नहीं होगी; इस से वे इसको जो एक आवश्यक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का साधन है, निचले घग्गों के हाथ में छोड़ देंगे। इस प्रकार राज्य के राष्ट्रीय प्रबन्ध की अपेक्षा स्थानिक प्रबन्ध में मानसिक शिक्षा के अधिक आवश्यक तर्थ दोने मगर प्रबन्ध संस्था की योग्यता पर उस के ऐसे गहरे लाम का आधार न होने से, पहले उद्देश्य पर अधिक जोर दिया जा सकेगा और उसके लिये दूसरा उद्देश्य सरलारण कानून बनाने और राज्य कार्य के प्रबन्ध के सिवा, इस साथ से अधिकार मुलतबी रखा जा सकेगा।

स्थानिक प्रतिनिधि संस्था के योग्य गठन में यहुत कटिनाई नहीं जान पड़ती। इसमें लगनेथाले नियमों से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में लगनेथाले नियमों में कुछ अन्तर नहीं पड़ता। यहुत आवश्यक कर्तव्यों की तरह इस विषय में भी संस्थाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों की बनाने की ज़रूरत है; और उनको अधिक जन सम्मति के आधार पर छोड़ने के लिये कारण भी दर्तने ही बरंच उससे भी अधिक सयल हैं, क्योंकि जो क्षिम क्रम है और उसके साथ लोक शिक्षा और विकास सम्बन्धी लाम वो कर्त अंशुमें उससे भी यहुत यढ़ा है।

स्थानिक संस्थाओं का मुख्य काम कर लगाने और खर्च करने का है। इससे जो करन देते हॉ उन सब को स्वारिज करके जो देते हॉ उन सब को चुनाव में मतहक दिया जाय। मैं यह समझता हूँ कि कोई परोक्ष कर—कोई चुंगी नहीं है और अगर है तो सिर्फ परथन के तौर पर; अर्थात् जिनके सिर पर, उसका योभ पड़ता है उनके ऊपर सीधे कर का हिस्सा भी पड़ता है। छोटे बच्चों के प्रतिनिधि के लिये राष्ट्रीय प्रतिनिधि के ढंग पर प्रबन्ध होने की ज़रूरत है और अनेक मतों के लिये यैसा ही सबल कारण है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन निचली संस्थाओं में (जैसा कि हमारे देश के कितने ही स्थानिक चुनावों में है) केवल धन की योग्यता पर अनेक मतों का आधार रखने से, उंची संस्था के ऐसी छढ़ आपत्ति नहीं है; क्योंकि राष्ट्रीय संस्था की अपेक्षा स्थानिक संस्था के काम का इतना बड़ा भाग ईमानदारी और किकायत के साथ धन का प्रबन्ध करने से सम्बन्ध रखता है कि जिसका यहुत बड़ा धन सम्बन्धी स्वार्थ जोगिम में हो उसको उसके हिसाब से अधिक सत्ता देना जितनी ही नोति है उतना ही न्याय भी है।

रक्त क समिति (अर्थात् निराधित सम्बन्धी कानून की व्यवस्था फरने घाली सभा) जो हमारे स्थानिक प्रतिनिधित्वों में सबसे नयी स्थापित हुई है उसमें निर्वाचित सभासदों के साथ जिले के शान्ति रक्त क अफसर अपने ओहदे की हैसियत से बैठते हैं और उनकी संख्या कानून से सारी सभा की एक तिहाई रखी है। अंगरेज समाज के विलक्षण गठन में इस शर्त का लाभदायक असर होने में मुझे कुछ सन्देह नहीं है। इस व्यवस्था में और किसी तरह के आकर्षण की अपेक्षा अधिक शिक्षितों की उपस्थिति का भरोसा होता है और जहाँ ओहदे की हैसियत से बैठनेवाले सभासद एक और अपनी

नियमित संस्था के कारण केवल संरण में प्रबल होने से ग्रहते हैं वहाँ दूसरी और उनका वास्तव में एक अलग ही वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से याकी सभासदों से मिल स्वार्थ होने के कारण निर्वाचित रक्षकों के बड़े भाग में जो किसान या छोटे दुकानदार होते हैं उनके वर्ग स्वार्थ पर वे अंकुश बन जाते हैं। हमारी प्रान्तीय संस्थाओं में जो केवल शान्ति रक्षक अफसरों की बनो ग्रैमासिक न्याय सभाएं हैं और जिनको न्याय के कर्तव्य के सिवा जिले के प्रबन्ध कार्य का कुछ सब से आवश्यक भाग सींपा गया है उनकी पंसी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इन संस्थाओं के गठन की रीति यहुत ही विलक्षण है; क्योंकि वे जैसे निर्वाचित नहीं हैं वैसे किसी उचित अर्थ में मनोनीत भी नहीं हैं वरच जारीरदारों (Feudal Lords) के स्थान पर हैं—उनकी तरह वे असली जर्मांदारों के बल से ही अपना आवश्यक पद भोगती हैं; क्योंकि राजा के (अथवा वास्तविक कहें तो राज प्रतिनिधि अपांत् अपने वर्ग में से एक जन के) हाथ में मौजूद नियुक्ति का जो उपयोग किया जाता है वह अपनी संस्था के ऊपर जो दोष लगावं और समय समय पर राज्यनीति में जो विरुद्ध पक्ष पर हो उसे दूर करने में। इंगलैण्ड में इस समय जो सब से अधिक अमीरी बलवाला तंत्र विद्यमान है वह यह है और अमीरों की सभा से भी इसमें वह बल अधिक है, क्योंकि यह संस्था जो सरकारी धन और आवश्यक लाभ की व्यवस्था करती है वह लोक सभा के साथ रद्द कर नहीं, वरच स्वयं स्वतंत्रता में साथ। हमारे अमीर वर्ग भी इससे एक समान आग्रह से लगे हुए हैं; परन्तु प्रतिनिधि राज्य के सब आधारभूत नियमों से तो ये गुप्तमगुप्ता विरुद्ध हैं। जिला यांडों में चुने दुप सभासदों के साथ आददे को हैसियत के सभासदों की

मिलावट के लिये भी रक्षक संस्था के ऐसा वास्तविक कारण नहीं है; क्योंकि जिले का काम इतना विस्तृत होता है कि उसमें ग्राम्य गृहस्थों का मन खिचे बिना नहीं रहेगा और उनको जैसे राष्ट्रसभा के जिला सभासद चुनने में कठिनाई नहीं पड़ती वैसे जिला बोर्ड के सभासद चुनने में नहीं पड़ेगी।

अब स्थानिक प्रतिनिधि संस्था को चुनने वाली मत-समितियों के उचित विस्तार के विषय में कहें तो जो नियम एक स्वतः सम्पूर्ण और अचल नियम के तौर पर पालीभीएट के प्रतिनिधि तत्व में लगाना अनुचित जान पड़ता है वह, अर्थात् स्थानिक लाभों की समता का नियम ही, यहाँ उचित और उपयोगी है। स्थानिक प्रतिनिधि सभा रखने का मूल उद्देश्य ही ऐसा है कि जिन लोगों का कुछ सामान्य स्वार्थ हो, और वह स्वार्थ समस्त जनता के स्वार्थ से न मिलता हो वे अपने आप उस संयुक्त स्वार्थ की व्यवस्था कर सकें; और अगर स्थानिक प्रतिनिधि तत्वका विभाग उस संयुक्त स्वार्थ की ध्वेषी के दिसाव से न होकर दूसरे किसी नियम से हो तो वह मतलब रद हो जाता है। प्रत्येक बड़े या छोटे नगर का खास अपना, स्थानिक स्वार्थ होता है और उसके सब निवासियों के लिये साधारण होता है। इस से प्रत्येक नगर के लिये, आकार के भेद बिना, नगर सभा होनी चाहिये। फिर यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि प्रत्येक नगर की सिर्फ़ एक सभा होनी चाहिये। एक ही नगर के भिन्न भिन्न महलों के स्थानिक स्वार्थ में कुछ जरूरी भेद नहीं होता और होता भी है तो मुश्किल से; उन सब को एक ही काम और एक ही सर्व करना होता है और उनके धर्मालय (जिनकी व्यवस्था शायद पेरिश व्यवस्थाओं के हाथ में ही रहने देना इष्ट है) सम्बन्धी कामों के सिवा

और सबके लिये एक ही प्रवन्ध चल सकेगा। गस्ता यनाना, रोशनी करना, पानी देना, मल दूर करना, यदंगाह और घाजार के नियम इत्यादि कामों का, एक ही नगर के जुदे जुदे महसूओं के लिये, जुदा जुदा प्रवन्ध होने से भारी नुकसान और असुविता हुए बिना नहीं रहता। लन्दन को ६ या ७ महसूओं में बाटने से और हर एक के स्थानिक काम के लिये भिन्न भिन्न प्रवन्ध होने से ( और उनमें कुछ को अपनी सीमा में भी संयुक्त व्यवस्था न होने से ) साधारण उद्देश्य के लिये कुछ भी नियमित या सुगठित व्यवस्था होने में याधा पड़ती है; स्थानिक कार्य करने में कुछ भी एक समान नियम ग्रहण नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्थानिक सचा होती जिसका इतिन्यार सारी राजधानी पर चलता तो जिन विषयों का उस के हाथ में रहने देना सब से सुगम होता उन विषयों को राष्ट्रीय राज्यतंत्र को अपने हाथ में लेना पड़ता है; और उस से सार इनना ही निकलता है कि अर्धाचीन स्वार्थ साधन और प्राचीन आड़म्बर का विचित्र घेय धारण करने वाली लन्दन की नगर सभा कायम रहती है।

दूसरा इतना ही आवश्यक नियम यह है कि प्रत्येक स्थानिक सीमा में सब स्थानिक कामों के लिये एक निर्धारित समा होनी चाहिये न कि उनके भिन्न भिन्न विभागों के लिये भिन्न भिन्न। काम के बटवारे का अर्थ यह नहीं होता कि हर एक काम को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दालें। बरंच एक ही मनुष्य के करने योग्य कामों का संयोग और और भिन्न भिन्न मनुष्यों से अच्छी तरह हो सकने योग्य उनका विभाग जिन कारणों से राज्य के प्रवन्ध सम्बन्धी कामों के लिये आवश्यक है उन्हीं कारणों से स्थानिक

प्रबन्ध के कामों का भी विभागों में वेशक बटवारा होना चाहिये, क्योंकि ये काम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं; प्रत्येक में खास उसके सम्बन्ध का ज्ञान दरकार है और उसे उचित रीति से होने के लिये एक खास तौर पर योग्य थने हुए ओहदेदार के उस पर एकाग्र चित्त से ध्यान देने की जरूरत है। परन्तु बटवारे के विषय में जो कारण प्रबन्ध में लागू पड़ते हैं वे अंकुश में - निगरानी में लागू नहीं पड़ते। नियंत्रित सभा का कर्तव्य काम करने का नहीं है, वरं यह यह देखने का है कि काम उचित रीति से किया जाता है कि नहीं और कोई आवश्यक काम बिना किये तो नहीं रद्द जाता। यह कर्तव्य सब विभागों के लिये एक ही अंकुश समिति पालन कर सकती है और सूदम इष्टि की अपेक्षा साधारण विशाल इष्टि रखने से और अच्छी तरह। हर एक काम करने वाले पर निगरानी के लिये एक गिरदावर रखना जैसे निज के काम में बहुदायन है वैसे ही सार्वजनिक काम में भी। राज्यप्रबन्ध में बहुत से विभाग होते हैं और उन को चलाने के लिये बहुत से मंत्री होते हैं; परन्तु प्रत्येक मंत्री को अपने फर्ज में मुस्तैद रखने के लिये अलग अलग पार्लीमेंट नहीं होती। राष्ट्रीय पार्लीमेंट की तरह स्थानिक पार्लीमेंट का खास काम यह है कि स्थानिक लाभ के विषय में एक साध विचार करे और उसमें जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनका एक दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ कर आवश्यकता के क्रम और परिमाण से उन पर ध्यान दे। सब स्थानिक कार्यों पर अंकुश रखने का काम एक ही समिति के हाथ में एकत्रित करने के लिये दूसरा बड़ा बजनदार कारण है। स्थानिक लोक तंत्रों की सब से बड़ी श्रुटि और वे जो इतना अधिक बार विष्फल होते हैं उसका मुख्य कारण उन्हें चलाने वाले

है। परगनों या तहसीलों की स्थानिक प्रतिनिधि समाजों का निश्चय स्थभावतः भौगोलिक विभाग के अनुसार हो सकेगा; और उसके साथ ही जो हार्दिक सहानुभूति मनुष्यों को एक दूसरे से मिलकर काम कराने में यहुत भद्रदगार होती है और जो कुछ अंश में परगने या प्रान्त जैसी ऐतिहासिक सीमा के अनुसार रहती है तथा कुछ अंश में (जैसा कि सेती, कारीगरी, खान या किनारे घाले प्रदेश में होता है) एक समान लाभ और धंधे के अनुसार रहती है उसके ऊपर उचित ध्यान देना चाहिये। भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानिक कामों के लिये प्रतिनिधि सभा बनाने के निमित्त शायद भिन्न भिन्न विस्तार के प्रदेश लेने पड़ेंगे। जिस नियम पर पेरिश संस्था नियुक्त हुई है वह नियम निराधित के आधार पर निगरानी रखने घाली प्रतिनिधि सभा के लिये सब से अनुकूल आधार है; परन्तु सदर सड़क, जेल बाने और पुलिस की व्यवस्था के लिये कुछ मामूली जिलों के पेसे यहुत विस्तीर्ण प्रदेश हद से यहुत बड़े नहीं हैं। इस से प्रत्येक स्थान में स्थापित प्रतिनिधि सभा को उस स्थान सम्बन्धी सभी स्थानिक विषयों पर अधिकार होना चाहिये, यह जो नियम है उसको दूसरे एक मूल तत्व के आधार से तथा स्थानिक फर्तव्य पालने के लिये सब से ऊंचे दरजे का गुण पाने की आवश्यकता के विरुद्ध विचार से बदलने की जरूरत है। दृष्टान्त के तौर पर, निराधितों के कानून की उचित व्यवस्था के लिये अगर कर लगाने के प्रदेश का विस्तार यर्तमान पेरिश संस्थाओं से यहुत बड़ा होना जरूरी न हो (और मेरी समझ में है) और इस नियम से हर एक पेरिश सभा के लिये एक एक रक्तक समिति चाहिये; तो भी एक साधारण रक्तक समिति की अपेक्षा एक जिला सभा के लिये यहुत

अंची योग्यता धाले पुरुषों का बगं मिल जाना सम्भव है; इस कारण से कुछ यहुत ऊंचे दरजे के काम जो ज़िला सभा के अभाव से अलग अलग पेरिश सभाएं अपनी अपनी सीमा में आसानी से करती उनको ज़िला सभाओं के लिये रख छोड़ना उचित देगा।

स्थानिक काम के लिये अंकुश सभा अथवा स्थानिक उप पार्लीमेंट के सिवा उसका कार्यकारी विभाग होता है। इसके सम्बन्ध में राज्य की कार्यकारिणी सभा के समान ही प्रश्न उठता है; और इसका उत्तर भी सब से बड़े अंश में उसी तरह मिल जायगा। सारी सामाजिक धाती पर जो नियम घटता है वह वस्तुतः एक है। पहले मुंतजिम अफ़सर को अल्पएड सत्ता दोनी चाहिये और उसको जो कुछ कर्तव्य सौंपा गया हो उसके लिये केवल उसी को ज़िम्मेवार बनाना चाहिये। दूसरे वह चुना न जाय मनोनीत किया जाय। ऐमाइश करने वाला, स्वास्थ्याधिकारी या तदसीलदार भी लोकमत से चुना जाय यह हँसी की बात है। लोक निर्वाचन का आधार या तो यहुत करके कुछ स्थानिक नेताओं के स्वार्थ पर है और यह नियुक्ति उनकी पसंद की हुई नहीं गिनी जाती इससे वे इसके लिए ज़िम्मेवार नहीं हैं या नहीं तो यारह लड़के होने और पेरिश में तीस वर्ष तक कर देने वाला होने की बुनियाद पर छूट के लिये की हुई प्रार्थना पर है। इस प्रकार के प्रसङ्गों में जैसे लोक निर्वाचन प्रहसन पेसा हो जाता है उसी तरह स्थानिक प्रतिनिधि सभा की नियुक्ति भी उससे कुछ ही कम आपति जनक होती है। ऐसी सभाओं के उनके भिन्न भिन्न सभासदों के निजका स्वार्थ साथने वाली समझ की सभा हो जाने का निरन्तर रुख होता है। ये नियुक्तियां सभा के अध्यक्ष की व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी पर होनी चाहियें, चाहे

यह पुरुषति (मेयर) या ग्रैमासिक न्याय सभा का अध्यक्ष कहलाता हो या दूसरे किसी नाम से परिचित हो। जो पद्धती राज्य में प्रधान मंत्री की है उसको यह सास स्थान में भोगता है और एक सुगठित पद्धति में स्थानिक अफसरों की नियुक्ति और निगरानी उस के कर्तव्य का सब से आवश्यक भाग हो जायगा, क्योंकि सभा ने उसके ऊपर प्रति वर्ष नयी नियुक्ति या सभा के मत से दूर कर सकने का अधिन रखकर उसे प्रसन्द किया होगा।

स्थानिक सभाओं के गठन से अब मैं उनके सास धर्म सम्बन्धी उतने ही आवश्यक और विशेष कठिन विषय पर आता हूँ। यह प्रश्न दो भागों में बट जाता है; उनका क्या कर्तव्य होना चाहिये और उन कर्तव्यों की सीमा में उनको सम्पूर्ण सत्ता होनी चाहिये या माध्यमिक सत्ता को उनके बीच में पड़ने को कुछ अधिकार और यह कितना, होना चाहिये।

आरम्भ में तो स्पष्ट है कि शुद्ध स्थानिक—सिर्फ़ एक स्थान के सम्बन्ध का सारा काम स्थानिक सत्ताओं के सिरे रहना चाहिये। रास्ता बनाना गोशनी करना, नगर के महले साफ रखना और साधारण तौर पर घरों का मैला पानी निकालना वहां के अधियासियों के सिवा दूसरे किसी के लिये कम ही जरूरी है। समूचे राष्ट्र को वहां के सब पृथक पृथक नामिकों की शुभचिन्तकता के सिवा इस विषय में दूसरा कोई स्वार्प नहीं होता। परन्तु स्थानिक वर्ग में गिने जाने वाले और स्थानिक अधिकारियों के हाथ से होने वाले कर्तव्यों में बहुत से ऐसे हैं कि उनको राष्ट्रीय कदमे में भी उतनी ही गोचिन्य है, क्योंकि यह राज्य प्रबन्ध की किसी शाखा का उस स्थान से सम्बन्ध रखने वाला भाग होता है।

और उसके अच्छी तरह पालने में समूचे राष्ट्र का एक समान हित रहता है। जैसे—जेलयाने जिन में से बहुतेरे इस देश में जिले के प्रबन्ध के अधीन रहते हैं; स्थानिक पुलिस और स्थानिक न्याय व्यवस्था जिन का बहुत कुछ प्रबन्ध खास कर सभावद्ध नगरों में स्थानिक चुनाव से नियुक्त अधिकारियों के हाथ में है और जिनका खर्च स्थानिक कोष से दिया जाता है। यह नहीं कहा जायगा कि इन में कोई कर्तव्य राष्ट्रीय से भिन्न स्थानिक आवश्यकता का विषय है। देश का कोई भी विभाग पुलिस की कुव्यवस्था से लुटेरों का अद्वाया दुष्टा का केन्द्र हो जाय अथवा घदां के जेलबाने के द्वारा नियम से उसमें रखे हुए ( विकास दूसरे प्रदेशों से भेजे हुए या अपराध करके आये हुए ) अपराधियों को न्याय सभा की सोची दुई सजा दूनी सख्ती से भोगनी पड़े अथवा प्रयोग में नहीं के समान बन जाय तो यह विषय देश के वाकी विभागों से भीतरी सम्बन्ध रहित न समझा जायगा। फिर इन विषयों की अच्छी व्यवस्था उपजाने वाली अवस्था सर्वत्र समान है; पुलिस, जेल या न्याय का प्रबन्ध राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न रीति से क्यों हो इसके लिये सबल कारण नहीं है; इसके विरुद्ध भारी भय यह रहता है कि जो विषय इतने अधिक आवश्यक हैं और जिन के लिये राज्य में मिल सकने योग्य सब से शिक्षित मन वाले मनुष्यों की आवश्यकता है उनके लिये स्थानिक नौकरी में तो जिस घटिया दरजे की बुद्धि मिलने की आशा की जा सकती है वह कभी ऐसी गहरी भूल कर सकती है कि देश के साधारण प्रबन्ध पर भारी कलङ्क लगे। धन प्राण की रक्षा और मनुष्य मनुष्य में समान न्याय जनता की पहली ज़करत है और राज्य प्रबन्ध का मूल उद्देश्य है। अगर ये विषय सब से थोष्ट की अपेक्षा किसी

घटिया सच्चा को सौंपे जायं तो राष्ट्रीय राज्यतंत्र के लिये लड़ाई और सन्धि के सिधा और कुछ नहीं रह जाता। यह मूल उद्देश्य बनाये रखने के लिये जो सव से अच्छा प्रबन्ध हो उसे सव स्थानों में आवश्यक रूप से जारी कर देना चाहिये और उसको अमल में लाने के लिये माध्यमिक सच्चा की देख रेख में रखना चाहिये। माध्यमिक सच्चा का छोड़ा हुआ कर्तव्य पालने का काम पृथक् पृथक् स्थानों में स्थानिक कायों के लिये नियुक्त अफसरों को सौंपना यहुधा उपयोगी है और हमारे देश के तन्त्र के सम्बन्ध में तो राष्ट्रीय राज्यतंत्र की तरफ के अफसरों का भिन्न भिन्न स्थानों में अभाव होने से आवश्यक भी है। परन्तु प्रति दिन के अनुभव से जनता के मन पर ऐसा निर्णय जमता जाता है कि विशेष नहीं तो स्थानिक अफसर अपना कर्तव्य पालते हैं कि नहीं इसकी जांच पढ़ताल के लिये राष्ट्रीय राज्यतंत्र की तरफ से निरीक्षक (इंसपेक्टर) भी नियुक्त करना चाहिये। जैसे कारगाने सम्बन्धी पार्लीमेंट के बनाये हुए नियम माने जाते हैं कि नहीं इसकी जांच करने को कारगाना निरीक्षक और जिन पातों पर राज्य की तरफ से पाठशालाओं को सदायता दी जाती है उनकी जांच के लिये शाला निरीक्षक रखे जाते हैं यैसे जब जेलगाने स्थानिक व्यवस्था के अधीन होने हैं तब वहाँ पार्लीमेंट के बनाये हुए नियम पाले जाते हैं कि नहीं इसकी जांच करने के लिये और अगर जेलगाने की स्थिति से मान्य हो तो दूसरे नियम सूचित करने के लिये माध्यमिक राज्यतंत्र की तरफ से जेल निरीक्षक नियुक्त होते हैं।

परन्तु जहाँ न्याय और उसके साथ पुलिस तथा जेलगाने का प्रबन्ध ऐसा सार्वजनिक विषय है और फिर ऐसे स्थानिक लकड़ों से स्वतंत्र सामान्य विधान का विषय है कि सारे

देश में एक समान नियम से चलाया जा सकता है और चलाना भी आदिये तथा उसकी व्यवस्था का काम शुद्ध स्थानिक अधिकारियों की अपेक्षा शिक्षित और कुशल हाथ से होना चाहित है; वहाँ निराश्रित कानून के प्रबन्ध, स्वास्थ्य रक्षा और इस तरह के दूसरे कामों में यद्यपि सारे देश का सम्बन्ध है तथापि स्थानिक प्रबन्ध के वास्तविक उद्देश्यों पर लक्ष्य रखें तो उसकी व्यवस्था-स्थानिक के सिवा दूसरी सत्ता को सांपी नहीं जा सकती। ऐसे कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि स्थानिक अधिकारियों को राज्य की निगरानी या अंकुश से रहित विचार स्वातंत्र्य कितना दिया जाय।

इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये वास्तविक रीति पर देखना यह है कि कार्य सामर्थ्य के विषय में और लापरवाही या अनुचित चर्ताव से घबने के विषय में माध्यमिक और स्थानिक सत्ताओं की स्थिति एक दूसरे के मुकायले में कैसी है। पहले तो पार्लीमेंट और राष्ट्रीय प्रबन्ध विभाग की अपेक्षा स्थानिक प्रतिनिधि सभा और उसके अधिकारियों में घटिया दरजे की बुद्धि और ज्ञान होने का प्रायः भरोसा है। दूसरे उनके स्वयं अपेक्षा कुत कम योग्यता वाले होने के सिवा उनके ऊपर निगरानी करने वाला और उनसे कैफियत तलब करने वाला लोकमत भी घटिया दरजे का है। जिसकी देख रेख में ये काम करते हैं वह जन समूह राजधानी में सबसे ऊंची सत्ताओं से घिरे हुए और उनपर दीका टिप्पणी करने वाले जन समूह की अपेक्षा जैसे विस्तार में छोड़ा होता है वैसे साधारणतः विकास भी कम पाये हुए रहता है और उसके साथ स्वार्थ भी अपेक्षा कुत कम समाया हुआ होने से उस घटिया दरजे के जन समूह का भी विचार, उसके ऊपर कम लक्ष्य और कम आग्रह से काम करता है। समाचार पत्र

और सार्वजनिक आलोचना भी उसके बीच में बहुत कम पड़ती है और पढ़े भी तो राष्ट्रीय सत्ताओं की अपेक्षा स्थानिक सत्ताओं के प्रबन्ध में घड़ी निर्भयता से उससे लापरवाही की जा सकती है। यदां तक माध्यमिक सत्ता के द्वारा प्रबन्ध होने में गाली लाभ दिग्गार्द देता है। परन्तु हम जब बहुत धारीकी से देखते हैं तब इस लाभ के कारणों के चिरदृग्दूसरे इतने ही सबल कारण आकर डट जाने हैं। जदां माध्यमिक की अपेक्षा स्थानिक जनता और अधिकारी प्रबन्ध के मूलतत्व के बान के विषय में घटकर होते हैं यदां उनको इसके बदले परिणाम में बहुत प्रत्यक्ष स्थाय होने का लाभ होता है। किसी भूमुख्य की अपेक्षा उसका पड़ोसी या जमीदार बहुत ज्यादा हांशियार हो और उसकी उभति में उक पड़ोसी या जमीदार का कुछ पराक्रा स्वार्थ भी हो तो भी, इसके होते हुए भी, उसके लाभ की रक्ता पड़ोसी या जमीदार की अपेक्षा उसी के द्वारा अच्छी तरह हो मिलेगी। विशेष इसके यह स्मरण रखना चाहिये कि अगर यह सोचें कि माध्यमिक राज्यतंत्र अपने अफसरों की माफत प्रबन्ध करेगा तो भी वे अक्सर मध्यम्यल में रह कर नहीं बरत्व उसी स्थान में रह कर काम करेंगे; और माध्यमिक जनता की अपेक्षा स्थानिक जनता चाहे जितनी विशिष्य हो तो भी उनपर नजर रखने का मौका तो स्थानिक समा को ही मिलेगा। और उनके वर्ताय पर जो प्रत्यक्ष सत्ता कारबाहर कर मिलेगी अथवा उनके उल्हना मिलने योग्य विषयों पर राज्य तंत्र का ध्यान धीरे मिलेगी यह स्थानिक लोकमन ही है। देश का राष्ट्रीय लोकमन तो भास यास मौकों पर स्थानिक प्रबन्ध के सूदम विषयों में दाय ढालता है और उनका असली मतलब समझ कर फ़िसला करने का साधन तो इससे भी

पिरल होता है । अब स्थानिक अभिप्राय शुद्ध स्थानिक प्रबन्ध कर्त्ताओं पर अधिशय करके बहुत जबरदस्त असर करता है । ये लोग स्वाभाविक नियम से वहां के स्थायी अधिवासी होते हैं और अधिकार की अवधि पूरी होने पर उनको घट स्थान छोड़ कर कहीं जाने की आशा नहीं रहती, और उनके अधिकार का आधार भी, कल्पनानुसार, स्थानिक जनता की मरजी पर ही होता है । माध्यमिक सत्ता में स्थानिक पुस्ती और विषयों के बारे में सूचना ज्ञानकी जो त्रुटि होती है और उसका समय और विचार दूसरे विषयों में इतना अधिक उलझा रहता है कि उसको शिकायतों का फैसला करने के लिये और स्थानिक कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या से उनके काम का हिसाब लेने के लिये भी जितने और जैसे ज्ञान की ज़रूरत है उतना । और यैसा ज्ञान मिल सकना सम्भव नहीं है, इस विषय में विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है । इससे सूक्ष्म प्रबन्ध के विषय में साधारणतः स्थानिक संस्थाएं बढ़चढ़ कर होंगी, परन्तु मूलतत्व—शुद्ध स्थानिक प्रबन्ध के मूलतत्व भी—समझने के विषय में, माध्यमिक राज्यतंत्र की श्रेष्ठता अगर वह सुगठित होगी तो अबहुत ही होगी; और उसका कारण 'इतना ही नहीं है कि उसके मनुष्यों के स्वयं बहुत से ज्ञानी और लेखक उनके द्वारा । मैं उपर्योगी विचार जमाने में लगे रहते हैं, यद्यन्त जब किजो ज्ञान और अनुभव किसी स्थानिक सत्ता को होता है वह सिर्फ अपने प्रदेश की और क्रियापद्धतियों की सीमा में समाया हुआ स्थानिक ज्ञान और स्थानिक अनुभव ही होता है । तथ माध्यमिक राज्यतंत्र को तो सारे राज्य के समुक्त अनुभव से जो सब सीखना होता है उसके साथ परदेश के नागरिकों का मार्ग भी संगम करने वाले साधन होते हैं । २

इन आधारों से धास्तविक अनुमान निकालना कठिन नहीं है। जो सच्चा तत्वों में सब से अधिक प्रबोध हो उसको मूल तत्वों पर थ्रेषु अधिकार देना चाहिये परन्तु जो सूक्ष्म विषयों में सबसे अधिक कुशल हो उसको सूक्ष्म विषय संपादना चाहिये। माध्यमिक सच्चा का मुख्य काम सलाह देने का होना चाहिये और स्थानिक सच्चा का यह काम है कि उसे काम में लाये। अधिकार का तो स्थान के हिसाब से विभाग किया जा सकता है परन्तु ज्ञान पक्ष ही केन्द्र स्थल पर एकत्र करने से सबसे अधिक उपयोगी हो जाता है, उसके लिये तो किसी स्थान पर एक पेसा केन्द्र रखना चाहिये कि वहाँ उसकी सब विषयां हुईं किरणें आ मिलें और दूसरे स्थान पर जो दूटा और रंगवरंगी प्रकाश हो उसको सम्पूर्ण होकर शुद्ध होने के लिये आवश्यक साधन मिल जाय। स्थानिक प्रबन्ध की जिस शाखा से राष्ट्रीय लाभ का सम्बन्ध हो उसके लिये माध्यमिक साधन—मंत्री या उसके मातहत कोई सास नियुक्त किया हुआ अधिकारी—होना चाहिये; यह अधिकारी और कुछ न करके सिर्फ चारों ओर के समाचार संप्रदान कर एक स्थान में मिला हुआ अनुभव दूसरे स्थान में आवश्यक जंचने पर जता सके तो भी यहुत है। परन्तु माध्यमिक सच्चा को इससे कुछ विशेष करना है; उसे स्थानिक सच्चाओं के साथ निरंतर व्यवहार जारी रखना चाहिये और उसमें स्वयं उनके अनुभव से परिचित होना चाहिये तथा उनको अपने अनुभव से परिचित करना चाहिये। सलाह मांगने पर स्वतंत्रता सेदी जाय और जरूरत जंचने पर यिन मांगे आप से आप दी जाय; कार्य प्रबन्ध प्रकाशित कराया जाय और कार्रवाई दर्ज करायी जाय तथा कानून सभा ने स्थानिक प्रबन्ध के विषय में जो जो साधारण कानून

पनाये हीं उनमें से हर एक का पालन कराया जाय । इस बात को कम ही आदमी अस्वीकार करेंगे कि इस प्रकार के कुछ नियम बनवाने चाहियें । स्थानिक सत्ताओं को अपने ही लाभ का प्रबन्ध करने दिया जाय, परन्तु दूसरों के लाभ का गुकसान न करने दिया जाय अथवा पृथक पृथक मनुष्यों से न्याय के जिन नियमों का सख्ती से पालन कराना राज्य का कर्तव्य है उनका भी भंग न करने दिया जाय । अगर स्थानिक बहुमत छोटे मत पर या एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना चाहे तो राज्यतंत्र हस्तक्षेप करने को बाध्य है । जैसे— सब स्थानिक कर फेल स्थानिक प्रतिनिधि सभा के मत से मुकर्रर होना चाहिये परन्तु वह सभा यद्यपि करदाताओं द्वारा चुनी गयी होगी तथापि कभी कभी वह इस प्रकार के करों से अपनी आय घड़ा सकती है अथवा उन करों को इस ढंग से लगा सकती है कि जिससे उनका योग गरीब, अमीर या वस्ती के दूसरे किसी रास वर्ग पर अनुचित परिमाण में जा पड़े; इससे कानून सभा का कर्तव्य है कि स्थानिक कर की कुल रकम तो सिर्फ स्थानिक सभा के स्वतंत्र विचार पर रहे; परन्तु कर लगाने की पद्धति और आंकने के नियम स्पष्ट रीति से बांध दे और स्थानिक सत्ताओं को उसका उल्लंघन करने की स्वतंत्रता न दे । फिर सार्वजनिक धर्म-आत्मे के प्रबन्ध के विषय में मजदूर संख्या के उद्योग और आचार का आधार यहुत गहरे दरजे की मदद देने की यायत कितने ही निर्दिष्ट नियमों से लगे रहने पर है । उन नियमों के अनुसार मदद पाने का किसको हक है यह निश्चय करने का काम असल में स्थानिक अधिकारियों का है परन्तु उन नियमों को स्थिर करने धाली याग्य सत्ता तो राष्ट्रीय पाली-मेण्ट ही है । यह अगर ऐसे गम्भीर राष्ट्रीय विषय के बारे

में स्पष्ट नियम न स्वीकार करे और ऐसा पुरात्र सर यन्दोवस्त न करे कि उन नियमों का भंग न हो तो यह अपने कर्तव्य का एक बड़ा आवश्यक भाग पालने में चूकती है । इन कानूनों का उचित उपयोग कराने के लिये स्थानिक प्रबन्ध कर्ताओं के काम में स्वयं इस्तेहप करने की फिरनी भत्ता रखने की ज़रूरत है यह एक सूदम प्रश्न है और उसमें पड़ना निष्पत्योगी होगा । अपराध की व्याख्या और उसे अमल में लाने की रीति तो स्वभावतः कानून में ही की जायगी, अन्त को मौके पर काम आने के लिये माध्यमिक भत्ता को स्थानिक प्रनिनिधि भमा सोड़ देने या स्थानिक प्रबन्ध भमिति को यह तरफ करने तक का अधिकार रखना उचित ज़ंचेगा; परन्तु नशी नियुक्ति करने या स्थानिक तंत्र को तुरंत बदलकर देने तक का अधिकार नहीं होना जाहिये । जहाँ पार्लिमेंट ने इस्तेहप न किया हो वहाँ शासन विभाग की किसी शास्त्र को भी अधिकार में इस्तेहप न करना चाहिये; परन्तु परामर्शदाता और भमालोचक की हेसियत में, कानून का अमल करानेवाले की हेसियत से और जिमको स्वयं निन्दनीय गिने उस यतांव को पार्लिमेंट या स्थानिक भत्ता सभा के आगे गुज़मगुज़ा फटकार बनाने वाले की हेसियत में शासन विभाग का जो कर्तव्य है वह सबसे बड़ कर आवश्यक है ।

किनने हों यह सोच सकते हैं कि माध्यमिक भत्ता स्थानिक की अपेक्षा प्रबन्ध के नियमों के बान में चाहे जितनी यहीं यहीं हो तथापि नागरिकों की राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा के जिस महान उद्देश्य का इतना बड़ा आग्रह किया गया है उसके लिये इन विधयों की व्यवस्था भी उन सोगों को अपने विचार के अनुसार ( यह विचार चाहे कितना ह अपूर्ण हो ) अपने ही दाय से करने देने की ज़रू-

रत है। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि विचार में लेने का विषय केवल नागरिकों की शिक्षा नहीं है; उसकी आवश्यकता चाहे जितनी बड़ी हो तथापि राज्यतन्त्र और उसके प्रबन्ध का अस्तित्व केवल उसी के लिये लिये नहीं है। किन्तु यदि उच्च राजनीतिक शिक्षा के साधन रूप जिस लोक तंत्र का कर्तव्य है उसकी बहुत अधूरी समझ दरसाता है। जो शिक्षा अशान से अशान का संसर्ग करा के उनको ज्ञान दरकार दो तो उस तरफ अपना मार्ग विना विना मदद ढूँढ़ निकालने और न हो तो उसके विना चला लेने को छोड़ देती है वह निर्जीव ही है। जो चाहा जाता है वह अशान को अपनी स्थिति से परिचित करनेवाला और ज्ञान का लाभ लेने को समर्थ करनेवाला, जिनको केवल व्यवहार में जानकारी है उनको मूलतत्वों के अनुसार चलने और उनका मूल्य जानने का अभ्यास करनेवाला और उनको भिन्न भिन्न क्रिया पद्धतियों में तुलना करने और अपने विवेक से काम लेकर सब से अच्छी पद्धति पहचान लेना सिखाने वाला साधन है। हम जब अच्छी शाला की अपेक्षा करते हैं तब उस में से शिक्षक को खारिज नहीं करते। “जैसा गुरु वैसा चेला” यह कहावत पाठशाला और उसके नौजवानों की शिक्षा के विषय में जिस कदर सच है उसी कदर सार्वजनिक कर्तव्य द्वारा प्रोट्रावस्था के मनुष्यों की परोक्ष शिक्षा के विषय में भी सच है। सब काम करने का प्रयत्न करने वाले राज्यतन्त्र को म० चार्ल्स डी रेम्पशेट ०८ ने जो शिष्यों की तरफ से उनका सारा काम करनेवाले शिक्षक की उपमा दी है वह यथार्थ है;

१ क्षेत्र के नवीन सनसन्ताक राज्य की राज्यसभा का एक प्रतिनिधि।

यह शिक्षक अपने शिष्यों में यहुत ग्रिय तो हो जायगा परन्तु इस के साथ ही सिखावेगा भी थोड़ा ही। इसके विरुद्ध जो काम दूसरे किसी से होना सम्भव है उसे जो न तो करता है या न दूसरे किसी को यह बताता है कि कैसे करना चाहिये वह राज्यतंत्र उस पाठशाला के ऐसा है जिस में शिक्षक नहीं हैं वर्तं ऐसे शिष्य गुरु (Pupil Teachers) हैं जिन्होंने स्वयं कभी नहीं सीखा।

## सोलहवां अध्याय ।

### प्रतिनिधि राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीयता ।

जो सहानुभूति मनुष्य जाति के एक विभाग में परम्पर साधारण रूप से होती है परन्तु जो उसके दूसरे किसी विभाग के साथ साधारण रूप से नहीं होती—जो उस विभाग के लोगों को दूसरों की अपेक्षा आपस में दिल मिल कर काम करने की, एक ही राज्यतंत्र की सत्ता तले रहने की इच्छा रखने की और राज्यतंत्र भी अपना या अपने में से एक भाग का ही चाहने की वृत्ति उत्पन्न करती है—उस सहानुभूति से परस्पर जुड़े हुए उस मनुष्य विभाग का एक राष्ट्र बना कह सकते हैं। राष्ट्रीयता या जातीयता का यह भाव विविध कारणों से उत्पन्न हुआ रहता है किन्तु ही बार जाति और कुल की एकता के परिणाम से होता है। धर्म की एकता और भाषा भी एकता से इसकी यहुत वृद्धि होती है। भौगोलिक सीमा इसका एक कारण होती है। परन्तु सब से जो प्रबल कारण है वह पहले के राजनीतिक चरित्रों का ऐन्य, साधारण सामाजिक इतिहास का अधिकार और उनके सम्बन्धी स्मरणों की सामान्यता, विगत प्रसঙ्गों के सम्बन्ध में साधारण गर्व और मानभङ्ग

हर्ष और शोक है। इतने पर भी यह यात नहीं है कि प्रत्येक प्रसंग आवश्यक हो और न वह अवश्य करके स्थितः पूर्ण-तया है। स्वीजरलेएड के प्रान्तों में भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न भाषाएँ और भिन्न भिन्न धर्म होने पर भी राष्ट्रीयता का भाव प्रवल है। धर्म की एकता, प्रायः भाषा की एकता और वहुत अंश में पूर्व काल के ऐतिहासिक चरित्र की सामान्यता होने पर भी सभी इतिहासों में सिसिली अपनी राष्ट्रीयता के विषय में नेपल्स से विलकुल भिन्न गिना गया है। वेलजियम के छेमिश और बालून प्रान्तों की जाति और भाषा में भिन्नता होने पर भी पहले का हालेएड से या दूसरे का फ्रांस से जैसा साधारण राष्ट्रीय भाव है उसकी अपेक्षा उनमें परस्पर अधिक है। तथापि साधारण तौर पर किसी सहायक कारण के अभाव से राष्ट्रीय भाव उसी कदर कमज़ोर पड़ जाता है। यद्यपि जर्मन नाम धारण करने वाले भिन्न भिन्न विभाग कभी एक ही राज्य तंत्र की सत्ता तले धास्तव में नहीं जुड़े तथापि भाषा, साहित्य और किसी कदर जाति तथा स्मरण की एकता ने उनमें वहुत प्रवल राष्ट्रीय भाव बनाये रखा है। परन्तु वह भाव उस दरजे तक नहीं पहुंचा है कि उन भिन्न भिन्न राज्यों को अपने स्वराज्य का हक छोड़ देने की रुचि पैदा करावे। इटालियनों में भाषा और साहित्य का ऐक्य वहुत अपूर्ण है तथापि वह और उसके साथ उनको दूसरे देशों से स्पष्ट सीमा से अलग करने वाली भौगोलिक स्थिति और शायद सब से घड़ कर कला, युद्ध, राज्यनीति, धर्माध्यक्षत्व (रोम के पोप की सब रोमन कैथालिकों पर धर्म सम्बन्धी प्रधानता) शाख और साहित्य के विषय में उनके नाम वाले किसी की प्राप्त की हुई सफलता में उन सब को गवं कराने वाला एक साधारण नाम का अधिकार—इन सब ने मिल करलोगों में इतना घड़ा

राष्ट्रीय भाव उत्पन्न किया है कि यद्यपि यह अभी अपूर्ण है तथापि और भिन्न भिन्न जातियों का पड़ा मिथ्रण देने पर भी तथा जब रोमन राज्य प्रसिद्ध जगत के बड़े भाग पर विसरा था और विसरता था उस समय के सिवा प्राचीन या अर्थाचीन इतिहास में ये कभी एक राज्यतंत्र के तले नहीं रहे तो भी यह भाव हमारे मामने घर्त्तमान दृश्य दिखाने को ( समग्र इटली को एक संयुक्त राज्य में जोड़ने को ) समर्थ हुआ है ।

जहाँ राष्ट्रीय भाव कुछ भी प्रवल होता है यहाँ उसके मध्य अंगों को पक्की राज्यतंत्र में और यह भी उनको म्यां जान पड़ने वाले अलग राज्यतंत्र में जोड़ देने के लिये प्रत्यक्ष अवसर है । यह कहने का अर्थ इतना ही है कि राज्यतंत्र के प्रधान या निर्णय प्रजा के हाथ से होना चाहिये । मनुष्य जाति का कोई विभाग मनुष्यों की भिन्न भिन्न संयुक्त संस्थाओं में से किस के माध्य अपने की जोड़ना परमन्द करता है इस बात का निर्णय करने को अगर स्वतंत्र न हो तो यह जानना कठिन है कि नह क्या करने को स्वतंत्र होगा । परन्तु जब जनता स्वतंत्र राज्यतंत्र के लिये तथ्यार होती है तब इस में भी बड़ कर एक आवश्यक विचार करने को रहता है । भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता वालों से यन देश में स्वतंत्र राज्यतंत्र असम्भव सा है । समभाव रहित जनता में और विशेष कर जब उसमें भिन्न भिन्न भाषाएँ लियी और घोली जाती हों तब प्रतिनिधि राज्य चलाने के लिये जो संयुक्त लोकमत आवश्यक है यह विद्यमान नहीं मिलेगा गाय कायम करने वाली और राजनीतिक पार्थों का निर्णय करने वाली मत्ताएँ देश के भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न हैं । नेताओं की विलक्षण भिन्न भिन्न टोलियां देश के भिन्न भिन्न मार्गों का विश्वास बारण करती हैं । उन सब को एक ही पुस्तकें, समाचार-

पत्र, निधन्ध और भागण नहीं पहुंचते । देश के एक विभाग में कैसी रायें और कैसी सलाहें फैल रही हैं इसको दूसरा विभाग नहीं जानता । एक दूरी घटनाएँ, एक ही काम और एक ही राज्य पद्धति उन पर भिन्न भिन्न रीति से असर परती है और दूर एक जाति विद्यमान राज्यतंत्र की सब से साधारण मध्यस्थ की अपेक्षा दूसरी जाति से अपना अधिक नुकसान दोने का अन्देशा रखती है । राज्यतंत्र (सरकार) से ईर्ष्या रखने की अपेक्षा उनका परस्पर द्वेषभाव बहुधा यड़ा जवरदस्त होता है । अगर उनमें से एक जाति अपने को साधारण राज्यकर्त्ता की राज्यनीति से पीड़ित समझती है तो दूसरी जाति की ओर से उस राज्यनीति के समर्थन का प्रस्ताव स्थीरत फरने थे लिये यथेष्ट कारण होता है । सब जातियाँ पीड़ित हों तो भी किसी जाति को ऐसा नहीं लगता कि मेल के साथ सामना करने में दूसरी जातियों पर भरोसा करें; किसी को अफेले सामना करने योग्य बल नहीं है और प्रत्येक का यह सोचना सकारण हो सकता है कि याकी जातियों का सामना करके राज्यतंत्र की हुआ पाने का प्रयत्न करने से उसका अपना स्वार्थ अच्छी तरह सधेगा । राय से यह फर राज्यतंत्र के अत्याचार से बचने के लिये लोगों के प्रति सेना का अन्धुभाव की जो एकमात्र यड़ा और प्रभावशाली साधन है उसका इसमें अभाव है । प्रत्येक जनता में जो सैनिक मनुष्यों का घर्ग होता है उसमें देशी भाइयों और विदेशियों के बीच का भेद स्वभावतः सब से गहरा और प्रबल रहता है । दूसरे लोगों के लिये विदेशी सिर्फ़ अनजान मनुष्य हैं परन्तु सैनिकों की इष्टि में थे ऐसे मनुष्य हैं कि जिनके साथ जीवन मरण का युद्ध करने के लिये उन्हें एक सत्ताएँ के अन्दर तथ्यार होने पर हुक्म मिल सकता है । उनकी इष्टि में यह

मेद मित्र शशु का है या यों कहना भी ठीक हो सकता है कि उनमें मनुष्य और पशु का सा अन्तर है; क्योंकि शशु सम्बन्धी जो कानून हैं वे सिर्फ यल के कानून हैं और उनमें कुछ नरमी है तो सिर्फ दूसरे जीवों के प्रसङ्ग में जो है घटी-दया भाव की है। जिस सैनिक की इष्टि में समूचे राज्य की आधी या तीन चौथाई प्रजा विदेशी है उसे प्रगट शशु को कतल करने में जितना संफल्प विकल्प होगा या इसका कारण जानने की जितनी उत्करणा होगी उसकी अपेक्षा ऐसी प्रजा को कतल करने में कुछ अधिक नहीं होगी। भिन्न भिन्न जातियों की बनी सेना को जो एक घजभक्ति होती है उसके सिवा दूसरी कोई देश भक्ति नहीं होती। ऐसी सेना सारे आधुनिक इतिहास के समय में स्वतं-प्रता की संहारकारिणी हुई है। उसे एकम रखने वाला जो बंधन है वह सिर्फ उसके अफसरों का है और जिस की वह चाकरी करती है उस राज्यतंत्र का ही है। उसको अगर कुछ सार्थजनिक कर्तव्य का विचार हो सकता है तो मिर्फ आदा के अधीन होने का। ऐसा वल वाला राज्यतंत्र अपनी हँगैरियन सेना इटली में और इटालियन मेना हंगरी में रख कर दोनों में विदेशी विजेताओं का अत्याचारी शासन सम्बन्ध समय तक चला सकता है।

अगर यह कहा जाय कि स्वदेशी भाई के प्रति कर्तव्य और साधारण मनुष्य मात्र, के प्रति कर्तव्य में ऐसा विशाल लाक्षणिक मेद तो सभ्य की अपेक्षा जंगली मनुष्यों में अधिक सम्मव है और पूरे वल से इसका विरोध होना चाहिये तो यह विचार किसी के मन में मेरी अपेक्षा अधिक दड़ नहीं होगा; परन्तु मनुष्य-प्रथन से आजमाने लायक यह सब से योग्य उद्देश्य सम्भवता की वर्तमान स्थिति में लगभग समान यलवाली भिन्न जातियों को एक ही शासन में रखने से

भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । जनता की जंगली अवस्था में कितनी ही चार अन्तर पड़ता है । ऐसे समय देश में शान्ति यनाये रखने और आसानी से राज्यतन्त्र को भिन्न जातियों का वैर भाव शान्त रखने से शायद लाभ हो । परन्तु जब कृत्रिम बन्धन से बंधे हुए जन समूह में किसी और का स्वतंत्र तन्त्र होता है अथवा उसे पाने का अभिलाप होता है तब राज्यकर्त्ता का स्वार्थ विलकुल विरुद्ध दिशा में ही रहता है । ऐसे समय परस्पर मेल होने से रोकने और उन में से कुछ को हाथ का पिलौना बना कर याकी को गुलामी में लाने को स्वयं समर्थ होने के लिये राज्यकर्त्ता की वृत्ति उनका वैर यनाये रखने और उन में अधिक विष योने की तरफ होती है । आस्ट्रियन सरकार ने हाल के सारे जमाने में इन युक्तियों से राज्यशासन के मुख्य साधन के तौर पर काम लिया है, और (१८४८ में) विधान के हुज़ङ और हंगेरियन लड़ाई (जो १८४८ में लुईकोसथ नाम के देशभक्त ने हंगरी को स्वतन्त्र करने के लिये उठायी थी) के समय इसकी कैसी घातकारिणी सफलता हुई थी यह सारा संसार अच्छी तरह जानता है । सौभाग्य से अब उन्नति इतने आगे बढ़ने के चिन्ह दिखाती है कि इस नीति का अधिक धार सफल होना सम्भव नहीं होगा ।

ऊपर लिख कारणों से राज्यतन्त्र का विस्तार मुरायतः जातियों के विस्तार के अनुसार रहना चाहिये यह साधारणतः स्वतंत्र तंत्रों की एक आवश्यक शर्त है । परन्तु कितने ही कारणों का इस नियम के अनुभव में आड़े आना सम्भव है । प्रथम तो इस के प्रयोग में कितनी ही चार भूमि सम्बन्धी धाधा पड़ती है । युरोप के भी जो कितने विभाग हैं उन में एक ही स्थान में भिन्न भिन्न जातियाँ आकर इस तरह गहूमढ़ यस गयी हैं कि उनको भिन्न भिन्न राज्यतंत्रों के अधीन करना

असम्भव है। हंगरी में मोजरों, स्लोथकों, क्रोटों, सयों और रोमनों की वस्ती है और कितने प्रांतों में जर्मन भी हैं और ये इस तरह मिले हुए हैं कि उनका स्थान के दिसाय से विभाग करना असम्भव है। उनको दैवर्योग के अधीन होकर एक समान हक और कानून के अन्दर पक्ष रहने पर सन्तोष करने के सिया दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हंगरी की स्वतंत्रता के विनाश के साथ ही १८४८ में शुरू होनेवाली अपनी साधारण गुलामी से बे ऐसे संयोग के लिये तथ्याक होते और यचि रगते दिग्गर्द देते हैं। पूर्व प्रशिया का जर्मन संस्थान ( टापू ) प्राचीन पोलेंगड़ का एक भाग यीच में आ जाने से जर्मनी से विछुड़ गया है और वह अपनी स्वतंत्रता अलग नहीं बनाये रख सकता। इस से निवल होने के कारण आगरे भूमि विस्तार बनाये रखना हो तो या तो उन्हें जर्मन से भिन्न राज्यतन्त्र में रहना चाहिये या यीच का पोलिश प्रदेश जर्मन अधिकार में होना चाहिये। दूसरा यहां प्रदेश जिस्ट में वस्ती का प्रधान तत्व जर्मन है ( कांरलेंगड़, एसयोनिया और लियोनिया के प्रान्त ) अपनी स्थानिक स्थिति के कारण स्लेवोनियन ( रुस ) राज्य का भाग होने वाला है। पूर्व जर्मनों में वस्ती का यहां भाग स्लेवोनियनों का है, ( आस्ट्रिया के पश्चिमी प्रान्त ) योहानीमिया की मुख्य यहां नी स्लेवोनियनों की है और किसी कदर संतोषिया ( प्रशिया के अधीनस्थ प्रान्त ) और दूसरे प्रान्तों में वे हैं। कांस जो युरोप का सब से सुगठित देश है वह भी पूरा पूरा अमिथि-निदृका नहीं है; इसके सब से दूर के सीमावाले विभागों में जिन विदेशी जातियों का अंश है उनको गिनती में न लें तो भी भाषा और इतिहास से सायित होता है कि उसके दो विभाग हैं, एक भाग में लगातार सारी यहां गेले रोमनों की

है और दूसरे में फ्रांक वर्गियन और दूसरी द्यूनिक जातियों की वड़ी वस्ती है ।

भौगोलिक प्रसङ्गों के विषय में काफी छूट रखने के बाद हमारी नजर के सामने जो विचार आता है वह इसकी अपेक्षा अधिक पूर्णता से सात्विक और सामाजिक है । अनुभव से प्रमाणित होता है कि एक जाति का दूसरी में मिलकर गङ्गामढ़ हो जाना सम्भव है और वह जाति अगर मूल मनुष्य जाति की बहुत घटिया दरजे और पिछड़े हुए विभाग की होगी तो यह मिलायट उसे लाभकारी होगी । यह कोई नहीं सोच सकता कि ग्रिट्टन या फ्रैंच नवार के वास्के (फ्रांसीसियों से एक जुदी ही जाति के) लोगों को प्राचीन काल के अर्द्ध जंगली खंडहरों की तरह अपने टीलों पर भटकने और संसार के साधारण प्रवाह में भाग या स्वाद लिये विना अपने ही संकीर्ण मंडल में घूमा करने की अपेक्षा ऊँचे सुधार और शिक्षित फ्रैंच जन समाज के विचार तथा वृत्तियों के प्रवाह में मिलना—फ्रैंच जाति के अंग के तौर पर फ्रैंच नागरिक के सारे हक का एक समान उपभोग करना और फ्रैंच संलक्षण का लाभ और फ्रैंच सत्ता का मान और गौरव अनुभव करना अधिक हितकारी नहीं है । ग्रिट्टिश जनसमाज के अंग स्वरूप वेल्स के निवासियों (जो अंगरेज और स्काच से भिन्न केलिंटक जाति के हैं) और स्काटलैंड के हाइ-लेन्डरों (पर्वतवासियों) पर, भी यही विचार घटित होता है ।

भिन्न भिन्न जातियों का संमिश्रण करने में और उनके गुणों और विलक्षणताओं को एक शामिल करके उनका सामान्य संयोग कराने में जो जो विषय सहायक होते हैं वे सब मनुष्य जाति को लाभकारी होते हैं । और वे भिन्न भिन्न

नमूनों को पूरा पूरा नष्ट कर के नहीं घर्त्व उनके बेद्दद विल क्षण स्वरूपों को सामान्य घाट में लाकर और उनके थीच का अंतर भर कर। क्योंकि इन प्रसङ्गों में उनके यथोष्ट इष्टान्त तो अवश्य रहते हैं। संयुक्त जन समाज, पशुओं की मिथ्रित सन्तति की तरह ( परन्तु जो असर जारी रहता है वह जैसे शारीरिक होता है वैसे सात्त्विक भी होता है इस से उस से भी यहुत यढ़ कर ) अपने सब पूर्यजों की लालाखिक प्रछति और गुण प्राप्त करता है और इस संमिथ्रण से यह प्रछति और गुण यढ़ कर उसके मुकाबले के होने से रफते हैं। परन्तु विलक्षण अवस्थाओं का अवसर आये विना यह संमिथ्रण दोना असम्भव है। जब विविध प्रकार की मिथतियाँ पा संयोग हो जाता है तभी वह परिणाम पर असर करता है।

एक ही राज्यतंत्र के अधीन मिली हुई जानियां संख्या और यत में कभी प्रायः समान हो सकती हैं और कभी यहुत असमान। असमान होने पर उन दो में जो संख्या में छोटी होगी वह सभ्यता में यढ़ कर होगी या घट कर होगी। मान लो कि यढ़ कर है तो या तो वह अपनी श्रेष्ठता ढारा दूसरी जाति पर अधिकार प्राप्त करेगी अथवा जड़ यत में हार कर उसके अधीन हो रहेगी। यह पिछली अवस्था मनुष्य जाति के लिये पूर्ण रूप में हानिकारक है और सभ्य जगत को उसे रोकने के लिये एक शामिल होकर हथियार सजना चाहिये। ग्रीस परमेसिडोनिया की विजय ८ जैसी आफत हुनिया पर कभी न आयी होगी। फिर

के मेइडोनिया के राजा क्लियर ने इसी उन् दे ३३८ वर्ष पहले परिणिया के युद्ध में प्रीव को जीता था।

यूरोप के किसी मुख्य देश पर रूस की विजय हो, तो वैसी एक दूसरी आफत आ पड़े \* ।

जिस बहुत छोटी जाति को हमने सुधार में अव्रसर माना है वह, जैसे ग्रीक का बल अपने में मिलने से मेसिडोनिया ने एशिया को जीता अथवा अंगरेजों ने हिन्दुस्थान को जीता वैसे, बहुत बड़ी जाति को बश करने में समर्थ हो तो सभ्यता को बहुधा लाभ होता है, परन्तु इस दशा में विजेता और विजित एक ही स्वतंत्र नियमतंत्र के अधीन नहीं रह सकेंगे। कम सुधरे हुए लोगों में मिलने से विजेता का लय हो जाय तो अनर्थ हो। ऐसों पर प्रजा के तीर पर राज्य चलाना चाहिये; और उन को स्वतंत्र राज्य तंत्र तले न रखने से नुकसान होगा ऐसी अवस्था में वे आये हैं कि नहीं और जो पद्धति उनको सुधार की बहुत ऊँची अवस्था के लिये लायक बनाने वाली गिनी जाती है उस पद्धति से विजेता अपनी थेष्टुता को काम में लाते हैं कि नहीं इसके अनुसार यह स्थिति लाभदायक या भयानक निकलेगी। आगे के एक अध्याय में इस विषय की विशेष आलोचना की जायगी।

जो जाति दूसरी जाति को बश करने में सफलता पाती है वह जब सरया में सब से बड़ी और सब से अधिक उक्त होती है और खास कर के जब विजित जाति छोटी और स्वतंत्रता किर से पाने की आशा से रहित होती है तब अगर उसके ऊपर कुछ अच्छी रीति से न्याय पूर्वक राज्य

\* रूस को जिस अवस्था में देखकर यह आर्द्धका की गयी थी उस अवस्था में वह अब नहीं है। यूरोप के महाउमर ने रूस को ऐसी दुर्योगति कर दी है कि अब वह दूसरे देश तो क्या जीतेगा उसको अपने तरे सम्भालना कठिन हो रहा है।

किया जाता होगा और वहुत पलघान जाति के मनुष्य असाधारण हक हथिया कर छेप भाजन न हुए होंगे तो वह द्वारी जाति अपनी स्थिति में सन्तोष करके बड़ी में मिलतुल जायगी। इस समय किसी वास विष्टन या आलसेशियन को प्रांस से अलग होने को तनिक इच्छा नहीं है। सब आइरिश जो अभी तक इंगलैण्ड की ओर ऐसा रख नहीं रखते हैं उसका कारण यह है कि उनकी संरक्षा इन्हीं बड़ी है कि वे स्वयं एक प्रतिष्ठित जाति हो कर रहने की समर्थ है और मुरद कारण यह है कि कुछ वर्षों तक उनके ऊपर ऐसी कृतता से शासन किया जाता था कि सेफसन शासन के विरुद्ध उनका तीव्र कोप जगाने में उनकी दुष्ट वृत्तियों के साथ सारी शुभ वृत्तियां भी शामिल रहती थीं। इंगलैण्ड को लजित करने वाली और सारे साम्राज्य को आफत रूप हो पड़ने वाली रीति सब पूछो तो एक पीढ़ी से पूर्ण रूप से बन्द हुई कही जाती है। इस समय कोई आइरिश विद्युत राज्य के दूसरे किसी भाग में जन्म लेने पर जितना स्वतंत्र होता और अपने देश या व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में जितना लाभ पाना उसकी अपेक्षा कम स्वतंत्र नहीं है या कम लाभ नहीं अनुभव करता है। राज्य धर्म जो जो एक मात्र असली कष्ट आयलैण्ड पर वाकी है वह जैसे उसको है वैसे इस घड़े टापू के आधे या प्रायः आधे लोगों का भी है। ये जो दो जातियां एक दूसरे का पूरक अंग होने के लिये संसार में सब से अधिक योग्य हैं उनको विलग रखने के लिये भूतकाल का स्मरण और प्रधान धर्म (राज्य के न्यौकार किये हुए सुख्य धर्म) में भेद के मिशा दूसरा कोई कारण नहीं है। दमारे साथ समान न्याय से दी नहीं बरंच समान विवेक पूर्वक भी यत्त्वाय किया जाता है यह समझ आइरिश जाति में ऐसी तेजी से फैलती जाती है कि जो उन

के सब से निकटस्थ पड़ोसी ही नहीं घरंच पृथ्वी की सब से सुधरी और यलयान तथा सब से धनयान और स्वतंत्र जाति के हैं उनसे अलग रहने की आपेक्षा उनके नागरिक बन्धु हो कर रहने में संख्या और समर्पण में घटिया जाति को जो लाभ अवश्य करके होता है उसके विषय में लापरवाही रखने याली सारी वृत्तियां घटने लगी हैं \* ।

जहाँ जुड़ी हुई जातियां संख्या तथा प्रभाव के दूसरे तत्वों में लगभग समान होती है वहाँ उनके समिथण के मार्ग में धास्तव में सब से भारी गकावटें पड़ती हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक जाति अपने बल पर विश्वास रख कर तथा वेह स्वयं किसी दूसरी जाति से समान युद्ध करने को समर्थ है यद समझ फर वसमें मिलने से नाखुश होती है; इस भेद को बढ़ाने के लिये उठे हुए रिवाज और नष्ट होती हुई भाषाएं भी ताजा की जाती हैं; जब प्रतिद्वन्द्वी जाति के हाकिम उनकी सीमा में दुर्कृमत चलाते हैं तो हर एक जाति अपनै पर छुलम छुआ समझती है; और जो कुछ वस्तु प्रतिद्वन्द्वी जातियों में से एकाधकोदी जाती है वह शेष जातियों के हाथ से छीनी हुई कही जाती है। जब इस प्रकार यद्युपी हुई जातियां किसी निरंकुश राज्यतंत्र के अधीन होती हैं और वह राज्यतंत्र उन सब जातियों से भिन्न प्रकार का होता है अथवा उनमें से एकाध से उत्पन्न होने पर भी कुछ भी राष्ट्रीय भाष्य न रख कर अपनी हुकूमत का अधिक विचार रखता है और किसी एक जाति को कुछ विशेष हक नहीं देता, घरंच सब जातियों में से समान भाव से अपना साधन प्रसन्न करता है तब कुछ जमाने में और

\* किर भी अब आयलैण्ड स्वराज्य मांग रहा है और ब्रिटिश गवर्नेंट उसे देने को तयार हो रही है।

शासकरके जय वे जातियाँ एक ही प्रदेश में पसरी हुई होती हैं तथ उनकी समाज स्थिति होने से उनमें बहुधा समझाव उत्पन्न होता है और भिन्न भिन्न जातियाँ एक दूसरी को स्वदेशी यन्हु समझने लगती हैं। परन्तु जहाँ ऐसी एक रूपता होने के पहले स्वतंत्र राज्यतंत्र का अभिलाप करने का समय आया कि इस संमिश्रण का प्रसङ्ग गया समझना। उस समय से अगर ये अमिथित जातियाँ भौगोलिक व्यवस्था में एक दूसरे से अलग हो और शासकरके जय उनकी स्थानिक स्थिति ऐसी हो कि उनको (फ्रैंच या जर्मनी की सत्ता तले इटालियन प्रान्त की तरद्द) एक ही राज्यतंत्र तले रहने में कुछ स्वाभाविक योग्यता या अनुकूलता न हो तो सम्पूर्ण सम्बन्ध जोड़ने में युली नीति है इतना ही नहीं वरंच अगर स्वतंत्रता या सुलह शान्ति दो में से एक दरकार हो तो वैसा करने के लिये आवश्यकता भी है। ऐसा प्रसङ्ग भी होता है कि प्रान्त अलग होने के बाद शायद माएडलिक वन्धन से संयुक्त रहने में लाभ हो परन्तु साधारणतः ऐसा होता है कि यद्यपि वे प्रान्त अपनी सम्पूर्ण राज्यतंत्रता का एक छोड़ कर माएडलिक संयोग का अंग होने को राजी होते हैं तो भी उनमें से प्रत्येक को अपने किसी दूसरे ग़ड़ोसी के साथ साधारण सहानुभूति और कभी कभी एक स्वार्थ होने के कारण सम्बन्ध जोड़ने की अधिक चुचि होती है।

—८८—

### सत्रहवाँ अध्याय ।

संयुक्त प्रतिनिधि शासन के विषय में ।

मनुष्य जाति के जिन विभागों में संयुक्त राज्यतंत्र के अधीन रहने की योग्यता या वृत्ति न हो उनको बहुधा विदेशियों से व्यवहार करने के विषय में राज्य-संयोग में शामिल होने से

लाभ हो सकता है; क्योंकि पेसा करने से जिस तरह ओपस की लड़ाइयां रुकती हैं उसी तरह बलधान राज्यों के आक्रमण से वचने का अधिक प्रभावशाली साधन मिलता है।

राज्य संयोग अभीष्ट हो तो उसके लिये कई शर्तों की जरूरत है। एक यह कि भिन्न भिन्न वस्तियों में यथेष्ट रूप से परस्पर सहानुभूति होनी चाहिये। राज्य संयोग से वे लोग हमेशा एक पक्ष पर लड़ने को वाच्य होते हैं और अगर उनमें पेसी वृत्तियाँ हैं अथवा ऐसा वृत्ति विरोध हो कि वे बहुत करके एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष में लड़ना एसन्द करें तो इस संयोग (मिलाप) वन्धन का लम्बी मुद्दत रहना तक अथवा जब तक दिके तथा तक अच्छी तरह माना जाना सम्भव नहीं है। इस उद्देश्य के उपयुक्त सहानुभूति जाति, भाषा और धर्म सम्बन्धी और खास करके राजनीतिक सम्बन्धी है; क्योंकि इससे राजनीतिक स्वार्थ की एकता की वृत्ति सब से अधिक दरजे तक उत्पन्न होती है। जहाँ कुछ स्वतंत्र राज्य, जो अपना अलग अलग वचाव स्वयं करने वो असमर्थ होते हैं वे सब और से लड़ाकू या चक्रवर्ती राजाओं से विरो होते हैं, घहाँ उनको अपनी स्वतंत्रता और उसमें मौजूद सुख की रक्षा करने के लिये राज्य-संयोग के सिवा और कोई उपाय सम्भव नहीं है। जब सारे युरोप में अचल राजनीतिक वैर का प्रबल कारण धर्म था तथा भी, अपने में धर्मभेद ही नहीं, घरंच संयोग के गठन में भी भारी त्रुटि होने पर भी स्वीजरलेएड में इस कारण से उत्पन्न हुआ सामान्य स्वार्थ कुछ सदी तक राज्य संयोग का वन्धन प्रभावशाली बनाये रखने के लिये यथेष्ट मालूम हुआ है। अमेरिका में जहाँ केवल गुलामी के सब से आवश्यक विषय में ही नियमभेद की एक मात्र रुकावट के सिवा राज्य-संयोग बनाये रखने के लिये सारी शृंत मौजूद थीं घहाँ इस एक

भेद ने राज्य संयोग के दो विभागों की पारस्परिक सहानुभूति को एक दूसरे से यहाँ तक अलग कर दिया है कि जो बन्धन उन दोनों के लिये इतना मूल्यवान है वह सावित रहेगा कि दूटेगा इसका निर्णय एक दृढ़ीले अंतर्विप्रह के परिणाम से होंगा ॥ ।

संयुक्त राज्यतंत्र की स्थापिता की दूसरी शर्त यह है कि पृथक् पृथक् राज्य विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिये अपने ही बल पर भरोसा रख सकें इतने बलवान न होने चाहियें । अगर वे होंगे तो यह सोचने लगेंगे कि दूसरों से मेल करने में उनको अपने क्रियास्वातंत्र्य के विषय में जो त्याग करना पड़ता है उसका बदला नहीं मिलता; और इससे जब राज्य-संयोग की सत्ता तले छोड़े हुए विषयों में संयोग की नीति किसी पृथक् राज्य की इच्छा से भिन्न होगी तो संयोग स्थायी रूपने की यथेष्ट उत्कंठा के अभाव से घर्गीय अंत-भेद ढारा उसके दूट जाने तक की नौपत आने का भय रहेगा ।

तीसरी शर्त, जो पहली दो से कम आवश्यक नहीं है, ऐसी है कि मेल करने वाले भिन्न राज्यों में बल की बहुत प्रत्यक्ष असमानता नहीं चाहिये । वे साभत में तो येशुक एक समान नहीं हो सकते; सब राज्य-संयोगों के अंगों में बल कमो-येशुहोगा; कितने ही दूसरों की अपेक्षा अधिक पस्ती वाले भनवान और सभ्य होंगे । न्यूयार्क और रोड ट्रापू के बीच में तथा यन्म और जुग या ग्लैरिस के बीच में धन और जन का विशाल भेद है । आवश्यकता इतनी ही है कि उनमें से एकाध राज्य दूसरे से इतना अधिक बलवान न होना चाहिये कि वह बहुतों के साथ अपने बल की परीक्षा करने को समर्थ

की १८६१-१८६५ का अमेरिकन एट युद्ध जिसका अंत उत्तर के राज्यों की विजय और गुलामी बन्द होने से हुआ ।

हो । ऐसा कोई और यह भी एक ही होगा तो यह सब सम्मिलित परामर्शों में अपना प्रायत्यरय रखने का आग्रह करेगा; दो होंगे तो वे जब एकमत होंगे तब अरोध्य हो जायेंगे और फुट मत होंगे तब उन दोनों में प्रबल युद्ध चल जायगा और उसके परिणाम से प्रत्येक विषय का नियटेरा होंगा । जर्मन बंड ( जर्मन राज्यों के संयोग ) को तुच्छ भीतरी धन्धन न गिनें तो भी उसको प्रायः शन्य समान बना डालने के लिये एक यही कारण घस है । इससे राज्य-संयोग का फुट्र भी वास्तविक उद्देश्य नहीं सधता । इससे जर्मनी को साधारण चुंगी की पद्धति नहीं मिली है इतना ही नहीं बरंच सामान्य सिद्धा भी एक समान कभी नहीं मिला; इतना ही हुआ है कि आस्ट्रिया और प्रशिया स्थानिक राज्यकर्त्ताओं को अपनी प्रजा को निरंकुश राज्य के बश में रखने में मदद कर सकें इसके लिये उन्हें अपनी सेना भेजने का कानून के रूप से एक मिला है । याहरी विषयों के सम्बन्ध में तो इस धन्धन के परिणाम से सारा जर्मनी आगर आस्ट्रिया न हो तो प्रशिया के और प्रशिया न हो तो आस्ट्रिया के बश हो रहे; और इस बीच में प्रत्येक छोटे राजा को एक या दूसरे का पक्षकार हो रहने अथवा विदेशी राज्यों के साथ दोनों के विपक्ष गुट रचने के सिवा दूसरा रास्ता खोड़े ही है ।

राज्यसंयोग का गठन करने की दो भिन्न भिन्न पहलियाँ हैं । राज्यसंयोग के अधिकारी अफसर या तो सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधि हों और इससे उनके लूत्य एक प्रकार राज्यों के ही धन्धनकारी हो सकते हैं, अथवा उनको ऐसी सत्ता हो कि वे पृथक् गृथक् नागरिकों के धन्धन रूप होनेयाले कानून यना सकें और इस किस्म के हुफ्म निकाल सकें । जर्मनी के उक्त राज्यसंयोग की और १८४७ से पहले के स्वीजरलैण्ड के

राज्यतन्त्र की व्यवस्था पहली पद्धति के अनुसार है। अमेरिका में भी स्वतन्त्रता के विप्रद के बाद कुछ घर्षों तक यह पद्धति आजमायी गयी थी। संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) का वर्तमान गठन दूसरी पद्धति पर है और स्वीलरलेएड के राज्यसंयोग ने गत वारद घर्षों से यह पद्धति स्वीकार की है। अमेरिकन राज्यसंयोग की संयुक्त राज्यसभा प्रत्येक पृथक् राज्य के राज्यतंत्र का सार भाग है। वह अपने कर्तव्यों की सीमा में रहकर जो जो कानून चलाती है उसे प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ता है; वह अपने द्वाकिमों की मार्फत उसे चलाती है और अपनी अदालतों की मार्फत अमल में लाती है। सचमुच सबल राज्यसंयोग स्थापन कर सकते हैं ऐसा नियमतों यही मालूम हुआ है या कभी मालूम हो सकता है। केवल राज्यतन्त्रों का संयोग तो मिश्रता मात्र है और वह मिश्रता में यल्ल डाल सकनेवाले सब मिश्रों की सत्ता के बश रहती है। राष्ट्रपति और राज्यसभा के कानून सिर्फ न्यूयार्क, वर जिनियाया पेन्सिलिवेनिया के राज्यतन्त्र पर ही वंधतकारी होते और वे राज्यतंत्र अपने नियुक्त किये हुए द्वाकिमों पर निकाले हुए हुक्म की मार्फत ही और अपनी ही न्याय सभाओं के सामने जयावदेही की भौकों से अमल में ला सकते तो संयुक्त राज्यतन्त्रों का जो हुक्म स्थानिक व्युत्तमत की नापसन्द होता वह कभी अमल में न लाया जाता। राज्यतन्त्रों पर की हुई फरमा-इयों मंजूर कराने के लिये लड़ाई के सिवा दूसरी जिम्मेदारी या उपाय नहीं है; प्रत्येक अड़े हुए राज्य से राज्यसंयोग को अपने हुक्म की तामील कराने के लिये अपनी सेना दमेशा तव्यार रगनी पड़ती; और इसके साथ वह भी सम्मिल रहता कि जो दूसरे राज्य इस हुक्मद्वारे राज्य से सहानुभूति रखते और कभी कभी विवादमूल्क विषय में उसी के

ऐसा विचार रखते हे शायद उक्त सामना करनेवाले राज्य की सेना की सहायता को अपनी सेना भेजने की सीमा तक न जाते तो भी उसे रोक तो रखते ही । ऐसे राज्यसंयोग का अन्तर्विंग्रह रोकने के बदले उसका कारण हो जाना अधिक सम्भव है; और १८४७ ईस्वी के निकट के घर्षों की घटनाओं तक स्वीजरलैण्ड में उसका ऐसा कुछ परिणाम न होने का कारण यह है कि संयुक्त राज्यतंत्र को अपनी इस कमज़ोरी का इतना दड़ विश्वास था कि वह वास्तव में हुक्म चलाने का प्रयत्न मुश्किल से करता । अमेरिका में इस नियम पर की हुई राज्यसंयोग की आजमाहश उसके अस्तित्व के प्रथम कुछ घर्षों में ही निष्फल हुई; परन्तु सौभाग्य से जिन महान शान और प्रतिष्ठित सत्ता वाले महापुरुषों ने यह स्वतन्त्र जन सत्ताक राज्य स्थापित किया था वे उसको इस कठिन अवस्था से सही सलामत पार उतारने को उस समय तक विद्यमान थे । नये राज्य-संयोग को अभी राष्ट्रीय सम्मति लेनी थी, इस बीच में उसके समर्थन और स्पष्टीकरण के लिये उनमें से तीन महापुरुषों के लिखे हुए “राज्यसंयोगी” नामक पत्रों का संग्रह \* अब भी राज्यसंयोग के विषय में हमारे पास के सब नियन्धों में सब से बढ़कर शिक्षाप्रद है । जर्मनी के बहुत अपूर्ण राज्य-संयोग ने मेल बनाये रखने का उद्देश्य भी सिद्ध नहीं किया, यह सब को मालूम है । इससे

\* मि० कीमेन कृत “संयुक्त राज्यतंत्रों का इतिहास” जिसका अभी एक प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है, उससे इस विषय के खालित में वास्तविक युद्ध हुई है और वह जितना अपने शुद्ध मूल-तत्त्व के लिये मूल्यवान है उतना ही अपने ऐतिहासिक वृत्तान्त की उत्त्यता के लिये । ग्रन्थकार

किसी मुरोपियन विप्रह में संयोग के अलग अलग राज्य विदेशी सत्ताओं से मिल कर वाकी राज्यों का सामना करने से कभी नहीं रुके। परन्तु राजसत्ताक राज्यों में तो यह एक ही तरह का संयोग सम्भव दियलाई देता है। राजा जो सत्ता रखता है वह साँपी हुई नहीं चरंच उच्चराधिकार में मिली हुई होती है और वह जैसे उसके पास से नहीं ली जा सकती वैसे उसे फाम में लाने के लिये राजा को किसी के सामने जायावदेह नहीं थना सकते। इससे यह यात असम्भव है कि यह अपनी अलग सेना रखने का हक छोड़ दे या दूसरी सत्ता उसकी प्रजा पर दसकी मार्फत नहीं चरंच याला याला सर्वोपरि अधिकार चलाये तो वह सहे। राज सत्ता के अधीनस्थ दो तीन देशों को सबल राज्य संयोग में छुड़ने के लिये यह आवश्यक चातहुँ कि वे एक ही राजा के हाथ में हों। इंगलॉण्ड और म्झाटलेंगड़ के राजपद और पार्लमेंट के सम्मिलन के बीच की कोई एक सदी तक (१६०३—१७०९) उनमें इस प्रकार का संयोग था। यह संयोग भी जो सबल था वह संयोग सम्बन्धी नियमों से नहीं क्योंकि वेसे नियम ये ही नहीं, चरंच उस समय के बड़े भाग की अवधि में दोनों राज्य-तंत्रों के अन्दर राजा की सत्ता प्रायः पेसुी सम्पूर्ण थी कि दोनों की परराष्ट्र सम्बन्धी राज्यनीति एक पुण्य के स्वतंत्र विचार के अनुसार चलनी थी।

राज्य-संयोग की जिस अधिक पूर्ण पद्धति में प्रत्येक पृथक् राज्य के प्रत्येक नागरिक को दो राज्य तंत्रों की—एक अपने राज्य तंत्र की और दूसरे राज्य संयोग की—आधारमाननी होती है उसमें स्थगृतया आवश्यक है कि प्रत्येक के राज्यनीतिक अधिकार की सीमा यास और स्पष्ट रूप से नियन हो; इतना ही नहीं चरंच किसी विद्यादप्रस्त विषय में

दो राज्यों में निर्णय फरने की सत्ता दो में से एक के हाथ या उसके किसी अधीनस्थ हाकिम के हाथ में न रहकर दोनों से स्वतंत्र किसी मध्यस्थ के हाथ में रहनी चाहिये। राज्यसंयोग के प्रत्येक राज्य में सदर अदालत और उसके अधीन छोटी अदालत होनी चाहिये कि जिससे पंसे प्रश्न उनके सामने पेश किये जायें तथा इन प्रश्नों के अन्तिम पुनरवलोकन के समय वे जो कैसला बारे यह अन्तिम माना जाय। राज्य संयोग के प्रत्येक राज्य के ऊपर—स्वयं संयुक्त राज्यतंत्र के ऊपर भी तथा प्रत्येक के हर एक अफसर पर अपने अधिकार का उल्लंघन करने के लिये अपवा राज्य-संयोग के प्रति अपना कर्तव्य पालने में मुठिये फरने के लिये मुकदमा चलाने का अधिकार इन अदालतों को होना चाहिये और उनको अपना राज्य संयोग सम्बन्धी हक अमल में ताने के लिये भी साधारण तौर पर इन्हीं अदालतों का साधन व्यवहार करने का कर्तव्य रखना चाहिये। इस स्थिति में जो विलक्षण परिणाम घुसा हुआ है और जो युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य) में प्रत्यक्ष रीति पर अनुभव-सिद्ध हुआ है वह यह है कि संयुक्त राज्य-तंत्र का सर्वोपरि धर्मासन जो न्यायसभा है वह राज्यसंयोग या माइडलिंक राज्य—प्रत्येक के राज्यतंत्र पर सर्वोपरि धनी रहती है; क्योंकि राज्यतंत्रों के यनाये हुए कानून या किये हुए काम राज्यसंयोग के गठन से मिली हुई सत्ता का उल्लंघन करते हैं और इसके लिये उनका कुछ नियमबद्ध अधिकार नहीं है यह निर्णय जताने का उस सभा को हक है। आजमाइश होने से पहले स्वाभाविक तौर पर यह दह सन्देह उठता है कि यह प्रबन्ध कैसे चलेगा; अदालत अपनी कानूनी सत्ता का अमल करने की हिम्मत रखेगी कि नहीं, अगर रखेगी तो चतुराई से उसको अमल में लावेगी कि नहीं और राज्यतंत्र उसके

फैसले के सामने शान्त भाव से सिर मुकाना स्वीकार करेगा कि नहीं। अमेरिकन राज्य-तंत्र का अन्तिम स्वीकार होने से पहले उपर चली हुई चर्चा से साधित होता है कि ऐसा स्वाभाविक सन्देह बहुत जोरों से उठा था परन्तु अब यह विलक्षण शान्त हो गया है, फूँयोंकि इसके बाद जो दो पीढ़ियों से अधिक समय बीत गया है उसकी अवधि में यद्यपि संयुक्त और पृथक् राज्यतंत्रों की सत्ता की सीमा के सम्बन्ध में बहुत कड़ी तकरार चली है और पक्षापक्ष के लिये हथियार ढप हो गयी थी तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इस सन्देह को सच साधित करे। जैसा कि म० टॉकिवल टीका करते हैं, ऐसी विलक्षण अवस्था के ऐसे परम लाभदायक प्रबन्ध का मूल बहुत अंश में न्यायसभा में अपनी स्थिति छारा मौजूद एक सासियत में है; अर्थात् यह जिस कानून का खुलासा करती है यह सिर्फ़ कानून के रूप से और फैवल तत्व विचार से नहीं करती; परन्तु जब तक भगड़े का मुकद्दमा मनुष्य मनुष्य में नहीं उटता है और इन्साफ के लिये उसके सामने पेश नहीं होता है तब तक यह राह देखा करती है; और उसका हित-कारी परिणाम यह निकलता है कि फैसला विचार की बहुत आरम्भिक अवस्था में नहीं किया जाता; फैसला निकलने से पहले साधारण तौर पर बहुत लोक चर्चा हुई रहती है; न्यायसभा दोनों और के प्रतिष्ठित वकीलों द्वारा, विचादग्रस्त विषय पर, की हुई यहसुनने के बाद अपना फैसला सुनाती है; विचादग्रस्त विषय का जिस समय, जितना भाग अपने सामने के मुकद्दमे से सम्बन्ध रखता है उतने ही भाग पर—उस समय फैसला करती है। और यह किसी राजनीतिक उद्देश्य से आप से आप प्रगट नहीं किया

ज्ञाता, घरंच घादी प्रतिवादी में निष्पक्ष न्याय करने का उसका जो कर्तव्य है और जिसके पालने से वह इनकार नहीं कर सकती वह कर्तव्य उससे कराता है। इतने पर भी इस ऊँची अदालत में वैठने वाले न्यायाधीशों की सिर्फ मानसिक योग्यता पर नहीं, घरंच व्यक्तिगत या वर्गीय प्रत्येक प्रकार के पक्षपात के विषय में उनकी सम्पूर्ण निष्पृहता पर भी जो पूरा पूरा विश्वास है वह अगर न दोता तो राज्यतंत्र के गठन के भाग्यार्थ के विषय में सदर अदालत के फैसले के सामने सब सत्ताओं ने जो प्रतिष्ठा पूर्वक अधीनता दियायी है वैसी वृत्ति उत्पन्न करने के लिये विश्वास के ये फारण भी यथेष्ट न हुए होते। यह विश्वास मुख्य करके सकारण साधित हुआ है; परन्तु इस महान सार्वजनिक तंत्र की योग्यता में विगाड़ पैदा करने का जिसमें सब से दूर का भी रुख हो उस प्रत्येक विषय में सब से अधिक साधारणी रखकर चेतते रहने की अपेक्षा अमेरिकन जनसमाज के लिये दूसरी कोई भीतरी आवश्यक यात नहीं है। जिस विश्वास पर संयुक्त राज्यतंत्र की स्थापिता का भरोसा है उसको सब से पहला धक्का एक फैसले ने दिया था और उसमें यह सिद्ध किया गया था कि गुलामी एक साधारण एक का विषय है और इससे जो प्रदेश जब तक राज्यरूप से व्यवस्थित न हुआ हो उसमें तब तक उसके निवासियों के बड़े भाग की इच्छा के विरुद्ध भी वह कानून के रूप से है। और सब की अपेक्षा शायद यह प्रत्यात फैसला पक्षापक्ष भेद को बिलकुल—अंतर्विद्युत का परिणाम उपजाने वाली अनी पर ला रखने में अधिक साधनभूत हो पड़ा है। अमेरिकन राज्यतंत्र का आधार-स्तम्भ शायद इतना मजबूत नहीं है कि ऐसे दूसरे व्यक्ति से धक्के सह सके।

‘ जो अदालतें संयुक्त और पृथक् राज्यतंत्रों के बीच में

होने का भरोसा होता है। फिर जब डाक की चिट्ठियाँ को भिन्न भिन्न धरिष्ठु सच्चाओं के अधीनस्थ सरकारी अफसरों के पांच छः दलों के हाथ में होकर जाती हैं तब पन्नव्यवहार की सलामती और फुरती में वाधा पड़ती है और खर्च भी बढ़ जाता है। इस से सब डाकघरों का संयुक्त राज्यतंत्र की सत्ता के अधीन होना सुविधाजनक है। परन्तु इन प्रश्नों के विषय में भिन्न भिन्न जातियाँ का भिन्न भिन्न भाव होना सम्भव है। "राज्यसंयोगी" के कर्त्ताओं के बाद अमेरिकन राज्यनीति के विषय में जो राजनीतिक सिद्धान्त वादी प्रसिद्ध हुए हैं उनमें जिसने सब से थ्रेष्ट शक्तिदिक्षायी है उस एक पुरुष (मिल काल्हन जो सन् १८१८ में युनाइटेड स्टेट्स में राज्यमंत्री थे) के नेतृत्व में अमेरिका के एक माण्डलिक राज्य ने संयुक्त राज्यसभा के चुंगी सम्बन्धी कानून के बारे में प्रत्येक माण्डलिक राज्य को नामंजूर करने का एक मिलने का दावा किया है और इस राजनीतिक पुरुष का जो एक महा प्रभावशाली ग्रन्थ उसके मरने पर दक्षिण केरोलीना की माण्डलिक सभा ने प्रकाशित करके खूब प्रचारित किया है उसमें उसने इस दावेका वास्तविक कारण बहुमत के जुलम की हद वांधने और छोटे पक्षों को राज्यनीतिक सत्ता में असली भाग देकर उसकी रक्षा करने का सामान्य मूल तत्व बताया है। इस शताब्दी के प्रथम भाग में अमेरिकन राज्यनीति सम्बन्धी एक सब से विवादग्रस्त विषय यह था कि संयुक्त राज्यतंत्र को राज्य संयोग के रर्च से रास्ते और नहरें बनाने का अधिकार होना चाहिये या नहीं और वह राज्यतंत्र के गठन के अनुसार है या नहीं। संयुक्त राज्यतंत्र की सत्ता जो अवश्य करके सम्पूर्ण है वह सिर्फ विदेशी सच्चाओं के साथ व्यवहार करने

के सम्बन्ध में ही। दूसरे विषयों में तो इस प्रश्न पर नियटेरा रह जाता है कि साधारण जनसमाज संयुक्त जनसमाज का लाभ अधिक पूर्णता से भोगने के लिये राज्य संयोग का बन्धन कितना कड़ा करना चाहता है और अपने स्थानिक क्रिया स्वातंत्र्य का कितना भाग उसे साँप देने को राजी है।

संयुक्त राज्यतंत्र की योग्य अन्तर्व्यवस्था के विषय में यहुत कहने की जरूरत नहीं है। इसमें अवश्य ही एक कानून बनाने वाली और एक कार्य कारिणी शामा होनी चाहिये और उनमें से प्रत्येक के गठन पर साधारण प्रतिनिधि सभा के ऐसा ही नियम लागू पड़ता है। इस नियम को संयुक्त राज्यतंत्र के अनुकूल बनाने में अमेरिकन राज्यतंत्रों की व्यवस्था पद्धति यहुत ही न्याय पूर्यक की गयी है और वह ऐसी है कि साम्राज्य सभा (कांग्रेस) में दो मण्डल हैं। और जहाँ उनमें से एक में प्रत्येक माण्डलिक राज्य को अपने अधिवासियों के परिमाण से प्रतिनिधि छुन भेजने का हक देकर उसका गठन बस्ती के अनुकूल रखा है, वहाँ दूसरे में नागरिकों की तरफ से नहीं, वरचं राज्यतंत्रों की तरफ से प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रबन्ध रखा है और उसमें यहुत या छोटा हर एक माण्डलिक राज्य एक समान प्रतिनिधि भेजता है। यह प्रबन्ध यहुत बलवान माण्डलिक राज्यों को दूसरों पर अनुचित अधिकार चलाने से रोकता है और कोई कानून केवल नागरिकों के नहीं वरचं माण्डलिक राज्यों के भी यहुमत से पसन्द किये विना, प्रतिनिधि पद्धति से जहाँ तक यन पड़े, साम्राज्य सभा में मंजूर होने से रोक कर माण्डलिक राज्यों के नामंजूरी के हक की जमानत देता है। दो में से एक सभा की योग्यता का दरजा यढ़कर होने से जो दूसरा ग्रांसिगिक लाभ होता है उसकी तरफ में ने पहले

ध्यान दिया है। संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) की वृद्ध सभा (सीनेट) को भिन्न भिन्न मार्गिलिक राज्यों की कानून सभाएँ रूपी निर्वाचित मण्डल नियत करते हैं और पहले यताये हुए कारणों से कानून सभाओं की पसन्द किसी तरह के लोक निर्वाचित की अपेक्षा उत्कृष्ट मनुष्यों पर पड़ना अधिक सम्भव है—सार्वजनिक परामर्श में उनके मार्गिलिक राज्यों के प्रभाव का मुख्य आधार अपने प्रतिनिधि की प्रतिष्ठा और बुद्धि पर होने के कारण उसको ऐसे पुरुष पसन्द करने की शक्ति ही नहीं, सबल हेतु भी होता है। इससे संयुक्त राज्यों की इस प्रकार चुनी हुई वृद्ध सभा में हमेशा उनके प्रायः सब प्रतिष्ठित और ऊंची ख्याति वाले राजनीतिक पुरुष आ जाते हैं; फिर भी समर्थ अवलोकनकर्त्ताओं के अभिप्राय के अनुसार ऐसा है कि साम्राज्य सभा की ऊपरधाली सभा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत योग्यता की विद्यमानता के लिये जितनी प्रख्यात है उतनी ही नीचे घाली सभा वैसी योग्यता के अभाव के लिये है।

जब सबल और स्थायी राज्य संयोग करने के लिये उचित शर्तें मौजूद होती हैं, तब उनकी संख्या बढ़ने से संसार को सदा लाभ होता है। संयुक्त व्यवहार-प्रणाली के दूसरे किसी विस्तार की तरह इस का भी वैसा ही शुभ असर होता है; क्योंकि इस से जो निर्वल होता है वह संयुक्त हो कर वलयान के साथ धरावरी कर सकता है। इस लिये छोटे छोटे और इस कारण से अपना वचाव करने को असमर्थ राज्यों की संख्या घट जाने से प्रत्यक्ष हथियार द्वारा अथवा अधिक प्रभाव की धारा द्वारा राज्य बढ़ाने की राज्यनीति का लालच देता है। इससे अवश्य ही लड़ाई और साम प्रपंचों का और बहुत करके संयोग में जुड़े हुए राज्यों के बीच व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों का भी अन्त हुआ है; और पड़ोसों के राष्ट्रों के

सम्बन्ध में कहें तो इससे जो अधिक सैन्ययल प्राप्त होता है यह इस किस्म का है [कि प्रायः अपना पचाव करने के काम में ही उपयोगी होता है, दूसरे पर चढ़ाई करने में तो शायद ही मददगार होता है । संयुक्त राज्यतंत्र की सत्ता इस कदर एकहस्तयानहीं हुई रहती कि वह आत्मरक्षा के सिधा दूसरी कोई लड़ाई रूप जोर शोर से चला सके या उसमें प्रत्येक नागरिक की तरफ से अपनी इच्छा से मदद मिलने की आशा रख सके । किर लड़ाई में विजय होने से केवल राज्य संयोग में ग्रजा या नागरिक बन्हु भी नहीं, घरंच नया और कदाचित् कष्टदायक स्वतंत्र अंग ही जुहने से उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वह सार्वजनिक अभिमान या महत्त्वाभिलाप को लुभाये । अमेरिकनों की मैन्सिसको में चलायी हुई लड़ाई को केवल अपवाद रूप समझना चाहिये, क्योंकि अमेरिकनों की जो प्रवासी प्रकृति उनको उजाड़ प्रदेश कठजा करने को उकसानी है उसके प्रमाण से कुछ स्वेच्छा सेनिकों ने ही मुर्य फरके यह लड़ाई छेड़ी थी; और उनको उकसाने याला जो कुछ सार्वजिक उद्देश्य था वह उस राज्य के विस्तार का नहीं घरंच गुलामी फैलाने का केवल वर्गीय उद्देश्य था । केवल राज्य यहाँने की प्रातिर राज्य यहाँने के अभिलाप का अमेरिकनों पर कुछ यहुत प्रमाण हो ऐसा चिन्ह तो उनके राष्ट्रीय या व्यक्तिगत व्यवहार में कम ही दिखाई देता है । उनकी क्यू़ा के लिये उत्कलेठा भी ऐसी ही वर्गीय है और उत्तर के जो मारेडलिक राज्य गुलामी के विरुद्ध हैं उन्होंने कभी उस तरफ की वृत्ति किसी तरह नहीं दिखायी है ।

किसी समय ऐसा प्रश्न उठ सकता है ( जैसा कि इटली के वर्तमान घट्यान में है ) कि जिस देश ने संयुक्त होने को निश्चय किया हो उसको सम्पूर्ण रूप से शामिल करें या केवल

राज्यसंयोग में ही—राज्यकार्य के सम्बन्ध में ही शामिल करें। इस प्रश्न का निर्णय कितनी ही बार अवश्य करके सारे संयुक्त देश के भूमि विस्तार के ऊपर से होता है; निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त भूमि विस्तार पर राज्य नहीं चलाया जा सकता अथवा एक ही केन्द्रस्थल से राज्य प्रबन्ध पर सुवीते से निगरानी भी नहीं रखी जा सकती। ऐसे एक प्रबन्ध घाले यहुतेरे विशाल देश हैं; परन्तु साधारण तौर पर उनका प्रबन्ध अथवा यास करके उनके दूर के प्रान्तों का प्रबन्ध ऐसा खराब चलता है कि ऐद होता है; और यहाँ के निवासी अगर लगभग जंगली जैसे हों तभी वे अपना प्रबन्ध इससे उत्तम रीति पर अलग नहीं चला सकते। इटली के विषय में यह रुफावट भौजूद नहीं है; क्योंकि भूत और धर्तमान काल में यहुत अच्छी तरह से चले हुए कितने ही राज्यों के इतना उसका आकार नहीं है। तब प्रश्न यह है कि राष्ट्र के भिन्न भिन्न विभाग जिस जिस रीति का राज्यप्रबन्ध चाहते हैं वह क्या तत्वतः ऐसा भिन्न है कि एक ही कानून सभा और एक ही मंत्री दल या शासन मण्डल का सबको सन्तुष्ट करना असम्भव हो जायगा? अगर ऐसा न हो (और यह प्रत्यक्ष प्रमाण की यात है) तो उनको सम्पूर्ण संयुक्त करना यहुत अच्छा है। इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड के दृष्टान्त से साधित हुआ है कि एक ही देश के दो विभागों में विलक्षुल भिन्न कानून की प्रणाली और यहुत भिन्न प्रबन्ध विभाग होने पर भी एक कानून सभा रखने में यादा नहीं पड़ती। फिर भी जहाँ कानून याने यालों पर समानता की सनक अधिक सवार हो (और यह भी ऐसा होना सम्भव है) उस देशमें एक ही संयुक्त कानून सभा की सत्ता तले 'कानून की दो जुदी जुदी प्रणालियाँ विना जोखिम के सम्मिलित भाव से ऐसी उत्तम

रीति पर यन्हीं रहे अथवा उनके थने रहने का उतना ही भरोसा रहे और यह समां भी देश के दो विभागों के लिये मूल भेद के अनुकूल आनंदोग्य अलग अलग कानून बनाती रहे यह कभी सम्भव नहीं है। जिस जिस प्रकार की अनियमितता जिसके जिसके स्वार्थ में सम्बन्ध रखती हो उसको जब तक यह दुःखदायी न लगे तब तक इस प्रकार की प्रत्येक अनियमितता के प्रति वेदद निष्पृहता रहना जो इस देश के जनसमाज का लक्षण है उसके कारण यह इस मुश्किल आजमाइश को आजमाने के लिये एक असाधरण रीति पर अनुकूल स्थान हो गया था। पहुत से देशों में अगर कानून की मिश्र मिश्र पद्धतियाँ यताये रखने का ही उद्देश्य हों तो शायद उनकी संरक्षा के लिये मिश्र मिश्र कानून समाएं रखने की ज़रूरत पड़ेगी; और यह व्यवस्था जनमण्डल के सब विभागों के बाहरी सम्बन्ध पर मध्योपरि सच्चा रखने याली राजा सहित पार्लीमेंट या राजा रहित पार्लीमेंट के अस्तित्व के किसी प्रकार प्रतिफूल नहीं है।

जब मिश्र मिश्र ग्रान्टों में मिश्र मिश्र मूल तत्वों के आधार पर रची हुई मिश्र मिश्र न्यायप्रणालियाँ और आधारभूत तंत्र कायम रखने की ज़रूरत न ज़ंचे तब राज्यतंत्र का पैक्य यताये रखने के माय छोटे छोटे मेंदों का समाधान होमेशा किया जा सकता है। सिफ़ इतनी ज़रूरत है कि स्थानिक सच्चाओं के अधिकार की सीमा का उचित रीति से ग्रूप विस्तार किया जाय। एक ही भार्यमिक राज्यतंत्र की सच्चा तरों स्थानिक कायों के लिये स्थानिक लाट और प्रान्त सभाएं हो सकनी हैं। उष्णान्त के तौर पर, कभी कभी ऐसा होता है कि मिश्र मिश्र ग्रान्टों के लोगों को मिश्र मिश्र कर पद्धति पसन्द होती है। अगर सार्वजनिक राज्यतंत्र कर की सामान्य पद्धति में प्रत्येक प्रान्त

के अनुकूल फेर बदल उस प्रान्त के सभासदों के यताने के अनुसार न कर सके तो राज्य गठन में ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि राज्य के जो जो खर्च किसी सम्भव रीति से स्थानिक गिने जा सकें वे सब प्रान्त सभाओं के लगाये हुए स्थानिक कर से हों, परन्तु स्थल और जल सेना के निर्वाह के खर्च सरीखे जिस खर्च को साधारण गिनने की आवश्यकता है उसको भिन्न भिन्न प्रान्तों के साधन के कुछ साधारण आंकड़े के हिसाब से उनमें बांट देना चाहिये कि जिससे प्रत्येक प्रान्त के लिये मुकर्रर की हुई रकम वहाँ की स्थानिक सभाएं उस स्थान के सब से अनुकूल आने योग्य नियम से उगाहें और राष्ट्रीय कोष में एक शामिल जमा कर दें। कुछ कुछ ऐसा ही रिवाज फ्रांस की पुरानी राज-सत्ता में भी—अवश्य ही क्षेत्र प्रदेशों के सम्बन्ध में था। उनमें से हर एक को खास रकम पूरी करने की कवृलियत या इच्छा पर अधिवासियों से अपनी ही मार्फत घसूल करने की और इस प्रकार शाही तहसीलदारों और होटे लाई के भयानक अत्याचार से बच जाने की स्वाधीनता भी और फ्रांस के जो थोड़े से प्रान्त सब से उन्नत थे उनमें मुख्य कारण हो पड़ने वाले लाभों में यह हक भी एक हमेशा गिना जाता है।

यहुत भिन्न दरजे के अधिकार संचय में केवल प्रबन्ध सम्बन्ध में नहीं घरेंच कानून बनाने के सम्बन्ध में भी माध्यमिक राज्यतंत्र का ऐक्य अनुकूल है। किसी जन-समाज को राज्यसंयोग की अपेक्षा अधिक निकट संयोग करने की इच्छा तथा शक्ति हो तो भी उसकी स्थानिक विल-क्षणताओं और पुराने रिवाजों के कारण राज्य के सूदम प्रबन्ध में यहुत भेद रखना मुनासिब होता है। परन्तु यदि इस परीक्षा को सफल बनाने के लिये सब तरफ से असली इच्छा

होगी तो इन विलङ्घणताओं के सिर्फ साधित रखने में शायद कभी कठिनाई पड़ेगी, इतना ही नहीं, घरंच सुगमता पूर्वक कानून के क्षेत्र से ऐसी जमानत दी जा सकेगी कि जो केर यद्दल करने से जिनके ऊपर असर होने याला होगां उसको जप तक वे सर्व करने को न खड़े हों तब तक एकरूपता करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जायगा ।

## अठारहवाँ अध्याय ।

**स्वतंत्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य का  
शासन होने के विषय में ।**

दूसरे सब राज्यों की तरह स्वतंत्र राज्यों के भी विजय या विसाने से मिले हुए अधीनस्थ राज्य होते हैं और अर्थात् चीन इतिहास में यास हमारा राज्य इस प्रकार का सब से पड़ा दृष्टान्त है। ऐसे अधीनस्थ देशों का शासन कैसे होता है चाहिये यह एक पड़ा आयश्वक प्रश्न है।

जिवाल्टर, अदन या देलिगोलेएड सरीखे जो छोटे छोटे घोने सिर्फ जल या स्थल सेना की द्वावनी के तीर पर कब्जे में रहे जाते हैं उनके विषय में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उस दृष्टि में सैनिक—स्थल या जल सैन्य—सम्पन्नी उद्देश्य सब से प्रथम होता है और उन स्थानों के अधिवासियों को राज्य प्रबन्ध में दायित करना उस उद्देश्य के अनुकूल नहीं है; तो, भी उनको इस नियेध के अनुकूल सब प्रकार की स्वतंत्रता और हक मध्य नगर कायी के स्वतंत्र प्रबन्ध के, सौंपना चाहिये; और उन पर शासन करने वाले राज्य के मुख्यते के लिये अपने स्थान में उनको जो अलाम सद्वना

पड़ता है उसके बदले में उनको साप्राज्य के दूसरे सब भागों में यहाँ के निवासियों के समान हक में शामिल करना चाहिये ।

जो कुछ विस्तृत आकार और वस्ती वाले बाहर के प्रदेश अधीन राज्य के तौर पर कब्जे में होते हैं; अर्थात् जो शासन करने वाले देश की ऊपरी सत्ता की आवाओं के घश होते हैं और जिनका उसकी कानून सभा में प्रतिनिधि का हक (अगर कुछ हो तो) समान भाव से नहीं होता उनके दो विभाग किये जा सकते हैं । उनमें से कुछ शासक देश के ऐसे सभ्य और प्रतिनिधि शासन के लिये तय्यार और समर्थ हुए रहते हैं; जैसे अमेरिका और आस्ट्रेलिया के विट्टिश राज्य । दूसरे, हिन्दुस्थान की तरह अभी उस स्थिति से बहुत दूर होते हैं ।

प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ राज्यों के विषय में इस देश ने अंत को राज्यतंत्र का असली मूल तत्व असाधारण सम्पूर्णता में प्रतिपादन किया है । इंगलैण्ड के जिन बाहरी लोगों में उसका लहू और भाषा जारी है उनको और जिन में नहीं है, उनको भी, अपने प्रतिनिधि तंत्र के अनुसार प्रतिनिधि तंत्र का दान करने में उसने हमेशा किसी अंश में अपना कर्तव्य समझा है; तथापि उसने जिन दूसरे देशों को प्रतिनिधि तंत्र दिया है उन को किस कदर स्वराज्य चलाने देना चाहिये इस विषय में तो बिलकुल हाल तक वह उनके साथ एक समान लड़ता भगता रहा है । उनके युद्ध भीतरी व्यवहार में भी वह स्वयं सर्वोपरि निर्णायक बनना चाहता था और वह भी उसकी सब से अच्छी व्यवस्था किस प्रकार हो सकेगी इस विषय में उनके विचार के अनुसार नहीं, बरंच अपने ही विचार के अनुसार । शौपनिवेशिक राज्यनीति सम्बन्धी जौं सदांप सिद्धान्त एक बार सारे युरोप में साधारण था और अभी तक दूसरे किसी जन समाज ने जिस को पूरा

पूरा छोड़ नहीं दिया है उसका यह रिवाज स्वाभाविक परिणाम था; यह सिद्धान्त पेसा था कि उपनिवेश हमारा निजका माल खपाने और हमारे अधीन रहने योग्य बाजार की हैसियत से कीमती हैं; और इस दृष्टि की हम लोग इतनी यड़ी कीमत समझते थे कि जो कुल अवित्यार हम अपने माल के लिये टापुओं के बाजार में मांगते थे वही अखिलयार उनको अपने माल के लिये हमारे बाजार में आने पर भी देना उचित समझते थे। इस प्रकार एक दूसरे को राजसी रकम दे दिला कर उनको और अपने को धनयान करने की, वरंच उसका सब से यड़ा भाग रास्ते में ही गिरा देने की विलक्षण युक्ति कुछ समय से छोड़ दी गयी है। परन्तु टापुओं की भीतरी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर उन से लाभ उठाने का विचार छोड़ दिया, कुछ उनके साथ पेसा करने की बुरी लत नहीं छोड़ी। हम लोग खास अपने लाभ के लिये नहीं तो टापुओं के एक वर्ग या पक्ष के लाभ के लिये ही उनको सताते रहे; और हमारे शासन करने के इस दुराघट ने जब तक कनाडियन विद्रोह का सर्व हमारे मत्थे नहीं टोका तब तक हमको उसे छोड़ने का शुभ विचार नहीं सूझा। जैसे कुशिका प्राप्त एक यड़ा भाई सिर्फ यसलत पड़ी रहने के कारण अपने छोटे भाइयों पर दुराघट से झुल्म किया करता है और जब तक उनमें से पकाध युक्ति में असमान होने पर भी प्रोध से सिर उठा कर उसे सम्मद्दलने की चित्तीनी नहीं दे देता तब तक यह नहीं रुकता; वैसा ही वर्ताव इंगलैण्ड करता था। हम लोग इतने युद्धिमान तो थे कि दूसरी चित्तीनी की ज़रूरत नहीं समझी। लार्ड डर्हम \* के निवेदन पत्र

से राष्ट्रों को औपनिवेशिक राज्य नीति में नये युगका आरम्भ हुआ । वह निवेदन पत्र उक्त अमीर की हिम्मत, देशभक्ति और उदार संस्कारी विचार की और उनके संयुक्त ग्रन्थकार मिठो वेकफील्ड † और परलोक गत चार्ल्स बुलर की खुद्दि और व्यावहारिक इष्टि की अमर यादगार है । ‡

अब तो राज्यनीति का जो निश्चित नियम ग्रेट ब्रिटेन ने सिद्धान्त में स्वीकार किया है और सच्चे दिल से प्रयोग में जिसका अनुकरण किया है वह यह है कि उसकी युरोपियन उत्पत्ति ( जाति ) के उपनिवेश भी अपने मूल देश की तरह पूर्ण रूप से एक समान भीतरी स्वराज्य भोगें । हमने उनको जो बहुत अधिक जनसत्ताक राज्यतंत्र दिया था उसमें उनको जैसा उचित जंचे वैसा केर बदल करने देकर अपने लिये नवीन स्वतंत्र प्रतिनिधि तत्र बनाने दिया है । प्रत्येक का राज्य प्रबन्ध अतिशय जनसत्ता प्रधान नियमों के आधार पर स्थापित कानून सभा और शासन सभा द्वारा चलता है । राजा और पार्लीमेंट का निषेध ( नामंजूर करने ) का एक यद्यपि नाम को कायम रखा गया है तथापि उससे खास खास टापू सम्बन्धी नहीं वरं च सिर्फ़ समूचे साम्राज्य सम्बन्धी प्रश्नों में ही, काम लिया जाता है और सो भी बहुत ही कम । शाही मुद्रामंत्री थे । † इन्होंने १८३६ में दक्षिण आस्ट्रेलिया के टापू की बस्ती की योजना रचीं थी ।

‡ मैं जो कहता हूँ वह अवश्य ही इस सुधारी हुई नीति की मूल उडाई के विषय में नहीं वरं उसके स्वीकार के विषय में । इसका सब से प्रथम योद्धा होने का यश तो निःवन्देश मिठो रोबर (पार्लीमेंट के मेम्बर और १८५४-५५ बाले ऐश्वस्तोगेल के बेरे के सम्बन्ध में जांच करने वाली कमेटी के अध्यक्ष ) को है । ग्रन्थकार।

और औपनिवेशिक प्रश्नों के भेद के विषय में कैसी उदारता से विचार किया जाता है यह इस बात से पता लगता है कि हमारे अमेरिकन और आस्ट्रेलियन टापुओं के पिछवाड़े के प्रदेशों की सारी वेमालिक की जमीन औपनिवेशक जनता के निवंकुश अधिकार में दे दी गयी है; यद्यपि साम्राज्य के भविष्य के प्रवासियों को सब से अधिक लाभकारी होने के लिये उसका प्रबन्ध शाही राज्यतंत्र अपने हाथ में रखता तो अनुचित न होता । इस प्रकार प्रत्येक उपनिवेश के सब से शिखिल राज्यसंयोग का एक अंग होने से उसकी अपने कार्य व्यवहार में जितनी सत्ता हो सकती है उतनी सत्ता पूर्ण रूप से-वह भोगता है; और उसे अपने मूल देश से आने वाले माल पर भी अपनी मरजी मुनाविक कर लेने की छूट होने से, युनाइटेड स्टेट्स के राज्य गठन में जो मिल सकती है उसकी अपेक्षा उसको अधिक परिपूर्ण सत्ता है । ग्रेटब्रिटन के साथ उनका संयोग सब से शिखिल प्रकार का राज्यसंयोग है; तो भी यह असल में समान राज्यसंयोग नहीं है; क्योंकि संयुक्त राज्यतंत्र के हंग की ऊपरी सचा तो मूल देश ने अपने हाथ में रखी है और यद्यपि यह प्रयोग में यथासाध्य कम कर दी गयी है तो भी विद्यमान है । जिन अधीनस्थ राज्यों को विदेशी राज्यनीति के विषय में कुछ मत देने का दफ नहीं है, परन्तु जो शासक देश के टहराय पर चलने को याद्य माने जाने हैं उनको येशुक यह असमानता जितनी है उसी कदर अलाभ है । उनकी सलाह किसी तरह पहले से न लेने पर भी उनको इंग्लैण्ड के साथ लड़ाई में शामिल होना पड़ता है ।

जो यह सोचते हैं कि न्याय का बन्धन जितना व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर घटता है उतना ही जाति विशेष पर, और

मनुष्यों को अपने लाभ के लिये जो कुछ दूसरे मनुष्यों के साथ करना उचित नहीं है वह उनको अपने देश के सोचे हुए लाभ के लिये दूसरे देशों के साथ करने का अधिकार नहीं है; वे ( और सौभाग्य से वे अब योड़े नहीं हैं ) उपनिवेशों की इतनी नियमित राजनीतिक परतंत्रता को भी मूलतत्व तोड़ने के बराबर समझते हैं और इतनी परतंत्रता को भी दूर करने का उपाय ढूँढ़ने में बहुत बार लगे रहे हैं । इस खाल से कितनों ने यह प्रस्ताव किया है कि उपनिवेश विटिश पार्लीमेण्ट में प्रतिनिधि भेजने पावें । और दूसरों ने यह प्रस्ताव किया है कि उनकी और अपनी पार्लीमेण्ट की सत्ता देश की भीतरी राज्यनीति की सीमा में सशिविष्ट रखी जाय और विदेशी तथा शाही विषयों के लिये दूसरी प्रतिनिधिसमा स्थापित कर उसमें ग्रेट ब्रिटेन के अधीनस्थ राज्यों को ग्रेट ब्रिटेन की तरह और उसी की सी सम्पूर्णता में प्रतिनिधि भेजने की स्वतन्त्रता दी जाय । इस पद्धति से उपनिवेशों के अधीन राज्यों की स्थिति में न रहने से उनके और मूल देश के बीच में सम्पूर्णरूप से समान राज्य संयोग होगा ।

जिन न्यायवृत्तियों और सामाजिक नीति की भावनाओं से ये सलाहें पैदा होती हैं वे सब प्रशंसनीय हैं; परन्तु ये सलाहें स्वयं राज्यतन्त्र के वास्तविक मूलतत्त्वों से ऐसी विरुद्ध हैं कि इस चात में सन्देह है कि किसी भी विचारशील द्वारा ने उनकी सम्भव मानकर गंभीरता से स्वीकार किया होगा । एक दूसरे से गोलार्द्द के अन्तर पर पड़े हुए देश, एक ही राज्य सत्ता तले रहने के लिये, अथवा एक ही राज्य-संयोग के प्रणालों के लिये भी आवश्यक शर्तें नहीं दिखाते । उनका यथेष्ट रीति पर एक ही स्वार्थ हो तो भी उनको एकत्र आगम्भी छरने का उचित अभ्यास नहीं होता और न कभी

हो सकता है। वे एक ही जन समाज के विभाग नहीं हैं; वे एक ही रंगभूमि पर चर्चा या विचार नहीं करते और एक दूसरे के मन में क्या विचार है इसका उन्हें यहुत अधूरा ज्ञान होता है। वे जैसे एक दूसरे का उद्देश्य नहीं जानते वैसे उनको एक दूसरे के व्यायदारिक नियम पर विश्वास नहीं होता। याहे कोई अंगरेज अपने आपको पुढ़ देखे कि जिस समाज का एक तृतीयांश विटिश अमेरिकन, और दूसरा तृतीयांश दक्षिण अफरीकन और आस्ट्रेलियन हो उसके ऊपर अपने भविष्य का भरोसा रखना उसे कहाँ तक पसन्द होगा। फिर भी अगर कुछ न्यायपूर्वक या समाज प्रतिनिधि तत्व होगा तो अवश्य यह परिणाम निकलेगा; और प्रत्येक जन को क्या ऐसा नहीं होगा कि शाही विषयों में भी कनाडा या आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि अंगरेज, आइरिश या स्काच का लाभ, अभिशाय या अभिलाप नहीं समझ सकेंगे? शुद्ध राज्य संयोग के लिये मौ हमें जो शर्तें आवश्यक जान पड़ी हैं वे मौजूद नहीं हैं। उपनिवेशीयों के बिना भी इंगलैण्ड अपना व्यवाय करने को यथेष्ट है और अगर वह उन से अलग हो जाय तो अमेरिकन, अफरीकन और आस्ट्रेलियन राज्यसंयोग के केवल एक अंग की स्थिति में आने से जो हो सकता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल और प्रतिष्ठित हो सकता है। अलग होने पर भी जो व्यापार वह एक समाज करना है उसके मिया इस समय इंगलैण्ड को अपने अधीनस्थ राज्यों की तरफ से हक के लाभ के सिवा दूसरा लाभ योद्धा ही मिलता है; और जो योद्धा यहुत मिलता है वह, उसको उनके लिये जो कुछ वर्च करना पड़ता है और अपनी स्थल और जल सेना को छित-रखने की आवश्यकता नया लड़ाई या उसकी असलो-आसुंका के अवक्तर वह केवल इसी देश के व्यवाय के लिये

जितना चाहिये उस से दुगुमी तिगुनी सेना रखने की जो जकरत है उस के सामने, किसी गिनती में नहीं है ।

परन्तु यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन अपना काम आगे उपनिवेशों के लिना धार्यी चला सकता है और यद्यपि सब से थ्रेष्ट प्रकार के संयोग की पूरी आजमाइश करने के बाद ऐसा समय आवे कि ऐ गम्भीरता से अलग होने की इच्छा जतावें तो इङ्लैण्ड को उनसे अलग होने को धात को नीति और न्याय के प्रत्येक नियम से स्वीकार करना चाहिये; तथापि हाल के सम्बन्ध का अल्प बंधन भी जब तक किसी पक्ष को अहंकार न हो तब तक बनाये रखने के लिये दढ़ कारण हैं। जैसा है उस दशा में भी यह राष्ट्रों में सार्वत्रिक शांति और परस्पर साधारण मित्रमाय बनाये रखने के मार्ग में एक कदम है। इस से और कई तरह से रवतंश राष्ट्रों में युद्ध असम्भव होता है; और फिर इन में से हर कोई विदेशी राज्य में लीन होकर किसी अधिक स्वेच्छाचारी या पास की प्रतिदृन्दी सत्ता जो हमेशा ग्रेट ब्रिटेन जैसा निस्पृह या शांत नहीं होती, उसके चड़ाई करने के बल में बुद्धि करने का साधन बनने से रुकता है। इतना ठीक है कि इस से भिन्न भिन्न देशों के याजार एक दूसरे के लिये छुले रहते हैं और जिन प्रतिकूल घाणिज्य करों का प्रचार अभी तक इङ्लैण्ड के सिवा दूसरे किसी बड़े मनुष्य मण्डल ने पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है उनके द्वारा परस्पर व्यवहार का प्रतिबन्धन होना भकता है। और इस से ब्रिटिश मुल्कों के विषय में तो सास कर के हाल के समय में यह लाभ है कि जो सत्ता सब विद्यमान सत्ताओं में स्वतंत्रता की सब से अच्छी पहचान फरती है और जिसने भूतकाल में चाहे जैसी भूल की हो तथापि विदेशियों के प्रति अपने कार्य व्यवहार में जितना दूसरे किसी बड़े राष्ट्र का समझना कभी सम्भव या इष्ट समझ कर स्वीकार

फरना नहीं जाना जाता उतना सद्ग्राय और सात्त्विक वृत्ति प्राप्त की है—उस सत्ता को संसार की समाचौ में अपना अधिक सात्त्विक प्रभाव और घजन जमाने का मौका मिलता है। अब जय तक यह संयोग कायम रहता है तथ तक यह सिर्फ असमान संयोग के भरोसे ही चल सकता है, इस से इस अल्प परिमाण की असमानता को अपेक्षाकृत नीचे की पद्धती धारण करनेवाली जातियों को असहा या अपमानकारी यतने से बचानेवाला उपाय क्या है इसका विचार करना जरूरी है।

इस विषय में अवश्य करके जो एक ही हीनता है यह यह है कि मूल देश अपनी और उपनिवेशों—दोनों की ओर से संधिविग्रह के प्रश्नों का निर्णय स्वयं करता है। इसके बदले में उपनिवेशों को यह लाभ होता है कि मूल देश उन पर आक्रमण होने से रोकने को याध्य होता है; परन्तु जय छोटी जनता इतनी निर्वल हो कि उसे यहुत जयरदस्त सत्ता का आथ्रय ढूँढ़ना पड़े तभी; इसके सिवा कर्तव्य की ऐसी अदला बदली, परामर्श में मत देने का हुक न होने का पूरा बदला नहीं है, इससे काफर या न्यूजी लेएड की लड़ाइयों की तरह ऐसी लड़ाइयों में, जो किसी खास उपनिवेश के लाभ के लिये सिर पर न लेनी पड़ी हौं, उपनिवेशों से उनके निजके बंदर, तट और सीमा को शमु की चढ़ाई से बचाने के लिये जितना यर्च चाहिये उसके सिवा (वे अगर अपनी गुणी से न देना चाहें तो) यर्च में कोई भाग देने के लिये न कहना चाहिये। फिर जय मूल देश अपने अकेले विचार स्वातंत्र्य से अपने ऊपर हमला होने के मय से ऐसी काररथाई करने या ऐसी राज्यनीति चलाने का दाया करता है, तब उसे शान्ति के समय भी उनके कौजी यचाय के यर्च का

यहाँ भाग और स्थायी सेना के सम्बन्ध में तो सारा खर्च अपने सिर पर रखना उचित है ।

परन्तु इसकी अपेक्षा जो एक अधिक प्रभावशाली उपाय है उसके द्वारा और साधारणतः सिफ़ उसी के द्वारा एक छोटा सा समाज जो संसार के समाजों में अपनी असली सत्ता को—अपने पृथक्त्व को एक विशाल और बलवान साम्राज्य के बहुत बड़े पृथक्त्व में शामिल कर देता है उसको पूरा बदला दिया जा सकता है । वह उपाय (जो जितना आवश्यक है उतना परिपूर्ण भी है और जिसमें जितनी न्याय की फरमाइशों का, उतनी ही राजनीति की बढ़ती जाती हुई शर्तों का भी समावेश होता है) यह है कि सरकारी नौकरियों के सब विभाग और साम्राज्य का प्रत्येक भाग उपनिवेशों के अधिवासियों के लिये समान भाव से खुला रखें । विद्युत चेन्नै (राडी) के टापुओं में से कभी किसी की अराजमक्कि का एक शब्द भी क्यों नहीं सुना जाता? जाति, धर्म और भौगोलिक स्थिति में उनका फ्रांस की अपेक्षा इंगलैण्ड से कम सम्बन्ध है । परन्तु जैसे वे कनाडा और न्यू-साउथ वेल्स की तरह अपने भीतरी व्यवहार और कर व्यवस्था पर पूरा अधिकार रखते हैं वैसे राजा की व्यवशिश काहर एक ओहदा या दरजा उनके लिये गरनसी या जरसी के अधिवासियों के लिये पूरा पूरा खुला है । उन टापुओं से स्थल सेनापति और जल सेनापति तथा लार्ड नियुक्त हुए हैं और प्रधान मंत्री नियुक्त करने में भी किसी तरह की अड़चल नहीं है । जब अकाल मृत्यु के बश हुए संस्कारी औपनिवेशिक मंत्री सर चिलियम मौलसवर्धन (१८५२ में) कनाडा के एक मुसिया राजनीतिक पुरुष मिंहिक्स को एक वेस्ट इंडियन राज्यतंत्र का गवर्नर नियुक्त किया तब उन्होंने इसी पद्धति का उप-

निवेशों के सम्बन्ध में भी साधारण आरम्भ किया- था । इस दरजे के मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी न थी जो इस दूट से असली लाभ उठा सके । इस कारण जो लोग ऐसे विषयों को तुच्छ मानते हैं वे अन समाज में वहने वाले राजनीतिक उत्साह के प्रवाह का बहुत ऊपरी विचार लेते हैं । इस नियमित संलग्न में ऐसे पुरुष आये होंगे जिनकी वाकी पर सबसे बड़ी सात्त्विक सत्ता रहती है ; और सामाजिक अधमता के विषय में लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि एक पुरुष को भी किसी लाभ का प्रतिवन्धन होगा तो उनको नहीं लगेगा ; क्योंकि यह विषय उसके साथ उन सब के लिये सामान्य है और सब के लिये एक नमान अपमान है । अगर हम किसी जाति के नेता पुरुषों को मनुष्य जाति के साधारण परामर्शी में, उस जाति के मुनिया और प्रतिनिधि की हैसियत में संसार के सामने घड़े रहने से रोके तो उनके वास्तविक अभिलाप और जाति के यथार्थ गर्व दोनों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको उसके बदले में अधिक शक्तिमान और अधिक वजनदार जन समाज में घही नेतृत्व पद धारण करने का एक समान अवसर दें ।

जिन अधीनस्थ राज्यों के देश प्रतिनिधिशासन के लिये लापक होने योग्य उम्रत मिथि में होते हैं उनके लिये इतना यस है । परन्तु दूसरे किनाने ही देश ऐसे होने हैं जिन्होंने बहु मिथि प्राप्त नहीं की है और उनको अगर अपने अधीन रखें तो उनके ऊपर राज्यकर्ता देश को स्वयं अधिकार उसके लिये नियुक्त किये हुए मनुष्यों को राज्यप्रबन्ध करना चाहिये । यह शासनपद्धति अगर ऐसी हो कि अधीनस्थ प्रजा को उसकी सम्मता की वर्तमान मिथि में अधिक उम्रति की पदधी पर सब से अधिक आसानी से चढ़ाये तो यह दूसरी

पद्धति की सी ही योग्य है। पहले देश चुके हैं कि जनता की कुछ अवस्था ऐसी है कि उसमें लोगों को अधिक ऊँची सभ्यता के लिये लायक यनान में जिस वस्तु का खाल अभाव होता है उसमें उनको जो शासनपद्धति सब से अच्छी रीति पर शिक्षा दे सकती है वह मात्र हड़ निरंकुश राज्य ही है। कुछ दूसरी अवस्था है उसमें केवल निरंकुश राज्य होने से कुछ वास्तविक लाभकारी परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि वह जो पाठ सिखाता है उसको वह प्रजा असीम सम्पूर्णता में उससे पहले ही सीधे चुकी होती है; परन्तु उस अवस्था में लोगों में सुधार का कुछ साहजिक अंतः प्रवाह न होने से उनको कुछ भी आगे बढ़ने की आशा का प्रायः जो एक ही आधार है वह कुछ अच्छे निरंकुश राजा की उत्पत्ति पर निर्भर है। देशी निरंकुश राज्यों में तो अच्छा निरंकुश राजा कचित् और अकस्मात् से मिलता है; परन्तु उनके ऊपर हुक्मत करने वाले लोग अगर अधिक सुधरे हुए हों तो उन लोगों को वैसा निरन्तर अन्तःप्रवाह जारी रखने के लिये शक्तिमान होना चाहिये। जो अपने अरोध्य घल के फारण, जंगली निरंकुश राज्यों के अंग में लिपटे हुए आनन्द की अनिश्चिन्तता से मुक्त हों और जो अपनी बुद्धि विचक्षणता द्वारा यहुत आगे बढ़े हुए जन समाज को जिन जिन वातों का अनुभव हुआ हो उन सब का पहले से सिलसिला बांधने को लायक हुए हों उन उत्तरोत्तर निरंकुश राजाओं की थेरी अपनी प्रजा के लिये जो जो करने को शक्तिमान हो वह सब करने के लिये इस शासन कर्ता देश को समर्थ होना चाहिये। जंगली या अर्द्ध जंगली प्रजा पर स्वतंत्र जनता का तत्वतः परम उत्कृष्ट शासन इस प्रकार का है। इस तत्वतः परम उत्कृष्ट भावना को हमें अनुभव सिद्ध देखने की आशा न रखनी चाहिये;

परन्तु अगर राज्यकर्त्तांगण कुछ कुछ इससे मिलती जुलती व्यवस्था अमल में न लावें तो उस जनता के सिर पर जो सब से बड़ा सात्त्विक कर्तव्य है उसके स्थागने के बे लोग अपराधी छहरते हैं; और अगर वे इस नरह का उद्देश्य भी मन में न रखें तो वे सिफर राज्य लुटेरे हैं और उनके ऐसे अपराधी हैं जिनके लोभ और अत्याचार ने पीढ़ी दर पांडी मनुष्य जाति के बड़े समूहों के भविष्य में उथल पुथल कर डाली है।

यहुत पिछड़े हुए देशों की अवस्था इस समय साधारण रीति पर ऐसी हो गयी है और सर्वत्र होती जाती है। वे या तो बहुत आगे बड़े हुए देश की सीधी तावेदारी में हैं अथवा उनके सम्पूर्ण राजनीतिक अंकुश तले हैं, इससे इस नियम की किस प्रकार रचना की गयी हो कि वह अधीनस्थ प्रजा को अद्वितीयारी के बदले हितकारी हो और उनको वर्तमान स्थिति में मिल मूकतं योग्य सब से श्रेष्ठ राज्यतंत्र प्राप्त हो तथा भविष्य में निरन्तर सुधार होते रहने के लिये सब में अनुकूल मौके मिलें इसकी अपेक्षा यहुत आवश्यक प्रश्न मंवार की वर्तमान अवस्था में यहुत कम हो है। परन्तु जो लोग अपना राज्य स्वयं चलाने योग्य हैं उनमें अच्छे राज्य प्रबन्ध के लिये चाही दुई शर्तें जिन मूली से समझ में आयी हैं उन गूँहों में इस उद्देश्यके अनुरूप आने योग्य राज्यतंत्र की योजना करने की पद्धति किसी नगद समझ में नहीं आयी है।

ऊपर से देखते थालों को यद्य यत्त पूरी पूरी सद्भज लगती है। ( दृष्टान्त के नीर पर ) अगर हिन्दुस्थान अपना राज्य चलाने को योग्य नहीं है तो उसको जो ज़रूरत जान पड़ती है वह सिफर इतनी कि उसके ऊपर राज्य चलाने को एवं मंत्री होना चाहिये, इस मंत्री को दूसरे सब मंत्रियों की तरह ग्रिटिंग पार्लीमेंट के सामने जवायदेह होना चाहिये। दुर्मिम

यश यह पद्धति यद्यपि अधीनस्थ देश का प्रबन्ध करने की योजना में सब से सावधानी है, तथापि सब से खराय है; और अपने प्रशंसकों में अच्छे राज्यतंत्र की समझ का विलकुल अभाव दियाती है। एक देश के लोगों की जघायदेही तले उस पर राज्य करना और एक देश पर दूसरे लोगों की जघायदेही तले राज्य करना ये दोनों बहुत मिथ्र मिथ्र घस्तुण हैं। पहली व्यवस्था में जो उत्कृष्टता है वह यह है कि निरंकुश राज्य की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक पसन्द करने योग्य है। परन्तु दूसरी व्यवस्था तो खासा निरंकुश राज्य ही है। इस विषय में कुछ भी पसन्द का अवकाश है तो वह निरंकुश राज्यों के बीच में ही पसन्द का है; और यह कुछ निश्चय नहीं है कि दो करोड़ का निरंकुश राज्य कुछ या एक के निरंकुश राज्य की अपेक्षा अवश्य करके अधिक अच्छा होंगा। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि जो लोग अपनी प्रजा के सम्बन्ध में कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते या कुछ नहीं जानते उनका निरंकुश राज्य, जो लोग सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं उनके निरंकुश राज्य की अपेक्षा खराय होने की अधिक सम्भावना है। साधारण तौर पर यह नहीं सोचा जाता कि राज्य के प्रत्यक्ष अधिकारी स्वयं दूसरे हजार तात्कालिक ध्यान देने योग्य जंजाल बाले अनुपस्थित मालिक के नाम पर राज्य करते हैं इससे वे अधिक अच्छा प्रबन्ध करेंगे। मालिक शायद उन पर सत्त जघायदेही का बन्धन रखे और भारी सजाओं का दबाव डाले परन्तु इसमें बहुत सन्देह है कि वे सजाएँ यहुधा ठीक स्थान पर दी जायेंगे।

राज्यकर्ता और प्रजा के बीच में जब आचार विचार में कुछ अतिशय भेद नहीं होता, तब भी एक देश पर दूसरे देश

के राज्य चलाने में हमेशा भारी कठिनाइयां पड़ती हैं और राज्य भी वहुत अपूर्णता से चलता है। विदेशियों से देशियों का एक दिल नहीं होता। कोई विषय हो जिस स्वरूप में उनके मन को दिखाई देता है और जिस तरह उनकी वृत्ति पर असर करता है उससे ये कुछ भी निष्ठय नहीं कर सकेंगे कि वह तावेदार प्रजा की वृत्ति पर कैसा असर करेगा अथवा उनके मन को कैसा दिखाई देगा। देश का साधारण व्यवहार-कुशल मनुष्य जो यात प्राकृतिक ज्ञान से जानता है उसे विदेशियों को धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव से और सब कुछ होने पर भी अपूर्णता में, सामना पड़ता है। जिन नियमों, दम्भूरों और सामाजिक सम्बन्धों के विषय में विदेशियों को कानून यानना पड़ता है उनसे ये व्यवहार से जानकार होने के बदले अनजान होते हैं। यहुत से मूल विषय जानने के लिये उनको देशियों के कहने पर भरांसा रखना पड़ता है और उनको किस का विश्वास करना चाहिये यह जानना कठिन है। लोग उनसे डरते हैं, उन पर सन्देह करते हैं और शायद नाराज होते हैं; मतलब विना कोई उनके पास शायद ही आता है और उन सोगों को गुलाम की सी नावेदारी करने वाले को विश्वास-पत्र मानने की वृत्ति होती है। देशियों के घिनारने का भय उनकी तरफ से रहता है, और विदेशी जो कुछ करेंगे उसमें देशी के हित का उद्देश्य हो सकता है यह यात न मानने का भय देशियों की तरफ में होता है। किसी देश पर अच्छी रीति में शासन करने का ईमानदारी के माथ प्रयत्न करने वाले किसी विदेशी राज्यकर्त्ता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका यह सिर्फ एक भाग है। किसी कदर ही सही इनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम हमेशा वही मिथनत का होगा और उसमें प्रधान

प्रधान हाकिमों में यहुत ऊंचे दरजे की युद्धि की और अधी-  
नस्य हाकिमों में औसतन ऊंची युद्धि की जरूरत पड़ेगी,  
और ऐसे राज्यतंत्र की जिस व्यवस्था में उसके उद्योग का  
सब से अच्छा भरोसा मिले, उसके कार्य सामर्थ्य का सब से  
अच्छा विकास दो और उसकी सब से ऊंची युद्धि का नमूना  
सब से अधिक विश्वास के स्थान पर डाला जाय यह सब से  
अच्छी व्यवस्था है। जिस सत्ता ने इनमें से कुछ भी मिहनत  
नहीं ठारी है, कुछ भी कार्य सामर्थ्य नहीं प्राप्त की है और  
अधिकांश में जानती भी नहीं कि दो में से एक की कुछ खास  
दरजे तक जरूरत है उसके सामने जवायदेही इन उद्देश्यों  
के साधने का यहुत प्रभावशाली उपाय नहीं गिनी जा सकती।

कोई जनता अपना राज्य प्रबन्ध चलावे इस में कुछ अर्थ  
और सचाई है; परन्तु एक जनता दूसरी का राज्य प्रबन्ध  
चलावे यह कोई चीज ही नहीं है और हो भी नहीं सकती।  
एक जनता दूसरी जनता को अपने लाभ के लिये एक मृगया-  
यन या शिकारगाह के तौर पर, एक धन घटोरने के  
स्थल के तौर पर अथवा अपने देशवासियों के लाभ के लिये  
काम करने योग्य मनुष्य पशु के द्वेष के तौर पर रख सकती  
है। परन्तु अगर राज्यतंत्र या गास काम प्रजा का हित ही  
हो तो उस जनता का स्वयं उसकी सम्भाल रखना यिलफुल  
असम्भव है। यह ज्यादा से ज्यादा कर सकती है तो इतना  
ही कि उसकी सम्भाल रखने के लिये अपने कुछ सब से  
श्रेष्ठ मनुष्यों को नियुक्त कर दे; परन्तु उनका अपने देश का  
जनमत, जेसे उनको अपना कर्तव्य पालने में यहुत पथ प्रद-  
र्शक नहीं हो सकेगा वैसे जिस तरह कर्तव्य पाला गया है  
उसके विषय में यथार्थ विचार भी नहीं कर सकेगा। अंग-  
रेज जितना हिन्दुओं के कार्य-व्यवहार के, विषय में जानते

हैं और परवा करते हैं उसको अपेक्षा ये अपने कार्य व्यवहारके विषय में कुछ भी अधिक जानते या परवा करते न हों तो उनके ऊपर कैमा शासन होगा इसका विचार हर कोई कर सकता है। इस तुलना में भी प्रश्न की स्थिति का पूरा पूरा विचार नहीं होता; क्योंकि जो जनता इस प्रकार राज्यनीति के विषय में बिल्कुल निःवृद्धता रखेगी वह शायद जो होगा उसे मौनमात्र से स्वीकार करेगी और राज्यतंथ्र को अपनी तरफ से अपना काम करने देगी। परन्तु हिन्दुस्थान के विषय में अंगरेजों के समान राजनीतिक उत्तमाद्याले लोग साधारण वैपरवाही के समय यीच यीच में हस्तक्षेप करते रहते हैं निस पर भी लगभग हमेशा अयोग्य स्थान में ही। हिन्दुओं की समृद्धि या दरिद्रता, मुधार या विगड़ पैदा करने वाले वास्तविक फारण तो इतने दूर हैं कि उनपर उनकी नजर भी नहीं पहुँच सकती। उनको उन कारणों के होने का सन्देश होने पर भी प्रान नहीं है तब उनके असर के यारे में विचारने के लिये प्रान तो पर्याप्त है ? उनकी सम्मति यिना भी उस देश सम्बन्धी लाभों की अच्छी व्यवस्था हो सकती है और उनका कुछ भी ध्यान घाँचि यिना चाहे जितना प्रयत्न भी किया जा सकता है। मुर्य करके जो उद्देश्य उनको यीच में पड़ने और अपने अहंतिया (एजेंट) के प्रयत्न पर अंकुश डालने को ललचाना है यह दो प्रकार का है। एक देशियों के गले में जवरदम्नो भी अंगरेजी विचार ढकेलना; जैसे धर्म वदलने का उपाय करके अपर्याप्त जाने या बेजाने लोगों की धार्मिक वृत्ति पर 'चोट पहुँचाने वाले कृत्य करके छाप्रों या उनके माधाप की दुश्शी से सरकारी विद्यालयों में बाहरिल सिवाने की जो चाल इस समय राज्य कर्त्ता देश में साधारण तौर पर चल रही है यह

इस प्रकार के बुर्धिचार का शिक्षाप्रद दृष्टान्त है ( और उसमें विशेषता यह है कि यह चाल चलाने वाले के मन में न्याय और समानता तथा असली अद्वा योग्य पुरुषों की तरफ से जितने की आशा की जा सकती है उतने निष्पक्षपात के सिवा दूसरा कोई भाव नहीं है ) । युरोपियन विचार से देखने पर इसकी अपेक्षा दूसरी कोई बात अधिक उचित नहीं दिखाई दे सकती अथवा धर्म स्वतंत्र्य के सम्बन्ध में कम आपत्ति जनक नहीं मालूम हो सकती । पश्चियाई विचार से यह बात यिलकुल भिन्न है । कोई भी पश्चियाई जनता कोभी यह नहीं मानती कि कोई भी राज्यतंत्र अपने तनखाहदार अधिकारियों को रखती और उनके सम्बन्ध की यंत्र सामग्री को चलाती है तो विना किसी उद्देश्य के; और कोई पश्चियाई यह भी नहीं मानता कि कोई भी राज्यतंत्र जब कोई उद्देश्य रखता है तब वह निर्वल और निर्जीव न होने पर भी बीच से रक सकता है । सरकारी विद्यालयों में शिक्षक क्रिस्तानी धर्म सिखावे तो फिर चाहे जितनी प्रतिशा की जाय कि वह सिर्फ उन्हीं को सिखाया जायगा जो अपनी खुशी से सीधना चाहेंगे और इसके चाहे जितने प्रत्यक्ष प्रमाण हों तो भी लड़कों के माथा पर यह कभी नहीं समझेंगे कि उनके लड़कों को क्रिस्तान बनाने के लिये अथवा अधिक नहीं तो, हिन्दू धर्म से छण्ड करने के लिये अनुचित उपाय नहीं किये जाते । उनको अन्त में अपनी भूल समझने का मार्ग इतना ही रहेगा कि इस तरह चलने वाले विद्यालय विसी को पर धर्म प्रदाण कराने में सफली-भूत न हों । अगर शिक्षा ने अपना उद्देश्य साधने में तनिक भी सफलता पायी तो फिर सिर्फ सरकारी शिक्षा की उपयोगिता और उसके अस्तित्व में नहीं, बरंच राज्यतंत्र की ऐरियत में भी खलल आ पड़े । धर्म छण्ड होने से इनकार

करने वाले किसी प्रोटेस्टेंट अंगरेज को अपना लड़का रोमन केथलिक विद्यालय में भेजने को सहज ही उकसा नहीं सकते; आइरिश अपने लड़कों को उस विद्यालय में नहीं भेज़ेंगे जदा ही प्रोटेस्टेंट बना सकते हैं; और तिस पर भी हम आशा रखते हैं कि हिन्दू जो यह मानते हैं कि सिर्फ शार्टारिक दोष भी हिन्दू धर्म के हक से पतिन फर सकता है, वे अपने लड़कों को क्रिस्तान हीं जाने के जोखिम में भेज़ेंगे !

राज्यकर्त्ता देशका जनमत उसके नियुक्त किये हुए लाट (गवर्नर) के वर्ताव पर हितकारक के यद्दले अधिक हानिकारक असर डालने की तरफ भुक्ता है, उसकी एक रीत ऐसी है। दूसरे विषयों में, जहाँ उस में मय में अधिक दृढ़ता पूर्वक हमनेहेप करने को कहा जायगा वहाँ उसके ऐसा करने की सब से अधिक बार सम्भायना है, और ऐसी फरमाइशों में अंगरेज प्रवासियों के कुछ लाभ की बात होगी तो उसी लाभ के पक्ष में होने के लिये अंगरेज प्रवासियों के स्वदेश में मिश्र होते हैं, उन्हें अपने विचार जताने के साधन होते हैं और उसके सामने आने का मार्ग उनके लिये गुला होता है; उनका स्वदेशी के साथ एक भाषा और एक भाव होता है। यदि प्रत्येक अंगरेज की फरयाद की तरफ कुछ जान यूझ कर अनुचित पदापात न भी किया जाय तो भी उसकी तरफ अधिक सहानुभूति में ध्यान दिया जाता है। अब अगर कोई यात सब प्रकार के अनुभव से नाचिन दूर है तो यह यह है कि जब एक देश दूसरे देश के ताचे होता है तब राज्यकर्त्ता देश के जो मनुष्य उस अधीन देश में धन कमाने जाते हैं उन को और सब की अपेक्षा कहुँ अंकुश में रखने की विशेष आवश्यकता है। राज्यतंत्र को जो जो कठिनाह्यां पढ़तो हैं उनमें उनके सम्बन्ध की हमेशा एक मुख्य होती है। वे विजेता

जाति की धाक से बलवान और तिरस्कारी अभिमान में चूर रहते हैं इस से उनकी वृत्तियां निरंकुश अधिकार से उत्तेजित रहती हैं, और उनको उसकी जवायदेही का कुछ विचार नहीं रहता। हिन्दुस्थान की सी जनता में बलवान से निर्वल की रक्षा करने के लिये राज्याधिकारियों का सारा परिश्रम भी यथेष्ट नहीं है; और सब बलवानों में प्रयासी युरोपियन सब से बलवान है। जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति के बुरे असर की रुकावट व्यक्ति विशेष की प्रकृति से बहुत विलक्षण रीति पर, नहीं हांती, वहाँ वे उस देश चालों को पैर तले की धूल बरायर समझते हैं। देशियों का चाहे जैसा हक उनकी सब से दलकी फरमाइश को भी रोके तो उनके लिये बस प्रलय हो जाती है; किसी व्यापारिक कारण से उनकी सरफ से कुछ अधिकार का प्रयोग उपयोगी जंचे और उसके विरुद्ध देशियों की सिर्फ रक्षा का उपाय किया जाय तो उसके विरुद्ध भी वे ऐसी चिह्नाहट मचावेंगे मानो अत्याचार हो रहा है और उसको ऐसा ही समझेंगे भ। उनकी सी स्थिति में ऐसी मनोवृत्ति ऐसी स्वामाविक है कि अब तक राज्यकर्ता अधिकारियों की तरफ से उसको उत्तेजन नहीं मिला तिस पर भी यह असम्भव है कि यह जोश हमेशा कमोवेश पूर्ण न निकले। इस जोश से सरकार स्वयं रहित हो तोभी वह अपने जिन मुल्की और फौजी अफसरों पर स्वतंत्र प्रयासियों की अपेक्षा कहाँ अधिक प्रभाव रखती है उनमें से जवान और अनुभव शून्य मनुष्यों के इस जोश को भी वह पूरे तौर पर दबाने को कभी समर्थ नहीं होती। हिन्दुस्थान में जैसा अंग-रेजों के विषय में है वैसा ही विश्वासदायक साक्षी के अनुसार अलजिरियस में फ्रांसीसियों के विषय में है, वैसा ही मेक्सिको के जीते हुए प्रदेशों में अमेरिकनों के विषय में है और

ऐसा जान पड़ता है कि चीन में युरोपियनों के विषय में ऐसा ही होगा और जापान में भी ऐसा ही आरम्भ हो जुका होगा। दक्षिण अमेरिका में संनियादों के विषय में कैसा था यह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वतंत्र अनुसंधानकारी, जिस राज्यतंत्र के अधीन होने हैं वह इन माहसियों ने अधिक अच्छा होता है और उनमें यथा साध्य देशियों की अधिक रक्षा करता है। बि. हेल्स के शिक्षाप्रद इतिहास के प्रत्येक पाठक को विदित है कि अंगनिश्च मरकार भी यशस्वि निष्फल हुई थी तथापि भाष्ये दिल और उम्मगढ़ा में ऐसा करनी थी। स्पेनिश मरकार अगर अंगनिश्च लोकपत के सामने जवाबदेह होती तो ऐसा प्रयत्न कर भरनी कि नहीं यह सन्देह की यात है। अंगनियादों ने अच्छा ही मूर्तिपूजकों को नहीं, वरन् अपने किसान मिथ और भाईयों का ही साथ दिया था। शासक देश की जनता शासिन देश के अधिकारियों की यात पर नहीं, वरन् अपने प्रवानियों की यात पर ध्यान देनी है; जिस्तु ही और वेपरवा जनमत पर हृदय पूर्वक दवाव डालने का माध्यन है परन्तु यह साधन अकेसे प्रवानियों को होने से उन्हीं की यात का माना जाना सम्भव है। विदेशियों के प्रति अपने देश के वर्ताव के विषय में दूसरे किसी देश के लोगों की अपेक्षा अंगरेजों को जो अधिक संदिग्ध सूचना से जांच करने की टेक है उसको ये बहुधा मरकारी हाकिमों को तरफ रखते हैं। राज्यतंत्र और स्वतंत्र पुराप के यीन के सब प्रश्नों में हर एक अंगरेज अपने मनमें यह सोच लेगा है कि भूल राज्यतंत्र की है। और यह प्रवासी अंगरेज अपने हमले के विनाश देशियों की रक्षा के

(३) जापान अब सब प्रकार से स्वतंत्र देश है वहाँ किसी युरोपियन की दाढ़ नहीं गलत की।

लिये थंडे हुए किसी कुर्ज पर राजनीतिक युद्ध के यंत्रों की मार शुरू करते हैं तथा यद्यपि कार्य कारिण सभा को कुछ अधिक अच्छे परिणाम की भंद परन्तु असली इच्छा होती है तथापि उसको विवादप्रस्त विषय का वचाव करने की अपेक्षा उसे छोड़ देना अपने पार्लीमेंट सम्बधी स्वार्थ के लिये साधारण तौर पर अधिक निरापद जान पड़ता है और विशेष नहीं तो कम कष्ट दायक लगता ही है ।

अधिक यसारी यह है कि जब अधीन जनता या जाति की तरफ से न्याय और परोपकार के नाम पर सार्वजनिक मन की सेवा में प्रार्थना की जाती है ( और अंगरेज मन के लिये प्रशंसा की बात है कि वह प्रार्थना सुनने को बहुत तत्पर रहता है) तब भी उसके असली निशाना चूकने की उतनी ही सम्भावना है । पर्योकि अधीन जनता में भी पीड़क और पीड़ित होते हैं—प्रबल पुरुष या वर्ग और उनके पैलतले पड़े हुए गुलाम । इनमें से जिनको अंगरेज जनता के सामने हाजिर होने का साधन है वे दूसरे नहीं वर्च पढ़ले हैं । एक अत्याचारी या लंपट को जिसकी सत्ता उसके दुरुपयोग करने से छीन ली गयी है और जो सजा होने के बदले पदले कभी न नक्षीब हुए बहुत धन और दबदबे में पलता है; और असाधरण हरु भोगने वाले जमीदारों के दल को, जो या तो सरकार उन की जमीन पर लगान का जा हक रखती है उसे छुड़ा देना चाहता है अथवा उसके जुलम से जने समृद्ध की रक्षा के लिये किये हुए किसी प्रथम पर उसे अन्यान्य समझ कर कोध भी करता है—इन लोगों को विटिश पार्लीमेंट और समाचार पत्रों में स्वार्थी या लद्दरी पक्षपाती प्राप्त करने में कुछ कठिनाई नहीं पड़ती । बारोड़ों गूमे मनुष्यों को कोई पक्षपाती नहीं मिलता ।

ऊपर की आलोचना जिस एक नियम का स्पष्टीरण

करती है (जिम्मो सुशिक्षण से कोई जानता होगा परन्तु अगर जानता होता तो एक प्रत्यक्ष नियम कहलाता) यह यह है कि जहाँ प्रेता के सामने की जिम्मेवारी अच्छे राज्य प्रबन्ध की नव ने दर्ढी जमानत है यहाँ दूसरे किसी के सामने की जिम्मेवारी में ऐसा कोई नव नहीं रहता इतना ही नहीं, वरन्तु उमसा जितना हित उतना ही अद्वितीय होने की सम्भावना है । हिन्दुन्थान के ग्रिटिंग राज्यकर्ता की ग्रिटिंग जनता के सामने दी जिम्मेवारी जो उपर्योगी है यह सुरक्षा करके इतने के लिये कि जब राज्य तन्त्र के किसी कुत्य के विषय में प्रदूष उठना है तब उसके कारण उसकी प्रमिडि और चर्चा होने का भरामा नहीं है; इस प्रमिडि और चर्चा के उपर्योगी होने के लिये यह कुछ उत्तरी नहीं है कि सारी जनता उस विद्यादग्रन्थ विषय को समझें, परन्तु उसमें से सिर्फ़ कुछ मनुष्य समझें यह काका है क्योंकि यह जो सिर्फ़ एक मान्विक जिम्मेवारी है वह सारी जनता के साते नहीं वरन्त्य उसमें जो निर्णय लेने को समर्थ होने हैं उन कि विशेष के सामने जो जिम्मेवारी होने से अभिग्राह की जैसे गिनती हो सकती है वैसे यह जो हो सकता है और आलोच्य विषय में अच्छे प्रयोग एक पुरुष की पमन्द या नापमन्द, उस विषय में कुछ न आनने वाले हजारों की पमन्द या नापमन्द की अपेक्षा अधिक बड़नडार गिनी जा सकती है । प्रत्यक्ष राज्य कर्त्ता एवं पर वेश्वर यह एक उपर्योगी अद्वय है कि उनको अपनी सकाराई देने को बाध्य कर सकते हैं और यद्यपि व्याय एक्षों का बड़ा भाग व्यायद किसी कदर ऐसी बराबर राय देंगा कि उसको अपेक्षा न देना अच्छा है; तो भी उसमें से दो एक अभियुक्तों के विषय में व्याकार करने योग्य ही राय दायर करें । हिन्दुस्थानी राज्यतन्त्र पर ग्रिटिंग पालोमेट

और जनता जो अद्वृश चलता है उससे हिन्दुस्थान को, जैसा कि है, इतना लाभ होता है ।

अहंरेज जनता हिन्दुस्थान जैसे देश के प्रति अगर अपना कर्तव्य पालन कर सकेगी तो उस पर सीधे तौर पर राज्य करने का प्रयत्न करने से नहीं, वरक्षु उसको अच्छे शासन कर्ता देने से । और वह उसको अंगरेज मन्त्री दल के मन्त्री की अपेक्षा अधिक यात्रा मनुष्य शायद ही दे सकती है । क्योंकि वह मन्त्री जो यात्रा सोचता है वह हिन्दुस्थानी राज्यनीति की नहीं वरक्षु अहंरेजी राज्यनीति की, वह अपने पद पर इतनी लम्ही मुहूर तक शायद ही रहता है कि ऐसे अटिल विषय में समझ बूझ कर मन लगावे और उस पर पार्लिमेंट में दो तीन या चार बज्जाओं का छत्रिम गढ़ा किया हुआ जनमत, असली की तरह जवरदस्त प्रसर फरता है; परन्तु वह ऐसी शिक्षा या स्थितिपरकमी अधिकार नहीं रखता कि अपना स्वतन्त्र प्रामाणिक अभिशाय बांधने की रुचि या शक्ति रखे । एक स्वतन्त्र देश अपने ही शासन मण्डल की एक शाखा द्वारा, एक भिन्न प्रकृति की जनता से वसे हुए दूरके अधीन राज्य पर शासन करने का प्रयत्न करे तो वह प्रायः निष्कल होगा । जिस पद्धति को कुछ भी ठीक सफलता मिलना सम्भव है वह यह है कि उसी सुकावले के स्थायी व्यवस्था मण्डल को राज्य चलाने का काम सौंपा जाय और राज्य के परिवर्तनीय शासनमण्डल के हाथ में सिर्फ देख रेख और रोकन का अधिकार रखा जाय । हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में ऐसा मण्डल \* विद्यमान था और मुझे भय रहता है कि जिस संकीर्ण दृष्टि की राज्यनीति ने इस राज्यतन्त्र का बचा हुआ

\* विट के १७८४ के हिन्दुस्थानी विल से उपापित और १८५८ के

पहिया दूर किया है उसके कारण हिन्दुस्थान और इंडिएट दोनों को सख्त सजा भोगनी पड़ेगी ।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे व्यवस्था मण्डल में अच्छे राज्य शासन के लिये वांछित सब गुण नहीं हो सकेंगे और सब से बढ़ कर यह कि प्रजा के स्वार्थ के साथ सम्पूर्ण और सदा गुणकारी प्रेक्ष्य—जो वहाँ भी मिलना मुश्किल है, जहाँ की प्रजा किसी अंश में अपने प्रथन्य को सम्भाल रखने के लायक हुई रहती है—विद्यमान नहीं होगा । परन्तु यदि अपूर्णताओं के बीच से करना है। करना यह है कि राजकार्ता मण्डल का ऐसा गठन हो कि इस मिथिति की सारी फटिनाइयों में उसका अच्छे राज्य प्रथन्य में यथा साध्य अधिक और बुरे में यथा साध्य कम स्वार्थ रहे । अब ये अवस्थाएँ मध्यमण्डल में सब से अच्छी विद्यमान मालूम होती हैं । मीधे शासन की अपेक्षा यास नियुक्त व्यवस्थामण्डल के शासन में हमेशा यह लाभ है कि उसको अपनी अगलदारी की प्रजा के मिथा दूसरे किसी के प्रति कर्तव्य पालने को यिलकुल कुछ नहीं रहता—उस को इस के मिथा दूसरे किसी के लाभ का विचार करना नहीं रहता । कुशासन से लाभ लेने का उस की मत्ता असाधारण गीति से घटायी जा सकती है; ईस्ट इंगिड्या कम्पनी के सब से अन्तिम गठन में इसी तरह घटायी गयी थी । फिर वह दूसरे किसी के अन्तिगत या थ्रेणीगत स्वार्थ के बन्धन से पूर्णतया मुक्त रहा जा सकता है । जहाँ इमारा शासन मण्डल और पालीं-मेगट अपने हाथ में मौजूद अन्तिम मत्ता का अमल करने में

कानून से बन्द हुआ दोई आफ कण्ट्रैन ( अंकुशमण्डल ) जो पार्किंग की जिमेवारी तके शासन करता था ।

येसे पक्ष हेतुओं से सिंचती है तथ मध्यमएडल शाही न्यायासन के सामने अधीनस्थ राज्य का घकील और वांधधर घना रहता है। फिर मुख्य कर के जिन पुरुषों से यह मध्य मएडल स्वाभाविक तौर पर बना होता है उनको अपने देश कार्य के इस विभाग का व्यवहारी ज्ञान मिला होता है और यह उसी स्थल में मंजा हुआ होता है तथा वे अपने जीवन के मुख्य धंधे के तौर पर उसका प्रबन्ध चलाये रहते हैं। उनमें यह गुण होने से और उनको स्वदेश की राज्यनीति के बल से अपना ओहदा छोड़ने को लाचार होने की सम्भावना न रहने से, वे अपने ऊपर अपित यास अधिकार में ही अपनी टेक और प्रतिष्ठा समायी हुई समझते हैं, और अपने प्रबन्ध की सफलता में तथा जिस देश पर वे शासन करते हैं उसकी उन्नति में उनका जितना दृढ़ भाव रहता है उतना मंत्री सभा के सभासद को यह स्वयं जिस देश की नीकरी बजाता है उस ( स्वदेश ) के सिवा दूसरे किसी देश के अच्छे राज्य प्रबन्ध में होना सम्भव नहीं। प्रत्यक्ष प्रबन्ध करनेवालों की पसंद जिस कदर इस मएडल के द्वारा रहती है उसी कदर नियुक्ति पक्ष और पार्लीमेण्ट के सद्वे के भंघर से बची रहती है और पक्षकर्त्ताओं को बदला देने के लिये तथा जो दूसरी तरफ प्रतिपक्षी हो जायं उनको गरीद लेने के लिये राज्यानुग्रह का दुरुपयोग कराने वाली वृत्तियां जिन साधारण ईमानदारी वाले राजनीतिक पुरुषों के मन में सब से योग्य पुरुषों को नियुक्त करने के कर्तव्य के ग्रामाणिक हौसले की अपेक्षा, हमेशा प्रबल रहती हैं, उनकी सत्ता से मुक्त रहती है। इस वर्ग की की हुई नियुक्ति को यथा साध्य वाधा न पहुंचने देना स्वदेश में दूसरे सब विभागों को पहुंचने वाली सब से यराब हानि रोकने की अपेक्षा अधिक आधश्यक है; क्योंकि दूसरे किसी विभाग में अगर हाकिम

नालायक होता है तो उसको जनता का साधारण मत किसी कदर बताता है कि कैसा वर्ताव करना चाहिये; परन्तु जिस अधीन देश के निवासी अंकुशसत्ता अपने हाथ में रखने के सायक नहीं हैं उसको राज्य प्रबन्ध के अवलोकन का सम्पूर्ण भरोसा पृथक प्रबन्धकताओं के सान्विक और मानसिक गुणों पर ही रहता है।

हिन्दुस्थान सरोर्दे देश में प्रत्येक दिव्य का भरोसा राज्य-  
तंत्र के अद्वितीयों (पञ्जेंटों) के व्यक्तिगत गुण और शक्ति पर  
रहता है यह यात जितनी बार कहे रखा है। यह सत्य हिन्दु-  
स्थानी राज्यतंत्र का प्रधान तत्व है। जिस दिन यह चोचा  
जायगा कि जो विभागों और दौड़ों पर सुवीते के स्वाल ने मनुष्य  
नियुक्त करने का रिकार्ड—जो इंगलैण्ड में बड़ा भारी दोष हो  
गया है—हिन्दुस्थान में निर्मयता में जारी किया जा सकता है  
उस दिन से वहाँ हमारे साम्राज्य के अंत का आगमन होगा।  
सब से थेष्ट उमेदवार एसेंट करने का विचार हो नो भी  
योग्य पुरुष प्राप्त करने के लिये अकस्मात् पर भगीसा रखना  
ठीक नहीं होता। उनको तत्यार करने का उद्देश्य शामन-  
पदनि में ही मौजूद होना चाहिये। अब तक नैमा ही हुआ  
है। इसी से हिन्दुस्थान में हमारा राज्य बिज्ञा है और अच्छे  
प्रबन्ध के विषय में बहुत फुर्तीया न होने पर भी निरन्तर  
सुधार को जड़ हुआ है। अब इस पदति के विरुद्ध इतनी बड़ी  
चिह्नाहट मचायी जाती है और इनको उत्तर देने के लिये इनकी  
बड़ी आतुरता दिखायी जाती है कि नानों राज्यतंत्र के हाकिमों  
को अपने घास में बिज्ञा और अभ्यास करना विलकृत विदेश  
विरुद्ध है, वे हुनियाद की बात है और अग्रान तथा वे-  
अनुभव के हक के भाग में अनुचित बकावट है। जो लोग  
अपने यहाँ के सम्बन्धियों के लिये अचल दरजे का संदा-

करने की इच्छा रखते हैं और जो भाव हिन्दुस्थान में ही रह कर नीति की कोठी से या घकील के अफिस से न्याय प्रबन्ध करने वालों या करोड़ों मनुष्यों की तरफ से सरकारी लहने की रकम मुक़रर करने के ओहदों पर चढ़ बैठने का दावा करते हैं उन दोनों के बीच में चुपके चुपके गुट हैं। जिस मुल्की नौकरी ( सिविल सर्विस ) के 'इजारा' की इतनी यही निन्दा हो रही है वह न्याय शाहिन्हों के हाथ में न्यायासनके इजारे जैसा है, और यह इजारा रद करना उस प्रथम आगन्तुक के लिये वेस्टमिनिस्टर हाल का न्यायासन खुला रहने के समान है जिसके विषय में उसके मित्र भरोसा दिलायें कि वह समय समय पर ( इंग्लैण्ड के प्रत्यात न्यायाधीश ) बैंकरों की ओर ताक भाँक लगाता रहा है। यद्यपि नीचे के दफतरों में रहकर अपना काम सीधे बिना ऊँचे दफतरों में दायित हो जाने के लिये इस देश से मनुष्य भेजने या उनको जाने के निमित्त उत्साहित रहने का मार्ग कभी स्वीकार किया गया तो फिर बिना देश या काम सम्बन्धी भाव के, बिना किसी व्यवहारी अनुभव के, और बिना किसी आगले ज्ञान के बन्धन के सिर्फ तेजी से धन बटोर कर स्वदेश लौटने की आतुर स्काच भाइयों और प्रवासी जवानों के हाथ में सबसे ज़रूरी ओहदे जा पड़ेंगे। जिनके हाथ से शासन हो वे सिर्फ उमेदवार के तौर पर जवानी में भेजे जायें, सोड़ी के पहले ढरडे से चढ़नाथारम्भकरे और उचित मुहूर के धाद अपनी धोग्यता साधित कर के उस के अनुसार यहुत ऊँचे चढ़े या न चढ़े, इस में देश की कुशल है। इस्ट इण्डिया कम्पनी की पद्धति में यह त्रुटि थी कि यद्यपि सब से ज़रूरी जगहों के लिये साधारणी के साथ सब से अच्छे मनुष्य ढूँढ़ लिये जाते थे तथापि अगर कोई हाकिम

नौकरी पर म्यायी रहता तो सदस्ते चतुर की तरह सब से कम चतुर भी आगे पीछे किसी न किसी राति से उम्रति पाना आता था । परसे अविकारी नश्वरत में कम योग्यता वाले भी अपने काम में शिक्षित और ऊपर वाले को देख रख और सत्ता तत्ते विहेव नहीं तो ये आदर दुष्ट दिना अपना रचन्य पाताने आने वाले भनुप्य थे । परन्तु इस ने हानि बढ़ने पर भी बहुत थी । जो भनुप्य सहकारी के काम से बढ़ कर काम करने योग्य नहीं होता तभी अपनी सारी जिन्दगी सहकारी रहना चाहिये और उनमें नये भनुप्यों को उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये । हिन्दुस्थान भवनवाली नियुक्ति की पुरानी पद्धति में इस अवधाद के लिया उनकी कोई अपनी ग्रिडि नेरं जानते नहीं है । भूल उमेदवारों को चढ़ा ऊपरी की परीक्षा में पर्याप्त करने का जो सबसे बड़ा मुश्कार होने वालक था वह हो चुका और इसमें अधिक जंच दरजे का उदाहरण और ग्रुप्पि प्राप्त करने का जो लाभ है उसके लिया यह गुण भौजूद है कि ओहदों के उमेदवारों और उस ओहदे देने में दिनको बोलते का दृश्य है उसके दीच में अचानक हो सकते के लिया दूनरा कोई निजस्ता भवन्य नहीं होता ।

जिन ओहदों में साम हिन्दुस्थान संसदीयों द्वारा और अनुभव चाहिये उनमें जो हाकिम इस प्रकार युने गये हों और शिक्षित हों देखन उन्हीं का अवधार हक्क रखना शिर्मी तरह अनुचित नहीं है । नीचे की नौकरियों पर रहे दिना उन्होंने नौकरियां पाने का एक भी छार, सामयिक दायरे के लिये भी, उहां सोला गया कि निर वर्मानेश्वाने भनुप्य उसकी इस वरद घटस्थाना गुरु करेंगे कि उसे कभी दें गमना अमन्य हो जायगा । मिर्ज़ सबसे जंचों नियुक्ति ही एक अवधाद कप रहनी चाहिये । ग्रिडिय हिन्दुस्थान का राज् प्रतिनिधि

( वाइसराय ) राज्य प्रबन्ध में अपनी महान् साधारण शक्ति उपने वाला होने के लिये सब अंगरेजों में से चुना हुआ पुरुष होना चाहिये । यह शक्ति अगर उसमें होगी तो उसको जो स्थानिक व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान पाने का और राय कायम करने का व्यक्तिगत प्रसङ्ग नहीं मिला होगा उसकी विद्यमानता की दूसरों में परीक्षा कर वह अपने उपयोग में लाने को समर्थ होगा । राज प्रतिनिधि ( अपवाद रूपी प्रसङ्गों के सिवा ) किस लिये नियमित नौकर थेणी का मनुष्य न होना चाहिये, इसके लिये अच्छे कारण हैं । सब नौकर थेणियों में न्यूनाधिक घर्गीय विकार घुसा रहता है और सर्वोपरि राज्यकर्ता को उससे मुक्त होना चाहिये । फिर जो मनुष्य अपनी जिन्दगी पश्चिया में विताये रहते हैं वे चाहे जैसे समर्थ और अनुभवी हों तो भी उनमें साधारण राज्यनीति सम्बन्धी सब से आगे बढ़े हुए युरोपियन विचार होने की इतनी बड़ी सम्भावना नहीं रहती । और मुख्य शासन कर्ता को यह विचार अपने साथ ले जाकर हिन्दुस्थानी अनुभव के परिणाम में मिला देना चाहिये । फिर उसके भिन्न घर्ग का होने से और खास करके अगर भिन्न सत्ता ने उसको पसन्द किया होगा तो उस को हाकिमों की नियुक्ति में गड़वड़ करने योग्य शायद ही किसी तरह की पदापात वृत्ति होगी । राजा और ईस्ट इंडिया कम्पनी के सर्वोपरि विभाजक, गवनर जनरल और गवर्नरों को प्रत्यक्ष रीति से न हो तो भी असल में राजा अर्थात् सामान्य राज्यतंत्र नियुक्त करता था, मध्यम एडल नहीं । और इससे राजा के एक महान् अधिकारी को स्थानिक नौकर घर्ग से व्यक्तिगत

या राजनीतिक रीति से कुछ सम्बन्ध होने की सम्भावना नहीं रहती थी। परन्तु मध्य व्यवस्था मण्डल फा जिसमें प्रष्टुत करके उस देश में स्वयं नीकरी कर आये हुए मनुष्य रहते थे, ऐसा सम्बन्ध था और रहने की सम्भावना थी। यद्यपि सरकार के मुलकी नीकर सिर्फ नीकरी के उमेरदार के तौर पर यचपन से ही भेजे जाते हैं तो भी अगर जो सामाजिक वर्ग राज प्रतिनिधि और गवर्नर संग्रह कर देता है उस वर्ग की तरफ से उनकी कुछ बड़ी संख्या संग्रह कर देने का समय आये तो निष्पक्षता की यह जमानत बहुत कम जोर पड़ जाने के समय चढ़ा ऊपरी की प्राथमिक परीक्षा भी अधूरी जमानत हो जायगी। सिर्फ अशान और अशक्ति ही वातिल रहेगी; कुलधान तरणों को भी दूसरों की तरह शिक्षा और युद्धिमानी के साथ आरम्भ करने को लाचार होना पड़ेगा और सब से ज़दा पुनर्जैसे धर्मोपदेशक मण्डल में दायिल किया जा सकता है वैसे हिन्दुम्यानी नीकरी में नहीं दायिल किया जा सकेगा। परन्तु पीछे फा अयोग्य पक्षपात रोकने चाला तो कुछ भी नहीं रहता। उस समय से सब नीकर अपने भाग्योदय के निर्णायक से एक समान अनजान या अपरिचित नहीं रहेंगे वरंच उनका यास विभाग निर्णायक से निकट चाला निज का सम्बन्ध रक्षता होगा और इसकी अपेक्षा वही संख्या राजनीतिक सम्बन्ध चालों की होगी। यास कुटुम्ब के मनुष्य और साधारण तौर पर उच्च श्रेणी के और वसीलेवाले मनुष्य अपने प्रतिद्वन्द्यों की अपेक्षा अधिक फुर्ती से रहेंगे और बहुधा वे जिन जगहों के लायक न होंगे उन जगहों पर ढंटे रहेंगे अथवा जिसके लिये दूसरे अधिक लायक होंगे उस जगह पर नियुक्त होंगे, जो सही सिफारिश सेना में ऊंचा ओहदा दिलाने में चलती है इसका यहां भी आरम्भ होगा और जो लोग इस सेनिक

नियुक्ति को भी पक्षपात रद्दित मानेंगे वे भोले मन के चमत्कारी नमूने होंगे । और वे ही हिन्दुस्थान की ऐसी नियुक्तियों में निष्पक्षपात की आशा रखेंगे । मुझे भय है कि हाल की पद्धति में चाहे जैसा साधारण उपाय लगा दें उस से यह दोष दूर होना सम्भव नहीं है । दुश्गुने राज्यतंत्र के नाम से परिचित राज्य प्रबन्ध में जो जमानत पहले आप ही आप आ मिलती थी उस से तुलना करने योग्य दरजे की जमानत ऐसे किसी उपाय से नहीं मिल सकेगी ।

अंगरेजी शासन पद्धति के बारे में हमारे देश में जो विषय इतना बड़ा लाभ गिना जाता है वह हिन्दुस्थान में एक दुर्भाग्य का दोगया है । और वह यात यह है कि राज्यपद्धति पहले से निर्दर्शित उद्देश्य से नहीं घरचंच समयोचित उत्तरांतर उपाय करने से, और मूल भिन्न हेतु के लिये कलिपत यन्त्र सामग्रों को उसके साथ जोड़ दने से, आप ही आप उत्पन्न हुई है । जिस देश का प्रबन्ध करना था उसकी जरूरतों में से उत्पन्न हुआ न रहने से उसका व्यावहारिक लाभ उस देश के ठीक ठीक अनुकूल नहीं आया । और इस से अगर उसमें कुछ मूलतत्व सम्बन्धी गुण रहा होता तो वह स्वीकार करने योग्य हो जाता । दुर्भाग्य वश उसमें असली शुटि इन गुणों की ही थी; क्योंकि राज्य नीति सम्बन्धी साधारण सिद्धान्तों के अपने सब आवश्यक तत्त्वों में प्रस्तुत प्रसंग से भिन्न भिन्न स्थितियों के लिये बंधे होने से उन में ऐसे गुण नहीं मिल सके । परन्तु मनुष्य किया की दूसरी शाखाओं की तरह राज्यतंत्र के विषय में प्रायः समस्त स्थायी मूलतत्वों की पहली सूचना साधारण प्राकृतिक नियमों के किसी खास खास प्रसङ्ग में कुछ नघीन या पहले से ध्यान में न चढ़ी हुई स्थिति संयोग में बर्ताते हुए

देख पाने से हुई है। जो राज्यतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त, एलमें कुछ पीढ़ियों से, अच्छे और बुरे रास्ते से, युरोप के राष्ट्रों में राजनीतिक उत्साह का पुनरुद्धार करते रहते हैं उनमें अधिकांश सूचित करने का यश प्रेटग्रिटेन और युनाइटेड स्टेट्स के राज्यतंत्रों को है। अधीनस्थ अर्द्ध जंगली देश पर सभ्य-देश के शासन के असली सिद्धान्त सूचित करने को और सूचित करने के याद मिट जाने को ईस्ट इण्डिया कंपनी का राज्यतंत्र बना था। अगर और दो या तीन पीढ़ी याद हिन्दुस्थान में हमारी सत्ता के फल स्वरूप सिर्फ़ यह तार्किक परिणाम हो रहे; अगर भविष्य की सन्तति हमारे लिये यह कहे कि हमारी बुद्धिमानी जो किसी तरह नहीं कर सकती उससे अधिक अच्छी व्यवस्था अक्सरमात् हाथ लग जाने के याद, हमने अपनी जागृत विचेक शक्ति का प्रथम उपयोग किया तो उसका नाश घरने में; और जो हित सम्पादन होने के मार्ग पर पड़ा था उसको अपने आधारभूत मूलतत्वों के अन्तान से लय होकर अटप होने देने में; तब दैवगति विलक्षण समझा। ईश्वर इक्षा करे परन्तु अगर इंगलैण्ट और सभ्यता दोनों को लिजित करनेवाला परिणाम रोवा जा सकता है तो यह काम सिर्फ़ अंगरेजी या युरोपियन अभ्यास से मिल सकने की अपेक्षा अधिक विशाल भावनाओं के योग से और हिन्दुस्थानी अनुभव का तथा हिन्दुस्थानी राज्यतंत्र की अवस्थाओं या जो अभ्यास अंगरेज राजनीतिक पुरुषों ने अभ्यास जो अंगरेज जनता यो मत संग्रह करते हैं उन्होंने अवतक सिर पर लेने की इच्छा प्रगट की है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक गहरे अभ्यास ढारा किया जा सकेगा।

समाप्त ।

## राजनीतिक पुस्तकें ।

स्वराज्य (Home Rule) क्या वस्तु है, इसके बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्योंकि इसकी चारों तरफ धूम मची हुई है, इसके अंग प्रत्यंगों की विशेष जानकारी के लिए ये पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। प्रत्येक भारतवासी को इन्हें देखना चाहिये ।

स्वराज्य क्यों चाहते हैं - ॥।।। राष्ट्रनिर्माण ॥

हिंदुस्तान का माँग ॥१॥ धर्म और राजनीति ॥२॥

लोक ० तिलक के स्वराज्य कर्मचारी गांधी का स्वराज्य ॥३॥

पर तीन व्याख्यान = ॥४॥ पर भाषण ॥५॥

स्वराज्य विचार ॥५॥ देवी वसत का संदेश ॥६॥

स्थानिक स्वराज्य ॥७॥ राष्ट्रीय स्वराज्य ॥८॥

राज्य की योग्यता ॥८॥ शिक्षा में स्वराज्य ॥९॥

Toward Home Rule ॥१०॥ श्री लालेस की श्रीकृष्ण  
का अनुवाद ) श्रीमती पनीरी संस्कृत का ॥११॥

संदेशाभिमीन ॥१॥ भाषण ॥१२॥

Case for Indian Home Rule का हिन्दी अनुवाद ॥१३॥ कर्मचारी गांधी के लेख ॥१४॥

हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं ॥१४॥ और व्याख्यान ॥१५॥

स्वराज्य की व्याख्या ॥१५॥ हमारे जेल के अनुभव ॥१६॥

स्वराज्य की आवश्यकता ॥१६॥ स्वराज्य की कसौटी ॥१७॥

स्वराज्य संगीत ॥१७॥ स्वराज्य ॥१८॥

स्वराज्य नाद ॥१८॥ स्वराज्य का संदेश ॥१९॥

श्रुत्वार तिलक ॥१९॥ हमारा भीषण हास ॥२०॥

पता—मैनेजर साइट्य-सरोज-माळा कार्यालय,

Po. काशी R. S. दनासूल ।

—८८— भावदासाक तुरता ! —८९—

आरोग्य दिग्दर्शक	॥३)	मुमद्रा	।
चरित्र साधन	॥४)	गुरु शिष्य सम्बाद	।।
आर्थिक सुफलता	॥५)	भारत गीतांजली	।।
कर्मसुध्र	।।	बाटुं किचनर	।।
एकाग्रता और रिव्यं शक्ति ।।	।।	जनरङ्ग नार्ज वाहिंगठन	।।
अमोरकाव्यवसाय	॥६)	शुश्वसादी	॥६)
आदर्श चरितावली	॥७)	यिवकानन्द नाटक	।।
गृहणी भूपण	॥८)	बीचिनमुकुल नाटक	॥॥।।
गृहणी वर्तव्य	॥९)	रणधीर प्रेममोटनी नाटक	॥।।
रोहिणी	।।	ऐतिहासिक ।	
विमाता	॥।।)	छीतागम सचित्र	॥।।)
माता का उपदेश	।।	बीर दुर्गादाम-सचित्र	॥।।)
जननी जीवन	॥॥।)	पैदाचिक काण्ड-सचित्र	॥॥।।)
जीवन विजय	॥॥।)	सोने की राज-सचित्र	॥॥।।)
दद्यों का चरित्रगठन	॥॥।)	नवायों महाल-सचित्र	॥॥।।।)
सफल गृहस्थ	॥३)	माजालिनी-यंकिम्-यायू का	॥॥।।।)
दयोनिधार्म	॥॥।)	गंगी-यंकिम् यायू का	॥॥॥।।।)
मुख तथा सफळता	॥॥।)	सामाजिक ।	
कांपेस के पिता ।।।। दूर्ग	॥॥।।)	जहर का प्याला सचित्र	॥॥।।।)
स्वदेशाभिमान	।।	राजदुलारी सचित्र	॥॥।।।)
स्वर्ग की सहक	॥॥।।।)	उमा-सचित्र	॥॥।।।)
स्वर्ग की मुन्दरियों	॥।।।)	गृहलक्ष्मी-सचित्र	॥॥।।।)
पत्ती गुचरित्र	।।	दिल का कांटा-सचित्र	॥॥।।।)
किधोर अवस्था	॥।।)	त्रिलोक्य मुन्दरी	॥॥॥।।।)
भारत के आदर्श बालक	।।	मानकुमारी ऐतिहासिक	॥॥॥।।।)
उत्तने का मूल मन्त्र	।।		॥।।।)

पता—उपन्यास-पहार आफिस,

P. O. काशी ( यनारस )